vol 1

0001

सहीह मुस्लिम

हदीस नं. 0612

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सून्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वारणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

صحیح مسلم

تالیف: امام مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ

सहीह मुस्लिम

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

ज़िल्द नम्बर

हदीस 1 से 612 तक

नाम किताब	सहीह मुस्लिम
तालीफ़	इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)
उर्दू तर्जुमा	फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी
हिन्दी तर्जुमा	दारुल-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
तख़रीज	मौलाना अदनान दुर्वेश
तक़रीज़	मौलाना इरशादुल हक़ असरी
तस्हीह व नज़्रे सानी	मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)
लेज़र टाइपसेटिंग	मुहम्मद गुफ़रान अन्सारी
मेनेजिंग डायरेक्टर	अली हम्ज़ा, (82338-55857)
प्रिण्टिंग	आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरुद्दीन साहब मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	जिलहिज्जा 1437 हिजरी (अगस्त 2019 इस्वी)

तादादा कॉपी : 500	तादाद पेज: 632	क़ीमत: रु. 600/- जिल्द (रु. 4500 आठ जिल्द सेट)

प्रकाशक	मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर
ज़ेरे निगरानी	शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सुन्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वाराणसी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मजामीन

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अर्ज़े नाशिर

(الحمد لله رب العالمين، والصلوٰة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد)

हिन्दी ज़बान में सहीह मुस्लिम की पहली जिल्द बशर्फ़े मुलाहिज़ा पेश है। मुकम्मल किताब आठ जिल्दों में पुरी होगी जिसकी तैयारी में शोबा नश्रो इशाअत की पुरी टीम सरगर्मे अमल है। उम्मीद है कि मुख़्तसर मुद्दत में मुकम्मल सहीह मुस्लिम आपके हाथों में होगी। ये अल्लाह तआला का बड़ा फ़ज़ल है कि हदीस की किताबों की हिन्दी ज़बान में इशाअत का बड़ा हिस्सा पुरा होने जा रहा है। ख़िदमते हदीस की इस तौफ़ीक़ पर जो अल्लाह तबारक़ व तआला ने इनायत फ़रमाई है उसका जिस क़द्र भी शुक्र अदा किया जाये कम है।

इलाहुल आलमीन — हदीस की ख़िदमत की इस तौफ़ीक़ पर जिससे तुने हमें नवाज़ा, हमारी पेशानी तेरी बारगाहे आली में झुकी हुई है, हमारे दिल शुक्र के जज़्बात से पुर है और ज़बान पर तेरी हम्दो सना के तराने जारी है।

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك

या इलाही हमारी इल्तिज़ा है कि जिस तरह तुने अपने हक़ीर बन्दों को इस अज़ीम ख़िदमत के शर्फ़ से नवाज़ा है, इसी तरह इसे दुनिया और आख़िरत में कबूलियत अता फ़रमा।

اللهم تقبل منّا كما تقبل من عبادك الصالحين

मुसलमानों तक अहादीसे रसूल {ﷺ} का गिरां क़द्र सरमाया पहुँचाने के लिये अइम्म-ए-हदीस ने बड़ी मेहनतें की हैं और बहुत मशक़्क़त उठा कर लम्बे लम्बे अस्फ़ार (सफर) किये हैं। बेपनाह तगो दो और जुहदे मुसल्सल के बाद अइम्म-ए-किराम {رحمهم الله} ने कुतुबे हदीस के कई मजमूए मुरत्तब किये। गुलशने हदीस के इन रंगारंग फूलों में से हर एक की अलग अलग ख़ूशबू है। हर एक अपना ख़ास मक़ाम रखता है और हर किसी के अपने अपने इम्तियाज़ात हैं। हदीस की ज़यापाशियों से चमकते हूये आसमान पर एक दमकता सितारा 'सहीह मुस्लिम' के नाम से मारूफ़ है, जिसे इमामुल मुहद्दिसीन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी {رحمه الله} ने मुरत्तब किया है। इमाम मौसूफ़ ने पहले चार लाख अहादीस जमा की। और फिर उनमें से एक लाख मुकर्रर अहादीस को तर्क करके तीन लाख अहादीस को

परखना शुरू किया। जो अहादीस़ हर ऐतबार से मुस्तनद साबित हुईं उनका इन्तेख़ाब करके सहीह मुस्लिम में जमा किया। पन्द्रह साल की जद्दो जहद और काविश के बाद ये अहम किताब मुकम्मल हूई। इसमें तक़रीबन सात हज़ार अहादीस़ हैं, जिनमें से मुतअद्दिद (कई) अहादीस़ एक से ज़्यादा मर्तबा ज़िक्र की गई हैं। ग़ेर मुकर्रर अहादीस़ की तादाद तक़रीबन चार हज़ार है।

सहीह मुस्लिम का मुक़द्दमा कुछ वजह से बड़ी अहमियत का हामिल है। इस मुक़द्दमे में वजहे तालीफ़ के अलावा फ़न्ने रिवायत के बहुत से फ़वाइद जमा किये गये हैं। इमाम मौसूफ़ ने ये मुक़द्दमा तहरीर करके फ़न्ने उसूले हदीस़ की बुनियाद क़ाइम कर दी है। इस मुक़द्दमा की ख़ुसूसी अहमियत की वजह से इसकी मुस्तक़िल शुरूहात भी लिखी गई हैं।

हदीस़ की मुतअद्दिद किताबें तहरीर की गई हैं मगर अहले इल्म ने छः किताबों को ज़्यादा मुस्तनद व मोतबर क़रार देकर उन्हें 'सिहाहे सित्ता' (छः सही किताबों) का ख़िताब दिया है, यानी सही बुख़ारी, सहीह मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद, जामेअ तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा। इन किताबों में से सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम को सबसे ज़्यादा मुस्तनद क़रार दिया है। सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में कौन सी किताब ज़्यादा मोतबर और किस किताब का मक़ाम बुलन्द है? उलमा व मोहद्दिसीन ने सहीह बुख़ारी को सहीह मुस्लिम पर फ़ौक़ियत व फ़ज़ीलत दी है।

हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान बिन अली अर्रबीअ यमनी शाफ़ेई { رحمه الله } ने तहरीर किया है कि सेहत में सहीह बुख़ारी और हुस्ने तर्तीब में सहीह मुस्लिम क़ाबिले तर्जीह है। इमाम मुस्लिम { رحمه الله } ने अपनी सहीह में ये शर्त लगाई है कि वह अपनी किताब में सिर्फ़ उन अहादीस़ को बयान करेंगे जिसे कम अज़ कम दो सिक़ा ताबेईन ने दो सिक़ा रावियों से नक़ल किया हो और यही शर्त तमाम तबक़ाते ताबेईन और तबअ ताबेईन { رحمهم الله } में मल्हूज़ रखी है, यहाँ तक कि सिलसिल-ए-रिवायत इमाम मुस्लिम{ رحمه الله } पर आकर ख़त्म हो जाये। इमाम मुस्लिम { رحمه الله } रावियों के औसाफ़ में सिर्फ़ अदालत को मल्हूज़ नहीं रखते बल्कि शराइते शहादत को भी पेशे नज़र रखते हैं। इमाम मुस्लिम{ رحمه الله } ने हर हदीस़ को जो उसके लिये मुनासिब मक़ाम था, वहीं ज़िक्र किया है और उसके तमाम तुरूक को उसी मक़ाम पर बयान कर दिया है और उसके मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ को एक ही मक़ाम पर बयान कर दिया है ताकि तालिबे इल्म को आसानी हो, और सहीह मुस्लिम की एक इम्तियाज़ी सिफ़त ये है कि इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में तालीक़ात बहुत कम ज़िक्र की हैं। सहीह मुस्लिम अपनी बेशुमार ख़ूबियों के बाइस़ एक आला और इम्तियाज़ी मक़ाम रखती है।

हज़रत उस्ताद ने बड़ी मेहनत के साथ अपने इल्मी रश्हात को क़लमबन्द किया और सहीह मुस्लिम की ये ऐसी शरह तालीफ़ फ़रमा दी है जो बिलाशुब्हा उलमा व तलबा के यहाँ लाइक़े सताइश होने के साथ साथ अवाम की नज़रों में भी मक़बूल होगी। इन्शाअल्लाह।

सही तरीन मज्मूआ कुतुबे सित्ता हैं और सहीह बुख़ारी का दर्जा पहला है और सानी इस्नैन का दर्जा सहीह मुस्लिम को हासिल है, इसलिये हर दौर में इन दोनों की मख़्सूस अहमियत रही है और इनकी मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में शुरूहात की जा रही हैं और की जाती रहेंगी।

हमने इस शरह में उन चीज़ों का लिहाज़ रखा है और ये सब कुछ मुख़्तलिफ़ शुरूहात से माख़ूज़ है, हमने तो महज़ मुख़्तलिफ़ फूलों से गुलदस्ता सजाया है, (1) सबसे पहले इमाम मुस्लिम {रह०} के मुक़द्दमा की तशरीह व तौज़ीह की है और ये मुक़द्दमा इमाम मुस्लिम {रह०} का इम्तियाज़ी वस्फ़ है, सिहाहे सित्ता के मुअल्लिफ़ीन में से किसी ने अपनी किताब का मुक़द्दमा नहीं लिखा, इमाम साहिब ने सबसे पहले सबबे तालीफ़ की वज़ाहत की है फिर उस्लूबे तख़रीजे अहादीस़ को तफ़्सीलन बयान किया है और राविर्यों के बारे में गुफ़्तगू की है और फिर बताया कि उन्होंने सिर्फ़ अहादीसे सही की तख़रीज का एहतिमाम क्यूँ किया है और ज़ईफ़ और मुन्कर रिवायात को क्यूँ नज़र अन्दाज़ किया है किताब व सुन्नत से इसके दलाइल फ़राहम किये हैं इसके बाद ये वाज़ेह फ़रमाया कि आपने बिकुल्लिमा समिआ (हर सुनी हुई बात) के बयान करने से क्यूँ मना फ़रमाया है,फिर दीन में सनद के मक़ाम व मर्तबा को उजागर किया है और फिर रूवात की जरह व तादील की ज़रूरत व अहमियत को बयान किया है और बताया है ये ग़ीबत नहीं है और कुछ मजरूह रावियों का तज़किरा किया है फिर मुअनअन रिवायात के बारे में बड़ी तफ़्सीली बहस की है और अपना मौक़िफ़ पेश किया है और अपने मुख़ालिफ़ीन पर इन्तेहाई तुन्दो तेज़ तब्सरा किया है और इस मसले में सहीह मौक़िफ़ की वज़ाहत की है, फिर किताब का आग़ाज़ किताबुल ईमान से किया है। (2) इमाम साहिब ने अपनी किताब की अहादीस़ को इन्तेहाई उम्दा और मज़ामीन की तर्तीब के लिहाज़ से लिखा है लेकिन उन पर तराजिमे अबवाब क़ाइम नहीं किये। तराजिमे अबवाब इमाम नववी {रह०} ने क़ाइम किये। तराजिम की वज़ाहत की है और उनकी मन्दरजा अहादीस़ से तत्बीक़ व तौसीक़ भी बयान की है। (3) फिर सनद का तर्जुमा किया है अगर कहीं इसमें कोई इश्काल है तो फ़वाइद में उसको हल किया है। (4) मतन का मुकम्मल तर्जुमा किया है कहीं भी किसी लफ़्ज़ के तर्जुमे को नज़र अन्दाज़ नहीं किया। (5) मतन के तर्जुमे के बाद मुफ़रदातुल हदीस़ के उनवान के तहत हदीस़ के मुश्किल अल्फ़ाज़ की लुग़वी तशरीह की है और अगर कहीं तर्कीब के बयान की ज़रूरत है तो उसको भी बयान किया है। (6) फ़वाइद के उनवान के तहत हदीस़ की मुकम्मल तशरीह की है, इसके फ़हम व तफ़हीम में अगर कोई इश्काल है तो उसको भी हल किया है। (7) अहादीस़ में बयान करदा अहकाम व मसाइल की ज़रूरी तौज़ीह व तफ़्सील बयान कर दी है। (8) अहकाम व मसाइल के सिलसिले में मारूफ़ अइम्मा की आरा को भी बयान कर दिया है और सही राय की भी निशानदेही कर दी है, अहादीस़ की रोशनी में सही मौक़िफ़ की वज़ाहत की है और सही हदीस़ की सूरत में किसी के क़ौल को क़बूल नहीं किया। (9) कुछ शारेहीन ने सही अहादीस़ से कुछ ग़लत मसाइल के इस्तिम्बात की कोशिश की है उनका भी मुनासिब

अन्दाज़ में जवाब दिया है, लेकिन एहतिराम को मल्हूज़े ख़ातिर रखा है। (10) तमाम अहले इल्म, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मक्तबे फ़िक्र से हो उनके इल्म की क़द्र करते हूये उनके लिये दुआइया कलिमात का लिहाज़ रखा है और किसी क़िस्म का बुख़्ल रवा नहीं रखा।

कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका बावक़ार क़ारेईन ख़ुद एहसास कर लेंगे। तशरही व तौज़ीह में बहुत तवालत भी नहीं है और ख़्वाहमख़्वाह किताब का हज्म नहीं बढ़ाया।

उस दौर में इल्मे हदीस़ और हज़राते मुहद्दिसीन की क्या आन बान और शान थी। उसी सुनहरी दौर में इमामुल कबीर अलहाफ़िज़ अलहुज्जत अबूल हुसैन मुस्लिम बिन अलहज्जाज बिन मुस्लिम बिन वरद बिन कोशाज़ अल क़ुशैरी अन्नीसापूरी 204 हिजरी या 206 हिजरी में पैदा हुये, 218 हिजरी में चौदह साल के थे कि तालीम का आग़ाज़ किया, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इस्हाक़ बिन राहवे, इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल अलबुख़ारी, इमाम अ़ली बिन अलमदीनी, इमाम यहया बिन मईन, इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा अलक़ाबीनी, मुहम्मद बिन यहया अज्ज़ोहली {رحمہم اللہ} जैसे अ़ायान से इल्म हासिल किया, हाफ़िज़ ज़हबी {رحمہ اللہ} ने इमाम मुस्लिम की अलजामेअ़ अस्सहीह में उनके शयूख़ को हुरूफ़े तहज्जी के तहत ज़िक्र किया है जिनकी तादाद 220 है। (अस्सियर जिल्द 12 स़फ़ा 561)

अल्लाह सुब्हानहू व तअ़ाला ने उन्हें हिफ़्ज़ व ज़ब्त का वाफ़िर हिस़्सा अ़ता फ़रमाया था, इसी बिना पर हुफ़्फ़ाज़े हदीस़ में शुमार होते थे चुनांचे इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम मुहम्मद बिन बश्शार बिन्दार फ़रमाते हैं।

حفاظ الدنیا اربعة ابو زرعة بالری، والدارمی بسمرقند

ومحمد بن اسماعیل بخاریٰ مسلم نیسابور؟!

(तारीख़े बग़दाद जिल्द 2 स़फ़ा 12)

कि दुनिया के हुफ़्फ़ाज़ चार हैं 'रै' में अबू ज़रआ़ उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल करीम अर्राज़ी, 'समरक़न्द' में उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान दारमी, 'बुख़ारा' में मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी, 'नीसापूर' में मुस्लिम बिन अलहज्जाज अलक़ुशैरी।

इमाम मुस्लिम के रफ़ीक़े सफ़र इमाम अहमद बिन सलमा फ़रमाते हैं:

رأیت أبازرعة وأباحاتم يقدمان مسلما فی معرفة الصحیح على مشائخ عصرهما

(तारीख़े बग़दाद जिल्द 13 स़फ़ा 151 वग़ैरह)

मैंने इमाम अबू ज़रआ और इमाम अबू हातिम को देखा दोनों इमाम मुस्लिम को मारफ़ते हदीस़ में अपने ज़माने के मशाइख़ पर तर्जीह देते थे।'

इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम इस्हाक़ बिन राहवे ने इमाम मुस्लिम का ज़िक्र करते हूये फ़रमाया इस जैसा कौन होगा। (तारीख़े बग़दाद जिल्द 13 स़फ़ा 102)

ये और इसी नोईयत के दूसरे अक़वाल जिन्हें ख़तीब बग़दादी, अल्लामा नववी, हाफ़िज़ ज़हबी और हाफ़िज़ इब्ने कस़ीर { رحمہم اللہ } वग़ेरह ने नक़ल किया इनसे इमाम मुस्लिम की शख़्सियत इल्मे हदीस़ और इललुल हदीस़ में उनकी मारफ़त व बस़ीरत का पता चलता है।

इसके अ़लावा इमाम मुस्लिम ने जो तक़रीबन दो दर्जन कुतुब यादगार के तौर पर छोड़ी हैं वही उनके इल्म व फ़ज़ल का मुँह बोलता स़बूत हैं, इन किताबों में उनकी शोहरा आफ़ाक़ किताब 'अलमुसनद अस्स़हीह' है जिसे उ़मूमन 'अलजामेअ़ अस्स़हीह' कहा जाता है।

मगर इसका स़ही नाम 'अलमुसनद अस्स़हीह अलमुख़तस़र मिनस्सुनन बिनक़्लिल अ़द्ल अनिल अ़द्ल अ़न रसूलिल्लाह { ﷺ }' है।

ख़तीब बग़दादी ने इमाम मुस्लिम का ये क़ौल भी ज़िक्र किया है:

صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة الف حديث مسموعة

(तारीख़े बग़दाद जिल्द 13 स़फ़ा 100, 101)

ये कि मैंने इस 'अलमुसनद अस्स़हीह' को तीन लाख मस्मूआ अहादीस़ से मुन्तख़ब किया है। इमाम मुस्लिम का ये क़ौल भी इसका मुईद (ताईद करने वाला) है। किताब का नाम 'अलजामेअ़ अलमुसनद अस्स़हीह' नहीं बल्कि 'अलमुसनद अस्स़हीह' है।

इमाम मुस्लिम की 'अलमुसनद अस्स़हीह' को अल्लाह तबारक व तआ़ला ने शोहरते दवाम बख़्शा है, अहले इल्म का तक़रीबन इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है स़ेहत के ऐ़तबार से सब से पहली किताब इमाम बुख़ारी की 'अलजामेअ़ अस्स़हीह अलमुसनद' है, इसके बाद इमाम मुस्लिम की 'अलमुसनद अस्स़हीह' का मक़ाम है। अ़ल्लामा ऐ़नी रक़मतराज़ है।

اتفق علماء الشرق والغرب على انه ليس بعد كتاب الله تعالى اصح من صحيحي البخاري ومسلم فرجح منهم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري والجمهور على ترجيح البخاري على المسلم۔

(अम्दल क़ारी जिल्द 1 स़फ़ा 5)

मश्रिक़ व मग़रिब के उ़लमा का इत्तेफ़ाक़ है कि क़ुर्आन मजीद के बाद सहीह बुख़ारी व मुस्लिम से कोई किताब ज्यादा स़ही नहीं है, अलबत्ता मग़रिब के उ़लमा ने स़हीह मुस्लिम को स़हीह बुख़ारी पर तर्जीह दी है, मगर जुम्हूर के नज़दीक स़हीह बुख़ारी को स़हीह मुस्लिम पर तर्जीह हासिल है।

स़हीह मुस्लिम की इसी अहमियत की बिना पर हर दौर में इसकी ख़िदमत की गई है, यहाँ तक कि इसके मुक़द्दमे की शरह और तौज़ीह पर मुस्तक़िल किताबें लिखी गई हैं। इसी तरह इमाम मुस्लिम{ رحمه الله } के उस्लूब पर कुछ ने इस पर मुस्तख़रजात, कुछ ने मुख़्तसरात, कुछ ने इसके ग़रीब अल्फ़ाज़ और ज़ब्त अल्फ़ाज़ पर किताबें लिखीं और कुछ ने इसकी शुरूहात व हवाशी मुरत्तब किये।

यही ख़िदमत मोहतरम मौलाना 'हाफ़िज़ अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अलवी { حفظه الله } शेख़ुल हदीस़ अल्जामिअ़तुस्सलफ़िया' ने सर अन्जाम दी है। हज़रत अ़लवी स़ाहिब तक़रीबन पचास साल से दर्स व तदरीस के मैदान में हैं, दर्से निज़ामी के मौज़ूअ की तमाम कुतुब कई मर्तबा पढ़ा चुके हैं और तक़रीबन तीस साल से अलजामेअ़ अस्सहीह लिल इमाम अलबुख़ारी और दीगर मैयारी किताबों का दर्स दे रहे हैं। उन्हें ये इम्तियाज़ व इख़्तेसास़ भी हास़िल है कि जहाँ उन्होंने अहले हदीस़ मक्तबे फ़िक्र के शयूख़ुल हदीस़ जैसे शैख़ुल अ़रब वलअ़जम हज़रत हाफ़िज़ मुहम्मद मुहद्दिस़ गोन्दलवी, हज़रत मौलाना मुहम्मद अ़ब्दुल्लाह मुहद्दिस़, हज़रत मौलाना मुहम्मद अ़बुल फ़लाह, हज़रत मौलाना अ़ब्दुल ग़फ़्फ़ार हसन { رحمه الله } जैसे आ़यान से शर्फ़े शगिर्दी हास़िल किया।

इस्तिलाहाते हदीस़

अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल् मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन व बअ़द!

हदीस़ : रहमतुल्लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज्नबीन, ख़ातमुन्नबिय्यीन, रसूलुल आलमीन (ﷺ) के क़ौल, अमल और तक़रीर को मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस़ कहते हैं। तक़रीर का मफ़्हूम ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने कोई काम किया गया और आपने वो काम सर अन्जाम देने वाले को रोका न हो।

सनद और मतन : हर हदीस़ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, सनद और मतन। हदीस़ के रावियों के सिलसिले को सनद कहते हैं और हदीस़ की इबारत को मतन कहा जाता है।

ख़बरे मुतवातिर : मुतवातिर उस हदीस़ को कहते हैं जिसे हर दौर में इतनी बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो जिसका किज़्ब बयानी पर मुत्तफ़िक़ होना मुहाल (असम्भव) नज़र आता हो।

ख़बरे मुतवातिर से यक़ीनी इल्म हासिल होता है, ऐसा यक़ीनी इल्म कि इंसान उसकी तस्दीक़ करने पर मजबूर हो जाता है।

ख़बरे वाहिद : ख़बरे वाहिद उस हदीस़ को कहते हैं जिसके रावी तादाद में तवातुर के दर्जे को न पहुँचते हों। ख़बरे वाहिद सहीह से इल्मे यक़ीनी हासिल होता है और अक़ाइद व आमाल में हुज्जत है।
मुहद्दिसीन के नज़दीक ख़बरे वाहिद की तीन क़िस्में हैं मशहूर, अज़ीज़ और ग़रीब।

मशहूर : मशहूर उस हदीस़ को कहते हैं जिसकी सनद यानी सिलसिल-ए-रुवात के हर तबक़े में तीन या तीन से ज़्यादा रावी हों बशर्ते कि तीन से ज़्यादा की तादाद तवातुर को न पहुँचे।

अज़ीज़ : अज़ीज़ उस हदीस़ को कहते हैं जिसको रिवायत करने वाले किसी भी दौर में दो से कम न हों।

ग़रीब : ग़रीब उस हदीस़ को कहते हैं जिसे सिर्फ़ एक रावी ने रिवायत किया हो।

सहीह : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में किसी क़वी हाफ़िज़े वाले पाकीज़ा किरदार शख़्स का अपने ही तरह के हामिल सिफ़ात शख़्स से ऐसी हदीस़ नक़ल करना जो इब्तिदा से इन्तिहा तक पाकीज़ा किरदार, क़वी हाफ़िज़े वाले लोगों से मुन्तक़िल होती हुई पहुँचे और उसमें शुज़ूज़ यानी किसी ज़्यादा सिक़ह रावी की मुख़ालिफ़त न हो और न ही उसमें कोई इल्लत पाई जाये। अस्हाबे हदीस़, अहले उसूल और फ़ुक़हा के नज़दीक सहीह हदीस़ पर अमल करना वाजिब है।

हसन : हसन उस हदीस़ को कहते हैं जिसमें सहीह हदीस़ की मज़्कूरा तमाम सिफ़ाई पाई जायें, सिर्फ़ रावी का हाफ़िज़ा क़द्रे कमज़ोर हो।

दलील के तौर पर इस्तेमाल करने में उसका दर्जा सहीह के बराबर है अगरचे क़ुव्वत में उससे क़द्रे कम है, इस वजह से तमाम फ़ुक़हा ने इससे इस्तिदलाल के साथ-साथ इस पर अ़मल भी किया है, बहुत से उसूलियों और मुहद्दिसीन ने इससे सिर्फ़ इस्तिदलाल किया है अल्बत्ता कुछ शिद्दत पसंद उलमा ने इससे भी एहतिराज़ किया है और कुछ नर्म रवैया इख़्तियार करने वालों ने 'हसन' को हाकिम, इब्ने हिब्बान और इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह की तसानीफ़ में दर्ज की गई सहीह हदीस़ का दर्जा दिया है, अल्बत्ता उन्होंने साथ ही ये बात भी कह दी है कि इसका दर्जा सहीह से कम है।

ज़ईफ़ : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में ज़ईफ़ हर उस हदीस़ को कहते हैं जिसमें हसन की ज़रूरी शराइत में से कोई एक शर्त मौजूद न हो।

मौज़ूअ : इस्तिलाह में मौज़ूअ हदीस़ उसको कहते हैं जो अपनी तरफ़ से बना ली जाये और फिर उसकी निस्बत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ कर दी जाये। मुहद्दिसीन का इस पर इज्माअ़ है कि जो शख़्स हदीस़ के मौज़ूअ होने का इल्म रखता हो उसके लिये किसी भी ऐसी हदीस़ का बयान करना जाइज़ नहीं है उस वक़्त तक कि उसका मौज़ूअ होना भी बयान न कर दे।

मुस्लिम शरीफ़ में है कि 'जिस शख़्स ने मेरी तरफ़ निस्बत करके जानबूझ कर कोई झूठी हदीस़ बयान की तो ऐसा शख़्स झूठों में से है।'

मुअ़ल्लक़ : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मुअ़ल्लक़ उस सनद को कहते हैं जिसकी इब्तिदा से एक या एक से ज़्यादा रावियों का लगातार नाम छूट जाये।

मुअ़ल्लक़ हदीस़ क़ाबिले क़ुबूल नहीं होती, इसलिये कि शराइते क़ुबूल में से अहम शर्त इत्तिसाले सनद है जो इसमें मौजूद नहीं होती, क्योंकि इसकी सनद में एक या एक से ज़्यादा रावी महज़ूफ़ होते हैं उनका हमें कुछ इल्म नहीं।

मुर्सल : इस्तिलाह में मुर्सल वो हदीस़ है जिसकी सनद का आख़िरी हिस्सा यानी ताबेई से ऊपर का रावी साक़ित हो। मुर्सल हदीस़ इत्तिसाले सनद की लाज़िमी शर्त के मफ़्क़ूद होने के बाइस़ ज़ईफ़ और नाक़ाबिले क़ुबूल होती है। दूसरी वजह ये भी है कि इस महज़ूफ़ का हाल मालूम नहीं होता, हो सकता है वो महज़ूफ़ ग़ैर सहाबी हो चुनाँचे ऐसी सूरत में उसके ज़ईफ़ होने का भी एहतिमाल होता है।

मुअ़ज़ल : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में उस हदीस़ को कहते हैं जिसकी सनद से पे-दर-पे कई रावी साक़ित हो गये हों।

मुन्क़तअ़ : उसूले हदीस़ में मुन्क़तअ़ उस हदीस़ को कहते हैं जिसकी सनद मुत्तसिल न हो और ये इन्क़िताअ़ ख़्वाह किसी भी वजह से हो। मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुन्क़तअ़ हदीस़ ज़ईफ़ है इसलिये कि इसमें महज़ूफ़ रावी का हाल मालूम नहीं होता।

मुदल्लस : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मुदल्लस उस हदीस़ को कहते हैं जिसकी सनद के ऐब को मख़्फ़ी रखा जाये और ज़ाहिरी शक्ल को हसीन बना दिया जाये।

मुअ़ल्लल : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मुअ़ल्लल वो हदीस़ है जिसकी किसी ऐसी कमज़ोरी की इत्तिलाअ़ हो जाये जो उसकी सेहत को मजरूह कर दे।

मुदरज : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मुदरज उस हदीस़ को कहते हैं जिसके सिलसिला–ए–सनद को बदल दिया गया हो या मतने हदीस़ में बाहर से ऐसे अल्फ़ाज़ शामिल कर दिये गये हों जिसके मतने हदीस़ से अलग होने की कोई सूरत बाक़ी रहने न दी गई हो।

मुज़्तरिब : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मुज़्तरिब वो हदीस़ है जो मुख़्तलिफ़ तुरूक़ से मरवी हो और सब तुरूक़ क़ुव्वत में मसावी (बराबर) हों और उनमें तरजीह की कोई सूरत न हो।

शाज़ : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में शाज़ उस हदीस़ को कहते हैं जिसे मक़बूल रावी ने रिवायत किया हो, ये रिवायत उससे बेहतर के मुख़ालिफ़ हो।

हदीसे क़ुदसी : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में हदीसे क़ुदसी उस हदीस़ को कहते हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत होकर हम तक इस तरह पहुँचे कि आप (ﷺ) ने उसकी निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला की तरफ़ की हो।

- क़ुरआन लफ़्ज़न व मअ़नन अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल करदा है। लेकिन
- हदीसे क़ुदसी का मफ़्हूम अल्लाह की जानिब से होता है और अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के होते हैं।
- क़ुरआन मजीद की तिलावत इबादत है जबकि हदीसे क़ुदसी की तिलावत इबादत मुतसव्विर नहीं होती।
- अहादीसे क़ुदसिया की तादाद अहादीसे नबविया की निस्बत बहुत कम है, इनकी तादाद दो सौ से कुछ ज़्यादा है।

मरफ़ूअ़ : हर वो क़ौल, अ़मल, तक़रीर या सिफ़त जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ की जाये उसे हदीसे मरफ़ूअ़ कहते हैं।

मौक़ूफ़ : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में ऐसा क़ौल, फ़ैअ़ल या तक़रीर जिसकी निस्बत सहाबी की तरफ़ की गई हो वो हदीसे मौक़ूफ़ कहलाती है।

मक़्तूअ़ : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मक़्तूअ़ उस क़ौल व फ़ैअ़ल को कहते हैं जिसकी निस्बत ताबेई की तरफ़ की गई हो।

मुस्नद : उसूले हदीस़ की इस्तिलाह में मुस्नद वो रिवायत है जिसकी सनद इत्तिसाल के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) तक मरफ़ूअ़ हो।

सीरत इमाम मुस्लिम (रह.)

बिला शुब्हा तारीफ़ व शुक्र का हक़दार अल्लाह तआ़ला ही है, हम उसी की तारीफ़ और शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं और उसी से बख़्शिश के तालिब हैं और हम अल्लाह तआ़ला से अपने नुफ़ूस की शरारतों और अपने बुरे आ़माल से पनाह चाहते हैं।

जिसे अल्लाह तआ़ला हिदायत से नवाज़े, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो राहे रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ न दे उसे कोई राहे रास्त पर नहीं चला सकता और मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई लायक़े बन्दगी व इताअ़त नहीं है, वो यकता है उसका कोई साझी नहीं है और मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद (ﷺ) उसका बन्दा और रसूल है।

'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत न आये मगर इस हाल में कि तुम फ़रमाबरदार हो।' (सूरह आले इमरान : 102)

'ऐ लोगो! अपने उस रब से डरते रहो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं और उस अल्लाह से डरो (उसकी हुदूद की पाबन्दी करो) जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से माँगते हो और रिश्तेदारों के बारे में ख़बरदार रहो (रिश्तेदारी को न तोड़ो) बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला तुम पर नज़र रखे हुए है।' (सूरह निसा : 1)

'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और बात सीधी (दुरुस्त) किया करो अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आ़माल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और जिस शख़्स ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त की, तो उसने यक़ीनन बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।' (सूरह अहज़ाब : 70-71)

अम्मा बअ़द! बिला शुब्हा सच्ची तरीन बात, अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हिदायत, मुहम्मद (ﷺ) की रहनुमाई है और बदतरीन मामलात दीन में नये पैदा करदा हैं और हर नया तराशा मामला, बिदअ़त है और हर बिदअ़त गुमराही है।

ये इस उम्मते मुस्लिमा के कुछ उलमा और मुहद्दिसीन के हालाते ज़िन्दगी का सिलसिला है, जिस उम्मत को अल्लाह तआला ने क़यामत तक बुज़ुर्गी और बुलंदी से नवाज़ा है, इसमें हम उन उलमा की ज़िन्दगी के ख़ुसूसी और उमूमी पहलूओं पर अपनी तवज्जह मरकूज़ (केन्द्रित) करेंगे, उनकी सिफ़ात, अख़्लाक़, आदाब, इल्म, दीन और इबादत पर क्योंकि हम इस दौर में उन सिफ़ात के बहुत ज़्यादा मोहताज हैं।

इस उम्मत की इज़्ज़त व अ़ज़्मत उस वक़्त तक नहीं लौट सकती, जब तक पहलों की उन सिफ़ात को न अपनाया जाये और उन ख़ूबियों में से फ़ौतशुदा को ज़िन्दा न किया जाये। एक अ़र्सा हुआ उन उलमा की सीरत बहुत से मुसलमानों की नज़रों से ओझल हो गई है, जो लोग इस दीन की तरफ़ मन्सूब नहीं उनका क्या नाम लेना, हैरतज़दा लोगों की रहनुमाई करने वाली मश्अ़ल बुझ गई है। उम्मत उसकी मुन्तज़िर है जो उसे रोशन करे ताकि रास्ता रोशन हो। क्योंकि लोग बातें सुनकर उकता चुके हैं। सब ये चाहते हैं ये दीन इस तरह वुक़ूअ़ पज़ीर हो जैसे कि वो उन उलमा और उनके पैरोकार मुसलमानों के यहाँ क़ायम था। इस तरह साबित था कि उनके दिलों और अ़क़्लों में रच-बस गया था और उनके गोश्त और पट्ठों में सिरायत कर गया था। उनकी जानें अल्लाह के लिये थीं और उनकी हरकात व सकनात अल्लाह के लिये थीं, अगर वो बोलते तो उनका बोलना अल्लाह के लिये होता और अगर वो चुप रहते तो उनका सुकूत (ख़ामोशी) अल्लाह के लिये होता।

उन्होंने अपने दीन, इल्म, इबादात और आ़माल से दुनिया को मुनव्वर कर दिया, अगर आप उनके आदाब व अख़्लाक़ पर नज़र दौड़ायें तो आप उनके आदाब व अख़्लाक़, अम्बिया (अ़लै.) वाले पायेंगे। अगर आप उनकी ख़रीदो-फ़रोख़्त और लोगों के साथ मामले के बारे में पढ़ें तो उसे अल्लाह की किताब की तरजुमानी देखेंगे और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत को साबित पायेंगे। सो उन लोगों का तज़्किरा दिलों को नर्म करता है और मुअ़त्तल आ़ज़ा (नाकारा शरीर) को अल्लाह की तरफ़ हरकत करने पर भड़काता है कि अल्लाह की तरफ़ हरकत करें ताकि उन नेक लोगों के क़ाफ़िले को पा लें, देखिये और ग़ौर कीजिये ताकि मुख़ल्लद बिन हुसैन से सीख सकें, वो नेक लोगों के किसी अख़्लाक़ का तज़्किरा करते हुए कहते हैं :

ला तअ़रुज़न्ना बिज़िक्रिना फ़ी ज़िक्रिहिम
लैसस्सहीह इज़ा मशा कल्मक़अ़द

(हिल्यतुल औलिया जिल्द 8 पेज नम्बर 266)

मुसन्निफ़ ने ये सराहत की है कि मैंने माख़ज़ का हवाला दिया है तो इस हवाले को बयान करना चाहिये मैंने भी तक़रीबन सब मराजिअ़ की तरफ़ रुजूअ़ किया है ताकि उनकी सेहत का यक़ीन हो

सके, अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़लवी (हिल्यतुल औलिया, अबू नुऐम : 8/277) 'उनके तज़्किरे में हमारा तज़्किरा न करें, तन्दुरुस्त जब चिल्लाता है वो अपाहिज की तरह नहीं होता।'

उंगलियाँ कुछ भी लिखें और ज़बान कुछ भी बोले, तो उनके तज़्किरे को बयान करना मुम्किन नहीं और इंसान उनके ज़िक्र से उकताता नहीं, बाज़ औक़ात में ही उससे तवक़्क़ुफ़ किया जा सकता है। मैंने उनकी बिखरी हुई सीरतों को इकट्ठा करने और उनकी पौशीदा ख़बरों का तज़्किरा करने की कोशिश की है, ताकि उनका तज़्किरा उम्मत और उसके नौजवानों के लिये क़िन्दील बने ताकि वो उनके तर्ज़े अ़मल को अपनायें और उनकी राह पर चलें और उनके ढंग की पाबंदी करें, मैंने उकता देने वाली तवालत (विस्तार) और मक़सद में महल्ले इख़्तिसार को ही इख़्तियार नहीं किया और हर वाक़िये का माख़ज़ बयान किया है, लेकिन मराजिअ़ के तज़्किरे में वुस्अ़त से काम नहीं लिया ताकि हवाशी की तवालत क़ारी की उकताहट का बाइस़ न बने, मैंने सिर्फ़ उन्ही वाक़ियात को बयान किया है जिन पर उलमा का ऐतमाद है, अपनी तरफ़ से हदीस़ के बयान करने के उसूलों की पाबंदी नहीं की, महज़ स़िक़ह उलमा ज़हबी वग़ैरह के वाक़िये के बयान करने पर उसे बयान कर दिया है और जिसमें नापसन्दीदगी (नकारत) थी या उसे अहले इल्म, मुहक़्क़िक़ उलमा ने रद्द कर दिया है, उसे छोड़ दिया है। अल्लाह ही से मदद मतलूब है। अल्लाह तआ़ला से दरख़्वास्त है वो इन वाक़ियात को सूदमंद बनाये और उम्मत के नौजवानों को हर ख़ैर व फ़लाह की बसीरत बख़्शे।

तहरीर कुनिन्दा
सलाहुद्दीन अ़ली अ़ब्दुल मौजूद (रह.)

मुतर्जिम
अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अहमदुल्लाह अ़लवी
सदर मुदर्रिस जामिआ़ सल्फ़िया, फ़ैसलाबाद

मुक़द्दमा

तारीफ़ व शुक्र अल्लाह के लिये है जो शुक्र व सना का सज़ावार है, जो अज़मत की चादर के लिये मुन्फ़रिद है, बुज़ुर्गी और बुलन्दी की सिफ़ात में यकता है, अपने बरगुज़ीदा दोस्तों की ताईद करता है, उन्हें ख़ुशहाली और तंगहाली में सब्र की कुव्वत इनायत करता है, आज़माइशों और नेमतों में शुक्र की तौफ़ीक़ बख़्शता है और रहमत हो, अम्बिया (अलै.) के सरदार मुहम्मद (ﷺ) पर और आपके चुनीदा लोगों के सरदार साथियों पर और आपकी आल पर जो मुत्तक़ियों, नेकों के राहनुमा हैं ऐसी रहमत जो तसलसुल के बाइस फ़ना से महफ़ूज़ हो और एक के बाद दूसरी आने के सबब कटने और ख़त्म होने से बची रहे।

तारीफ़ अल्लाह के लिये जो अपनी मुहकम किताब में फ़रमाता है, **'उसके बन्दों में बस अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं।'** (सूरह फ़ातिर : 28) रहमत व सलामती हो हमारे नबी (ﷺ) पर जो अम्बिया व रुसुल के सरदार हैं और आपकी आल और आपके साथियों पर और उन लोगों पर जो क़यामत तक आपकी हिदायत इख़्तियार करें और आपकी दावत को फैलायें।

अम्मा बअद! जो इंसान उम्मत के हालात पर नज़र दौड़ायेगा, वो देख लेगा कि होशमन्द नौजवानों की अक्सरियत पर तल्ख़ हक़ीक़त ख़ैमाज़न है जो उनकी इल्म और अहले इल्म से अजनबियत में पोशीदा है इसका सबब या तो इल्म, उसकी हक़ीक़त और अहले इल्म के हालात से नावाक़िफ़ी है या इसका सबब ख़्वाहिश परस्ती का ग़लबा है, इस बिना पर मैं असल मौज़ूअ पर गुफ़्तगू से पहले, इल्म और अहले इल्म के फ़ज़ाइल और उम्मत की उनके बारे में ज़िम्मेदारी बयान करने पर मजबूर हूँ।

अल्लाह तआला ने अहले इल्म की फ़ज़ीलत को बहुत ख़राजे तहसीन पेश किया है उनकी शान को इस क़द्र रिफ़अत (बुलन्दी) बख़्शी है और उनके मक़ाम को इस क़द्र बुलंद क़रार दिया है कि उसको बयान करने से रब्बुल आलमीन के वाज़ेह बयान के सिवा बयान बेबस है। अल्लाह तआला ने उन्हें सबसे बड़ी शहादत का गवाह ठहराया है और उन्हें सबसे बेहतर गवाहों का साथी क़रार दिया है, अल्लाह तआला का फ़रमान है,

'अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं और फ़रिश्तों ने और अहले इल्म ने भी वो इंसाफ़ को क़ायम किये हुए है, उस ज़बरदस्त और हकीम के सिवा कोई इताअत के लायक़ नहीं।' (सूरह आले इमरान)

अल्लाह तआ़ला ने अम्बिया व रूसुल (अ़लै.) और अपने बन्दों पर अपने फ़ज़्ल व एहसान का तज़्किरा करते हुए बताया है कि उसने उन्हें इल्म से नवाज़ा है, अल्लाह तआ़ला ने अपने अम्बिया व रुसुल (अ़लै.) के आख़िरी फ़र्द पर अपनी नेमत का तज़्किरा इन लफ़्ज़ों में फ़रमाया, **'अगर तुम पर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल और रहमत न होती तो उनमें से एक गिरोह तुम्हें बहकाने का इरादा कर चुका था और वो सिर्फ़ अपने आपको ही बहकाते हैं और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और अल्लाह तआ़ला ने आप पर किताब व हिकमत उतारी है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो आप न जानते थे और आप पर अल्लाह तआ़ला का बहुत बड़ा फ़ज़्ल है।'** (सूरह निसा : 113) और यूसुफ़ (अ़लै.) के बारे में फ़रमाया, **'और जब वो अपनी जवानी को पहुँचा तो हमने उसे हुकूमत और इल्म दिया और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं।'** (सूरह यूसुफ़ : 22) अपने कलीम मूसा (अ़लै.) के बारे में फ़रमाया, **'और जब वो अपनी जवानी को पहुँचा और पूरा ताक़तवर हुआ, हमने उसे हिकमत और इल्म दिया और हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला देते हैं।'** (सूरह क़सस : 14) मसीह (अ़लै.) के बारे में फ़रमाया, **'जब अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा, ऐ मरयम के बेटे! मैंने जो नेमत तुझ पर और तेरी वालिदा पर की थी उसे याद कर जब मैंने तुझे पाकीज़ा रूह (रूहुल क़ुदुस) से क़ुव्वत बख़्शी, तू लोगों से गोद में और अधेड़ उम्र में बातें करता था और जब मैंने तुझे किताब, हिकमत, तौरात और इन्जील सिखाई।'** (सूरह माइदा : 110)

इस तरह अल्लाह तआ़ला ने उसे अपनी तालीम को ऐसी चीज़ क़रार दिया जो उसकी माँ के लिये बशारत और उसकी आँखों के लिये ठण्डक (क़रार) का बाइस़ बनी।

दाऊद (अ़लै.) के बारे में फ़रमाया, **'और हमने उसकी सल्तनत को मज़बूत कर दिया और हमने उसे हिकमत से नवाज़ा और फ़ैसलाकुन बात का सलीक़ा बख़्शा।'** (सूरह सॉद : 20)

मूसा (अ़लै.) के साथी और उनके ख़ादिम (ख़िज़्र अ़लै.) के बारे में फ़रमाया, **'पस उन दोनों ने हमारे बन्दों में से एक बन्दे को पाया, उसे हमने अपनी तरफ़ से रहमत इनायत की थी और हमने उसे अपनी तरफ़ से एक इल्म सिखाया था।'** (सूरह कहफ़ : 65)

'और दाऊद और सुलैमान को हिदायत दी जब वो दोनों खेती के बारे में फ़ैसला कर रहे थे जिसमें एक क़ौम की कुछ बकरियाँ चुग (चर) गई थीं और हम उनके फ़ैसले को देख रहे थे (गवाह थे) पस हमने फ़ैसला सुलैमान को समझा दिया और हमने हर एक को हिकमत और इल्म से नवाज़ा।' (सूरह अम्बिया : 78-79)

इस तरह दो मुअ़ज़्ज़ज़ अम्बिया (अ़लै.) का तज़्किरा फरमाया और उनकी हिकमत की तारीफ़ की और उनमें से एक को फ़ैसले के फ़हम के लिये मख़्सूस फ़रमाया।

और अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने अपनी ख़शियत को उलमा में मुन्हसिर फ़रमाया, इस सिलसिले में फ़रमाया, **'और बस उसके बन्दों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, बिला शुब्हा अल्लाह ग़ालिब, बहुत बख़्शने वाला है।'** (सूरह फ़ातिर : 28)

और अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया, **'फ़रमाइये क्या जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, बराबर हो सकते हैं, बस याद दिहानी वही लोग हासिल करते हैं जो ख़ालिस अ़क़्ल रखते हैं।'** (सूरह ज़ुमर : 9)

और अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया, **'जो लोग तुममें से ईमान लाये और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह तआ़ला उनके दर्जात बुलंद फ़रमायेगा।'** (सूरह मुजादला : 11)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, **'और जो ऐसे रास्ते पर चला जिसमें वो इल्म सीखता है (तलाश करता है) अल्लाह तआ़ला उसके लिये उसके ज़रिये जन्नत की राह आसान फ़रमा देता है।'** (सहीह मुस्लिम : 2699)

सो हामिलीने इल्म, उलमा हैं और मेरी मुराद वो अल्लाह वाले उलमा हैं जो अपने इल्म पर मज़दूरी नहीं लेते और न लोगों की मदह व सना का इन्तिज़ार करते हैं और लोगों को सलफ़ सहाबा (रज़ि.) और ख़ूबी के साथ उनकी पैरवी करने वालों के फ़हम की रौशनी में किताबो-सुन्नत की तालीम देते हैं।

इल्म दीन है, सोच लीजिये आप अपना दीन किससे सीखते हैं अगर आपको ऐसा शख़्स मिल जाता है जिसे आप अपने दीन के बारे में क़ाबिले ऐतमाद समझते हैं, तो आपके क़दम , बेहतरीन क़दम हैं, उनके सबब अल्लाह तआ़ला ने जन्नत की राह को आसान कर दिया है।

इमाम मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) का क़ौल है, 'ये इल्म (इल्मे हदीस़) बिला शुब्हा दीन है, फ़िक्र कर लो, तुम अपना दीन किन से लेते हो।' (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम, मिन्नतुल मुन्इम : 1/35, दारुस्सलाम)

यहया बिन अक्स़म बयान करते हैं, मुझसे रशीद (ख़लीफ़ा) ने पूछा, बुलंद तरीन मर्तबा कौनसा है? मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! जो आपको हासिल है। उसने कहा, मुझसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाले को जानते हो? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, वो इंसान जो अपने हल्क़े तलामिज़ा (शागिर्दों) में कहता है, मुझे फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया। मैंने कहा और मुसलमानों की अमानत ज़मानत (हुकूमत) का ज़िम्मेदार? उसने कहा, हाँ तुझ पर अफ़सोस! ये मुझसे बेहतर है, क्योंकि इस (रावी) का नाम रसूलुल्लाह (ﷺ) के नाम से मिला हुआ है जो फ़ौत नहीं होगा। हम मरकर फ़ना हो जायेंगे और उलमा जब तक ज़माना बाक़ी है, बाक़ी रहेंगे।

(अदबुल उमला, पेज नम्बर 20)

अबुल हुसैन अहमद बिन फ़ारिस लुग़वी बयान करते हैं, मैंने उस्ताद बिन अ़मीद को कहते सुना, मेरा ख़्याल था दुनिया में जो रियासत व वज़ारत मुझे हासिल है, उससे ज़्यादा, लज़ीज़ शीरीनी नहीं है यहाँ तक कि मैं उस मुज़ाकरे में हाज़िर हुआ जो सुलैमान बिन अहमद तबरानी और अबू बक्र जुआबी के दरम्यान मेरे सामने हुआ। इमाम तबरानी अपने हिफ़्ज़ (याद्दाश्त) की कसरत के सबब जुआबी पर ग़ालिब आता और जुआबी अपनी फ़तानत और अहले बग़दाद की ज़कावत के बाइस तबरानी पर ग़ालिब आता। यहाँ तक कि दोनों की आवाज़ें बुलंद हो गईं और उनमें कोई भी अपने साथी पर ग़लिब नहीं आ रहा था, तो जुआबी ने कहा, मेरे पास एक ऐसी हदीस है जो दुनिया में मेरे सिवा किसी के पास नहीं। तबरानी ने कहा, पेश कीजिये। जुआबी ने कहा, मुझे अबू ख़लीफ़ा जहमी ने सुलैमान बिन अय्यूब से बयान किया और एक हदीस सुनाई। तो तबरानी ने कहा, सुलैमान बिन अय्यूब मैं हूँ और अबू ख़लीफ़ा ने मुझ ही से सुनी है, इसलिये तू मुझसे सुन ले ताकि तेरी सनद आ़ली हो जाये क्योंकि तू मुझसे अबू ख़लीफ़ा के वास्ते से बयान कर रहा है। इस पर जुआबी शर्मिन्दा हो गया और तबरानी उस पर ग़ालिब आ गया। इब्नुल अ़मीद ने कहा, उस वक़्त मैंने चाहा, ऐ काश! मुझे वज़ारत और रियासत हासिल न होती और मैं तबरानी होता और मुझे वो फ़रहत हासिल होती जो फ़रहत उसे हदीस के बाइस हासिल हुई या जो उसने कहा। (तर्जुमुत्तबरानी लिल्अस्बहानी : 344)

जाहिज़ बयान करता है, मैं इस्हाक़ बिन सुलैमान के दौरे इमारत में उसके पास गया तो मैंने फ़ौजी दस्तों और लोगों को उसके सामने इस तरह सीधे खड़े देखा गोया कि उनके सरों पर परिन्दे बैठे हैं और मैंने उसका गदा और उसका डेस (लिबास) देखा, फिर मैं उसके मअ़ज़ूल होने के बाद उसके पास गया और वो अपने कुतुबख़ाने में था और उसके पास उसका ख़ुश्बूदान, सफ़ेद काग़ज़ का दस्ता और किताबों का बस्ता, नोटबुक और पैमाना था और दवातें थीं। तो मैंने कभी उसे उस दिन से बढ़कर शान व शौकत वाला ज़्यादा बुलंद मर्तबा, ज़्यादा हैबत वाला और ज़्यादा पुख़्ता राय वाला नहीं देखा। क्योंकि तारीफ़ के साथ मुहब्बत और बड़ाई के साथ शीरीनी और सरदारी के साथ दानिशमन्दी मिल चुकी थी।

(हयातुल हैवान : 1/61)

चूंकि उलमा अम्बिया (अ़लै.) के वारिस हैं इसलिये अल्लाह तआ़ला ने उन पर लोगों के सामने हक़ बयान करना लाज़िम और उसका छिपाना हराम क़रार दिया है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'और जिस वक़्त अल्लाह तआ़ला ने जिन लोगों को किताब दी गई थी, से अ़हद लिया, तुम इसे लोगों के सामने खोलकर बयान करोगे और इसे छिपाओगे नहीं, तो उन्होंने उसे (अ़हद को) अपनी पुश्तों के पीछे फेंक डाला और उसके एवज़ हक़ीर क़ीमत हासिल की, पस बहुत बुरा है जो वो हासिल करते हैं।'** (सूरह आले इमरान)

फ़रमाने बारी तआला है, **'जो लोग हमने जो खुले दलाइल और हिदायत उतारी है उसे इसके बाद कि हमने उसे किताब में लोगों के लिये वाज़ेह कर दिया, छिपाते हैं, उन पर अल्लाह तआला लानत करता है और उन पर सब लानत करने वाले लानत करते हैं।'** (सूरह बक़रा : 159)

इन आयतों का मिस्दाक़ हर वो शख़्स है जो अल्लाह के दीन का इल्म रखने के बाद उसे छिपाता है जबकि लोग उसके मोहताज हैं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, **'जिस शख़्स से ऐसे इल्म के बारे में पूछा गया जिसे वो जानता है, फिर उसने उसे छिपाया, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम डाली जायेगी।'**

(अबू दाऊद : 4813, तिर्मिज़ी : 2649 और बक़ौल इमाम तिर्मिज़ी ये रिवायत हसन है।)

जिस तरह अल्लाह तआला ने उलमा पर लाज़िम क़रार दिया है कि वो हक़ लोगों के सामने वाज़ेह करें और उसे छिपाये नहीं, लोगों पर वाजिब ठहराया है कि वो अपने उलमा की तरफ़ रुजूअ करें, उनसे पूछें और उनसे दरयाफ़्त करें। फ़रमाने बारी तआला है, **'अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र (क़ुरआन के आलिम) से पूछो।'** (सूरह अम्बिया : 7)

साइल पर लाज़िम है वो ऐसे आलिम का इन्तिख़ाब करे जिसे अपने इल्म में रुसूख़ हासिल हो और उन जाहिलों से बचे जो इल्म के दावेदार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, **'बिला शुब्हा अल्लाह तआला इल्म को इस तरह क़ब्ज़ नहीं करेगा कि उसे बन्दों (के सीनों) से छीन ले, लेकिन वो इल्म को उलमा को फ़ौत करके क़ब्ज़ करेगा, यहाँ तक कि जब वो किसी आलिम को नहीं छोड़ेगा, तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, सो उनसे दरयाफ़्त किया जायेगा और वो इल्म के बग़ैर जवाब देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे।'**

(सहीह बुख़ारी : 100, सहीह मुस्लिम : 2673)

और मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्द ऐसा भी है जो उन जाहिल रऊसा जिनको इस्लामी मनासिब सुपुर्द कर दिये गये हैं, से नावाक़िफ़ है, ये लोग अल्लाह के दीन को सामाने तिजारत बनाने में हद से बढ़ गये हैं, ताकि अपने क़ाइदीन को राज़ी कर सकें और वो तोहफ़े-तहाइफ़ जो उन्हें पेश किये जाते हैं उनमें इज़ाफ़ा हो जाये, जैसे मैं ये ख़्याल नहीं करता कि कोई फ़र्द उन ग़ाली लोगों के फ़तावा से आगाह नहीं, जिन्होंने अइम्मए इस्लाम के उन अक़्वाल को समझने में ग़लती की है, जिनसे वो इस्तिदलाल करते हैं और उन्होंने उनको उम्मत के वाक़िये पर चसपाँ करने में ग़लती की है और उनकी तीसरी ग़लती ये है कि वो ऐसे काम के दरपे हैं जिसके वो अहल नहीं हैं। सिर्फ़ उलमा ही हैं जो इस इन्तिशार को ख़त्म कर सकते हैं और उम्मते मुस्लिमा की सहीह रफ़्तार की तहदीद कर सकते हैं।

याद रखिये, ज़मानों में से कोई ज़माना भी नेक, इस्लाह पसंद उ़लमा से ख़ाली नहीं रहा, न कोई इलाक़ा ख़ाली रहा। अल्लाह का शुक्र है लोग उन तक रसाई हासिल करने में कोई सऊबत (मुश्किल) नहीं पायेंगे। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें बहुत सी ऐसी ख़ुसूसी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ फ़रमाया है, जिनसे इस दीन के वो अइम्मा मुम्ताज़ थे जो हिदायत याफ़्ता रहनुमा (हादी) थे। उन उ़लमा की ज़िम्मेदारी बड़ी और बहुत ही बड़ी है, अल्लाह तआ़ला के बाद उनसे कई गुना उम्मीद वाबस्ता है, क्योंकि उनसे मतलूब है वो लोगों की इस्लाह करें और उनसे मतलूब है वो ज़रूरत के वक़्त बयान करने में ताख़ीर से काम न लें। इसलिये उम्मत के नौजवान उस वक़्त तक निजात नहीं पा सकते, जब तक अपने उ़लमा की तरफ़ रुजूअ़ न करें, उनके किरदार और हालात से आगाह न हों, अपने चाल-चलन और सीरत में उनकी पैरवी न करें, वो अल्लाह के दीन के ज़िन्दा तर्जुमान हैं और किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत का जो इल्म उन्हें हासिल है उसका अ़मली नमूना हैं।

ये मुहद्दिसीन के सरदार, बाअ़मल उ़लमा में सबक़त ले जाने वाले, इल्म के बुलंद पहाड़, इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापूरी (रह.) के हालात हैं, उम्मत के ऐसे उ़लमा के तआ़रुफ़ (परिचय) और तज़्किरे के लिये जो ऐसे मक़ाम पर फ़ाइज़ थे, जहाँ किसी उम्मत का कोई आ़लिम कभी नहीं पहुँच सका, जब उन्होंने अल्लाह की ख़ातिर सीखा और उसकी रज़ा के हुसूल की भरपूर कोशिश की, अल्लाह तआ़ला ने उनको रास्ता दिखा दिया और उन पर ऐसे उलूम खोल दिये जो दूसरों पर बंद थे।

ये इमाम इल्म की मुम्ताज़ शख़्सियत, इल्मे हदीस़ का शाहसवार जिसने दिलों में जगह बनाई और उ़लमा में सदारत का दर्जा पाया। यहाँ तक कि उसकी किताब, किताबुल्लाह के बाद सेहत व इतक़ान में दूसरे मक़ाम पर फ़ाइज़ है, जिसे क़ाफ़िले लेकर चले हैं और उसे बड़ों और बच्चों ने याद किया है, यहाँ तक कि जिसने उसे अच्छी तरह याद किया है वो उ़लमा में शुमार होता है।

इमाम मुस्लिम (रह.) के अक़्वाल से नफ़ीस (क़ीमती) क़ौल है, जिसे यहया बिन अबी कस़ीर के क़ौल की सूरत में पेश किया है, 'बदन की सहूलत पसन्दी राहत तलबी के साथ इल्म हासिल नहीं किया जा सकता।' (सहीह मुस्लिम : 1390, मुन्इम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम : 1/388)

नाम और ख़ानदान :

वो बड़े इमाम, हाफ़िज़, बेहतरीन, स़िक़ह, सच्चे अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम बिन वरद बिन कोशाज़ क़ुशैरी नीशापूरी हैं, सहीह किताब के मुअल्लिफ़ हैं।

(सियरु आलामिन्नुबला : 12/557)

इमाम मुस्लिम (रह.) हलीफ़ों में से हैं। असल अ़रब नहीं हैं, ताल्लुक़ व दोस्ती की बिना पर बनू क़ुशैर की तरफ़ मन्सूब हैं।

इमाम सम्आनी लिखते हैं क़ुशैरी, क़ुशैर की तरफ़ मन्सूब है, क़ाफ़ पर पेश, शीन पर ज़बर और नुक़्ते वाली या साकिन है। ये निस्बत दोस्ताना है, उनकी तरफ़ दोस्ती की बुनियाद पर अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज भी मन्सूब हैं। जो दुनिया के इमामों में से एक हैं जिनकी किताब 'अस्सहीह' मश्रिक़ व मग़्रिब में मशहूर है। (अल्अन्साब : 4/503)

जो शख़्स अक्सर उलमा की सीरत पर नज़र दौड़ायेगा, वो जान लेगा उनमें अक्सर मवाली में से थे (यानी ख़ालिस अरब न थे, दोस्ताने के सबब अरबों की तरफ़ मन्सूब थे) उन पर अल्लाह तआला ने एहसान फ़रमाया, उनके इलाक़े मफ़्तूह हुए और उनके आस-पास में इस्लाम फैल गया या उसने अपने इलाक़े से सफ़र किया और किसी अरबी क़बीले जिसका मेहमान बना, उसकी पनाह में दाख़िल हुआ और उनकी तरफ़ मन्सूब हो गया और ये निस्बते वलाअ हुई। अरब उसूली तौर पर अपने नसब पर फ़ख़्र करते थे और सब लोगों से बढ़कर कर अपने नसब की हिफ़ाज़त करते थे और ये उनकी बहुत बड़ी ख़ूबी है और जब उनमें नसब का शर्फ़ और दीनी शर्फ़ जमा हो जायें, वो सरदारी हासिल कर लेते हैं और जब दीनी शर्फ़ से महरूम हों तो उनका नसबी शर्फ़ उनके लिये सूदमंद नहीं होता।

इल्म का शर्फ़ साहिबे इल्म को दुनिया और आख़िरत में इसी क़द्र रिफ़अत (बुलन्दी) बख़्शता है जो रिफ़अत बादशाही और माल वग़ैरह से हासिल नहीं होती। इल्म इज़्ज़तदार की इज़्ज़त को बढ़ाता है और मम्लूक ग़ुलाम को रिफ़अत बख़्शकर बादशाहों की जगह पर बिठाता है।

नाफ़ेअ बिन अ़ब्दुल हारिस़ का बयान है कि उसे हज़रत उ़मर (रज़ि.) अ़स्फ़ान नामी जगह पर मिले और हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसे मक्का का गवर्नर बनाया था। उन्होंने पूछा, तुमने मक्का वालों का गवर्नर किसको बनाया है? जवाब दिया, इब्ने अबज़ा को। पूछा, इब्ने अबज़ा कौन है? जवाब दिया, हमारे आज़ाद करदा ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम है। फ़रमाया, तूने उनका गवर्नर एक आज़ाद करदा ग़ुलाम को मुक़र्रर किया है? जवाब दिया, वो अल्लाह की किताब पढ़ने वाला है, वो इल्मे विरासत का आ़लिम है। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, हाँ! तुम्हारे नबी (ﷺ) का फ़रमान है। बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला इस किताब के बाइस़, बहुत से लोगों को बुलंद फ़रमायेगा और दूसरों को इसके सबब मर्तबे से गिरा देगा।

(सहीह मुस्लिम : 817, मुन्इम : 1/511)

हज़रत अबुल आ़लिया बयान करते हैं मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होता वो अपनी चारपाई पर तशरीफ़ फ़रमा होते और क़ुरैशी उनके आस-पास होते, तो वो मेरा हाथ पकड़ते और मुझे अपने साथ चारपाई पर बिठा लेते, क़ुरैश ने मुझे आँखें दिखाईं, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) उनका मक़सद समझ गये तो फ़रमाया, इसी तरह ये इल्म शरीफ़ के शर्फ़ को बढ़ाता है और ग़ुलामों को तख़्तों पर फ़रोकश करता है। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 4/208)

इमाम अ़ता बिन अबी रिबाह अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान के पास गये जबकि वो अपने तख़्त पर बैठा हुआ था और मुअ़ज़्ज़ज़ लोग उसके आस-पास थे, ये मक्का की बात है जब उसने अपनी ख़िलाफ़त के दौर में हज किया था। जब अ़ता पर उसकी नज़र पड़ी, उसकी तरफ़ उठा और उसे तख़्त पर अपने साथ बिठा लिया और उसके सामने बैठ गया और पूछा, ऐ अबू मुहम्मद! अपनी ज़रूरत बताइये? अ़ता ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अल्लाह के हरम और उसके रसूल (ﷺ) के हरम के सिलसिले में अल्लाह तआ़ला से डरें और उसकी आबादी का ख़्याल रखें और मुहाजिरीन व अन्सार की औलाद के बारे में अल्लाह से डरें क्योंकि आप उन्हीं के बाइस इस मक़ाम पर तशरीफ़ फ़रमा हैं और सरहदी लोगों के बारे में अल्लाह से डरें क्योंकि वो मुसलमानों का क़िला हैं और मुसलमानों के मामलात का ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ़ आप ही से उनके बारे में पूछगछ होगी। अपने दरवाज़े पर आने वालों के बारे में अल्लाह से डरें, उनसे ग़ाफ़िल न हों और न उनके सामने अपना दरवाज़ा बंद करें। अ़ब्दुल मलिक ने उससे कहा, मैं ये काम करूँगा फिर अ़ता उठकर खड़े हो गये, तो अ़ब्दुल मलिक ने उसे पकड़ लिया और कहा, ऐ अबू मुहम्मद! आपने हमसे सिर्फ़ दूसरों की ज़रूरियात का सवाल किया है और हमने उनको पूरा कर दिया, सो आपकी हाजत क्या है? कहा, मुझे मख़्लूक़ से कोई हाजत नहीं, फिर (दरबार से) निकल गये तो अ़ब्दुल मलिक (ख़लीफ़ा) ने कहा, तेरे बाप की क़सम ये है शर्फ़ तेरे बाप की क़सम ये है सरदारी (सियादत)। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 5/84)

इमाम मुस्लिम बनू कुशैर के मवाली में से थे, अपने इ़ल्म के सबब बुलंद दर्जा पा लिया यहाँ तक कि उनकी किताब सेहत के ऐतबार से किताबुल्लाह के बाद है। क्योंकि बुख़ारी से मुत्तसिल बाद है इससे वो शर्फ़ पा लिया जिसे रात-दिन ख़त्म नहीं कर सकेंगे और क़यामत के क़ायम होने तक के दौर उसे बोसीदा नहीं कर पायेंगे।

कुन्नियत और लक़ब :

कुन्नियत, इंसान का वो नाम है जो तौक़ीर व ता'ज़ीम के लिये रखा जाये। कुन्नियत कई बार नाम के क़ायम मक़ाम होती है, इंसान उसी-से मअ़रूफ़ होता है। जिस तरह वो अपने नाम से मअ़रूफ़ होता है। कुन्नियत, काफ़ पर पेश और ज़ेर है उसकी जमा कुना है। मुहावरा है इक्तना फ़ुलानुन बिकज़ा, फ़लाँ ने ये कुन्नियत रखी और उसकी कुन्नियत अबू अ़ब्दुल्लाह है और मैंने उसकी कुन्नियत अबू ज़ैद रखी है। बा के सिला के साथ और सिला के बग़ैर कन्नयतुहू, अबा ज़ैद व अबी ज़ैद। बिअबी ज़ैद, मैंने उसकी कुन्नियत अबू ज़ैद रखी।

अ़रब कुन्नियत का बहुत एहतिमाम करते थे क्योंकि ये साहिबे कुन्नियत की शख़्सियत की ताबीर है और साहिबे कुन्नियत को इख़्तियार है जो कुन्नियत चाहे रख ले, ख़ास कर जबकि उसका नाम, क़बीह नाम हो जैसाकि मुर्रह (तल्ख़) कल्ब (कुत्ता) हन्ज़ला (अन्दराइन, तमा) या ऐसा नाम हो जिसमें तज़्किया (पाकीज़गी) का इज़हार हो या कोई और हराम नाम हो ते उसे इख़्तियार है अपनी कुन्नियत ख़ुद रख ले या अहले इ़ल्म में से कोई उसकी कुन्नियत रख दे जो उसकी शिनाख़्त बने।

लक़ब :

ऐसा इस्म है जो इल्म के अलावा है, उसकी जमा अल्क़ाब है, कभी लक़ब इंसान की किसी कमज़ोरी की अलामत होता है, जैसे आमश (चोन्धा, कमज़ोर निगाह) आरज (लंगड़ा) इस लक़ब से बुलाना नापसन्दीदा है इल्ला ये कि उसके बग़ैर इंसान का पता न चलता हो, कभी नाम को मुख़्तसर कर लिया जाता (सैफ़ुल्लाह से सैफ़) और इंसान को ख़ानदानी लक़ब से भी पुकारा जाता है, ये भी पसन्दीदा रवैया है। साहिबे तर्जुमा (सवानेह हयात) की कुन्नियत, अबुल हुसैन है और लक़ब क़ुशैरी है। इमाम ख़तीब ने लिखा है, मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अबुल हुसैन अल्क़ुशैरी नीशापूरी। (तारीख़े बग़दाद : 13/100)

तारीख़े विलादत :

उमूमन उलमा की तारीख़े विलादत के तअय्युन में इख़्तिलाफ़ होता है लेकिने तारीख़े वफ़ात में उमूमन इख़्तिलाफ़ नहीं होता, उसके सबब का मेहवर आलिम की फ़ज़ीलत और लोगों का इससे रब्त है और उसकी मौत ऐसा हादसा होता है जो कानों से ओझल नहीं रहता। विलादत के सिलसिले में अरबों की आदत है कि वो उसे किसी मुअय्यन मशहूर हादसे की तरफ़ मन्सूब करते हैं, इसलिये आलिम की विलादत की तहदीद में दिक़्क़त (बारीक बीनी) से काम नहीं लिया जाता।

इब्ने ख़लकान (रह.) का क़ौल है, मैंने किसी हाफ़िज़ को नहीं पाया कि उसने उसकी (इमाम मुस्लिम की) तारीख़े विलादत की तहदीद की हो और उनकी उम्र की मिक़्दार मुअय्यन की हो, इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो दूसरी सदी के बाद पैदा हुए। (वफ़यातुल आयान : 5/195)

हाफ़िज़ मिज़्ज़ी (रह.) लिखते हैं, कहा गया है कि 204 हिजरी में पैदा हुए। (तहज़ीबुल कमाल : 2/507)

और बक़ौल इमाम ज़हबी, कुछ लोगों का क़ौल है 204 हिजरी में पैदा हुए और मेरे ख़्याल में वो उससे पहले पैदा हुए। (तारीख़ुल इस्लाम)

इमाम मुस्लिम (रह.) की नशो-नुमा का ज़माना :

इमाम मुस्लिम, इस्लाम के दौर में से उस दौर में पैदा हुए फले-फूले और नशो-नुमा पाई जो इज़्ज़त, शर्फ़, इल्म और अमल के ऐतबार से सबसे ज़्यादा रोशन था। मुसलमान उम्मत, ग़ालिब उम्मत थी, जिससे मश्रिक़ व मग़रिब ख़ौफ़ज़दा थे। इमाम मुस्लिम बनू अब्बास की ख़िलाफ़त में पैदा हुए।

बनू अब्बास के ख़ुलफ़ा :

1. ख़लीफ़ा मामून : अबुल अब्बास अब्दुल्लाह बिन रशीद, बनू अब्बास के ख़लिफ़ा में से हज़्म (दूर अन्देशी) अज़्म, तहम्मुल, अमल, राय, बसीरत, दबदबा, शुजाअत (बहादुरी), सियादत, और सख़ावत के ऐतबार से सबसे बेहतर था। वो बहुत से महासिन और तवील सीरत का हामिल है। अगर

उसने लोगों को ख़ल्क़े क़ुरआन के क़ौल के फ़ित्ने में मुब्तला न किया होता, बनू अ़ब्बास से उससे ज़्यादा इल्म वाला कोई ख़लीफ़ा नहीं बना, वो फ़सीह, क़ादिरुल कलाम था। वो कहता था, मुआ़विया अपने अ़म्र यानी अ़म्र बिन आ़स के साथ होने की बिना पर था और अ़ब्दुल मलिक अपने हज्जाज यानी हज्जाज बिन यूसुफ़ के साथ होने के सबब था और मैं अपनी ज़ात के साथ (ख़लीफ़ा) हूँ।

कहा जाता है, बनू अ़ब्बास का आग़ाज़, दरम्यान और इख़्तिताम है, आग़ाज़ सफ़्फ़ाह है दरम्यान मामून है और इन्तिहा अ़ब्दुल मलिक है, जिसकी ख़िलाफ़त में इमाम मुस्लिम पैदा हुए।

2. मुअ्तसिम बिल्लाह : अबू इस्हाक़ मुहम्मद बिन रशीद 180 हिजरी में पैदा हुआ। इमाम ज़हबी (रह.) का क़ौल है। मुअ़तसिम अ़ज़ीम तरीन और बावक़ार ख़ुलफ़ा में से था। अगर उसने अपनी सियादत को उ़लमा को ख़ल्क़े क़ुरआन के मसले में आज़माइश में डालकर ऐबदार न किया होता।

नफ़तूया और सोली का क़ौल है मुअ्तसिम में बहुत सी ख़ूबियाँ थीं और उसको हश्त पहलू का नाम दिया जाता था क्योंकि वो बनू अ़ब्बास का आठवाँ ख़लीफ़ा अ़ब्बास की औलाद में आठवाँ और रशीद के बेटों में से आठवाँ था। अठारहवें साल में ख़लीफ़ा बना, आठ साल आठ माह आठ दिन बादशाह रहा। 178 हिजरी में पैदा हुआ (अड़तालीस साल ज़िन्दा रहा, उसका ज़ायचा अ़क़रब है जो आठवाँ बुर्ज है, उसे आठ फ़ुतूहात हासिल हुईं और आठ दुश्मन क़त्ल किये और आठ बेटे और आठ बेटियाँ पीछे छोड़ीं, रबीउल अव्वल के आठ दिन बाक़ी थे जब फ़ौत हुआ। उसमें महासिन थे, फ़सीह अक़्वाल और गवारा शेअ़र कहे।

3. वासिक़ बिल्लाह : अबू जाफ़र हारून और बक़ौले बाज़ अबुल क़ासिम बिन मुअ्तसिम बिन रशीद 231 हिजरी में, इस सिलसिले में उसने अपने बाप की पैरवी की। अपने आख़िरी दौर में उसने इससे रुजूअ़ कर लिया। अबू तालिब के ख़ानदान के साथ उसने (वासिक़ ने) जिस क़द्र अच्छा सुलूक किया उस क़द्र अच्छा सुलूक किसी ने नहीं किया। उसकी मौत तक उनमें कोई मोहताज नहीं रहा था और बक़ौले बाज़ वासिक़ मुकम्मल अदीब था और बक़ौले सूली वासिक़ को उसके अदब व फ़ज़्ल के सबब मामून असग़र का नाम दिया जाता था।

4. मुतवक्किल अ़लल्लाह : अबुल फ़ज़ल जाफ़र बिन मुअ्तसिम बिन रशीद, उसका मैलान सुन्नत की तरफ़ था और उसने अहलुस्सुन्नह की मदद की और आज़माइश को ख़त्म कर दिया, इस सिलसिले में 234 हिजरी में आस-पास में ख़त लिखा।

मुहद्दिसीन को सामरा में तलब किया, उनको उम्दा तहाइफ़ दिये और उनकी तकरीम की और उन्हें सिफ़ात और दीदारे इलाही की अहादीस बयान करने का हुक्म दिया।

अबू बक्र बिन अबी शैबा ने जामेउर्रिसाफ़ा में मजलिस क़ायम की। उसके पास तक़रीबन तीस हज़ार लोग जमा हो गये और उसके भाई उ़समान बिन अबी शैबा ने जामेउल मन्सूर में मजलिस क़ायम की। उसके पास भी तक़रीबन तीस हज़ार लोग जमा हो गये और लोगों ने बकसरत मुतवक्किल के लिये दुआयें कीं, उसकी तारीफ़ और तकरीम में इन्तिहा को पहुँच गये। यहाँ तक कि किसी ने कहा, ख़ुलफ़ा तीन हैं। अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) मुर्तदों की सरकूबी में, उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ज़ुल्म व ज़्यादती ख़त्म करने में, और मुतवक्किल सुन्नत के अहया और जहमियत को ख़त्म करने में। (जहमिय्यत मुन्किरीने सिफ़ाते इलाही)

5. मुन्तसिर बिल्लाह : अबू जाफ़र मुहम्मद और बक़ौले बाज़ अबू अ़ब्दुल्लाह बिन अल्मुतवक्किल बिन अल्मुअ़तसिम बिन रशीद बारौब,वाफ़िर अ़क़्ल वाला, नेकी का शौक़ीन, बहुत कम ज़ालिम और अ़लवियों के साथ एहसान करने वाला, उनसे मेल-मीलाप रखने वाला था, अबू तालिब की आल जिस डर और फ़ित्ने में मुब्तला थी, उसका इज़ाला किया, 248 हिजरी में छब्बीस साल की उम्र में पाँच रबीउल आख़िर में फ़ौत हुआ। कुछ माह जो छः माह से भी कम हैं ओहदे ख़िलाफ़त पर मुतमक्किन रहा।

6. मुस्तईन बिल्लाह : अबुल अ़ब्बास अहमद बिन अल्मुअ़तसिम बिन रशीद जो मुतवक्किल का भाई था बहुत फ़य्याज़, फ़ाज़िल, बलीग़ और अदीब था।

7. मुअ़तज़्ज़ बिल्लाह : अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद और बक़ौले बाज़ ज़ुबैर बिन मुतवक्किल बिन मुअ़तसिम बिन रशीद इससे पहले, इससे कम उ़म्र का कोई शख़्स ओहदे ख़िलाफ़त पर फ़ाइज़ नहीं हुआ। इन्तिहाई ख़ूबसूरत था इब्नुल मुअ़तज़्ज़ के हदीस़ के उस्ताद अ़ली बिन हरब का क़ौल है, मैंने उससे ज़्यादा ख़ूबसूरत ख़लीफ़ा नहीं देखा।

8. नेक ख़लीफ़ा मुहतदी बिल्लाह : अबू इस्हाक़ और बक़ौले बाज़ अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन वासिक़ बिन मुअ़तसिम इब्ने रशीद, मुहतदी गन्दुम गूँ, नर्म दिल, ख़ूब रू, परहेज़गार, इंसाफ़ पसंद, अल्लाह के दीन के बारे में कवी था, बहुत दिलेर, शुजाअ़ था लेकिन उसे कोई मददगार और मुआ़विन नहीं मिल सका और बक़ौले ख़तीब, वो जब से ख़लीफ़ा बना हमेशा रोज़ा रखता रहा यहाँ तक कि 256 हिजरी में क़त्ल कर दिया गया।

9. मुअ़तमिद अ़लल्लाह : अबुल अ़ब्बास अहमद बिन मुतवक्किल, जब मुहतदी को क़त्ल किया गया ये क़ैद में था। लोगों ने इसे क़ैद से निकालकर इससे बैअ़त की, इसके दौर में बड़े-बड़े फ़ित्ने वुक़ूअ़ पज़ीर हुए जैसे स्याह फ़ाम लोग बसरा में घुस गये, वहाँ तबाही व बर्बादी और तख़रीब कारी की बहुत बड़ी वबा फैल गई जिसमें बेशुमार लोग फ़ौत हो गये। फिर ख़तरनाक आवाज़ें और ज़लज़ले आये जिनमें

बहुत लोग मर गये। इसी के अहद में उलमा की बड़ी अक्सरियत फ़ौत हुई। इमाम नसाई के सिवा, इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्ने माजा, सिहाहे सित्ता के मुसन्निफ़ीन इसी के दौर में फ़ौत हुए।

गुज़िश्ता हालात से ये बात वाज़ेह हो गई कि दो वुजूह से इमाम मुस्लिम (रह.) ने ख़ल्क़े कुरआन के फ़ित्ने से तअर्रुज़ नहीं किया।

1. इस फ़ित्ने का आग़ाज़ मामून ने 218 हिजरी में किया और इमाम मुस्लिम उस वक़्त तलबे इल्म के इब्तिदाई सफ़र से गुज़र रहे थे, उस साल उन्होंने इमाम यहया बिन यहया से सिमाअ का आग़ाज़ किया था।

2. इमाम मुस्लिम का इलाक़ा, इस फ़ित्ने के इलाक़े से बहुत दूर था। वो नीशापूर में थे उस इलाक़े के उलमा से ये फ़ित्ना बहुत दूर था। इसी तरह अल्लाह तआला ने इमाम मुस्लिम (रह.) को इसमें बहस व तम्हीस से महफ़ूज़ रखा।

इमाम मुस्लिम (रह.) का नशो-नुमा पाना (परवान चढ़ना) :

इंसान की ज़िन्दगी में तर्बियत का असर : ये बात शक व शुब्हा से बाला है कि इंसान की ज़िन्दगी में तर्बियत का बहुत बड़ा असर है। अगर कुम्बा नेक है तो वो अपनी औलाद को नेकी और बेहतरी की तरफ़ ले जाता है।

इल्मी तौर पर ये बात साबित है कि इंसान एक सफ़ेद वरक़ की तरह पैदा हुआ है। वो ज़ाती तौर पर हर क़िस्म के मैलान और जहते फ़िक्री से ख़ाली होता है और वो उलूम व मआरिफ़ के हुसूल और शख़्सियत की तामीर व तश्कील की इस्तिअदाद, एक मुअय्यन अख़लाक़ी ख़ुतूत के मुताबिक़ हासिल करता है। इसलिये हम देखते हैं क़ुरआन करीम इंसान को उसी हक़ीक़त के मुताबिक़ मुख़ातिब फ़रमाता है और उसे इल्म व तालीम और हिदायत की नेमत याद दिलाता है।

फ़रमाने बारी तआला है, **'अल्लाह तआला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ न जानते थे और तुम्हें सुनने की ताक़त और आँखों और दिलों से नवाज़ा ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो।'** (सूरह नहल : 78)

इसी फ़हम और मअरिफ़त के हुसूल और शख़्सियत की तामीर की उन्हें इल्मी बुनियादों पर इस्लाम में उसूले तर्बियत तश्कील पाते हैं और शुरूआत में वालिदैन को बच्चे की तैयारी, तर्बियत और तालीम का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

तर्बियत अपने शुरूआती मरहलों में एक इल्मी मश्क़ व तर्बियत का मामला है। जो बच्चा हवास के ज़रिये वालिदैन से सीखता है, सो उनसे रविश, अख़्लाक़, आदात और बर्ताव का तरीक़ा सीखता है, इसीलिये ख़ानदानी तर्ज़े अमल और कुम्बे का माहौल दोनों शख़्सियत की तामीर और मुस्तक़बिल के फ़िक्री मैलान में बहुत असर अन्दाज़ होते हैं। तालीम का मक़सद शरीअत का इल्म सीखना है ताकि इस्लामी ज़हनियत बने। उसका अन्दाज़े फ़िक्र पैदा हो और इस्लामी शख़्सियत की फ़िक्री ख़्वाहिश का रंग तश्कील पाये।

इसलिये माहौल का उन चीज़ों की तरफ़ मैलान पैदा करने में बच्चे के रुख़ पर बहुत बड़ा असर होता है। इसलिये हदीस़ शरीफ़ में आया है, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो बच्चा भी पैदा होता है वो फ़ितरत (इस्लाम) पर पैदा होता है फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई और मजूसी बनाते हैं। जिस तरह हैवान का बच्चा मुकम्मल सूरत में पैदा होता है, क्या तुम उनमें कान, नाक कटा पाते हो?' फिर हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये आयत पढ़ते, 'अल्लाह तआला की उस फ़ितरत की पाबन्दी करो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह की तख़्लीक़ में तब्दीली नहीं हो सकती, यही पुख़्ता दीन (दस्तूरे ज़िन्दगी) है।' (सहीह बुख़ारी : 1359, सहीह मुस्लिम : 2658)

सो वो बच्चा जो कसलमन्द, बेकार नशो-नुमा पाता है वो कभी नफ़ाबख़्श, फ़ायदेमन्द इंसान नहीं बन सकता कि वो ये जान सके कि अपने औक़ात की तहदीद (सदउपयोग) कैसे करे। अपनी ताक़त का रुख़ किस तरफ़ फेरे बल्कि वो अपनी ताक़त की हुदूद ही को नहीं जानता, इसलिये उनको बे मक़सद कामों में ज़ाया कर देता है।

वो बच्चा जो अपने वालिदैन या सोसायटी या आस-पास के माहौल की बदमुआमलगी की बिना पर आवारा और सरकश नशो-नुमा पाता है, बहुत मुश्किल है कि ऐसा इंसान बने जो किसी ज़ाबते का पाबंद हो, इसलिये वो तर्ज़े अमल और मक़सद को रेज़ा-रेज़ा करेगा। वो बच्चा जो अलग-थलग माहौल में ज़िन्दगी गुज़ारता है या उसकी तर्बियत बुरे अन्दाज़ में की जाती है। वो तर्बियत उसके रवैये पर बहुत असर छोड़ती है और वो उससे एक ऐसा इंसान बनता है जो मुजरिम होता है। अपनी ज़िन्दगी में दुख में मुब्तला रहता है और आख़िरत में बदबख़्ती से दोचार होगा।

वो तजुर्बात और इल्मी आदाद व शुमार जो तहक़ीक़ व रीसर्च करने वालों ने फ़र्द और मुआशरे पर तर्बियत के असर के सिलसिले में पेश किये हैं वो तर्बियत के सिलसिले में इस्लामी पैग़ाम और उसकी इल्मी तयशुदा तश्ख़ीस के बिल्कुल मुताबिक़ हैं। हम कुछ तजुर्बात बयान करते हैं। अरबी और मग़रिबी दुनिया में जो तहक़ीक़ात पेश की गई हैं उनका अक्सर हिस्सा इस पर दलालत करता है कि बच्चे की इब्तिदाई उम्र ही इंसानी शख़्सियत की तश्कील और इन्फ़िरादी इस्तिअदादों के नशो-नुमा में मुअस्सिर (प्रभावी) है। बच्चा ख़ारिजी मुहर्रिकात पर अपने रद्दे अमल का अपने माहौल के साथ टकराव

से, अपनी ज़िन्दगी के इब्तिदाई सालों में तक़रीबन निस्फ़ हिस्सा मुकम्मल कर लेता है जो ज़िन्दगी भर जारी रहता है और बदीही बात है कि वो अख़्लाक़ी अक़्दार ईजाबी हों या सल्बी जो उसके ख़ानदान-माहौल पर ग़ालिब होती हैं उनका उसके दूसरे लोगों के साथ मामला करने में फ़अ्आल और मुअस्सिर (प्रभावी) किरदार होता है।

तर्बियती तहक़ीक़ात से ये बात भी साबित हो गई है कि बच्चे की नौख़ेज़ी के सालों में उसके नज़दीक जो ज़ाती तसव्वुर बनती है वो उसके ज़िन्दगी भर के सालों में उसकी अपने बारे में निगाह पर असर अन्दाज़ होती है जब उसके नज़दीक अपने ख़ानदान के अंदर अपनी सलाहियत और मक़ाम व मर्तबे के बारे में सलबी तस्वीर क़ायम हो जाती है वो अपने आपको बेकार समझता है और अपने ख़ानदानी माहौल में कोई मुअय्यन किरदार नहीं पाता जो किसी की तवज्जह को नहीं उभारता गोया कि उसका होना न होना बराबर होता है। उसके नज़दीक मुआशरे में अपने बारे में तारीक तस्वीर नशो-नुमा पाती है तो वो कुछ अरसे के बाद इन्तिक़ामी ज़हनियत के साथ अपना वजूद मनवाने के लिये ऐसी सरगर्मियों का इर्तिकाब करता है जो दुरुश्ती, मुख़ालिफ़त और इन्हिराफ़ से मुत्तसिफ़ होती हैं। इसके बरअक्स जब वो अपने ख़ानदानी अफ़राद की तरफ़ से रिआयत, मुहब्बत, शफ़क़त, इज़्ज़त और हौसला अफ़ज़ाई पाता है, उसकी अपने बारे में तस्वीर निखरती है, उसकी सलाहियतें और क़ुदरती क़ाबिलियतें फलती-फूलती हैं और वो अपने अंदर ख़ूबसूरत रोशन किरणें महसूस करता है जो उसकी शख़्सियत को रोशन करती हैं और उसे अपनी ख़ानदानी ज़िन्दगी में फ़अ्आल किरदार अदा करने की अहलियत अता करती हैं और इस तरह वो अपनी उम्मत के लिये फ़अ्आल फ़र्द बन जाता है।

डॉक्टर मुस्तफ़ा अल्ऊजी लिखते हैं, वो रिपोर्ट जो कि कोलमान ने उन तर्बियती तहक़ीक़ात के नतीजे में तैयार की है जिसे उन तहक़ीक़ात की ताईद हासिल है जो इंगलिस्तान की तर्बियती मर्कज़ी मजलिसे शूरा ने सर अन्जाम दी हैं कि सतरह साल की उम्र के बच्चों की पचास फीसद ज़कावत जनीन से लेकर चार साल की उम्र में तश्कील पा जाती है और अठारह साल की उम्र तक पहुँचने वालों की पचास फीसद इल्मी कामयाबियाँ नौ साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं और बच्चे में तैंतीस फीसद ज़हनी, इन्तिज़ामी, दिलेरी और मेहरबानी की सलाहियतों के बारे में दो साल की उम्र में पेशीनगोई की जा सकती है और पाँच साल की उम्र में पेशीनगोई सो फीसद के दर्जे तक पहुँच जाती है। दूसरी तहक़ीक़ात ये इज़ाफ़ा करती हैं कि वो ज़बान जिससे घर वाले अपने बच्चों के साथ गुफ़्तगू करते हैं वो उनके फ़हम और उनमें सवाब के मआनी की तमीज़ उनकी किरदारी अक़्दार, उनकी सूझ-बूझ, उनके किरदार और उनके अख़्लाक़ी ज़वाबित पर काफ़ी हद तक असर अन्दाज़ होती है। (अल्अमनुल इज्तिमाई : 336)

इमाम मुस्लिम (रह.) पर इस तर्बियत का असर :

जो इंसान इमाम मुस्लिम की तर्बियत पर नज़र दौड़ाता है वो देख लेता है उनकी परवरिश

मेहरबान और शफ़ीक़ वालिदैन और इल्मी घराने की है। जिसने बचपन में ही हुसूले इल्म के लिये उनकी हौसला अफ़ज़ाई की और ये एक छोटा माहौल था और जिस तरह हम पहले लिख चुके हैं, उन्होंने बनू अ़ब्बास के दौर में परवरिश पाई है जो इल्म, उ़लमा और इस्लामी हुकूमत के उरूज का दौर था और ग़ैर मुस्लिम सरकश हुकूमतें ज़लील थीं, इस तर्बियत का इल्मी कमाल के हुसूल में बहुत बड़ा दख़ल था।

इमाम मुस्लिम (रह.) के वालिदे मोहतरम :

हम उनके वालिद के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते कि वो अहले इल्म में से था और उसने अपने बेटे को इस क़द्र तवज्जह और निगरानी से नवाज़ा जिसने उसे उरूजे कमाल तक पहुँचा दिया।

हाफ़िज़ मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह का क़ौल है, मैंने अबू अ़म्र मुस्तमली की तहरीर पढ़ी कि मुस्लिम बिन हज्जाज लोगों के उ़लमा और इल्म के मुहाफ़िज़ों में से थे मेरे इल्म की रू से वो बहुत ख़ूब (नेक) थे। अल्लाह तआ़ला हम पर और उस पर रहम फ़रमाये। अपने बाप के इताअ़त गुज़ार (बावफ़ा) थे और उनके बाप हज्जाज बिन मुस्लिम, मेरे बाप के असातिज़ा में से थे। (तारीख़े दमिश्क़ जि. 58 पे.न. 89)

ये इस बात की दलील है कि इमाम मुस्लिम का बाप अहले इल्म में से था और ये चीज़ इमाम मुस्लिम के लिये तलबे इल्म में मददगार बनी।

इमाम मुस्लिम (रह.) की वालिदा :

इमाम साहब की वालिदा के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाँ! इमाम मुस्लिम और उनके वालिद बुज़ुर्गवार के बारे में हमारा अहसन ज़न्न हमें मजबूर करता है कि उनकी वालिदा माजिदा के बारे में भी हुस्ने ज़न्न रखें और बिला शुब्हा इस इल्म के पहाड़ की तर्बियत में उस माँ का नुमायाँ-वाज़ेह किरदार रहा होगा।

इमाम मुस्लिम (रह.) की बीवी और औलाद :

जो इंसान उ़लमा की सीरत और उनके अहलो-अयाल और मुताल्लिक़ीन के सवानेह हयात (जीवनी) पर नज़र दौड़ाता है वो जान लेता है कि अहले इल्म मुअर्रिख़ीने आ़लम के शख़्स और उसके उन मुताल्लिक़ीन जो इल्म में मसरूफ़ होते हैं या जिनका दीनी ख़िदमत में नुमायाँ किरदार नहीं होता उनके शख़्सी पहलू को अहमियत नहीं देते। इस बिना पर आ़लिम की औलाद अगर इल्मे शरई में या जिस फ़न का वो माहिर है उसमें मशग़ूल न हो उनका तज़्किरा बहुत कम होता है।

हम इमाम मुस्लिम की बीवियों की औलाद के बारे में इमाम हाकिम के क़ौल से ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इमाम हाकिम उनकी बीवी की बहन के बारे में कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन सालेह बिन हानी ने बताया मैंने अहमद बिन सलमा से सुना, मैं सुबह सवेरे मुस्लिम बिन हज्जाज की बीवी की बहन की शादी के सिलसिले में अ़ब्दुर्रहमान बिन बिश्र की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने उसे मस्जिद में पाया। उसने पूछा, आज सुबह सवेरे क्यों आ गये हो? मैंने कहा, अ़ब्दुल वाहिद असफ़ार ने मुझसे दरख़्वास्त

की है कि मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँ ताकि आप उसकी बेटी की शादी कर दें। उसने कहा, मैं जब किसी की शादी में हाज़िर होता हूँ जब वो वक़्त आता है जब मंगेतर से कहा जाता है ये निकाह तुम्हें कुबूल है और तेरे ज़िम्मे बीवी का इतना-इतना मेहर है तो जब वो कहता है, हाँ! मैं अपने जी में कहता हूँ। तू ऐसी बदबख़्ती में मुब्तला हुआ जिसके बाद कभी तुझे सआदत हासिल न होगी।

(सियरु आलामिन्नुबला : 12/343)

उनके बेटों के बारे में कुछ मालूम नहीं है हाँ बेटियों की तरफ़ से उसके नवासे थे।

इमाम हाकिम का क़ौल है, इमाम मुस्लिम की तिजारतगाह ख़ान महमश थी और उनकी रोज़ी उनकी जागीर से थी जो 'इस्तवा' में थी। मैंने उनके घर में उनकी बेटियों की तरफ़ से उनकी नसल देखी और मैंने अपने बाप से सुना, मैंने इमाम मुस्लिम को 'ख़ान महमश' में हदीस़ बयान करते देखा।

(सियर आलामिन्नुबला : 12/570)

उनका भान्जा :

इमाम मुस्लिम का भान्जा मुम्ताज़ मुहद्दिसीन में से था जिसका नाम अबू बकर मुहम्मद बिन अली है। जिसने अबू याक़ूब इस्हाक़ बिन मन्सूर बिन बहज़ाम अल्कूसज मर्वज़ी तमीमी के सामने ज़ानूवे तलम्मुज़ तय किये जो नीशापूर में रिहाइश पज़ीर था, जो अइम्मा मुहद्दिसीन, ज़ुह्हाद और सुन्नत से तमस्सुक करने वालों में से था। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 1/218)

अस्बाबे ज़िन्दगी :

तलबे इल्म के मुआविन अस्बाब में से सबसे बड़ा सबब रिज़्क़ और अस्बाबे ज़िन्दगी का आसान और हलाल होना है क्योंकि तालिबे इल्म दुनिया का इस क़द्र मोहताज होता है जो उसके लिये आख़िरत तक पहुँचने का ज़रिया हो। जब दुनिया उसके लिये मानिअ (रुकावट) होगी, उसका आख़िरत पर अस़र पड़ेगा। दुनिया-आख़िरत की खेती और गुज़रगाह है और लोग दुनिया के बारे में मुख़्तलिफ़ हैं। कुछ को दुनिया आख़िरत से मशग़ूल रखती है और कुछ आख़िरत के लिये दुनिया से मशग़ूल हो जाते हैं और कुछ आख़िरत की ख़ातिर अस्बाबे ज़िन्दगी हासिल करते हैं। यही लोग मुअतदिल हैं और यही बीच की राह इख़्तियार करते हैं और कोई इंसान मियाना रवी का दर्जा पा नहीं सकता जब तक ज़िन्दगी के अस्बाब के हुसूल के लिये बीच की राह की पाबन्दी न करे और कोई इंसान तलबे दुनिया को आख़िरत का वसीला नहीं बना सकता जब तक उसकी तलब में शरई आदाब को इख़्तियार न करे। अल्लाह तआला ने कसबे दुनिया को वसीला ठहराया है और उसके लिये शरई ज़वाबित मुक़र्रर किये हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'हम ने तुम्हारे लिये इस में ज़िन्दगी के अस्बाब रखे हैं तुम बहुत कम शुक्र करते हो।'** (सूरह आराफ़ : 10)

और फ़रमाया, **'और हमने दिन की निशानी को रोशन बनाया ताकि तुम अपने रब का फ़ज़्ल तलाश करो।'** (सूरह बनी इस्राईल : 12)

और नबी (ﷺ) ने कमाने और दुनिया की ज़िन्दगी का सामान तलब करने का हुक्म दिया है और इस बात से डराया है कि इंसान लोगों के आगे हाथ फैलाये वो उसे दें या न दें। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, **'उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! तुममें से किसी का अपनी रस्सी लेना कि अपनी पुश्त पर लकड़ी का गट्ठा उठा ले इससे बेहतर है कि किसी आदमी से सवाल करे वो उसे दे या न दे।'**(सहीह बुख़ारी: 1470, सहीह मुस्लिम :1042)

हज़रत अबू कबशा अनमारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, **'मैं तीन चीज़ों की क़सम उठाता हूँ और तुम्हें एक हदीस़ बयान करता हूँ उसको याद कर लो, किसी इंसान का माल सदक़ा करने से कम नहीं होता, और किसी इंसान पर ऐसा ज़ुल्म नहीं किया जाता जिस पर वो सब्र करता है मगर उससे अल्लाह तआला उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है और कोई बन्दा माँगने का दरवाज़ा नहीं खोलता मगर उस पर अल्लाह तआला मोहताजगी का दरवाज़ा खोल देता है और मैं तुम्हें एक हदीस़ सुनता हूँ उसको याद कर लो, दुनिया बस चार क़िस्म के लोगों के लिये है, ऐसा बन्दा जिसको अल्लाह तआला माल और इल्म अता करता है और वो उसके बारे में अपने रब से डरता है और उसके ज़रिये सिला रहमी करता है और उसमें अल्लाह तआला का हक़ समझता है ये बुलंद तरीन दर्जा है और ऐसा बन्दा जिसको अल्लाह तआला ने इल्म दिया और माल नहीं दिया और वो सच्ची निय्यत से ये कहता है, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाँ के काम करने के तरीक़े को अपनाता तो उसका हिसाब उसकी निय्यत के मुताबिक़ है और दोनों का अज्र बराबर है और ऐसा बन्दा जिसको अल्लाह तआला ने माल से नवाज़ा और इल्म नहीं दिया, तो वो अपने माल में इल्म के बग़ैर टामक-टुइयाँ मारता है, न उसके बारे में अपने रब से डरता है और न सिला रहमी करता है और न उसमें अल्लाह का हक़ समझता है ये बदतरीन मर्तबा है और ऐसा बन्दा अल्लाह तआला ने न उसको माल दिया और न इल्म और वो कहता है अगर मेरे पास माल होता मैं फ़लाँ वाला रवैया अपनाता, तो उसका हिसाब उसकी निय्यत के मुताबिक़ है और दोनों गुनाह में बराबर हैं।'**

(सुनन तिर्मिज़ी : 2325, सुनन इब्ने माजा : 2228)

इसलिये तालिबे इल्म के लिये लाज़िम है कि वो हलाल कमाई की कोशिश करे और पाक दामन हो ताकि लोगों के नज़दीक उसके चेहरे की रोनक़ ज़लील न हो।

अल्लाह तआला ने पाक यानी हलाल खाने का हुक्म दिया है और नाजाइज़ तरीक़े से खाने को क़त्ल करने से पहले मना फ़रमाया है ताकि हराम खाने का घिनौनापन और हलाल की बरकत की

अज़मत का इज़हार हो। फ़रमाने बारी तआला है, **'ईमान वालो! एक-दूसरे के माल नाजाइज़ तरीक़े से न खाओ इल्ला ये कि आपसी रज़ामन्दी से सौदा हो और एक-दूसरे को क़त्ल न करो बिला शुब्हा अल्लाह तआला तुम पर बहुत मेहरबान है।'** (सूरह निसा : 29)

खाने में बुनियादी चीज़ उसका पाक होना है और ये फ़र्ज़ और दीन की असास है। इसलिये रिज़्क़े हलाल की तलाश फ़र्ज़ है और ये ऐसा फ़रीज़ा है जिसका अक़्लों के लिये समझना सब फ़र्ज़ों से मुश्किल है और जवारेह के लिये उसका अमल में लाना सबसे गिराँ है। इसलिये इसका इल्म व अमल मुकम्मल तौर पर मिट चुका है और उसके इल्म का छुपा होना उसके अमल के मिटने की वजह है। जाहिलों ने ये ख़्याल कर लिया है कि हलाल मफ़्क़ूद हो चुका है और इस तक पहुँचने का रास्ता बंद हो चुका है। पाकीज़ा चीज़ों में से सिर्फ़ फ़ुरात का पानी और बन्जर ज़मीन में उगने वाली घास बाक़ी रह गई है। उनके सिवा को ज़ालिम हाथों ने पलीद बना दिया है और फ़ासिद मामलात ने बिगाड़ दिया है और जब पेड़-पौधों में से सिर्फ़ घास पर क़नाअत करना मुम्किन नहीं है तो फिर खुले पैमाने पर मुहर्रिमात के इर्तिकाब के सिवा चारा नहीं है। इसलिये दीन के इस मदार को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ कर दिया है और हलाल व हराम में फ़र्क़ व इम्तियाज़ का शऊर ख़त्म हो गया है और ये बात हक़ीक़त से बहुत-बहुत दूर है। क्योंकि हलाल बिल्कुल वाज़ेह और हराम बिल्कुल वाज़ेह है इन दोनों के बीच शक-शुब्हा की चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें हमेशा आपस में मिली-जुली रहेंगी। हालात चाहे किस क़द्र ही बदल जायें जबकि इस बिदअत का नुक़सान दीन में उमूमी है और लोगों में उसका शर फैला हुआ है इसलिये बन्दे पर ये लाज़िम है कि वो तहक़ीक़ व वज़ाहत के साथ हलाल, हराम और शक-शुब्हा में फ़र्क़ जाने, उसका मुश्किल होना, उसको उसके मुम्किन होने के दर्जे से नहीं निकाल देता। अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे अमल करो।'** (सूरह मोमिनून : 15)

इस तरह अल्लाह तआला ने अमल से पहले पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया है।

दिल का दुनिया के साथ जुड़ाव है। वो इससे मुहब्बत करता है और इससे अपना हिस्सा चाहता है अगर बन्दा इस जुड़ाव से आख़िरत को बेहतर बनाने का रुख़ दे, उसकी दुनिया और आख़िरत बेहतरीन बन जाती है और अगर दुनिया पर औन्धा झुक जाये और उसमें मशग़ूल हो जाये तो दुनिया उसे बिगाड़ देती है और ज़ाया कर देती है और उसकी दुनिया और आख़िरत ख़राब हो जाती है।

इमाम अबू हाज़िम का क़ौल है, आख़िरत के सामान की माँग नहीं, इसलिये उसके नामक़्बूल होने के दौर में उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लो, क्योंकि जब वो दिन आ जायेगा जब उसको मक़्बूलियत हासिल हो जायेगी तो उससे कम या ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। (हिल्यतुल औलिया : 2/272)

अबू बकर बिन अयाश का क़ौल है अगर किसी का एक दिरहम गिर जाये तो वो दिन भर ये कहता रहता है, इन्ना लिल्लाह मेरा दिरहम गुम हो गया और वो ये नहीं कहता, मेरा दिन ज़ाया हो गया, मैंने इसमें कोई अमल नहीं किया। (हुलियतुल औलिया : 8/303)

हुमैद बिन हिलाल बयान करते हैं, हफ़्स बिन अबी अल्आस हज़रत उमर (रज़ि.) के खाने के वक़्त मौजूद होते और खाना न खाते। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उससे पूछा, आप हमारे खाने से क्यों रुके रहते हैं? उसने जवाब दिया, आपका खाना बद मज़ा मामूली है और मैं ऐसे खाने की तरफ़ लौटूंगा जो नर्म है, मेरे लिये तैयार किया जा चुका है। मैं वो खाऊँगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या तेरा ख़्याल है मैं इससे बेबस हूँ कि एक बकरी के बारे में हुक्म दूँ, उसके बाल उतारे जायें (और सालन भूना जाये) और आटे के बारे में हुक्म दूँ उसे एक कपड़े में छान लिया जाये। फिर मैं हुक्म दूँ उससे बारीक चपाती पकाई जाये और मैं एक साअ (ढाई किलो) मुनक़्क़ा को एक डोल में डालने का हुक्म दूँ। फिर उस पर पानी डाला जाये तो वो इस तरह रंग छोड़े गोया हिरन का ख़ून है। तो हफ़्स ने कहा, मैं जान गया आप उम्दा ज़िन्दगी बसर करने से आशना हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, हाँ, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! अगर ये डर न होता मेरी नेकियाँ कट जायेंगी, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नर्म (आसूदा) ज़िन्दगी में शिरकत कर लेता। (अत्तबक़ातुल कुबरा, लिइब्ने सअद : 3/280)

रबीअ बिन ज़ियाद हारिसी बयान करते हैं वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के पास आये उन्हें उसकी शक्ल (हैयत) वग़ैरह पसंद आई। उसने हज़रत उमर (रज़ि.) से बद मज़ा खाना खाने की शिकायत की। तो रबीअ ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! आप नर्म खाने, नर्म सवारी और मुलायम लिबास के सब लोगों से ज़्यादा हक़दार हैं। तो हज़रत उमर (रज़ि.) के पास जो छड़ी थी उठाकर उसके सर पर दे मारी और फ़रमाया, हाँ! मैं जानता हूँ तूने ये बात अल्लाह की रज़ा के लिये नहीं कही, तूने सिर्फ़ मेरा तक़र्रुब हासिल करने के लिये कही है। मैं समझता हूँ तेरे अंदर ये-ये यानी ख़ूबियाँ हैं, तुझ पर अफ़सोस! क्या तू जानता है मेरी और उन लोगों की मिसाल क्या है? रबीअ ने पूछा, आपकी और उनकी क्या मिसाल है? फ़रमाया, उन लोगों की मिसाल है जो सफ़र पर रवाना हुए और अपने अख़राजात अपने में से एक आदमी के सुपुर्द कर दिये और उसे कहा, हम पर ख़र्चा कर, तो क्या उसके लिये जाइज़ है, वो उसमें से किसी चीज़ पर अपने आपको तरजीह दे? उसने कहा, नहीं। ऐ अमीरुल मोमिनीन! फ़रमाया, तो मेरी और उनकी यही मिसाल है।

(अत्तबक़ातुल कुबरा लिइब्ने सअद : 3/280-281)

मस्लमा बिन अब्दुल मलिक (जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह. की बीवी के भाई हैं) बयान करते हैं मैं फ़ज्र के बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के पास उस घर में गया जिसमें वो फ़ज्र

के बाद ख़ल्वत इख़्तियार करते थे। उनके पास कोई नहीं जाता था। लौण्डी एक थाल लाई जिसमें सहानी खजूरें थीं और उन्हें खजूरें पसंद थीं। उन्होंने अपनी हथेली में कुछ खजूरें उठाकर कहा, ऐ मस्लमा तेरा क्या ख़्याल है, अगर कोई आदमी ये खा ले, फिर इन पर पानी पी ले, क्योंकि खजूरों के बाद पानी ख़ुशगवार होता है, क्या ये रात तक उसके लिये काफ़ी होंगी? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने उनसे ज़्यादा उठा लीं और कहा, क्या ये मैंने कहा, हाँ! ऐ अमीरुल मोमिनीन! इससे कम काफ़ी होंगी यहाँ तक कि उसे इसकी परवाह नहीं होगी कि और खाना न खाये। फ़रमाया, तो फिर हम आग में क्यों दाख़िल हों। मुस्लिमा कहते हैं मुझ पर इस नसीहत ने जो असर किया किसी और नसीहत ने वो असर नहीं किया।
(हिलियतिल औलिया : 5/277)

इब्राहीम तैमी का क़ौल है, इंसान के लिये इससे बढ़कर हसरत क्या होगी कि वो एक ग़ुलाम को देखे, जो अल्लाह तआला ने दुनिया में उसे इनायत फ़रमाया था कि क़यामत के दिन उसका मक़ाम अल्लाह के यहाँ उससे बढ़कर है, और इंसान के लिये इससे बड़ी हसरत क्या होगी कि उसके माल का वारिस़ दूसरा बने और उसके ज़रिये अल्लाह तआला की इताअ़त का अ़मल करे, गुनाह उस पर हो और उसका अज्र दूसरे को मिले और इंसान के लिये इससे बढ़कर हसरत का बाइस़ क्या चीज़ होगी कि जो इंसान नाबीना था क़यामत के दिन उसे खुली आँख मिल जाये और ये अन्धा हो जाये। तुमसे पहले लोग दुनिया से भागते थे और वो उनकी तरफ़ बढ़ती थी और उन्हें जो बढ़ोतरी हासिल थी उसका क्या कहना और तुम उसका पीछा करते हो और वो तुम्हें पुश्त दिखाती है और तुम जिन हादसों से दोचार हो वो तुम ही जानते हो। लिहाज़ा तुम अपने मामले का उनके मामले से मुक़ाबला करो। फिर कहा, इंसान के लिये इससे बढ़कर हसरत क्या होगी कि अल्लाह तआला उसे इल्म से नवाज़े और वो उस पर अ़मलपैरा न हो और दूसरा उससे सुनकर उस पर अ़मल करे, क़यामत के दिन उसके इल्म का फ़ायदा दूसरे को मिले।
(हिल्यतुल औलिया : 4/214)

इसलिये तालिबे इल्म के पास इस क़द्र माल का होना ज़रूरी है जिससे वो अपने चेहरे की रोनक़ को सवाल (माँगने) से बचा सके और वो इस क़द्र दुनिया पर क़नाअ़त करे जो उसमें मशग़ूल न कर दे। इमाम मुस्लिम (रह.) पर अल्लाह तआला का ये एहसान था कि उनकी तिजारतगाह थी जिससे वो अपनी रोज़ी हासिल कर लेते थे और उनके बाग़ात थे जो उन्हें गुज़र-बसर की मशक़्क़त से किफ़ायत करते थे और इसलिये अल्लाह तआला ने उनके लिये तलबे इल्म को आसान बना दिया था।

बक़ौल इमाम ज़हबी (रह.) इमाम मुस्लिम (रह.) के पास इस्तवा नामी जगह में बाग़ात और जागीर थी। इमाम हाकिम लिखते हैं, इमाम मुस्लिम (रह.) की तिजारगाह ख़ान महमश में थी और उनका गुज़र उनकी इस्तवा में जागीर से होता था। वो ताजिर थे और वो नीशापूर के मुहसिन थे और साहिबे माल व स़रवत थे।(सियरु आलामिन्नुबला : 12/570, अल्इबर फ़ी ख़बरिम मि ग़िबर : 2/29)

शक्ल व सूरत और वक़ार व तमक्कुनत :

बिला शुब्हा शक्ल व सूरत और वक़ार व तमक्कुनत का तालिबे इल्म और आलिम की निस्बत से बहुत बड़ा असर है क्योंकि सबसे पहले इंसान की नज़र उस पर पड़ती है और उसके ज़हन में पहली सूरत नक़्श हो जाती है। इसलिये हम देखते हैं कि वक़ार व तमक्कुनत देखने वाले की आँख के लिये उसके कान से सुनने से पहले दाख़िले का दरवाज़ा है, इसलिये हम देखते हैं उलमा की शक्ल व हैयत का तालिबे इल्म पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

यहया बिन मुहम्मद अश्शहीद का क़ौल है, मैंने यहया बिन यहया से ज़्यादा परहेज़गार और ख़ूबसूरत लिबास वाला मुहद्दिस नहीं देखा। (अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/381)

इमाम ख़तीब लिखते हैं, मुहद्दिस को चाहिये कि हदीस बयान करते वक़्त अपनी अक्मल हैयत और अपनी बेहतरीन ज़ीनत में हो और उससे पहले वो अपने उन उमूर की इस्लाह की निगेहदाश्त करे जो उसे मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ हाज़िरीन के सामने हसीन बनायें। (अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/372)

अली बिन जाफ़र अल्वराक़ ने हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) के ये शेअर सुनाये :

'लिबास जब पहनो उम्दा पहनो, क्योंकि ये मर्दों की ज़ीनत है, इससे वो इज़्ज़त व शर्फ़ पाते हैं।'

'गुनाह से बचने के लिये कपड़ों में तवाज़ोअ छोड़ दीजिये, अल्लाह तआला जानता है जो तुम पोशीदा रखते हो और छुपाते हो।'

'तेरे कपड़े की बोसीदगी, अल्लाह के यहाँ तेरे रुत्बे को नहीं बढ़ाती जबकि तू गुनाहगार बन्दा है।' (अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/383)

'और तेरे कपड़े की रोनक़ तेरे लिये नुक़सानदेह नहीं है जबकि तू अल्लाह से डरता है और हराम चीज़ों से बचता है।'

जिस तरह कम दर्जे का कपड़ा पहनना नापसन्दीदा है उसी तरह बुलंद दर्जे का कपड़ा इस डर से पहनना नापसन्दीदा है कि कहीं ये शोहरत का बाइस न बने और उसके सबब लोगों की नज़र उसकी तरफ़ न उठें जिस तरह ये नापसन्दीदा है कि अमीर लोग तुम्हें कमतर लिबास में देखें ये भी नापसन्दीदा समझिये कि फ़ुक़रा तुम्हें नफ़ीस कपड़ों में न देखें। यहया बिन बुकेर का बयान है, 'जब इमाम मालिक बिन अनस के सामने मोत्ता की क़िरअत की जाती वो अपना लिबास ज़ेबतन करते, अपनी टोपी पहनते और पगड़ी बांध लेते, फिर सर झुका लेते और खंधार से गुरेज़ करते। रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस की ताज़ीम की ख़ातिर जब तक क़िरअत से फ़ारिग़ न हो लिया जाता अपनी दाढ़ी के बालों से मशग़ूल न होते।

(अदबुल इमला : पेज नम्बर : 27)

इस्माईल बिन यहया का बयान है, मुझे सुफ़ियान ने देखा जबकि मैं बनू शैबा के एक आदमी से बैयतुल्लाह के पास मज़ाक़ कर रहा था। मैं मुस्कुराया तो वो मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहा, तू इस जगह मुस्कुरा रहा है। एक आदमी एक हदीस़ सुनता था तो हम तीन दिन तक उस पर उसका वक़ार व तमक्कुनत और सीरत देखते थे। (अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/157)

इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है, इल्म के तालिब पर लाज़िम है कि उसके अंदर वक़ार, सुकून और ख़शिय्यत हो और वो गुज़िश्ता लोगों के नक़्शे क़दम का पैरोकार हो।
(अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/156)

हदीस़ के तालिब पर लाज़िम है कि वो खेल, फ़िज़ूल काम से बचे और मजलिसों में बेहूदगी (नामअक़ूलियत) हँसी, कहकहे, बकस़रत अजीबो-ग़रीब बातें करके, मुसलसल और बकस़रत मज़ाक़ करके बेवक़ार न हो, क्योंकि इस मज़ाक़ की गुंजाइश है जो कम हो, अनोखा हो और नया और पसन्दीदा (या उम्दा हो) जो हद्दे अदब और इल्मी तरीक़े से ख़ारिज न हो, रहा जो मुसलसल हो, बेहूदा हो, लिचर हो और जिससे सीने में आग भड़कती हो और शर का सबब हो तो वो मज़्मूम है और मज़ाक़ की कस़रत और हँसी क़द्रो-मन्ज़िलत गिराती है और इंसानियत को ज़ाइल कर देती है।
(अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/156)

सईद बिन आमिर बयान करते हैं हम हिशाम दस्तवाई के पास थे तो हममें से एक आदमी हँस पड़ा। इस पर हिशाम दस्तवाई ने उसे कहा, तू हदीस़ का तालिब होने के बावजूद हँसता है? (अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/157) अल्लाह तआला ने इमाम मुस्लिम को रोनक़े हया दिया था उन पर उलमा का वक़ार था और नेक लोगों की शक्ल व सूरत थी।

इमाम हाकिम (रह.) बयान करते हैं, मैंने अपने बाप को कहते सुना, मैंने इमाम मुस्लिम बिन अल्हज्जाज को 'ख़ान महमश' में हदीस़ सुनाते देखा, उनका क़दो-क़ामत पूरा था। सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे और अपनी पगड़ी का एक किनारा अपने कन्धों के दरम्यान लटकाये हुए थे।
(सियरु आलामिन्नुबला : 12/570)

और वो बयान करते हैं, मैंने अबू अब्दुर्रहमान सुलमी को ये कहते सुना, मैंने ख़्वाब में एक बुज़ुर्ग ख़ूबसूरत चेहरे और लिबास वाला देखा, वो ख़ूबसूरत चादर ओढ़े हुए थे और पगड़ी को अपने कन्धों के दरम्यान लटकाया हुआ था। कहा गया, ये इमाम मुस्लिम हैं तो बादशाह के मसाहिब आगे बढ़े और कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों की इमामत मुस्लिम बिन अल्हज्जाज करायें। सो उन्होंने जामा मस्जिद में उसे आगे किया, इमाम साहब ने तकबीरे तहरीमा कहकर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (सियरु आलामिन्नुबला :12/566)

इसलिये तालिबे इल्म पर लाज़िम है कि वो उलमा की सीरत व किरदार और शक्ल-सूरत को अपने लिये नमूना बनाये और हम देख रहे हैं अक्सर तालिबे इल्मों ने सर ढांपना छोड़ दिया है। इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है पगड़ियों को छोड़ना मुनासिब नहीं है और मैंने उस वक़्त पगड़ी बांधनी शुरू की जबकि मेरे चेहरे पर एक बाल भी नहीं था और मैंने इमामे रबीआ की मजलिस में तीस से ज़्यादा लोग देखे, सब पगड़ी बांधे हुए थे।

इमाम मालिक (रह.) बयान करते हैं, मुझे अब्दुल अज़ीज़ इब्नुल मुत्तलिब ने बताया कि वो एक दिन उस मस्जिद में पगड़ी बांधे बग़ैर दाख़िल हुआ तो मुझे मेरे बाप ने बहुत बुरा-भला कहा और मैं उन सख़्त सुस्त बातों को जो मुझे बाप ने कहीं बयान करना पसंद नहीं करता और बाप ने कहा, तू मस्जिद में नंगे सर बग़ैर पगड़ी बांधे दाख़िल हो जाता है? इमाम साहब बयान करते हैं पगड़ियाँ और जूते पहनना गुज़िश्ता अरबों का अमल है। अजमी इस पर अमलपैरा नहीं हो सकते और पगड़ी उसके लिये एक तरफ़ का लटकाना पसन्दीदा है। (अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 1/358)

इमाम मुस्लिम (रह.) का अक़ीदा :

इमाम मुस्लिम (रह.) का अक़ीदा अहले हदीस़, अहलुस्सुन्नह वल्जमाअत वाला था वो उन्हीं के नक़्शे क़दम पर चलते थे और उन्हीं की डगर अपनाते थे।

अहले हदीस़ के बुनियादी अक़ाइद :

अल्लाह तआला हम पर और आप पर रहमत फ़रमाये। जान लीजिये! अहलुल हदीस़, अहलुस्सुन्नह वल्जमाअत अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों का इक़रार करते हैं और अल्लाह तआला की किताब का फ़रमान क़ुबूल करते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल सहीह रिवायत को तस्लीम करते हैं। आप से जो मरवी है उससे गुरेज़ की कोई सूरत नहीं और न उसको रद्द करने की कोई राह है। क्योंकि वो किताबो-सुन्नत की पैरवी के पाबन्द हैं। उनके सामने इस बात की शहादत दी गई है कि उनका नबी (ﷺ) सीधी राह बताता है वो उसकी मुख़ालिफ़त की सूरत में फ़ित्ना और दर्द अंगेज़ अज़ाब से डरते हैं।

अस्मा और सिफ़ात के बारे में मौक़िफ़ :

अहले हदीस़ का अक़ीदा है कि अल्लाह तआला को उसके अस्माए हुसना से पुकारा जाता है और वो उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, जो उसने बताई हैं और जिनसे उसने अपने आपको मुत्तसिफ़ फ़रमाया है और जिनसे उसके नबी (ﷺ) ने उसे मुत्तसिफ़ फ़रमाया है। उसने आदम (ﷺ) को अपने हाथ से बनाया और उसके दोनों हाथ खुले हैं जैसे चाहता है वो ख़र्च फ़रमाता है उस की कैफ़ियत के बारे में कोई अक़ीदा नहीं रखते और वो इज़्ज़त व जलालत वाला अर्श पर बिला कैफ़ मुस्तवी है क्योंकि अल्लाह तआला ने सिर्फ़ यही बताया है कि वो अर्श पर मुस्तवी है और बैठने की कैफ़ियत बयान नहीं की।

उसे उसके नामों से पुकारा जाता है और वो उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है जो उसने बताई हैं और जिनसे अपने आपको मुत्तसिफ़ फ़रमाया है और जो उसके नबी (ﷺ) ने बताई हैं और जिनसे उसे मुत्तसिफ़ फ़रमाया है ज़मीन-आसमान की कोई चीज़ उसे बेबस नहीं कर सकती और उसे नुक़्स, ऐब और आफ़त से मुत्तसिफ़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो इ़ज़्ज़त व जलालत वाला इन चीज़ों से बुलंद व बाला है।

अहले हदीस़ वही कुछ कहते हैं जो सब मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह तआला ने जो चाहा हो गया और जो नहीं चाहता नहीं होता (माशाअल्लाह कान वमा ला यशाउ ला यकूनु) जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'तुम बस वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है।'** (सूरह दहर : 30) उनके बक़ौल किसी के लिये उसके इल्म से बाहर होने की कोई राह नहीं और न इसकी कि किसी का फ़ैअल व इरादा अल्लाह की मशिय्यत (मर्ज़ी) पर ग़ालिब आ जाये या अल्लाह के इल्म में तब्दीली पैदा करे क्योंकि वो ऐसा आ़लिम है जो नावाक़िफ़ नहीं और न भूलता है और वो ऐसा क़ादिर है जो मग़्लूब (आ़जिज़) नहीं होता।

मख़्लूक़ के अफ़्आल अल्लाह तआला की तख़्लीक़ हैं :

उनके बक़ौल हक़ीक़तन अल्लाह तआला के सिवा कोई ख़ालिक़ नहीं और बन्दों के अफ़्आल अल्लाह के पैदा करदा हैं और अल्लाह तआला जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है जिसे अल्लाह तआला गुमराह कर दे उसके पास कोई दलील और उ़ज़्र नहीं जैसाकि फ़रमाने बारी तआला है, **'कह दे! अल्लाह तआला की दलील ही ग़ालिब है पस अगर वो चाहता तुम सबको हिदायत करता (राह पर लगा देता)।'** (सूरह अन्आम : 149)

और फ़रमाया, **'जैसे तुम्हें पहले पैदा किया वैसे ही लौटोगे, एक गिरोह को हिदायत की और एक गिरोह पर गुमराही स़ाबित हुई, उन्होंने अल्लाह तआला के सिवा शैतानों को दोस्त बनाया और वो समझते हैं कि वो राहयाब हैं।'** (सूरह आराफ़ : 29-30)

'और फ़रमाया, **'और हमने बहुत से जिन्नों और इंसानों को जहन्नम के लिये पैदा किया।'** (सूरह आराफ़ : 179)

और फ़रमाया, **'जो आफ़ात ज़मीन पर आती हैं और जो ख़ुद तुम पर आती हैं, वो सब इससे पहले कि हम पैदा करें लौहे महफ़ूज़ में लिखी हैं, ये सब बातें अल्लाह तआला के नज़दीक आसान हैं।'** (सूरह हदीद : 22)

नब्रअहा का माना लुग़वी तौर पर बिला इख़्तिलाफ़ उनका पैदा करना है और अहले जन्नत के बारे में इत्तिलाअ़ दी है।

'शुक्र व तारीफ़ का हक़दार अल्लाह है जिसने हमें इस राह पर चलाया अगर अल्लाह तआला हमें राहेरास्त पर न चलाता तो हम राहयाब न हो सकते।' (सूरह आराफ़ : 43)

और फ़रमाया, **'और अगर तेरा रब चाहता लोगों को एक गिरोह बना देता और वो हमेशा इख़्तिलाफ़ करते रहेंगे मगर जिन पर तेरा रब रहम फ़रमाये।'** (सूरह आराफ़ : 118-119)

और फ़रमाया, **'ये कि अगर अल्लाह चाहता सब लोगों को राह पर चला देता।'** (सूरह रअद : 31)

ख़ैर व शर अल्लाह तआला का फ़ैसला है :

वो कहते हैं, ख़ैर व शर, शीरीं और तल्ख़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ैसले के सबब है, उसने उन्हें जारी और तय किया है। लोग अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर अपने नुक़सान और नफ़ा के मालिक नहीं हैं और वो सब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मोहताज हैं और किसी वक़्त उससे बेनियाज़ नहीं हो सकते।

आसमाने दुनिया पर उतरना :

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रसूलुल्लाह (ﷺ) की सहीह हदीस की रू से आसमाने दुनिया पर उतरता है, उसकी कैफ़ियत का ऐतक़ाद नहीं रखते।

आख़िरत में मोमिनों का अल्लाह तआला का दीदार करना :

क़यामत के दिन मुत्तक़ी बन्दों के लिये अल्लाह तआला की रूइयत (देखने) के दुरुस्त होने का अक़ीदा रखते हैं, दुनिया में नहीं और उनके लिये उसका दीदार लाज़िम है जिनके लिये अल्लाह तआला ने आख़िरत में ये बदला रखा है जैसाकि फ़रमाया, **'उस दिन बहुत से चेहरे तरो-ताज़ा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे।'** (सूरह क़ियामा : 22-23)

काफ़िरों के बारे में फ़रमाया, **'हर्गिज़ नहीं! ये लोग उस दिन अपने रब से पर्दे में होंगे (उसके दीदार से महरूम रहेंगे)।'** (सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन : 15) सो अगर मोमिन-काफ़िर सब उसको न देख सकते हों तो सब ही उसके पर्दे में होते, ये रूइयत (देखना), इस अक़ीदे के बग़ैर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिस्म है (मख़्लूक़ जैसा) और वो महदूद है वो उसे अपनी आँखों से जैसे वो चाहेगा देखेंगे, कैफ़ियत बयान नहीं हो सकती।

नोट/हाशिया : सलफ़ अहले हदीस का अक़ीदा, कैफ़ियत के बग़ैर इसलिये है कि अगर अल्लाह तआला चाहता हमारे सामने कैफ़ियत बयान कर देता, हम उसके मुहकम हुक्म पर रुक गये हैं और मुतशाबेह से बाज़ हैं क्योंकि उसने हमें यही हुक्म दिया है। उसका फ़रमान है, **'उसने आप पर किताब उतारी उसकी कुछ आयतें मुहकम हैं यानी उनका मफ़्हूम वाज़ेह है और वही किताब की जड़**

बुनियाद हैं और कुछ दूसरी मुतशाबेह हैं यानी कई पहलू रखती हैं तो जिन लोगों के दिलों में कजी है, वो उनकी पैरवी करते हैं जिनका मफ़्हूम कई मअ़नों का एहतिमाल रखता है। फ़ित्ने की तलाश में और उनकी असल हक़ीक़त चाहते हुए हालांकि उनकी असल हक़ीक़त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और जो लोग इल्म में पुख़्ता हैं वो कहते हैं हम उन पर ईमान लाये, ये सब हमारे रब की तरफ़ से हैं और वही लोग याद दिहानी हासिल करते हैं जो साहिबे अ़क़्ल हैं।' (सूरह आले इमरान : 7)

ईमान की हक़ीक़त :

उनके बक़ौल ईमान क़ौल, अ़मल और मअ़रिफ़त (तस्दीक़) है इताअ़त से बढ़ता है और मअ़सियत (नाफ़रमानी) से घटता है। जिसकी नेकियाँ (इताअ़त) ज़्यादा हैं, उसका ईमान उससे बढ़कर है जो इताअ़त में कमतर है।

इमाम मुस्लिम (रह.) का नहज व उस्लूब तर्ज़ व तरीक़ा :

आपका अ़क़ीदा, अहलुस्सुन्नह वल्जमाअ़त का अ़क़ीदा था। गुमराह फ़िर्क़ों और राहे रास्त से हटे मसालिक के लोगों से एहतिराज़ करते थे।

मक्की बिन अ़ब्दान का क़ौल है मैंने इमाम मुस्लिम (रह.) से अ़ली बिन अल्जअ़द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, वो सिक़ह था लेकिन वो जहमी है और उससे अपनी सहीह में कोई रिवायत बयान नहीं की हालांकि उससे 225 हिजरी में सिमाअ़ किया था क्योंकि वो इस बिदअ़त (तहज्जुम) से मुत्तसिफ़ था।

सहाबा किराम (रज़ि.) के बारे में इमाम मुस्लिम (रह.) का अ़क़ीदा :

इस्लामी अ़क़ाइद और उसके तयशुदा ज़वाबित में से है सहाबा किराम (रज़ि.) मुहाजिरीन और अन्सार और उनकी ख़ूबी के साथ पैरवी करने वालों से मुहब्बत रखना, उनकी फ़ज़ीलत व सदाक़त का अ़क़ीदा रखना और उनकी इ़ज़्ज़तों की हिफ़ाज़त करना और उनके लिये रहमत की दुआ करना, वो छोटे हों या बड़े, पहले हों या पिछले उनकी फ़ज़ीलत, सदाक़त का ऐतराफ़ करना और उनके लिये दुआए रहमत करना।

अहलुस्सुन्नह वल्जमाअ़त का तुर्र-ए-इम्तियाज़ है और अहले अ़सर व इत्तिबाअ़ की अ़लामत है कि उनके दिल और ज़बानें बरगुज़ीदा सहाबा (रज़ि.) नेक, मुत्तक़ी, हामिलीने शरीअ़त के बारे में महफ़ूज़ हैं और वो उनकी इ़ज़्ज़तों का जरह करने वालों के इशारात, बेहूदाकार लोगों की मलामत और कीनावर लोगों की ज़बानों से दिफ़ाअ़ करते हैं और जो लोग औहाम के बारीक धागों से ताल्लुक़ रखते हैं

और तारीक वादियों में रहते हुए अपनी ज़बानों को इल्ज़ाम तराशी और गुनाहों में डुबोते हैं। सहाबा किराम (रज़ि.) से अदालत को सल्ब करते हैं और उन्हें आम लोगों की तरह क़रार देते हुए उनके हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियों का तअय्युन करते हैं, उनकी इज़्ज़तों को दाग़दार करते हैं और उनकी बुराइयों और लग़्ज़िशों को जमा करते हैं उनको ज़ज्र व तौबीख़ करते हैं और उनसे दुरुश्ती (सख़्ती) से पेश आते हैं।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने ऐसे लोगों पर ताज्जुब का इज़हार किया है जिन्होंने उन रिवायात को जमा किया जिनमें कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) पर तअन पाया जाता है और इस पर शदीद गुस्से का इज़हार करते हुए फ़रमाया, अगर ये अमल ग़ैर मअरूफ़ लोगों के बारे में होता तो मैं उसको बुरा ख़्याल करता। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि ये काम सहाबा किराम (रज़ि.) के बारे में किया जाये और फ़रमाया, मैंने इस क़िस्म की अहादीस़ नहीं लिखीं।

इमाम मर्वज़ी (रह.) कहते हैं मैंने अबू अब्दुल्लाह (अहमद) से पूछा, अगर मैं किसी को इस क़िस्म की रद्दी अहादीस़ लिखते पाऊँ कि वो उन्हें इकट्ठा करता है क्या उसको छोड़ दिया जायेगा? जवाब दिया, हाँ! उन रद्दी अहादीस़ को जमा करने वाला संगसारी का अहल है। (अस्सुन्नह लिल्ख़लाल : 3/501, इसकी सनद सहीह है तफ़्सील के लिये देखिये शरह वद्दयानत लिइब्ने बत्ता, पेज नम्बर 268,269, अल्हुज्जतु फ़ी बयानिल मुहज्जति इमाम अस्बहानी : 2/368 से 371, शरह उसूले ऐतक़ाद अहलुस्सुन्नह इमाम लालकाई, अक़ीदतुस्सलफ़ व अस्हाबुल अहादीस़, इमाम अबू उ़समान साबूनी : 80-81, अल्अक़ीदतुत्तहाविया तहक़ीक़ इमाम अल्बानी, पेज नम्बर 57, अस्सारिमुल मस्लूल लिइब्ने तैमिया : 3/1085)

जो इंसान उ़लमाए हदीस़, अहलुस्सुन्नह वल्जमाअ़त की सीरत व सवानेह का ततब्बोअ़ (स्टडी) करता है, वो जान लेता है कि वो सहाबा किराम (रज़ि.) की इ़ज़्ज़त करते हैं और उन्हीं के डगर पर चलते हैं और वो उनके अल्लाह तआला के तज़्किये (ततहीर व सफ़ाई) करने की बिना पर उनका तज़्किया करते हैं और वो उनको वो मक़ाम देते हैं जो उन्होंने एक-दूसरे को दिया था।

ख़ुलफ़ाए राशिदीन (रज़ि.) की ख़िलाफ़त :

वो सबके लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद ख़िलाफ़त हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के लिये साबित करते हैं क्योंकि सहाबा किराम (रज़ि.) ने उनका इन्तिख़ाब किया था। फिर हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के ख़लीफ़ा नामज़द करने की बिना पर हज़रत उ़मर (रज़ि.) को ख़लीफ़ा मानते हैं। फिर हज़रत उ़मर (रज़ि.) के हुक्म की बिना पर अहले शूरा और तमाम मुसलमानों के इत्तिफ़ाक़ की बिना पर ख़लीफ़ा हज़रत उ़समान (रज़ि.) को मानते हैं फिर हज़रत अ़ली (रज़ि.) बिन अबी तालिब को साबिक़िय्यत व फ़ज़ीलत और कुछ बद्री सहाबा किराम (रज़ि.) हज़रत अ़म्मार बिन यासिर और सहल बिन हनीफ़ (रज़ि.) और उन दोनों की इत्तिबाअ़ करने वाले सहाबा किराम (रज़ि.) की बैअ़त की बिना पर ख़लीफ़ा मानते हैं।

सहाबा किराम (रज़ि.) में आपसी फ़ज़ीलत :

(और अहलुल हदीस़, अहलुस्सुन्नह वल्जमाअ़त) सहाबा किराम (रज़ि.) की एक-दूसरे पर फ़ज़ीलत के क़ाईल हैं क्योंकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला उन मोमिनों से राज़ी हो गया जो दरख़्त के नीचे आपकी बैअ़त कर रहे थे।'** (सूरह फ़तह : 17)

और फ़रमाया, **'मुहाजिरीन व अन्सार में सबसे पहले आगे बढ़ने वाले और जो उनकी ख़ूबकारी के साथ पैरवी करते हैं, अल्लाह तआ़ला उनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गये।'**

(सूरह तौबा : 100)

अल्लाह तआ़ला ने अपनी रज़ा जिनके लिये साबित की है उनसे उसके बाद कोई ऐसी बात सादिर नहीं हुई जिससे अल्लाह तआ़ला नाराज़ हो जाता और अल्लाह तआ़ला ने पैरवी करने वालों के लिये रज़ामन्दी इस शर्त के साथ मुक़य्यद की है कि ये ख़ूबकारी के साथ हो। उनके बाद ताबेईन में से जिसने उनमें नक़ाइस (कमियाँ) बयान किये (उनकी तन्क़ीस की) वो ख़ूबकार न हुआ, इसलिये उसका रज़ामन्दी में कोई दख़ल नहीं है।

सहाबा किराम (रज़ि.) से बुग़्ज़ रखने वालों के बारे में उनका मौक़िफ़ :

जो अल्लाह के यहाँ उनके मर्तबे से नाराज़ है उसके बारे में इस क़द्र बड़ा ख़तरा है जिससे बड़ा ख़तरा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'मुहम्मद अल्लाह का रसूल है और जो आपके साथ हैं वो काफ़िरों पर सख़्त और आपस में रहम दिल हैं, तुम उन्हें रुकूअ़ करते, सज्दारेज़ होते अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल और रज़ामन्दी के हुसूल में लगे हुए देखते रहो उनकी निशानी उनके चेहरे पर सुजूद के अस़र से नुमायाँ है, ये सिफ़त है उनकी तौरात में और उनकी सिफ़त इन्जील में उस खेती की तरह है जिसने अपना अंखवाँ (सूई) निकाला, उसे मज़बूत किया सो वो मोटा हो गया और वो अपने तने पर खड़ा हो गया, काश्तकार को अच्छा लगता है ताकि वो उनसे (आपके साथियों से) काफ़िरों का दिल जलाये, अल्लाह तआ़ला ने उनसे जो ईमान लाये और अच्छे काम किये बख़्शिश और बड़े अज्र का वादा किया है।'** (सूरह फ़तह : 29)

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने ख़बर दी है कि उसने उन्हें (सहाबा किराम रज़ि.) को) काफ़िरों के गुस्सा दिलाने का सबब बनाया है (लिहाज़ा उनसे जलने वाला काफ़िरों का हमनवा है)।

और उनकी ख़िलाफ़त के इसलिये क़ाइल हैं, क्योंकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'अल्लाह तआ़ला ने वादा किया है तुममें से उन लोगों के साथ जो ईमान लाये और अच्छे अमल किये।'**

(सूरह नूर : 55)

अल्लाह तआला ने उन्हें 'मिन्कुम' से मुख़ातब फ़रमाया है कि जो अब पैदा हो चुके हैं और नबी (ﷺ) के साथ उनके दीन पर हैं। उसके बाद फ़रमाया, **'वो उन्हें उसी तरह ज़मीन में ख़िलाफ़त इनायत फ़रमायेगा जिस तरह उसने उन लोगों को ख़िलाफ़त अता की थी जो उनसे पहले थे और जिस दीन को उसने उनके लिये पसंद किया है उसको उनके लिये पायदार कर देगा और ख़ौफ़ व ख़तरे के बाद उनको अमन व राहत से तब्दील कर देगा वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहरायेंगे।'** (सूरह नूर : 55)

सो अल्लाह तआला ने अबू बकर, उमर और उसमान (रज़ि.) के ज़रिये दीन को क़ुव्वत बख़्शी, अल्लाह तआला ने वादा किया वो बिला ख़ौफ़ व ख़तर हमलावर होंगे, उन पर हमला नहीं होगा, वो दुश्मन को ख़ौफ़ज़दा करेंगे, दुश्मन उनको डरा नहीं सकेगा।

अल्लाह तआला ने उन लोगों के बारे में जो उस जंग से उसके नबी (ﷺ) से पीछे रहे जिसकी अल्लाह तआला ने दावत दी थी ये फ़रमान जारी किया, **'फिर अगर अल्लाह आपको उनमें से किसी गिरोह की तरफ़ वापस लाये तो वो आपसे मैदाने जंग की तरफ़ निकलने की इजाज़त तलब करें तो फ़रमा दीजिये तुम हमारे साथ हर्गिज़ नहीं निकल सकते और हमारी हमराही में हर्गिज़ दुश्मन से नहीं लड़ सकते क्योंकि तुमने पहली बार बैठे रहने को पसंद किया, पस बैठे रहो, पीछे रहने वालों के साथ।'** (सूरह तौबा : 83)

जब वो नबी (ﷺ) को मिले आपसे दुश्मन से मुक़ाबले के लिये निकलने की इजाज़त तलब की तो आपने उनको इजाज़त न दी। अल्लाह तआला ने अपना फ़रमान उतारा, **'जब तुम माले ग़नीमत लेने चलोगे तो पीछे छोड़े गये ज़रूर कहेंगे, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी पैरवी करें (तुम्हारे साथ चलें) वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम (फ़रमान) को बदल डालें, फ़रमा दीजिये, तुम हर्गिज़ हमारे साथ नहीं जा सकते अल्लाह तआला ने पहले से ऐसा फ़रमा दिया। फिर वो यक़ीनन कहेंगे बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल्कि वो बात बहुत कम समझते हैं।'** (सूरह फ़तह : 15)

और उनके बारे में फ़रमाया, **'पीछे छोड़े गये गंवारों से फ़रमा दीजिये, तुम जल्दी एक जंगजू क़ौम की तरफ़ बुलाये जाओगे, तुम उनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जायें, पस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अज्र देगा और अगर तुमने मुँह मोड़ लिया जैसाकि इससे पहले मुँह फेर लिया था तो वह तुमको दर्दनाक अ़ज़ाब देगा।'**(सूरह फ़तह : 16)

जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में ज़िन्दा थे जब वो आपसे पीछे रहे तो उन्हें इन कलिमात से मुख़ातब किया गया और उनमें से कुछ अबू बकर, उमर और उसमान (रज़ि.) के दौर तक बाक़ी रहे कि

उनके इताअत करने की सूरत में उनके लिये अज्र और नाफ़रमानी की सूरत में दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आगाही है कि वो ख़िलाफ़त के अहल थे। अल्लाह तआ़ला उनमें से किसी के लिये हमारे दिल में कीना पैदा न करे। जब उनमें से किसी एक की ख़िलाफ़त साबित हुई तो उससे चारों की ख़िलाफ़त लड़ी में पिरोई गई।

इमाम मुस्लिम (रह.) अपने उ़लमा भाइयों के तर्ज़ पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों की तक्रीम करते थे उनकी बरतरी की शहादत देते थे बल्कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने सहीह मुस्लिम में एक मुस्तक़िल किताब सहाबा किराम (रज़ि.) के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल बयान की है। जो हदीस़ : 2381/2532 से हदीस़ को मुहीत है।

मक्की बिन अ़ब्दान तमीमी बयान करते हैं, मैंने इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना कि अबू अ़ब्दुर्रहमान मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुकातिब थे। (तारीख़े दमिश्क़ : 4/349)

इमाम मुस्लिम (रह.) का क़ुरआन के बारे में अ़क़ीदा :

तमाम सलफ़ का ये अ़क़ीदा था कि क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम है। उनका क़ौल है क़ुरआन अल्लाह का कलाम ग़ैर मख़्लूक़ है। पढ़ने वाले की पढ़ाई और उसके तलफ़्फ़ुज़ से इसको कैसे फेरा जा सकता है। वो सीनों में महफ़ूज़ है। ज़बानों से इसकी तिलावत की जाती है। मसाहिफ़ में इसे तहरीर किया गया है। वो ग़ैर मख़्लूक़ है और जो क़ुरआन के अल्फ़ाज़ से क़ुरआन मुराद लेकर उनकी तख़्लीक़ का क़ाइल है वो क़ुरआन के मख़्लूक़ होने का क़ाइल है।

हाशिया : बहुत से बिदअ़तियों का नज़रिया है कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा, मेरी ज़बान से क़ुरआन के अल्फ़ाज़ मख़्लूक़ हैं। ये कहना कि क़ुरआन के अल्फ़ाज़ का मेरा तलफ़्फ़ुज़ करना मख़्लूक़ है, सहीह है लेकिन ये कहना मेरी ज़बान से अदा होने वाले क़ुरआन के अल्फ़ाज़ मख़्लूक़ हैं, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि क़ुरआन के अल्फ़ाज़ तो अल्लाह का कलाम है और उनका तलफ़्फ़ुज़ करना इंसान का काम है। अल्लाह का कलाम तो मख़्लूक़ नहीं है लेकिन इंसान का काम मख़्लूक़ है।

लेकिन तहक़ीक़ से ये बात खुल गई है कि इस क़ौल की निस्बत इमाम बुख़ारी (रह.) की तरफ़ झूठी शहादत है और वो इस क़ौल से बरीउज़्ज़िम्मा हैं। नसर बिन मुहम्मद बयान करते हैं, मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) को ये कहते सुना जिसने ये कहा, मैंने कहा है, मेरी ज़बान से निकलने वाले क़ुरआन के अल्फ़ाज़ मख़्लूक़ हैं वो झूठा है। मैंने ये नहीं कहा। (तबक़ातुल हनाबिला : 1/277, सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/457, सियरु आ़लामिन्नुबला में मुहम्मद बिन नसर मरवज़ी है, नसर बिन मुहम्मद नहीं, अ़लवी)

अबू अम्र अल्ख़फ़ान बयान करते हैं, मैं इमाम बुख़ारी (रह.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे कुछ अहादीस़ के बारे में बातचीत की यहाँ तक कि उनका मूड ख़ुशगवार हो आया। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/4570, ये ताबत नफ़्सुहू है ताबत नफ़सी नहीं, कि मेरा मूड ख़ुशगवार हो गया। उ़लवी!) तो मैंने कहा, ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह यहाँ एक आदमी है जो आपसे ये नक़ल करता है कि आपने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा, ऐ अबू अ़म्र! जो बात मैं तुम्हें कहता हूँ उसको याद कर ले, नीशापूर, क़ौस, रै, हमदान, हलवान, बग़दाद, कूफ़ा, बसरा, मक्का और मदीना के जो इंसान ये ख़्याल करता है कि मैंने कहा, 'मेरी ज़बान से कुरआन के अल्फ़ाज़ मख़्लूक़ हैं।' तो वो बहुत बड़ा झूठा (कज़्ज़ाब) है क्योंकि मैंने ये नहीं कहा। हाँ मैंने कहा है, 'बन्दों के काम मख़्लूक़ हैं।' (तारीख़े बग़दाद : 2/32, मुक़द्दमा फ़तहुल बारी : 492, सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/457, 458) (कुरआन के अल्फ़ाज़ बन्दों का काम नहीं है, हाँ कुरआनी अल्फ़ाज़ का तलफ़्फ़ुज़, क़िरअत, तिलावत, किताबत, बन्दों का फ़ैअ़ल है लिहाज़ा तलफ़्फ़ुज़, क़िरअत, तिलावत और किताबत व तहरीर मख़्लूक़ है कुरआन के अल्फ़ाज़ मख़्लूक़ नहीं हैं क्योंकि वो अल्लाह का कलाम हैं। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़लवी!)

सिफ़ते कलाम, औसाफ़े कमाल में से है और अ़द्मे तकल्लुफ़ सिफ़ते ऐब है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'मूसा की क़ौम ने उनके बाद अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा बना लिया जो एक जिस्म था जो गाय जैसी आवाज़ रखता था। क्या उन्होंने ये न जाना कि वो न तो उनसे बातचीत करता है और न ही उनको सीधी राह दिखाता है।'** (सूरह आ़राफ़ : 148)

बछड़े के पुजारी का काफ़िर होने के बावजूद, मुअ़तज़िला से जिन्होंने अल्लाह तआ़ला के कलाम का इंकार किया है अल्लाह के बारे में ज़्यादा इल्म रखते थे क्योंकि उन्होंने मूसा (अ़लै.) को ये जवाब नहीं दिया। तेरा रब भी तो कलाम नहीं करता, अल्लाह तआ़ला ने बछड़े के बारे में ये भी फ़रमाया, **'क्या ये लोग जानते नहीं कि वो उनकी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुक़सान और नफ़ा का मालिक है।** (सूरह ताहा : 89)

इससे पता चला बात का जवाब न देना और कलाम न कर सकना एक ऐसा नुक़्स है जिससे बछड़े के इलाह न होने पर इस्तिदलाल किया जाता है।

किसी मुअ़तज़िली ने अबू अ़म्र बिन अ़ला से जो सात क़ारियों में से एक है से कहा, मैं चाहता हूँ आप कलीमुल्लाह मूसा में लफ़्ज़ जलालह पर नसब (ज़बर) पढ़ें, ताकि मूसा फ़ाइल बने और मानी ये हो कि कलाम मूसा (अ़लै.) ने की न कि अल्लाह तआ़ला ने। तो अबू अ़म्र ने कहा, फ़र्ज़ कर लो, मैंने ये आयत आपके कहने के मुताबिक़ पढ़ दी तो अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान की तावील क्या करोगे,

'और जब मूसा हमारे वादे पर आये और उनके रब ने उनसे बातचीत की।' (सूरह आराफ़ : 143) तो मुअतज़िली ला जवाब (ख़ामोश) हो गया। (शरहुल अक़ीदतित्तहाविया)

किताबो-सुन्नत में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं कि अल्लाह तआला अहले जन्नत और दूसरों से बातचीत फ़रमायेगा। फ़रमाने बारी तआला है, **'उनको उनके मेहरबान रब की तरफ़ से सलाम कहा जायेगा।'** (सूरह यासीन : 58)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) मिले और मुझसे पूछा, ऐ जाबिर! क्या बात है मैं तुझे शिकस्ता दिल (उदास) देख रहा हूँ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मेरा बाप उहुद के दिन शहीद हो चुका है और पीछे अहलो-अयाल और क़र्ज़ा छोड़ गया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, **'क्या मैं तुम्हें बशारत न दूँ कि अल्लाह तआला ने तेरे बाप से किस अन्दाज़ में मुलाक़ात की है।'** मैंने कहा, ज़रूर ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया, **'अल्लाह तआला ने कभी किसी से पसे पर्दा (आड़) के सिवा बातचीत नहीं की और तेरे बाप को ज़िन्दा करके उससे रू-दर-रू (फेस टू फेस) बातचीत की और पूछा, ऐ मेरे बन्दे! मुझसे तमन्ना करो मैं पूरी करूँगा। अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब! तू मुझे ज़िन्दगी इनायत फ़रमा ताकि मैं तेरी ख़ातिर दोबारा शहादत पाऊँ, अल्लाह तआला ने फ़रमाया, मेरी तरफ़ से ये फ़ैसला हो चुका है कि लोग दोबारा दुनिया की तरफ़ नहीं लौटाये जायेंगे और ये आयत उतारी गई, 'जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किये गये हैं उन्हें मुर्दा ख़याल न करो।'** (सूरह आले इमरान : 169) (तिर्मिज़ी : 3010, इब्ने माजा : 2800) हसन रिवायत है।

इस सूरते हाल में ये कैसे सहीह क़रार दिया जा सकता है कि अल्लाह तआला के तमाम कलाम का एक ही मानी है। जबकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'बेशक जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी क़समों पर क़लील मुआवज़ा लेते हैं उन लोगों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, न उनसे अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा।'** (सूरह आले इमरान : 77) तो अल्लाह तआला ने उनसे बातचीत न करके उनको रुस्वा किया।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सहीह में अलग-अलग बाब क़ायम किये हैं।

बाब : रब्बे तआला का जिब्रईल से बातचीत करना और अल्लाह का फ़रिश्तों को आवाज़ देना।

बाब : क़यामत के दिन रब्बे तआला का अम्बिया (अलै.) और दूसरे लोगों का कलाम करना।

बाब : रब्बे तआला का अहले जन्नत से कलाम करना।

और इन बाबों के तहत कई अहादीस नक़ल की हैं।

अहले जन्नत के लिये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तआला का दीदार और उनसे बातचीत फ़रमाना है। इमाम मुस्लिम (रह.) का अक़ीदा ये था कि क़ुरआन अल्लाह का कलाम ग़ैर मख़्लूक़ है। जैसाकि उनके उस्ताद इमाम बुख़ारी (रह.) का यही अक़ीदा था और वो बन्दों के कामों के मख़्लूक़ होने का खुल्लम-खुल्ला इज़हार करते थे। इस सिलसिले में उनका अपने उस्ताद मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली के साथ वाक़िया पेश आया और उनके दरम्यान आपसी शकर रंजी (बदमज़गी) पैदा हुई जैसाकि जल्द ही आ रहा है।

बिदअत और ख़्वाहिश परस्तों के साथ रवैया : इमाम मुस्लिम (रह.) बिदअतियों और ख़्वाहिश परस्तों के बारे में सख़्त रवैया इख़्तियार करते थे न उनसे नर्मी बरतते थे और न उनके क़रीब होते थे इसलिये हम देखते हैं उन्होंने अपनी सहीह किताब में बिदअतियों से बहुत कम रिवायात बयान की हैं। मक्की बिन इब्राहीम (रह.) कहते हैं मैंने इमाम मुस्लिम (रह.) से अली बिन अल्जअद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सिक़ह है। लेकिन वो जहमी है। मैंने उनसे मुहम्मद बिन यज़ीद के बारे में पूछा तो कहा, उसकी हदीस नहीं लिखी जायेगी। मैंने उनसे मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब और अब्दुर्रहमान बिन बिश्र के बारे में पूछा? तो उन्होंने उनकी तौसीक़ की। मैंने उनसे क़ुत्न बिन इब्राहीम के बारे में सवाल किया तो कहा, उसकी हदीस नहीं लिखी जायेगी। इब्राहीम बिन अबी तालिब कहते हैं मैंने इमाम मुस्लिम (रह.) से कहा, आपने '**सहीह**' में अहमद बिन अब्दुर्रहमान अल्वहबी से बकसरत रिवायात की हैं और उसकी हालत वाज़ेह हो चुकी है तो उन्होंने जवाब दिया, उन पर मेरे मिस्र से निकलने के बाद ऐतराज़ शुरू हुआ है। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/568) इमाम मुस्लिम (रह.) के मिस्र से निकलने के बाद वो इख़्तिलात का शिकार हो गया था।

तलबे इल्म में उनके अस्फ़ार (यात्राएँ) :

तालिबे इल्म की अहमतरीन अलामत उसका इल्म की तलब व हुसूल के लिये सफ़र इख़्तियार करना है जैसाकि मक़ूला है, जो बहुत सफ़र नहीं करता, उसकी तरफ़ भी कोई सफ़र नहीं करता। (हिल्यतु तालिबुल इल्म लिश्शैख़ अबू बकर ज़ैद)

अल्लाह तआला ने इल्म की तलब, उसके लिये सफ़र, उसके हुसूल और उसके लिये कोशिश और उसकी तक्मील पर दाद दी है। फ़रमाया, '**ये नहीं हो सकता कि सब मुसलमान (तहसीले इल्म के लिये) निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यों न हुआ कि हर गिरोह से कुछ लोग निकल खड़े होते, ताकि वो दीन की सूझ-बूझ पैदा करते और जब अपनी क़ौम की तरफ़ लौटकर आयें तो उनको डरायें, ताकि वो (बुरे कामों, नाफ़रमानी) से बच जायें।**' (सूरह तौबा : 122)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, **'जो ऐसे रास्ते पर चला जिसके ज़रिये वो इल्म तलाश करता है तो उससे अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत का रास्ता आसान बना देता।'**

(सहीह मुस्लिम : 2699)

इल्म के हुसूल के लिये मुहद्दिसीन के तरीक़े और डगर में तलबे हदीस़ के लिये सफ़र लाज़िमी चीज़ थी। इब्नुस्सलाह का क़ौल है, जब वो अपने इलाक़े की बुलंद सनद वाली और अहम अहादीस़ सुन ले तो वो दूसरों की तरफ़ सफ़र करे। (उलूमुल हदीस़ : 222)

यहया बिन मईन का क़ौल है, चार क़िस्म के अफ़राद में आप अक़्ल व शऊर महसूस नहीं करेंगे। गली का पेहरेदार, क़ाज़ी का मुनादी (ऐलान करने वाला), मुहद्दिस़ का बेटा और वो आदमी जो अपने शहर की अहादीस़ लिखता है और हदीस़ की तलब के लिये सफ़र पर नहीं निकलता।

(अल्जामेअ लिअख़्लाक़िर्रावी : 2/225)

अहादीस़ की सनद पर ग़ौर करने वाले पर सफ़र का अस़र बिल्कुल खुल जायेगा। जब हम उनमें से किसी सनद को लेते हैं और उसके रावियों के हालात पढ़ते हैं। हम उमूमन देखते हैं कि वो कई इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि कुछ जगह हर रावी का इलाक़ा अलग होता है। तलबे हदीस़ के लिये सफ़र ने उन अलग-अलग लोगों को इकट्ठा कर दिया और उनके बाद (मसाफ़त की दूरी) को क़रीब कर दिया। यहाँ तक कि एक सदी के लोग लगातार एक हदीस़ की सनद में आ गये।

मुहद्दिसीन (रह.) के नज़दीक सफ़र के मक़ासिद :

अहलुल हदीस़ के नज़दीक सफ़र की बहुत सी ग़र्ज़ और मक़सद हैं। हम उनमें से अहमतरीन की नीचे वज़ाहत करते हैं :

1. तहसीलुल हदीस़ (हुसूले हदीस़) सफ़र के अस्बाब में से पहला सबब है। ख़ुसूसन इस्लाम के शुरूआती दौर में यही है। इसी बिना पर सहाबा किराम (रज़ि.), ताबेईने इज़ाम और बाद के दौर में सफ़र इख़्तियार किया गया। क्योंकि सहाबा किराम (रज़ि.) अलग-अलग इलाक़ों में बिखर गये थे और उनमें से हर एक के पास वो इल्म था जो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अख़ज़ किया था और उनमें एक माक़ूल तादाद उनकी थी जिनके बारे में हम कह सकते हैं, उनके पास अहादीस़ का एक मज्मूआ था। यही वो लोग हैं जिन्हें ख़ुलफ़ा अलग-अलग इलाक़ों की तरफ़ दाई और मुअल्लिम की हैसियत से भेजते थे। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को इराक़ भेजा और हज़रत अबू दरदा को शाम। फिर सहाबा किराम (रज़ि.) का इल्म उनके ताबेईन तलामिज़े में बट गया। इसलिये उलमा को ज़रूरत पेश आई कि वो सुन्नते नबवी के इल्म की तक्मील के लिये हामिलीने हदीस़ के सीनों से उसको हासिल करें। मुसलमानों ने इस सिलसिले में बुलंद मिस़ालें छोड़ी हैं और इस सिलसिले में इस हद तक पहुँचे हैं जहाँ

तक पहुँचना बहुत नायाब है यहाँ तक कि उन्होंने एक हदीस़ की ख़ातिर (महीनों का) सफ़र किया।

2. हदीस़ के सिलसिले में वसूक़ हासिल करना : हदीस़ के बारे में वसूक़ हासिल करने की सूरत ये है कि एक मुहद्दिस़ बहुत सी अहादीस़ बयान करता है, वो दौराने सफ़र उनमें से कुछ अहादीस़ ऐसी असानीद से सुन लेता है जो किसी जगह उसकी सनद से जा मिलती हैं और उन अहादीस़ के अल्फ़ाज़ या मानी बराबर होते हैं या और अहादीस़ सुन लेता है जो उसकी बयान करदा अहादीस़ के हममआनी होती हैं। इससे मुहद्दिस़ को इत्मीनान हासिल हो जाता है और हदीस़ क़वी हो जाती है। अगर उसमें पहले ज़ौफ़ (कमज़ोरी) हो उससे वो क़ाबिले हुज्जत ठहरती है और अगर पहले ही सहीह हो तो उसकी सेहत में इज़ाफ़ा हो जाता है जैसाकि रिवायात और असानीद के ततब्बोअ (तलाश व जुस्तजू) से कई बार वो ख़लल नुमायाँ हो जाता है जिससे वो हदीस़ ज़ईफ़ ठहरती है जिसे वो पहले सहीह ख़्याल करता था। इसी मक़सद की ख़ातिर हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने मदीना से मिस्र का सफ़र इख़्तियार किया ताकि इस हदीस़ के सिलसिले में उन्हें वसूक़ हासिल हो जाये। जो उन्होंने नबी (ﷺ) से सुनी थी और अब उसके सुनने वालों में से उनके और हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) के सिवा कोई ज़िन्दा नहीं रहा था।

3. आली सनद की ख़ातिर सफ़र : उलू सनद का मानी है कि हदीस़ की सनद के मुत्तसिल होने के साथ वास्तों की तादाद कम होना। उलू सनद की सूरत ये है एक मुहद्दिस़ एक रावी से हदीस़ सुनता है जबकि उस रावी का उस्ताद मौजूद होता है तो वो उसके उस्ताद के पास जाकर उससे बराहे रास्त वो हदीस़ सुन लेता है, इस तरह रिवायत नक़ल करने वाली सनद के वास्ते कम हो जाते हैं। उलू सनद का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे सनद में ख़लल का शुब्हा कम हो जाता है। जब वास्ते कम होंगे तो कोताही के इश्कालात भी कम हो जायेंगे और उलू सनद हदीस़ की कुव्वत का सबब होगा, इसी बिना पर मुहद्दिसीन ने उलू सनद पर बहुत तवज्जह की। इसमें तस्नीफ़ात लिखीं और इसकी तहसील के लिये बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं, यहाँ तक कि उलू सनद की ख़ातिर दूर-दराज़ के इलाक़ों का सफ़र किया। उनमें से कोई अगर अपने ही ज़माने के मुहद्दिस़ की रिवायत बिल्वास्ता सुनता तो उससे बराहे रास्त सुनने की ख़ातिर उसकी तरफ़ सफ़र करता।

हाफ़िज़ अबुल फ़ज़ल मक्दिसी का क़ौल है, अहले नक़ल का उलू सनद की तलब और तारीफ़ पर इत्तिफ़ाक़ है क्योंकि अगर वो सनद नाज़िल पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं तो उनमें से किसी को सफ़र की ज़रूरत पेश न आती। (वो सफ़र न करता)। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) का क़ौल है, सनदे आली की जुस्तजू सलफ़ का तरीक़ा है।

इमाम यहया बिन मईन (रह.) से उनकी बीमारी के दौरान पूछा गया, आपकी ख़्वाहिश क्या है? कहा, ख़ाली घर और आली सनद।

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से पूछा गया, क्या तलबे इल्म की ख़ातिर सफ़र किया जाये? तो जवाब दिया, ज़रूर! अल्लाह की क़सम बहुत ज़रूरी है। हज़रत अल्क़मा और अस्वद (रज़ि.) को हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीस़ पहुँचती तो वो उस वक़्त तक मुत्मइन नहीं होते थे जब तक सफ़र करके हज़रत उमर (रज़ि.) से बराहे रास्त सुन न लेते।

अबुल आलिया का क़ौल है, हम बसरा में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों की रिवायत सुनते तो हम उस वक़्त तक मुत्मइन न होते जब तक मदीना का सफ़र करके उनके मुँहों से सुन न लेते।

इमाम ख़तीब की किताब '**अर्रहला**' में इस सिलसिले में बेशुमार क़ौल नक़ल किये गये हैं।

4. रावियों के हालात की खोज-कुरैद : रावी का हदीस़ इसी तरह बयान करना जिस तरह उसने सुनी है, ये मअरिफ़त (पहचान) वो मक़सद है जिस पर उस इल्म की बुनियाद है। उसकी ख़ातिर तमाम कोशिशें सर्फ़ की गई हैं और जाँच परख के क़वाइद वज़अ किये गये हैं। इसलिये रावियों के हालात और वाक़ियात का इस्तीआब ज़रूरी था कि क़ाबिले कुबूल को क़ाबिले रद्द से मुम्ताज़ किया जा सके। हम अपनी किताब '**मन्हजुन्नक़द**' लिख चुके हैं। अगर फ़न्ने हदीस़ के नाक़िदीन अइम्मा ने, रावियों की अदालत और उनके हिफ़्ज़ की जाँच-पड़ताल में कोशिश सर्फ़ न की होती और उन्होंने बेदारी से काम लेते हुए इसकी ख़ातिर सफ़र की मुश्किलें बर्दाश्त न की होतीं और फिर लोगों को झूठों, ज़ईफ़ों से इख़्तिलात के शिकारों से होशियार न किया होता तो इस्लाम का मामला मुश्तबा ठहरता, बेदीन ग़ालिब आ जाते और झूठे निकल खड़े होते।

रावियों के सिलसिले में बहस की अहमियत के लिये वो बहुत से उलूम ही बतौरे दलील काफ़ी हैं जिनमें रावियों के हर पहलू की तफ़्तीश की गई है। जो बुनियादी तौर पर तीस उलूम तक पहुँचते हैं।

अहमद बिन मन्सूर अर्रमादी बयान करते हैं, मैं इमाम अहमद और यहया के साथ बतौरे ख़ादिम इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। तो जब हम वापस कूफ़ा पहुँच गये। यहया बिन मईन (रह.) कहने लगे, मैं नुऐम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। तो इमाम अहमद ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं सिक़ह आदमी है। इमाम यहया ने कहा, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। सो एक काग़ज़ लेकर उस पर तीस अहादीस़ लिखी और हर दसवीं हदीस़ के बाद एक ऐसी हदीस़ लिख दी, जो अबू नुऐम की रिवायत करदा न थी। फिर वो तीनों अबू नुऐम के पास आ गये। वो (घर से) बाहर निकल कर मिट्टी के एक चबूतरे पर बैठ गये। इमाम अहमद को पकड़ कर अपने दायें और यहया को अपने बायें बिठा लिया और मैं चबूतरे के नीचे बैठ गया। इमाम यहया ने (काग़ज़ वाला) कोर निकाला। उसको दस अहादीस़ सुनाईं, ग्यारहवीं हदीस़ पढ़ी, अबू नुऐम ने कहा, ये मेरी हदीस़ नहीं है। इसको क़ल्मज़द कर दो। फिर उसने दूसरी दस अहादीस़ पढ़ीं और अबू नुऐम ख़ामोश रहे। फिर दूसरी इज़ाफ़ा करदा हदीस़ पढ़ी, तो अबू नुऐम ने

कहा, ये मेरी हदीस़ नहीं। इस पर लकीर खींच दो। फिर तीसरी दस अहादीस़ पढ़ीं। फिर तीसरी ज़ाइद हदीस़ पढ़ी, तो अबू नुऐम का रंग बदल गया और आँखें पलट गईं। फिर यहया की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और कहा, ये अहमद का बाज़ू उसके हाथ में था। इस क़िस्म की हरकत करने से ज़्यादा परहेज़गार है और ये यानी अर्रमादी वो ये हरकत करने से क़ासिर है, लेकिन ये काम तेरा है तूने ही किया है और अपना पाँव निकालकर यहाँ को लात रसीद करके चबूतरे से गिरा दिया ओर उठकर अपने घर चले गये। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने यहया से कहा, क्या मैंने तुझे रोका नहीं था और ये नहीं कहा था वो सि़क़ह है। यहया ने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! उसका लात रसीद करना मुझे मेरे सफ़र से भी ज़्यादा महबूब है। (सियरु अ़ालामिन्नुबला : 10/148-189)

5. अहादीस़ पर नक़द और उनकी पोशीदा कमज़ोरी जानने के लिये उ़लमा का मुज़ाकरा करना, ये एक बुलंद मक़ामे फ़न है जो दिक़्क़ते नज़र, असानीद और रिवायात के इस्तिक़सा का मोहताज है। उ़लमा का क़ौल है, इसमें तअ़म्मुक़ और इल्मी मलके का हुसूल इस फ़न के माहिर नुक़्क़ाद की हमनशीनी और मुज़ाकरे के बग़ैर पूरा नहीं हो सकता। इमाम ख़तीब बग़दादी अपनी किताब **'अल्किफ़ाया'** में लिखते हैं, अगर मुत्तसिल और मुरसल का हुक्म बराबर होता तो अहादीस़ लिखने वाले सफ़र न करते और दूर-दराज़ के इलाक़ों के सफ़र की मशक़्क़तें बर्दाश्त न करते ताकि तमाम इलाक़ों के उ़लमा से मुलाक़ात की जाये और उनसे सिमाअ़ किया जाये। (अल्किफ़ाया : 402)

सुफ़ियान बिन उ़यय्ना मक्का में थे और अ़ली बिन अल्मदीनी (रह.) मुज़ाकरे के लिये सफ़र करके इराक़ से उनके यहाँ आये। इब्ने उयय्ना कहते हैं, लोग मुझे अ़ली बिन अल्मदीनी (रह.) से मुहब्बत करने पर मलामत करते हैं। अल्लाह की क़सम! जिस क़द्र मैं उससे सीखता हूँ वो उससे ज़्यादा है जो वो मुझसे सीखता है। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ : 2/428)

यहया अल्क़त्तान का क़ौल है, मैं अ़ली से उससे ज़्यादा सीखता हूँ जो वो मुझसे सीखता है। (सियरु अ़ालामिन्नुबला : 11/45)

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) रात को सौ से ज़्यादा नफ़ल पढ़ते तो जब यहया बिन मईन (रह.) मुलाक़ात के लिये उनके यहाँ आये बहुत कम नवाफ़िल पर इक्तिफ़ा कर लेते और मुज़ाकरे के लिये यहया के साथ बैठ जाते। इस सिलसिले में उनके बेटे ने उनसे अ़र्ज़ की, तो जवाब दिया, ऐ प्यारे बेटे! जो नफ़ल रह गये हैं उनको हासिल किया जा सकता है लेकिन इस नौजवान से जो इल्म हासिल न हो सका वो हासिल नहीं किया जा सकेगा। सफ़र के बेहतरीन नतीजों में से वो अफ़ादियत हैं जो इमाम तिर्मिज़ी ने इललें हदीस़ के सिलसिले में इमाम बुख़ारी (रह.) से नक़ल किये हैं। उनकी किताब **'अल्इललुल कबीर'** इसका सादिक़ शाहिद है क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी ने किताब की अक्स़र अहादीस़ में इमाम बुख़ारी (रह.) के बकस़रत क़ौल नक़ल किये हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने अपनी किताब जामेअ के आख़िर में इन बहसों में इमाम बुख़ारी (रह.) से इस्तिफ़ादे की तसरीह की है। फ़रमाते हैं, इस जामेअ में, अहादीस़ की इलल, रिजाल और तारीख़ के बारे में जो कुछ है वो मैंने तारीख़ की किताबों से निकाला है और उसका अक्सर हिस्सा मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल से इल्मी मुबाहिसे से हासिल किया है।

हदीस़ के मुतलाशियों ने इस मैदान में बुलंद तरीन हिस्सा हासिल किया है। तारीख़ में किसी ऐसे इंसान की मिस़ाल नहीं मिलती जिसने उनकी तरह सफ़र किया हो। इस मैदान में इमाम मुस्लिम (रह.) को वाफ़िर हिस्सा मिला है। उनके सिमाअ का आग़ाज़ 218 हिजरी में यहया बिन यहया तमीमी से हुआ। उन्होंने 220 हिजरी में हज किया। जबकि वो अभी अमरद (बेरीश) थे। (दाढ़ी मुँछ नहीं आई थी) मक्का मुकर्रमा में इमाम क़अनबी से सुना जो उनके सबसे बड़े उस्ताद हैं। कूफ़ा में अहमद बिन यूनुस और एक जमाअत से सुना फिर जल्द अपने वतन लौट आये। फिर कुछ साल के बाद 230 हिजरी से पहले सफ़र पर निकले और अली बिन अल्जअद से बहुत कुछ सीखा। लेकिन अपनी सहीह में से उससे कोई रिवायात बयान नहीं की। इराक़, हरमैन (मक्का मदीना) और मिस्र में (अलग-अलग उलमा से) सुना।

अलग-अलग इलाक़ों में सिमाअ की तफ़्सील :

1. दमिश्क़ : दमिश्क़ में मुहम्मद बिन ख़ालिद सकसकी से सिमाअ किया और उससे वलीद बिन मुस्लिम की अहादीस़ लिखीं। (तारीख़े दमिश्क़ : 5/88)

अबू नसर बिन मुहम्मद यूनारती बयान करते हैं मुझे सालेह बिन अबी सालेह ने दरख़्त की छाल का एक वरक़ दिया जो मुस्लिम बिन हज्जाज का लिखा हुआ था। उसमें दमिश्क़ में वलीद बिन मुस्लिम की अहादीस़ लिखी थीं।

कुछ उलमा ने उनकी दमिश्क़ में आमद का इंकार किया है। इमाम ज़हबी (रह.) कहते हैं, हाफ़िज़ अबुल क़ासिम बिन असाकिर ने अपनी तारीख़ में इमाम मुस्लिम का इस बुनियाद पर तज़्किरा किया है कि उसने सिर्फ़ मुहम्मद बिन ख़ालिद सकसकी से सिमाअ किया है। ज़ाहिर बात है कि इमाम मुस्लिम (रह.) की उससे मुलाक़ात मौसमे हज में हुई है, ये मुम्किन नहीं है वो दमिश्क़ जायें और सिर्फ़ एक उस्ताद से सिमाअ करें। वल्लाहु आलम! (सियरु आलामिन्नुबला : 12/562)

2. बग़दाद : बग़दाद कई बार आये और वहाँ अहादीस़ बयान कीं और वहाँ के बाशिन्दों, यहया बिन साइद, मुहम्मद बिन मुख़्लिद ने उनसे रिवायात बयान कीं और बक़ौले इब्ने ख़ैरून उनकी बग़दाद में आख़िरी बार आमद 259 हिजरी में थी। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/88)

3. ख़ुरासान : ख़ुरासान में कुतैबा बिन सईद, यहया बिन यहया, इस्हाक़ बिन राहवे और बिश्र बिन अल्हकम से सुना। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/85)

सिक़ा और हाफ़िज़ अबुल फ़ज़ल अहमद बिन सलमा नीशापूरी, कुतैबा बिन सईद की तरफ़ सफ़र और बसरा के दूसरी बार सफ़र में उनके रफ़ीक़ थे और शुयूख़ से अपनी मुन्तख़ब अहादीस़ लिखीं और इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह मुस्लिम उसकी ख़ातिर लिखी। (तारीख़े बग़दाद : 4/186)

4. अलरी : रै (जगह का नाम) में मुहम्मद बिन मेहरान अल्जमाल, इब्राहीम बिन मूसा अल फ़र्रा और अबू ग़स्सान मुहम्मद बिन अ़मर व ज़ुनैजा से सिमाअ़ किया। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/85)

5. इराक़ : इराक़ में अहमद बिन हम्बल, अल्क़वारी, ख़लफ़ बिन हिशाम, अ़ब्दुल्लाह बिन औ़नुल ख़िज़ार, सुरैज बिन यूनुस, सईद बिन मुहम्मद अलहरमी, अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़नबी, अबू रबीअ़ ज़हरानी, अ़म्र बिन हफ़्स बिन ग़यास़, अबू ग़स्सान मालिक बिन इस्माईल और अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन यूनुस से सुना। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/85)

6. अल्हिजाज : हिजाज़ में इब्ने अबी उवैस, अबू मुस्अ़ब ज़हरानी, सईद बिन मन्सूर, अबू अ़मर मुहम्मद बिन यहया और अ़ब्दुल जब्बार बिन अल्अ़ला से सुना। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/85)

7. मिस्र : मिस्र में मुहम्मद बिन असह, ईसा बिन हम्माद, अ़म्र बिन सुवाद, हरमला बिन यहया, हारून बिन सईद ऐली और मुहम्मद बिन सलमा मुरादी वग़ैरह से सुना। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/85)

तलबे इल्म का हौसला :

हौसला एक क़ल्बी अ़मल है और दिल पर सिर्फ़ साहिबे दिल ही का क़ब्ज़ा होता है। जिस तरह परिन्दा अपने परों से उड़ता है, उसी तरह इंसान अपने हौसले से उठता है और वो उसे बुलंद आफ़ाक़ तक परवाज़ कराता है। उन बेड़ियों से आज़ाद होकर जो जिस्मों को जकड़ती हैं। कुछ उ़लमा का क़ौल है साहिबे हौसला अगर गिरता है तो उसका नफ़्स उसे बुलंदी की तरफ़ ले जाता है जिस तरह आग का शौला उसको अगर इंसान नीचा करता है तो वो बुलंदी की तरफ़ उठता है। (उयूनुल अख़्यार : 3/231)

हौसले से चोटी सर करना :

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) लिखते हैं, साल एक दरख़्त है, महीने जिसकी शाख़ें, दिन जिसकी टहनियाँ और वक़्त जिसके पत्ते और अन्फ़ास (साँस) जिसका फल हैं। तो जिसके साँस इताअ़त में गुज़रे, उसके दरख़्त का फल उ़म्दा (पाकीज़ा) है और जिसके साँस बदी में गुज़रे उसका फल कड़वा है और फिर फल क़यामत को तोड़े जायेंगे। जब तोड़े जायेंगे तो फिर मीठा और कड़वा फल अलग-अलग हो जायेंगे। इख़्लास और तौहीद दिल में लगा एक दरख़्त है। जिसकी शाख़ें आ़माल हैं और उसका फल दुनियावी ज़िन्दगी की पाकीज़गी है और ख़ुशगवारी है और आख़िरत में हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। जिस तरह आख़िरत के फल न ख़त्म होंगे और न रोके जायेंगे, तौहीद और इख़्लास के फल की यही सूरत

दुनिया में है शिर्क, झूठ और रिया दिल में लगा एक पौधा है जिसका फल दुनिया में शक़ावत, ख़ौफ़, फ़िक्र, घुटन, सीने की तंगी और दिल के अन्धेरे हैं और उसका आख़िरत में फल थोड़ा और दुख हमेशा है। जब इंसान बालिग़ हो जाता है तो उसके सुपुर्द उसका वो वादा किया जाता है जिसकी उसे उसके ख़ालिक़ और मालिक ने उसे ताकीद की है। जब वो अपना वादा, कुव्वत, कुबूलियत और उसमें जो कुछ है उसकी तन्फ़ीज़ के अ़ज़्म के साथ ले लेता है तो उसके अंदर उन मरातिब और मनासिब की सलाहियत पैदा हो जाती है। जिनकी अहलियत उन लोगों में पैदा होती है जो अपने वादों को पूरा करते हैं। तो जब उसका नफ़्स वादा कुबूल करते वक़्त ख़ुशी महसूस करता है और उसका क़सद करता है और कहता है, मैं अपने रब के वादे का अहल हूँ तो मुझसे बढ़कर कौन उसके कुबूल करने और उसको समझने और उसकी तन्फ़ीज़ का हक़दार है इसलिये वो पहले अपने वादे के समझने, उस पर ग़ौर करने और अपने आक़ा की हिदायात को जानने का ख़्वाहिशमन्द होता है। फिर वो अपने आपको, उस वादे में जो कुछ है उसके इम्तिसाल (उसकी फ़रमांबरदारी) उस पर अ़मल और अपने वादे के बशमूलात की तन्फ़ीज़ का आ़दी बनाता है और अपने दिल से वादे की और उसके मशमूलात की हक़ीक़त की बसीरत हासिल कर लेता है। फिर नई हिम्मत और इस अ़ज्मियत के सिवा अ़ज़्मियत पैदा करता है जो बचपन में वादे के पहुँचने से पहले थी। फिर वो बचपन की सादा लौही (फ़ुक़्दान) की तारीकी में आ़दत और तबीअ़त की इताअ़त से होश में आता है और बुलंद हिम्मती पर जम जाता है और ज़ुल्मत के पर्दे को चाक करके, यक़ीन की रोशनी तक पहुँचता है। फिर अपने सब्र के बक़द्र और दुरुस्त इज्तिहाद (मेहनत व कोशिश) से अल्लाह तआ़ला के इनायत किये हुए फ़ज़ल को पा लेता है। उसकी सआ़दत का पहला दर्जा ये है कि उसका कान याद रखे और उसका दिल कान की याद्दाशत को समझे जब वो सुन और समझ ले और उस पर रास्ता वाज़ेह हो जाये और उस पर सहीह निशानात को देख ले और लोगों की अक्सरियत को देखे वो सहीह राह से दायें-बायें फिर रहे हैं तो वो सीधी राह की पाबंदी करे और उन इन्हिराफ़ करने वालों के साथ मुन्हरिफ़ न हो जिनके इन्हिराफ़ का सबब वादा कुबूल न करना है या उसे कराहत के साथ कुबूल करना है और उसे कुव्वत व अ़ज्मियत के साथ न लेना है उन्होंने अपने नुफ़ूस में उसके समझने, उस पर ग़ौर करने, उसके मशमूलात पर अ़मलपैरा होने और उसकी नसीहतों की तन्फ़ीज़ की तहरीक पैदा नहीं की। बल्कि उन पर उनका वादा इस तरह पेश किया गया कि उनमें बचपन की दरिन्दगी और आ़दत की पैरवी और माँ-बाप के तरीक़े की इक़्तिदा मौजूद थी। उन्होंने वादे को उस इंसान की तरह लिया है जो अपने आबा व अज्दाद, गुज़िश्ता लोगों और उनकी आ़दात पर इक्तिफ़ा करता है। उस इंसान को काफ़ी ख़्याल नहीं करता जो पूरी दिलजम्ई और हिम्मत से वादे को समझता है और उस पर अ़मलपैरा होता है, गोया कि वो ये समझता है ये वादा सिर्फ़ उस अकेले के पास आया है और उसे कहा गया है, उसमें जो कुछ है उस पर ग़ौर कर फिर उसके तक़ाज़ों के मुताबिक़ अ़मल करो, तो जब वो

अपने अहद को इस अन्दाज़ से नहीं लेता तो वो अपने रिश्तेदारों की चाल और अपने अहल, साथियों, पड़ौसियों और इलाक़े के लोगों की हमेशा वाली आदम है उसकी तरफ़ झुकता है। अगर उसकी हिम्मत बुलंद होती है तो वो अपने सलफ़र और मुतक़द्दिमीन की तरफ़ माइल होता है और अपने वादे और उसके फ़हम की तरफ़ इल्तिफ़ात नहीं करता, अपने लिये आदत के रवैये को रवैया बना लेता है। तो जब शैतान उसका अन्दाज़ा लगा लेता है और उसकी इस हिम्मत और अज़्मियत के मुन्तहा को देख लेता है उसमें आबा और सलफ़ी की अस्बियत और हमियत उजागर करता है और उसके लिये इस बात को आरास्ता करता है कि हक़ यही है। इसके सिवा जो कुछ है बातिल है और उसके लिये हिदायत को गुमराही की तस्वीर में पेश करता है और गुमराही को हिदायत की शक्ल देता है। इस अस्बियत और हमियत की बुनियाद पर जो इल्म पर मबनी नहीं है, उसकी रज़ा यही होती है कि वो अपने क़बीले और क़ौम के साथ रहे, उसे वही हासिल हो तो उन्हें हासिल हुआ और उस पर वही पड़े जो उन पर पड़े, तो राहे हिदायत से महरूम हो जाता है और अल्लाह तआला उसे उधर जाने देता है जिसका वो रुख़ करता है अगर उसके पास मुकम्मल हिदायत अपनी क़ौम और ख़ानदान के मुख़ालिफ़ आये तो वो उसे ज़लालत ख़्याल करता है और अगर उसका हौसला उससे बुलंद हो और उसका नफ़्स ऊपर उठे और उसका मर्तबा उससे बुलंद हो तो वो अपने वादे को याद रखने, उसको समझने और उस पर ग़ौर करने की तरफ़ मुतवज्जह होता है और वो जान लेता है कि साहिबे वादे की हैसियत दूसरों की तरह नहीं होती, तो उसका नफ़्स सिर्फ़ वादे की मअरिफ़त की बिना पर अल्लाह तआला की मअरिफ़त हासिल कर लेता है। उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात उसके कामों और उसके अहकाम की पहचान कर लेता है और वादे ही से वो उस ज़ात को जान लेता है जो ख़ुद क़ायम है और दूसरों के क़ायम रखे हुए है वो हर मासिवा से बेनियाज़ है और उसके सिवा हर चीज़ उसकी मोहताज है, वो अपनी तमाम मख़्लूक़ात से ऊपर अपने अर्श पर मुस्तवी है, देखता है, सुनता है, पसंद करता है, नाराज़ होता है, मुहब्बत करता है और ग़ुस्सा होता है और अपने अर्श के ऊपर रहते हुए अपनी मम्लिकत का इन्तिज़ाम करता है। बातचीत करता है, हुक्म देता है, रोकता है, अपनी मम्लिकत के आस-पास में अपनी उस कलाम से जिसे वो अपनी मख़्लूक़ात में से जिसे चाहता है सुना देता है अपने रसूल भेजता है, वो अद्ल को क़ायम किये हुए है, नेकी और बदी का बदला देता है, बुर्दबार, बहुत बख़्शने वाला, क़द्र दान, बहुत सख़ी और ख़ूबकार हर सिफ़ते कमाल से मुत्तसिफ़ है, हर ऐब और नुक़्स से पाक है और उसका कोई मसील नहीं है और इंसान अल्लाह तआला की अपनी मम्लिकत में तदबीर की हिक्मत और इस बात का मुशाहिदा कर लेता है कि वो तक़ादीर किस तरह तय करता है जो उसके अद्ल और हिक्मत के मनाफ़ी नहीं है और उसके नज़दीक अक़्ल, शरीअत और फ़ितरत में तआवुन पाया जाता है और उनमें हर एक अपने दोनों साथियों की तस्दीक़ करती है और वो अल्लाह की तरफ़ से उसके उन नामों की हक़ीक़त को जिनसे उसने अपने आपको अपनी नाज़िल की हुई

किताब में मुत्तसिफ़ फ़रमाया है, समझ लेता है वही नाम लेता है, उनको साबित और बयान करता है और उन्ही से अपने बन्दों के यहाँ अपनी पहचान करवाता है, यहाँ तक कि इंसानी अक़्लें उनका इक़रार कर लेती हैं और इंसानी फ़ितरत उनकी गवाही देती है, तो जब इंसान अपने दिल से पहचान लेता है और साहिबे वादे की सिफ़ात का यक़ीन कर लेता है और उन सिफ़ात के अनवार उसके दिल पर रोशन हो जाते हैं गोया कि वो उनका मुशाहिदा कर रहा है तब वो देखता है कि उन सिफ़ात का तख़्लीक़ व हुक्म से ताल्लुक़ है और उनसे रब्त है और उनके असरात रूहानी आलम और महसूसे आलम में सिरायत किये हुए हैं और वो देखता है कि मख़्लूक़ात में उनका तसर्रुफ़ है किस तरह उसमें ख़ास व आम से क़रीबी और दूरी है और इनायत करना और महरूम करना है, फिर वो अपने दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अद्ल व इंसाफ़ और उसके फ़ज़्ल व रहमत का मुशाहिदा क़र लेता है और उसमें इस बात पर ईमान जमा हो जाता है कि उसकी हुज्जत साबित है और उसके साथ-साथ उसके फ़ैसले नाफ़िज़ हैं , उसकी क़ुदरत उसके कमाल अद्ल व हिक्मत के साथ कामिला है और वो अपनी तमाम मख़्लूक़ात पर इन्तिहाई बुलंद है और उसके साथ उसका इहाता, मईयत, अज़मत, जलालत, किब्रियाई, उसकी रहमत व एहसान, लुत्फ़ व जूद और अफ़्व व तहम्मुल के साथ पकड़ और इन्तिक़ाम को तस्लीम करता है और वो देखता है सिफ़ात किस तरह एक-दूसरे के साथ और मुवाफ़िक़ हैं और एक-दूसरे के बारे में गवाह हैं और किस तरह हिक्मत जो आख़िर में और इन्तिहा है उन तक़ादीर पर जो आग़ाज़ और शुरूआत हैं साया फ़गन है, शाख़ें अपनी जड़ों और मबादी अपने मक़ासिद की तरफ़ लौटते हैं। यहाँ तक कि वो हिक्मत के मबादी का और क़ज़ाया की हिक्मत, अद्ल, मस्लिहत, रहमत और एहसान के मुवाफ़िक़ बुनियाद रखने का मुशाहिदा कर लेता है, कोई फ़ैसला कायनात के इख़्तिताम और लोगों के दरम्यान फ़ैसले के दिन, अहकाम के फ़ैसले तक उससे बाहर नहीं , जिस दिन उसका अद्ल, हिक्मत, उसके रसूलों की सदाक़त और उन्होंने उसके बारे में जो ख़बरें दी हैं, तमाम मख़्लूक़, इंसान हों या जिन्न, मोमिन हों या काफ़िर, के सामने ज़ाहिर हो जायेंगी, तब लोगों के सामने उसकी दो सिफ़ात जलाल और नअवते कमाल खुल जायेंगी जिनको वो उससे पहले नहीं जानते थे यहाँ तक कि दुनिया में तमाम मख़्लूक़ से बढ़कर उसको जानने वाला (आख़िरी रसूल) उस दिन उसकी उन सिफ़ाते कमाल और सिफ़ाते जलाल से तारीफ़ करेगा जिनको वो दुनिया में अच्छी तरह नहीं जानता था जिस तरह मख़्लूक़ के सामने ये चीज़ें वाज़ेह हो जायेंगी। उसी तरह वो अस्बाब ज़ाहिर जायेंगे जिनकी वजह से कज होने वाले कज हुए, गुमराह होने वाले गुमराह हुए और अलग होने वाले अलग हुए, उस दिन दुनिया और आख़िरत के इल्म का फ़र्क़ असमा और सिफ़ात के हक़ाइक़ की रोशनी में नुमायाँ हो जायेगा, जिस तरह जन्नत और दोज़ख़ के इल्म और मुशाहिदे में फ़र्क़ है बल्कि उससे भी ज़्यादा, उस वक़्त इंसान समझ जायेगा किस तरह अल्लाह तआला के असमा और सिफ़ात ने नुबूवत और शराए के पाये जाने का और उसका तक़ाज़ा किया कि इंसानों को

शुत्र बेमहार न छोड़ा जाये और किस तरह अवामिर व नवाही का तक़ाज़ा किया और किस तरह सवाब व इक़ाब और मआद (आख़िरत) का तक़ाज़ किया और ये हमारे उमूर उसके असमा और सिफ़ात का तक़ाज़ा हैं। इस सिलसिले में उसके दुश्मन काफ़िर जो गुमान करते हैं वो उससे पाक है। इंसान देख लेगा, उसकी क़ुदरत और इहाता तमाम कायनात को शामिल है। यहाँ तक कि इस सिलसिले में ज़र्रा बराबर कोई चीज़ बाहर नहीं और वो देख लेगा अगर उसके साथ और इलाह (माबूद) होता तो ये जहाँ बर्बाद हो जाता। आसमान-ज़मीन और उनकी मख़्लूक़ात तबाह हो जातीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अगर नींद या मौत तारी हो सकती तो ये सारा जहाँ वीरान हो जाता और आँख झपकने के बक़द्र क़ायम न रहता और वो देख लेगा ये इस्लाम और ईमान जिनके तमाम लोग पाबंद हैं वो सिफ़ाते मुक़द्दसा, पाकीज़ा सिफ़ात से किस तरह उभरते हैं और वो किस तरह फ़ौरी और ताख़ीर से सवाब व इक़ाब का तक़ाज़ा करते हैं और उसके साथ वो ये भी देख लेगा कि उसका अहदे बन्दगी का क़ुबूल करना सहीह नहीं है जो सिफ़ात का मुन्कर है और उसके मख़्लूक़ात पर बुलंद होने का मुन्किर है और उसके अपनी किताबों और अहद की सूरत में बोलने का मुन्किर है। जिस तरह ये अहद वो इंसान क़ुबूल नहीं कर सकता जो उसकी समाअत, बसारत, ज़िन्दगी और इरादा और क़ुव्वत की हक़ीक़त का मुन्किर है और वो देख लेगा यही लोग हैं जिन्होंने उसके अहद को रद्द किया, उसके क़ुबूल करने से इंकार किया और उनमें से जिसने उसे क़ुबूल किया, मुकम्मल तौर पर क़ुबूल नहीं किया, तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ़ है। (मदारिजुस्सालिकीन : 166, मुझे ये इबारत मदारिजुस्सालिकीन में नहीं मिल सकी, इसलिये मुक़ाबला नहीं हो सका।)

(बुलंद हिम्मती) हयाते कामिला का नतीजा है :

इमाम साहब मज़ीद लिखते हैं, इरादा और जुस्तजू में कमज़ोरी, दिल की ज़िन्दगी की कमज़ोरी की वजह से है। दिल की ज़िन्दगी जिस क़द्र कामिल होगी उसकी हिम्मत और तलब उसी क़द्र बुलंद होगी और मुहब्बत क़वी और मज़बूत होगी क्योंकि इरादा और मुहब्बत (मगन) महबूब मक़सूद के शऊर और दिल के उन आफ़ात से महफ़ूज़ होने के ताबेअ है जो मक़सद और उसके तलब और इरादे के दरम्यान हाइल होती हैं इसलिये तलब की कमज़ोरी और हिम्मत की सुस्ती या तो शऊर व एहसास के नाक़िस होने या ज़िन्दगी को कमज़ोर करने वाली आफ़त की वजह है, इसलिये शऊर का क़वी होना और क़ुव्वते इरादा, ज़िन्दगी के क़वी होने की दलील हैं और इन दोनों की कमज़ोरी, ज़िन्दगी की कमज़ोरी की दलील है और जिस तरह बुलंद हिम्मती, इरादा और तलब की सदाक़त, ज़िन्दगी के कमाल के बाइस है, उसी तरह ये चीज़ें कामिलतर और पाकीज़ातर ज़िन्दगी के हुसूल का बाइस हैं क्योंकि पाकीज़ा ज़िन्दगी बुलंद हिम्मत सच्ची मुहब्बत और ख़ालिस इरादे से ही पाई जा सकती है, उन्हीं के बक़द्र ज़िन्दगी पाकीज़ा होगी।

हसीनतरीन (निकम्मी) ज़िन्दगी उसकी है जिसकी हिम्मत इन्तिहाई निकम्मी है और उसकी मुहब्बत और तलब कमज़ोर तरीन है, उसकी ज़िन्दगी से तो हैवानों की ज़िन्दगी बेहतर है, किसी का शेअर है,

'ऐ फ़रेब ख़ूरदा! तेरा दिन भूल व ग़फ़लत का नाम है और तेरी रात नींद है और हलाकत तेरे लिये लाज़िम है।'

'तू ऐसी चीज़ों के लिये अंथक कोशिश करता है कि कुछ अरसे बाद जिसके अन्जाम का इंकार करेगा। दुनिया में हैवानात इसी तरह ज़िन्दगी गुज़ारते हैं।'

'फ़ना पज़ीर चीज़ों पर तू ख़ुश होता है और आरज़ूओं से फ़रहत पाता है, जिस तरह ख़्वाब देखने वाला नींद में लज़्ज़तों से धोखा खा जाता है।'

मक़सद ये है दिल की ज़िन्दगी का मदार इल्म, इरादे और हिम्मत पर है। लोग जब किसी इंसान में ये चीज़ें देख लेते हैं कहते हैं, उसका दिल ज़िन्दा है और दिल की ज़िन्दगी हमेशा ज़िक्र और गुनाहों के छोड़ने से है। जैसाकि इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक का शेअर है,

'मैंने गुनाहों को दिलों को मारने वाला पाया है और उन पर दवाम ज़िल्लत पैदा करता है।'
'गुनाहों का छोड़ना दिलों की ज़िन्दगी है और तेरे हक़ में यही बेहतर है कि तू नफ़्स की नाफ़रमानी करे।'
'दीन को तो बस बादशाहों, बुरे उलमा और मशाइख़ ने ही तबाह किया है।'
'उन्होंने अपने नफ़्सों को बेच करके नफ़ा न कमाया और न सौदे में उनकी क़ीमत बुलंद महंगी हुई।'
'लोगों ने लाश को खाया, अक़्लमन्द के नज़दीक उसका नुक़सान होना वाज़ेह है।'

(मदारिजुस्सालिकीन : 3/263)

मर्दाने कार (कर्मठ लोग) ऐसे ही होना चाहिये :

इमाम मुस्लिम (रह.) बुलंद हिम्मत थे, जो उनके साथ बचपन से ही पाई गई उसने उन्हें तलबे इल्म, उसके लिये सफ़र और उसके हुसूल पर आमादा किया।

इस सिलसिले में क़ाबिले ज़िक्र अहमद बिंन सलमा का बयान है कि इमाम मुस्लिम (रह.) के लिये एक मजलिसे मुज़ाकरा मुन्अक़िद की गई और उनके सामने एक हदीस़ पेश की गई। वो घर लौट आये और चिराग़ रोशन कर लिया और घर वालों से कहा, तुममें से कोई मेरे पास न आये (ताकि हदीस़ की तलाश में ख़लल न पड़े) उन्हें बताया गया, हमें खजूरों की एक टोकरी तोहफ़े में दी गई है। फ़रमाया, उसे पेश करो। घर वालों ने उन्हें पेश कर दी। वो हदीस़ की तलाश के साथ एक-एक खजूर लेते रहे, सुबह हुई तो खजूरें ख़त्म हो चुकी थीं और उन्हें हदीस़ मिल गई थी। ये हिकायत इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम ने बयान की है। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/564, यही वाक़िया उनकी मौत का बाइस़ बना।)

जो इंसान उनकी हिम्मत और उनकी सहीह मुस्लिम में हौसलामन्दी पर ग़ौर करेगा वो इन्तिहाई हैरत से दोचार होगा, क्योंकि हदीस़ की मुख़्तलिफ़ सनदों और मुतून को जमा करने में बुलंद हिम्मती से काम लेते हैं। इस वजह से नीशापूर के कुछ उ़लमा ने उनकी किताब को सहीह बुख़ारी पर फ़ज़ीलत दी है और जब उन्होंने नमाज़ के औक़ात के सिलसिले में अपने आपको थका दिया, आराम तलबी के लिये यहया बिन यहया का क़ौल नक़ल कर दिया।

बाब मवाक़ीतुस्सलात के दौरान लिखते हैं, हमें यहया बिन यहया तमीमी ने अ़ब्दुल्लाह बिन यहया इब्ने अबी कस़ीर के वास्ते ख़बर दी। मैंने अपने बाप से सुना, **'इल्म बदनी राहत के साथ हासिल नहीं हो सकता।'** (सहीह मुस्लिम मिन्नतुल मुन्इम : 1/388, हदीस़ नम्बर : 1390-175 ये क़ौल यहया बिन अबी कस़ीर का है।)

इमाम नववी यहया बिन अबी कस़ीर के क़ौल **'इल्म बदनी राहत के साथ हासिल नहीं हो सकता।'** के बारे में लिखते हैं, अहले फ़ज़ल हमेशा ये सवाल करते हैं कि इमाम मुस्लिम (रह.) ने यहया का ये क़ौल क्यों नक़ल किया है हालांकि वो अपनी किताब में सिर्फ़ नबी (ﷺ) की अहादीस़ ही बयान करते हैं। और इस हिकायत का नमाज़ के औक़ात की अहादीस़ से कोई जोड़ नहीं है। तो क्यों वो उसे इन अहादीस़ के दरम्यान लाये हैं?

क़ाज़ी अ़याज़ (रह.) ने कुछ अइम्मा से नक़ल किया है कि उसका सबब ये है कि इमाम मुस्लिम (रह.) को अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र की हदीस़ की मुख़्तलिफ़ सनदों का बयान, उनके फ़ायदों की कस़रत, उनके मक़सदों की तल्ख़ीस और उनमें अहकाम के बहुत से फ़ायदे वग़ैरह चीज़ें बहुत अच्छी महसूस हुईं और हमारे इल्म की हद तक उनमें और कोई इमाम उनके साथ शरीक नहीं। तो जब उन्होंने उन चीज़ों पर नज़र डाली तो ये चाहा कि जो इंसान वो मर्तबा हासिल करना चाहता है जिससे इस क़िस्म का इल्म हासिल हो सकता है उसको आगाह करें कि उसका तरीक़ा ये है कि वो हमेशा हुसूले इल्म में मशग़ूल रहने का एहतिमाम करे और उसमें अपनी जान खपा दे। (मुस्लिम बशरह नववी : 5/113)

इमाम मुस्लिम (रह.) के शुयूख़ (उस्ताद) और शागिर्द :

इमाम मुस्लिम (रह.) ने तदवीन व तस्नीफ़ की ख़ातिर बहुत सफ़र किया। मश्रिक़ व मग़्रिब के तमाम शहरों में घूमे (अहादीस़ को) सुना, जमा किया, बयान किया और सुनाया।

शुयूख़ : इमाम मुस्लिम (रह.) के उस्ताद की तादाद बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि वो इन्तिहाई पुख़्ता हिम्मत के मालिक थे। जिसमें कमज़ोरी न थी। जैसाकि हम इल्म और उ़लमा की बहस़ के तहत बयान कर चुके हैं। वो तमाम इस्लामी ममालिक में घूमे थे।

तालिबे इल्म की ज़िन्दगी में उस्ताद की अहमियत :

शैख़ अबू बकर ज़ैद लिखते हैं, जो उसूल में रुसूख़ हासिल नहीं करता, वो इल्म तक पहुँचने से महरूम रहता है और जो एक ही वक़्त में सब इल्म हासिल करना चाहता है उसकी पकड़ से सारा इल्म निकल जाता है। (हिल्यतु तालिबिल इल्म, पेज नम्बर : 18)

एक मक़ूला है, 'एक ही वक़्त में बहुत सा इल्म सुनना, फ़हम को ख़राब करता है।'

इसलिये हर फ़न्न जिसके आप तालिब हैं, उसकी असास व बुनियाद मज़बूत हो जिसकी सूरत ये है किसी पुख़्ता उस्ताद के सामने, उसके असल और इख़्तिसार को ज़ब्त करें, अकेले ज़ाती तौर पर हासिल न करें और तदरीजन हासिल करें।

अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'और हमने कुरआन को थोड़ा-थोड़ा, जुज़्व-जुज़्व (पार्ट-पार्ट) करके उतारा है ताकि आप लोगों को ठहर-ठहर कर सुनायें और हमने इसे आहिस्ता-आहिस्ता (तदरीजन) उतारा है।'** (सूरह बनी इस्राईल : 106)

और फ़रमाने बारी तआला है, **'और काफ़िर कहते हैं कि इस पर क़ुरआन एक ही बार क्यों न उतारा गया, इस तरह (आहिस्ता-आहिस्ता) इसलिये उतारा गया है ताकि इससे आपके दिल को क़ायम रखें और हमने इसे ठहर-ठहर सुनाया है।'** (सूरह फ़ुरक़ान : 32)

और अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इसके पढ़ने का हक़ है, यही लोग इस पर ईमान लाने वाले हैं और जो लोग इसको नहीं मानते वही लोग ख़सारा पाने वाले हैं।'** (सूरह बक़रा : 121)

शैख़ अबू ज़ैद लिखते हैं, इल्म उस्ताद से सीखिये, तलबे इल्म के लिये असास (बुनियादी बात) ये है कि वो उस्ताद से बिल्मुशाफ़ा समझकर सीखा जाये और उस्ताद से बहस व मुबाहिसा हो, जानकारों की ज़बान से हासिल किया जाये न कि रिसालों और किताबों के अंदर से, उस्ताद से इल्म सीखना, एक साहिबे नसब का एक बोलने वाले साहिबे नसब से सीखना है और दूसरी सूरत में किताब से लेना है जो जामिद चीज़ है। उसका नसब व रिश्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

एक क़ौल ये भी है, जो तलबे इल्म में उस्ताद के बग़ैर दाख़िल होता है वो इल्म से ख़ाली निकलता है क्योंकि इल्म एक फ़न्न है और हर फ़न्नकार कारीगर का मोहताज है, इसलिये उसका माहिर उस्ताद से सीखना ज़रूरी है। (अल्जवाहिर वहुरर लिस्सख़ावी : 1/58)

इस बात पर तक़रीबन अहले इल्म का इज्माअ है हाँ कुछ अहले इल्म ने इससे अलग राह इख़्तियार की है।

जैसे अली बिन रिज़वान मिस्री तबीब (म 453) लेकिन उसी के दौर और बाद वाले अहले इल्म ने उसकी तर्दीद की है।

इमाम ज़हबी (रह.) उसके हालात में लिखते हैं, उसका कोई उस्ताद न था, ये किताबों से इल्म हासिल करने में मशग़ूल रहा और फ़न्न किताबों से सीखने के बारे में एक किताब लिखी और कहा, ये तरीक़ा उस्ताद से ज़्यादा बेहतर है और ये उसकी ग़लती है। (सियरु आलामिन्नुबला : 18/105, मज़ीद देखिये, शरहुल अहया : 1/66, बग़ियतुल विआह : 1/286, शज़रातुज़्ज़हब : 5/11, अल्गुनिया क़ाज़ी अयाज़ : 16-17)

इमाम सफ़दी ने इस बात की अल्वाफ़ी में तफ़्सीलन तर्दीद की है और शरहुल अहया में अल्लामा ज़ुबैदी ने बहुत से उलमा से कई अस्बाब की सूरत में तर्दीद नक़ल की है। एक सबब इब्ने बतलान से नक़ल किया है, लिखते हैं। (शरहुल अहया : 1/66)

छठा सबब : किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो इल्म से रोकती हैं और उस्ताद के यहाँ ये चीज़ नहीं। जैसे वो तस्हीफ़ जो तलफ़्फ़ुज़ न होने के सबब हुरूफ़ के इश्तिबाह से पैदा हो जाती है और वो लग़्ज़िश जो नज़र के उचट जाने से लाहिक़ हो जाती है या ऐराब से कम आगाही के सबब पेश आती है या उसमें ऐराब ग़लत होता है और किताब की दुरुस्ती नहीं होती, ऐसी चीज़ लिखी होती है जो पढ़ी नहीं जाती और ऐसी चीज़ पढ़नी होती है जो लिखी नहीं जाती और साहिबे किताब का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता। नुस्ख़ा नाक़िस होता है। नक़ल में कमज़ोरी होती है। पढ़ने वाला रुकने की जगह मिलाकर पढ़ लेता है। तालीम की असासी बातों में इख़्तिलात हो जाता है और किताब में इस फ़न्न के इस्तिलाही अल्फ़ाज़ बयान होते हैं। यूनानी अल्फ़ाज़ होते हैं, नाक़िल लुग़त से उनकी वज़ाहत नहीं करता जैसे नौ रूस का लफ़्ज़ है ये सारी चीज़ें इल्म में रुकावट हैं।

जब तालिबे इल्म उस्ताद के सामने पढ़ता है तो वो उन तमाम चीज़ों की मशक़्क़त से बच जाता है, जब सूरते हाल ये है तो साबित हुआ अहले इल्म से पढ़ना ज़्यादा मुफ़ीद है और ख़ुद पढ़ने से अफ़ज़ल है और इसी को बयान करना हमारा मक़सूद है।

इमाम सफ़दी लिखते हैं, इस बिना पर अहले इल्म का क़ौल है, 'ऐसे इंसान के सामने क़ुरआन की क़िरअत न करें जिसने मुस्हफ़ से पढ़ा है और न हदीस वग़ैरह ऐसे इंसान से सीखे जिसने किताबों से पढ़ा है।' (मुक़द्दमा तहक़ीक़ुल् ग़ुनिया, लिल्क़ाज़ी अयाज़ : 16-17)

इब्ने रिज़वान के नज़रिये के बातिल होने की ये माद्दी (महसूस) दलील मौजूद है कि आप अलग-अलग दौर और मुँह से गुज़िश्ता उलूम के तनस्सोअ के बावजूद तराजिम और सवानेह की हज़ारों किताबें देखते हैं जो असातिज़ा और तलामिज़ा के नामों के तज़्किरे से भरी पड़ी हैं। कुछ के शुयूख़ व

तलामिज़े कम हैं और कुछ के ज़्यादा। उन लोगों की फ़ेहरिस्त देखिये जिन्होंने हज़ारों शुयूख़ से इल्म हासिल किया। जिस तरह लेखक की किताबुल अस्फ़ार का अल्अज़ाब वाला हिस्सा।

अबू हय्यान मुहम्मद यूसुफ़ उन्दुलुसी (म 745) के सामने जब इब्ने मालिक का ज़िक्र होता तो वो पूछता, उसके उस्ताद कहाँ हैं? अबुल वलीद का क़ौल है, इमाम औज़ाई (रह.) फ़रमाते थे, ये इल्म जब लोग एक-दूसरे से हासिल करते थे, मुअज़्ज़ज़ था। जब किताबों में चला गया तो उसमें ग़ैर अहल लोग भी घुस गये। (अस्सियर : 7/114)

यही बात औज़ाई (रह.) से अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी नक़ल करते हैं, बिला शुब्हा औराक़ और इजाज़त से अख़ज़ करने में ख़लल वाक़ेअ हो जाता है। ख़ासकर उस दौर में जिसमें नुक़्ते और हरकात न थीं। इससे कलिमे में ऐसी तस्हीफ़ (तब्दीली) वाक़ेअ हो जाती है जिससे मानी में तब्दीली वाक़ेअ हो जाती हैं। इंसनों से रू-बरू अख़ज़ करने में, इस क़िस्म का ख़लल (कोताही) वाक़ेअ नहीं होती। इसी तरह ज़बानी हदीस़ बयान करते वक़्त ऐसा वहम लाहिक़ हो सकता है जो तहरीर की सूरत में नहीं होता। इब्ने ख़ल्दून ने अपने मुक़द्दमा में इस पर इन्तिहाई नफ़ीस बहस़ की है। (मुक़द्दमा : 4/1245)

किसी का शेअ़र है, 'जो किसी आ़लिम से उसके नुस्ख़े से बिल्मुशाफ़ा इल्म हासिल नहीं करता, तो मुश्किल मक़ामात में उसका यक़ीन भी ज़न्न ही होता है।'

अबू हय्यान उ़मूमन ये शेअ़र पढ़ता था, 'ना तजुर्बेकार गुमान करता है कि किताबें, साहिबे फ़हम की उ़लूम की तहसील में रहनुमाई करती हैं।'

'जाहिल ये नहीं जानता, उसमें ऐसी पोशीदा बातें हैं जो साहिबे फ़हम की अ़क़्ल को हैरान कर देती हैं।'

'जब आप बिला उस्ताद उ़लूम का क़सद करते हैं तो सीधी राह से हट जाते हैं।'

'आपके लिये उमूर पेचीदा हो जाते हैं, आप तौमुल हकीम से भी ज़्यादा भटक जाते हैं।'

जो इंसान इमाम मुस्लिम (रह.) के हालात का जायज़ा लेता है, उसे पता चल जाता है कि इमाम मुस्लिम के उस्ताद की एक कसीर तादाद है। जिनके पास जाकर उनसे इल्म हासिल किया है। इमाम ज़हबी (रह.) ने उन्हें हुरूफ़े तहज्जी की तर्तीब से जमा किया है। जो उनकी तादाद 220 तक पहुँच गई। सैहीह मुस्लिम में, इब्राहीम बिन ख़ालिद यश्करी, इब्राहीम बिन दीनार तमार, इब्राहीम बिन ज़ियाद सुबलान, इब्राहीम बिन सईद जौहरी, इब्राहीम बिन अ़रअ़रा, इब्राहीम बिन मूसा, अहमद बिन इब्राहीम, अहमद बिन जाफ़र, अहमद बिन जनाब, अहमद बिन जवास, अहमद बिन हसन बिन ख़र्राश, अहमद बिन सईद रबाती, अहमद बिन सईद दारमी, अहमद बिन सिनान, अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह कुरदी, अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन यूनुस, अहमद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन वहब, अहमद बिन अ़बदा, अहमद

बिन ज़समान औदी वग़ैरह। बेशुमार उस्ताद की रिवायत मौजूद हैं उनमें इल्म के पहाड़ अहमद बिन हम्बल, इस्हाक़ बिन राहवे और क़अन्बी हैं जो उनका क़दीमतरीन उस्ताद है। जिनकी रिवायत सहीह मुस्लिम में है उनकी तादाद दो सौ बीस है। उसके इनके अलावा उस्ताद भी हैं। जिनसे सहीह मुस्लिम में रिवायत बयान नहीं की। जैसे अली बिन जअद, अली बिन अल्मदीनी और मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली हैं। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/558)

इमाम मुस्लिम (रह.) के शागिर्द और उनसे रिवायत बयान करने वाले :

हर तालिबे इल्म अपने उस्ताद का तसलसुल और उसके इल्म की बक़ा है। जिस उस्ताद ने अपना इल्म रोके रखा, उसे फैलाया नहीं, तो ये इल्म उस्ताद की मौत के साथ मर गया।

हमारे अस्लाफ़, शैख़ के इल्म और पैग़ाम के तहम्मुल के लिये मजालिसे इल्मी, तलबा की तर्बियत और उन पर तवज्जह देने के बारे में इन्तिहाई हरीस थे। उस्ताद फ़ौत हो जाता है और वो विरासत में ऐसा इल्म छोड़ता है जो अलग-अलग इलाक़ों में फैल जाता है (तक़सीम होता है)।

उनके शागिर्दों में अबू ईसा, अली बिन हसन हिलाली है जो उम्र में उनसे बड़ा था। मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब अल फ़र्रा है जो उनका उस्ताद है। लेकिन सहीह मुस्लिम में इससे रिवायत बयान नहीं की। हुसैन बिन मुहम्मद क़ोबाबी, अबू बकर मुहम्मद बिन नज़र बिन सलमा जारूदी, अली बिन हुसैन इब्ने जुनैद राज़ी, सालेह बिन मुहम्मद जज़्रा, अबू ईसा तिर्मिज़ी साहिबे जामेअ, अहमद बिन मुबारक अल्मुस्तली, क़ाज़ी अब्दुल्लाह बिन यहया सुरख़ुसी, अबू सईद हातिम बिन अहमद बिन महमूद सिनानी बुख़ारी, इब्राहीम बिन इस्हाक़ सीरफ़ी उनके साथी इब्राहीम बिन अबी तालिब, इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन हमज़ा, फ़क़ीह इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान जो सहीह मुस्लिम का रावी है, अबू अम्र अहमद बिन नसर ख़िफ़ाफ़ा, ज़करिया बिन दाऊद ख़िफ़ाफ़, अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन अब्दुस्सलाम ख़िफ़ाफ़, हाफ़िज़ अबू अली अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अली बल्ख़ी, अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम, मक्की बिन अब्दान और इनके अलावा बेशुमार लोग हैं। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इमाम मुस्लिम (रह.) से अपनी जामेअ में सिर्फ़ एक हदीस़ जिसके रावी अबू हुरैरह हैं बयान की है।

रमज़ान का ख़ातिर शा'बान के दिन भी शुमार करो। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 10/113)

इल्मे हदीस़ से मुहब्बत :

इल्मे हदीस़ एक बुलंद मर्तबा, बाइसे फ़ख़्र, बाइसे इज़्ज़त व शर्फ़ इल्म है। सिर्फ़ अहले इल्म ही इसको अहमियत देते हैं और सादा लौह ही इससे महरूम रहते हैं। ज़माने के गुज़रने के बावजूद उसके महासिन ख़त्म नहीं होते। क़दीम व जदीद दौर में इस की इज़्ज़त व जलालत में इज़ाफ़ा ही हुआ है। इस से कितने ही ऐसे लोग मुअज़्ज़ज़ बने, जिन पर अल्लाह तआला ने उसके पोशीदा इसरार को वाशगाफ़

किया। क्योंकि इसी के ज़रिये रब्बुल आलमीन के कलाम की मुराद को जाना जा सकता है और इसकी मुत्तसिल मुस्तहकम रस्सी से मक़सद वाज़ेह होता है और इसी से बुलंद ज़ात, सिफ़ात और नाम के शमाइल (ख़ूबियाँ) का पता चलता है और उस शख़्सियत की बलाग़त के रुमूज़ से आगाही होती है जो तमाम अरब व अजम लोगों से बुलंद मक़ाम की हामिल है और इसी पर तवज्जह मब्ज़ूल करने वाले के लिये इसकी बरकात से मख़्लूक़ के आक़ा के इ़ज़्ज़त वाले दस्तरख़्वान फैलते हैं। जो उसके हौज़ से पीता है और उसके गुलिस्तान से चुरता है, वो थोड़े ही अरसे में अ़ज़मत वाले आक़ा से बुलंद मक़ाम और आला मरातिब हासिल कर लेता है। उसके इल्म के क्या ही कहने, जिसकी शुरूआत सहारा व सनद और इन्तिहा नबी (ﷺ) हैं। हदीस़ के रावी के शर्फ़, फ़ज़ल, जलालत और शान के लिये यही काफ़ी है कि वो उस ज़न्जीर की शुरूआत है जिसकी इन्तिहा पर रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं और आपकी ज़ात तक ही उससे पहुँचा जाता है और इख़्तिताम होता है। लम्बे अ़रसे तक हमारे अस्लाफ़ तहम्मुले हदीस़ के लिये सफ़र की मुश्किलें झेलते रहे हैं ताकि उसे अहलुल हदीस़ से बिल्मुशाफ़ा (रूबरू) हासिल कर सकें। सफ़र की बजाए महज़ नक़ल पर क़नाअ़त नहीं की। कई बार सफ़र के कन्धे पर सवाल होकर दूर के मुल्कों तक का सफ़र किया ताकि उस इमाम से हदीस़ हासिल कर सकें जिस पर उसका इन्हिसार होता है और हदीस़ के मनघढ़त होने की वज़ाहत के लिये, उसकी सनद की तलाश में उस रावी तक पहुँच जायें जो झूठ घड़ता है और तोहमत लगाता है। उनके बाद आने वाले नाक़िलीन हदीस़े नबवी सुन्नते मुहम्मदिया के हाफ़िज़ीन ने भी उनकी पैरवी की, असानीद को ज़ब्त (महफ़ूज़ किया और हर ग़ैर मारूफ़ (बेघर) को क़लमबंद किया जरह व तअ़दील की ख़ातिर रावियों का जायज़ा लिया और मुतून की तहज़ीब के लिये इन्तिहाई सीधा रास्ता इख़्तियार किया और उनका मक़सद सिर्फ़ यही था कि नबी (ﷺ) के सहीह अक़्वाल और अफ़आल से आगाही हासिल की जाये, सनद के इत्तिसाल की तहक़ीक़ करके हर शुब्हा का इज़ाला किया जाये, बस वो मन्क़बत (फ़ज़ीलत) है जिसके लिये बुलंद हिम्मतें एक-दूसरे से मुसाबिक़त करती हैं और माअसर (ख़साइल) हैं जिनके हुसूल के लिये दिन और रातें सर्फ़ की जाती हैं। (क़वाइदुत्तहदीस़ लिल्क़ासिमी, पेज नम्बर : 44)

इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, अहादीस़े नबविया की मअरिफ़त की तहक़ीक़, इन्तिहाई अहमियत वाले उलूम में से है यानी उनके मुतून के सहीह, हसन और ज़ईफ़ होने की मअरिफ़त और उसकी बक़िया अक़्साम की मअरिफ़त, उसकी दलील ये है कि हमारी शरीअ़त की असास किताबे अज़ीज़ और बयान की गई सुनन हैं और अक्सर फ़िक़्ही अहकाम का मदार सुनन पर है क्योंकि अक्सर फ़िक़्ही अहकाम से ताल्लुक़ रखने वाली आयतें मुजमल हैं और उनकी वज़ाहत मुहकम सुनन में है।

उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि मुज्तहिद के लिये वो क़ाज़ी हो या मुफ़्ती ये शर्त है कि वो अहकाम से ताल्लुक़ रखने वाली सुनन से आगाह (का आ़लिम हो) हमारे बयान से ये स़ाबित हो गया है कि हदीस़

में इश्तिग़ाल बुलंद मर्तबा उ़लूम में जलीलतर, ख़ैर की अक़्साम में बरतर और तक़र्रुब की बाइ़स चीज़ों में से ताकीदी चीज़ है और ऐसे क्यों न हो जबकि वो जैसाकि हमने बयान किया मख़्लूक़ में से अफ़ज़ल हस्ती, अल्लाह करीम की उस पर फ़ज़्ल सलवात व सलाम और बरकात हों, के अहवाल पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता दौरों में अहले इल्म आम तौर पर इल्मे हदीस़ में मशग़ूल रहते थे यहाँ तक कि एक-एक हदीस़ की इल्मी मज्लिस में हज़ारों तलबा जमा हो जाते थे। अब उसमें कमी आ गई है और हिम्मतें कमज़ोर पड़ गई हैं। अब उनके निशानात में से कम निशानी बाक़ी रह गये हैं। इस मुसीबत और दूसरी आफ़ात पर अल्लाह ही से मदद मतलूब है। (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम शरह नववी, पेज नम्बर 3)

जो इंसान इमाम मुस्लिम (रह.) के हालात पर नज़र डालता है वो जान लेता है कि हदीस़ उनके गोश्त और ख़ून में रच बस गई थी। उन्हें किसी मशग़ले की फ़िक्र न थी और न कोई मसला उनके लिये हैरानकुन था जिसका ताल्लुक़ हदीस़ से न होता, बतौरे दलील यही काफ़ी है कि उनकी वफ़ात एक हदीस़ की इल्लत की तलाश में वाक़ेअ़ हुई जैसाकि इन्शाअल्लाह उन की मौत के तज़्किरे में आयेगा।

इल्म और अहले इल्म की फ़ज़ीलत :

उ़लमा लोगों के इमाम और इस्लाम के बार बरदार हैं जिन्होंने उम्मत के लिये दीन की हिफ़ाज़तगाहों और क़िलों की हिफ़ाज़त की है और उसकी घाटों और सरचश्मों को गदला होने से बचाया है।

हज़रत मैमून का क़ौल है, उ़लमा हर इलाक़े में मेरी गमगश्ता (खोई हुई) मताअ़ हैं और वही मेरा मतलूब हैं। मैंने अपने दिल की इस्लाह उ़लमा की मजालिस में पाई है। (हिल्यतुल औलिया : 4/85)

किताब और सुन्नते मुतह्हरा के दलाइल बराबर उ़लमा की फ़ज़ीलत को ख़राजे तहसीन पेश करते हैं और उनके ऊँचे मक़ाम की तरफ़ इशारा करते हैं।

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'अल्लाह तआ़ला तुममें से उन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जो ईमान लाये और जिन्हें इल्म दिया गया।'** (सूरह मुजादला : 11)

हज़रत अबुल अस्वद का क़ौल है, इल्म से ज़्यादा कोई क़ीमती चीज़ नहीं, क्योंकि बादशाह लोगों के हुक्मरान हैं और अहले इल्म बादशाहों पर हाकिम हैं। (जामेअ़ बयानुल इल्म : 1/257)

नबी (ﷺ) और आपके ख़ुलफ़ाए राशिदीन, लोगों के दीन और उनकी दुनिया दोनों के निगरान थे। उसके बाद मामलात बिखर गये। जंग के मुतवल्ली (हुक्मरान) दुनियावी मामलात और दीन के ज़ाहिरी मामलात का इन्तिज़ाम करने लगे और इल्म और दीन के शुयूख़ इल्म और दीन के जिन मामलात के सिलसिले में उनकी तरफ़ रुजूअ़ किया जाता, उनकी निगेहदाश्त करने लगे। यही वो उलुल अम्र हैं

जिनकी अल्लाह तआला की इताअत के सिलसिले में जिसके ये मुन्तज़िम हैं इताअत ज़रूरी है और अल्लाह तआला का फ़रमान है, '**अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और उनका जो तुममें से हुक्म देने वाले हैं।**' (सूरह निसा : 59)

इस आयत में से उलुल अम्र की तफ़्सीर हाकिमों और उनके नायबीन, सिपहसालारी और अहले इल्म व दीन जो लोगों को उनका दीन सिखाते हैं और उन्हें अल्लाह की इताअत का हुक्म देते हैं, से की गई है। क्योंकि दीन का क़ियाम किताब और लोहे पर मौक़ूफ़ है। किताब अहले इल्म के पास है और जंगी क़ुव्वत उमरा के पास है और कभी दोनों उमरा के हाथ में हो सकते हैं जैसाकि ख़ुलफ़ाए राशिदीन के दौर में था। जैसाकि फ़रमाने बारी तआला है, '**बिला शुब्हा यक़ीनन हमने अपने रसूलों को खुली निशानियाँ देकर भेजा और उनके साथ किताब और तराज़ू को नाज़िल किया, ताकि लोग इंसाफ़ पर क़ायम रहें और हमने (लोगों के लिये) लोहा उतारा जिसमें सख़्त लड़ाई (का सामान) और लोगों के लिये बहुत से फ़ायदे हैं और ताकि अल्लाह जान ले कि कौन लोग बिन देखे उसकी और उसके रसूलों की मदद करते हैं, यक़ीनन अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला बहुत ग़ालिब है।**' (सूरह हदीद : 25)

इमाम मैमून बिन मेहरान का क़ौल है, इलाक़े में आलिम की मिसाल इलाक़े में शीरीं चश्मा जैसी है।
(जामेअ बयानुल इल्म : 1/237)

हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम बयान करते हैं, हारून रशीद ने एक बेदीन आदमी पकड़ा और उसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया। तो ज़िन्दीक़ ने उसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! आप मेरी गर्दन क्यों मरवाते हैं? कहा, मैं तुझसे लोगों को राहत देता हूँ। तो उसने कहा, आप मेरी उन हज़ार अहादीस़ का क्या करेंगे जो मैंने सारी की सारी घड़कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब की हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) का मरफ़ूअन एक हरफ़ भी उनमें नहीं है? कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन! तुझे अबू इस्हाक़ फ़ज़ारी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का इल्म नहीं वो उनको छान लेंगे और उनका एक-एक हर्फ़ निकाल लेंगे।
(तारीख़े दमिश्क़)

उलमा अल्लाह के वली हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाता है :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के बेटे अबू उबैदा बयान करते हैं, जब रबीअ बिन ख़ुसीम अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पास आ जाते, किसी को वो इजाज़त न देते यहाँ तक कि दोनों एक-दूसरे से फ़ारिग़ हो जाते। इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने उन्हें कहा, ऐ अबू यज़ीद! अगर तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) देख लेते तो तुझसे मुहब्बत करते, मुझे तुझे देखकर इज़्ज़े फ़रौतनी करने वाले याद आ जाते हैं। (सियरु आलामिन्नुबला : 4/258)

अबू इस्हाक़ सबीई अपने उस्ताद अम्र बिन मैमून के बारे में कहते हैं, उन्हें देखकर अल्लाह तआला याद आता था। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 8/109)

मुहम्मद बिन सीरीन जब बाज़ार में गुज़रते तो उन्हें देखकर इंसान को अल्लाह याद आता। (तारीख़ुल इस्लाम : 4/193)

अब्दुल्लाह बिन अहमद कहते हैं, मैंने अपने बाप से कहा, शाफ़ेई किस क़िस्म के इंसान थे? क्योंकि मैं आपको उनके लिये बकसरत दुआ करता सुनता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, ऐ लख़्ते जिगर! वो दुनिया के लिये सूरज की तरह और लोगों के लिये तन्दुरुस्ती जैसी चीज़ थे। क्या उन दोनों का कोई जानशीन या उन दोनों का कोई बदल है। (सियरु आलामिन्नुबला : 10/45)

अल्लाह तआला ने बिला इस्तिस्ना सब लोगों के साथ हुस्ने अख़्लाक़ अपनाने का हुक्म दिया है। फ़रमाने बारी तआला है, **'लोगों से अच्छी बात कहो।'** (सूरह बक़रा : 83)

उनमें से उलमा और अहले फ़ज़ल के साथ ये रवैया क्यों नहीं अपनाया जायेगा। उनके लिये तो एहसान, लुत्फ़ व करम और इन्तिहाई वफ़ादारी इख़्तियार करना ज़रूरी है।

उलमा उस्तादों का एहतिराम :

तालिबे इल्म के लिये उनके अज़ीम एहतिराम के लिये कुछ बातों का अपनाना ज़रूरी है जैसाकि इमाम नववी (रह.) ने बयान किया है। उनमें से 13 नीचे दर्ज किये गये औसाफ़ हैं।

1. तालिबे इल्म पर लाज़िम है सबसे पहले उसके लिये ग़ौर व फ़िक्र करे और अल्लाह तआला से इस्तिख़ारा करे कि वो किस शख़्स से इल्म हासिल करे और उससे हुस्ने अख़्लाक़ व आदाब हासिल करे और कोशिश करे कि वो कामिल अहलियत रखता हो। मुश्फ़िक़ हो, उसकी जवांमर्दी पाकीज़ा हो, इफ़्फ़त मअरूफ़ हो, सियानत मशहूर हो और बहुत अच्छे तरीक़े से तालीम देता हो और बेहतर तरीक़े से समझाता हो, तालिबे इल्म इल्म में इज़ाफ़े का शौक़ीन न हो, जबकि वरअ, दीन और ख़ल्क़े जमील में नुक़्स हो। सलफ़ का क़ौल है, ये इल्म (हदीस़) दीन है ज़रा सोच लो तुम दीन किससे हासिल करते हो। वो मशहूर से इल्म लेने की पाबंदी और गुमनामों से हुसूले इल्म छोड़ना इससे बचे, क्योंकि इमाम ग़ज़ाली वग़ैरह ने इसे इल्म में तकब्बुर से शुमार किया है। क्योंकि हिक्मत मोमिन की गुमशुदा मताअ है जहाँ से भी मिले वो उठा ले और उसके हुसूल में कामयाबी को गनीमत तसव्वुर करे जिससे भी वो हासिल हो उसका एहसानमन्द हो।

वो जहालत के ख़ौफ़ से इस तरह भागे जिस तरह शेर के डर से भागता है और शेर से भागने वाले को किसी से नफ़रत नहीं होती जो भी उससे ख़ुलासी का तरीक़ा बताये।

इमाम अबू नुऐम ने हिल्यतुल औलिया में लिखा है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन (रज़ि.), ज़ैद बिन असलम के यहाँ जाते थे और उनकी मज्लिस में बैठते। किसी ने उनसे कहा, आप लोगों के सरदार और अफ़ज़ल आदमी हैं और इस गुलाम की ख़िदमत में हाज़िर होकर इसके पास बैठते हैं? उन्होंने कहा, इल्म जहाँ भी हो और जिसके पास हो उसे तलाश किया जाता है।

अगर गुमनाम ऐसा आदमी हो जिससे बरकत की उम्मीद हो, उसका नफ़ा ज़्यादा आम होगा और उससे हुसूले इल्म ज़्यादा कामिल होगा। अगर सलफ़ व ख़लफ़ के हालात का जायज़ा लिया जाये, तो आम तौर पर तालिबे इल्म को नफ़ा हासिल नहीं होगा और कामरानी नहीं मिलेगी अगर उस्ताद के पास तक़वा का वाफ़िर हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह अगर तसानीफ़ का ख़्याल किया जाये तो ज़्यादा मुत्तक़ी, परहेज़गार (ज़ाहिद) की तस्नीफ़ का नफ़ा ज़्यादा होगा और उसमें इश्तिग़ाल (यानी मशग़ूल होने) से कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। तालिब की ये कोशिश होनी चाहिये कि उस्ताद ऐसा हो जो उलूमे शरीआ से मुकम्मल आगाह हो और उस दौर के भरोसेमंद उस्ताद से बहुत बहस़ करने वाला और तवील रिफ़ाक़त रखने वाला, ऐसा न हो जिसने इल्म औराक़ से सीखा हो जैसाकि इमाम शाफ़ेई (रह.) का क़ौल है, जो बुतूने कुतुब से फ़िक़्ह हासिल करता है उसमें पुख़्तगी नहीं होती और कुछ का क़ौल है, किताबी उस्ताद यानी जो किताबों से इल्म सीखते हैं, वो बहुत बड़ी आफ़त हैं।

2. अपने मामलात में उस्ताद की इताअत करे, उसकी राय और तदबीर से बाहर न निकले बल्कि उसके साथ इस तरह का रवैया इख़्तियार करे जो बीमार एक माहिर मुआलिज के साथ रखता है। अपने तमाम मक़सदों में उससे मशवरा ले। अपनी तमाम भरोसेमंद चीज़ों में उसकी रज़ामन्दी का चाहने वाला हो उसका इन्तिहाई एहतिराम करे और उसकी ख़िदमत करके अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे और जान ले उसका उस्ताद के सामने इज़्ज़ो-नियाज़, इज़्ज़त है। उसके साथ तवाज़ोअ से पेश आना रिफ़अत (बुलंदी) है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अपनी जलालत और नबी (ﷺ) के साथ क़राबत और अपने बुलंद मक़ाम के बावजूद हज़रत ज़ैद बिन साबित अन्सारी (रज़ि.) की रिकाब को पकड़ा। ये वो शख़्स हैं जिनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इल्म सीखा और फ़रमाया, हमें अपने अहले इल्म के साथ यही सुलूक करने का हुक्म दिया गया है।

इमाम तबरानी की औसत की अबू हुरैरह (रज़ि.) की ये मरफ़ूअ हदीस़ गुज़र चुकी है, **'इल्म सीखो और इल्म के लिये सकीनत भी सीखो और जिससे इल्म सीखो उसके साथ तवाज़ोअ से पेश आओ।'**

इल्म तवाज़ोअ और कान लगाने से ही हासिल किया जा सकता है। उस्ताद हुसूले इल्म का जो तरीक़ा बताये, उसकी बात माने और अपनी राय छोड़ दे। उसके मुर्शिद की ग़लती, उसके लिये उसके ज़ाती दुरुस्तगी से ज़्यादा नफ़ामन्द है।

3. अपने उस्ताद को इ़ज़्ज़त की आँख से देखे और उसके दर्जे कमाल तक पहुँचने का यक़ीन रखे। उसकी तौक़ीर करे, इससे उसको नफ़ा हासिल करना, बहुत क़रीब हो जायेगा। कुछ का क़ौल है, हुस्ने अदब अ़क़्ल का तर्जुमान है और मुहक़्क़िक़ हज़रात का आपसी अदब का लिहाज़ रखना दूसरों से मुक़द्दम है। देखिये अल्लाह तआला ने ऐसों की किस तरह तारीफ़ की है और उन्हें बुलंद मक़ाम दिया है, **'बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें धीमी रखते हैं, यही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह ने तक़वा के लिये जाँच लिये, उनके लिये बड़ी बख़्शिश और बहुत बड़ा अज्र है।'**

(सूरह हुजुरात : 3)

उसे अपने उस्ताद को ख़िताब की त और काफ़ यानी तू कहकर नहीं पुकारना चाहिये और न ही दूर से आवाज़ देना चाहिये। बल्कि हमारे हुज़ूर, शैख़ जैसे अल्फ़ाज़ से मुख़ातिब होना चाहिये। और यूँ कहे, आपका इसके बारे में क्या क़ौल है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसकी ग़ैर हाज़िरी में उसके नाम के साथ तौक़ीरी कलिमात इस्तेमाल करे जैसे शैख़ुल उस्ताद, शैख़ुना, फ़ज़ीलतुश्शैख़ ने ये फ़रमाया वग़ैरह।

4. उस्ताद के हक़ को पहचाने, उसके एहसान को न भूले। हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) की मरफ़ूअ हदीस़ है जिसने किसी इंसान को किताबुल्लाह की एक आयत की तालीम दी वो उसका उस्ताद है। इसमें ये भी दाख़िल है वो उस शख़्सियत की इ़ज़्ज़त करे। उसकी ग़ीबत की तर्दीद करे और उसकी ख़ातिर नाराज़ हो, अगर वो इससे बेबस हो तो वो उठ खड़ा हो और ऐसी मज्लिस से अलग हो जाये और उ़म्र भर उसके हक़ में दुआ करे और उसकी वफ़ात के बाद उसकी ज़ुर्रियत, अक़ारिब और औलाद का ख़्याल रखे और उसकी क़ब्र की ज़ियारत का एहतिमाम करे। उसके लिये इस्तिग़फ़ार करता रहे और उसकी तरफ़ से सदक़ा करे। हिदायत, अख़लाक़ व किरदार में उसकी राह पर चले, उसके आदाब अपनाये और उसकी इक़्तिदा को न छोड़े।

5. अगर उसके उस्ताद की तरफ़ से, बेरुख़ी या बदख़ुल्क़ी पेश आये, तो इस पर सब्र करे, ये चीज़ उसकी मुलाज़िमत (उसके साथ रहने) और हुस्ने अ़क़ीदत में रुकावट न बने।

उसके ऐसे काम जो बज़ाहिर दुरुस्त न हों, उनकी अच्छी तावील करे और उस्ताद की तुन्द मिज़ाजी की सूरत में माज़रत करने में पहल करे, जो कुछ हो जाये उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और ख़ुद उसको उसका सबब समझे। इस सिलसिले में एताब अपने आपको करे। क्योंकि ये रवैया उस्ताद की मवद्दत को बाक़ी रखेगा, उसके दिल में वो ख़ूब याद रहेगा और तालिबे इल्म के लिये दुनिया और आख़िरत में ख़ूब नफ़ाबख़्श होगा।

कुछ सलफ़ का क़ौल है, जो तालीम की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करता, उम्र भर जहालत की अमलदारी में रहता है और जो उस पर सब्र करता है उसका अन्जाम दुनिया और आख़िरत की इज़्ज़त होता है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़रमान है, मैंने तालिब की हैसियत में ज़िल्लत बर्दाश्त की और मतलूब होने पर इज़्ज़त मिली। इमाम अबू यूसुफ़ का क़ौल है, पाँच लोगों की दिलजूई ज़रूरी है, उनमें आलिम को भी शुमार किया है ताकि उससे इल्म हासिल कर सके।

किसी का शेअर है, 'अगर बीमारी के मुआलिज से बेरुख़ी बरतते हो तो अपनी बीमारी को बर्दाश्त कर और अगर उस्ताद से बेताल्लुक़ रहते हो तो अपनी जहालत पर सब्र कर।'

6. उस्ताद अगर फ़ज़ीलत वाली चीज़ से आगाह करे या तन्क़ीस वाली चीज़ पर सरज़निश करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, इसी तरह जब कसलमन्दी के लाहिक़ होने पर या कोताही के तारी होने पर या इस क़िस्म की कोई और चीज़ जिससे वो आगाह करे, डाँटे, रहनुमाई या इस्लाह करे, उस्ताद के इस रवैये को अपने ऊपर अल्लाह का इनाम समझे कि उस्ताद उसकी तरफ़ मुतवज्जह है और उसका ध्यान रखता है। इस सूरत में, उस्ताद का दिल उसकी तरफ़ ज़्यादा माइल होगा और वो उसके मसलों पर तवज्जह देगा और उस्ताद जब उसे किसी ऐसी अदबी बारीकी से आगाह करे या उससे सादिर होने वाली कोताही बताये और उसे उसका पहले इल्म हो, अगर उसके पास इस सिलसिले में कोई उज़्र हो तो उसका इज़हार न करे। उस्ताद को आगाह करना उसके हक़ में बेहतर है, अगर उज़्र न हो तो उससे बाज़ आ जाये।

7. उमूमी मज्लिस के सिवा, उस्ताद के पास बिला इजाज़त न जाये, उस्ताद अकेला हो या दूसरों के साथ हो, इजाज़त बार-बार तलब न करे, अगर उसे शक हो कि शायद उस्ताद को इसका इल्म नहीं हो सका, तो तीन बार से ज़्यादा इजाज़त तलब न करे या दरवाज़े पर तीन से ज़्यादा दस्तक न दे। या कुण्डा न हिलाये और दरवाज़े पर आहिस्तगी से अदब के साथ उंगलियों के नाख़ुनों से फिर उंगलियों से दस्तक दे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुण्डा हिलाये। अगर उस्ताद की जगह दरवाज़ा या हल्क़ा (कुण्डा) से दूर हो तो बस सिर्फ़ सुनाने के बक़द्र उनको ऊँचा करे और जब इजाज़त मिल जाये और साथियों की एक जमाअत है तो दाख़िला और सलाम कहने के लिये अपने में से अफ़ज़ल और उम्र रसीदा को आगे करें।

फिर दर्जा-बदर्जा जाकर सलाम कहें। बाल, नाख़ुन तराशे। ज़रूरत पूरी करने और बदबू के इज़ाले के बाद कामिल शक्ल व सूरत में पाक-साफ़, सुथरे बदन और कपड़ों के साथ उसकी ख़िदमत में हाज़िर हो। ख़ास तौर पर अगर इल्मी मज्लिस में हाज़िर होने का इरादा हो क्योंकि वो ज़िक्र व इबादत के इज्तिमाअ की मज्लिस है। अगर शैख़ के पास उमूमी मज्लिस के अलावा जाये और उसके पास कोई बातचीत कर रहा हो तो ये बातचीत से ख़ामोश रहे या वो जब दाख़िल हो और उस्ताद अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र, किताब और मुताल्अे में मसरूफ़ हो और उस्ताद ये काम छोड़कर ख़ामोश रहे और बातचीत का आग़ाज़ न करे या खुलकर बातचीत न करे तो सलाम कहकर जल्द वापस आ जाये। मगर ये कि उस्ताद उसे ठहरने के लिये कहे और जब ठहर जाये तो काफ़ी देर के लिये न रुके। मगर ये कि उस्ताद उसे इसका हुक्म दे और वो उस्ताद के पास इस तरह जाये या इस तरह बैठे कि उसका दिल अपने मशाग़िल से ख़ाली हो, ज़हन साफ़ हो, ऊँघ, गुस्सा, शदीद भूख या शदीद प्यास वग़ैरह की हालत न हो। ताकि उसे जो कुछ बताया जाये उसे खुले दिल से सुन सके और जो सुने उसको याद रख सके। जब उस्ताद की जगह पर जाये और उस्ताद वहाँ बैठा न हो तो उसका इन्तिज़ार करे। ताकि दर्स को सुने बग़ैर न रह जाये। क्योंकि जो सबक़ रह जायेगा उसका कोई मदावा नहीं होगा और उस्ताद से ऐसे वक़्त पढ़ने का मुतालबा न करे जो उसे गिराँ गुज़रे या उस वक़्त उसके पढ़ाने का मामूल न हो और उससे अपने लिये ख़ुसूसी वक़्त दूसरों से अलग तलब न करे। अगरचे तालिबे इल्म सरदार या बड़ा ही क्यों न हो क्योंकि उसमें अपने आपको उस्ताद, तलबा और इल्म पर फ़ौक़ियत देना और उनको बेवकूफ़ बनाना है। अगर उस्ताद उसे, उसकी मजबूरी की बिना पर जो उसे साथियों के साथ हाज़िर होने से रुकावट बनती हो, या कोई मस्लिहत देखकर अपने तौर पर कोई मुअय्यन या ख़ास वक़्त इनायत कर दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

8. उस्ताद के सामने अदब के साथ इस तरह बैठे जिस तरह बच्चा क़ारी के सामने बैठता है या तवाज़ोअ, ख़ुज़ूअ, सुकून और ख़ुशूअ के साथ चौकड़ी मार कर बैठे और उस्ताद पर नज़र डालते हुए कान लगाये और मुकम्मल तौर पर उसकी बात समझते हुए उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो। ताकि उस्ताद को दोबारा कलाम का इआदा करने (लौटाने) की ज़रूरत पेश न आये और बिना ज़रूरत इधर-उधर न देखे। न अपनी आस्तीनें झाड़े, न बाज़ू खोले, न अपने हाथों और पाँवों को फ़िज़ूल हरकत दे, न अपना हाथ अपनी दाढ़ी या मुँह पर रखे, न अपने नाक से खेले और न अपने हाथ से नाक से कुछ निकाले, न अपना मुँह खोले, न दाँत बजाये, न अपनी हथेली ज़मीन पर मारे और न अपनी उंगलियों से ज़मीन से ज़मीन पर ख़त खींचे, न हाथों को हाथों में डाले और न अपनी तहबंद से खेले, न उस्ताद की मौजूदगी में दीवार से टेक लगाये, न गद्दे से उस पर हाथ रखे या इस क़िस्म का कोई और काम करे। उस्ताद की तरफ़ अपना पहलू या पुश्त न करे और बिना ज़रूरत ज़्यादा बातचीत न करे, न हँसी वाली बात करे या जिसमें बेहूदगी हो या वो

बदकलामी या बुरे अदब पर मुश्तमिल हो, न उस्ताद को छोड़कर ताज्जुब या बिला ताज्जुब हँसे, अगर मुस्कुराहट का ग़लबा हो तो बिला आवाज़ मुस्कुरा ले, न बिला ज़रूरत खाँसे और न जहाँ तक मुम्किन हो थूक और खंगार से काम ले, न मुँह से बल्ग़म फेंके बल्कि उसे रूमाल या कपड़े के टुकड़े या कपड़े के कोने में ले और जब छींक आये तो अपने मक़्दूर भर आवाज़ धीरे रखे और अपना चेहरा रूमाल वग़ैरह से ढांप ले, इस तरह जब जमाई (उबासी) आये उसे मक़्दूर भर रोकने के साथ अपना मुँह ढाँप ले।

हज़रत अ़ली (रज़ि.) का क़ौल है, आ़लिम का तुम पर ये हक़ है कि लोगों पर उ़मूमी सलाम के बाद उसको ख़ुसूसी सलाम कहो। उसके सामने बैठो, उसके पास अपने हाथों और अपनी आँखों से इशारा न करो और उसके सामने उसके मुख़ालिफ़ का क़ौल पेश न करो और उसके सामने किसी की ग़ीबत करो और न उसकी लग़्ज़िश तलाश करो अगर वो लग़्ज़िश कर बैठे उसकी माज़रत क़ुबूल करो और अल्लाह तआ़ला के लिये उसका एहतिराम करो। अगर उसे कोई ज़रूरत हो तो दूसरों से पहले उसकी ख़िदमत की तरफ़ लपको, उसकी मजलिस में सरगोशी न करो और न उसका कपड़ा पकड़ो और अगर वो कसल (सुस्ती) का शिकार हो तो इसरार न करो और तूले सोहबत से सैर न हो और उसकी मिसाल खजूर की है। उससे किसी चीज़ के गिरने का इन्तिज़ार किया जाता है। मोमिन आ़लिम का सवाब, रोज़ेदार, क़ियाम करने वाले अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले से बड़ा है। जब आ़लिम फ़ौत हो जाता है तो इस्लाम में ऐसा शिगाफ़ पैदा होता है जिसे क़यामत तक किसी चीज़ से पुर नहीं किया जा सकता। (ये बात ख़तीब बग़दादी ने अपनी अल्जामेअ़ लिअख़्लाक़िर्रावी में बयान की है।)

हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने इस वसियत में किफ़ायत बख़्श बातें जमा कर दी हैं।

कुछ के बक़ौल, उस्ताद की तौक़ीर में ये चीज़ भी दाख़िल है कि शागिर्द उसके पहलू में, उसके मुसल्ले पर, उसके गद्दे पर न बैठे। अगर उस्ताद इस का हुक्म दे फिर भी ये काम न करे मगर ये कि इस क़द्र इसरार करे कि मुख़ालिफ़त करना ना गवार हो जाये तो ऐसी सूरत में उसके हुक्म की पैरवी में कोई हर्ज नहीं। फिर दोबारा अदब के तक़ाज़े के मुताबिक बैठ जाये।

9. बक़द्रे इम्कान उससे अच्छे अन्दाज़ से बातचीत करे। ये न कहे, क्यों? हम नहीं मानते, किसने ये कहा है, ये कहाँ है? और इस क़िस्म की बातें न करे। अगर उन चीज़ों के पूछने की ज़रूरत हो तो किसी दूसरी मज्लिस में उनके हुसूल के लिये कोई नर्म अन्दाज़ इख़्तियार करे। अगर उसके सामने कुछ बयान करना हो तो ये न कहा, मैं यूँ कहता हूँ। मेरे दिल में यूँ आया है मैंने फ़लाँ को इस तरह कहते सुना है और ये भी न कहो, फ़लाँ ने इसके ख़िलाफ़ कहा है या फ़लाँ ने इसके ख़िलाफ़ बयान किया है या ये सहीह नहीं वग़ैरह। अगर उस्ताद किसी क़ौल या दलील पर इसरार करे और उसके ख़िलाफ़ भूल के सबब सहीह

बात उस पर न खुले, तो उसकी बात का इंकार करते हुए अपने चेहरे में तग़य्युर पैदा न करे या अपनी आँखों वग़ैरह से इशारा न करे, बल्कि उसे खुली पेशानी क़ुबूल करे। अगरचे उस्ताद ने ग़फ़लत या भूल या उस वक़्त क़ुसूरे नज़र की बिना पर सहीह बात न कही हो क्योंकि वो मासूम नहीं है और उस्ताद से बातचीत के वक़्त ऐसी बात न करे जो लोग ऊमूमन करते हैं। लेकिन उस्ताद के शायाने शान नहीं है जैसे तुम्हें क्या है, तूने समझ लिया, सुन लिया, जानते हो, ऐ इंसान वग़ैरह ज़ालिक। इसी तरह उसके सामने दूसरों के सामने की गई बातचीत न कहो, जिसके ज़रिये उस्ताद को मुख़ातब बनाना मुनासिब न हो, अगरचे वो हिकायत ही हो।

जैसे, फ़लाँ ने फ़लाँ से कहा, तू वफ़ादार नहीं है, तू ख़ैर से ख़ाली है या इस क़िस्म के अल्फ़ाज़, बल्कि जब इन अल्फ़ाज़ को नक़ल करना चाहे तो ऊमूमी तौर पर उनको जिन किनाई अल्फ़ाज़ में बयान किया जाता है, वो इस्तेमाल करे जैसे यूँ कहे, फ़लाँ ने फ़लाँ से कहा वो कम हैसियत, वफ़ादार कम ही है और उस कमीने के यहाँ ख़ैर नहीं वग़ैरह अल्फ़ाज़ और उस्ताद की फ़ौरी तर्दीद करने से एहतिराज़ करे। क्योंकि जो लोग हुस्ने अदब से महरूम हैं वो आम तौर पर ऐसा कर गुज़रते हैं। जैसे उस्ताद उससे कहे तेरे सवाल का ये मक़सद है या तेरे दिल में ये ख़्याल आया है। यूँ न कहे, नहीं! मेरा ये मक़सद नहीं या ये मेरे दिल में नहीं आया वग़ैरह। बल्कि इसका तरीक़ा ये है, अपना कलाम दोहराये, ये न कहे मैंने ये कहा है। मेरा ये मक़सद है जिसमें उसकी तर्दीद हो। इस तरह क्यूँ यूँ की बजाए कहे, हम समझ नहीं सके। अगर हमें यूँ कहा जाये या इससे हमें रोका जाये या हम से फ़लाँ चीज़ के बारे में पूछा जाये इस तरह उस्ताद से हुस्ने अदब और बेहतर अन्दाज़ में सवाल करने वाला होगा।

10. अगर उस्ताद से किसी मसले के बारे में ऐसा हुक्म सुने या ताज्जुब अंगेज़ नुक्ता सुने या वो कोई हिकायत नक़ल करे या कोई शेअर पढ़े जो उसे याद हो, तो वो उसको उस वक़्त पूरी तवज्जह फ़ायदा उठाते हुए यूँ सुने गोया कि उसने ये चीज़ कभी सुनी ही नहीं।

इमाम अता का क़ौल है, मैं एक इंसान से ऐसी हदीस़ सुनता हूँ जिसे मैं उससे बेहतर तौर पर जानता हूँ, तो मैं उसे अपने बारे में यूँ तसव्वुर दिलाता हूँ कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। वो फ़रमाते हैं, मैं एक नौजवान से हदीस़ इस तरह सुनता हूँ गोया कि वो मैंने सुनी ही नहीं। हालांकि मैं वो उसकी पैदाइश से भी पहले सुन चुका होता हूँ। अगर उस्ताद शुरू में उससे उसके याद होने के बारे में सवाल कर ले तो यूँ न कहे, हाँ। क्योंकि इस जवाब में उस्ताद से इस्तिग़ना का इज़हार होता है। न ही 'न' कहे क्योंकि ये झूठ होगा, बल्कि कहे, मुझे उस्ताद से इस्तिफ़ादा पसंद है या मैं उससे सुनना चाहता हूँ या आपकी तरफ़ से ज़्यादा दुरुस्त होगा।

मालूम चीज़ के बारे में दोबारा सवाल न करे। अपने ज़हन को किसी फ़िक्र या बात में मसरूफ़ न करे कि उस्ताद से उसकी बात दोबारा सुनने की ज़रूरत पेश आये, ये बुरा अदब है। बल्कि पहली बार ही उसका कलाम हाज़िरुज़्ज़हन होकर पूरी तवज्जह से सुने। अगर दूर होने की वजह से उस्ताद का कलाम न सुन सके या कान धरने और पूरी तरह तवज्जह के बावजूद न समझ सके तो मअ़ज़रत के साथ इआदा और तफ़्हीम की दरख़्वास्त करे।

11. किसी मसले की तशरीह या सवाल के जवाब में अपने उस्ताद या दूसरों से पहल न करे न मुसाबिक़त करे और उस्ताद से पहले उसकी मअरिफ़त व इदराक का इज़हार न करे। उस्ताद की किसी क़िस्म की बात न काटे, न उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करे और न साथ-साथ बोले। बल्कि उस्ताद की बात के ख़त्म होने तक सब्र करे। फिर बोले और जब उस्ताद उससे या अहले मज्लिस से हमकलाम हो तो किसी और से बात न करे।

हज़रत हिन्द बिन अबी हाला नबी (ﷺ) के बारे में बयान करते हैं कि जब आप (ﷺ) बातचीत करते तो आपके हमनशीन सर झुकाये रहते गोया कि उनके सरों पर परिन्दे बैठे हैं। जब आप (ﷺ) चुप हो जाते तो वो बोलते।

12. उस्ताद जब उसे कोई चीज़ इनायत करे तो उसे दायें हाथ से ले और जब वो उस्ताद को कोई चीज़ पेश करे तो दायें हाथ से पकड़ाये। अगर शागिर्द कोई वरक़ पढ़ रहा हो, या कोई क़िस्सा या कोई शरई तहरीर वग़ैरह तो उसे उस्ताद को खोलकर पेश करे। बंद करके उसके हवाले न करे मगर ये कि उसे मालूम हो। उस्ताद बंद को ही पसंद करता है। अगर उस्ताद उसे कोई किताब दे तो वो उसे खोलने के लिये तैयार होकर पकड़े और पढ़ना शुरू कर दे। उसे उलट-पलट की ज़रूरत पेश न आये। अगर मख़्सूस जगह से पढ़ना हो तो किताब खोलकर जगह मुतअय्यन करके पेश करे। उसकी तरफ़ कोई किताब, काग़ज़ वग़ैरह न फेंके। उसकी तरफ़ हाथ न फैलाये मगर ये कि दूर हो। इस तरह उस्ताद से कोई चीज लेनी या देनी हो तो उस्ताद को हाथ बढ़ाने की ज़रूरत न पेश आने दे। बल्कि सीधा खड़े होकर जाये। घिसटकर न जाये और जब लोग उस्ताद के पास कुछ लेने-देने के लिये बैठे हों। तो उसके इस क़द्र क़रीब होकर न बैठे कि उसे बुरा अदब समझा जाये। अपना पाँव, हाथ या बदन का कोई हिस्सा और कपड़ा, उस्ताद के कपड़े तकिया या मुसल्ले पर न रखे। उसकी तरफ़ हाथ से इशारा न करे और उसे उसके मुँह या सीने के क़रीब न करे या अपने हाथ उसके बदन या कपड़ों पर न लगाये और जब लिखने के लिये क़लम पेश करे तो उसके देने से पहले उसकी तरफ़ बढ़ाये और अगर उसके पास दवात रखे तो उसे खोलकर, ढकना उठाकर लिखने के लिये तैयार करके रखे और अगर उसे छुरी पेश करे तो चौड़ाई में धार अपनी तरफ़ करके पेश करे और फल के क़रीब वाले हिस्से से हाथ पकड़े, फल पकड़ने वाले के दायें तरफ़ हो। उस्ताद की

ख़िदमत में इन्क़िबाज़ महसूस न करे। एक क़ौल है कि बुलंद मक़ाम चाहे हाकिम ही क्यों न हो उसे चार चीज़ों से तकब्बुर नहीं करना चाहिये अपनी जगह से अपने बाप के लिये उठना, अपने उस्ताद की ख़िदमत करना, जिस चीज़ का इल्म नहीं उसके बारे में पूछना और अपने मेहमान की ख़िदमत करना।

13. जब उस्ताद के साथ चले तो रात को आगे हो और दिन को पीछे हो। मगर ये कि हालात का तक़ाज़ा इसके ख़िलाफ़ हो। किसी जगह कीचड़ वग़ैरह होने का इल्म न हो तो आगे बढ़े। अपने साथियों या अपने पास आने वाले लोगों से उस्ताद को आगाह करे, अगर वो उन्हें न जानता हो अगर उस्ताद से मुलाक़ात हो जाये तो सलाम कहने में पहल करे अगर दूर हो तो उसका रुख़ करे। उसे आवाज़ न दे, दूर से या पीछे से उसे सलाम न कहे। बल्कि क़रीब होकर, आगे बढ़कर सलाम कहे। उस्ताद की राय अगरचे ग़लत हो उसकी तग़्लीत न करे और न ये कहे ये तो कोई राय नहीं बल्कि ग़लती की इस्लाह अच्छे तरीक़े से करे। जैसे यूँ कहे कि मस्लिहत इसमें है। यूँ न कहे कि मेरी राय यूँ है वग़ैरह। (इमाम नववी ने अल्मज्मूअ शरह अल्मुहज़्ज़ब के मुक़द्दमे में जिल्द 1 पे.न. 35 से 39 आदाबुल मुतअल्लिम लिखे हैं। मतबूआ दारुल फ़िक्र)

इमाम मुस्लिम (रह.) अपने उस्ताद और अहले इल्म के साथ इन्तिहाई अदब से पेश आते थे। हालांकि मिज़ाज में तेज़ी और शदीद गुस्सा था। जो उनके उस्ताद के साथ मामले और उनके तज़्किरे पर नज़र डालेगा वो देख लेगा कि अल्लाह तआला ने इमाम साहब को अज़ीम अदब से नवाज़ा था।

इमाम मुस्लिम (रह.) लिखते हैं, इमाम सौरी के उस्तादों में, साबित बिन हुरमुज़ है जिसे हुरैमुज़ भी कहा जाता है। इब्ने हिब्बान ने 'सिक़ात' में लिखा है। जिसने उसे इब्ने हुरमुज़ कहा, तो महज़ तस्ग़ीर से बचने के लिये कहा और कहा, याक़ूब बिन सुफ़ियान कूफ़ी सिक़ह है। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 2/15)

इमाम अबू अब्दुल्लाह इब्नुल अख़रम का क़ौल है, मैंने इमाम मुस्लिम (रह.) को इमाम बुख़ारी (रह.) के सामने सीखने वाले बच्चे की तरह सवाल करते देखा। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 9/45)

अबू हामिद अहमद बिन क़स्सार कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज को देखा वो इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) के पास आये। उनकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ उस्तादों के उस्ताद! हदीस की इल्लतों के तबीब! सय्यदुल मुहद्दिसीन, मुझे अपने पाँव का बोसा लेने की इजाज़त दें और बतायें। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी (ﷺ) से मरवी हदीस कफ़्फ़ारतुल मज्लिस में क्या इल्लत है? इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) ने फ़रमाया, ये निहायत उम्दा हदीस है। मेरे इल्म में दुनिया में इस सिलसिले में इसके सिवा कोई हदीस नहीं है मगर ये मअलूल है। मुझे ये हदीस मूसा बिन इस्माईल ने वुहैब के वास्ते सुहैल से बयान की वो उसे औन बिन अब्दुल्लाह से उसके क़ौल की सूरत में बयान करते हैं। उसे मूसा बिन उक़्बा, सुहैल से वो अपने बाप के वास्ते से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से

बयान करते हैं हालांकि मूसा बिन उ़क़बा को सुहैल से सुनने का मौक़ा नहीं मिला। इसलिये वहैब वाली सनद बेहतर है। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/91)

इमाम मुस्लिम (रह.) का अपने उस्ताद, इमाम बुख़ारी (रह.) और इमाम ज़ुहली (रह.) के सिलसिले में आज़माइश :

इमाम मुस्लिम (रह.) को अपने दौर के दो इन्तिहाई जलीलुल क़द्र उस्ताद, इमाम बुख़ारी (रह.) और इमाम ज़ुहली (रह.) के सिलसिले में आज़माइश से गुज़रना पड़ा। यहाँ तक कि इस आज़माइश से इमाम मुस्लिम (रह.) की इ़ल्मी और अ़मली ज़िन्दगी मुतास्सिर हुई। इस आज़माइश ने संगीनी इख़्तियार की और इसका ख़तरा शदीद हो गया। यहाँ तक कि इमाम मुस्लिम (रह.) को अपने उस्ताद इमाम ज़ुहली को छोड़ना पड़ा। जिसके ज़ेरे साया परवरिश पाई थी और वो उनका हम वतन और हम शहर था। फिर उसका शर (बिगाड़) और बढ़ गया और संगीन हो गया यहाँ तक कि अपने पास उस्ताद को छोड़ दिया जिसने उसे फ़न्ने हदीस़ की तालीम दी थी और उनके हाथों नशोनुमा पाई थी और जिसके हाथों और क़दमों को बोसा देते थे अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ को अलग-अलग हालात से दोचार फ़रमाता है।

मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली के साथ दूरी की शुरूआत :

इमाम मुस्लिम (रह.) के मिज़ाज में तेज़ी और जोशे ग़ज़ब था। उनके दौर के उ़लमा ने उनकी ये ख़ामी बयान की है। कई बार ये जोश जल्द क़रार पकड़ लेता और कई बार पुरजोश शुयूख़ की नाराज़ी का बाइस़ बन जाता। जैसाकि शुरूआत में मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली के साथ वाक़ेअ हुआ।

मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली नीशापूर के जलीलतरीन अहले इ़ल्म में से हैं, इमाम मुस्लिम (रह.) के उस्ताद में से हैं बल्कि अपने ज़माने के बुलंद मक़ाम और बुलंद शान आ़लिम हैं। उसके बावजूद इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह में उनसे कोई हदीस़ बयान नहीं की। इसकी वजह आपस के कुछ मसलों का इख़्तिलाफ़ है। दोनों ही जोशे ग़ज़ब का शिकार थे। जिसने ज़माने के गुज़रने के साथ बहुत दूरी पैदा कर दी।

यहाँ तक कि इमाम अबू ज़रआ ने कहा, इमाम मुस्लिम अ़क़्ल से कोरा है। अगर ये मुहम्मद बिन यहया के साथ नर्म बर्ताव इख़्तियार करता, मर्दे कामिल बन जाता। (तहज़ीबुल कमाल : 26/627) यानी उसका इ़ल्म बढ़ता और ज़्यादा होता।

इमाम मक्की बिन अ़ब्दान बयान करते हैं, इमाम दाऊद बिन अ़ली अस्फ़हानी, इमाम इस्हाक़ बिन राहवे के दिनों में नीशापूर गये। अहले इ़ल्म ने उनके लिये फ़िक्री मज्लिस क़ायम की। उसमें इमाम

मुस्लिम और मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली का बेटा भी शरीक हुए। एक मसला छिड़ा। यहया ने उसके बारे में बातचीत की तो इमाम दाऊद ने उसे डाँट पिलाई। कहा, ऐ बच्चे! ख़ामोश हो जा। इमाम मुस्लिम (रह.) ने उसकी हिमायत न की। उसने वापस आकर अपने बाप के सामने इमाम दाऊद की शिकायत की। बाप ने पूछा, वहाँ कौन था? उसने कहा, इमाम मुस्लिम, उसने मेरी हिमायत न की। बाप ने कहा, मैंने उन तमाम अहादीस़ से रुजूअ कर लिया जो मैंने उसे बयान की थीं। ये बात इमाम मुस्लिम तक पहुँची तो उन्होंने उनकी तमाम लिखी हुई अहादीस़ इकट्ठा करके एक टोकरी में डालकर इमाम ज़ुहली की ख़िदमत में भेज दीं और कहा, मैं कभी तुम्हारी बयान की हुई हदीस़ बयान नहीं करूँगा। इस वाक़िये के बाद भी इमाम मुस्लिम, इमाम ज़ुहली (रह.) की मज्लिस में आते-जाते रहे। बस इमाम बुख़ारी के वाक़िये के सबब उनसे अलग हो गये। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/571-572)

इमाम बुख़ारी (रह.) का इमाम ज़ुहली के साथ इब्तिला और आज़माइश :

इमाम बुख़ारी (रह.) का अपने दौर के आलिम, फ़ाज़िल, बुलंद शान, साहिबे इल्म, इमाम मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली (रह.) के साथ संगीन इब्तिला पेश आया। जिसकी वजह उन्हीं के ज़माने के अहले इल्म का आपसी तनाफ़ुस और हसद बनता है और इमाम बुख़ारी और इमाम ज़ुहली (रह.) के दरम्यान ये इब्तिला इस क़िस्म का है जबकि दोनों बड़ी शख़्सियतें हैं और इस इब्तिला में इमाम बुख़ारी (रह.) हक़ पर और मज़्लूम हैं। हमारी अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला दोनों को माफ़ फ़रमाये और उन लोगों की फ़ेहरिस्त में दाख़िल फ़रमाये जिनके बारे में उसका फ़रमान है, 'और उनके सीनों में जो कीना है हम उसको निकाल लेंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी।' (सूरह आराफ़ : 43)

इस आज़माइश का इमाम मुस्लिम (रह.) की इल्मी ज़िन्दगी पर उमूमी और उनकी सहीह पर ख़ुसूसी अस़र हुआ। इमाम बुख़ारी अपने दौर के उलमा के यहाँ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम थे। हर जगह उनका चर्चा था। इसी मर्तबे ने अपने ज़माने के इमाम और अपने दौर के आलिम मुहम्मद बिन यहया को इमाम बुख़ारी (रह.) के नीशापूर आने की दावत देने पर आमादा किया।

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज (रह.) का बयान है जब इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) नीशापूर तशरीफ़ लाये। मैंने नहीं देखा कि अहले नीशापूर ने किसी हुक्मरान या आलिम का ऐसा इस्तिक़बाल किया हो जिस क़िस्म का इस्तिक़बाल इमाम बुख़ारी (रह.) का किया। लोग उनके इस्तक़बाल के लिये शहर से दो या तीन मंज़िल आगे गये। (मुक़द्दमा फ़तहुल बारी : 512, सियरु आलामिन्नुबला :12/458)

इमाम मुहम्मद बिन याक़ूब अख़रम का बयान है, मैंने अपने साथियों से सुना, जब इमाम बुख़ारी (रह.) नीशापूर आये तो उनके इस्तक़बाल के लिये चार हज़ार घुड़सवार निकले। खच्चर, गधे पर सवार और पैदल उनके अलावा थे। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/437)

इमाम हसन बिन मुहम्मद बिन जाबिर बयान करते हैं, जब इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) नीशापूर आये तो हमें मुहम्मद बिन यहया ने कहा, उस सालेह इंसान के पास जाओ, उससे सुनो। तो लोग उनके पास जाने लगे और उनसे सिमाअ के लिये उनकी तरफ़ बढ़े। जिससे मुहम्मद बिन यहया की मज्लिस में ख़लल पैदा हो गया। इससे वो हसद में मुब्तला हो गये और उन पर जरह शुरू कर दी। (तारीख़ेबग़दाद:2/30, तबक़ातुस्सुबकी:2/330, सियरुआलामिन्नुबला:12/453, मुक़द्दमतुलफ़तह:491)

जबकि इमाम बुख़ारी (रह.) की आमद पर ख़ुद मुहम्मद बिन यहया ने ऐलान किया था। जो कल मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) के इस्तिक़बाल के लिये जाना चाहे वो इस्तिक़बाल करे। क्योंकि मैं ख़ुद उसका इस्तिक़बाल करूँगा। लिहाज़ा ख़ुद मुहम्मद बिन यहया और नीशापूर के उलमा ने उमूमन उनका इस्तिक़बाल किया। वो शहर में आये और अहले बुख़ारा के मुहल्ले में उतरे। मुहम्मद बिन यहया ने तलामिज़े से कहा, उनसे कलाम के बारे में किसी क़िस्म का सवाल न करना क्योंकि अगर उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जवाब दिया तो हमारे और उसके दरम्यान इख़्तिलाफ़ पैदा हो जायेगा। हमारे ख़िलाफ़ नासबियों, राफ़ज़ियों, जहमियों और ख़ुरासान के जहमिया को ख़ुश होने का मौक़ा मिलेगा। मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) के यहाँ लोगों का जमाव हो गया। यहाँ तक कि घर और छतें भर गईं। उनकी आमद के दूसरे या तीसरे दिन किसी आदमी ने क़ुरआन के अल्फ़ाज़ पढ़ने के बारे में पूछ लिया। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा, हमारे काम मख़्लूक़ हैं और हमारे अल्फ़ाज़ हमारे काम हैं। इस पर लोगों में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया। किसी ने कहा, उसने कहा, मेरा क़ुरआन का तलफ़्फ़ुज़ करना मख़्लूक़ है। किसी ने कहा, उसने ये नहीं कहा। इस तरह लोगों में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया यहाँ तक कि वो एक-दूसरे की तरफ़ (लड़ाई के लिये) बढ़े। मुहल्ले के लोग जमा हो गये और उन लोगों को निकाल दिया। (सियरु आलामिन्नुबला :12/458, यहाँ ताम की जगह तवासबू है एक दूसरे पर पिल पड़े। मुक़द्दमतुल फ़तह, पे. न.: 515)

नोट : इस मसले में हक़ीक़त ये है इमाम अहमद, इमाम ज़ुहली और इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक क़ुरआन लफ़्ज़न और मअनन् अल्लाह का कलाम है। इस हद तक कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है लेकिन लफ़्ज़ी बिल्क़ुरआन मख़्लूक़ है या ग़ैर मख़्लूक़ है ये कहने में इख़्तिलाफ़ है। इमाम अहमद और इमाम ज़ुहली इसको दुरुस्त नहीं समझते क्योंकि लफ़्ज़ दो मानी में इस्तेमाल होता है। (1) क़ुरआन के अल्फ़ाज़ (2) क़ुरआन के अल्फ़ाज़ पढ़ना और अपनी ज़बान से उनको अदा करना। पहले मानी की रू से अल्फ़ाज़े क़ुरआन अल्लाह का कलाम है। इंसानी काम का उसमें कोई दख़ल नहीं है। दूसरे मानी के ऐतबार से अल्फ़ाज़ की क़िरअत और तिलावत इंसान ने की है इसलिये वो इंसान का फ़ैअल व अमल है।

पहले मानी की रू से मख़्लूक़ कहना सहीह नहीं है और दूसरे मानी की रू से उसे ग़ैर मख़्लूक़ कहना सहीह नहीं है और आम आदमी दोनों मअनों में फ़र्क़ व इम्तियाज़ नहीं कर सकता। इसलिये इमाम अहमद और इमाम ज़ुहली (रह.) कहते थे, लफ़्ज़ी बिल्कुरआन मख़्लूक़ या ग़ैर मख़्लूक़ कहना दुरुस्त नहीं है ताकि ग़लत मानी का इश्तिबाह पैदा न हो। लेकिन इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद ये है अहले इल्म को उन दोनों में फ़र्क़ करना चाहिये और ज़रूरत के वक़्त उसका इज़हार भी करना चाहिये ये मसला इल्मी है। अवामी नहीं है। (अब्दुल अज़ीज़ अलवी)

अबू अहमद बिन अदी कहते हैं, मुझे शुयूख़ की एक जमाअत ने बताया, जब मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) नीशापूर आये, लोग उनके आस-पास जमा हो गये। तो उस वक़्त के नीशापूर के कुछ उलमा के दिल में लोगों का उनकी तरफ़ मुतवज्जह होना और उनके आस-पास जमा होना हसद का सबब बन गया। तो उसने तलबाए हदीस से कहा, मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) कहता है, कुरआन का तलफ़्फ़ुज़ मख़्लूक़ है। मज्लिस में उसका इम्तिहान लो। तो जब लोग बुख़ारी (रह.) की मज्लिस में आये, एक आदमी ने उठकर कहा, ऐ अबू अब्दुल्लाह! आप क्या कहते हैं, लफ़्ज़ी बिल्कुरआन मख़्लूक़ है या ग़ैर मख़्लूक़ है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने उससे मुँह फेर लिया। कोई जवाब न दिया। उसने दोबारा यही सवाल किया और इमाम साहब ने उससे ऐराज़ किया। उसने फिर तीसरी बार यही सवाल किया। इमाम बुख़ारी (रह.) उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, कुरआन अल्लाह का कलाम ग़ैर मख़्लूक़ है और बन्दों के काम मख़्लूक़ हैं और इम्तिहान लेना बिदअत है। उसने शोर डाल दिया और लोगों ने भी शोर डाला और मुन्तशिर हो गये और इमाम बुख़ारी (रह.) अपनी जगह बैठे रहे। (सियरु आलामिन्नुबला : 2/453-454, इस रिसाले के मुसन्निफ़ ने सीरतुल बुख़ारी के नाम से रिसाला लिखा है उसमें इस आज़माइश पर तफ़्सीली तौर पर लिखा है।)

बहुत से उलमा की ये बहुत ख़्वाहिश थी कि इस मसले के बारे में बहस़-मुबाहिस़ा न किया जाये ताकि आम मुसलमान इस मसले में इल्तिबास का शिकार न हो जायें। पस काफ़ी है कि हम कहें कुरआन अल्लाह का कलाम है जो मुस्हफ़ के दोनों गत्तों के अंदर मौजूद है, स्याही से काग़ज़ पर लिखा गया है ये अल्लाह का कलाम है जिसे क़ारी अपनी आवाज़ में पढ़ता है, कलाम तो अल्लाह का कलाम है और आवाज़ पढ़ने वाले की आवाज़ है।

इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं, मैंने अबू क़ुदामा अब्दुल्लाह बिन सईद सरख़सी को कहते सुना, हमेशा मैं अपने साथियों से सुनता रहा हूँ कि बन्दों के अफ़आल मख़्लूक़ हैं?

इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) ने फ़रमाया, उनकी हरकात, आवाज़ें उनके कसब (अमल) और किताबत मख़्लूक़ है मगर क़ुरआने मुबीन जिसे मुस्हफ़ में लिखा जाता है, दिलों में याद

रखा जाता है (पढ़ा जाता है) वो अल्लाह का कलाम ग़ैर मख़्लूक़ है, अल्लाह तआला का फ़रमान है बल्कि ये वाज़ेह आयतें हैं, उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म दिया गया है। (सूरह अन्कबूत, मुक़द्दमतुल फ़तह दारुस्सलाम, पेज नं. 685)

इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) का क़ौल है, उऐया (जिस चीज़ में क़ुरआन महफ़ूज़ किया गया है) के मख़्लूक़ होने में कौन शक कर सकता है। (मुक़द्दमतुल फ़तह : 685)

इमाम बुख़ारी (रह.) के लिये ये फ़ित्ना संगीन सूरत इख़्तियार कर गया। उसकी चिंगारी शदीद हो गई और ख़तरा बढ़ गया। यहाँ तक कि मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली (रह.) ने लोगों को इमाम बुख़ारी (रह.) से ख़ौफ़ज़दा किया।

अबू हामिद आमाश बयान करते हैं, मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) को अबू उसमान सईद बिन मरवान के जनाज़े में देखा। मुहम्मद बिन यहया (ज़ुहली) उनसे नामों, कुन्नियतों और इलले हदीस़ के बारे में सवाल कर रहे थे और मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) उनमें तीर की तेज़ी से गुज़र रहे थे। इस पर एक माह ही गुज़रा था कि मुहम्मद बिन यहया ने कह दिया, ख़बरदार! जो उनकी मज्लिस में आना-जाना रखता है वो हमारे यहाँ न आये-जाये क्योंकि अहले बग़दाद ने हमें लिखा है, उसने (क़ुरआन के) लफ़्ज़ के बारे में बातचीत की है और हमने उसे रोका है लेकिन वो बाज़ नहीं आया। लिहाज़ा तुम भी उसके क़रीब न जाओ और जो उसके पास जाये वो हमारे पास न आये और मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) कुछ अरसा रहे फिर बुख़ारा चले गये। (तारीख़े बग़दाद: 2/31, तबक़ाते सुबुकी : 2/229, सियरु आलामिन्नुबला : 12/455)

मुहम्मद बिन यहया का क़ौल है, क़ुरआन अल्लाह का कलाम है और हर जहत से ग़ैर मख़्लूक़ है। इसमें कोई तसर्रुफ़ भी हो, जो इसकी पाबंदी करेगा वो क़ुरआन के बारे में लफ़्ज़ और दूसरी बातचीत से बेनियाज़ हो जायेगा और जिसका नज़रिया ये है कि क़ुरआन मख़्लूक़ है उसने कुफ़्र किया। वो ईमान से निकल गया और उसकी बीवी उससे अलग हो गई। उससे तौबा करवाई जायेगी। अगर तौबा कर ले तो ठीक वरना उसकी गर्दन मार दी जायेगी और उसका माल मुसलमानों में बतौर ग़नीमत तक़सीम कर दिया जायेगा और उसे मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न नहीं किया जायेगा और जो इस मसले में ख़ामोशी करे और कहे कि मैं न मख़्लूक़ कहता हूँ और न ग़ैर मख़्लूक़, उसने कुफ़्र से मुशाबिहत इख़्तियार की और जिसने कहा, मेरा क़ुरआन का तलफ़्फ़ुज़ करना मख़्लूक़ है वो बिदअती है। उसके पास न बैठा जाये और न बातचीत की जाये और जो आज के बाद मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी के पास गया उसको भी मुत्तहम क़रार दो क्योंकि उनकी मज्लिस में वही हाज़िर होगा जो उन जैसा मौक़िफ़ रखता है। (तारीख़े बग़दाद : 2/31-32, सियरु आलामिन्नुबला : 1/455, 456)

आप इससे ये समझ सकते हैं, इस्लाम की इन दो बड़ी शख़्सियतों में इस अ़ज़ीम इख़्तिलाफ़ और इब्तिला का क्या सबब था जिसने दोनों में जुदाई पैदा कर दी?

मुहम्मद बिन शाज़ली कहते हैं, जब मुहम्मद बिन यहया और बुख़ारी (रह.) के दरम्यान इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया मैं बुख़ारी (रह.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! आपके और मुहम्मद बिन यहया के दरम्यान जो इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया है हमारे लिये उससे बचने का हीला (उपाय) क्या है? जो आपके पास आता है, उसको धुतकार दिया जाता है? उन्होंने कहा, मुहम्मद बिन यहया को इल्म के सिलसिले में किस क़द्र हसद लाहिक़ हो गया है? इल्म अल्लाह की इनायत है वो जिसे चाहे इनायत फ़रमा दे। मैंने पूछा, ये मसला जो आप से नक़ल किया जाता है उसकी हक़ीक़त क्या है? फ़रमाया, ऐ बेटा! ये मन्हूस मसला है। मैंने इस सिलसिले में अहमद बिन हम्बल (रह.) के साथ जो सुलूक हुआ है वो देखा है इसलिये मैंने अपने ऊपर ये लाज़िम क़रार दिया है कि इसके बारे में बातचीत नहीं करूँगा। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/456-457)

बक़ौले इमाम ज़हबी, मसला ये है क्या लफ़्ज़ मख़्लूक़ हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ख़ामोशी की और ख़ामोशी के बाद बतौरे हुज्जत कहा, हमारे अफ़आल मख़्लूक़ हैं। इससे ज़ुहली ने ये ख़्याल किया, उसने ये बात लफ़्ज़ के सिलसिले में कही और इस पर जिरह कर दी। गोया कि ज़ुहली वग़ैरह ने उनके क़ौल के लाज़िम को ले लिया। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/457) (हालांकि जुम्हूर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक लाज़िम मज़हब, मज़हब नहीं होता।)

अहमद बिन सलमा का क़ौल है, मैं अबू अ़ब्दुल्लाह बुख़ारी (रह.) के पास आया और कहा, ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! ये आदमी ख़ुरासान ख़ुसूसन इस शहर (नीशापूर) में मक़्बूल है (क़ुबूलियते आ़म हासिल है) और इस बात पर वो अड़ गया है जैसाकि आप समझते हैं। हममें से कोई इस सिलसिले में उससे बातचीत नहीं कर सकता। तो उन्होंने दाढ़ी पकड़कर कहा, **'मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, वो बन्दों से ख़ूब आगाह है।'** (सूरह ग़ाफ़िर : 44) ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने नीशापूर में फ़ख़्र व ग़ुरूर और इतराने के लिये क़ियाम नहीं किया, न सरदारी की तलब है, मेरे वतन में मुख़ालिफ़ीन के ग़ल्बे की बिना पर मैं उधर जाना नहीं चाहता। ये आदमी अल्लाह ने जो (इल्म) मुझे इनायत फ़रमाया, उस पर हसद करता है। फिर कहा, ऐ अहमद! मैं कल चला जाऊँगा ताकि तुम मेरी ख़ातिर उसकी जरह से बच जाओ। मैंने अपने कुछ साथियों को उनके अ़ज़्म से आगाह कर दिया। अल्लाह की क़सम! मेरे अ़लावा कोई और उनको अल्विदाअ़ कहने न आया। जब वो शहर से निकले तो मैं उनके साथ था। वो अपने मामले की इस्लाह की ख़ातिर तीन दिन शहर के दरवाज़े पर ठहरे रहे। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/459, मुक़द्दमतुल फ़तह दारुस्सलाम : 85/1, मुक़द्दमे में इस पेज वाली इबारत नहीं है। मुक़द्दमतुल फ़तह, पे. न.684)

इमाम मुस्लिम (रह.) और इमाम बुख़ारी (रह.) का इख़्तिलाफ़ :

जो इंसान बुख़ारी और मुस्लिम की सीरत का ततब्बोअ़ (मुतालआ) करेगा वो जान लेगा वो आपस में बाप और बेटे की तरह थे। जिनमें गहरा ताल्लुक़ था। सिर्फ़ उस्ताद व शागिर्द का रिश्ता न था। बल्कि बक़ौल इमाम दारे क़ुतनी, अगर बुख़ारी न होते तो मुस्लिम कुछ पेश न कर सकते।

तो क्या वजह है कि मुस्लिम (रह.) ने इमाम ज़ुहली के बाद इमाम बुख़ारी (रह.) से भी ताल्लुक़ात तोड़ लिये और अपनी सहीह में उनसे कोई रिवायत नहीं बयान की। कोई मामूली मामला नहीं है जिसकी बिना पर ये जुदाई और क़तअ ताल्लुक़ी हो गई। हम बुख़ारी और मुस्लिम (रह.) के मिज़ाज पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं।

हाफ़िज़ मुहम्मद बिन याक़ूब अपने बाप से नक़ल करते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज (रह.) को बुख़ारी (रह.) के सामने तालिबे इल्म बच्चे की तरह सवाल करते देखा। (तारीख़े दमिश्क़ मदीना : 52/90)

इमाम ख़तीब कहते हैं, मुस्लिम (रह.) ने बुख़ारी (रह.) के रास्ते की पैरवी की। उनके इल्म का जायज़ा लिया और उनका तरीक़ा अपनाया। जब आख़िर में बुख़ारी (रह.) नीशापूर आ गये मुस्लिम उनके साथ जुड़ गये और उनके यहाँ मुसलसल आना-जाना रखा और मुझे उ़बैदुल्लाह बिन अहमद बिन उ़समान सीरफ़ी ने बताया मैंने अबुल हसन दारे क़ुतनी से सुना कि अगर बुख़ारी न होते तो इमाम मुस्लिम (रह.) कुछ पेश न कर सकते। (तारीख़े दमिश्क़ मदीना जिल्द 58/90)

अबू सईद हातिम किन्दी कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज (रह.) से सुना जब मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) नीशापूर आये तो मैंने देखा, अहले नीशापूर ने किसी हुक्मरान और आ़लिम के साथ वो सुलूक नहीं किया जो मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) के साथ किया। दो तीन मंज़िल आगे जाकर उनका इस्तिक़बाल किया। (तारीख़े दमिश्क़ : 52/92)

बल्कि हम तो देखते हैं, मुस्लिम ने बुख़ारी की ग़ल्तियों को भी अपनाया।

अ़ब्दुल ग़नी बिन सईद का क़ौल है, हरब बिन मैमून अकबर (बड़ा) अबू ख़त्ताब है और हरब बिन मैमून अस्ग़र (छोटा) अबू अ़ब्दुर्रहमान है। उनके बारे में बुख़ारी वहम का शिकार हुए। सबसे पहले मुझे इस बात से अ़ली बिन उ़मर ने आगाह किया और मुझे कहा, इस ग़लती में मुस्लिम (रह.) ने भी उनकी पैरवी की है और दोनों को एक क़रार दिया है और मुझे कहा, इस वजह से हम ये दलील लेते हैं कि मुस्लिम (रह.) ने बुख़ारी (रह.) की पैरवी की है। उनके इल्म का जायज़ा लिया और उस पर अ़मल किया। अबू बकर बिन मन्जूया का क़ौल है, किसी ने अबू अ़ब्दुर्रहमान हरब बिन मैमून और अबू ख़त्ताब बिन मैमून के दरम्यान फ़र्क़ किया और उनको दो साथी क़रार दिया। अबू अ़ब्दुर्रहमान साहिबुल अग़्मिया

इबादत गुज़ार था। हमने इम्तियाज़ क़ायम करने की ख़ातिर उसका तज़्किरा किया है। बहुत से लोगों ने एक क़रार दिया और बहुत से हज़रात ने उन को अलग-अलग क़रार दिया और इन्शाअल्लाह यही दुरुस्त है। (तहज़ीबुल कमाल : 5/536)

अबू अहमद हाकिम (रह.) कहते हैं, अबू इमरान सुलैमान बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी जो उम्मे दरदा के क़ाइद और उनसे रावी हैं, उससे स़अल्बा बिन मुस्लिम ख़स्अ़मी बयान करते हैं और अबू ईसा भी मेरे ख़्याल में वो सुलैमान बिन कैसान तमीमी है, पहले उसे अबू इमरान सुलैम शामी अन्सारी उम्मे दरदा का मौला कहा है जो उम्मे दरदा और ज़वाइद साबिअ़ से बयान करता है, उससे स़अल्बा बिन मुस्लिम ख़स्अ़मी और उ़समान बिन अ़ता ख़ुरासानी ने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) के वास्ते से रिवायत बयान की है। मेरे नज़दीक सुलैमान और सुलैम दोनों एक हैं और क़वी बात ये है कि वो सुलैम है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी तारीख़ में उसका अलग सुलैमान के बाब में तज़्किरा किया है और इमाम मुस्लिम भी अपनी किताब **'अल्असामी वल्कुना'** में उन्हीं की राह पर चले हैं और अबू इमरान के बाब में दो जगह उसका ज़िक्र किया है और मेरे ख़्याल में वो वहम का शिकार हुए। शायद मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) को नक़ल करने में ग़लती लग गई, नून को गिराकर सुलैमान की जगह सुलैम के बाब में लिख दिया। उन्हें कई जगह अपनी किताब में ग़लती लगी है। ख़ास कर शामियों की रिवायत में। इमाम मुस्लिम ने उन्हीं की किताब से नक़ल किया है। उनकी ग़लती में भी उनकी पैरवी की है। कभी घुड़सवार भी ठोकर खा जाता है, अल्लाह तआला अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) पर रहम फ़रमाये, मेरे इल्म में कोई आदमी हदीस़ की मअ़रिफ़त में उनकी बराबरी का नहीं है। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 22/341)

अगर हम दोनों शुयूख़ के जोड़ की जुस्तजू में लगे रहें तो बहस़ तवील हो जायेगी, जिसकी ये किताब मुतहम्मिल नहीं, बात वही है जो हम बयान कर चुके हैं यानी मुस्लिम की तेज़ी और फ़ौरन गुस्से में आने का नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने सबसे बड़े उस्ताद जिस पर इमाम मुस्लिम (रह.) की नज़र पड़ी थी जुदाई इख़्तियार कर ली।

अबू बकर ख़तीब कहते हैं, मुस्लिम, बुख़ारी का दिफ़ाअ़ करते थे यहाँ तक कि बुख़ारी (रह.) के सबब मुहम्मद बिन यहया और मुस्लिम के दरम्यान वहशत पैदा हो गई। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/573, तारीख़े बग़दाद : 13/103)

इमाम ज़हबी (रह.) कहते हैं, इमाम मुस्लिम (रह.) अपनी तबीअ़त की तेज़ी के बाइस़ बुख़ारी (रह.) से भी अलग हो गये और अपनी सहीह में उनसे कोई हदीस़ बयान नहीं की और नाम तक नहीं लिया। बल्कि अपनी किताब के मुक़द्दमे में मुअनअ़न रावी के लिये लिक़ा की (आपसी मुलाक़ात) शर्त

पर तन्क़ीद की और दावा किया हम असर होना ही काफ़ी है ये इज्माई मसला है और उनकी आपसी मुलाक़ात से वाक़िफ़ होने पर मौक़ूफ़ नहीं है। जिन्होंने ये शर्त लगाई है उनको सरज़निश की है। हालांकि ये शर्त अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी और उनके उस्ताद अली बिन मदीनी ने लगाई है और यही क़वी मौक़िफ़ है और यहाँ मसले की तफ़्सील बयान करने का मौक़ा नहीं है। (सीर आलामुन्नबला : 12/573)

इमाम मुस्लिम (रह.) का मौक़िफ़ :

इमाम मुस्लिम (रह.) ने शुरूआत में बहुत ही हैरत अंगेज़ रवैया इख़्तियार किया। वो दोनों बुख़ारी और ज़ुहली के यहाँ आते जाते थे। जब देखा फ़ित्ना संगीन हो गया है और शिद्दत पैदा हो गई है और ज़ुहली ने उनसे बुख़ारी के पास जाने से इख़्तिलाफ़ किया है तो पहले ज़ुहली से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया, फिर दोनों से अलग होकर अकेलापन इख़्तियार कर लिया।

हाफ़िज़ मुहम्मद बिन याक़ूब कहते हैं, जब बुख़ारी (रह.) ने नीशापूर को वतन बना लिया, मुस्लिम बिन हज्जाज कसरत के साथ उनके यहाँ आने-जाने लगे और जब ज़ुहली और बुख़ारी के दरम्यान लफ़्ज़ के मसले में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया और ज़ुहली ने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और लोगों को उनके पास जाने से रोका। मुस्लिम बिन हज्जाज के सिवा उमूमन लोग उनसे अलग हो गये। एक दिन ज़ुहली ने कहा, ख़बरदार! जो लफ़्ज़ का क़ाइल है उसके लिये हमारी मज्लिस में आना जाइज़ नहीं है। तो मुस्लिम ने अपनी पगड़ी पर अपनी चादर रखी और सब लोगों के सामने खड़े हो गये और ज़ुहली से जो कुछ लिखा था एक ऊँट पर उनकी तरफ़ भेज दिया। मुस्लिम, लफ़्ज़ के बारे में खुल कर बात करते थे, छिपाते नहीं थे। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/460, मुक़द्दमतुल फ़तह : 685)

मुहम्मद बिन याक़ूब अख़रम कहते हैं, मैंने अपने साथियों से सुना, जब ज़ुहली की मज्लिस से मुस्लिम बिन हज्जाज और अहमद बिन सलमा उठ गये तो ज़ुहली ने एक दिन कहा, ये आदमी मेरे साथ इस शहर में नहीं रह सकता। तो बुख़ारी (रह.) डर गये और सफ़र कर गये। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/460, मुक़द्दमतुल फ़तह : 685)

(मुसन्निफ़ ने ऊपर वाला पेराग्राफ दोबारा नक़ल कर दिया है, इसलिये उसे छोड़ दिया गया है) इमाम मुस्लिम, बुख़ारी (रह.) का दिफ़ाअ करते थे यहाँ तक कि उन्हीं की ख़ातिर ज़ुहली और मुस्लिम में वहशत पैदा हो गई फिर आख़िरकार बुख़ारी को भी छोड़ दिया।

अहले इल्म का मुस्लिम की तारीफ़ करना :

इमाम मुस्लिम की उनके ज़माने में और उसके बाद बहुत तारीफ़ की गई है बल्कि दुनिया के तमाम अतराफ़ में उनकी बहुत तारीफ़ की गई है और क़ियामे क़यामत तक, जब तक उनकी सहीह बाक़ी रही तारीफ़ होती रहेगी।

अबू अम्र मुस्तमली बयान करते हैं, 251 हिजरी में हमें इस्हाक़ कोसज ने लिखवाया और मुस्लिम इन्तिख़ाब कर रहे थे और मैं उस्ताद के अल्फ़ाज़ आगे नक़ल कर रहा था, इस्हाक़ ने उन्हें देख कर कहा, जब तक अल्लाह आपको मुसलमानों के लिये ज़िन्दा रखेगा, हम ख़ैर से महरूम नहीं होंगे।
(सियरु आलामिन्नुबला : 12/563)

इस्हाक़ बिन इब्राहीम हन्ज़ली ने मुस्लिम बिन हज्जाज पर नज़र दौड़कर कहा, मर्द इक ईं बूद, ख़तीब ने ये बात मुन्कदरी के वास्ते से हाकिम से नक़ल की है और मुन्कदरी ने इस जुम्ले की तफ़्सीर ये की है, वो कितना अज़ीम आदमी था। (तारीख़े दमिश्क़ : 58/88)

अहमद बिन सलमा कहते हैं, अबू ज़रआ और अबू हातिम की सहीह मअरिफ़त के सिलसिले में अपने दौर के शुयूख़ पर मुस्लिम बिन हज्जाज को मुक़द्दम ठहराते थे। (तहज़ीबुल कमाल : 27/506)

मुहम्मद बिन बश्शार बिन्दार का क़ौल है, दुनिया में हाफ़िज़ चार हैं, रै में अबू ज़रआ, नीशापूर में मुस्लिम बिन हज्जाज, समरकन्द में अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान दारमी और बुख़ारा में मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी। (तारीख़े बग़दाद : 2/16)

हाफ़िज़ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन याक़ूब बिन अख़रम का क़ौल है, नीशापूर से तीन आदमी निकले हैं, मुहम्मद बिन यहया, मुस्लिम बिन हज्जाज और इब्राहीम बिन अबी तालिब।
(सियरु आलामिन्नुबला : 129/565)

हाफ़िज़ अबू क़ुरैश कहते हैं, मैं अबू ज़रआ के यहाँ था तो मुस्लिम बिन हज्जाज ने आकर सलाम कहा और दोनों कुछ देर तक मुज़ाकरा करते रहे। जब मुस्लिम उठ खड़े हुए मैंने अबू ज़रआ से कहा, उसने चार हज़ार सहीह अहादीस जमा की हैं। तो अबू ज़रआ ने कहा, बाक़ी क्योंकि छोड़ दीं।
(तहज़ीबुल कमाल : 26/627)

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब फ़र्रा का क़ौल है, मुस्लिम बिन हज्जाज, लोगों के आलिम और इल्म का मख़्ज़न हैं। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/579)

अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम का क़ौल है, मुस्लिम सिक़ह हाफ़िज़ हैं। मैंने उनसे रे में अहादीस लिखीं, मेरे बाप से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सदूक़ हैं। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/564)

अबू अम्र बिन हम्दान कहते हैं, मैंने हाफ़िज़ इब्ने अक़दा से बुख़ारी और मुस्लिम के बारे में पूछा, दोनों में से बड़ा आलिम कौन है? तो उसने कहा, मुहम्मद यानी बुख़ारी आलिम है और मुस्लिम भी आलिम है। मैंने बार-बार यही सवाल दोहराया। तो उसने कहा, ऐ अबू अम्र मुहम्मद अहले शाम के

बारे में कभी ग़लती कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी किताबों से देखा है, इसलिये कई बार उनमें किसी का ज़िक्र उसकी कुन्नियत से कर जाते हैं और दूसरी जगह उसके नाम से तज़्किरा करते हैं, उन्हें उनके दो होने का वहम लाहिक़ हो जाता है और मुस्लिम इलल में ग़लती कम ही करते हैं क्योंकि उसने मुस्नद अहादीस़ लिखी हैं मक़तूअ या मुरसल नहीं लिखीं। इमाम ज़हबी (रह.) कहते हैं, मक़्तूअ से मुराद फ़िक़ह और तफ़सीर में सहाबा और ताबेईन के अक़्वाल मुराद हैं। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/565)

आगे एक क़ौल नक़ल किया है जो पीछे गुज़र चुका है।

रावियों के बारे में इल्म और उन पर नक़द :

इल्मुर्रिजाल और नुदरत रखना इल्म व फ़न्न है क्योंकि हदीस़ की सेहत व ज़ौफ़ इसी पर मौक़ूफ़ है और इसकी बुनियाद पर सेहत व फ़साद का हुक्म लगाया जाता है। मुहद्दिसीन ने इल्मुर्रिजाल को अहमियत दी है और इस पर पूरी तवज्जह और निगरानी मब्ज़ूल की है। बहस़ व दरायत से उसका अहाता किया है। जिसने भी नबी (ﷺ) के बारे में कुछ लिखा है उन्होंने उसकी मअरिफ़त हासिल की है। उसके हालात और आने-जाने का मुताल्आ किया और रिजाल को दर्जात व तबक़ात में तक़सीम किया है और अपनी मालूमात की बुनियाद पर उलमा में जरह व तअदील के सिलसिले में इख़्तिलाफ़ पाया जाता है।

हाफ़िज़ ज़हबी ने सिक़ात के बारे में एक रिसाला लिखा है, जिन पर ऐसी बातों की बुनियाद पर जरह की गई है जो उनके रद्द (यानी जरह) का बाइस़ नहीं बन सकतीं। इमाम ज़हबी (रह.) लिखते हैं, सहाबा किराम (रज़ि.) की बिसात तो लिपटी हुई है अगरचे उनके दरम्यान इख़्तिलाफ़ात पैदा हुए और उनसे भी बाक़ी सिक़ात की तरह गल्तियाँ सरज़द हुईं क्योंकि ग़लती से कोई शख़्स महफ़ूज़ नहीं रह सकता। लेकिन नादिर ग़लती कभी नुक़सानदेह नहीं होती। उनकी अदालत और उनकी बयान की गई रिवायात के क़ुबूल करने पर ही अमल मौक़ूफ़ है, यही हमारा अक़ीदा है। ताबेईन में अम्दन झूठ बोलने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन वो ग़लती और वहम का शिकार हुए हैं जिसकी ग़ल्तियाँ, बयान की गई रिवायतों में क़लील हैं वो क़ाबिले बर्दाश्त है और जिन इल्म के मख़्ज़नों में ग़ल्तियाँ कई हैं वो क़ाबिले दरगुज़र हैं। उनकी अहादीस़ नक़ल की गई हैं उन पर अमल हुआ है। अगरचे सिक़ह अइम्मा के यहाँ ऐसे लोगों की हदीस़ के हुज्जत होने में इख़्तिलाफ़ है जैसे हारिस़ आवर, आसिम बिन ज़मरा, तवामा के मौला सालेह और अता बिन साइब वग़ैरह हैं और जिनमें ग़ल्तियों की कस़रत है और इन्फ़िरादियत ज़्यादा है। उनकी हदीस़ हुज्जत नहीं है ताबेईन के पहले तबक़े में ऐसे लोग नहीं हैं। अगरचे सिग़ारे ताबेईन और बाद के लोगों में ये चीज़ मौजूद है। मालिक और औज़ाई और उन जैसे लोग जिनसे मिले हैं, उनमें ऊपर ज़िक्र किये गये मरातिब मौजूद हैं और उनके दौर में अम्दन झूठ बोलने वाले और कसीरुल ग़लत पाये गये हैं और उनकी अहादीस़ छोड़ दी गई हैं। ये मालिक उम्मत के लिये हिदायत

का सितारा भी जरह से महफ़ूज़ नहीं रहा। अगर इमाम मालिक की हदीस़ बतौरे दलील पेश करते वक़्त कोई कहे, उस पर जरह की गई है तो उसे सज़ा दी जायेगी और ज़लील किया जायेगा। इस तरह औज़ाई सिक़ह, हुज्जत है। कई बार वो तफ़र्रुद और वहम का शिकार हो जाता है और उसकी ज़ोहरी से अहादीस़ में कुछ कलाम है हालांकि उसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, उसकी राय भी ज़ईफ़ और हदीस़ भी ज़ईफ़। लोगों ने इमाम अहमद के इस क़ौल का मफ़्हूम लेने में तकल्लुफ़ से काम लिया है। इसी तरह कम फ़हम वालों ने ज़ोहरी पर भी जरह की है। क्योंकि वो बालों को स्याह करते थे और फ़ौजी लिबास पहन लेते थे और हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक के ख़ादिम भी रहे हैं। सिक़ात पर जरह एक वसीअ़ बाब है। पानी जब दो क़ुल्ले हो वो पलीद नहीं होता और मोमिन की जब हसनात राजेह और बुराई कम हों वो काफ़िर नहीं है। ये भी तब है अगर सिक़ह और पसन्दीदा पर जरह अस़र अन्दाज़ हो और जब अस़र अन्दाज़ ही नहीं तो उसकी क्या हैसियत। (क़वाइदुत्तहदीस़, पेज नं. 187)

सहाबा (रज़ि.) और बाद के अहले इल्म के हालात के बारे में वसीअ़ मालूमात की बिना पर इमाम मुस्लिम (रह.) जरह व तअ़दील में बहुत महारत रखते थे। सलमान बिन आ़मिर बिन औस बिन हजर बिन अ़म्र बिन हारिस़ अज़्ज़ब्बी को रिफ़ाक़त का शर्फ़ हासिल है और मुस्लिम बिन हज्जाज का क़ौल है, सहाबा किराम (रज़ि.) में ज़ब्बी सिर्फ़ यही है।

(तहज़ीबुत्तहज़ीब : 4/120) (ज़ब्बी यानी ज़ुब्ब क़बीले से ताल्लुक़ रखने वाला)

मक्की बिन अ़ब्दान कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, मुहम्मद बिन राफ़ेअ़ सिक़ह, क़ाबिले ऐतमारद, सहीह लिखावट या किताब वाला है। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 9/141)

अ़ली बिन हसन बिन मूसा हिलाली के बारे में फ़रमाते हैं, तय्यिब बिन तय्यिब, पाकीज़ा का पाकीज़ा बेटा है। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 7/264) कई बार वो रावी की आमद व रफ़्त की बारीकियों से भी आगाह होते हैं।

अबू हम्ज़ा नसर बिन इमरान बिन एसाम ज़ुबई बसरी के बारे में फ़रमाते हैं, वो नीशापूर में मुक़ीम था, फिर मरव चला गया और फिर सरख़स चला गया और वहीं फ़ौत हुआ। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 10/385)

कई बार वो अपने शुयूख़ के बारीक मसाइल से आगाह होते हैं और उनकी मुसलसल जुस्तजू जारी रखते हैं अगर.उनमें कोई ऐसी बात मिल जाती है जो उनकी हदीस़ के तर्क का बाइस़ बनती है तो उसको छोड़ देते हैं और अगर जारी रखने की बात मिलती है तो उस पर क़ायम रहते हैं।

अहमद बिन सलमा कहते हैं, मैंने मुस्लिम से सुना, जब इब्ने जुरैज अख़बरना या समिअ़तु का सेग़ा इस्तेमाल करते हैं तो उनसे बढ़कर कोई सिक़ह नहीं होता। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/568, सियर आ़लाम में ये इबारत मौजूद नहीं है।)

इब्राहीम बिन अबी तालिब कहते हैं, मैंने मुस्लिम (रह.) से पूछा, आपने सहीह में अहमद बिन अ़ब्दुर्रहमान वहबी से बकस़रत अहादीस़ बयान की हैं, हालांकि उसका इख़्तिलात वाज़ेह हो चुका है। उन्होंने जवाब दिया, उस पर ऐतराज़ मेरे मिस्र से चले जाने के बाद हुआ है।

(सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/568)

उनसे अ़ली बिन जअ़द के बारे में सवाल हुआ कहा, स़िक़ह है लेकिन वो जहमी था। मुहम्मद बिन यज़ीद के बारे में कहा, उसकी हदीस़ लिखने के क़ाबिल नहीं। मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब और अ़ब्दुर्रहमान बिन बिश्र दोनों की तौसीक़ की, कुत्न बिन इब्राहीम के बारे में कहा, उसकी हदीस़ नहीं लिखी जायेगी। (सियरु आ़लामिन्नुबला : 12/568)

अपने उस्ताद से जरह व तअ़दील के दक़ीक़ मसाइल पूछते, कई बार अपने सामने ऐसी मीज़ान रखते जिससे रिजाल परखते।

मुस्लिम बिन हज्जाज (रह.) कहते हैं, मैंने यहया बिन मईन से पूछा, अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अ़क़ील और आ़सिम बिन अ़ब्दुल्लाह में से आपको कौन पसंद है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे हदीस़ में दोनों ही पसंद नहीं। (तहज़ीबुल कमाल : 16/84)

मुस्लिम बिन हज्जाज बयान करते हैं, इमाम अहमद ने अ़तिय्या औ़फ़ी का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, उसकी हदीस़ ज़ईफ़ है। फिर फ़रमाया, मुझे पता चला अ़तिय्या कलबी के पास जाता और उससे तफ़्सीर पूछता है और अबू सईद की कुन्नियत से याद करता। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 7/201)

जो रावी छोड़े जाने के हक़दार हैं, उनके लिये इन्तिहाई सख़्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते। यहया बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मौहिब तैमी मदनी के बारे में मुस्लिम बिन हज्जाज फ़रमाते हैं, साक़ित मतरूकुल हदीस़, इमाम नसाई ने दूसरी जगह से मतरूकुल हदीस़ कहा है।

(तहज़ीबुत्तहज़ीब : 11/221)

क़ाज़ी अबू मुहम्मद बिन यहया बिन अक्स़म बिन मुहम्मद बिन कुत्न मरवज़ी के बारे में मुस्लिम बिन हज्जाज कहते हैं मैंने इस्हाक़ बिन राहवे से सुना यहया बिन अक्स़म दज्जाल है।

(तहज़ीबुत्तहज़ीब : 11/195)

मक्की बिन अ़ब्दान कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, अबू मुआ़विया सदक़ा बिन अ़ब्दुल्लाह सुमैन, अबू वहब कलाई से मुन्करुल हदीस़ है। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 24/19)

मक्की बिन अ़ब्दान कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, अबू अ़ली मुहम्मद बिन मुआविया नीशापूरी, मक्का में बस गया था, मतरूकुल हदीस़ है। (तारीख़े बग़दाद : 3/274)

इमाम मुस्लिम (रह.) की इललुल हदीस़ से आगाही :

बक़ौल इब्ने सलाह मुअ़ल्लल हदीस़ वो है जिसमें ऐसी इ़ल्लत पाई जाये जो सेहत में ऐब का बाइस़ हो जबकि ज़ाहिरी तौर पर वो सहीह हो।

मुहद्दिस़ वही है जो असानीद, इ़लल, अस्माए रिजाल, सनदे आ़ली और सनदे नाज़िल से आगाह हो और इसके अ़लावा उसे कस़ीर तादाद में मुतून याद हों।

हमारे अस्लाफ़ अहादीस़ का सिमाअ़ करते, उन्हें पढ़ते, फिर सफ़र पर निकलते, उनकी तफ़्सीर करते, याद करते और उन पर अ़मलपैरा होते।

इमाम सुयूती (रह.) लिखते हैं, मैंने अपने उस्ताद ज़हबी का कलाम उस गिरोह के कुछ मुहद्दिस़ीन को नसीहत करते हुए देखा है कि उन मुहद्दिस़ीन का हिस्स सिर्फ़ इतना है रिवायत के लिये सिर्फ़ सुन लिया जाये, अपने असल मक़सद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने की बिना पर अल्लाह उन को सज़ा देगा और कई बार की सतरपोशी के बाद उनकी तश्हीर कर देगा। ज़बानों पर उनका गोश्त रह जायेगा और मुहद्दिस़ीन के लिये बाइ़से इ़बरत होंगे। फिर अल्लाह उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, आगे जाकर लिखते हैं, क्या सुन्नत के तलबा में से कोई तालिब नमाज़ों के बारे में सुस्ती व कोताही कर सकता है या ऐसी आ़दात से दोचार हो सकता है? इन सबसे मन्हूस तरीन वो मुहद्दिस़ है, जो हदीस़ में झूठ बोलता है और गप घड़ता है। अगर उसकी फ़ित्ना परवर हिम्मत नक़ल में झूठ और तत्बीक़ में तज़्वीर तक तरक़्क़ी आ जाती है तो वो (मेहनत से) आसूदा हो गया। अगर वो अजज़ा की चोरी करता है और औक़ाफ़ का पर्दा चाक करता है तो वो मुहद्दिस़ के भेस में चोर है और अगर वो किसी की हक़तल्फ़ी करते हुए और क़यादत पर फ़ाइज़ होकर तक्मीले नफ़्स करता है तो उसने इफ़ादा मुकम्मल कर लिया और वो यही रवैया उ़लूम में इख़्तियार करता है तो वो ज़िल्लत व ख़ब्त में इज़ाफ़ा कर लेता है, आख़िर में लिखते हैं, क्या इस क़िस्म के लोगों में कोई भलाई है? अल्लाह उनको ज़्यादा न करे। (तदरीबुर्रावी : 1/47)

नीज़ इमाम सुयूती, इब्ने महदी से नक़ल करते हैं, इ़ल्मे हदीस़ की मअ़रफ़ित इल्हामी चीज़ है। अगर आप किसी इ़लले हदीस़ के आ़लिम से पूछें, आप ये बात क्योंकर कहते हैं? उसके पास कोई दलील नहीं होगी। कितने ही अफ़राद हैं जो इस तक नहीं पहुँच सकते। उनसे पूछा गया, आप एक हदीस़ के बारे में कहते हैं, ये सहीह है, ये स़ाबित नहीं है, तो आप ये किससे नक़ल करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, आप बताइये! आप एक ज़रगर के पास जायें और उसे अपने दराहिम दिखायें और वो कहे ये ठीक है ये खोटा है,

तो उससे पूछेंगे, आप किस तरह ये कहते हैं या तुम उसकी बात तस्लीम कर लोगे? उसने जवाब दिया, बल्कि मैं उसकी बात तस्लीम करूँगा। तो इब्ने महदी ने कहा, हदीस़ की जाँच परख भी इसी तरह है जिसका सबब (मुहद्दिस़ीन की) तवील रिफ़ाक़ात, बहस़ व मुबाहिस़ा और महारत व आगाही है।

अबू ज़रआ से पूछा गया, हदीस़ की इल्लत बयान करने की तुम्हारे पास क्या दलील है? तो उसने कहा, इसकी दलील ये है तुम मुझसे किसी मअ़लूल हदीस़ के बारे में पूछो, मैं उसकी इल्लत बयान करूँगा। फिर तुम इब्ने वारह का रुख़ करना, उससे उसके बारे में पूछना वो इल्लत बयान करेगा, फिर तुम अबू हातिम के पास जाना वो उसकी इल्लत बयान करेगा फिर उस हदीस़ के बारे में हम सबकी बातचीत का जायज़ा लेना, तुम हमारे दरम्यान इख़्तिलाफ़ पाओ, तो समझ लेना हममें से हर एक ने अपनी मर्ज़ी की बात की है और अगर हमारी बातचीत में इत्तिफ़ाक़ पाओ तो उस इल्म की हक़ीक़त जानना। उस आदमी ने ऐसे ही किया। उन सबकी बात एक जैसी थी। तो उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ, ये इल्म एक इल्हामी चीज़ है, इसके जानने का तरीक़ा यही है। इस हदीस़ की तमाम सनदों को जमा किया जाये, इसके रावियों के इख़्तिलाफ़ा, ज़ब्त व इत्क़ान पर नज़र दौड़ाई जाये। इब्नुल मदीनी का क़ौल है, अगर किसी हदीस़ के तमाम तुरुक़ जमा न किये जायें तो उसकी ग़लती वाज़ेह नहीं होती। (तदरीबुर्रावी : 1/252-253)

इमाम मुस्लिम (रह.) इस फ़न्न के शहसवार थे और ये इल्म उन्होंने अपने उस्ताद, बुख़ारी और अ़ली बिन मदीनी (रह.) से सीखा। अगरचे उनसे रिवायत नहीं किया। जैसाकि हम बयान कर चुके हैं यहाँ तक कि अपने कुछ शैख़ से भी सबक़त ले गये। यहाँ तक कि कुछ हुफ़्फ़ाज़ ने उनकी सहीह को बुख़ारी (की सहीह) पर भी तरजीह दी है। अबू अ़ली नीशापूरी का क़ौल है, आसमान की छत के नीचे सहीह मुस्लिम से सहीहतर कोई किताब नहीं है। इमाम ज़हबी (रह.) फ़रमाते हैं, शायद अबू अ़ली तक सहीह बुख़ारी नहीं पहुँची। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ : 2/589)

अबू अ़म्र बिन हम्दान का क़ौल है, मैंने इब्ने अ़क़दा से पूछा, बुख़ारी और मुस्लिम दोनों में से ज़्यादा हाफ़िज़ कौन है? तो उसने कहा, मुहम्मद भी आ़लिम है और मुस्लिम भी आ़लिम है। मैंने ये सवाल कई बार दोहराया तो उसने कहा, मुहम्मद को अहले शाम के बारे में ग़लती लग जाती है क्योंकि उसने उनका तज़्किरा उनकी किताबों को देखकर किया है। इसलिये वो उनमें किसी का ज़िक्र एक जगह उसकी कुन्नियत के ज़िम्न में करते और दूसरी जगह उसको दूसरा समझकर उसके नाम के ज़िम्न में कर देते हैं और मुस्लिम को इलल के बयान में ग़लती कम ही लाहिक़ होती है। क्योंकि उसने सिर्फ़ मुस्नद अहादीस़ बयान की हैं, मक़्तूअ और मुरसल रिवायात बयान नहीं कीं। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ : 2/589)

यानी फ़िक़ह व तफ़्सीर में सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन (रह.) के अक़्वाल नक़ल नहीं किये।

इसलिये हम देखते हैं वो रावी के दूसरे से सिमाअ के सुबूत में बारीक बीनी से काम लेते हैं और इल्लत का उमूमन ताल्लुक़ सिमाअ ही से होता है।

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, अबू ख़ालिद सौर बिन यज़ीद रजी ने ख़ालिद बिन मअदान से सुना है और उससे सौरी और यहया बिन सईद रिवायत करते हैं। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 11/186)

मक्की बिन अब्दान कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना अबू अब्दुल्लाह सौबान, रसूलुल्लाह (ﷺ) का आज़ाद किया हुआ गुलाम है। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 11/186)

अबू अब्दुल्लाह हाफ़िज़ का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज की तहरीर पढ़ी। उन्होंने उन लोगों का तज़्किरा किया जिन्होंने जाहिलियत का दौर पाया और नबी (ﷺ) से मुलाक़ात नहीं की लेकिन वो नबी (ﷺ) के बाद सहाबा किराम (रज़ि.) के साथ रहे। उनमें से शुरैह बिन हानी हारिसी भी है। (तारीख़े मदीना दश्मिक़ : 23/68)

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना अबू फ़ौज़ा हुदैर बनू सुलैम के आज़ाद किये हुए गुलाम से अला बिन हारिस रिवायत करता है। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 12/240)

मक्की बिन अब्दान कहते हैं, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना अबुज़्ज़ाहिरिया हुदैर बिन कुरैब ने अबू उमामा और अब्दुल्लाह बिन बुस्र से सुना और उससे मुआविया बिन सालेह ने रिवायत की है। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 12/246)

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हिज्जाज से सुना अबू सालेह हकम बिन मूसा बग़दादी ने यहया बिन हम्ज़ा और हक़्ल बिन ज़ियाद से सिमाअ किया। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 15/55)

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, अबू उबैदा हुमैद बिन तीरविया तवील ने अनस बिन मालिक और हसन से सुना और उससे हम्माद बिन सलमा और इब्ने मुबारक ने रिवायत ली। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 15/257)

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, अबू मुहम्मद दाऊद बिन अबी हिन्द ने इब्नुल मुसय्यिब, इक्रिमा और हसन से सिमाअ किया और उससे सौरी और यज़ीद बिन हारून रिवायत करते हैं। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 17/121)

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना अबू सईद अब्दुल करीम बिन मालिक जज़री ने मुजाहिद और सईद बिन जुबैर से सुना और उससे सौरी और इब्ने उयय्ना ने रिवायत ली है। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 36/458)

मुहम्मद बिन मासर जिसी का क़ौल है, मैंने मुस्लिम से सुना मैंने 'सहीह' को तीन लाख मस्मूआत से से इन्तिख़ाब करके लिखा। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ : 2/589)

अहमद बिन सलमा का क़ौल है, मैं मुस्लिम के साथ 'सहीह' की तालीम में पन्द्रह साल रहा और वो बारह हज़ार अहादीस़ पर मुश्तमिल है। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ : 2/569)

रिवायते हदीस़ में एहतियात :

इमाम मुस्लिम, परहेज़गार, अमानतदार थे। अपनी सहीह में सिर्फ़ वही अहादीस़ दर्ज कीं जिनकी सेहत का उन्हें यक़ीन था और उनके बारे में अपने मशाइख़ से पूछा था।

इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान कहते हैं, मुस्लिम बिन हज्जाज, अबू सईद क़ुत्न बिन इब्राहीम नीशापूरी के यहाँ गये और उससे कुछ अहादीस़ लिखीं। लोग उसके पास जमा हो गये तो उसने इब्राहीम बिन तहमान के वास्ते से अय्यूब से, नाफ़ेअ की इब्ने उ़मर से दबाग़त के बारे में रिवायत बयान की। लोगों ने उससे असल नुस्ख़े का मुताल्बा किया। उसने नुस्ख़ा पेश किया उसमें ये हदीस़ न थी, हाशिये पर लिखी हुई थी। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस बिना पर उसको छोड़ दिया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 8/340)

फ़िक़्ह में इमाम मुस्लिम (रह.) का दर्जा (मक़ाम व मर्तबा) :

इमाम मुस्लिम मुहद्दिसीन के उस्लूब पर मुत्तक़ी, फ़क़ीह, इमाम थे, फ़तवा हदीस़ की सूरत में देते थे। ऐसे क्यों न होता, उसके उस्ताद और इमाम मुहद्दिसीन के उस्ताद, वाक़िफ़कार फ़ुक़्हा के इमाम बुख़ारी थे। जिनके सामने परवान चढ़े और उनसे इल्म हासिल किये। उसका बड़ा गवाह, उनका अपनी सहीह को एक अनोखे अन्दाज़ में फ़िक़्ही अबवाब पर मुरत्तब करना है, इसमें शुरू से आख़िर तक सिर्फ़ नबी (ﷺ) की अहादीस़ बयान की हैं। उनके साथ आपके सिवा किसी का क़ौल नहीं मिलाया। मगर बहुत नादिर, क्योंकि हम देखते हैं, किताबुस्सलात के तहत बेशुमार अहादीस़ बयान करने के बाद, यहया बिन अबी कस़ीर का ये जुम्ला नक़ल किया है। **'जिस्मानी आसूदगी के साथ इल्म हासिल नहीं हो सकता।'** (सहीह मुस्लिम : 612)

बल्कि हम देखते हैं उन्होंने किताब के मुक़द्दमे के बाद मुसलसल अहादीस़ लिखीं, उनके बीच कोई बाब या उ़न्वान क़ायम नहीं किया और तराजिमे अबवाब सहीह मुस्लिम की शरह करने वालों ने लिखे हैं।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह के अ़लावा भी अपनी आरा (रायों) का इज़हार किया है वो अपनी किताब दरिन्दों के चमड़े से फ़ायदा उठाना में लिखते हैं, ये उन लोगों का क़ौल है, जो अहादीस़ का इल्म और फ़हम रखते हैं और उनकी पैरवी करते हैं उन्हीं में यहया बिन सईद, इब्ने महदी, मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ दाख़िल हैं। दूसरी जगह इमाम शाफ़ेई पर ऐतराज़ करने

वाले का क़ौल नक़ल करके लिखते हैं, 'कई बार नुक्ताचीनी करने वाले का मन्ज़र ये होता है कि उसका कपड़ा ऐबदार होता है।'

हाफ़िज़ मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह का क़ौल है मैंने अबू अम्र मुस्तमली की तहरीर पढ़ी कि मैंने अबू अहमद मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब से सुना, उसने 'मस्सज़्ज़कर' अ़ज़्वे मख़्सूस (प्राइवेट पार्ट) को हाथ लगाने वाली हदीस़ हुसैन बिन अल्वलीद के वास्ते से बयान करके कहा, मुस्लिम बिन हज्जाज को ये हदीस़ पसंद थी। उनकी राय और अ़मल इस पर था और मुस्लिम बिन हज्जाज, लोगों के उ़लमा में से इल्म का मख़्ज़न थे, मेरे इल्म की हद तक वो बेहतर शख़्स थे। (तबक़ातुश्शाफ़ेइया : 3/397)

अहले इल्म ने इमाम मुस्लिम (रह.) को इमाम, आ़लिम और फ़क़ीह क़रार दिया है और उनकी सहीह दीन की असासी कुतुब में से एक है। इमाम बैहक़ी ने शैख़ अ़मीदुल मलिक को ख़त लिखा। फिर बैहक़ी ने शैख़ का शेअ़री तर्जुमा लिखा है और नसब लिखने के बाद इमाम बैहक़ी लिखते हैं जब हमारे शैख़ अबुल हसन अश्अ़री की बारी आई तो उन्होंने अल्लाह के दीन में कोई नई बात नहीं निकाली और न किसी बिदअ़त को ईजाद किया बल्कि उसूले दीन के सिलसिले में सहाबा किराम (रज़ि.) ताबेईन और बाद के अइम्मा के अक़्वाल लिये और उनकी नुसरत में उनकी मज़ीद तशरीह और वज़ाहत की और बताया उन्होंने उसूल के बारे में जो कुछ कहा है और जो कुछ शरीअ़त में आया है वो अ़क़्ली रू से दुरुस्त है। जबकि अहले हवा (बिदअ़ती) ये समझते हैं कि उनकी कुछ चीज़ें अ़क़्ली रू से दुरस्त नहीं और उनके बयान व सुबूत में अहलुस्सुन्नह वल्जमाअ़त यकसू नहीं और उसने गुज़िश्ता अइम्मा जैसे अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान जो कूफ़ा के बाशिन्दे हैं, औज़ाई वग़ैरह जो शामी हैं, मालिक और शाफ़ेई जो अहले हरमैन से हैं और अहले हिजाज और बाक़ी बिलाद से उन दोनों के तरीक़े को इख़्तियार करने वाले जैसे अहमद बिन हम्बल वग़ैरह मुहद्दिस़ीन और लैस़ बिन सअ़द वग़ैरह। अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी और अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापूरी, जो अहले अस़र के इमाम हैं और सुनन जिन पर शरीअ़त का मदार है के हाफ़िज़ हैं, के अक़्वाल की हिमायत की है।

इमाम मुस्लिम (रह.) की तसानीफ़ :

इमाम मुस्लिम (रह.) की बहुत सी मुसन्नफ़ात हैं उनमें से कुछ ये है :

(1) औहामुल मुहद्दिसीन (2) अल्जामेअ़ अस्सहीह (3) रूबाइयात फ़िल्हदीस़ (4) तबक़ातुर्रुवात (5) किताबुल अस्मा वल्कुना (6) किताबु अफ़रादिश्शामिय्यीन (7) किताबुल अफ़राद (8) किताबुल अक़रान (9) किताबुल इन्तिफ़ाअ़ बिइहाबि जुलूदिस्सुबाअ़ (10) किताब औलादुस्सहाबा (11) किताबुत्तारीख़ (12) किताबुत्तमीज़ (13) किताबुल 'जामेअ़ इललुल अबवाब (14)

किताबुस्सावालात अन अहमद बिन हम्बल (15) किताबुल इलल (16) किताब हदीस़ अम्र बिन शुऐब (17) किताबुल मुख़ज़रमीन (18) किताब मन लैसा लहू इल्ला राविन वाहिद (19) किताबुल वहदान (20) मशाइख़ुस्सौरी (21) मशाइख़े मालिक (22) मशाइख़े शौबा (23) अल्मुस्नदुल कबीर अलर्रिजाल।

बक़ौल इमाम ज़हबी, उसका किसी इमाम ने सिमाअ़ नहीं किया।

मक्की बिन अ़ब्दान का क़ौल हैं, मैंने मुस्लिम से सुना, अगर अहले हदीस़ दो सौ (200) भी हदीस़ लिखते रहें तो उनका मदार इस मुस्नद पर होगा यानी अल्मुस्नदुल कबीर पर। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/579)

नोट : इमाम ज़हबी ने सियरु आलामिन्नुबला : 12/568 पर मक्की बिन अ़ब्दान का ये क़ौल नक़ल किया है, मैंने मुस्लिम से सुना, मैंने अपनी ये किताब अल्मुस्नद अबू ज़रआ़ के सामने पेश की तो उसने जिसके बारे में ये मशवरा दिया कि इस किताब की ये हदीस़ मअ़लूल है या और कोई सबब है उसको मैंने छोड़ दिया और जिसके बारे में कहा, ये सहीह है उसमें कोई इल्लत नहीं, उसको मैंने पेश किया और अगर अहलुल हदीस़ दो सौ साल भी हदीस़ लिखते रहें तो उनका मदार इस सनद पर होगा। इस इबारत से साफ़ मालूम होता है कि अल्मुस्नद से मुराद सहीह मुस्लिम है क्योंकि अलमुस्नदुल कबीर का तो किसी को सिमाअ़ ही हासिल नहीं हुआ। (अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़लवी)

इब्नुश्शरक़ी इमाम मुस्लिम से बयान करते हैं, मैंने इस अल्मुस्नद में जो चीज़ दर्ज की है वो दलील की बिना पर दर्ज की है और जो चीज़ छोड़ी है वो भी दलील की बिना पर छोड़ी है। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/580)

सहीह अहादीस़ पर तसानीफ़ की शुरूआत :

इस्लाम के दौर में सबसे पहले किताब जो लिखी गई वो इब्ने जुरैज की किताब है और बक़ौल बाज़ इमाम मालिक की मोत्ता है और बक़ौले बाज़ सबसे पहले तस्नीफ़ जो अबवाब की सूरत में लिखी गई वो रबीअ़ बिन सबीह बसरी की है। फिर हदीस़ के जमा व तदवीन और जुज़ और किताब की सूरत में लिखना आ़म हो गया और बहुत लिखा गया। जिससे बहुत फ़ायदा पहुँचा, यहाँ तक कि इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) और इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज क़ुशैरी (रह.) का दौर आ गया, तो उन दोनों ने अपनी किताबों को तदवीन बख़्शी और उनमें ऐसी हदीसें दर्ज कीं जो उनके नजदीक यक़ीनी तौर पर सहीह थीं और उनके नज़दीक उनकी रिवायत स़ाबित थी और उन्होंने अपनी किताब को **'सहीह'** का नाम दिया और वो अपने क़ौल में सच्चे हैं। इस बिना पर अल्लाह

तआला ने उनको मश्रिक़ व मग़रिब में शर्फ़े कुबूलियत से नवाज़ा। फिर इस क़िस्म की तस्नीफ़ों के इन्तिशार (फैलाव) में इज़ाफ़ा हो गया और आम लोगों के हाथों में चली गईं। लोगों की ग़र्ज़ और मक़सद अलग-अलग थे यहाँ तक कि ये दौर जिसमें ऐसे हज़रात जमा थे और आपस में इत्तिफ़ाक़ था ख़त्म हो गया। जैसे अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी, अबू दाऊद सुलैमान बिन अश्अस़ सजिस्तानी, अबू अ़ब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) वग़ैरह जैसे लोग थे। इल्म के हुसूल के दौर में ये दौर ख़ुलासा और इन्तिहा था। इसके बाद तलब व जुस्तजू में कमी आ गई, शौक़ कम हो गया, हिम्मतें कमज़ोर पड़ गईं, हर क़िस्म के इल्म व फ़न्न और हिक्मतों में यही सूरते हाल पेश आती है वो आहिस्ता-आहिस्ता पैदा होते हैं और हमेशा फलते-फूलते रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी इन्तिहा को पहुँच जाते हैं। फिर वापस लौटना शुरू हो जाते हैं। गोया इल्मे हदीस़ की इन्तिहा बुख़ारी, मुस्लिम और उनके दौर के मुहद्दिस़ीन पर हो गई। फिर तनज़्ज़ुल व इन्हितात इस हद तक पहुँच गया जो अल्लाह को मन्ज़ूर था। फिर ये इल्म अपने शर्फ़ और बुलंद मर्तबा होने के बावजूद ये इल्म कमयाब अपने लफ़्ज़ दोनों के ऐतबार से मुश्किल है इसीलिये लोगों की तसानीफ़ में अलग-अलग ग़र्ज़ें थीं। किसी का मक़सद सिर्फ़ अहादीस़ की तदवीन थी ताकि अल्फ़ाज़ की हिफ़ाज़त हो जाये और उनसे अहकाम मुस्तम्बत हो सकें। जैसाकि अ़ब्दुल्लाह बिन मूसा ज़ब्बी और अबू दाऊद तयालिसी वग़ैरह ने शुरूआ़त में किया। फिर उनके बाद अहमद बिन हम्बल (रह.) और उनके बाद के लोगों ने किया। उन्होंने अहादीस़ अपने रावियों के ऐतबार से लिखीं वो अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) की मुस्नद अहादीस़ लिखते हैं जिसमें उनकी तमाम मरवियात को बयान करते हैं। फिर इसी तर्तीब से सहाबा किराम (रज़ि.) की अलग-अलग हदीसें लिखते हैं। (अब्जदुल उ़लूम : 2/223)

अल्जामेअ़ अस्सहीह :

सहीह मुस्लिम आ़म तौर पर मशहूर है और वो मज्मूई ऐतबार से मुसन्निफ़ से तवातुर के साथ साबित है इसलिये वो यक़ीनी इल्म के साथ अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज की तस्नीफ़ है।

अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबी नसर उन्दुलुसी का क़ौल है, मैंने हाफ़िज़ फ़क़ीह अबू मुहम्मद अ़ली बि॰ अहमद बिन सईद से सुना, जब सहीहैन का तज़्किरा हुआ तो उसने दोनों की अ़ज़मत शान और रिफ़अ़त (बुलन्दी) मक़ाम का ऐतराफ़ किया और बताया कि सईद बिन सकन के यहाँ मुहद्दिस़ीन की एक जमाअ़त जमा हुई और उन्होंने उससे पूछा, हमारे सामने कुतुबे हदीस़ बेशुमार तादाद में मौजूद हैं तो शैख़ हमारी रहनुमाई के लिये किसी का इन्तिख़ाब फ़रमा दें जिस पर हम किफ़ायत कर सकें, तो वो ख़ामोशी के साथ अपने घर चले गये और चार बण्डल निकाल लाये और उन्हें एक-दूसरे के ऊपर रख दिया और कहा, ये इस्लाम की बुनियाद हैं, मुस्लिम की किताब बुख़ारी की किताब, अबू दाऊद की किताब और नसाई की किताब। (तारीख़े दमिश्क़ :58/93)

इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं, उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि क़ुरआने अज़ीज़ के बाद सबसे सहीहतरीन किताबें सहीहैन बुख़ारी और मुस्लिम हैं। उम्मत के यहाँ दोनों को क़ुबूलियत हासिल है और बुख़ारी की किताब दोनों में से सहीहतर है और इसके ज़ाहिरी और छिपे फ़ायदे और मआरिफ़ ज़्यादा हैं और सहीह सनद से साबित है। मुस्लिम ने बुख़ारी से इस्तिफ़ादा किया है और इसका ऐतराफ़ किया है कि इल्मे हदीस में वो बेमिसाल हैं और हमने जो बुख़ारी को तरजीह दी है यही मुख़्तार मौक़िफ़ है। जिसके जुम्हूर, अहले इत्क़ान, माहिरीन और असरारे हदीस के ग़व्वास (माहिरीन) क़ाइल हैं।

हाफ़िज़ अबू अली हुसैन बिन अली नीशापूरी, जो इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह बिन रबीअ के उस्ताद हैं, का क़ौल है कि सहीह मुस्लिम ज़्यादा सहीह है और कुछ मग़रिबी शैख़ इसके हमनवा हैं। लेकिन सहीह पहला क़ौल है और इमाम, हाफ़िज़, फ़क़ीह, तेज़ निगाह, अबू बकर इस्माईल ने अपनी किताब **'अल मदख़ल'** में बुख़ारी की तरजीह साबित की है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (रह.) का क़ौल है, इन तमाम किताबों में से कोई भी बुख़ारी की किताब से बेहतर नहीं। इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं, मुख़्तसर तौर पर बुख़ारी के राजेह होने की दलील ये है कि उलमा का इत्तिफ़ाक़ है (1) बुख़ारी का दर्जा मुस्लिम से फ़ाइक़ है (2) वो फ़न्ने हदीस के उससे ज़्यादा आलिम हैं (3) उसने अपने इल्म का इन्तिख़ाब और अपनी पसन्दीदा अहादीस की तल्ख़ीस इस किताब में कर दी है (4) इसकी तहज़ीब व तन्क़ीह में 16 साल लगाये हैं (5) इसे हज़ारों हदीसों से जमा किया है, मैंने उन सब बातों की दलीलें अपनी सहीह बुख़ारी की शरह के आग़ाज़ में बयान किये हैं। बुख़ारी की किताब के राजेह होने की दलील ये भी है कि इमाम मुस्लिम का मौक़िफ़ जिस पर उन्होंने अपनी किताब के शुरू में इज्माअ का दावा किया है, ये है कि मुअनअन सनद, मुत्तसिल के हुक्म में है यानी सिमाअ का हुक्म रखती है जबकि अन से रिवायत करने वाले रावी और उसका उस्ताद एक ही ज़माने के हों, अगरचे उनकी मुलाक़ात साबित न हो और इमाम बुख़ारी (रह.) जब तक दोनों की मुलाक़ात साबित न हो, उसको मौसूल क़रार नहीं देते। ये मौक़िफ़, बुख़ारी की किताब का राजेह होना साबित करता है, अगरचे हम ये फ़ैसला नहीं करते कि इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह में अपने मौक़िफ़ पर अमल किया है क्योंकि इस क़द्र ज़्यादा तुरुक़ जमा कर देते हैं, जिनकी मौजूदगी में इमाम मुस्लिम (रह.) के जाइज़ किये गये मौक़िफ़ का पाया जाना मुश्किल है। (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम शरह नववी : 1/13)

सहीह मुस्लिम यक़ीनी तौर पर सहीह है :

शैख़ अबू अम्र बिन सलाह कहते हैं, इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी इस किताब में जिन हदीसों को सहीह क़रार दिया है वो क़तई तौर पर सहीह हैं और नफ़्सुल अम्र में उनके सहीह होने का इल्मे नज़री हासिल है यही सूरत बुख़ारी की बयान की गई सहीह अहादीस की है क्योंकि कुछ उन लोगों के सिवा

जिनके क़ौल का मुख़ालिफ़ व मुवाफ़िक़ होना इज्माअ में मोतबर नहीं है, उम्मत के यहाँ उनको क़ुबूलियत हासिल है। शैख़ फ़रमाते हैं, हमारा पसन्दीदा मौक़िफ़ ये है कि वो हदीस़ जो दर्जे तवातुर को नहीं पहुँचती, उम्मत का उसको क़ुबूल कर लेना उसकी सेहत का इल्मे नज़री पैदा करता है। अगरचे कुछ उसूली मुहक़्क़िक़ीन ने इसकी मुख़ालिफ़त में ये कहा है कि चूंकि ये सब लोगों के हक़ में सिर्फ़ गुमान का फ़ायदा देता है, इसलिये इसको इल्म क़रार देना सहीह नहीं। क्योंकि गुमान, हदीस़ पर अमल को स़ाबित करता है, इसलिये उसको क़ुबूल कर लिया गया है। लेकिन गुमान में ग़लती का इम्कान है। शैख़ फ़रमाते हैं ये ऐतराज़ इसलिये उठ जाता है कि जो लोग ग़लती से महफ़ूज़ हैं, वो ग़लती नहीं कर सकते और उम्मत अपने इज्माअ में ग़लती से महफ़ूज़ है। इसलिये इमामुल हरमैन का क़ौल है, अगर कोई इंसान ये क़सम उठाता है कि बुख़ारी और मुस्लिम ने अपनी किताबों में जिन हदीस़ों को सहीह क़रार दिया है अगर वो सहीह न हों तो मेरी बीवी को तलाक़, तो उसकी बीवी को तलाक़ नहीं पड़ेगी और न वो अपनी क़सम में हानिस़ होगा क्योंकि उन दोनों की सेहत पर मुसलमान अहले इल्म का इज्माअ है। शैख़ फ़रमाते हैं इस पर ये ऐतराज़ हो सकता है कि क़सम तो तब भी नहीं टूटेगी अगर मुसलमान का उनकी सेहत पर इज्माअ न भी हो, क्योंकि शक की सूरत में क़सम नहीं टूटती, अगर इंसान ये क़सम किसी ऐसी हदीस़ के बारे में उठाये जिसकी ये कैफ़ियत न हो तो वो नहीं टूटेगी, अगरचे उसका रावी फ़ासिक़ हो, इस तरह क़सम का न टूटना तो इज्माअ के बग़ैर भी हासिल है, इसको इज्माअ की तरफ़ मन्सूब करने की क्या ज़रूरत है? शैख़ फ़रमाते हैं, इसका जवाब ये है कि इज्माअ की तरफ़ मन्सूब करने की सूरत में क़सम का न टूटना ज़ाहिरी और बातिनी पर क़तई है और शक की सूरत में क़सम का न टूटना सिर्फ़ ज़ाहिरी ऐतबार से है, बातिनी ऐतबार से टूटने का एहतिमाल मौजूद रहता है। इमामुल हरमैन के कलाम का मतलब यही है और उनकी मुहक़्क़िक़ाना शान के लायक़ यही सूरत है। जब हमारी बात का इल्म हो गया, तो ये भी याद रखना चाहिये कि बुख़ारी और मुस्लिम की जिन हदीस़ों पर किसी क़ाबिले ऐतमाद हाफ़िज़ ने गिरफ़्त और तन्क़ीद की है तो वो इल्मे नज़री से मुस्तस़ना है क्योंकि उसकी क़ुबूलियत पर इज्माअ न हुआ और ये मक़ामात बहुत कम हैं जैसाकि हम इस किताब में वाज़ेह करेंगे। (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम मअ़ शरह नववी : 1/13)

इमाम अबू अम्र अपने एक जुज़ में लिखते हैं, जिस हदीस़ की तख़रीज पर बुख़ारी और मुस्लिम (रह.) मुत्तफ़िक़ हों उसके रावी का सिद्क़ क़तई और यक़ीन से स़ाबित है। क्योंकि उम्मत ने उसको क़ुबूल कर लिया है और ये तल्क़ी (क़ुबूलियत) इल्मे नज़री का फ़ायदा देती है जो इल्म के फ़ायदे में मुतवातिर की तरह है। सिर्फ़ ये फ़र्क़ है मुतवातिर से इल्म ज़रूरी (बिला ग़ौर व फ़िक्र) हासिल होता है और उम्मत के क़ुबूल कर लेने से इल्मे नज़री (जो ग़ौर व फ़िक्र का मोहताज है) हासिल होता है और उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि बुख़ारी और मुस्लिम जिस हदीस़ की सेहत पर मुत्तफ़िक़ हों तो उनकी बात हक़ और सच है। शैख़ ने अपनी किताब उलूमुल हदीस़ (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह) में लिखा है, मेरा

रुझान ये था कि जिस हदीस़ पर दोनों मुत्तफ़िक़ हों, उनकी सेहत का गुमाने ग़ालिब हासिल है और मैं उसे क़वी मौक़िफ़ ख़्याल करता था लेकिन अब मुझ पर ये हक़ीक़त खुली है कि सूरते हाल ये नहीं, सहीह बात ये है कि इससे इल्म हासिल होता है।

इमाम इब्ने सलाह ने इन मक़ामात पर जिस राय का इज़हार किया है ये मुहक़्क़िक़ीन और अक्स़रियत के क़ौल के मुख़ालिफ़ है। उनके नज़दीक सहीहैन की वो हदीसें जो मुतवातिर नहीं है वो गुमान का फ़ायदा देती हैं क्योंकि वो आहाद हैं और आहाद गुमान का फ़ायदा देती हैं जैसाकि (उसूले हदीस़ में) स़ाबित है इस सिलसिले में बुख़ारी और मुस्लिम और दूसरी किताबों में कोई फ़र्क़ नहीं है।

उम्मत के क़ुबूल कर लेने ने उनकी अहादीस़ पर अ़मल करने को स़ाबित किया है और ये इत्तिफ़ाक़ी बात है क्यों कि उनके अ़लावा किताबों की अहादीस़ पर अ़मल का सुबूत तब होगा जब उनकी सनद सहीह हो और उनसे सिर्फ़ गुमान हासिल होगा। सहीहैन का हुक्म भी यही है। उनमें और दूसरी किताबों में इम्तियाज़ ये है कि उनकी अहादीस़ का सहीह होना मोहताजे नज़र नहीं है हर हालत में उन पर अ़मल करना स़ाबित है और बाक़ी किताबों की हदीसें मोहताजे नज़र हैं। इनमें शुरूते सेहत का पाया जाना क़ाबिले ग़ौर है और उन दोनों की किताबों की हदीस़ों के क़ाबिले अ़मल होना के इज्माअ़ से ये लाज़िम नहीं आता कि उनका कलामे नबवी होना भी क़तई है। इमाम इब्ने बुरहान ने बड़ी सख़्ती के साथ उन लोगों के क़ौल का इंकार किया है जिन्होंने शैख़ वाला मौक़िफ़ अपनाया है और बड़े मुबाल्ग़े के साथ उसकी तग़्लीत की है और शैख़ ने इमामुल हरमैन के कलाम की जो तावील बयान की है वो क़सम में हानिस़ नहीं होगा वो ये शैख़ के मुख़्तार मौक़िफ़ की बुनियाद पर है। अक्स़रियत के मौक़िफ़ की रद्द से ये एहतिमाल है कि इमामुल हरमैन का मक़सद ये है कि ज़ाहिरी तौर पर हानिस़ नहीं होगा और उसके लिये क़सम टूटने को पसन्दीदा क़रार देना दुरुस्त न होगा कि उसके लिये रुजूअ़ करना पसन्दीदा हो, अगर वो दूसरी किताबों की किसी हदीस़ पर ये क़सम उठाये तो हम उसको हानिस़ क़रार नहीं देंगे। हाँ उसके लिये रुजूअ़ करना पसन्दीदा होगा, क़सम में हानिस़ होने का एहतिमाल है। इसलिये एहतियात रुजूअ़ में है ये वाज़ेह चीज़ है, लेकिन सहीहैन में हानिस़ का एहतिमाल इन्तिहाई कमज़ोर है, इसलिये एहतिमाल के ज़ईफ़ होने की वजह से रुजूअ़ करना पसन्दीदा नहीं होगा। (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम मअ़ नववी : 1/15)

नोट : इमाम सुयूती ने बहुत से अहले इल्म से हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह के मौक़िफ़ की ताईद नक़ल की है देखिये तदरीबुर्रावी : 1/132-134 और हाफ़िज़ स़नाउल्लाह ज़ाहिदी (हफ़िज़हुल्लाह) ने इस मौज़ूअ़ पर एक मुस्तक़िल रिसाला लिखा है। मौलाना अनवर शाह बुख़ारी ने भी इमाम इब्ने सलाह की ताईद की है और अहनाफ़ में शम्सुल अइम्मा सरख़सी और हनाबिला में से हाफ़िज़ इब्ने तैमिया (रह.) का यही मौक़िफ़ नक़ल किया है जिल्द 1 पेज नम्बर 45।

शैख़ुल इमाम अबू अम्र बिन सलाह लिखते हैं, इमाम मुस्लिम ने अपनी '**सहीह**' में ये शर्त मल्हूज़ रखी है कि हदीस़ की सनद मुत्तसिल हो, रावी शुरू से आख़िर तक सिक़ह हों, हदीस़ शुज़ूज़ और इल्लत से पाक हो, ये सहीह की तारीफ़ है। तो जिस हदीस़ में इसकी वजह (1) इन शुरूत में से किसी शर्त के पाये जाने में इख़्तिलाफ़ होगा (2) इस शर्त के बारे में इख़्तिलाफ़ होगा जैसे कोई रावी मस्तूरुल हाल है (3) या हदीस़ मुरसल होगी (4) ये इख़्तिलाफ़ भी हो सकता है क्या इस हदीस़ में सारी शर्तें मौजूद हैं या कोई शर्त मफ़्क़ूद है। उमूमन सब्बे इख़्तिलाफ़ यही होता है, जैसे इस हदीस़ के किसी रावी के बारे में इख़्तिलाफ़ है क्या वो शर्त के मेअ़यार पर पूरा है। जब हदीस़ के सारे रावी सिक़ह हों मगर उनमें ज़ुबैर मक्की भी मौजूद हो या सुहैल बिन अबी सालेह हो या अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ला हो या हम्माद बिन सलमा हो तो उसके बारे में कहते हैं ये हदीस़ मुस्लिम की शर्त पर सहीह है और बुख़ारी की शर्त पर सहीह नहीं है। क्योंकि उन रावियों में इमाम मुस्लिम के नज़दीक शुरूते सेहत पूरी हैं और इमाम बुख़ारी के नज़दीक उनमें शुरूते सेहत मुकम्मल नहीं, ऐसी ही सूरते हाल बुख़ारी की है वो इक्रिमा मौला इब्ने अ़ब्बास, इस्हाक़ बिन मुहम्मद फ़रवी और अ़म्र बिन मरज़ूक़ वग़ैरह से हदीस़ लाते हैं और इमाम मुस्लिम उन तीनों को हुज्जत ख़्याल नहीं करते। इमाम हाकिम ने अपनी किताब '**अल मुदख़ल इला मअ़रिफ़तिल मुस्तदरक**' में लिखा है जिन रावियों की अहादीस़ की तख़रीज इमाम बुख़ारी ने अपनी '**अल्जामेअ़ अस्सहीह**' में की और इमाम मुस्लिम ने अपनी '**सहीह**' में नहीं की उनकी तादाद 434 है।

और उन रावियों की तादाद जिनसे इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी '**मुस्नद अस्सहीह**' में उनसे रिवायत ली है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी अल जामेअ़ अस्सहीह में रिवायत नहीं ली 625 हैं और इमाम मुस्लिम ने अपनी '**सहीह**' में बाब सिफ़तुस्सलात के तहत लिखा है, हर वो हदीस़ जो मेरे नज़दीक सहीह हैं मैंने उसको अपनी इस किताब में दर्ज नहीं किया, मैंने इसमें सिर्फ़ उन अहादीस़ को दर्ज किया है जिनकी सेहत पर इत्तिफ़ाक़ है। इस क़ौल पर ये ऐतराज़ पैदा होता है कि उन्होंने अपनी अस्सहीह में बहुत सी ऐसी अहादीस़ दर्ज की हैं जिनकी सेहत पर इत्तिफ़ाक़ नहीं है क्योंकि वो उन रावियों से हैं जिनके बारे में हम बता चुके हैं कि वो बुख़ारी के नज़दीक हुज्जत नहीं और कुछ और रावी भी हैं जिनकी अहादीस़ के सहीह होने में इख़्तिलाफ़ है। शैख़ (इब्नुस्सल्लाह) ने इसका जवाब दो तरह दिया है, (1) उनका मक़सद ये है, उन्होंने सिर्फ़ वो अहादीस़ दर्ज की हैं जिनमें उनके नज़दीक इज्माई शुरूत पाई जाती हैं, अगरचे कुछ दूसरे हज़रात के यहाँ कुछ हदीसों में सारी शुरूत जमा नहीं हैं। (2) उनका मक़सद ये है कि उन्होंने ऐसी हदीसें दर्ज की हैं कि नफ़्से हदीस़ या सनद में सिक़ह लोगों के यहाँ उसमें इख़्तिलाफ़ नहीं है, अगरचे कुछ रावियों की तौसीक़ में इख़्तिलाफ़ है। उनके कलाम से यही ज़ाहिर होता है क्योंकि जब उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस़ फ़इज़ा क़रअ फ़अन्सितू जब इमाम क़िरत करे तुम चुप रहो) की

सेहत के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे नज़दीक ये सहीह है। तो उनसे सवाल हुआ, आपने अपनी किताब में उसे क्यों दर्ज नहीं किया? तो उन्होंने ऊपर दिया गया जवाब दिया। ताहम उनकी किताब में ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिनकी सनद या मतन की सेहत में इख़्तिलाफ़ है और उनके नज़दीक वो सहीह हैं। उनमें इस इज्माई शर्त से ज़हूल हो गया है या कोई और सबब है। उनका इस्तिदराक और तअलील की गई है।

सहीह मुस्लिम की मुअल्लक़ रिवायात :

मुअल्लक़ वो रिवायत है जिसकी सनद के शुरू से एक या ज़्यादा रावी हज़फ़ कर दिये जायें। बुख़ारी में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसाकि उसकी तादाद गुज़र चुकी है और मुस्लिम में एक ही जगह तयम्मुम के सिलसिले में है। लैस़ बिन सअद रिवायत करते हैं और आगे अबुल जहम बिन हारिस़ बिन सिम्मा की रिवायत बयान की है कि आप बीरे जमल नामी जगह से आये और दो और जगह हुदूद और बुयूअ में लैस़ से तअलीक़न रिवायत की है जबकि पहले मुत्तसिलन बयान कर चुके हैं, उसके अलावा 14 जगह और मुत्तसिल रिवायत बयान करने के बाद तअलीक़न रिवायत बयान की है।

(तदरीबुर्रावी : 1/117)

शैख़ुल इमाम अबू अम्र बिन इब्नुस्सल्लाह कहते हैं, बुख़ारी और मुस्लिम की सहीहैन में जो रिवायात मुन्क़तअ की सूरत में बयान की गई हैं, वो इस मानी में मुन्क़तअ नहीं हैं कि वो सहीह के मक़ाम से नक़ल होकर ज़ईफ़ बन जाती हैं जिसे इमाम अबुल हसन दारे क़ुतनी (रह.) ने तअलीक़ का नाम दिया है। हुमैदी उन्हें **'अल्जमअ बैनस्सहीहैन'** में बयान करते हैं और दूसरे अहले मग़रिब हज़रात भी, वो बुख़ारी की किताब में बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम की किताब में बहुत ही कम। फ़रमाते हैं, अगर वो तअलीक़ के लिये मालूम सेग़ा इस्तेमाल करें जैसे क़ाल और रावी से नक़ल करें और वहाँ तक उनकी सनद मुत्तसिल हो जहाँ इन्क़िताअ है जैसे यूँ बयान करें स्वज़्ज़ुहरी अन फ़ुलानिन और ज़ुहरी की सहीह सनद बयान करें, तो उनकी किताबों के हालात का तक़ाज़ा ये है ये रिवायत उनके नज़दीक सहीह है। इस तरह उनकी मुज़ाकरे की सूरत में हासिल वाली रिवायत जिसे वो मुब्हम अल्फ़ाज़ में बयान करें जिससे उसका पता न चल सके, लेकिन वो उसे बतौरे दलील पेश करें वो भी सहीह होगी जैसे यूँ बयान करें, हद्दसना बअज़ु अस्हाबिना या इसके जैसे अल्फ़ाज़।

अपनी सहीह में इमाम मुस्लिम (रह.) की बारीक बीनी :

इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह में एहतियात, इत्क़ान, वरअ और मअरिफ़त की इन्तिहाई आख़िरी राहों का ख़्याल रखा है जो उनके कमाल वरअ, मुकम्मल मअरिफ़त, उलूम की कस़रत, हिफ़्ज़ के पुख़्ता सुबूत और फ़न्ने हदीस़ में महारत, उसकी अलग-अलग क़िस्मों पर क़ुदरत और उस फ़न्न में

तफ़व्वुक़ और उसके दक़ीक़ उलूम में इम्तियाज़ क़ायम करने में बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ होने पर दलालत करते हैं। उन तक यगाना रोज़गार अफ़राद ही पहुँचते हैं। मैं बतौरे मिसाल चंद चीज़ों का तज़्किरा करता हूँ ताकि बाक़ी से आगाही हासिल हो सके। क्योंकि उनके हालात की हक़ीक़त से ही आगाह हो सकता है जो कमाल अहलियत और उन फ़ुनून को जानने वाला हो जिन उलूम की मअरिफ़त का वो मोहताज है, जैसे फ़िक़्ह, उसूले हदीस, उसूले फ़िक़्ह, उलूमे अरबिया, अस्माए रिजाल, इल्मुल असानीद की बारीकियाँ और तारीख़ की वाक़िफ़ियत के साथ उनकी किताब पर ग़ौर व फ़िक्र करे और उस फ़न्न के माहिरीन के साथ उठे-बैठे, उनके साथ बहस व मुबाहिसे में हिस्सा ले। इसके अलावा अच्छी और बुलंद ज़हन के साथ हमेशा इस इल्म के साथ ताल्लुक़ रखे और इनके अलावा वसाइल जिनकी ज़रूरत है, से मुत्तसिफ़ हो, इमाम मुस्लिम के क़सदे तजस्सुस की दलील है।

इमाम मुस्लिम (रह.) का हद्दसना और अख़्बरना में फ़र्क़ :

इमाम मुस्लिम (रह.) ने हद्दसना और अख़्बरना के इम्तियाज़ पर तवज्जह मब्ज़ूल रखी, अपने उस्ताद और उनसे रिवायत के सिलसिले में इसकी पाबंदी की। उनके नज़रिये के मुताबिक़ दोनों में फ़र्क़ है। हद्दसना सिर्फ़ वहाँ इस्तेमाल हो सकता है जहाँ उस्ताद से अल्फ़ाज़े हदीस सुने हों और अख़्बरना वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ अल्फ़ाज़े हदीस उस्ताद के सामने पढ़े गये हों, इमाम शाफ़ेई, शवाफ़िअ और मश्रिक़ी अहले इल्म की अक्सरियत का मौक़िफ़ यही था। मुहम्मद बिन हसन जोहरी कहते हैं, अक्सर मुहद्दिसीन जिनकी तादाद शुमार नहीं हो सकती का नज़रिया यही था। यही फ़र्क़ इब्ने जुरैज, औज़ाई, इब्ने वहब और नसाई से मन्क़ूल है। आम मुहद्दिसीन के यहाँ यही मौक़िफ़ मशहूर और ग़ालिब था और बहुत से लोगों के नज़दीक क़िराअत अलशैख़ उस्ताद के सामने पढ़ने की सूरत में हद्दसना और अख़्बरना दोनों का इस्तेमाल जाइज़ है। बुख़ारी और मुहद्दिसीन की एक जमाअत का नज़रिया यही है। अहले हिजाज़ और अहले कूफ़ा की अक्सरियत की यही राय है और एक गिरोह के नज़दीक क़िराअत अलशैख़ की सूरत में हद्दसना और अख़्बरना में से किसी का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। इब्नुल मुबारक, यहया बिन यहया, अहमद बिन हम्बल और नसाई का मशहूर क़ौल यही है। वल्लाहु आलम!

रावियों के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ की तअयीन व तहदीद :

इमाम मुस्लिम (रह.) रावियों के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ का बहुत ख़्याल रखते हैं जैसे वो लिखते हैं, हद्दसना फ़ुलानुन व फ़ुलानुन और अल्फ़ाज़ फ़लाँ के हैं, क़ाल या क़ाला हद्दसना फ़ुलानुन।

इसी तरह अगर मतन के अल्फ़ाज़ में फ़र्क़ हो या रावी के वस्फ़ या निस्बत वग़ैरह में फ़र्क़ हो तो वो उसकी वज़ाहत फ़रमाते हैं। कई बार इससे मआनी में फ़र्क़ नहीं पड़ता और कई बार कई जगह मानी में फ़र्क़ पड़ जाता है। लेकिन वो पोशीदा होता है जिसे उन उलूम का माहिर ही समझ सकता है जिन उलूम का ऊपर तज़्किरा हो चुका है। इसके अलावा जो फ़िक़्ही दक़ाइक़ और फ़िक़्ही मज़ाहिब से आगाह हो।

हमें इस सिलसिले में मुस्लिम (रह.) के मक़सद को दिक़्क़ते नज़री से समझना चाहिये। जैसे वो सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं। वो फ़रमाते हैं, हमें मुहम्मद बिन राफ़ेअ ने अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ से रिवायत सुनाई, उसने मअ़मर के वास्ते से हम्माम से रिवायत सुनाई कि ये वो रिवायत है जो हमें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने अल्लाह के रसूल मुहम्मद (ﷺ) से सुनाई। उन्होंने बहुत सी हदीसें सुनाईं उनमें से एक ये है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, **'तुममें से कोई शख़्स जब वुज़ू करे तो नाक में पानी खींचे।'**

इसकी वजह ये है सहीफ़े, अजज़ा और किताबें जिनमें एक ही सनद से बहुत सी रिवायतें बयान की गई हैं उनके सिमाअ़ के वक़्त जब सनद सिर्फ़ शुरूआत में बयान की जाती है और हर हदीस़ के साथ नये सिरे से सनद दोहराई नहीं जाती तो जब इंसान जिसने अहादीस़ का सिमाअ़ इस तरीक़े से किया है जब वो उनमें से कोई हदीस़ अलग बयान करता है और वो पहली हदीस़ नहीं है जिसके साथ वो सनद बयान की गई थी तो क्या वो बाद वाली कोई हदीस़ इस सनद के साथ बयान कर सकता है या नहीं?

वकीअ़ बिन जर्राह, यहया बिन मईन और अबू बकर इस्माईली शाफ़ेई जो हदीस़, फ़िक़्ह और उसूल में इमाम थे। उनकी राय की रू से ये जाइज़ है और अक्सर उलमा का मौक़िफ़ यही है क्योंकि बयान की गई तमाम रिवायतों का अत्फ़ पहली रिवायत पर है, लिहाज़ा जो सनद पहली हदीस़ के साथ बयान की गई है वा हुक्मन तमाम अहादीस़ के साथ दोहराई गई है और इमाम अबू इस्हाक़ इस्फ़राइनी जो शाफ़ेई फ़क़ीह, उसूले फ़िक़्ह और दूसरे उ़लूम के इमाम हैं, उनके नज़दीक ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं इस वजह से जिसने इस तरह अहादीस़ का सिमाअ़ किया हो, उसे उसकी वज़ाहत करनी चाहिये। इमाम मुस्लिम (रह.) ने वज़ाहत वाला तरीक़ा इख़्तियार किया है। इमाम मुस्लिम ने ये राह बतौरे वरअ़, एहतियात, तहक़ीक़ और इत्क़ान इख़्तियार की है।

उस्ताद से सुने अल्फ़ाज़ का क़सद करना :

जैसे उनके उस्ताद अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने कहा, हद्दसना सुलैमान इसकी निस्बत बयान नहीं की इमाम मुस्लिम यानी के लफ़्ज़ के इस्तेमाल के बाद कहेंगे बिन बिलाल, अ़न यहया, अब यहया की तअ़यीन के लिये जबकि उस्ताद ने सिर्फ़ यहया कहा, वो कहेंगे हौ बिन सईद। इमाम मुस्लिम ने इस तरह कहना दुरुस्त नहीं समझा हद्दसना सुलैमान बिन बिलाल अ़न यहया बिन सईद क्योंकि उस्ताद ने सुलैमान और यहया की निस्बत बयान नहीं की, अगर उस्ताद से मन्सूबन नक़ल करते हैं तो मानी होगा, उस्ताद ने निस्बत बयान की थी, हालांकि ऐसा नहीं है।

हदीसों की सनदों की तल्ख़ीस :

इस तरह वो सनदों की तल्ख़ीस में एहतियात से काम लेते हैं। सनद की तहवील के वक़्त मुख़्तसर अल्फ़ाज़ लाते हैं और ख़ूब कमाल से काम लेते हैं। इस तरह अहादीस की तर्तीब और तन्सीक़ (नज़्म) कमाल ख़ूबी और हक़ीक़त बीनी से करते हैं। मौक़-ए-ख़िताब को ख़ूब समझते हैं। इल्मी बारीकियों, उसूली क़वाइद और इल्मुल असानीद के छिपे गोशों और रावियों के मर्तबों वग़ैरह को मल्हूज़ रखते हैं। (मुस्लिम शरह नववी मुक़द्दमा : 1/20)

सहीह मुस्लिम में रिवायत करने का तरीक़ा :

इमाम ज़हबी (रह.) लिखते हैं, हाफ़िज़ अबुल क़ासिम बिन असाकिर ने अपनी अतराफ़ की शुरूआत में '**सहीह बुख़ारी**' के तज़्किरे के बाद लिखा है, मुस्लिम बिन हज्जाज ने भी उन्हीं का रास्ता अपनाया। अपनी किताब की तख़रीज और तालीफ़ शुरू की और उसकी तर्तीब व तस्नीफ़ की दो क़िस्में बनाईं। उनका इरादा ये था कि पहली क़िस्म में अहले इत्क़ान (भरपूर भरोसेमंद) लोगों की हदीसें बयान कर दें और दूसरी क़िस्म में उन अहले सतर व सिद्क़ की जो पुख़्ताकार लोगों के दर्जे को नहीं पहुँचे। उनकी इस आरज़ू के दरम्यान मौत हाइल हो गई और किताब की तक्मील से पहले ही फ़ौत हो गये लेकिन उनकी किताब कमी के बावजूद शोहरत पाकर फैल गई। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/573-574)

इमाम हाकिम का क़ौल है, मुस्लिम का इरादा था कि सहीह की तख़रीज, तीन क़िस्मों में करें। जिनमें रावियों के तीन तबक़ात हों, उसका उन्होंने अपने ख़ुत्बे के शुरूआत में तज़्किरा किया है। लेकिन वो सिर्फ़ पहले तबक़े की रिवायात से ही फ़ारिग़ हो सके और वफ़ात पा गये। फिर हाकिम ने ऐसी बात बयान की जो सिर्फ़ एक दावा है, कहा वो सिर्फ़ वही रिवायात बयान करते हैं जिसे एक मशहूर सहाबी जिससे बयान करने वाले दो या ज़्यादा सिक़ह रावी हों, बयान करता हो फिर उससे भी दो या ज़्यादा सिक़ह रावी बयान करें। यही सूरत बाद में भी क़ायम रहे। अबू अली जुबाई कहते हैं, हाकिम का मक़सद ये है कि ये सहाबी या ये ताबेई इससे बयान करने वाले दो हों जो उन्हें जहालते हद से निकाल दें।

(सियरु आलामिन्नुबला : 12/574)

क़ाज़ी अयाज़ कहते हैं, हाकिम ने मुस्लिम के बारे में जो ये कहा है कि अपने मक़सद को पूरा करने से पहले मौत का शिकार हो गये, सिर्फ़ पहले तबक़े की रिवायतें बयान कर सके। मैं कहता हूँ जब आप मुस्लिम (रह.) की अपनी किताब में हदीसों की तक़सीम लोगों के तबक़ात की सूरत में बिला तकरार पुर नज़र दौड़ायेंगे, मुस्लिम ने बयान किया है पहली क़िस्म, हिफ़ाज़ते हदीस की है। फिर जब ये पूरे हो जायेंगे तो मैं ऐसे रावियों की अहादीस लाऊँगा जो महारत और इत्क़ान से मुत्तसिफ़ नहीं हैं और पहले तबक़े से लाहिक़ हैं। जो अबवाब पर ग़ौर करेगा तो उसे पता चल जायेगा ये लोग उनकी किताब में

मौजूद हैं और दूसरा तबक़ा उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन पर कुछ हज़रात ने जरह की है और कुछ ने उनकी तौसीक़ की है। उनकी अहादीस़ की तख़रीज ऐसे रावियों से जो ज़ईफ़ क़रार दिये गये या उन पर बिदअत का इल्ज़ाम था। बुख़ारी (रह.) ने भी ऐसे ही किया है। फिर क़ाज़ी अयाज़ ने लिखा है, मेरे नज़रदीक वो अपने बयान करदा तीनों तबक़ात की अहादीस़ लाये हैं और चौथे तबक़े की अहादीस़ छोड़ दी हैं। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/574-575, मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम शरह नववी 1/15)

इमाम ज़हबी (रह.) लिखते हैं, मेरे नज़दीक पहले तबक़े और दूसरे तबक़े की रिवायतें सिवाय उन चंद के जिनको दूसरे तबक़े की रिवायात से नापसंद किया है बयान किया है। फिर तीसरे तबक़े की रिवायात सिवाय उन चंद को जिनको शवाहिद ऐतबार और मुताबिअत की सूरत में बयान की हैं और उसूल में कम ही किसी रिवायत की तख़रीज की है अगर इस तबक़े की अहादीस़ का सहीह में इस्तीआब (अहाता) किया जाता तो किताब दुगना हो जाती और इस इस्तीआब के नतीजे में उनकी इस्हाक़, मुहम्मद बिन अम्र बिन अल्क़मा और इन जैसे लोग हैं। जिनकी जस्ता-जस्ता अहादीस़ इस सूरत में बयान की हैं जबकि उनका कुछ असल मौजूद था। इस तबक़े की कस़रते अहादीस़ इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अबू दाऊद और नसाई वग़ैरह ने बयान की हैं। ये हज़रात अगर चौथे तबक़े की अहादीस़ की तरफ़ उतरते हैं। जो ज़ईफ़ लोग हैं तो अपनी राय और इज्तिहाद के मुताबिक़ इन्तिख़ाब करते हैं, उनकी अहादीस़ का इस्तीआब नहीं करते, रहा पाँचवाँ तबक़ा जिसके नज़र अन्दाज़ करने और छोड़ने पर उनके फ़हम व ज़ब्त से महरूम होने या मुत्तहम होने की वजह से इत्तिफ़ाक़ है। अहमद और नसाई उनकी बहुत कम रिवायात लायें हैं, इमाम अबू ईसा अपने इज्तिहाद की रोशनी में उनकी बहुत कम रिवायात, वज़ाहत करने की सूरत में लाये हैं, इब्ने माजा बिला बयान कुछ रिवायात लाये हैं। वल्लाहु आलम!

अबू दाऊद उनकी रिवायात बहुत कम लाये हैं और उमूमन उनके बारे में वज़ाहत कर दी है। (कई जगह ज़ईफ़ होने के बावजूद सुकूत इख़्तियार किया, ज़ौफ़ बयान नहीं किया)

छठा तबक़ा जैसे ग़ाली, राफ़ज़ी, जहमिय्यत के दाई, झूठे अहादीस़ वज़अ करने वाले और मतरूक मुत्तहम लोग जैसे उमर बिन सब्बह, मुहम्मद मस्लूब, नूह बिन अबी मरयम, अहमद जुवेबारी और अबू हुज़ैफ़ा बुख़ारी, सिहाहे सित्ता में इन रावियों से कोई हर्फ़ नहीं लिया गया। हाँ इब्ने माजह ने ग़लती से उमर (बिन सब्बह) की एक हदीस़ रिवायत की है, इस तरह इब्ने माजा ने नाम में तदलीस करते हुए, नाम लिये बग़ैर एक हदीस़ बयान की है। (बक़ौल बौसीरी ये रिवायत अबू दाऊद में सहीह सनद से मौजूद है) (सियरु आलामिन्नुबला : 12/575-576)

सहीह मुस्लिम के इम्तियाज़ात :

अल्लाह तआला हम पर और इमाम मुस्लिम (रह.) पर रहमत फ़रमाये, उनके इल्मे हदीस़ में कुछ ऐसे साथी थे जो उनके हमपल्ला थे और कुछ ऐसे साथी थे जो उन पर फ़ाइक़ थे और अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी सहीह के ज़रिये सितारों तक रिफ़अत (बुलन्दी) बख़्शी और वो इमाम, हुज्जत बन गये। हदीस़ और दूसरे इल्मों में उनका ज़िक्रे ख़ैर बार-बार आता है। ये अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे उसे इनायत फ़रमाये।

इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं, इमाम मुस्लिम एक उम्दा फ़ायदे में मुन्फ़रिद हैं यानी उनकी किताब से इस्तिफ़ादा बहुत आसान है क्योंकि उन्होंने हर हदीस़ के बयान के लिये उसकी मुनासिब जगह का इन्तिख़ाब किया है। जहाँ वो उन तमाम तुरुक़ (सनदों) को जमा कर देते हैं जिनके तज़्किरे को वो पसंद और मुख़्तार समझते हैं। वहाँ कई सनदें और अलग-अलग अल्फ़ाज़ ले आते हैं। तालिबे इल्म पर उसकी सनदों पर नज़र दौड़ाना और उनसे फ़ायदा हासिल करना आसान हो जाता है और इमाम जिन अलग-अलग तुरुक़ से पेश करते हैं, उन पर ऐतमाद हासिल हो जाता है इसके बरख़िलाफ़ बुख़ारी उन मुख़्तलिफ़ तुरुक़ को मुतफ़र्रिक़ दूर-दूर अबवाब में लाते हैं और बहुत सी अहादीस़ ऐसे अबवाब के तहत लाते हैं कि फ़हम उनकी तरफ़ नहीं जाता और वहाँ मुनासिब नहीं समझता। इमाम बुख़ारी ये अपनी दक़ीक़ा रसी की बिना पर करते हैं। तालिबे इल्म के लिये इन तुरुक़ को जमा करना और इमाम बुख़ारी के बयान किये गये तमाम तुरुक़ पर ऐतमाद पैदा करना मुश्किल हो जाता है। मैंने मुताख़्ख़िरीन हुफ़्फ़ाज़े हदीस़ की एक जमाअत पाई है जिन्होंने इन मक़ामात पर ठोकर खाई है और बुखारी की कई अहादीस़ जो किताब में ऐसी जगह मौजूद हैं, जिनकी तरफ़ ज़हन सबक़त नहीं करता, उनका इंकार किया है। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/13)

सहीह मुस्लिम की फ़ज़ीलत में मक्की बिन अब्दान जो नीशापूर के एक हाफ़िज़ हैं, का ये बयान भी है मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज से सुना, अगर अहले हदीस़ दो सौ साल तक हदीस़ लिखते रहें तो उनका मदार इस मुस्नद यानी उनकी सहीह पर होगा और मैंने मुस्लिम से सुना, मैंने अपनी ये किताब अबू ज़रआ राज़ी के सामने पेश की जिस हदीस़ में उन्होंने कोई इल्लत बताई, मैंने उसको छोड़ दिया और जिसके बारे में कहा, ये सहीह है और इसमें कोई इल्लत नहीं उसको रिवायत किया और अबू बकर ख़तीब बग़दादी अपनी सनद से मुस्लिम से नक़ल करते हैं। मैंने ये **'मुस्नद सहीह'** तीन लाख सुनी हुई पेज 70 के आग़ाज़ पर ये क़ौल मुहम्मद बिन मासरजिसी की तरफ़ मन्सूब किया है अहादीस़ से तस्नीफ़ की है। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/568, लेकिन ख़तीब का क़ौल यहाँ मौजूद नहीं है और न ही 12/579 पर है।)

उलमाए मग़्रिब के नज़दीक सहीह मुस्लिम का मक़ाम : उलमाए मग़्रिब के यहाँ सहीह मुस्लिम को बहुत बुलंद मक़ाम हासिल है। यहाँ तक कि उन्होंने इसे सहीह बुख़ारी से भी बरतर क़रार दिया है। उनके यहाँ इसे बहुत शोहरत और बहुत अ़ज़मत मिली और ये अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल है जिसे चाहे इनायत फ़रमाये।

इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं, मुस्लिम तक मुत्तसिल सनद के साथ, मुत्तसिल रिवायत, उन इलाक़ों और उस दौर में अबू इस्हाक़ इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुस्लिम पर बंद है और बिलादे मग़्रिब में इस सनद के साथ अबू मुहम्मद अहमद बिन अ़ली क़लान्सी की रिवायत भी मौजूद है, ये दोनों बराहे रास्त मुस्लिम से रिवायत करते हैं। (मुक़द्दमा शरह मुस्लिम नववी : 1/12)

अहले इल्म मुस्लिम की रिवायत की तलाश में या सहीह मुस्लिम की रिवायत और क़िरअत की ख़ातिर मग़्रिबी इलाक़ों का रुख़ करते थे। नसर बिन हसन शाशी मग़्रिब तक जाने के लिये कई बार बग़दाद आये और उन्दुलुस में सहीह मुस्लिम पढ़ाई। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 62/31)

सहीह मुस्लिम की शर्त :

इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह के मुक़द्दमा में बयान किया है कि वो अहादीस़ को तीन क़िस्मों में तक़सीम करेंगे : (1) वो अहादीस़ जिन्हें मुत्क़न (पुख़्ता) हाफ़िज़ों ने रिवायत किया है (2) वो रावी जिनके ऐब छिपे हैं और हिफ़्ज़ व इत्क़ान का दरम्यानी दर्जा हासिल है (3) जिन रिवायात को ज़ईफ़ और मतरूक रावियों ने बयान किया है।

पहली क़िस्म से फ़राग़त के बाद दूसरे दर्जे की अहादीस़ बयान करूँगा। लेकिन तीसरे दर्जे के रावियों की अहादीस़ बयान नहीं करूँगा। उलमा का उनकी इस तक़सीम के बारे में इख़्तिलाफ़ है। दो अइम्मा हुफ़्फ़ाज़, अबू अ़ब्दुल्लाह हाकिम और उनके साथी अबू बकर बैहक़ी का क़ौल है कि इमाम मुस्लिम (रह.) को मौत ने दूसरे दर्जे की अहादीस़ निकालने का मौक़ा नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ़ पहली क़िस्म की अहादीस़ बयान की हैं। क़ाज़ी अ़याज़ के बक़ौल शुयूख़ और लोगों ने अबू अ़ब्दुल्लाह हाकिम की बात क़ुबूल करते हुए उसकी पैरवी की है।

लेकिन क़ाज़ी अ़याज़ के बक़ौल बात इस तरह नहीं है बशर्तेकि दिक़्क़ते नज़र से काम लिया जाये और तक़लीद की पाबंदी न की जाये। अगर आप मुस्लिम की अपनी किताब में हदीस़ की तक़सीम में तीन तबक़ात पर ग़ौर फ़रमायेंगे जैसाकि उन्होंने बयान किया है कि पहली क़िस्म में हुफ़्फ़ाज़ की अहादीस़ हैं और जब इस तबक़े की अहादीस़ ख़त्म हो जायें तो उसके बाद उन लोगों की अहादीस़ लाऊँगा जो महारत और इत्क़ान से मुत्तसिफ़ नहीं। लेकिन उसके बावजूद उनके ऐब छिपे हैं और वो सच्चे हैं और इल्म से शग़फ़ रखते हैं। फिर इशारा किया है जिनकी अहादीस़ के तर्क पर अहले इल्म का

इज्माअ है या उनमें से अक्सर उनके मुत्तहम होने पर मुत्तफ़िक़ हैं, उनकी रिवायात नहीं लाऊँगा। रह गये वो रावी जो कुछ के नज़दीक मुत्तहम हैं और कुछ के नज़दीक सहीह। उनका तज़्किरा नहीं किया। मैंने उनकी किताब में उनका ये रवैया पाया है कि उन्होंने अपनी किताब के अबवाब में पहले दोनों तबक़ों की रिवायात बयान की हैं और दूसरे तबक़े की सनदें पहले तबक़े की मुताबिअत और शवाहिद के तौर पर बयान की हैं या जब मसले के बारे में पहले तबक़े की हदीस़ नहीं मिली और ऐसे रावियों की अहादीस़ भी बयान की हैं जिन पर कुछ ने जरह की है और कुछ ने तअ़दील की है और उनकी अहादीस़ ऐसे रावियों से हैं जिन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया गया है या उन पर बिदअती होने का इल्ज़ाम है। बुख़ारी ने भी ऐसे ही किया है। मेरे नज़दीक वो अपनी किताब में अपने बयान किये गये तीनों तबक़ात, अपनी किताब की तर्तीब के मुताबिक़ लाये हैं जैसाकि उन्होंने तक़सीम की है और अपनी सराहत के मुताबिक़ चौथे तबक़े को छोड़ दिया है। हाकिम ने उनके क़ौल की तावील ये की है कि उनका मक़सद ये था हर तबक़े की अलग-अलग लायेंगे और उनके लिये अलग किताब क़ायम करेंगे हालांकि ये उनकी मुराद न थी। बल्कि जैसाकि उनकी तालीफ़ से ज़ाहिर हुआ है और ग़र्ज़ से वाज़ेह हुआ है कि वो उनको अबवाब में जमा करेंगे और दोनों तबक़ों की अहादीस़ लायेंगे। शुरूआत पहले तबक़े की हदीस़ों से करेंगे फिर शवाहिद व मुताबिअत के तौर पर दूसरे तबक़े की अहादीस़ लायेंगे, इसी तरह उन्होंने तीनों क़िस्मों को इस्तीआब कर लिया।

ये भी हो सकता है कि तीन तबक़ात से उनकी मुराद हुफ़्फ़ाज़े हदीस़ फिर उनके क़रीब के लोग फिर तीसरा तबक़ा जिसको उन्होंने छोड़ दिया है। इस तरह इलले हदीस़ जिन के बयान का उन्होंने वादा किया कि वो लायेंगे वो उन्हें अलग-अलग अबवाब में उनके महल पर लाये हैं। सनद में इख़्तिलाफ़ बयान किया है उनके इरसाल व इत्तिसाल कमी व बेशी और पढ़ने-लिखने वालों की ग़लती की निशानदेही की है और ये इस बात की दलील है कि उन्होंने अपने ग़र्ज़े तालीफ़ को पूरा किया है और जो वादा किया था उसको अपनी किताब में जगह दी है। क़ाज़ी अयाज़ फ़रमाते हैं, मैंने अपनी इस तावील और राय पर उन लोगों से तबादलाए ख़्याल किया जो इस मसले को समझते हैं। तो हर मुसन्निफ़ ने इसकी तस्वीब की और मेरी बात उस पर वाज़ेह हो गई और ये हर उस शख़्स पर वाज़ेह है जो किताब पर ग़ौर करता है और तमाम अबवाब का मुताल्आ करता है। इस पर इमाम मुस्लिम के साथी इब्ने सुफ़ियान के इस क़ौल को ऐतराज़ के तौर पर पेश न किया जाये कि मुस्लिम ने मुसनदात पर तीन किताबें लिखी है। एक ये है जो लोगों को सुनाई है। दूसरी जिसमें इक्रिमा, साहिबे मग़ाज़ी मुहम्मद बिन इस्हाक़ और उन जैसों की रिवायात दाख़िल की हैं और तीसरी जिसमें ज़ईफ़ रावियों की रिवायात भी हैं क्योंकि आप इब्ने सुफ़ियान के बयान पर ग़ौर करेंगे तो वो इसके ग़र्ज़ व मक़सद के मुताबिक़ नहीं है जिसकी तरफ़ हाकिम ने इशारा किया है और मुस्लिम ने अपनी किताब के शुरू में ज़िक्र किया है उस पर ग़ौर कीजिये। आप इसे इस तरह ही इन्शाअल्लाह पायेंगे। (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम, शरह नववी : 1/15-16)

सहीह मुस्लिम के बारे में उलमा के अक़्वाल और उसकी तारीफ़ :

सहीह मुस्लिम को इस क़द्र शोहरत मिली है कि नज्म (सितारा) भी इसकी हद तक नहीं पहुँच सकता, इसका चर्चा बुलंद हुआ। इसकी क़द्रो-मन्ज़िलत बढ़ गई यहाँ तक कि इस्लाम की असासी (बुनियादी) किताबों में से एक किताब ठहरी।

हाफ़िज़ इब्ने मुनज़्ज़ा बयान करते हैं, मैंने अबू अली नीशापूरी से सुना, आसमान की निचली सतह तले मुस्लिम की किताब से सहीहतर कोई किताब मौजूद नहीं। (सियरु आलामिन्नुबला : 12/566)

मक्की बिन अब्दान का क़ौल है, मैंने मुस्लिम से सुना, मैंने अपनी ये मुस्नद अबू ज़रआ के सामने पेश की। इस किताब की जिस हदीस़ के बारे में ये कहा, इसमें इल्लत है और सबब (ज़ौफ़) है। मैंने उसको छोड़ दिया और हर वो जिसके बारे में कहा, ये सहीह है इसमें कोई इल्लत नहीं तो उसकी तख़रीज की सियरु आलामिन्नुबला 12/568 अबू अब्दुल्लाह बिन अबी नस्र उन्दुलुसी बयान करते हैं मैंने हाफ़िज़, फ़क़ीह अबू मुहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद से सुना। जबकि सहीहैन का ज़िक्र छिड़ा। उसने दोनों की अज़मत, रिफ़अत और शान बयान की और बताया, सईद बिन सकन के यहाँ कुछ अहलुल हदीस़ अहादीस़ के तालिब जमा हुए और अर्ज़ किया, हमारे सामने बहुत सी हदीस़ की किताबें हैं, शैख़ हमारी रहनुमाई फ़रमायें, हम उनमें किस पर इक्तिफ़ा करें? तो वो ख़ामोश होकर अपने घर में दाख़िल हुए और चार बण्डल लाये और उन्हें एक दूसरे पर रख दिया और फ़रमाया, ये इस्लाम की बुनियादें हैं, मुस्लिम की किताब, बुख़ारी की किताब, अबू दाऊद की किताब और नसाई की किताब।
(तारीख़े दमिश्क़ : 58/93)

अबू सअद का बयान है, मैंने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन अबी नसर तबरसी से सुना, मैंने सहीह मुस्लिम इमाम फ़रावी को सतरह बार सुनाई। आख़िरी दिनों में उन्होंने फ़रमाया, मैं तुम्हें वसियत करता हूँ, तू मेरी मौत के वक़्त मेरे ग़ुस्ल में मौजूद होना और अहले मोहल्ला को जनाज़ा पढ़ाना और अपनी ज़बान, मेरे मुँह में दाख़िल करना क्योंकि तूने इससे बकसरत हदीसे नबवी की क़िरअत की है। इमाम सुबुकी फ़रमाते हैं, फ़रावी ने एक हज़ार से ज़्यादा बार मज्लिसे इमला (हदीस़ लिखवाना) क़ायम की और वो इल्मी बसीरत और पुख़्ता दयानत के साथ बुलंद सनद रखने में मुम्ताज़ मुन्फ़रिद हैं। (तबक़ातुश्शाफ़ेइय्या : 6/199)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) लिखते हैं, मुस्लिम को अपनी किताब के सबब हद से बढ़ा बुलंद हिस्सा मिला। इस जैसा हिस्सा किसी को नहीं मिला। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे मुहम्मद बिन इस्माईल (रह.) की सहीह पर भी बरतरी देते थे। जिसका सबब, उनका सनदों का जमा करना, उम्दा तर्तीब और अल्फ़ाज़ की अदायगी में उनकी पाबंदी करे बग़ैर तक़तीअ और रिवायत बिल्मअना करने में मुम्ताज़ होना है। नीशापूर के बहुत से लोगों ने उनके अन्दाज़ पर किताबें लिखीं। लेकिन उनके मक़ाम तक न पहुँच

सके। मुझे मुस्लिम पर मुस्तख़रज लिखने वाले बीस अइम्मा के नाम याद हैं पाक है इनायत करने वाला देने वाला अल्लाह। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 10/114, अल्मुअतिल वह्हाब)

इमाम मुस्लिम (रह.) पर ऐतराज़ात :

लोगों के मिज़ाज में इख़्तिलाफ़ पाया जाता है। वो बहुत ही कम किसी राय और क़ौल पर मुत्तफ़िक़ होते हैं। पाक है वो ज़ात जो हर एक के साथ उसकी हैसियत के मुताबिक़ सुलूक करती है।

पहला ऐतराज़ : शैख़ुल इस्लाम इमाम नववी का क़ौल है, अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो अहादीस़ का इस्तीआब आसान काम था। सबसे पहला मुसन्निफ़ अपने तक पहुँचने वाली अहादीस़ जमा कर देता फिर उसके बाद वाली रह जाने वाली अहादीस़ या अहादीस़ में जिस बढ़े हुए लफ़्ज़ से आगाह होता, उसका इज़ाफ़ा कर देता, जो उससे आगाही की दलील बनती। उनके बाद वाला भी ये तरीक़ा इख़्तियार करता, इस तरह थोड़ा अरसा गुज़रने के बाद तमाम अहादीस़ का इस्तीआब हो जाता और तक़रीबन एक ही तस्नीफ़ बन जाती और ये काम इन्तिहाई उम्दा होता। (तदरीब : 1/100)

सईद बिन अम्र बज़्दई बयान करते हैं, मैं अबू ज़रआ यानी राज़ी के यहाँ हाज़िर हुआ। उनके पास मुस्लिम बिन हज्जाज की तस्नीफ़ 'सहीह' फिर उन पर जो उनके अन्दाज़ में इज़ाफ़ा हुआ का ज़िक्र छिड़ा तो अबू ज़रआ ने मुझे कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक़्त से पहले आगे बढ़ने की कोशिश की है और ऐसी चीज़ तैयार की है जिससे अपने लिये मार्केट बना लें। ऐसी किताब तालीफ़ की है कि किसी ने पहले ऐसी किताब नहीं लिखी ताकि अपने लिये वक़्त से पहले क़यादत हासिल कर लें। मेरी मौजूदगी में एक दिन, एक आदमी सहीह मुस्लिम लाया। वो उस पर नज़र दौड़ाने लगे। उनकी नज़र अस्बात बिन नसर की हदीस़ पर पड़ी। तो अबू ज़रआ ने कहा, ये किताब सेहत से बहुत दूर है। इसमें अस्बात बिन नसर की अहादीस़ बयान की गई हैं। फिर उसमें कुत्न बिन नुसैर का नाम देखा तो मुझे कहा, ये पहले से बढ़कर आफ़त है। कुत्न बिन नुसैर ने स़ाबित की अहादीस़ को, मुत्तसिल करते हुए अनस (रज़ि.) की अहादीस़ बना डाला। फिर नज़र दौड़ाई और कहा, अपनी सहीह में अहमद बिन ईसा मिस्री से अहादीस़ लाता है और अबू ज़रआ ने अपनी ज़बान की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, मेरे नज़दीक अहले मिस्र को अहमद बिन ईसा के झूठा होने में कोई शक नहीं है। फिर मुझे कहा, इन जैसों से रिवायत ली है और मुहम्मद बिन अज्लान और इस जैसों को छोड़ दिया है और बिदअतियों को हमारे ख़िलाफ़ राह दे दी है। जब उनके ख़िलाफ़ कोई हदीस़ बतौरे दलील पेश की जायेगी तो वो कह देंगे, ये सहीह में मौजूद नहीं है। मैंने देखा वो इस किताब की तदवीन करने वाले की मज़म्मत करते और उसकी सरज़निश करते हैं। तो मैं जब दोबारा नीशापूर लौटा, मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज को बताया। अबू ज़रआ ने उनकी सहीह किताब, में अस्बात बिन नसर, कुत्न बिन नुसैर और अहमद बिन ईसा की अहादीस़ होने पर ऐतराज़ किया है। तो

मुस्लिम (रह.) ने मुझे बताया, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने तो अस्बात, क़ुत्न और अहमद की सिर्फ़ वो अहादीस़ यहाँ ली हैं जिनको सिक़ह रावियों ने अपने शुयूख़ से बयान किया है। मगर उनकी सनद मेरे पास आ़ली थी और उनसे औसक़ रावियों की सनद मेरे पास नाज़िल (ज़्यादा वास्तों वाली) थी। इसलिये मैंने उन पर इक्तिफ़ा किया क्योंकि सिक़ह रावियों से असल हदीस़ मअ़रूफ़ थी। इस वाक़िये के बाद मुस्लिम रै शहर में आये। तो मुझे पता चला है वो अबू अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन वारह के पास गये। उन्होंने इसी किताब की बिना पर उनसे सख़्त कलामी की और डाँट पिलाई और उसे वही बात कही जो मुझे अबू ज़रआ़ ने कही थी कि इससे अहले बिदअ़त को हमारे ख़िलाफ़ राह मिलेगी। मुस्लिम (रह.) ने उनके सामने ये उ़ज़्र पेश किया। मैंने इस किताब में बयान की गई अहादीस़ को सहीह कहा है और ये तो नहीं कहा, जो हदीस़ इस किताब में नहीं है वो ज़ईफ़ है। मैंने सहीह अहादीस़ का एक मज्मूआ तैयार किया है ताकि ये मज्मूआ मेरे पास रहे और जो इसे मुझसे लिखना चाहे, उसके पास भी रहे और उसकी सेहत में शक न हो और मैंने ये नहीं कहा, इस मज्मूअ़े के सिवा अहादीस़ ज़ईफ़ हैं या इसी क़िसम का उ़ज़्र मुस्लिम ने मुहम्मद बिन मुस्लिम के सामने पेश किया और उन्होंने उनके उ़ज़्र को क़ुबूल करके, उन्हें अहादीस़ सुनाईं। (तहज़ीबुल कमाल : 1/420)

अबू अ़ब्दुल्लाह हाकिम का बयान है, मैंने अबू अ़म्र बिन अबू जाफ़र से सुना कि अबू क़ुरैश हाफ़िज़ ने बताया, मैं अबू ज़रआ़ राज़ी के पास था तो मुस्लिम बिन हज्जाज आ गये। उन्होंने सलाम किया और कुछ देर बैठे। दोनों मुज़ाकरा करते रहे। जब वो उठ खड़े हुए मैंने अबू ज़रआ़ से कहा, इसने अपनी सहीह में चार हज़ार अहादीस़ जमा की हैं। तो अबू ज़रआ़ ने कहा, बाक़ी क्यों छोड़ दीं? फिर कहा, ये अ़क़्ल से महरूम है अगर ये मुहम्मद बिन यहया से बनाकर रखता तो कामिल मर्द बन जाता। (तहज़ीबुल कमाल : 26/627)

इमाम हाफ़िज़ अबुल हसन अ़ली बिन अ़म्र दार क़ुतनी वग़ैरह ने बुख़ारी और मुस्लिम पर ये ऐतराज़ किया है कि उन्होंने ऐसी अहादीस़ छोड़ दी हैं जिनकी सनदों में वही रावी हैं जिनकी रिवायात वो अपनी-अपनी सहीह में लाये हैं। दार क़ुतनी वग़ैरह ने सहाबा (रज़ि.) की एक ऐसी जमाअ़त का तज़्किरा किया है जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सहीह सनदों से, जिनके नाक़िलीन पर किसी क़िस्म का ऐतराज़ नहीं है, बयान की हैं और उन्होंने उनकी कोई रिवायत बयान नहीं की। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक़ उनकी रिवायात बयान करना ज़रूरी था और बैहक़ी ने ऐतराज़ किया है कि उन दोनों ने सहीफ़े हम्माम बिन मुनब्बा से रिवायात नक़ल की हैं और दोनों इससे कुछ रिवायात नक़ल करने में मुन्फ़रिद हैं हालांकि सबकी सनद एक ही है। इमाम दार क़ुतनी और अबू ज़र हरवी ने इस सिलसिले में उन अहादीस़ के बारे में जो उन्हें बयान करनी चाहिये थीं किताब भी लिखी है और ये इल्ज़ाम दरहक़ीक़त उन पर सादिक़ नहीं आता। क्योंकि उन्होंने सहीह हदीस़ के इस्तीआ़ब का इल्तिज़ाम नहीं किया। बल्कि उन्होंने सराहत के

साथ कहा है कि उन्होंने इस्तीआब से काम नहीं लिया। उनका मक़सद तो बस सहीह अहादीस़ का एक मज्मूआ तैयार करना था। जिस तरह फ़िक़्ह में किताब लिखने वाला मसाइल का एक मज्मूआ तैयार करता है, तमाम फ़िक़्ही मसाइल का इस्तिक़सा नहीं करता। लेकिन वो हदीस़ जो उन दोनों ने या एक ने छोड़ दी है। हालांकि ज़ाहिरी ऐतबार से उसकी सनद सहीह है और वो इस मसले में असास है और उसकी नज़ीर या उसके क़ायम मक़ाम कोई रिवायत बयान नहीं की तो ज़ाहिर है कि उन्हें उसमें किसी इल्लत का पता चला जबकि वो रिवायत उनके पास थी या निस्यानन छोड़ दी है या तवालत से बचने को तरजीह दी है या उनका ख़्याल था जो अहादीस़ उन्होंने बयान की हैं उन्होंने उनकी ज़रूरत पूरी कर दी है या कोई और वजह हो सकती है। (मुक़दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/16)

दूसरा ऐतराज़, मुस्लिम के कुछ रावियों पर जरह :

ऐतराज़ करने वालों ने मुस्लिम पर ऐसे रावियों की रिवायात बयान करने पर ऐतराज़ किया है जो ज़ईफ़ हैं या दरम्यानी दर्जे के दूसरे तबक़े के लोग हैं जो सहीह की शर्त पर पूरे नहीं उतरते। इस सिलसिले में उन पर ऐतराज़ वारिद नहीं होता। शैख़ इमाम अबू अम्र बिन सलाह ने इसका जवाब क़ई सूरतों में दिया है।

1. वो किसी और के नज़दीक ज़ईफ़ इमाम के नज़दीक सिक़ह है। ये ऐतराज़ नहीं हो सकता कि जरह, तअदील से मुक़द्दम है क्योंकि ये तब है जब जरह सबब की वज़ाहत के साथ पाई जाये। अगर वो ऐसी नहीं तो क़ाबिले क़ुबूल नहीं। इमाम हाफ़िज़ अबू बकर अहमद बिन अली बिन स़ाबित ख़तीब बग़दादी वग़ैरह का क़ौल है, बुख़ारी, मुस्लिम, और अबू दाऊद के वो रावी जिन पर दूसरे लोगों ने तअन किया है उस पर महमूल है कि उन पर तअन मुअस्सिर अन्दाज़ में सबब की तौज़ीह के साथ स़ाबित नहीं।

2. ऐसे रावियों की रिवायात मुताबिआत और शवाहिद में लाई गई हैं। उसूल में नहीं, यानी पहले हदीस़ साफ़ सनद से जिसके रावी सिक़ह हैं बतौरे असल बयान कर दिया। फिर बाद में दूसरी सनद या सनदों से बतौरे मुताबिअत या किसी मज़ीद फ़ायदे से आगाह करने के लिये बयान किया। अगरचे उनमें कोई रावी ज़ईफ़ भी मौजूद था। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/161)

इमाम अ‹ अब्दुल्लाह हाकिम ने मुस्लिम से एक ऐसी जमाअत की रिवायात जो सहीह की शर्त पर पूरे नहीं उतरते यही उज़्र पेश किया है कि उनसे और बहुत से उन जैसों से रिवायात मुताबिअत और शाहिद के तौर पर बयान की हैं जैसे मतर वराक़, बक़िया बिन वलीद, मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार अब्दुल्लाह बिन उमर उमरी, नोमान बिन राशिद और इन जैसे।

3. ज़ईफ़ रावी में ज़ौफ़ उनके उससे रिवायत लेने के बाद पैदा हुआ जैसे वो इख़्तिलात का शिकार हो गया, तो उसकी इख़्तिलात से पहले की रिवायात जबकि उसका हाफ़िज़ा दुरुस्त था, क़ाबिले ऐतराज़ नहीं। जैसे अब्दुल्लाह बिन वहब का भतीजा, अहमद बिन अब्दुर्रहमान बिन वहब, अबू अब्दुल्लाह

हाकिम ने बयान किया है वो 250 हिजरी के बाद इख़्तिलात का शिकार हुआ जबकि मुस्लिम मिस्र से जा चुके थे। इसलिये उसका हुक्म सईद बिन अबी अरूबा और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ वग़ैरह जैसा है जो आख़िरी उम्र में इख़्तिलात का शिकार हुए और उससे पहले की सहीहैन में उनकी अहादीस़ बयान करना रुकावट का बाइस़ नहीं बना।

4. ज़ईफ़ सनद वाले की रिवायत आ़ली थी। जबकि सिक़ह रावियों की सनद से नाज़िल थी। तो उन्होंने आ़ली सनद पर किफ़ायत की, सनदे नाज़िल बयान करके सनद को तवील नहीं किया। क्योंकि इस फ़न्न के माहिरीन को सनद का पता था और ये उ़ज़्र उन्होंने सराहतन बयान किया है। ये सूरते हाल इसके बरख़िलाफ़ है कि पहले सिक़ह रावियों की रिवायात बयान कर दें फिर बाद में बतौरे मुताबिअ़त उनसे कमतर रावी की रिवायत बयान कर दी गोया इसमें तबीअ़त की निशात और अ़द्मे निशात का अस़र था। हम पीछे सईद बिन अ़म्र बरज़ई का वाक़िया नक़ल कर चुके हैं जो अबू ज़रआ़ के इमाम मुस्लिम के रावियों के सिलसिले में पेश आया और इमाम मुस्लिम ने उसका जवाब दिया। (पेज नम्बर : 85)

शैख़ इब्ने सलाह कहते हैं, हम इमाम मुस्लिम (रह.) का ये क़ौल भी नक़ल कर चुके हैं (पेज नम्बर 83) कि मैंने अबू ज़रआ़ के सामने अपनी किताब पेश की। जिस हदीस़ की इल्लत की उन्होंने निशानदेही की मैंने उसे छोड़ दिया और हर वो हदीस़ जिसको उन्होंने सहीह कहा बयान कर दिया।

शैख़ फ़रमाते हैं, ये मक़ाम बड़ा संगाख़ है जिसको मैंने वाज़ेह अन्दाज़ से हमवार कर दिया। किसी ने उसको एक जगह जमा नहीं किया वलिल्लाहिल हम्द और मैंने जो कुछ बयान किया है वो इस पर दलालत करता है कि किसी रावी से सिर्फ़ इमाम मुस्लिम (रह.) के रिवायत करने से ये लाज़िम नहीं आता कि वो मुस्लिम के नज़दीक सहीह की शर्त पर पूरा उतरता है। उनकी शर्त पर क़रार देना ग़फ़लत और ख़ता पर मबनी है बल्कि उसके लिये ये देखना होगा कि वो उससे रिवायत किस क़िस्म की रिवायात में लाये हैं। वल्लाहु आ़लम! (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/16)

मुस्लिम पर इस्तिदराके तस्हीह :

उ़लमा ने बुख़ारी और मुस्लिम की कुछ अहादीस़ पर इस्तिदराक किया है कि उनमें वो शुरूत मौजूद नहीं या कुछ मौजूद नहीं जो उ़लमा ने सेहत के लिये मुक़र्रर की हैं। ये इसकी तक़सीम की रू से जो उ़लमा ने हदीस़ की क़िस्मों के सिलसिले में की है। कुछ के बारे में जवाब दिया गया है कि वो शुरूत के मुवाफ़िक़ हैं और कुछ के बारे कहा गया है कि ये मुख़ालिफ़ हैं, लेकिन ये चीज़ उन दोनों किताबों में बहुत कम है और अक्सर मुख़ालिफ़ का तअ़ल्लुक़ फ़न्ने हदीस़ से है और बशरी कोशिश में कुछ न कुछ ख़ता का पाया जाना लाबुद्दी (यक़ीनी) है ख़ता से पाक होना सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की किताब का इम्तियाज़ है जो मिस़्ल व तश्बीह से मुनज़्ज़ा है। फ़रमाने बारी तआ़ला है, **'अगर ये क़ुरआन ग़ैरुल्लाह की तरफ़ से होता तो इसमें आपसी इख़्तिलाफ़ बहुत होता।'** (सूरह निसा : 82)

अक़्सामे हदीस़ : उलमा ने हदीस़ की तीन क़िस्में बयान की हैं (1) सहीह (2) हसन (3) ज़ईफ़ और हर क़िस्म की ज़ैली अक़्साम हैं :

हदीस़े सहीह : वो हदीस़ है जिसकी सनद ऐसे रावियों से मुत्तसिल हो जो आदिल और ज़ाबित हों और उसमें शुज़ूज़ और इल्लत भी न हो, ये हदीस़ बिल्इत्तिफ़ाक़ सहीह है।

नोट : (1) सनदे मुत्तसिल का मानी ये है कि सनद में से कोई रावी गिरा न हो, पहली सनद से आख़िर तक मरबूत हो। (2) आदिल वो रावी है जो साहिबे तक़वा और बामुरुव्वत हो (3) ज़ाबित का मानी ये है कि वो ख़ूब हिफ़ाज़त करने वाला और अच्छी तरह याद रखने वाला हो (4) शाज़, उस हदीस़ को कहते हैं जिसमें सिक़ह रावी अपने से ज़्यादा सिक़ह रावी की मुख़ालिफ़त करता हो (5) इल्लत, वो हदीस़ जिसमें बज़ाहिर कोई ऐब न हो और पोशीदा तौर पर ऐबदार हो।

अगर ऊपर ज़िक्र की गई शर्तों में कोई ख़लल कोताही हो तो उसके सहीह होने में इख़्तिलाफ़ है। इमाम अबू सुलैमान, अहमद बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन ख़त्ताब ख़त्ताबी कहते हैं, हदीस़ की अहले हदीस़ के नज़ादीक तीन क़िस्में हैं, सहीह, हसन, और सक़ीम। सहीह वो है जिसकी सनद मुत्तसिल हो और नाक़िलीन आदिल हों। हसन वो है जिसके मख़्रज (असल) का इल्म हो और रावी मशहूर हों, अक्स़र अहादीस़ ऐसी ही हैं। उसे अक्स़र उलमा ने क़ुबूल किया है और आम फ़ुक़्हा उससे इस्तिदलाल करते हैं। सक़ीम के तीन दर्जात हैं, बदतरीन मौज़ूअ मनघड़त, फिर मक़्लूब (उलट-फेर वाली) फिर मज्हूल है।

सहीह की अक़्साम : इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम नीशापूरी ने अपनी किताब **'अल्मुदख़ल इला किताबिल अकलील'** में हदीस़ सहीह की दस क़िस्में बयान की हैं। पाँच की सेहत पर इत्तिफ़ाक़ है और पाँच की सेहत के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

इत्तिफ़ाक़ी की पहली क़िस्म : वो अहादीस़ हैं जिनका इन्तिख़ाब बुख़ारी और मुस्लिम ने किया है और ये सहीह का पहला मर्तबा है जिसकी सूरत ये है कि वो ऐसे सहाबी की रिवायत है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत बयान करने में मशहूर है और उससे दो या ज़्यादा रावी बयान करते हैं और उसे वो ताबेई बयान करता है जो सहाबा (रज़ि.) से रिवायत करने में मशहूर है और उससे बयान करने वाले भी दो या उससे ज़्यादा हैं। फिर उससे ऐसा तबअ ताबेई बयान करता है जो हाफ़िज़ मुत्क़न (पुख़्ताकार) है और ऊपर पेश की गई शर्त पर पूरा उतरता है। इस तरह आगे मरवी हो और बक़ौले हाकिम ऐसी अहादीस़ की तादाद दस हज़ार भी नहीं है।

दूसरी क़िस्म : पहली वाली शर्तें हैं फ़र्क़ ये है कि सहाबी से बयान करने वाला सिर्फ़ एक रावी है।

तीसरी क़िस्म : पहली वाली सूरत है फ़र्क़ ये है कि ताबेई से बयान करने वाला सिर्फ़ एक रावी है।

चौथी क़िस्म : ग़रीब व इफ़राद रिवायात जिनके रावी सिक़ह आदिल हैं।

पाँचवीं क़िस्म : अइम्मा की वो जमाअत जो अपने बापों के वास्ते से अपने दादों से बयान करते हैं और उनके बापों के वास्ते से दादों की रिवायत सिर्फ़ यही हज़रात बयान करते हैं। दूसरों से इस तरह साबित नहीं जैसे अम्र बिन शुऐब का सहीफ़ा जो वो अपने बाप के वास्ते से दादे से बयान करते हैं। बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते से, अपने दादे से बयान करते हैं, इयास बिन मुआविया, अपने बाप के वास्ते से अपने दादा से बयान करते हैं। उनके दादा सहाबी हैं और पोते सिक़ह हैं। इमाम हाकिम फ़रमाते हैं, ये पाँच क़िस्में अइम्मा ने अपनी किताबों में बयान की हैं, ये हुज्जत हैं। अगरचे सहीहैन में इनमें से सिर्फ़ पहली क़िस्म की अहादीस नक़ल की गई हैं।

वो फ़रमाते हैं, वो पाँच क़िस्में जिनके बारे में इख़्तिलाफ़ है, वो (1) मुरसल रिवायात (2) मुदल्लिसीन की वो रिवायात जिसमें उन्होंने अपने सिमाअ का तज़्किरा नहीं किया (3) जिसे एक सिक़ह मुत्तसिल बयान करता है और दूसरी सिक़ह जमाअत मुन्क़तअ बयान करती है (4) उन सिक़ह रावियों की रिवायत जो हाफ़िज़ माहिर नहीं हैं (5) बिदअतियों की रिवायात जब वो सच बोलने वाले हों, हाकिम की इबारत ख़त्म हुई। (मुक़द्दमा शरह मुस्लिम नववी : 1/16-17)

अबू अली ग़स्सानी जियानी का क़ौल है, रावियों के सात तबक़ात हैं, तीन क़ाबिले क़ुबूल हैं और तीन मतरूक हैं और सातवीं में इख़्तिलाफ़ है।

पहला तबक़ा : हदीस के अइम्मा, हुफ़्फ़ाज़, जिनकी दूसरों के मुख़ालिफ़ हदीस, उनके ख़िलाफ़ दलील है और उनकी इन्फ़िरादी रिवायत भी क़ुबूल होगी।

दूसरा तबक़ा : जो हिफ़्ज़ और ज़ब्त में पहले से कमतर है। उनको कुछ रिवायात में वहम और ग़लती लाहिक़ हुई है, आम तौर पर उनकी रिवायात सहीह हैं और उनके वहम की दुरुस्तगी पहले तबक़े की रिवायात की रोशनी में की जायेगी और ये पहले तबक़े से मुत्तसिल हैं।

तीसरा तबक़ा : उन रावियों का रुझान बिदआत की तरफ़ है लेकिन गुलू नहीं और उसकी दावत भी नहीं देते, उनकी हदीस सहीह है ये सच्चे हैं वहम कम है।

मुहद्दिसीन ने इन तबक़ात की अहादीस बयान की हैं और नक़ले रिवायत का मदार इन्हीं तबक़ात पर है।

वो तीन तबक़ात जिन्हें अहले मअ़रिफ़त (माहिरीने फ़न्न) ने साक़ित क़रार दिया है यानी उनकी हैसियत घटाई है।

चौथा तबक़ा : जिन पर झूठ बोलने और हदीस़ घड़ने का दाग़ है।
पाँचवाँ तबक़ा : उन पर वहम और ग़लती ग़ालिब है।
छठा तबक़ा : बिदअ़त के सिलसिले में ग़ाली, उसके दाई हैं और अपनी दलील बनाने के लिये अहादीस़ में तहरीफ़ और इज़ाफ़ा करते हैं।
सातवाँ तबक़ा : जिनके बारे में इख़्तिलाफ़ है। मज्हूल लोग जो ऐसी रिवायात बयान करने में मुतफ़र्रिद हैं, जिनकी मुताबिअ़त मौजूद नहीं है, कुछ लोगों ने उनकी रिवायात क़ुबूल की हैं और कुछ ने उनके बारे में तवक़्क़ुफ़ किया है। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/17)

अहले बिदअ़त की रिवायत का हुक्म :

इमाम ग़स्सानी ने जो ये बात कही है कि अहले बिदअ़त और अहले हवा जो बिदअ़त की तरफ़ बुलाते नहीं और उसमें ग़ुलू नहीं करते, उनकी रिवायत बिल्इत्तिफ़ाक़ क़ुबूल की गई हैं ये बात इस तरह नहीं है बल्कि उनके बारे में भी इख़्तिलाफ़ है, इसी तरह दावत देने वालों के बारे में भी इख़्तिलाफ़ मशहूर है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इसका तज़्किरा किया है। मज्हूल रावियों के बारे में उसने इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र किया है वो दुरुस्त है, हाकिम ने इस इख़्तिलाफ़ी क़िस्म को नज़र अन्दाज़ कर दिया है। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/17)

अहले बिदअ़त की रिवायत का हुक्म :

मज्हूल रावी की तीन क़िस्में हैं :

(1) इसकी ज़ाहिरी और बातिनी अ़दालत का पता नहीं है। (2) ज़ाहिरी तौर पर वो आ़दिल है, बातिनी अ़दालत का इल्म नहीं है उसको मस्तूर का नाम दिया जाता है। (3) मज्हूलुल ऐन, जिसकी शख़्सियत का ही इल्म नहीं है।

पहली क़िस्म की रिवायात अक्सरियत के यहाँ हुज्जत नहीं और दूसरी दोनों को मुहक़्क़िक़ हज़रात में से बहुत से हज़रात ने क़ुबूल किया है। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम : 1/17)

इमाम हाकिम का ये क़ौल कि बुख़ारी और मुस्लिम की शर्त ये है कि सहाबी से बयान करने वाला रावी एक न हो। अइम्मा ने इसकी तग़्लीत की है क्योंकि सहीहैन में सईद बिन मुसय्यिब के वालिद मुसय्यिब बिन हज़न की अबू तालिब की वफ़ात के सिलसिले में रिवायत मौजूद है। जिसे सिर्फ़ उसके बेटे सईद ने ही बयान किया है और बुख़ारी में अ़म्र बिन तग़लब की रिवायत कि 'मैं एक ऐसे आदमी को इनायत कर देता हूँ जबकि जिसको छोड़ा है वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है।' इसे उससे सिर्फ़ हसन ने बयान

किया है और मिरदास अस्लमी की रिवायत 'नेक लोग ख़त्म हो जायेंगे' इसे उससे सिर्फ़ क़ैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया है और मुस्लिम में राफ़ेअ बिन अम्र ग़िफ़ारी की हदीस़ है जिसे उससे सिर्फ़ अ़ब्दुल्लाह बिन सामित ने बयान किया है और रबीआ बिन कअ़ब अस्लमी की रिवायत जिसे उससे सिर्फ़ अबू सलमा ने बयान किया है। सहीहैन में इस क़िस्म की मिसालें कसीर तादाद में मौजूद हैं। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम : 1/17)

इमाम बुख़ारी ने अल्फ़ियतुल हदीस़ लिल्इराक़ी की शरह फ़तहुल मुग़ीस़ जिल्द 1 पेज नम्बर 47-48 पर लिखा है। मैंने हाकिम के कलाम में इस शर्त से सहाबा किराम (रज़ि.) के इस्तिस़ना की तसरीह पाई है। जिससे मालूम होता है कि उसने अपनी पहली बात से रुजूअ कर लिया था। इमाम हाकिम का क़ौल है, सहाबिल मअ़रूफ़ इज़ा लम नजिद लहू रावियन ग़ैर ताबेई वाहिदिन मअ़रूफ़िन इहतजजना बिही वहतजज्ना हदीस़हू इज़ हुव अ़ला शर्तिहिमा जमीअन मअ़रूफ़ सहाबी से अगर एक ही मअ़रूफ़ ताबेई रिवायत बयान करे तो हम उसको दलील बनायेंगे और उसकी हदीस़ को सहीह क़रार देंगे क्योंकि वो दोनों (बुख़ारी व मुस्लिम) की शर्त पर पूरा आता है। क्योंकि इमाम बुख़ारी ने मिरदास अस्लमी और अ़दी बिन उ़मैरा की हदीस़ बतौरे हुज्जत पेश की है। हालांकि उनसे सिर्फ़ क़ैस बिन अबी हाज़िम ही रिवायत बयान करता है, इस तरह इमाम मुस्लिम ने अबू मालिक अश्जई की रिवायात बयान की हैं जो वो अपने बाप से बयान करता है।

हसन हदीस़ :

बक़ौले ख़त्ताबी वो है जिसके मख़रज (असल) का पता हो और उसके रावी मशहूर हों और इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी के नज़दीक हसन वो है जिसकी सनद में मुत्तहम रावी न हो और वो शाज़ न हो और एक से ज़्यादा सनदों से मरवी हो।

इमाम शैख़ अबू अ़म्र बिन सलाह (रह.) ने हसन की दो क़िस्में बनाई हैं :

पहली क़िस्म : जिसकी सनद में मस्तूर रावी जिसकी अहलियत साबित मौजूद नहीं है, लेकिन रिवायत में वो बहुत ग़ल्तियाँ नहीं करता और उससे अ़म्दन झूठ बोलना या कोई और फ़िस्क़ बाइसे अमल ज़ाहिर नहीं हुआ और हदीस़ का मतन मअ़रूफ़ हो यानी दूसरी सनद से इस जैसा या इसके हम मानी मरवी हो।

दूसरी क़िस्म : इसका रावी सिद्क़ और अमानत में मशहूर हो। हिफ़्ज़ व इत्क़ान में कमी की वजह से सहीह के रावियों के दर्जे पर फ़ाइज़ न हो, हाँ वो अपने मुतफ़र्रिद (तन्हा) होने की सूरत में मुन्कर के दर्जे से बुलंद हो।

बक़ौले इब्ने सलाह तिर्मिज़ी की मुराद पहली क़िस्म है और ख़त्ताबी का मक़सद दूसरी क़िस्म है। दोनों ने जिस क़िस्म को पोशीदा ख़्याल किया उसकी तारीफ़ कर दी, बहर सूरत दोनों क़िस्मों का शुज़ूज़ और इल्लत से पाक होना ज़रूरी है।

ज़ईफ़ हदीस़ : ज़ईफ़ हदीस़ वो है जिसमें सहीह और हसन किसी की भी शर्तें मौजूद न हों और इसकी बेशुमार क़िस्में हैं जैसे मौज़ूअ, मक़्लूब, शाज़, मुन्कर, मुअल्लल और मुज़्तरिब वग़ैरह। इन सबकी तारीफ़ात, अहकाम और तफ़्सीलात अहले फ़न्न के यहाँ मअरूफ़ हैं और उसके साथ तालिबे हदीस़ जिन आलात और मुक़द्दमात का मोहताज है इमाम अबू अम्र बिन सलाह ने उन्हें पूरे पुख़्ता अन्दाज़ में बयान किया है। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी : 1/17)

सहीहैन पर इस्तिदराक उन अहादीस़ के सिलसिले में जहाँ उन्होंने अपनी शर्तों की पाबंदी नहीं या वो उनकी शर्त पर हैं लेकिन उन्होंने बयान नहीं कीं।

पहली सूरत वो अहादीस़ जिनमें उन्होंने अपनी शर्तों का इल्तिज़ाम नहीं किया। एक जमाअत ने इमाम बुख़ारी और मुस्लिम पर इन अहादीस़ के सिलसिले में इस्तिदराक किया है जहाँ उन्होंने अपनी शर्तों में कोताही की है और जिस दर्जे का इल्तिज़ाम किया था उससे नीचे उतर आये हैं। उसकी तरफ़ पहले इशारा गुज़र चुका है। इमाम हाफ़िज़ अबुल हसन अ़ली बिन उ़मर दार क़ुतनी ने इस सिलसिले में एक किताब लिखी है जिसका नाम 'अल्इस्तिराकात वत्ततबोअ' इसमें दोनों किताबों की दो सौ अहादीस़ का तज़्किरा है। इस तरह अबू मस्ऊद दमिश्क़ी ने भी दोनों पर इस्तिदराक लिखा है और अबू अ़ली ग़स्सानी जियानी ने अपनी किताब 'तक़यीदिल मुहमल फ़ी जुज़्इल इलल' में उनके रावियों पर इस्तिदराक किया है और ये भी बताया है उन पर क्या लाज़िम था। इन सबका या अक्स़र का जवाब दिया जा चुका है।

नोट : इमाम दार क़ुतनी के इल्ज़ामात और ततब्बोअ का तफ़्सीली जवाब शैख़ मुक़्बिल बिन हादी बिन मुक़्बिल ने दिया है जिसका नाम 'तहक़ीक़ व दिरासा लिइल्ज़ामात वत्ततब्बोअ' नाशिर मक्तबा सल्फ़िया मदीना मुनव्वरा।

इक्रिमा बिन अ़म्मार के सिलसिले में इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम (रह.) का इख़्तिलाफ़ :

इमाम हाकिम का क़ौल है, इमाम मुस्लिम (रह.) ने शवाहिद में इसकी रिवायात बकस़रत बयान की हैं इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं इसके पास किताब न थी इसलिये यहया से रिवायत में इज़्तिराब पाया जाता है।

इमाम ज़हबी (रह.) फ़रमाते हैं, सहीह मुस्लिम में इस उसूल में एक मुन्कर हदीस़ मौजूद है। जो सिमाक हन्फ़ी के वास्ते से इब्ने अ़ब्बास से अबू सुफ़ियान की आपसे तीन दरख़्वास्तों के बारे में है और इस सनद से तीन और अहादीस़ बयान की हैं। (मीज़ानुल ऐतदाल तर्जुमा : 5713)

इमाम मुस्लिम अपनी सनद से इक्रिमा की अबू ज़मील के वास्ते से, इब्ने अ़ब्बास की रिवायत बयान करते हैं कि मुसलमान अबू सुफ़ियान को अहमियत नहीं देते थे और न उसके साथ बैठते थे। उसने नबी (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे तीन चीज़ें इनायत फ़रमायें। मेरी बेटी उम्मे हबीबा (रज़ि.) अ़रब की हसीन और जमील तरीन औ़रत है इससे आपकी शादी कर देता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, ठीक कहा। मुआ़विया को अपना कातिब बना लें फ़रमाया, दुरुस्त कहा। मुझे अमीर मुक़र्रर कर दीजिये ताकि मैं काफ़िरों से उसी तरह जंग करूँ जिस तरह मुसलमानों से लड़ता था। फ़रमाया, हाँ। (सहीह मुस्लिम : 2501)

ये एक ऐसी रिवायत है बुख़ारी ने बयान नहीं की और मुस्लिम ने बयान की है। इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में इक्रिमा बिन अ़म्मार से हदीस़ नहीं लाये और कहा, उसके पास किताब न थी इसलिये उसकी हदीस़ मुज़्तरिब है।

अबू बकर का क़ौल है, उम्मे हबीबा (रज़ि.) के वाक़िये वाली हदीस़, अहले मग़ाज़ी का इसके ख़िलाफ़ इत्तिफ़ाक़ है क्योंकि उनके नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़, जाफ़र बिन अबी तालिब और उनके साथियों के हब्शा से वापस आने से पहले उम्मे हबीबा (रज़ि.) की आपसे शादी हो चुकी थी। वो ख़ैबर के मौक़े पर वापस आये और अबू सुफ़ियान बिन हरब फ़तहे मक्का के मौक़े पर मुसलमान हुआ जबकि उम्मे हबीबा (रज़ि.) के निकाह को दो या तीन साल गुज़र चुके थे। तो वो उसकी शादी की दरख़्वास्त कैसे कर सकता है और अगर उसने ये दरख़्वास्त उस वक़्त की थी जब वो उम्मे हबीबा (रज़ि.) के ख़ाविन्द की हब्शा की सरज़मीन में मौत की ख़बर सुनकर कुफ़्र की हालत में मदीना आया था। तो फिर दूसरी और तीसरी दरख़्वास्त मुसलमान होने के बाद की है तो हदीस़ में इस तरह होना चाहिये था। (तारीख़े मदीना दमिश्क़ : 69/148)

नोट : रावी का निकाह के सिलसिले में उम्मे हबीबा का नाम लेना, उसका वहम है जिससे शादी की दरख़्वास्त की वो अबू सुफ़ियान की एक दूसरी बेटी थी। लेकिन चूंकि दो बहनों से एक ही वक़्त निकाह नहीं हो सकता, इसलिये आपने ये दरख़्वास्त क़ुबूल न फ़रमाई। जैसाकि ख़ुद उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने भी अपनी बहन से निकाह की पेशकश की थी। क्योंकि बाप और बेटी को इस मसले का इल्म न था कि एक ही वक़्त में दो बहनें निकाह में नहीं आ सकतीं। (अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़लवी)

दूसरी सूरत : इन दोनों का सहीह अहादीस़ छोड़ देना।

उ़लमा की एक जमाअ़त ने सहीहैन की तस्हीह के सिलसिले में ये भी कहा है कि दोनों ने ऐसी अहादीस़ छोड़ दी हैं जो उनकी शर्त पर पूरी उतरती थीं। ये ऐतराज़ इसके बावजूद है कि उन्होंने ये दावा नहीं किया कि उन्होंने तमाम सहीह अहादीस़ का इस्तिक़सा किया है। इमाम हाकिम नीशापूरी ने उन पर मुस्तदरक लिखी है जिसके मुक़द्दमे में लिखते हैं, अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी और अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी (रह.) ने सहीह अहादीस़ के सिलसिले में दो शाइस्ता पाकीज़ा किताबें तस्नीफ़ की हैं। दोनों की शोहरत तमाम अक्नाफ़ (इस्लामी दुनिया के गोशे गोशे में) में फैल गई है। उन दोनों और उनमें किसी एक ने भी ये दावा नहीं किया कि हमारी बयान की गई अहादीस़ के सिवा कोई हदीस़ सहीह नहीं है और हमारे दौर में बिदअ़तियों की एक जमाअ़त रूनुमा हुई है जो अहादीस़ बयान करने वालों को ये तअ़ना सुना देते हैं कि तुम्हारे नज़दीक तमाम सहीह अहादीस़ की तादाद, दस हज़ार अहादीस़ तक नहीं पहुँची, आगे लिखते हैं और मुझसे इस शहर और दूसरे शहरों के बड़े अहले इल्म की एक जमाअ़त ने ये दरख़्वास्त की कि मैं एक ऐसी किताब मुदव्वन करूँ (लिखूँ) जिसमें मुहम्मद बिन इस्माईल और मुस्लिम बिन हज्जाज (रह.) की बयान की गई हदीसों की सनदों जैसी सनद से रिवायात बयान की गई हों। क्योंकि जिस हदीस़ में कोई इल्लत न हो, उसके बयान में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने सबके बयान करने का दावा नहीं किया। उनके दौर के और उनके बाद के कुछ उ़लमा ने उनकी बयान की गई कुछ अहादीस़ को मुअ़ल्लल क़रार दिया है और मैंने पूरी इस कोशिश से 'अल्मदख़ल इलस्सहीह' में उन दोनों का दिफ़ाअ़ किया है जो अहले फ़न्न के यहाँ पसन्दीदा ठहरा है। (अल्मदख़ल इलस्सहीह की तहक़ीक़ दुक्तूर रबीअ़ बिन हादी उ़मेर अल्मदख़ली ने की है।)

इससे मालूम होता है कि ख़ुद हाकिम को ये बात तस्लीम है कि बुख़ारी और मुस्लिम ने सहीह के इस्तीआब का दावा नहीं किया। जबकि हम देखते हैं, ख़ुद हाकिम ने इस्तिदराक में अपनी शर्त की पाबंदी नहीं की। उसमें ऐसी सहीह अहादीस़ जमा की हैं जो उन दोनों की शर्त पर सहीह हैं या औरों की शर्त पर सहीह हैं।

इमाम सख़ावी फ़रमाते हैं, इमाम हाकिम अबू अ़ब्दुल्लाह ज़ब्बी नीशापूरी जो हाफ़िज़ सिक़ह है की अल्मुस्तदरक अ़लस्सहीहैन जिसमें उनके माफ़ात की तलाफ़ी की गई है। उसके मतन में तसाहुल मौजूद है कि उसमें भी कई मौज़ूअ़ रिवायात हैं जिनकी तस्हीह या तो तअ़स्सुब की बिना पर की है क्योंकि उस पर शीया होने का इल्ज़ाम है या कोई और वजह है, ज़ईफ़ वग़ैरह तो क्या कहना, बल्कि ये भी कहा गया है कि इस तसाहुल का सबब ये है कि उसने ये किताब अपनी आख़िरी उ़म्र में लिखी है जब उसमें ग़फ़लत और तग़य्युर रूनुमा हो चुका था या उसे उसकी तहज़ीब व तन्क़ीह का मौक़ा नहीं मिला।

इसकी दलील ये है कि किताब के शुरूआती पाँचवीं हिस्से तक बाक़ी हिस्से के ऐतबार से तसाहुल बहुत ही कम है और यहाँ लिखा हुआ, हाकिम का इम्ला ख़त्म हुआ। (फ़तहुल मुग़ीस़)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मुस्तदरक की अलग-अलग क़िस्में बयान की हैं और हर क़िस्म को फिर तक़सीम किया जा सकता है।

पहली क़िस्म : जो हदीस़ उसने बयान की है उसके रावी सहीहैन में या उनमें से एक में से मज्मूई सूरत में मौजूद हैं उसमें कोई इल्लत नहीं है। मज्मूई सूरत की क़ैद हमने इसलिये लगाई है कि कई बार रावी से इन्फ़िरादी तौर पर रिवायत ली है। जैसे सुफ़ियान बिन हुसैन की ज़ोहरी से रिवायत, उन दोनों ने उन दोनों से अलग-अलग रिवायत बयान की है, लेकिन सुफ़ियान बिन हुसैन की ज़ोहरी से कोई रिवायत बयान नहीं की, क्योंकि ज़ोहरी से उसके सिमाअ़ में ज़ौफ़ है बाक़ी उस्ताद में ये सूरत नहीं। लिहाज़ा जब वो ज़ोहरी से रिवायत करेगा तो ये कहना सहीह नहीं होगा ये शैख़ैन की शर्त पर, या उनमें से एक की शर्त पर है क्योंकि उनकी शर्त पर तो तब होता जब वो दोनों की इज्तिमाई सूरत में रिवायत लाते इस तरह की वो सनद जब वो दोनों एक रावी को हुज्जत समझें और दूसरे को हुज्जत न समझें, जैसे एक हदीस़ है जिसे शौबा, सिमाक बिन हरब के वास्ते से इक्रिमा से वो इब्ने अ़ब्बास से बयान करते हैं। क्योंकि मुस्लिम सिमाक की हदीस़ उस वक़्त लेते हैं, जब स़िक़ह रावी उससे बयान करें। वो इक्रिमा को स़िक़ह नहीं समझते, इमाम बुख़ारी के नज़दीक इक्रिमा स़िक़ह है और सम्माक स़िक़ह नहीं, इसलिये ये सनद इस हालत में उनकी शर्त पर नहीं हो सकती, अगर वो उनकी इज्तिमाई सूरत में रिवायत लेते तो फिर उनकी शर्त पर होती, इमाम अबुल फ़तह क़ुशैरी वग़ैरह ने इसकी सराहत की है।

मैंने इलल से पाक होने की शर्त इसलिये लगाई है कि अगर मज्मूई सूरत में वो रावी रिवायत में मौजूद हों, लेकिन उनमें कोई ऐसा रावी हो जो तदलीस करता है या उम्र के आख़िरी हिस्से में इख़्तिलात का शिकार हो गया था, तो हम इज्माली तौर पर ये जानते हैं कि शैख़ैन ने मुदल्लस रावी की अ़न वाली रिवायत नक़ल नहीं की इल्ला ये कि दूसरी सनद से उसका सिमाअ़ उनके नज़दीक स़ाबित हो। इस तरह किसी ऐसे मुख़्तलत की रिवायत बयान नहीं की जो उसने इख़्तिलात (क़ुदरती अ़वामिल से क़ुव्वते याद्दाश्त का मुतास्स़िर होना) के बाद बयान की हो, दोनों ने उसकी सिर्फ़ वही रिवायत बयान की है जो इख़्तिलात से पहले की सहीह हदीस़ थी। जब सूरते हाल ये है तो जिस हदीस़ में मुदल्लस का अ़न्अ़ना मौजूद हो या ऐसे उस्ताद की हदीस़ हो जिसका सिमाअ़ इख़्तिलात के बाद हो, उसको इस बुनियाद पर उनकी शर्त पर क़रार देना दुरुस्त नहीं कि ये सनद उनकी किताबों में मौजूद है। इल्ला ये कि मुदल्लस दूसरी सनद में सिमाअ़ की सराहत करे और ये स़ाबित हो कि रावी ने ये हदीस़ इख़्तिलात से पहले सुनी थी इस क़िस्म को उन दोनों की या उनमें से किसी एक की शर्त पर क़रार दिया जा सकता है, मुस्तदरक में कोई ऐसी शर्तों वाली हदीस़ मौजूद नहीं जिसकी नज़ीर या असल को उन्होंने बयान न किया। मगर बहुत

कम जैसाकि हम पहले बयान कर चुके हैं, हाँ उसमें कसीर तादाद में उन शर्तों वाली अहादीस़ मौजूद हैं। लेकिन शैख़ैन ने या उनमें से एक ने उसे रिवायत किया है और हाकिम ने इस्तिदराक वहम का शिकार होकर इस गुमान की बुनियाद पर किया कि उन्होंने ये हदीस़ बयान नहीं की (हालांकि उन्होंने या एक ने वो रिवायत बयान की है)।

दूसरी क़िस्म : हदीस़ की सनद ऐसी है कि शैख़ैन ने उसके तमाम रावियों से रिवायत बयान की है मगर हुज्जत व दलील के तौर पर नहीं सिर्फ़ शवाहिद, मुताबिआत और मुअल्लक़ात के तौर पर या दूसरी सनद के साथ, उसके साथ वो सनद मुल्हक़ है जिसमें किसी रावी की ऐसी रिवायत है जिसमें वो मुतफ़र्रिद (अकेला) नहीं या किसी के मुख़ालिफ़ नहीं। जैसाकि मुस्लिम ने अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान के नुस्ख़े की वो रिवायात बयान की हैं जिन्हें वो अपने बाप के वास्ते से अकेला ही हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान करता है, इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं कि नुस्ख़ा की बाक़ी अहादीस़ भी मुस्लिम की शर्त पर हैं, क्योंकि उन्होंने तहक़ीक़ के बाद वही रिवायात बयान की हैं जिनमें वो अकेला नहीं है। इसलिये तफ़र्रुद की सूरत में, ऐसी रिवायात बुख़ारी और मुस्लिम की शर्त पर नहीं होंगी।

इमाम हाकिम ने अपनी किताब **'मुदख़ल'** में एक मुसतक़िल बाब में उन रावियों का तज़्किरा किया है जिनकी रिवायात शैख़ैन ने मुताबिआत में बयान की हैं और उन रिवायात की तादाद भी बयान की है। इस आगाही के बावजूद वो उनकी रिवायात मुस्तदरक में इस तसव्वुर के साथ बयान करता है कि वो दोनों की शर्त पर हैं। हालांकि उन लोगों की रिवायात के सहीह दर्जे से कम होने में कोई शक नहीं है बल्कि कुछ उनमें शाज़ और ज़ईफ़ भी हैं लेकिन अक्सर हसन के दर्जे से कमतर नहीं। हाकिम अपने उस्ताद इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान की तरह जैसाकि हम पहले बयान कर चुके हैं। सहीह और हसन में फ़र्क़ नहीं करता, सबको सहीह क़रार देता है उसका ये दावा क़ाबिले नक़्द है कि उन लोगों की अहादीस़ शैख़ैन या उनमें से एक की शर्त पर हैं, किताब का अक्सर हिस्सा उन रिवायात पर मबनी है।

तीसरी क़िस्म : ऐसी सनद जिसकी रिवायत सहीहैन में एहतिजाज के (बतौरे दलील) और मुताबिअत के तौर पर भी मौजूद नहीं, ऐसे लोगों की बकस़रत अहादीस़ हाकिम ने बयान की हैं जिनकी हदीस़ दोनों किताबों में मौजूद नहीं और उनको सहीह क़रार दिया है। लेकिन उनके उनमें से किसी की शर्त पर होने का दावा नहीं किया। कुछ जगह वहम का शिकार हो कर ये दावा भी किया है और कई बार उस हदीस़ की सेहत को किसी रावी से ख़ाली होने पर मुअल्लक़ किया है, जैसे ईद के लिये ज़ैबाइश वाली हदीस़ लैस़ की सनद से इस्हाक़ बिन बरज़ज की हसन बिन अ़ली से रिवायत, उसके आख़िर में लिखा है अगर इस्हाक़ मज्हूल न होता तो मैं उसको सहीह क़रार देता और बहुत सी अहादीस़ के बारे में किसी क़िस्म का तब्सिरा नहीं किया, इस वजह से उसकी बहुत सी सही क़रार दी, अहादीस़ में ये आफ़त मौजूद है, इस

क़िस्म में बहुत क़लील अहादीस़ दर्जे सेहत तक पहुँचती हैं चाहे उनको शैख़ैन की अहादीस़ के दर्जे पर फ़ाइज़ किया जाये। वल्लाहु आलम!

हैरत अंगेज़ बात ये है कि हाकिम ने अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की रिवायत के आख़िर में लिखा है, सहीहुल इस्नाद, ये अ़ब्दुर्रहमान की पहली हदीस़ है जो मैंने बयान की है उसके साथ, अपनी उस किताब में जिसमें ज़ईफ़ रावियों को जमा किया है। अ़ब्दुर्रहमान के बारे में लिखा है। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अस्लम, ने अपने बाप से मौज़ूअ (मनघड़त) रिवायात बयान की हैं और जो साहिबे फ़न्न उन पर ग़ौर करेगा, उस पर ये बात पोशीदा नहीं रहेगी कि इसका मुर्तकिब यही है यानी अ़ब्दुर्रहमान है और किताब के आख़िर में लिखा है ये वो लोग हैं जिनका मज्रूह होना मुझ पर वाज़ेह हुआ, मैं किसी की तक़लीद में जरह करना जाइज़ नहीं समझता। (अन्नक्तु अ़ला मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह : 1/64)

सहीहैन का मुवाज़ना :

सुयूती ने तदरीबुर्रावी 1/91 में लिखा है, ये दोनों किताबें क़ुरआन के बाद सहीहतरीन हैं और दोनों में से सहीह बुख़ारी ज़्यादा सहीह और ज़्यादा फ़ायदों की हामिल है। यानी उसकी मुत्तसिल सनद वाली अहादीस़ तअ़लीक़ और तराजिम को छोड़कर फ़ायदे इसलिये ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें फ़िक़्ही इस्तिम्बातात और हकीमाना नुक्ते वग़ैरह हैं और कुछ के बक़ौल मुस्लिम सहीहतर है लेकिन पहला क़ौल सहीह है और जुम्हूर का मौक़िफ़ यही है क्योंकि बुख़ारी इत्तिसाल और रावियों के पुख़्ताकार होने में ज़्यादा क़वी है उसकी वज़ाहत अलग-अलग सूरतों में हो सकती है (1) जिन रावियों की रिवायत बयान करने में बुख़ारी, मुस्लिम से मुतफ़र्रिद (तन्हा) हैं उनकी तादाद चार सौ तीस से ऊपर है उनमें से जरह 80 पर है और जिन रावियों की रिवायात में मुस्लिम बुख़ारी से मुतफ़र्रिद हैं उनकी तादाद छः सौ बीस है और उनमें से एक सौ साठ पर जरह है। बिला शुब्हा ऐसे रावियों से रिवायत लेना जिन पर बिल्कुल जरह नहीं, उन रावियों से बेहतर है जिन पर जरह है। अगरचे वो जरह ऐब का बाइस़ न भी हो।

(2) जिन मज्रूह रावियों से रिवायत लेने में बुख़ारी मुतफ़र्रिद हैं उसने उनसे ज़्यादा अहादीस़ नहीं लीं और उनमें से किसी रावी का नुस्ख़ा बड़ा नहीं जिसकी सब या अक्सर रिवायात ली हों, सिवाय इक्रिमा अ़न इब्ने अ़ब्बास की सनद के, इसके बरअक्स मुस्लिम ने ऐसे नुस्ख़ों का ज़्यादा हिस्सा बयान किया है जैसे अबू ज़ुबैर, जाबिर से। सुहैल अपने बाप से, अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान अपने बाप से, हम्माद बिन सलमा, स़ाबित से और ऐसी ही और सनदें हैं।

(3) बुख़ारी जिन मज्रूह रावियों से रिवायत लेने में मुतफ़र्रिद हैं उनकी अक्स़रियत उनके उस्ताद की है जिनसे वो मिले हैं, उनके साथ मज्लिस की है उनके हालात से आगाही हासिल की है और उनकी अहादीस़ से बाख़बर हुए हैं और उनकी अच्छी अहादीस़ को दूसरी अहादीस़ से पहचान लिया है इसके

बरख़िलाफ़ जिन मज्रूह रावियों की अहादीस़ बयान करने में मुस्लिम अकेले हैं वो उनसे पहले के दौर के यानी ताबेईन और उनके बाद के हैं और बिला शुब्हा मुहद्दिस़ अपने उस्ताद की अहादीस़ उनसे पहले रावियों के मुक़ाबले में बेहतर तौर पर जानता है (4) बुख़ारी पहले तबक़े की जो हिफ़्ज़ व इत्क़ान में बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ है, अहादीस़ लाता है और जो तबक़ा पुख़्तगी और तवील रिफ़ाक़त में उस पहले तबक़े से मुत्तसिल है उसकी रिवायात इन्तिख़ाब करके और तअलीक़ की सूरत में लाता है और मुस्लिम उस दूसरे तबक़े की रिवायात भी उसूल में लाये हैं जैसाकि इमाम हाज़मी ने बयान किया है (5) मुस्लिम के नज़दकी मुअनअन रिवायत जब रावी हम ज़माने से बयान करे अगरचे मुलाक़ात स़ाबित न हो मुत्तसिल समझी जायेगी और बुख़ारी के नज़दीक जब तक मुलाक़ात स़ाबित न हो वो मुत्तसिल न होगी। इसलिये वो कई बार बाब के तहत ऐसी रिवायत ले आते हैं जिसका बाब से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होता, मक़सद सिर्फ़ रावी का उस्ताद से सिमाअ स़ाबित करना होता है क्योंकि वो उसे पहले मुअनअन सूरत में बयान कर चुके होते हैं। (6) दोनों की जिन अहादीस़ पर तन्क़ीद की गई है, उनकी तादाद दो सौ दस है जैसाकि आगे आ रहा है और बुख़ारी में ख़ुसूसी तौर पर 80 से कम हैं और बिला शुब्हा जिन पर नक़द कम है वो ज़्यादा नक़द वाली से राजेह है। इमाम नववी (रह.) ने अपनी बुख़ारी की शरह में लिखा है, ख़ुसूसी तौर पर जो चीज़ बुख़ारी को तरजीह देती है वो उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि बुख़ारी, मुस्लिम से बड़ा और हदीस़ और उसकी बारीकियों का बेहतर तौर पर इल्म रखता था। उसने अपने इल्म का इन्तिख़ाब किया और जिसको पसंद किया उसका ख़ुलासा इस किताब में पेश कर दिया। शैख़ुल इस्लाम इब्ने हजर (रह.) का क़ौल है, उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि बुख़ारी उलूम और फ़न्ने हदीस़ में मुस्लिम से बड़े और ज़्यादा इल्म रखते थे और मुस्लिम उनके शागिर्द और तर्बियत याफ़्ता थे और हमेशा उनसे फ़ायदा हासिल करते रहे और उनके नक़्शे क़दम पर चलते रहे यहाँ तक कि दार क़ुतनी ने तो कहा, अगर बुख़ारी न होते तो मुस्लिम कुछ पेश न कर सकते।

(इब्ने सलाह ने लिखा है) अबू अली ग़स्सानी नीशापूरी का क़ौल है, आसमान की छत तले, मुस्लिम की किताब से सहीहतर कोई किताब नहीं। (तदरीबुर्रावी : 1/91-93) मेरे नज़दीक अबू अली के कलाम से ये बात वाज़ेह होती है कि उसका सहीह मुस्लिम को मुक़द्दम करने का मफ़्हूम कुछ और है। सेहत के लिये मत्लूब शर्तें, जो हम बयान कर रहे हैं, वो नहीं बल्कि ये मक़सद है कि मुस्लिम ने अपनी किताब की तस्नीफ़ अपने शहर में असल नुस्ख़ों की मौजूदगी में अपने अक्स़र उस्ताद की ज़िन्दगी में की है। इसलिये इमाम बुख़ारी के बरख़िलाफ़ अल्फ़ाज़ और अहादीस़ के बयान में ज़्यादा एहतियात करते हैं। बुख़ारी ने कई बार हदीस़ अपने हाफ़िज़े की मदद से लिखी और अल्फ़ाज़ में इम्तियाज़ नहीं किया और मुस्लिम का ये इम्तियाज़ भी है उसने अहादीस़ की सनदें एक जगह जमा कर दी हैं इसलिये इमाम बुख़ारी (रह.) को कई बार शक हो जाता है।

बुख़ारी से सहीह सनद से साबित है कुछ अहादीस़ मैंने बसरा में सुनी हैं और शाम में लिखी हैं। बुख़ारी ने अहकाम के इस्तिम्बात और अहादीस़ को अलग-अलग हिस्सों में तक़सीम करने का इरादा किया और मौक़ूफ़ात लिखी हैं। मुस्लिम ने ये काम नहीं किया और कुछ मग़्रिबी लोगों से जो बात उन्होंने नक़ल की है तो किसी से ये बात साबित नहीं कि उसने मुस्लिम की फ़ज़ीलत को उसके असह होने से मुक़य्यद किया हो, बल्कि कुछ ने अफ़ज़लियत बिला क़ैद बयान की है। क़ाज़ी अयाज़ ने अबू मरवान तुब्नी यानी क़ाज़ी के नज़दीक (ताअ पर पेश है बा साकिन है और फिर नून) से नक़ल किया है कि मेरे कुछ शैख़ सहीह मुस्लिम को सहीह बुख़ारी पर फ़ज़ीलत देते थे और मेरे ख़्याल में इसकी मुराद इब्ने हज़म है। क़ासिम तजीबी ने अपनी फ़ेहरिस्त में उससे (इब्ने हज़म से) ये नक़ल किया है उसने कहा, क्योंकि उसने ख़ुत्बे के बाद सिर्फ़ मुसलसल अहादीस़ बयान की हैं। इमाम दार क़ुतनी के साथियों में से मुस्लिम बिन क़ासिम क़ुर्तुबी का क़ौल है किसी ने सहीह मुस्लिम जैसा नाम नहीं किया। ये बात अच्छे उस्लूब और बेहतर तर्तीब के लिहाज़ से है सेहत के ऐतबार से नहीं। इमाम नववी ने इब्ने सलाह पर इज़ाफ़ा करते हुए ये लिखा है, मुस्लिम की ये ख़ुसूसियत है कि उसने हदीस़ को कई सनदों और अलग-अलग अल्फ़ाज़ के साथ एक जगह जमा कर दिया है, इसलिये उसका समझना आसान हो गया। इसके बरख़िलाफ़ बुख़ारी (रह.) ने उन्हें अलग-अलग अबवाब में तक़सीम कर दिया है। ताकि उससे अहकाम का इस्तिम्बात कर सकें और बहुत से अल्फ़ाज़ ग़ैर महल मौक़े पर बयान किये हैं। शैख़ुल इस्लाम इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं, इसलिये हम देखते हैं बहुत से मग़्रिबी मुसन्निफ़ीन जिन्होंने अहकाम के सिलसिले में किताबें लिखी हैं वो मुतूने हदीस़ के बयान के सिलसिले में मुस्लिम (रह.) की किताब पर ऐतमाद करते हैं, बुख़ारी पर नहीं। क्योंकि उन्होंने अहादीस़ में तक़तीअ की है। वो फ़रमाते हैं, जब मुस्लिम को ये इम्तियाज़ हासिल है तो उसके मुक़ाबले में बुख़ारी को ये फ़ज़ीलत हासिल है कि उसने अपनी किताब के अबवाब के तहत ऐसे तराजिम बयान किये हैं जिन्होंने अफ़्कार को हैरतज़दा कर दिया है। (मेरे नज़दीक इससे मुराद हाफ़िज़ इब्ने हजर हैं। तदरीबुर्रावी : 1/95-96, में उनसे ये तवील इबारत नक़ल की गई है।)

सहीह मुस्लिम के नाक़िल, सहीह मुस्लिम की रिवायत करने वाले :

शैख़ अबू अम्र उसमान बिन अब्दुर्रहमान शहर ज़ोरी लिखते हैं, ये किताब, सहीह मुस्लिम अपनी मुकम्मल शोहरत के बावजूद इसकी रिवायत मुस्लिम तक मुत्तसिल सनद के साथ अबू इस्हाक़ इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान पर मौक़ूफ़ हो गई। हाँ मग़्रिबी इलाक़ों में इसके साथ, अबू मुहम्मद अहमद बिन अली क़लान्सी भी मुस्लिम से रिवायत बयान करते हैं और अबू इस्हाक़ वो नीशापूर का बाशिन्दा और नीशापूरी है। वो ज़ाहिद फ़क़ीह था। अबू अब्दुल्लाह बिन बैअ हाकिमे नीशापूरी बयान करते हैं, मैंने मुहम्मद बिन यज़ीद मुजस्सम पैकरे अद्ल से सुना, इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान मुस्तजाबुद्दुआ थे और उसने अबू अम्र बिन नजीद से सुना, इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान सालेह

बुज़ुर्ग थे और अय्यूब बिन हसन ज़ाहिद साहिबे राय यानी हनफ़ी फ़क़ीह के शागिर्दों में से थे। उन्होंने मुहम्मद बिन राफ़ेअ क़ुशैरी वग़ैरह से नीशापूर, रै, इराक़ और हिजाज़ में सिमाअ किया और बक़ौल हाकिम रजब 308 हिजरी में वफ़ात पाई।

इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान का क़ौल है, मुस्लिम हमें किताब सुनाने से माहे रमज़ान 257 हिजरी में फ़ारिग़ हुए। (सियानते सहीह मुस्लिम, पेज नम्बर 106)

सहीह मुस्लिम पर मुस्तख़रजात :

इस्तिख़राज : इस्तिख़राज का मफ़्हूम ये है कि एक हाफ़िज़ जैसे बुख़ारी या मुस्लिम को सामने रखे फिर उसकी हर एक हदीस़ को अपनी सनद से बयान करे, उसमें रावी के सिक़ह होने का इल्तिज़ाम नहीं किया जाता। अगरचे कुछ ने शुज़ूज़ इख़्तियार करते हुए ये शर्त लगाई है, इस सनद में बुख़ारी या मुस्लिम का नाम न हो, सनद उनके उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद पर जा मिले। इसी तरह ऊपर चाहे सहाबी पर जा मिले जैसाकि कुछ ने सराहत की है। लेकिन इस्तिख़राज करने वाले के लिये इस सनद से अलगाव इख़्तियार करना जो असल किताब के लेखक से क़रीबतरीन रावी पर मिलती है उससे दूर वाली सनद की तरफ़ जाना दुरुस्त नहीं। इल्ला ये कि उ़लू या अहम हुक्म का इज़ाफ़ा या कोई और ग़र्ज़ हो और सहाबी पर मिलने को काफ़ी समझने का तक़ाज़ा ये है अगर दोनों किसी शैख़ पर मिल जायें और दोनों की सनद एक न हो, फिर सहाबी पर मुत्तफ़िक़ हो जायें वो भी उसमें दाख़िल होगी, अगरचे कुछ ने इसके मुख़ालिफ़ लिखा है।

कई बार हाफ़िज़ के लिये अहादीस़ का पाया जाना मुश्किल हो जाता है तो वो उनको बिल्कुल छोड़ देता है या उसके कुछ रावियों से तअलीक़न बयान कर देता है या उसकी असल लेखक की सनद से बयान कर देता है, हाफ़िज़ों की एक जमाअ़त ने बुख़ारी और मुस्लिम में से हर एक पर मुस्तख़रजात लिखी हैं।

जिन्होंने सही पर इस्तिख़राज का इल्तिज़ाम किया है वो एक जमाअ़त है जैसे हाफ़िज़ अबू अ़वाना याक़ूब बिन इस्हाक़ इस्फ़राइनी शाफ़ेई ने मुस्लिम पर मुस्तख़रज लिखी। हाफ़िज़ अबू बकर अहमद बिन इब्राहीम बिन इस्माईल इस्माईली ने बुख़ारी पर मुस्तख़रज लिखी। अबू बकर अहमद बिन मुहम्मद बिन अहमद ख़्वारज़मी बरक़ानी और अबू नुऐम अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अहमद अस्बहानी एक दौर के हैं। दोनों ने दोनों पर मुस्तख़राजात लिखीं। अबू बकर अहमद इस्माईली, अबू बकर अहमद ख़्वारज़मी के उस्ताद और अबू अ़वाना के शागिर्द हैं। इसलिये उसके नाम की (अल्फ़ियतुल हदीस़ में) तसरीह की गई है और उसका ख़्याल नहीं किया गया कि दूसरे हज़रात ने भी सहीहैन का इस्तिख़राज किया है या बुख़ारी का इस्तिख़राज लिखा है जिसका दर्जा बुलंद है, ख़ासकर जबकि पहले बाब के मुनासिब भी यही था इससे पहला बाब है अस्सहीहुज़्ज़ाइद अ़लस्सहीहैन। क्योंकि उसने अपनी किताब में मुस्तक़िल मुतून का इज़ाफ़ा किया है और कई सनदें बयान की हैं और वो दूसरों

के साथ उनकी अहादीस़ में मुस्तक़िल इज़ाफ़ा वग़ैरह में शरीक है। मुस्तख़रजात में इज़ाफ़े इसलिये आ गये हैं क्योंकि उनके मुसन्निफ़ीन ने सहीहैन के अल्फ़ाज़ का इल्तिज़ाम नहीं किया।

इसलिये मुस्तख़राजात से नक़ल करने वाले को कहा गया है कि उनके मुतून के अल्फ़ाज़, यानी जिन अहादीस़ को उनसे नक़ल करो सहीहैन की तरफ़ मन्सूब न करना, जबकि तुम बतौरे दलील उसको पेश करो, जैसे अबवाब पर तस्नीफ़ जैसाकि इब्ने दक़ीकुल ईद ने क़ैद लगाई है कि बुख़ारी ने या मुस्लिम ने इन अल्फ़ाज़ से रिवायत की है इल्ला ये कि उसके साथ मुवाज़ना कर लो या इस्तिख़राज करने वाला उसकी सराहत कर दे क्योंकि मुस्तख़रजात में बहुत से अल्फ़ाज़ अलग-अलग हैं। क्योंकि उनके मुअल्लिफ़ हज़रात ने अपनी रिवायात के अल्फ़ाज़ का इल्तिज़ाम किया है इस तरह कई बार इख़्तिलाफ़ कम है और जब सूरते हाल ये है तो जायज़ा लो मुस्तख़रजात या मुस्तख़रज में क्या इज़ाफ़ा है, उनकी अहादीस़ को सहीह क़रार दिया जायेगा बशर्तेकि वो रावी जो इस्तिख़राज करने वाले और असल रावी जिस पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है के दरम्यान आने वाले हैं, वो सेहत की शर्त पर पूरे उतरते हों जिस तरह इस तअलील से पता चलता है कि ये सहीह के मम्बअ से निकली हैं।

मुस्तख़्रिजीन का बड़ा मक़सद उ़लू सनद है। उनकी कोशिश होती है कि वो और जिस पर इस्तिख़राज कर रहे हैं वो (रावियों में) बराबर हों, अगर ये सूरते हाल न हो सके तो जो सनद मुयस्सर हो सके उसको इख़्तियार करते हैं जैसाकि कुछ हुफ़्फ़ाज़ ने इसकी सराहत की है और कभी उनके लिये सनदे आ़ली मुयस्सर नहीं होती तो वो सनद नाज़िल की सूरत में ही ले आते हैं जबकि उनका असल मक़सद उ़लू ही होता है बशर्तेकि मिल जाये, अगर इसमें सहीह की शर्तें पाई जायें तो ये मक़सूद है वरना उनका मक़सद तो पूरा हो गया। कुछ अहादीस़ बुख़ारी ने जैसे ज़ोहरी के किसी शागिर्द की सनद से बयान की है और मुस्तख़्रिज दूसरी सनद से लाता है जिसमें मज्रूह रावी ज़ोहरी से कुछ इज़ाफ़ा बयान करता है, ऐसी सूरत में उस पर सहीह होने का हुक्म नहीं लगाया जायेगा।

इमाम मुस्लिम की सहीह को उनके दौर के और बाद के दौरों के उ़लमा के यहाँ पसन्दीदगी हासिल हुई है। इसलिये इस पर बहुत सी मुस्तख़रजात लिखी गई हैं।

इमाम ज़हबी (रह.) लिखते हैं, सहीह मुस्लिम में आ़ली सनदें बहुत कम हैं जैसे क़अन्बी अफ़लह बिन हुमैद से बयान करते हैं फिर हम्माद बिन मस्लमा, हम्माम, मालिक और लैस़ की हदीस़ है और किताब में कोई हदीस़ सनदे आ़ली शौबा, स़ोरी और इस्राईल की मौजूद नहीं है और ये किताब अपने मक़सद में कामिल नफ़ीस है। जब हुफ़्फ़ाज़ की इस पर नज़र पड़ी, उन्हें वो पसंद आई और उसकी सनद के नाज़िल होने की बिना पर उन्होंने उसका सिमाअ़ नहीं किया। उन्होंने इस किताब की अहादीस़ पर तवज्जह मब्ज़ूल की और उन्हें अपनी मरवियात की सूरत में एक दो दर्जे बुलंद करके बयान किया।

इस तरह उन्होंने उसकी तमाम अहादीस़ बयान कीं और उसका नाम 'मुस्तख़रज अ़ला सहीह मुस्लिम' रखा। ये काम बहुत से हदीस़ के शाहसवारों ने सर अन्जाम दिया। उनमें से अबू बकर मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन रजा और अबू अ़वाना याकूब बिन इस्हाक़ इस्फ़राइनी हैं जिसने अपनी किताब में मअ़रूफ़ मुतूने का इज़ाफ़ा किया। कुछ ज़ईफ़ हैं और अबू जाफ़र अहमद बिन हम्दान ज़ाहिद हीरी, अबुल वलीद हस्सान बिन मुहम्मद फ़क़ीह, अबू हामिद अहमद बिन मुहम्मद शाज़ की हरवी, अबू बकर मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़करिया जौज़की, इमाम अबू अ़ली मासरजसी, अबू नुऐम अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अहमद अस्फ़हानी और बहुत से दूसरे हज़रात हैं जिनका तज़्किरा, इस वक़्त मुझे याद नहीं।

(सियरु आलामिन्नुबला : 12/567-570)

इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, बहुत से लोगों ने सहीह मुस्लिम के सिलसिले में किताबें लिखी हैं। ये मुस्लिम के बाद के थे और उन्हें आ़ली सनदें हासिल हो गई थीं और उनमें ऐसे भी थे जिन्हें इमाम मुस्लिम (रह.) के कुछ उस्ताद से सुनने का मौक़ा मिला था तो उन्होंने अपनी मज़्कूरा तसानीफ़ में मुस्लिम की अहादीस़ अपनी मज़्कूरा सनदों से रिवायत कीं। शैख़ अबू अम्र (रह.) लिखते हैं, ये मुस्तख़रजात की किताबें ये सहीह मुस्लिम से इस ऐतबार से मुल्हक़ हैं कि उनको भी सहीह होने का नाम हासिल है लेकिन उसकी तमाम ख़ुसूसियात में उससे मुल्हक़ नहीं और उन मुस्तख़रजात से तीन फ़ायदे हासिल होते हैं (1) सनद की रिफ़अ़त व उ़लू (2) तुरुक़ के तअ़द्दुद से हदीस़ की क़ुव्वत में इज़ाफ़ा (3) सहीह, मुफ़ीद अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा।

इसके अ़लावा उन हज़रात ने मुस्लिम के साथ अल्फ़ाज़ की मुवाफ़िक़त की पाबंदी नहीं की क्योंकि वो उन्हें और सनदों से बयान करते हैं। इसलिये कुछ अल्फ़ाज़ में तफ़ावुत पैदा हो जाता है। सहीह मुस्लिम की मुस्तख़रजात में से है (1) नेक बन्दे अबू जाफ़र, ज़ाहिद, आ़बिद अहमद बिन अहमद बिन हम्दान नीशापूरी की किताब (2) हाफ़िज़ अबू बकर मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन रजा नीशापूरी जो मुतक़द्दिम हैं और इमाम मुस्लिम के साथ अक्स़र शैख़ों में शरीक हैं, की मुस्नद अस्सहीह (3) हाफ़िज़ अबू अ़वाना याकूब बिन इस्हाक़ इस्फ़राइनी की किताब पर मुख़्तसर अस्सहीह जिसमें मुस्लिम के शैख़ यूनुस बिन अ़ब्दुल्लाह अ़ली वग़ैरह की रिवायात बयान की हैं (4) अबू हामिद शाज़ की हरवी शाफ़ेई फ़क़ीह की किताब जो अबू यअ़ला मौसिली से बयान करते हैं (5) अबू बकर मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह जौज़की नीशापूरी शाफ़ई की अल्मुस्नद अस्सहीह (6) हाफ़िज़ अबू नुऐम अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह मुसन्निफ़ अस्फ़हानी की मुस्लिम की किताब पर अल्मुस्नद अल्मुस्तख़रज (7) इमाम अबुल वलीद हस्सान बिन मुहम्मद क़ुरशी, शाफ़ेई फ़क़ीह की सहीह मुस्लिम पर मुस्तख़रज और इसके अ़लावा। (मुक़द्दमा शरह सहीह मुस्लिम नववी, जिल्द 1/16)

सहीह मुस्लिम की शुरूहात :

आम व ख़ास के यहाँ सहीह मुस्लिम के मर्तबे और उम्मत के इसकी जलालत पर इज्माअ के बाइस बहुत से उलमा ने सहीह की शुरूहात लिखी हैं जिनकी तादाद पचास से ज़्यादा है। कुछ शरहों के नाम इस तरह हैं

(1) अल मुफ़्सिहुल मुफ़्हिम वल मूज़िहुल मुल्हिम मआनी सहीह मुस्लिम, तस्नीफ़ मुहम्मद बिन यहया अन्सारी मुतवफ़्फ़ा (वफ़ात) 546 हिजरी।

(2) अक्मालुल अक्माल तस्नीफ़ ईसा बिन मस्ऊद ज़वावी (मुतवफ़्फ़ा (वफ़ात) 744 हिजरी)

(3) फ़ज़्लुल मुन्इम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम, अज़ शम्सुद्दीन बिन अब्दुल्लाह अताउल्लाह राज़ी (मुतवफ़्फ़ा (वफ़ात) 829 हिजरी)

(4) ग़ुनियतुल मुहताज फ़ी ख़तमे सहीह मुस्लिम बिन हज्जाज अज़ मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सख़ावी (मुतवफ़्फ़ा 902 हिजरी)

(5) अद्दीबाज अला सहीह मुस्लिम बिन हज्जाज अज़ सुयूती (मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी)

(6) शरह सहीह मुस्लिम, अज़ अब्दुर्रऊफ़ अल्मनावी (मुतवफ़्फ़ा 1031 हिजरी)

(7) इनायतुल मुन्इम शरह सहीह मुस्लिम अज़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद यूसुफ़ आफ़न्दी ज़ादा हिलमी (मुतवफ़्फ़ा 1167 हिजरी)

(8) वशीउद्दीबाज अला सहीह मुस्लिम बिन हज्जाज अज़ अली बिन सुलैमान बजम्अवी

(9) अल्मुफ़्हिम लिमा अश्कल मिन तल्ख़ीस किताब मुस्लिम अज़ अहमद बिन उमर बिन इब्राहीम क़ुर्तुबी (मुतवफ़्फ़ा 656)

(10) अल्मतरुश्शजाज फ़ी शरह सहीह मुस्लिम बिन हज्जाज अज़ शैख़ मुफ़्ती वलिउल्लाह फ़र्रूख़आबादी (अब्जदुल उलूम : 3/161)

ये सहीह मुस्लिम की कुछ शरहें हैं और ये उलमाए मग़रिब की शुरूहात के साथ इस किताब को जो बुलंद मक़ाम हासिल हुआ पर दलालत करती हैं और उलमा के यहाँ इसकी अहमियत को मुअक्कद करती हैं और इसका सबब इसकी बेहतरीन ख़ुसूसियात, मुन्फ़रिद इम्तियाज़ात और सहीह मुस्लिम की अहमियत पर नज़र है और इससे अहादीस का आसानी के साथ मिल जाना, अल्फ़ाज़ में एहतियात, सियाक़ में कोशिश, तस्नीफ़ का हुस्न और तर्तीब की उम्दगी है, इस लिहाज़ से जैसाकि गुज़र चुका है कुछ उलमा इसको सहीह बुख़ारी पर बरतरी, फ़ज़ीलत देते हैं।

(11) अबुल हसन अली बिन अहमद बिन मुहम्मद बिन यूसुफ़ ग़स्सानी, जो जलीलुल क़द्र और बुलंद मक़ाम, ज़हीन और सालेह तालिबे इल्म थे। जो फ़िक़्ह से आगाही, हदीस में शराकत, नह्व, अदब का इल्म, अच्छे शाइर और नस्र निगार, दस्तावेज़ के बेहतरीन और पुख़्ता मुरत्तिब और उनके नक़द से ख़ूब आगाह थे। अबुल अब्बास जज़ूली, अबुल हसन ताहिर बिन यूसुफ़ बिन फ़तह अन्सारी और दूसरों से रिवायत बयान करते हैं, ने भी कई मुजल्लदात में सहीह मुस्लिम की बेहतरीन शरह लिखी।

(12) अ़ली बिन अहमद बिन मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन मरवान बिन उ़मर ग़स्सानी ने भी इक़्तिबासुस्सिराज फ़ी शरह मुस्लिम बिन हज्जाज नामी सहीह मुस्लिम की शरह लिखी।

सहीह मुस्लिम के मुख़्तसरात :

उ़लमा की एक जमाअ़त ने सहीह मुस्लिम का इख़्तिसार किया, जिनमें से कुछ ये हैं :

(1) अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन तौमरत (मुतवफ़्फ़ा 524 हिजरी) की मुख़्तसर
(2) अ़ब्दुल अ़ज़ीम बिन अ़ब्दुल क़वी मुन्ज़री (मुतवफ़्फ़ा 656 हिजरी) की अल्जामिउ़ल मुकल्लिम बमक़ासिद सहीह मुस्लिम, जो क़दीम ज़माने में हिन्द में नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान की शरह अस्सिराजुल वहाज फ़ी कश्फ़ि मतालिब मुख़्तसर सहीह मुस्लिम बिन हज्जाज के साथ शाया हुई थी।
(3) अहमद बिन उ़मर क़ुर्तुबी (मुतवफ़्फ़ा 656 हिजरी) की तल्ख़ीस सहीह मुस्लिम।

वफ़ात : इमाम मुस्लिम (रह.) 261 हिजरी में फ़ौत हुए।

मुहम्मद बिन याक़ूब का क़ौल है, मुस्लिम बिन हज्जाज, इतवार की शाम फ़ौत हुए और सोमवार को तदफ़ीन हुई जबकि रजब 261 हिजरी के पाँच दिन बाक़ी थे। उ़म्र पचास साल से कुछ ऊपर थी और नीशापूर में दफ़न किये गये। (तहज़ीबुल कमाल : 27/507)

वफ़ात की वजह :

इमाम मुस्लिम (रह.) की वफ़ात इ़ल्म की तलब में ही हुई क्योंकि ये लोग इ़ल्म की ख़ातिर ज़िन्दा रहे और इसके लिये अपनी हर चीज़ यहाँ तक कि ज़िन्दगी भी क़ुर्बान कर दी।

अहमद बिन सलमा का बयान है, इमाम मुस्लिम (रह.) के लिये एक मज्लिसे मुज़ाकरा तय की गई और उनके सामने एक हदीस़ पेश की गई जिसकी तलाश में अपने घर लौटे, चिराग़ रोशन किया और घर वालों से कहा, तुममें से कोई अंदर न आये। उनको बताया गया, हमें खजूरों की एक टोकरी तोहफ़े में पेश की गई है तो फ़रमाया, लाओ! उन्हें पेश कर दी गई। वो हदीस़ की तलाश में एक-एक लेते रहे। सुबह हुई तो खजूरें ख़त्म हो चुकी थीं और हदीस़ भी मिल गई थी। ये बात अबू अ़ब्दुल्लाह हाकिम ने नक़ल की है फिर लिखा है हमारे क़ाबिले ऐतमाद साथियों ने इस पर इतना इज़ाफ़ा किया, वो उन्हीं खजूरों के सबब फ़ौत हो गये। (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 10/114)

उनके ओर उनकी सहीह के बारे में ख़्वाब :

उ़मर बिन अहमद ज़ाहिद बयान करते हैं, मैंने अपने एक सिक़ह, क़ाबिले ऐतमाद साथी से सुना और ज़न्ने ग़ालिब ये है वो अबू सईद बिन याक़ूब है उसने कहा, मैंने ख़्वाब देखा कि अबू अ़ली ज़ग़वरी हीरह की बड़ी सड़क पर चल रहे हैं और उनके हाथ में मुस्लिम की किताब का एक जुज़ है। मैंने उससे

पूछा, अल्लाह तआला ने आपके साथ क्या सुलूक किया? उसने उस जुज़ की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, मैं इसके सबब निजात पा गया। (तहज़ीबुल कमाल : 27/505)

अबू अब्दुर्रहमान बिन अबुल हसन बयान करते हैं, मैंने ख़्वाब में एक बूढ़ा, सफ़ेद सर, सफ़ेद रीश, ख़ूबसूरत चेहरा और हसीन लिबास देखा। जिसने बेहतरीन चादर ओढ़ रखी थी और उसके सर पर पगड़ी थी। जिसे कंधों के दरम्यान लटकाया हुआ था। बताया गया, ये मुस्लिम बिन हज्जाज का जामेअ मस्जिद में ज़िक्र हुआ। शाही कारिन्दे आगे बढ़े और कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है, मुसलमानों की इमामत मुस्लिम बिन हज्जाज कराये। तो उन्होंने उसे जामेअ मस्जिद के मेहराब में आगे बढ़ा दिया ताकि वो नमाज़ पढ़ायें, तकबीर हुई और उन्होंने जमाअत कराई।

ख़ातमा : वो भी अल्लाह के क्या ही ख़ूब बन्दे थे जिन्होंने लज़ीज़ नींद को छोड़ा। जब वो अल्लाह के हुज़ूर खड़े हुए तो उनके रंग उड़ गये। वो तारीकी में ईनामे इलाही में से हिस्सा लेने के लिये खड़े होकर मशक़्क़त झेलते। जब रात तारी हो जाती वो जागते रहते। जब दिन हो जाता वो इबरत पकड़ते। जब उनकी नज़र अपने ऐबों पर पड़ती बख़्शिश तलब करते और जब अपने गुनाहों पर ग़ौर करते रो देते और टूट जाते।

ऐ दोस्तों के गिरोह! ऐ इख़्लास के मुजस्समों, कहाँ हैं तुम्हारे बाशिन्दे? ऐ नेक लोगों के वतनों! कहाँ हैं तुम्हारे बाशिन्दे? ऐ तहज्जुद की जगहो, कहाँ हैं तुम्हें आबाद करने वाले? कहाँ हैं तुम्हारे मुलाक़ाती? अल्लाह की क़सम! घर ख़ाली हो गये, लोग बर्बाद हो गये और जागने वाले कूच कर गये। नींद के मतवाले बाक़ी रह गये। ज़माना बदल गया, शहवात ग़ालिब आ गईं। ऐ रोज़ेदार! मुहब्बत में दीवाने, गरवीदा लोगों के हुज़्न के लिये ये काफ़ी है कि वो महबूब लोगों के घरों को बंजर और ब्याबाँ देखें। वो क्या ही अल्लाह के ख़ूब बन्दे थे, जो इताअत में क़द्दो-काविश और अपने रब से तिजारत करते हुए सामान में नफ़ा कमा गये और क़यामत तक उनकी तारीफ़ बाक़ी रहेगी। अगर आप उन्हें अन्धेरे में देखें, उनका नूर चमक रहा होगा और हर चीज़ से आगाह मालिक के साथ सरगोशी में अपनी मसर्रते ताम हासिल होगी और जब गुज़िश्ता गुनाह को याद करते, उनके सीने तंग पड़ जाते और उनकी पुश्तों के बोझ से उनके दिल अफ़सोस की बिना पर रेज़ा-रेज़ा हो जाते, वो नदामत का नामा भेजते, जिनकी सतरें आँसू होते।

कुरआन का तरन्नुम, उनके साथियों के साथ उनका अफ़साना होगा, इताअते इलाही में उन्होंने अपने नेज़े गाड़े और उन्होंने उसकी ख़िदमत में अपनी ज़िन्दगी ख़र्च कर डाली। उनके हुस्न का क्या कहना, बादे सहरी उनके कपड़ों को हरकत देती, उसने उनके रंज व अलम की सरगुज़िश्त को उठाया और उनका जवाब लौटाया।

ऐ महबूब भाई! उस उम्र के बारे में सोच जिसका अक्सर हिस्सा गुज़र गया और उन क़दमों के बारे में जो मुसलसल लड़खड़ा रहे हैं और उस ख़्वाहिश पर जिसका क़ैदी बन चुका है और ऐसे परागन्दा दिल

के बारे में, जिस जैसे कम रह गये हैं और उस सहीफ़े पर ग़ौर कर जो स्याह हो चुका है और उस नफ़्स के बारे में जो हर नसीहत पर अमल से बाज़ रहता है और उन अनगिनत गुनाहों पर जो हद व शुमार से बाहर हैं।

ऐ मुसलसल हदों से आगे बढ़ने वाले! ऐ ग़ल्तियों पर जम जाने वाले! ऐ किसी से नाराज़ी पर उसे सज़ा देने वाले! ऐ जिसके कान इबरत पज़ीरी से ऐराज़ करते हैं! ऐ ग़ल्तियों के लिये ज़बान को आज़ाद करने वाले! ऐ वो इंसान जो सहीह बात और निकम्मी बात में फ़र्क़ नहीं करता! क्या क़ुरतुबा में उसके लिये इबरत का सामान नहीं, क्या इधर किसी कोताही का तदारुक नहीं, कब तक क़बीह बात उसको ढांपे रखेगी, उसने अपने सामान को निकम्मे से अलग क्यों नहीं किया जो बावर्ची के हाथ में है वो क्यों नहीं डरा। हर्गिज़ नहीं! अगर वो होश में होता तो इबरत पकड़ता, उस पर मलामत असर अन्दाज़ होती वो रुक जाता। लेकिन वो इन्तिहाई सख़्त हो चुका। गुनाह ने उसे ख़राब कर डाला। बुढ़ापे पर ग़ालिब न आ सका। वो ख़त्म हुआ वो मलामत करने वाले और नसीहत करने वाले की तरफ़ मुतवज्जह न हुआ। यक़ीनन जिस चीज़ को ज़ाया कर चुका है उस पर पशेमान होगा। हिफ़ाज़त कर इलाज ख़त्म होगा। जब रंज व तकलीफ़ बढ़ जायेगी, ज़बान गुँग हो जायेगी, उसने बहुत बातें कीं जिसकी उम्र की उम्मीद ही रह गई है और वो पुश्त पर बहुत बड़ा भारी बोझ उठाये हुए है। तेरे सामने जल्द ही छोटे-बड़े गुनाह पेश होंगे। मख़्लूक़ का तू लिहाज़ रखता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हक़ को भुला बैठा है। उसने अपना सहीफ़ा स्याह कर डाला है, बुरे अमल से भर दिया है। उस पर ज़िम्मेदारी डाली गई, उसने उससे ग़फ़लत बरती और राह गुम कर दी। उसको इस्तिक़ामत की दावत दी जाती है और जब उसे सीधा किया जाता है वो ज़लील हो जाता है। कर लूँगा के फ़रेब ने उसे धोखे में मुब्तला कर रखा है और अमल की क़ैद ने उसे बांध रखा है।

ऐ महबूब भाई! यही लोग हैं जिन्होंने सहीफ़ों पर इल्म लिखा और किस क़द्र उनकी विरासत किताबों की शक्ल में मौजूद है जबकि उनके जिस्म मिट्टी में छिप चुके हैं, उनका इल्म मुसलसल मेहराबों में पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है, क्या कोई है जो नींद से बैदार हो और अपने आपको आवाज़ दे क्या हम उन लोगों से मिल जायेंगे?

हाय गुज़िश्ता उम्र पर अफ़सोस और हम नींद में डूब चुके हैं, उन लोगों की सीरत पढ़ो और ऐ लोगो! इबरत हासिल करो।

तहरीर कुनिन्दा :
सलाहुद्दीन अली अब्दुल मौजूद
2 रजब 1425 हिजरी

तर्जुमा कुनिन्दा :
अब्दुल अज़ीज़ अलवी
5 सफ़रुल मुसफ़्फ़र 1429 हिजरी

मुक़द्दमतुल किताब

अल्हम्दुल्लिाहि रब्बिल् आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु अ़ला मुहम्मदिन ख़ातमिन्नबिय्यीन व अ़ला जमीइल अम्बियाइ वल्मुरसलीन!

शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज क़ुशैरी (रह.) फ़रमाते हैं, शुक्र व तारीफ़ के लायक़ अल्लाह की ज़ात है जो तमाम कायनात का मुदब्बिर व मुन्तज़िम है और हुस्ने अन्जाम हुदूदे इलाही के पाबंद लोगों के लिये है और अल्लाह तआ़ला अपनी ख़ुसूसी रहमतें मुहम्मद (ﷺ) पर जो तमाम अम्बिया के बाद आने वाले हैं और तमाम अम्बिया और रसूलों पर नाज़िल फ़रमाये, आमीन!

अम्मा बअ़द! अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाये। तुमने अपने ख़ालिक़ की तौफ़ीक़ से ये बयान किया है कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) की उन तमाम हदीसों की तलाश व जुस्तजू का इरादा रखते हो जो आपसे दीन के तरीक़ों और उसके अहकाम के बारे में मन्क़ूल हैं और उनका जिनका ताल्लुक़ सवाब व अ़ज़ाब, तरग़ीब (शौक़ व रग़बत दिलाना) व तरहीब (ख़ौफ़ दिलाना) और इनके अ़लावा दूसरी क़िस्म के मौज़ूआत व मसाइल से है, उन सनदों के साथ जिनके ज़रिये उन्हें नक़ल किया गया है और उनको अहले इल्म ने आपस में क़ुबूल किया और चुन लिया है आपका इरादा है।

अल्लाह आपकी रहनुमाई फ़रमाये। आपको उन सबसे इकट्ठा एक मज्मूए के ज़रिये आगाह किया जाये और आपने मुझसे दरख़्वास्त की है कि मैं उनको आपकी ख़ातिर बिला कसरत, तकरार, एक तालीफ़ में तल्ख़ीस करूँ, क्योंकि ये कसरते तकरार तुम्हारे ख़्याल के मुताबिक़, तुम्हारे मक़सूद व उस्लूब, उनमें सोच-विचार और उनके फ़हम और उनसे मसाइल के इस्तिम्बात से मशग़ूल कर देगा (ये मक़सद हासिल न हो सकेगा) और जिसका तुमने सवाल किया है, अल्लाह तुम्हें इ़ज़्ज़त बख़्शे, जब पलटकर मैंने इस पर ग़ौर व फ़िक्र किया और जो इसका नतीजा व अन्जाम होगा इन्शाअल्लाह वो अन्जाम क़ाबिले तारीफ़ है और उसमें नफ़ा व फ़ायदा मौजूद है और मैंने गुमान किया, जब तुमने मुझसे इस मेहनत व मशक़्क़त तलब काम की दरख़्वास्त की। अल्लाह की तौफ़ीक़ से अगर मैंने उसका अ़ज़्म व इरादा कर लिया और ये काम मुझसे मुकम्मल हो सका तो इसका सबसे पहले फ़ायदा दूसरे लोगों को छोड़कर ख़ालिस तौर पर मुझे ही होगा। जिसकी बहुत सी वजहें हैं। जिनका बयान बहुत तवील है, मगर

उनका ख़ुलासा और इज्माल ये है कि इस क़िस्म की कम हदीसों को याद और मुस्तहकम व पुख़्ता कर लेना, उनमें से बकसरत पर मेहनत व मशक़्क़त करने से बहुत आसान है। ख़ास तौर पर उन अवाम के लिये जो जाँच-परख नहीं सकते। मगर ये कि दूसरा उनको जाँच-पड़ताल करके आगाह करे। जब बात वही है जो हमने बयान की है (कि थोड़ी और सहीह, मुम्ताज़ शुदा अहादीस़ को ज़्यादा और मख़्लूत अहादीस़ जिनमें सहीह और ज़ईफ़ में इम्तियाज़ नहीं किया गया, के मुक़ाबले में याद करना आसान है) तो फिर अहादीस़ में सहीह और क़लील का मक़सूद व इरादा करना लोगों के लिये ज़्यादा ज़ईफ़ अहादीस़ बयान करने के मुक़ाबले में ज़्यादा मुनासिब है। हाँ! अगर ज़्यादा हदीसें बयान करने और मुकर्रर हदीसों को जमा करने से कुछ फ़ायदे या नफ़े की उम्मीद रखी जा सकती है तो वो उन मख़्सूस लोगों के लिये है जिन्हें कुछ बेदारी (हदीस़ के इम्तियाज़ में महारत) और उनके अस्बाब व इलल (सेहत व ज़ौफ़ के सबब) की मअरिफ़त हासिल है तो ये लोग इन्शाअल्लाह चूंकि मअरिफ़त और महारत रखते हैं, ये ज़्यादा हदीसों को जमा करने से फ़ायदा उठा सकते हैं। रहे अवामुन्नास, जो मअरिफ़त व महारत में ख़ास लोगों के बरख़िलाफ़ और मुख़ालिफ़ हैं, तो उनका तो ज़्यादा हदीसों की तलब व तलाश में कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि वो तो कम अहादीस़ की मअरिफ़त व पहचान से आजिज़ हैं। (उनके मानी व मतलब और सेहत व ज़ौफ़ को नहीं जान सकते)।

ख़ुलास-ए-कलाम :

इमाम मुस्लिम (रह.) के कुछ तलामिज़े (स्टूडेन्ड्स) ने उनसे ख़्वाहिश और दरख़्वास्त की कि फ़न्ने हदीस़ में कोई ऐसी किताब लिखें जो हर क़िस्म की सहीह हदीसों की जामेअ हो, फ़ुनूने हदीस़ (तफ़्सीर, आदाब, सियर व अक़ाइद, फ़ितन व अशरात और अहकाम व मनाक़िब) पर मुश्तमिल हो। लेकिन मुख़्तसर हो और सिर्फ़ सहीह, मरफ़ूअ और मुत्तसिल रिवायात हों। क्योंकि थोड़ी अहादीस़ को याद करना और याद रखना और उनमें ज़्यादा तकरार भी न हो, क्योंकि उससे तवालत हो जाती है। इमाम साहब फ़रमाते हैं, मैं इन्शाअल्लाह आपकी हस्बे मन्शा आम लोगों का लिहाज़ रखते हुए, ख़ास हज़रात को नज़र अन्दाज़ करते हुए, कम हदीसें, बिला तकरार जमा करूँगा। क्योंकि सबसे पहले इस तरह हदीसों को जमा करने का फ़ायदा मुझे ही हासिल होगा।

तर्जुमा : अब हम इन्शाअल्लाह आपकी ख़्वाहिश और तलब के मुताबिक़ हदीसों की तख़रीज व तालीफ़ इस शर्त पर करते हैं, जो अभी मैं आपके सामने बयान करता हूँ और वो ये है कि वो तमाम अहादीस़ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब हैं हम उनका रुख़ और क़सद करते हुए उनको तीन क़िस्मों में बाँटते हैं और उनके बयान करने वाले लोगों (रावियों) के तीन तबक़ात (गिरोह) बनाते हैं। हम उन अहादीस़ को बिला तकरार बयान करेंगे। मगर ये कि कोई ऐसा मक़ाम आ जाये। जहाँ हदीस़ में कोई ज़्यादा मफ़्हूम हो या एक सनद के साथ कोई ऐसी सनद हो, जिसमें कोई इल्लत हो, जिसकी वजह से

हदीस का तकरार नापसंद हो जाये। क्योंकि हदीस के अंदर ज़्यादा मानी जिसकी ज़रूरत और हाजत हो तो वो मुस्तक़िल और मुकम्मल हदीस के क़ायम मक़ाम होता है। तो ऐसी सूरत में उस इज़ाफ़े की वजह से हदीस का दोबारा होना ज़रूरी है या अगर मुम्किन हुआ तो हम उस ज़्यादा मानी को मुख़्तसर तौर पर मज़्मूई हदीस से अलग करके बयान कर देंगे। लेकिन कई बार उस ज़्यादा मानी को मज्मूई और पूरी हदीस से जुदा करके बयान करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हदीस को अपनी असल हैयत व शक्ल पर मुकम्मल बयान करना, जबकि अलग करना मुश्किल हो, ज़्यादा महफ़ूज़ तरीक़ा है। रहा वो मक़ाम जहाँ हम पूरी हदीस के इआदे से गुंजाइश और चारा पायेंगे हमें उस इआदे की ज़रूरत व हाजत नहीं होगी, तो हम इन्शाअल्लाह इआदे का काम सर अन्जाम देंगे।

ख़ुलास-ए-कलाम :

हम आपकी ख़्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक़ अहादीस के बयान और उनको जमा करने की शुरूआत करते हैं। उसके लिये हम हदीसों की तीन क़िस्में बनायेंगे और उनके राविंयों के तबक़ात भी, तीन ही क़रार देंगे। हर सम्भव हम अहादीस का तकरार और इआदा नहीं करेंगे। हाँ जहाँ किसी मतने हदीस में ज़्यादा फ़ायदा या सनदे हदीस में किसी मज़ीद ख़ूबी की बिना पर उसका तकरार और इआदा नापसंद हो तो हम मज्बूरन तकरार करेंगे। अगर मुम्किन हुआ तो हम उस ज़्यादा मानी व मफ़्हूम को मुकम्मल हदीस से अलग करके इख़्तिसार के साथ बयान कर देंगे।

तर्जुमा (अहादीस की पहली क़िस्म) :

हमारा मक़सद और इरादा ये है कि हम उन अहादीस को पहले बयान करें जो दूसरी अहादीस के मुक़ाबले में, ऐबों और नुक़्सों से महफ़ूज़ और पाक व साफ़ हों, क्योंकि उनके नक़ल व बयान करने वाले हदीस में अहले इस्तिक़ामत और पुख़्ता (सिक़ह व आदिल) हैं और जिन रिवायात को बयान करते हैं उनको अच्छी तरह मज़बूत और मुहकम (सहीह याद) करने वाले हैं, बशर्तेकि उनकी रिवायतों में (सिक़ह और आदिल ज़ाबित राविंयों से) शदीद इख़्तिलाफ़ और ज़्यादा मिलावट व इख़्तिलात न हो। जैसे कि बहुत से मुहद्दिसीन की अहादीस में ये चीज़ देखी गई है और ये चीज़ (शदीद इख़्तिलात, तख़्लीते फ़ाहिश) उनकी अहादीस में ज़ाहिर है। जब हम इस क़िस्म के राविंयों की अहादीस का इस्तीआब (मुकम्मल तौर पर बयान) कर लेंगे तो फिर उनके बाद ऐसी हदीसें लायेंगे, जिनकी सनदों में ऐसे रावी होंगे जो हिफ़्ज़ व इत्क़ान से पहली क़िस्म के लोगों की तरह मुत्तसिफ़ नहीं होंगे (हिफ़्ज़, ज़ब्त में कम होंगे) अगरचे ये दूसरी क़िस्म के लोग हिफ़्ज़ व इत्क़ान में पहली क़िस्म के लोगों से कम होंगे। लेकिन सतर ऐबों और नुक़्सों की पर्दापोशी, सिद्क़ व ऐतबार और इल्म से ताल्लुक़ व रब्त उन पर साया फ़गन होगा। जैसाकि अता बिन साइब, यज़ीद बिन अबी ज़ियाद, लैस बिन अबी सुलैम और इन जैसे हामिलीने अहादीस (अहादीस सीखने और याद करने वाले) और नाक़िलीने अहादीस (अहादीस बयान व नक़ल करने वाले) हैं।

ये लोग अगरचे इल्म व सतर जिसका हमने तज़्किरा किया है, में अहले इल्म के नज़दीक मअरूफ़ व मशहूर हैं। मगर इनके अलावा इनके हम ज़माना साथी जो इत्क़ान व इस्तिक़ामत फ़िरविायह जिसका हमने ज़िक्र किया है, से मुत्तसिफ़ थे। वो हाल व मक़ाम (मर्तबे) में उनसे बढ़कर हैं। क्योंकि अहले इल्म के नज़दीक इत्क़ान व इस्तिक़ामत (ज़ब्त व अदालत) एक बुलंद दर्जा और उम्दा ख़स्लत व ख़ूबी है। क्या आपको मालूम नहीं है जब आप उन तीनों अता, यज़ीद और लैस़ जिसका हमने नाम लिया है हदीस़ के इत्क़ान (ज़ब्त व लफ़्ज़) इस्तिक़ामत में (इख़्तिलाफ़ व इख़्तिलात से महफ़ूज़ियत) में उनका मुक़ाबला व मुवाज़ना, मन्सूर बिन मुअतिमर, सुलैमान आमश और इस्माईल बिन ख़ालिद से करेंगे तो उनसे अलग और जुदा पायेंगे। उनके क़रीब दर्जे तक भी नहीं पहुँचेंगे। हदीस़ का इल्म रखने वालों के नज़दीक इसमें कोई शक व शुब्हा नहीं है। क्योंकि अहले इल्म के नज़दीक मन्सूर, आमश और इस्माईल का हदीस़ को सहीह तौर पर याद रखना और उसमें इत्क़ान व पुख़्तगी मशहूर और मुसल्लमा है और इन अहले इल्म के नज़दीक ये हिफ़्ज़ व इत्क़ान अता, यज़ीद और लैस़ में नहीं पाया गया। इस अन्दाज़ व उस्लूब में जब आप हम ज़माने के साथियों में मुक़ाबला व मुवाज़ना करेंगे जैसे इब्ने औन और अय्यूब सख़्तियानी का औफ़ बिन अबी जमीला और अश्अस़ हमरानी से और ये दोनों हसन और इब्ने सीरीन के साथी यानी शागिर्द हैं। जैसाकि इब्ने औन और अय्यूब इन दोनों (हसन बिन सीरीन) के शागिर्द हैं। मगर इन दोनों (औन, अश्अस़) और उन दोनों (इब्ने औन, अय्यूब) में कमाल फ़ज़्ल और सेहते नक़ल में बड़ा फ़र्क़ व इम्तियाज़ है। अगरचे औफ़ और अश्अस़, अहले इल्म के नज़दीक सिद्क़ व अमानत से महरूम नहीं हैं। लेकिन अहले इल्म के यहाँ मक़ाम व मर्तबे की कैफ़ियत व सूरत वही है जो हम बयान कर चुके हैं। ये दोनों कमाल फ़ज़्ल और सेहते नक़ल में इब्ने औन और अय्यूब से बहुत पीछे हैं। उन लोगों की हमने नाम लेकर मिस़ाल इसलिये दी है ताकि उनकी मिस़ाल उन लोगों के फ़हम के लिये अलामत व निशानी (मैयार व कसौटी) बने जिन पर अहले इल्म के तर्तीब देने (दर्जाबन्दी क़ायम करने) का रास्ता ओझल या छिप गया है। ताकि उन लोगों को जो आली और बुलंद मर्तबे के हामिल हैं उनके दर्जे से नीचे न उतारा जाये। (उनके मर्तबे में कमी न की जाये) और जो इल्म में कम मर्तबे वाले हैं (पस्त हैं) उनको उनके दर्जे से बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ न किया जाये और इस सिलसिले में हर साहिबे हक़ को उसका हक़ दिया जाये और उसके शायाने शान मक़ाम पर रखा जाये।

हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान किया गया है कि उन्होंने कहा, हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि हम लोगों को उनके मर्तबे व मक़ाम पर रखें, इसके साथ क़ुरआन मजीद में अल्लाह का इरशाद है, **'हर साहिबे इल्म से बढ़ कर इल्म रखने वाला मौजूद है।'** (इस तरह क़ुरआन व हदीस़ दोनों से अहले इल्म के दर्जों और मर्तबों में फ़र्क़ व तफ़ावुत स़ाबित हो गया और ये भी कि हर एक के साथ उसके मर्तबे व मक़ाम के मुताबिक़ सुलूक किया जाये) तो जो सूरतें हमने बयान की हैं उनके मुताबिक़ हम आपकी दरख़्वास्त पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीसें लिखेंगे व जमा करेंगे।

ख़ुलास-ए-कलाम :

इमाम साहब ने रावियों के हिफ़्ज़ व ज़ब्त और इत्क़ान व सक़ाहत में कमी व बेशी और फ़र्क़ व इम्तियाज़ मर्तबों व दर्जों के ऐतबार से हदीसों की दो क़िस्में बनाई हैं। पहली क़िस्म उन रावियों की हदीसों पर शामिल है जो फ़ज़्ल व कमाल, ज़ब्त व हिफ़्ज़, इत्क़ान व सकाहत और अदालत के ऐतबार से बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ हैं। दूसरी क़िस्म उन रावियों की अहादीस की है जो ज़िक्र किये गए कमालात और ख़ूबियों में उनका लगा नहीं खाते, लेकिन वो उन सिफ़ात व कमालात से बिल्कुल ख़ाली या महरूम नहीं हैं और दोनों तबक़ात के रावियों के नाम लेकर, मिसाल देकर, दर्जा बन्दी क़ायम करने का मैयार और कसौटी फ़राहम कर दी है। ताकि कम इल्म हज़रात के लिये रावियों के दरजात में फ़र्क़ व तफ़ावुत को क़ायम रखकर उनकी दर्जा बन्दी क़ायम करना आसान हो जाये।

अता, यज़ीद और लैस, तीनों दूसरे तबक़े के रावी हैं। जो हिफ़्ज़ व ज़ब्त और इत्क़ान व इस्तिक़ामत में पहले तबक़े से कम हैं। मगर फ़ी नफ़्सिही अच्छे हैं। उलमा ने इनसे रिवायत ली है। अता बिन साइब सिक़ह है। मगर उम्र के आख़िरी हिस्से में उसका हाफ़िज़ा ख़राब हो गया था। जिसकी बिना पर रिवायात में इख़्तिलात करने लगा था। इस वजह से उसकी रिवायात में, इज़्तिराब यानी सिक़ह रावियों की मुख़ालिफ़त पैदा होगी। इसलिये जिन लोगों ने उनसे इख़्तिलात व आमेज़िश से पहले सुना है उनकी रिवायत मोतबर है और इख़्तिलात (सूअ हिफ़्ज़) के बाद सुनने वालों की रिवायत मोतबर नहीं होगी।

यज़ीद बिन अबी ज़ियाद जिसको यज़ीद बिन ज़ियाद भी कहते हैं, ये कूफ़ी है, अक्सर उलमा जरह व तअदील इसको सूअ हिफ़्ज़ का शिकार क़रार देते हैं। इसलिये इमाम मुस्लिम (रह.) अकेले इससे रिवायत नहीं लाते। लैस बिन अबी सुलैम को भी अक्सर उलमा ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। इमाम अहमद फ़रमाते हैं, इसकी हदीस में इज़्तिराब है लेकिन लोग इनसे रिवायत लेते हैं। इमाम हाकिम कहते हैं, इसके हिफ़्ज़ की ख़राबी पर उलमा में इत्तिफ़ाक़ है।

मन्सूर बिन मुअतमिर, मन्सूर ज़ब्त व अदालत में इन्तिहाई बुलंद मर्तबे पर फ़ाइज़ थे।

सुलैमान आमश, अल्लाह तआला की याद में रोते-रोते अन्धे हो गये थे। बहुत बड़े हाफ़िज़ुल हदीस व सिक़ह ताबेई हैं। इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ताबेई हैं। हज़रत अनस और सलमा बिन अक्वअ को देखा है और कुछ सहाबा से सिमाअ भी है। अइम्माए जरह व तअदील ने इसको सिक़ह व सब्त क़रार दिया है।

अब्दुल्लाह बिन औन, सिक़ह और सब्त हैं और अय्यूब सख़ितयानी चमड़ा फ़रोश होने की वजह से सख़ितयानी कहलाये। सिक़ह, सब्त और हुज्जह हैं। औफ़ बिन अबी जमीला, सिक़ह और सालिहुल हदीस हैं। क़द्री और शीई मैलान था।

अश्अस हुमरानी अहले सिद्क़ से हैं और सिक़ह हैं।

रही वो हदीसें जो ऐसे लोग बयान करते हैं जो सब मुहद्दिसीन या अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक मुत्तहम हैं (उन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम है) तो ऐसे लोगों की अहादीस के बयान में हम मशग़ूल नहीं होंगे (उन लोगों की हदीसें हम बयान नहीं करेंगे) जैसे अबू जाफ़र, अ़ब्दुल्लाह बिन मिस्वर मदाइनी, अ़म्र बिन ख़ालिद, अ़ब्दुल क़ुद्दूस शामी, मुहम्मद बिन सईद मस्लूब, ग़ियास बिन इब्राहीम, अबू दाऊद सुलैमान बिन अ़म्र नख़ई और इन जैसे लोग, जिन पर अहादीस घड़ने और उनके पैदा करने, तराशने, उनमें इज़ाफ़ा करने का इल्ज़ाम है। इस तरह जिनकी अक्सर हदीसें मुन्कर और ग़लत हैं उनकी हदीसें बयान करने से हम बाज़ रहेंगे।

मुहद्दिस (हदीस बयान करने वाले) की हदीस के मुन्कर होने की पहचान ये है कि जब उसकी रिवायत की गई हदीस दूसरे अहले हिफ़्ज़ और पसन्दीदा हज़रात की हदीस पर पेश की जाये (उनकी आपस में तुलना किया जाये) तो उसकी रिवायत, उनकी रिवायत के मुख़ालिफ़ हो और उसके मुताबिक़ व मुवाफ़िक़ न हो सके (दोनों में तत्बीक़ देना मुश्किल हो) तो जब उसकी अक्सर हदीसें इस क़िस्म की होंगी तो उसकी हदीस को छोड़ दिया जायेगा। वो क़ुबूल नहीं होगी और न उस पर अ़मल किया जायेगा। मुहद्दिसीन की इस क़िस्म में से हैं, अ़ब्दुल्लाह बिन मुहर्रिर, यहया बिन अबी उनैसा, जर्राह बिन मिन्हाल (अबुल उतूफ़), अ़ब्बाद बिन कसीर, हुसैन बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुमैरा, उ़मर बिन सहबान और इन्ही के रास्ते में चलकर, मुन्कर हदीस बयान करने वाले लोग। तो हम उन लोगों की रिवायत की तरफ़ तवज्जह नहीं करेंगे और इसके बयान में मशग़ूल नहीं होंगे।

फ़ायदा : ज़ईफ़ रावी अगर सिक़ह रावी की मुख़ालिफ़त करता है तो ज़ईफ़ रावी की रिवायत को मुन्कर कहेंगे और सिक़ह की रिवायत को मअ़रूफ़। लेकिन अगर सिक़ह अपने से औसक़ या अक्सर की मुख़ालिफ़त करता है तो फिर सिक़ह की रिवायत शाज़ होगी और औसक़ या अक्सर की महफ़ूज़ कहलायेगी और ये उस सूरत में है जब दोनों हदीसों में तत्बीक़ पैदा करना और उनकी आपस में मुख़ालिफ़त को दूर करना मुम्किन न हो। अगर तत्बीक़ मुम्किन हो और मुख़ालिफ़त ख़त्म हो सके तो फिर दोनों रिवायतें मक़्बूल होंगी।

क्योंकि अहले इल्म का उन लोगों के बारे में हुक्म और जो उनका नज़रिया व मौक़िफ़ हम उन मुहद्दिसों की इस हदीस के क़ुबूल करने के बारे में जानते हैं जिसके बयान करने में ये मुतफ़र्रिद हैं कि ये सिक़ह अहले इल्म और अहले हिफ़्ज़ के साथ कुछ रिवायात के बयान करने में शरीक हों और उन रिवायात में उनकी मुवाफ़िक़ पूरी मेहनत के साथ की हो तो जब मुवाफ़िक़त की ये सूरत पाई जायेगी। फिर वो अगर किसी ऐसी चीज़ का इज़ाफ़ा करता है जो उसके साथियों की रिवायत में नहीं है तो वो ज़्यादती और इज़ाफ़ा क़ुबूल होगा।

फ़ायदा : अगर रावी सिक़ह है और उसकी रिवायतें आम तौर पर दूसरे सिक़ह रावियों की रिवायतों के मुवाफ़िक़ और मुताबिक़ हैं तो फिर अगर वो किसी रिवायत में ऐसा इज़ाफ़ा करता है जो दूसरे सिक़ह रावियों की रिवायत में नहीं है। तो वो इज़ाफ़ा क़ुबूल होगा। बशर्तेकि वो दूसरे सिक़ह रावियों की रिवायत के मुख़ालिफ़ न हो कि तत्बीक़ मुम्किन न हो। लेकिन जो रावी सिक़ात रावियों की आम तौर पर मुख़ालिफ़त करता है या उनके साथ रिवायात में शरीक ही नहीं है तो फिर उसकी रिवायत क़ुबूल नहीं होगी। जैसाकि इमाम साहब आगे फ़रमा रहे हैं :

अगर तुम किसी ऐसे रावी को देखो जो मस्लन इमाम ज़ोहरी जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिस का रुख़ करता है (उनसे रिवायत करता है) जिसके बेशुमार हुफ़्फ़ाज़ शागिर्द हैं, जो उसकी और दूसरे उस्ताद की रिवायतों को निहायत पुख़्तगी और मज़बूती से बयान करते हैं या हिशाम बिन उ़रवा जैसे मुहद्दिस से रिवायत करना चाहता है और उन दोनों की अहादीस अहले इल्म के यहाँ मुश्तरका तौर पर फैली हुई और मशहूर हैं और उन दोनों के तलामिज़े ने उनकी अहादीस को आम तौर पर आपस में इत्तिफ़ाक़ के साथ नक़ल किया है (उनसे अक्सर रिवायतों में वो मुत्तफ़िक़ हैं) तो ये रावी उन दोनों से या उनमें से एक से कुछ ऐसी हदीसें रिवायत (बयान) करता है जिनको उनके शागिर्दों में से कोई भी नहीं जानता और ये शख़्स उनकी सहीह हदीसों में उनका शरीक और साथी भी नहीं है तो इस क़िस्म के लोगों की हदीस क़ुबूल करना जाइज़ नहीं है। वल्लाहु आलम!

ख़ुलास-ए-कलाम :

रावियों का तीसरा तबक़ा या तीसरी क़िस्म जिनकी रिवायत क़ाबिले क़ुबूल नहीं है वो लोग हैं जिन पर झूठ बोलने और हदीसें घड़ने या उनमें इज़ाफ़े का इल्ज़ाम है या उनकी रिवायतें मुन्कर हैं या वो कसीरुल ग़लत हैं वो सिक़ह और क़ाबिले ऐतमाद रावियों के साथ सहीह रिवायतें बयान करने में शरीक नहीं हैं।

फ़ायदा : इमाम मुस्लिम ने रावियों के तीन तबक़ात बयान किये हैं (1) सिक़ह और क़ाबिले ऐतमाद अहले इल्म (2) हिफ़्ज़, इत्क़ान में औसत और दरम्यानी दर्जे के लोग (3) ज़ुअफ़ा और मुत्तहम लोग जिनकी रिवायतों को तमाम या अक्सर अहले इल्म ने क़ुबूल नहीं किया। इमाम मुस्लिम ने फ़रमाया है, मैं पहले दो तबक़ात की रिवायतें लूँगा और तीसरे की रिवायत बयान नहीं करूँगा और क़ाज़ी अयाज़ के बक़ौल एक चौथा तबक़ा है यानी ऐसे आदमी जो कुछ के नज़दीक सिक़ह और क़ाबिले ऐतमाद हैं और कुछ के नज़दीक मुत्तहम हैं अब इस मसले में इख़्तिलाफ़ है कि क्या इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपने पेश किये गये उसूल के मुताबिक़ पहले दोनों तबक़ों की हदीसें बयान की हैं या नहीं। इमाम हाकिम और उनके तिल्मीज़ इमाम अबू बकर बैहक़ी का ख़्याल ये है, इमाम मुस्लिम ने सिर्फ़ पहले तबक़े की हदीसें बयान की हैं और दूसरे तबक़े की रिवायत बयान करने से पहले ही वो वफ़ात पा गये और बहुत से लोग इसके

क़ाइल हैं और क़ाज़ी अयाज़ का नज़रिया ये है कि इमाम मुस्लिम ने इसाले उसूली तौर पर पहले तबक़े की रिवायतें ली हैं। लेकिन तबअ़न, इस्तिश्हाद के तौर पर पहले तबक़े की रिवायत के बाद, या जब इस मसले में पहले तबक़े की रिवायत नहीं मिली तो फिर दूसरे तबक़े की रिवायत बयान की है और कुछ जगह मुताबिअ़त और शवाहिद में चौथे तबक़े की रिवायत भी मौजूद है। तफ़्सील के लिये इमाम नववी का मुक़द्दमा शरह मुस्लिम देखें।

हमने उन लोगों के लिये जो मुहद्दिसीन के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अल्लाह तआ़ला ने उनको इस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ दी है हदीस़ और अहले हदीस़ के रास्ते के सिलसिले में कुछ क़ाबिले तवज्जह चीज़ों की तश्रीह और तौज़ीह कर दी है और हम इन्शाअल्लाह किताब के अलग-अलग मक़ामात पर मज़ीद तश्रीह और तौज़ीह करेंगे। जब हम मुअ़ल्लल हदीसें बयान करेंगे। जब हम उन मक़ामात पर पहुँचेंगे जहाँ शरह और ईज़ाह (वज़ाहत) का मुनासिब मौक़ा होगा, इन्शाअल्लाह।

फ़ायदा : हदीस़ मुअ़ल्ललुन वो हदीस़ जो बज़ाहिर सहीह सालिम हो लेकिन उसके अंदर सेहते हदीस़ को दाग़दार करने वाला ऐब छिपा हो।

ऊपर की गई वज़ाहत के बाद अब अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये, अगर बहुत से उन लोगों की जिन्होंने अपने आपको मुहद्दिस़ के तौर पर पेश किया है ये बुरी हरकत न देखते कि उन पर लाज़िम तो ये था कि वो ज़ईफ़ हदीसों और मुन्कर रिवायतों को फेंक देते (उनको बयान न करते) और उन सहीह और मशहूर अहादीस़ के बयान करने पर इक्तिफ़ा करते, जिन्हें उन सिक़ह, क़ाबिले ऐतमाद लोगों ने बयान किया है। जिनका सिद्क़ और अमानत मअ़रूफ़ और मुसल्लम है। लेकिन उन्होंने इस सहीह तरीक़े को नज़र अन्दाज़ किया हालांकि वो जानते हैं और अपनी ज़बानों से ऐतराफ़ करते हैं कि बहुत सी वो रिवायतें जो वो नादान, नावाक़िफ़ लोगों के सामने डाल देते हैं (उनके सामने पेश करते हैं) वो मुन्कर और नापसन्दीदा हैं और ऐसे लोगों से मन्क़ूल हैं जो नापसन्दीदा हैं। जिनसे रिवायत लेने की अइम्मा अहले हदीस़ (मुहद्दिसीन) ने मज़म्मत बयान की है। जैसे इमाम मालिक, शोबा बिन हज्जाज, सुफ़ियान बिन उयय्ना, यहया बिन सईद अल्क़त्तान, अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी वग़ैरह अइम्मए हदीस़ (अगर ये बुरी सूरते हाल (हरकत पर) न होती तो हमारे लिये जिस तमीज़ (सहीह व ज़ईफ़ इम्तियाज़) और तहसील (सहीह और मक़्बूल का इन्तिख़ाब) की आपने दरख़्वास्त की है उसके लिये खड़ा होना, (कमरे हिम्मत कस लेना) आसान न होता। लेकिन इस सबब की बिना पर जिससे हमने आपको आगाह कर दिया है यानी उन लोगों का मुन्कर हदीसों को ज़ईफ़ और मज्हूल रावियों की सनदों के साथ फैला देना और उन अ़वाम के सामने डाल देना जो उन रिवायात के ऐबों से वाक़िफ़ नहीं हैं उस चीज़ से हमारे दिल के लिये आपकी दरख़्वास्त को क़ुबूल कर लेना आसान और हल्का कर दिया।

फ़ायदा : चूंकि कुछ मुद्दइयाने इल्मे हदीस़ जिनको लोग उनके कहने पर मुहद्दिस़ तस्लीम कर लेते हैं, जान-बूझकर उन लोगों के सामने जिनमें हदीस़ के सेहत व ज़ौफ़ को परखने की सलाहियत और इस्तिअ़दाद नहीं है, ज़ईफ़ और मज्हूल रावियों से, मुन्कर अहादीस़, हदीस़ के नाम से पेश कर रहे हैं और वो उनके ऐतमाद पर उनको क़ुबूल कर लेते हैं। इस तरह वो नावाक़िफ़ी और जहालत की बिना पर गुमराह हो रहे हैं इसलिये मैंने आपकी दरख़्वास्त को क़ुबूल करते हुए सहीह हदीस़ों का मज्मूआ पेश करने का बेड़ा उठा लिया है।

1. बाब : वुजूबुर्रिवायति अनिस्सिक़ाति व तरकिल काज़िबीन वत्तहज़ीरि मिनल कज़िबि अ़ला रसूलिल्लाहि (ﷺ)

बाब 1 : सिक़ह रावियों से रिवायत बयान करना ज़रूरी है और झूठों से रिवायत न लेना और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ झूठी बात मन्सूब करने से बचना और डराना ज़रूरी है

जान लीजिये! अल्लाह तआ़ला तुम्हें तौफ़ीक़ से नवाज़े। हर वो इंसान जो सहीह को ज़ईफ़ रिवायत और उनके सिक़ह रावियों को मुत्तहम रावियों से अलग करने की पहचान रखता है उस पर लाज़िम है कि वो सिर्फ़ उन रिवायतों को बयान करे जिनके मख़रज (सनद) की सेहत और रावियों की महफ़ूज़ियत (ऐबजूई) से वो वाक़िफ़ हो और उन रिवायतों के बयान करने से बचे जिनके रावियों पर झूठ का इल्ज़ाम हो और वो सुन्नत के दुश्मन, हटधर्म व बिदअ़ती हों।

फ़ायदा : यहाँ बिदअ़ती से मुराद ऐसा शख़्स है जो ज़रूरियाते दीन (ऐसी चीज़ें जिनका दीन से होना ज़रूरी और यक़ीनी है) का मुन्किर हो, वरना अगर बिदअ़ती आ़दिल और ज़ाबित हो, झूठ बोलने से वो महफ़ूज़ हो, अपनी बिदअ़त के लिये दरोग़ गोई से काम न लेता हो, तो उसकी हदीस़ क़ाबिले क़ुबूल है। तफ़्सील के लिये शरह नुख़्बतुल फ़िक्र देखें।

इस बात की दलील कि जो कुछ हमने बयान किया है उसको इख़्तियार करना ज़रूरी है, उसके बरख़िलाफ़ करना सहीह नहीं है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, **'ऐ ईमान वालो! अगर कोई फ़ासिक़ (नाफ़रमान) तुम्हारे पास कोई ख़बर ले आये तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, ऐसा न हो कि तुम अन्जाने में किसी क़ौम को नुक़सान पहुँचा बैठो, फिर अपने किये पर शर्मिन्दा होना पड़े।'** (सूरह हुजुरात : 6)

दूसरी जगह अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का इरशाद है, **'उन गवाहों से जो तुम्हें पसंद हों, जिन पर तुम मुत्मइन हो।'** (सूरह बक़रा : 282)

और तीसरी जगह फ़रमाया, **'और अपने में से दो आदिल गवाह बना लो।'** (सूरह तलाक़ : 2)

जो आयतें हमने बयान कीं हैं वो इस पर दलालत करती है कि फ़ासिक़ की ख़बर दर्जे ऐतबार से गिरी हुई और नाक़ाबिले क़ुबूल है और ग़ैर आदिल की शहादत मर्दूद है।

फ़ायदा : फ़ासिक़ व नाफ़रमान की ख़बर तबईन व तहक़ीक़, गहराई तक रसाई हासिल किये बग़ैर क़ाबिले क़ुबूल नहीं है। ये मानी नहीं है अगर तहक़ीक़ व जुस्तजू से वो सहीह और दुरुस्त साबित हो जाये तो फिर भी मक़्बूल नहीं है।

ख़बर का मफ़्हूम व मानी अगरचे वुजूह और ऐतबारात से शहादत के मफ़्हूम व मानी से अलग और जुदा है, मगर अक्सर मक़सदों के ऐतबार से दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि अहले इल्म के नज़दीक फ़ासिक़ की ख़बर क़ुबूल नहीं है। जैसाकि उन सब के नज़दीक इसकी शहादत मर्दूद है।

फ़ायदा : शहादत और ख़बर दोनों के लिये इस्लाम अक़्ल, बुलूग़, अदालत और तहम्मुल व अख़ज़ के वक़्त हिफ़्ज़ व ज़ब्त ज़रूरी है, लेकिन शहादत के लिये, हुर्रियत व आज़ादी, तादाद मुज़क्कर होना और अदावत व दुश्मनी से बरी होना ज़रूरी है। तफ़्सील के लिये फ़तहुल मुल्हिम जि. 1 पे. न. 121-122 देखिये।

जिस तरह क़ुरआन इस बात पर दलालत करता है कि फ़ासिक़ की ख़बर क़ाबिले रद्द है, इसी तरह हदीस (सुन्नत) दलालत करती है कि मुन्कर अहादीस बयान नहीं करना चाहिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) की मशहूर हदीस है, **'जो शख़्स मुझसे कोई ऐसी हदीस बयान करता है जिसको वो झूठा ख़याल करता है तो वो भी झूठों का एक फ़र्द है।'**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ

(1) आगे इमाम मुस्लिम (रह.) अपनी दो सनदों से दो सहाबा समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) और मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) से यही हदीस बयान करते हैं।

फ़ायदा : अगर ऐसी हदीसें बयान करना झूठ है जिसका झूठ होना ज़न्नी है तो जिस हदीस का मरफ़ूअ होना मालूम और मअरूफ़ नहीं है तो उसको वज़ाहत किये बग़ैर बयान करना कैसे जाइज़ हो सकता है।

बाब 2 : रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बांधने की क़बाहत व बुराई

باب التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ»

(2) हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ख़ुत्बे के दौरान बयान किया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी तरफ़ बात मन्सूब न करो, मेरे ऊपर झूठ मत बांधो (हक़ीक़त ये है) जो शख़्स मेरे ऊपर झूठ बांधेगा (वो जहन्नम का हक़दार), जहन्नम में दाख़िल होगा।'

फ़ायदा : कज़िब अ़लन्नबिय्य (ﷺ) से मुराद ये है कि अपनी या किसी दूसरे की बात रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब कर दी जाये। इसका ये मानी नहीं है कि आपके हक़ में शरीअ़त की ताईद में, तरग़ीब व तरहीब की ख़ातिर हदीस़ घड़ना जाइज़ है। क्योंकि जो बात आपने नहीं फ़रमाई उसको आपकी क़रार देना ही झूठ है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

(3) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा हदीस़ें इसलिये नहीं सुनाता क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो जान-बूझकर (जानते हुए) मेरी तरफ़ झूठ बात मन्सूब करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले।'

फ़ायदा : हर वक़्त हदीस़ें बयान करने में भूल-चूक का एहतिमाल है इसलिये जो इंसान पूरी एहतियात और हज़्म से काम नहीं लेता वो गोया कि जान-बूझकर आपकी तरफ़ झूठी बात मन्सूब करता है। लेकिन अगर कोई इंसान पूरे तौर पर हज़्म व एहतियाम से काम लेकर उन रिवायात को बयान करता है जो उसे पूरी तरह याद हैं और उसको यक़ीन है तो फिर मामूली चूक का ख़तरा नहीं। क्योंकि उसने अपने आपको इस काम के लिये वक़्फ़ कर रखा है या किताब सामने रखकर बयान करता है और फ़ल्यतबव्वउ अम्र का सेग़ा है। लेकिन ख़बर के मानी में है कि उसका ठिकाना जहन्नम है या ये दुआ है कि अल्लाह तआ़ला उसका ठिकाना जहन्नम बनाये।

(4) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स जान-बूझकर मेरी तरफ़ झूठी बात मन्सूब करेगा, वो अपना ठिकाना आग (दोज़ख़) में बना ले।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

(5) अली बिन अबी रबीआ वालबी (रह.) बयान करते हैं, मैं मस्जिद में पहुँचा जबकि कूफ़ा के गवर्नर हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) थे, तो हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) ने बयान किया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'मेरी तरफ़ बात मन्सूब करना, किसी और की तरफ़ बात मन्सूब करने की तरह नहीं है, जो मुझ पर जान-बूझकर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना आग में बना ले।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

फ़ायदा : आपकी तरफ़ जो बात मन्सूब होगी वो दीन व शरीअत बन जायेगी। लेकिन किसी और की बात दीन व शरीअत नहीं बनती। इसलिये आपकी तरफ़ मन्सूब करना इतना हल्का और आसान नहीं है जितना किसी और की तरफ़ बात मन्सूब करना आसान है। किसी और की तरफ़ बात मन्सूब करने में इतना ख़तरा और ख़ौफ़ लाहिक़ नहीं हो सकता, जो आपकी तरफ़ किसी बात के मन्सूब करने की सूरत में लाहिक़ हो सकता है और लाहिक़ होना चाहिये।

(6) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें ये अल्फ़ाज़ नहीं है, 'मुझ पर झूठ बांधना, आम इंसान पर झूठ बांधने की तरह नहीं है।'

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ : «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ»

3باب النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ :

बाब 3 : हर सुनी-सुनाई बात (बिला तहक़ीक़) बयान करने की मुमानिअ़त

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

(7) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इंसान के झूठा होने के लिये इतनी बात काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात (बिला तहक़ीक़) बयान कर दे।'

फ़ायदा : आम तौर पर लोग हर क़िस्म की झूठी और सच्ची बातें करते रहते हैं इसलिये अगर इंसान हर सुनी-सुनाई बात बिला तहक़ीक़ बयान करेगा तो वो लाज़िमन झूठ बोलेगा, इसलिये बिना सोचे-समझे हर किसी की बात नक़ल कर देना दुरुस्त नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(8) इमाम साहब एक और उस्ताद से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की इसके जैसे मानी की रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(9) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं, इंसान के लिये इतना झूठ ही काफ़ी है कि वो हर सुनी-सुनाई बात बयान कर दे।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلاَ يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(10) इब्ने वहब कहते हैं, मुझे इमाम मालिक ने फ़रमाया, 'ख़ूब जान लो हर वो इंसान जो हर सुनी हुई बात बयान कर देता है वो झूठ से महफ़ूज़ नहीं रह सकता और न वो कभी (मुक़्तदा) बन सकता है जबकि वो हर सुनी हुई बात बयान करता है।'

(11) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं, 'इंसान के लिये (झूठा होने के लिये) इतना झूठ काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात बयान कर दे।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(12) अ़ब्दुर्रहमान बिन सअ़दी (रह.) कहते हैं, 'इंसान लायक़े इक़्तिदा इमाम नहीं बन सकता यहाँ तक कि वो कुछ सुनी हुई बातें बयान करने से रुक जाये।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ : لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

फ़ायदा : इंसान अगर हर सुनी हुई बात बयान करेगा उसकी रिवायत में ग़ल्तियाँ ज़्यादा होंगी और नुक़्क़ादे हदीस़ उसकी ग़ल्तियों से वाक़िफ़ होकर उस पर ऐतमाद नहीं करेंगे, उसकी रिवायत बयान नहीं करेंगे। इसलिये वो इमामत का दर्जा हासिल नहीं कर सकेगा या उसकी बातों में झूठ की मिलावट होगी और ये भी हज़्म व एहतियात के मुनाफ़ी है। इसलिये ऐसा इंसान इमामत का अहल नहीं हो सकता।

(13) सुफ़ियान बिन हुसैन कहते हैं, मुझसे इयास बिन मुआ़विया (रह.) ने कहा, मैं देखता हूँ तुम्हें इल्मे क़ुरआन का शौक़ है, इसकी तअ़मील पर फ़रेफ़्ता (शौक़ीन) हो, मुझे कोई सूरत सुनाओ और उसकी तफ़्सीर करो ताकि मैं अन्दाज़ा लगाऊँ तुमने क्या सीखा है (तेरे इल्म का जायज़ा लूँ)। तो मैंने ऐसा किया (हुक्म की तअ़मील की) तो उन्होंने मुझे कहा, मैं जो बात तुम्हें कहने लगा हूँ मेरी तरफ़ उसको याद रखना, हदीस़ में अपने आपको शनाअ़त (क़बाहत) से बचाना, यानी ऐसी मौज़ूअ़, मनघड़त और मुन्कर अहादीस़ बयान न करना जिससे लोग तुम्हें बुरा समझें, क्योंकि ऐसा काम करने वाला अपनी नज़रों में भी ज़लील होता है और लोग भी उसकी हदीस़ों की तकज़ीब करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةً وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِيَ احْفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلاَّ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ

फ़ायदा : सुफ़ियान बिन हुसैन चूंकि तफ़्सीरे क़ुरआन के शौक़ीन थे और मुफ़स्सिरीन आम तौर पर

तफ़्सीरी रिवायात के बयान करने में आसानी से काम लेते हैं, हर क़िस्म की रुतबो-याबिस (कच्ची-पक्की) रिवायतें बयान कर देते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

(14) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'अगर तुम लोगों को ऐसी हदीसें सुनाओगे जो उनकी अ़क़्ल की पहुँच से बाहर हैं (वो उनको समझ नहीं सकते) तो ये चीज़ उनमें से कुछ के लिये फ़ित्ना (गुमराही) का बाइ़स होगी।'

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का मक़सद ये है कि आ़म लोगों को एसी हदीसें नहीं सुनानी चाहिये जो उनकी समझ-बूझ से बालातर हैं और वो उनका सहीह मतलब न समझ सकते हों। क्योंकि वो उनको हदीस़ नहीं मानेंगे या उनके दिलों और ज़हनों में उनके बारे में शक व शुब्हात पैदा होंगे।

4 باب النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالاِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا :

बाब 4 : ज़ईफ़ रावियों से रिवायत बयान करना मना है और रिवायात के तहम्मुल व अख़ज़ (हासिल करने और बयान करने) के वक़्त एहतियात से काम लेना चाहिये

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ»

(15) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के आख़िर में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें ऐसी हदीसें सुनायेंगे जिनको तुमने सुना होगा और न ही तुम्हारे बाप-दादों ने, चुनाँचे तुम अपने आपको उनसे बचा कर रखना।'

फ़ायदा : ऐसी रिवायतें जिनसे सलफ़ व ख़लफ़ (अगले-पिछले) तमाम मुसलमान बेख़बर हों, जबकि अल्लाह ने दीन (क़ुरआन व सुन्नत) की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ली है, अगर सहीह होतीं तो वो सब

मुसलमानों से कैसे ओझल रह सकती थीं। झूठे और मक्कार, फ़रेब बाज़ लोग, दूसरों की गुमराही के लिये उन्हें घड़ेंगे, इसलिये उनके फ़ित्ने से महफ़ूज़ रहने के लिये उनसे बचने की ज़रूरत होगी।

(16) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आख़िरी ज़माने में दज्जाल (मुलम्मअ साज़, झूठ को सच बनाने वाले) और झूठे लोग, तुम्हारे पास ऐसी हदीसें लायेंगे (पेश करेंगे) जो न तुमने सुनी होंगी और न तुम्हारे बाप दादा ने, चुनाँचे तुम अपने आपको उनसे बचाना (उनसे दूर रहना) कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें और दीन से बरगश्ता न कर दें (निकाल न दें)।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ»

(17) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं, 'शैतान आदमी की सूरत व शक्ल अपना कर लोगों के पास आता है और उन्हें झूठी बातें सुनाता है, चुनाँचे वो लोग बिखर जाते हैं, तो उनमें से एक आदमी कहता हैं मैंने एक आदमी से (ये ये सुना है) मैं उसका चेहरा (शक्ल व सूरत) पहचानता हूँ और मुझे उसके नाम का पता नहीं है, वो बयान कर रहा था।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) का मक़सद ये था कि हदीस़ के सुनने और सीखने के लिये हज़्म व एहतियात की ज़रूरत है, मज्हूलुल हाल लोग, जिनके नाम व नसब और हालात से वाक़िफ़ियत नहीं है उनसे रिवायत नहीं लेनी चाहिये।

(18) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) फ़रमाते हैं, 'समुन्द्र में बहुत से शैतान क़ैद हैं, जिन्हें हज़रत सुलैमान

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

(अलै.) ने बांधा था, क़रीब है वो निकलें और लोगों को कुरआन सुनायें।'

फ़ायदा : शैतान क़िस्म के लोग कुरआन के नाम से मनघड़त बातें सुनायेंगे या अपनी जमा की हुई मालूमात कुरआन के नाम से पेश करेंगे या कोई पुरानी अ़रबी मुख़्तसर तफ़्सीर कुरआन के नाम से पेश कर देंगे और कहेंगे, देखो! ये क़दीम (पुराना) नुस्ख़ा तुम्हारे मौजूदा कुरआन से अलग है। जैसाकि मुत्तहिदा हिन्दुस्तान में एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने एक किताब कहीं से लाकर कुरआन के नाम से पेश की थी लेकिन मुसलमानों ने उसकी बात सुनी-अनसुनी कर दी और वो नाकाम हो गया। (फ़तहुल मुह्लिम, जिल्द 1 पेज नम्बर : 128)

ये मक़सद भी हो सकता है कि वो लोगों को कुरआन सुना कर अपना गरवीदा बना लेंगे, जब लोगों के दिलों में उनकी अ़क़ीदत बैठ जायेगी तो फिर उनको गुमराह करना शुरू कर देंगे। जिस तरह मिर्ज़ा क़ादयानी और गोहर शाही ने किया है, इस्लाम के नाम पर लोगों को अ़क़ीदतमन्द बनाकर उन्हें दीने इस्लाम से निकाल दिया है। इस क़िस्म के लोग भी मौजूद हैं जो लोगों को कुरआन के नाम पर दीन से गुमराह कर रहे हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ- قَالَ سَعِيدٌ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ- عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ- فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ

(19) इमाम ताऊस (रह.) बयान करते हैं, ये बुशैर बिन कअ़ब (रह.), हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर उन्हें हदीसें सुनाने लगा। चुनाँचे हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उसे कहा, फ़लाँ-फ़लाँ हदीस दोबारा सुनाओ। उसने उन्हें दोबारा सुना दीं। फिर उन्हें कहा, मैं नहीं जानता, आपने मेरी तमाम हदीसें पहचान ली हैं (उनकी तस्दीक़ और ताईद करते हैं) और उसका इंकार किया है (मुन्कर होने की वजह से दोबारा सुना है) या मेरी तमाम हदीसों को आपने मुन्कर समझा है और उसको पहचान लिया है? तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ नहीं बांधा जाता

عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ.

तो हम (बिला झिझक और बिना ख़तरे के) रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीसें बयान करते थे। लेकिन जब लोगों ने हर क़िस्म के दुश्वार गुज़ार और पामालशुदा चले हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया (सहीह और ज़ईफ़ को बयान करना शुरू कर दिया) तो हमने आपसे हदीस़ बयान करना छोड़ दिया (यानी सिर्फ़ वही हदीसें बयान करते हैं जिनकी सेहत का हमें इल्म है और वही हदीसें सुनते हैं जिनसे हम आगाह हैं।)।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मक़सद था कि जब लोगों में कुव्वते इम्तियाज़ (सहीह और ज़ईफ़ में फ़र्क़ करने की ताक़त) ख़त्म हो गई है और उन्होंने हर क़िस्म की हदीसों को क़ुबूल करना शुरू कर दिया है, उनमें कमी व बेशी की उन्हें कोई परवाह नहीं है तो हमने आम लोगों को हदीस़ सुनानी छोड़ दी है। सिर्फ़ क़ाबिले ऐतमाद लोगों को सुनाते हैं जिनके हिफ़्ज़ व ज़ब्त पर हमें ऐतमाद (भरोसा) और क़ाबिले ऐतमाद लोगों की हदीसें ही हम सुनते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ.

(20) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, हम हदीसें याद किया करते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीसों को याद करना ही चाहिये। चुनाँचे जब तुमने हर अनाड़ी और ग़ैर भरोसेमंद (रुतबो-याबिस, ऐसी-वैसी) को क़ुबूल कर लिया, तो तुम राहे रास्त से दूर हट गये (तुम्हारी हदीसों पर हमें ऐतमाद नहीं रहा)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सअबिन : वो ऊँट जिस पर सवारी करना मुश्किल हो, इसलिये लोग उससे बचते हों।

(2) अज़्ज़लूल : रामशुदा सवारी के क़ाबिल, इसलिये लोग उस पर सवारी करने के लिये तैयार हों, मक़सद ये है तुमने हर रत्बो व याकिस को सहीह व सक़ीम को सुनकर उसको बयान करना शुरू कर दिया है इसलिये अब हम न हर एक को हदीसें सुनाते हैं और न हर एक की हदीसों को सुनते और क़ुबूल करते हैं।

(3) हैहात : दूरी और बुअ्द, यानी तुम राहे रास्त और दर्जे क़ुबूलियत व ऐतमाद से दूर हो गये।

وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ- يَعْنِي الْعَقَدِيَّ- حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَلاَ تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ.

(21) इमाम मुजाहिद (रह.) बयान करते हैं, बुशैर अदवी (रह.) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हदीसें बयान करते हुए क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) कहने लगा। चुनाँचे हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उसकी अहादीस़ पर कान न धरा और न उसकी तरफ़ तवज्जह की। तो उसने कहा, ऐ इब्ने अ़ब्बास! क्या वजह है कि आप मेरी हदीसें सुनते ही नहीं हैं जबकि मैं आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीसें सुना रहा हूँ और आप सुनते नहीं। तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, कभी ये था, जब हम किसी आदमी को ये कहते सुनते रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, तो हमारी आँखें उसकी तरफ़ लपकतीं (फ़ौरन उसकी तरफ़ उठतीं) और हम उसकी बातों पर कान लगाते। मगर जब लोगों ने दुश्वार और नर्म (ज़ईफ़ और सहीह) हर रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो हम लोगों से वो हदीस़ लेते हैं जिसको हम पहचानते हैं। जिनकी सेहत का हमें इल्म है या जिनको हम सहीह ख़याल करते हैं।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ

(22) इब्ने अबी मुलैका (रह.) बयान करते हैं, मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से ख़त लिखकर दरख़्वास्त की कि आप मुझे एक नविश्ता (तहरीर) लिख दें और मुझसे मुश्किल हदीस़ (जो बदफ़हमी और ग़लतफ़हमी का बाइस़ बन सकती हो) छिपायें। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, ख़ैरख़्वाह और मुख़्लिस बचा है। मैं उसकी

يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

कुछ बातों को अच्छी तरह चुनुँगा और उससे मुश्किल चीज़ों को छिपा दूँगा। फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत अली (रज़ि.) के फ़ैसलाजात को मंगवाया और उनसे कुछ बातें (मुन्तख़ब बातें लिखवाते) यानी फ़ैसलाजात लिखवाये गये और कुछ फ़ैसलों को सामने आने पर कहते, वल्लाह! हज़रत अली (रज़ि.) ने ये फ़ैसला नहीं किया इल्ला ये कि वो राहे रास्त से भटक गये हों।

फ़ायदा : हज़रत अली (रज़ि.) के अक़ीदतमन्दों ने उनके फ़ैसालाजात में मिलावट कर दी थी। अपनी तरफ़ से मनघड़त और मौज़ूअ बातें, उनके फ़ैसलों और फ़तवों में लिख दी थीं। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनके सहीह फ़ैसलों और फ़तवों को चुना और दूसरों के बारे में कहा, अगर हज़रत अली (रज़ि.) ने ये फ़ैसला किया है या फ़तवा दिया है तो वो गुमराह हो गये। हांलाकि वो गुमराह न थे। असल हक़ीक़त ये है कि ये उनके फ़ैसले ही नहीं हैं, ये उनके इल्म व दयानत से नहीं मिलते।

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ.

(23) हज़रत ताऊस (रह.) बयान करते हैं हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास एक तहरीर या किताब लाई गई जिसमें हज़रत अली (रज़ि.) के फ़ैसलाजात थे। उन्होंने उस सारे लेख को मिटा डाला। मगर इतना हिस्सा सुफ़ियान बिन उयय्ना ने अपने बाज़ू से इशारा किया।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا.

(24) अबू इस्हाक़ कहते हैं, जब उन लोगों (राफ़ज़ियों) ने हज़रत अली (रज़ि.) के बाद ये चीज़ें ईजाद कर लीं (उनकी बातों में अपनी तरफ़ से ग़लत और बातिल चीज़ें मिला दीं) तो हज़रत अली (रज़ि.) के शागिर्दों में से एक आदमी ने कहा, अल्लाह उन लोगों को तबाह व बर्बाद करे, अपनी रहमत से महरूम करे! उन्होंने कितना

अज़ीम इल्म बर्बाद कर डाला। यानी सहीह और उम्दा बातों में ग़लत और बातिल की मिलावट करके लोगों को सहीह चीज़ों से भी महरूम कर डाला।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ- يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ- قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

(25) इमाम मुग़ीरह (रह.) कहते थे, हज़रत अली (रज़ि.) से सहीह बातें सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के शागिर्द ही बयान करते थे या हज़रत अली (रज़ि.) से जो लोग रिवायत करते हैं उनकी वही रिवायत मानी जाती जिसकी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के शागिर्द तस्दीक़ करते। यानी हज़रत अली (रज़ि.) के शागिर्दों की वही बातें क़ाबिले क़ुबूल हैं जिनकी तस्दीक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के तलामिज़े (शागिर्द) करें। क्योंकि वो हज़रत अली से सहीह बातें नक़ल करते हैं उनमें अपनी तरफ़ से मिलावट नहीं करते।

5 بابِ فِي أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ

बाब 5: फ़ी अन्नल इस्नाद मिनद्दीन

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

(26) मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) का क़ौल है कि ये इल्म (इल्मे हदीस़) दीन है लिहाज़ा सोच लो तुम किन से अपना दीन लेते हो।

फ़ायदा : जिस तरह हैवान (जानवर) पाँव के बग़ैर नहीं चल सकता, उसी तरह हदीस़ बिला सनद क़ुबूल नहीं की जा सकती, अगर सनद का सवाल न होता तो हर शख़्स बिला तहक़ीक़ व तफ़्तीश बात सुनता और आगे बयान कर देता और वो दीन ठहरती। इस तरह दीन की हिफ़ाज़त व दिफ़ाअ सनद से हो सकती है, उसके बग़ैर उसको मिलावट और बिदआत से महफ़ूज़ नहीं रखा जा सकता।

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

(27) इब्ने सीरीन का क़ौल है, ताबेईन सनद के बारे में सवाल नहीं करते थे तो जब फ़ित्ना पैदा हो गया तो उन्होंने कहा, अपने रावियों के नाम बताओ तो अहलुस्सुन्नह रावियों की रिवायत उनको जानकर क़ुबूल कर ली जाती है, अहले बिदअत की पहचान कर उनकी रिवायत क़ुबूल न की जाती।

फ़ायदा : जब बिदअती फ़िर्क़े का ज़ुहूर हो गया राफ़ज़ी, मुर्जिआ पैदा हो गये तो फिर हदीस़ के रावियों के बारे में छान फटक शुरू हो गई। ये ग़ाली (कट्टर) बिदअती फ़िर्क़ों से हदीसें लेना छोड़ दिया गया।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى- وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي فُلاَنٌ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

(28) सुलैमान बिन मूसा ताऊस (रह.) को मिले और उनसे कहा कि फ़लाँ ने मुझे फ़लाँ-फ़लाँ हदीस़ सुनाई है। ताऊस (रह.) ने कहा, अगर तेरा उस्ताद सिक़ह क़ाबिले ऐतमाद है तो उससे ले लो।

फ़ायदा : अगर रावी सिक़ह, ज़ाबिता और दीनदार है, इसलिये क़ाबिले ऐतमाद है तो उसकी रिवायत क़ुबूल होगी वगरना क़ाबिले क़ुबूल न होगी।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ إِنَّ فُلاَنًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

(29) सुलैमान बिन मूसा ने ताऊस (रह.) से कहा कि फ़लाँ ने मुझे फ़लाँ-फ़लाँ हदीस़ सुनाई है। तो ताऊस (रह.) ने कहा कि अगर तेरा उस्ताद इल्म व मअरिफ़त और दीन से लबरेज़ है तो उनकी रिवायत ले लो।

(30) इमाम अबुज़्ज़िनाद (रह.) बयान करते हैं, मेरी मदीना में एक सौ रावियों से मुलाक़ात हुई। सबके सब दीनदार थे, लेकिन उनसे हदीस़ नहीं ली जाती थी कहा जाता था, वो इसके अहल नहीं है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

फ़ायदा : कुछ लोग अ़मली तौर पर बहुत दीनदार होते हैं लेकिन अहादीस़ के हासिल करने में रिवायत में हज़्म व एहतियात को मल्हूज़ नहीं रखते हर क़िस्म की रिवायात लेकर आगे बयान करना शुरू कर देते। सहीह व सक़ीम रिवायात में फ़र्क़ नहीं कर सकते इसीलिये उनकी रिवायत को क़ुबूल नहीं किया जाता।

(31) सअ़द बिन इब्राहीम (रह.) का क़ौल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से सिर्फ़ सिक़ह रावियों को रिवायत बयान करना चाहिये। यानी सिर्फ़ सिक़ह रावियों की रिवायत ही क़ुबूल की जा सकती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ- وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ الثِّقَاتُ.

(32) हज़रत इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) कहते थे, इस्नाद दीन का हिस्सा है, अगर इस्नाद न होती तो जो इंसान जो कुछ चाहता कह देता और फ़रमाते थे कि हमारे और रावियों के दरम्यान क़वाइम (पाँव या सुतून) हैं। अबू इस्हाक़ इब्राहीम बिन ईसा तालक़ानी (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) से पूछा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! ये हदीस़ कैसी है 'ये नेकी दर नेकी है कि तुम अपनी नमाज़ के साथ अपने वालिदैन के लिये नमाज़ पढ़ो और अपने रोज़ों के साथ उन दोनों के लिये रोज़े रखो।' तो इमाम अ़ब्दुल्लाह (रह.) ने पूछा,

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ- مِنْ أَهْلِ مَرْوَ- قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الإِسْنَادَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ: «إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّيَ لاَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ» قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا اَبَا اِسْحَاقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ

ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ : قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا اَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ .

ऐ अबू इस्हाक़! ये हदीस़ कौन बयान करता है? मैंने उन्हें कहा, ये शिहाब बिन ख़िराश की हदीस़ है। उसने कहा, वो सि़क़ह (क़ाबिले ऐतमाद) रावी है। वो किससे बयान करता है? मैंने कहा, हज्जाज बिन दीनार से। उन्होंने कहा, वो भी क़ाबिले ऐतमाद है। उसने ये हदीस़ किससे बयान की हैं? मैंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) से। अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) ने कहा, ऐ अबू इस्हाक़! हज्जाज बिन दीनार और रसूलुल्लाह (ﷺ) के दरम्यान इतने बड़े ब्याबान (सहरा) हैं जिनमें सवारियों की गर्दनें टूट जाती हैं। मगर सदक़े के बारे में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है।

फ़ायदा : जिस तरह कोई हैवान पाँव के बग़ैर नहीं चल सकता या कोई घर सुतून के बग़ैर नहीं ठहर सकता उसी तरह कोई रिवायत सनद के बग़ैर क़ुबूल नहीं हो सकती। अगर सनद मल्हूज़ न हो तो इंसान जो चाहता बयान कर देता और उसकी तहक़ीक़-तफ़्तीश न हो सकती। अब सनद की सूरत में हर हदीस़ की शक्ल जाँच-पड़ताल हो सकती है और उसकी सेहत व ज़ौफ़ को जाना जा सकता है।

फ़ायदा : हज्जाज बिन दीनार तबअ़ ताबेई हैं। तो उसके और आप (ﷺ) के बीच एक लम्बा ज़माना है और कम से कम ताबेई और सहाबी का वास्ता छूटा हुआ है। मालूम नहीं वो ताबेई किसी सहाबी से रिवायत बयान करता है या किसी और ताबेई से और मालूम नहीं सहाबी से निचले रावी सि़क़ह हैं या ग़ैर सि़क़ह। इसलिये इसको हदीस़ कैसे तस्लीम किया जा सकता है। हाँ! माँ-बाप को स़वाब पहुँचाने के लिये सदक़ा व ख़ैरात करना, हदीसों की बिना पर बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है, नमाज़, रोज़ा और दूसरी बदनी इबादतों के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) सब लोगों के सामने अ़लल ऐलान फ़रमाते थे, अ़म्र इब्ने स़ाबित की हदीस़ क़ुबूल न करो, क्योंकि वो सलफ़े-सालेहीन को गालियाँ देता और बुरा-भला कहता था।

फ़ायदा : अ़म्र बिन स़ाबित शीया और राफ़ज़ी था। उसके नज़दीक आपके बाद सिर्फ़ चार इंसान मुसलमान रह गये थे और अ़शर-ए-मुबश्शरा और साबिक़ूने अव्वलून के ईमान का मुन्किर, मोमिन नहीं हो सकता।

بَابُ الْكَشْفِ عَنْ مُعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ وَقَوْلِ الْأَئِمَّةِ فِيْ ذٰلِكَ

बाब 6 : हदीस़ के रावियों और अख़बार के नक़ल करने वालों के ऐबों को खोलना (वाज़ेह करना) और इस सिलसिले में अइम्मा के अक़्वाल

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلاَ يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلاَ فَرَجٌ- أَوْ عِلْمٌ وَلاَ مَخْرَجٌ- فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.

(33) अबू अक़ील बुहय्या नामी औरत के शागिर्द हैं। बयान करते हैं कि मैं क़ासिम बिन अ़ब्दुल्लाह और यहया बिन सईद के पास बैठा हुआ था, तो यहया ने क़ासिम से कहा, ऐ अबू मुहम्मद! आप जैसे बुलंद शान इंसान के लिये इन्तिहाई बुरी बात है कि तुमसे इस दीन के किसी मसले (मामले) के बारे में पूछा जाये और आपके पास उसके बारे में मालूमात मौजूद न हों और आप उसको हल न कर सकें या उसके बारे में इल्म और निकलने की राह न हो। क़ासिम (रह.) ने यहया से पूछा, ये क्यों? उसने कहा, क्योंकि आप हिदायत व रहनुमाई के दो अइम्मा अबू बकर और उ़मर (रज़ि.) के बेटे हैं। क़ासिम (रह.) जवाब देते हैं, जो अल्लाह के दीन की अ़क़्ल व दानिश रखता है उसके नज़दीक इससे ज़्यादा क़बीह और बुरी बात ये है कि बिला सनद व हुज्जत (बग़ैर इल्म) बात कहूँ (जवाब दूँ) या ग़ैर सिक़ह, नाक़ाबिले ऐतबार आदमी से रिवायत लूँ। तो यहया ख़ामोश हो गये और कुछ जवाब न दे सके।

फ़ायदा : हज़रत क़ासिम हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के नवासे हैं। क्योंकि क़ासिम की माँ, क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर की बेटी उम्मे अ़ब्दुल्लाह हैं और क़ासिम हज़रत उ़मर (रज़ि.) के पोते हैं। क्योंकि वो उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के बेटे हैं। इस तरह दधियाल और ननियाल दोनों के लिहाज़ से नजीबुत्तरफ़ैन हैं। इसलिये उन्होंने जवाब दिया, इल्म का ऐतराफ़ तो इल्म है कि अपनी हैसियत व मक़ाम का पता है और इद्दआये इल्म, बिला इल्म जहालत है कि अपनी हैसियत और मक़ाम से नावाक़िफ़ है। इसलिये इल्म की कमी होने की सूरत में जवाब न देना, कुसूरे इल्म का ऐतराफ़ करना मुबर्रा नहीं है। लेकिन बिला सनद व हुज्जत जवाब देना और ज़ईफ़ लोगों पर ऐतमाद करना ये निहायत क़बीह और बुरा है।

وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ أَبْنَاءً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شيءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى- يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ- تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ

قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِينَ قَالاَ ذَلِكَ.

(34) बुहय्या नामी औरत के शागिर्द और ग़ुलाम अबू अ़क़ील बयान करते हैं, लोगों ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के बेटे (पोते) से एक ऐसा मसला पूछा जिसके बारे में वो इल्म नहीं रखते थे। तो उन्हें यहया बिन सईद ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं इसको इन्तिहाई नापसंद समझता हूँ कि आप जैसे मर्तबे का मालिक जो हिदायत के दो राहनुमाओं का यानी उ़मर और इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बेटा, उससे कोई मसला पूछा जाये और वो उसके बारे में इल्म न रखते हों। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! ये बात है कि मैं इल्म (दलील व सनद) के बग़ैर बात कह दूँ (राय पेश कर दूँ) या नाक़ाबिले ऐतबार से रिवायत पेश कर दूँ। सुफ़ियान बिन उ़यय्ना (रह.) कहते हैं, उन दोनों (यहया और क़ासिम) की बातचीत के वक़्त अबू अ़क़ील यहया बिन मुतवक्किल मौजूद था।

फ़ायदा : क़ासिम का बाप उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) है। इसलिये उ़मर और इब्ने उ़मर (रज़ि.) दोनों उसके बाप की सफ़ में हैं उसकी माँ उम्मे अ़ब्दुल्लाह हज़रत अबू बकर (रज़ि.) की औलाद से हैं।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالُوا : أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

(35) यहया बिन सईद (रह.) बयान करते हैं, मैंने सुफ़ियान स़ोरी, शोबा, मालिक और इब्ने उ़यय्ना (रह.) (अइम्मए दीन और अइम्मए जरह व तअ़दील) से पूछा, एक आदमी हदीस़ में मोतबर और स़िक़ह नहीं है, कोई दूसरा आदमी मेरे पास आता है और उसके बारे में पूछता है (कि ये स़िक़ह और मोतबर है या नहीं) सबने कहा, उसके बारे में बता दो कि ये स़िक़ह और मोतबर नहीं है (क्योंकि अगर उसकी असलियत और हक़ीक़त से आगाह नहीं किया जायेगा, तो लोग उस पर ऐतमाद करके, उसकी ग़लत और ज़ईफ़ रिवायात को मान लेंगे और वो दीन बन जायेंगे।)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ.

(36) नज़्र बिन शुमैल कहते हैं इब्ने औ़न से जबकि वो दरवाज़े की देहलीज़ पर खड़े थे शह्र (रावी का नाम) की हदीस़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, शह्र बिन हौशब पर मुहद्दिस़ीन ने जरह की है। शह्र पर लोगों ने तअ़न किया है। इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, 'उनका मक़सद है लोगों की ज़बानों ने उस पर गिरफ़्त की, उसको जरह और नक़द का निशाना बनाया है।'

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ.

(37) इमाम शोबा (रह.) कहते हैं, मैंने शह्र से मुलाक़ात की तो मैंने उसे क़ाबिले ऐतमाद नहीं समझा।

फ़ायदा : शहर (नाम) के बारे में तौस़ीक़ व तअ़दील और जरह व नक़द दोनों क़िस्म के अक़्वाल मौजूद हैं।

(38) इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) कहते हैं, मैंने सुफ़ियान सौरी (रह.) से पूछा, अब्बाद बिन कसीर के हालात से तो आप वाक़िफ़ हैं, वो जब बयान करता है तो इन्तिहाई नापसंद या संगीन हरकत करता है (ग़लत और मौज़ूअ रिवायात बयान करता है) तो आपका क्या ख़्याल है, मैं लोगों को कह दूँ कि उससे रिवायत न लो? सुफ़ियान ने कहा, ज़रूर कहो। अब्दुल्लाह (रह.) कहते हैं, जब मैं किसी ऐसी मज्लिस में होता जिस में अब्बाद का तज़्किरा होता तो मैं उसकी दयानत व अमानत, ज़ुहद व वरअ की तारीफ़ करता और कह देता कि उससे रिवायत न लो। (क्योंकि रिवायत बयान करने में क़ाबिले ऐतमाद नहीं, कमज़ोर और मौज़ूअ रिवायात बयान कर देता है) ये बात दूसरी सनद से बयान की गई है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) बयान करते हैं, मैं शोबा (रह.) के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा, ये अब्बाद बिन कसीर (मौजूद) है। इससे बचकर रहो (इससे रिवायत न लो)।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ- مِنْ أَهْلِ مَرْوَ- قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

(39) फ़ज़्ल बिन सहल बयान करते हैं, मैंने मुअल्ला राज़ी से मुहम्मद बिन सईद के बारे में पूछा, जिससे अब्बाद बिन कसीर रिवायत बयान करता है तो उन्होंने मुझे ईसा बिन यूनुस से नक़ल किया, मैं उसके दरवाज़े पर था और सुफ़ियान उसके पास हाज़िर थे। जब वो निकले तो मैंने उनसे (सुफ़ियान से) उस (मुहम्मद बिन सईद) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, वो झूठा है (मौलाना

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلًّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّابٌ.

अ़ब्दुस्सलाम बस्तवी रह. ने इससे मुराद अ़ब्बाद बिन कसीर लिया है कि वो झूठा है)।

फ़ायदा : अ़ब्बाद बिन कसीर, यहया बिन अबी कसीर उसके हम तबक़ा बयान करता है और उसके इब्राहीम बिन अदहम उसके तबक़े के लोग रिवायत करते हैं और ये तबक़ा मुअ़ल्ला राज़ी के उस्ताद का है उसने मुहम्मद बिन सय्यिद अ़ब्बाद से बयान किया है न कि अ़ब्बाद मुहम्मद बिन सईद से। उसने मौलाना बस्तवी ने झूठा अ़ब्बाद बिन कसीर को क़रार दिया है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمٌ يَقُولُ يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلاَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

(40) इमाम यहया बिन सईद क़त्तान कहते हैं, हमने कुछ नेक लोगों को हदीस में सब बातों से ज़्यादा झूठ बोलते देखा है। इब्ने अबी अ़त्ताब कहते हैं, मैं यहया बिन सईद क़त्तान के बेटे मुहम्मद को मिला और उनसे इस क़ौल के बारे में पूछा तो उसने अपने बाप से नक़ल किया कि हमने अहले ख़ैर को किसी चीज़ में हदीस से ज़्यादा झूठ बोलते नहीं देखा। यानी जितना झूठ वो हदीसों के बयान में बोलते हैं उतना झूठ आ़म बातचीत में नहीं बोलते।

इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, उनका मक़सद ये है कि झूठ उनकी ज़बानों पर जारी हो जाता है (क्योंकि वो बिला तहक़ीक़ और तन्क़ीह हर एक पर ऐतमाद कर लेते हैं) वो जान-बूझकर झूठ नहीं बोलते (क्योंकि जान-बूझकर झूठ बोलने वाला, सालेह या अहले ख़ैर नहीं हो सकता)।

حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ

(41) ख़लीफ़ा बिन मूसा (रह.) बयान करते हैं, मैं ग़ालिब बिन उ़बैदुल्लाह (रह.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो वो मुझे हदीसें लिखवाने लगे कि मुझे मक्हूल (रह.) ने

دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبَانٌ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانٌ عَنْ فُلاَنٍ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ

बताया। तो उन्हें पेशाब आ गया। जिससे वो उठ खड़े हुए। सो मैंने उनकी कॉपी (काग़ज़ात) पर नज़र दौड़ाई तो उसमें लिखा था, मुझे अबान ने हज़रत अनस से हदीस़ बयान की और अबान ने फ़लाँ से रिवायत की। तो मैं उन्हें छोड़कर चला आया। (यहया बिन मईन रह. कहते हैं, ग़ालिब बिन उबैदुल्लाह सिक़ह नहीं है, इमाम दार कुतनी वग़ैरह ने इसे मतरूक क़रार दिया है।)

قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلاَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَفَّانَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.

हसन बिन अली हुल्वानी (रह.) कहते हैं, मैंने अफ़्फ़ान की किताब में अबू मिक़्दाम हिशाम की हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से हदीस़ देखी। हिशाम ने कहा, मुझे एक आदमी ने हदीस़ सुनाई जिसे यहया बिन फ़ुलान कहते हैं उसने मुहम्मद बिन कअ़ब से सुनी है हसन बिन हुल्वानी कहते हैं मैंने अफ़्फ़ान से कहा, लोग कहते हैं हिशाम ने मुहम्मद बिन कअ़ब से सुना है तो उसने कहा, वो (हिशाम) उसी हदीस़ के सबब मुसीबत में गिरफ़्तार हुआ (यानी उसी हदीस़ की वजह से उसे ज़ईफ़ क़रार दिया गया) पहले कहा करता था, मुझे यहया ने मुहम्मद से रिवायत सुनाई। बाद में ये दावा कर दिया, मैंने मुहम्मद से बराहे रास्त सुनी।

फ़ायदा : सिर्फ़ इतनी बात जौफ़ के लिये काफ़ी है क्योंकि ये मुम्किन है हिशाम ने ये रिवायत पहले यहया से सुनी हो, लेकिन बाद में उसकी मुलाक़ात मुहम्मद बिन कअ़ब से हो गई हो। तो उससे बराहे रास्त सुन ली है। लेकिन मालूम होता है मुहद्दिसीन और माहिरे फ़न्न उलमा हज़रात के सामने कुछ ख़ारिजी कुरआन व आसार थे जिससे उन्होंने जान लिया कि हिशाम को मुहम्मद से बराहे रास्त सिमाअ़ हासिल नहीं है। वो ग़लत बयानी कर रहा है।

(42) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़समान बिन जबला (रह.) कहते हैं, मैंने इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) से पूछा, ये इंसान कौन है जिससे आप हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) की ये हदीस़ बयान करते हैं, 'ईदुल फ़ित्र का दिन इनामात का दिन है।' उन्होंने कहा, वो सुलैमान बिन हज्जाज है, देखो मैंने उससे तेरे हाथ में कैसी चीज़ रख दी है। यानी वो स़िक़ह है और उसने बहुत उ़म्दा हदीस़ सुनाई है। इब्ने क़ोहज़ाद बयान करते हैं और मैंने वहब बिन ज़म्आ से सुना।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ» قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ. انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ.

फ़ायदा : पूरी हदीस़ इस तरह है, 'जब फ़ित्र का दिन होता है, फ़रिश्ते गलियों और रास्तों के शुरू में खड़े होकर आवाज़ देते हैं, ऐ मुसलमानों की जमाअ़त! मेहरबान रब की तरफ़ चलो! जो ख़ैर का हुक्म देता है और उस पर बहुत बड़ा अज्र अ़ता करता है। उसके हुक्म से तुमने रोज़े रखे, इस तरह तुमने अपने रब की इताअ़त की। अब अपने इनामात क़ुबूल करो। चुनाँचे जब वो ईद से फ़ारिग़ हो जाते हैं, आसमान से मुनादी करने वाला आवाज़ लगाता है, राहयाब होकर अपने घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिये हैं और उस दिन को इनामात का दिन कहा जाता है।' नीज़ सुफ़ियान बिन अ़ब्दुल मालिक (रह.) कहते हैं, अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) ने कहा, मैंने रौह बिन ग़ुतैफ़ को देखा जो दिरहम के बक़द्र ख़ून वाली रिवायात बयान करता है। यानी ये रिवायत कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, अगर किसी को दिरहम के बराबर ख़ून लग जाये तो वो नये सिरे से नमाज़ पढ़े और ये बेअस़ल हदीस़ है। इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस़ बातिल और बेबुनियाद है। क्योंकि रौह ज़ईफ़ और मुन्करुल हदीस़ है। इमाम इब्ने मुबारक (रह.) कहते हैं, मैं उसके पास एक मज्लिस में बैठा तो मुझे अपने साथियों से शर्म व हया महसूस हुई कि वो मुझे उसके पास बैठा देख लें (तो क्या कहेंगे) क्योंकि वो उससे हदीस़ लेना नापसंद करते हैं।

(43) सुफ़ियान कहते हैं, इब्ने मुबारक (रह.) ने कहा, बक़िय्या बिज़्ज़ात ख़ुद ज़बान का सच्चा है लेकिन वो हर आने-जाने वाले से रिवायात ले लेता है यानी वो हर स़िक़ह और ज़ईफ़ से रिवायत बयान

حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

करता है। जाँच-पड़ताल और इम्तियाज़ की कुव्वत से महरूम है। इसलिये मुहद्दिसीन उसकी रिवायत कुबूल नहीं करते।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ وَكَانَ كَذَّابًا.

(44) इमाम शअ़्बी कहते हैं, मुझे हारिस़ आवर हम्दानी ने हदीस़ सुनाई और वो झूठा था।

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الأَعْوَرُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

(45) इमाम शअ़्बी कहते हैं, मुझे हारिस़ आवर ने हदीस़ सुनाई और वो गवाही देते हैं कि वो (आवर) झूठों में से एक है।

फ़ायदा : हारिस़ बिन अ़ब्दुल्लाह आवर (काना) कूफ़ा का बाशिन्दा और हज़रत अ़ली (रज़ि.) का हमनशीं ग़ाली (कट्टर) राफ़ज़ी है। हदीसें घड़ता था।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْآنُ هَيِّنٌ الْوَحْيُ أَشَدُّ.

(46) इब्राहीम नख़ई कहते हैं, हज़रत अ़ल्क़मा (रह.) ने कहा, मैंने कुरआन दो साल में पढ़ा। तो हारिस़ ने कहा, कुरआन आसान है, वह्य बहुत मुश्किल और भारी है। यानी वो राज़ की बातें जो आपने सिर्फ़ हज़रत अ़ली (रज़ि.) को बताईं और उन्हें अपना वसी बनाया।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ- يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ- حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ- أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ

(47) इब्राहीम नख़ई (रह.) कहते हैं, हारिस़ ने कहा, मैंने कुरआन मजीद तीन साल में सीखा और वह्य दो साल में या कहा कि वह्य तीन साल में सीखी और कुरआन दो साल में (यही क़ौल, हज़रत अ़ल्क़मा को कही हुई बात के मुताबिक़ है)।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ- وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ اتُّهِمَ.

(48) इब्राहीम नख़ई कहते हैं, हारिस़ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ- قَالَ- وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ فَذَهَبَ.

(49) हम्ज़ा ज़य्यात कहते हैं, मुर्रह हम्दानी (रह.) ने हारिस़ से कोई बात सुनी तो उसे कहा, दरवाज़े पर बैठो (मैं अभी अंदर होकर आता हूँ) चुनाँचे वो अपने घर में दाख़िल हुए और अपनी तलवार उठा ली (ताकि हारिस़ की गर्दन उड़ा दें) हारिस़ ने बुराई को भांप लिया (समझ गया कि वो अंदर अच्छे इरादे से नहीं गये) तो भाग गया।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ- يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

(50) इब्ने औन (रह.) कहते हैं, हमसे इब्राहीम ने कहा, अपने आपको मुग़ीरह बिन सईद और अबू अ़ब्दुर्रहीम से दूर रखो, क्योंकि ये दोनों झूठे हैं।

फ़ायदा : मुग़ीरह, कूफ़ी, राफ़ज़ी और झूठा था। उसने नुबूवत का दावा किया था। अहले बैत पर हमेशा झूठ बांधता रहता था और अबू उ़बैदुर्रहीम शक़ीक़ भी कूफ़ी, ख़ारिजी है, क़िस्सा गो था और ज़ईफ़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ- وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُولُ لَنَا لاَ تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

(51) आ़सिम (रह.) बयान करते हैं, हम अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी (रह.) के पास आते थे जबकि हम बालिग़ नौजवान थे। तो वो हमें कहा करते थे अबुल अहवस के सिवा क़िस्साख़्वानों के पास न बैठा करो और अपने आपको शक़ीक़ से बचाओ और उस शक़ीक़ के नज़रियात ख़ारिजियों वाले थे और ये शक़ीक़, अबू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा असदी नहीं है (क्योंकि वो तो बड़े ताबेईन में से है)।

फ़ायदा : कुस्सास, वाइज़, क़िस्सा सुनाने वाले हज़रात आम तौर पर कमज़ोर, बोदी और मन घड़त बातें सुनाते हैं, लेकिन अबुल अहवस सिक़ह थे वो कच्ची बातें और वाक़ियात नहीं सुनाते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.

(52) जरीर (रह.) कहते हैं, मैं जाबिर बिन यज़ीद जौफ़ी से मिला, लेकिन मैंने उससे हदीसें नहीं लिखीं, क्योंकि वो रज्अत पर ईमान रखता था।

फ़ायदा : रज्अत राफ़ज़ियों का अक़ीदा है। जिससे मुराद ये अक़ीदा है कि हज़रत अली (रज़ि.) बादलों में ज़िन्दा हैं, जब उनकी औलाद से इमाम का ज़ुहूर होगा तो वो बादलों से आवाज़ देंगे, ऐ लोगो! उसके साथ जिहाद के लिये निकलो। ज़ाहिर है ये एक बातिल और ग़लत अक़ीदा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है, 'मैंने जाबिर जौफ़ी से बड़ा झूठा नहीं देखा।' (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नम्बर 135)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

(53) मिस्अर कहते हैं, जाबिर बिन यज़ीद ने हमें अहादीस सुनाईं। उन बिदआत से पहले जो उसने ईजाद कर ली हैं।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ.

(54) सुफ़ियान कहते हैं, लोग जाबिर से हदीसें ले लेते थे जबकि अभी उसने अपनी बिदअत का इज़हार नहीं किया था। तो जब उसने अपनी बिदअत (बद ऐतक़ादी) ज़ाहिर कर दी, लोगों ने उस पर हदीस में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया और कुछ लोगों ने उसे छोड़ दिया। सुफ़ियान से पूछा गया, उसने किस चीज़ का इज़हार किया था। उन्होंने जवाब दिया, वो रज्अत पर ईमान ले आया था (और उसकी हिमायत में हदीसें वज़अ करना शुरू कर दीं थीं)।

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ

(55) जर्राह बिन मलीह कहते हैं, मैंने जाबिर को ये कहते हुए सुना, मुझे अबू जाफ़र (इमाम मुहम्मद बाक़िर) से सत्तर

يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا.

हज़ार हदीसें याद हैं, वो सब रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं।

फ़ायदा : अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली (रज़ि.) हैं। उनके बाप (अली बिन हुसैन) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का दौर नहीं पाया तो उन्होंने कैसे पाना था, इसलिये ये सब जाबिर की गढ़ी हुई हैं, जो शीया के यहाँ कुबूल हो गई हैं।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ : قَالَ جَابِرٌ- أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ- إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا.

(56) ज़ुहैर कहते हैं, जाबिर ने कहा, मेरे पास पचास हज़ार हदीसें ऐसी हैं कि मैंने उनमें से कोई हदीस नहीं सुनाई। फिर एक दिन एक हदीस बयान की और कहा, ये उन्हीं पचास हज़ार में से है।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ يَقُولُ عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(57) सलाम बिन अबी मुतीअ कहते हैं, मैंने जाबिर जौफ़ी को ये कहते हुए सुना, मेरे पास नबी (ﷺ) की पचास हज़ार हदीसें हैं।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلاَ نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِيَ

(58) सुफ़ियान कहते हैं, मैंने एक आदमी से सुना, उसने जाबिर से अल्लाह तआला के इस फ़रमान का मानी पूछा, 'मैं तो इस सरज़मीन से कभी न जाऊँगा यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे इजाज़त दे या अल्लाह मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है।' तो जाबिर ने कहा, इसकी हक़ीक़त या इसका मिस्दाक़ अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। सुफ़ियान कहते हैं, उसने झूठ बोला है (क्योंकि इस वाक़िये का ताल्लुक़ तो हज़रत यूसुफ़ के भाई के साथ है) हमने सुफ़ियान से पूछा, ये कहने से

مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي اخْرُجُوا مَعَ فُلَانٍ يَقُولُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ .

उसका मक़सद क्या था? तो उन्होंने कहा, राफ़ज़ियों का अक़ीदा है कि हज़रत अली (रज़ि.) बादल में हैं, हम उनकी औलाद में से किसी के साथ निकलेंगे। यहाँ तक कि आसमान से एक मुनादी करने वाला आवाज़ देगा, यानी हज़रत अली (रज़ि.) आवाज़ देंगे, फ़लाँ के साथ निकलो (उसके साथ हम निकलेंगे) जाबिर कहते हैं, इस आयत की हक़ीक़त या मिस्दाक़ यही है और उसने झूठ बोला है। ये आयत तो हज़रत यूसुफ़ (अलै.) के भाइयों के बारे में है (ये बात उनके बड़े भाई ने कही थी जिसकी तफ़्सील और पसे मन्ज़र क़ुरआन में मौजूद है)।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ قَالَ نَعَمْ. شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ .

(59) सुफ़ियान कहते हैं, मैंने जाबिर को तक़रीबन तीस हज़ार हदीसें बयान करते सुना और मैं इतनी-इतनी दौलत लेकर भी उनमें से किसी एक को बयान करना हलाल नहीं समझता (क्योंकि वो सब मौज़ूअ और जअ़ली हैं)।

अबू ग़स्सान मुहम्मद बिन अ़म्र राज़ी कहते हैं, मैंने जरीर बिन अ़ब्दुल हमीद से पूछा, आप हारिस बिन हसीरा को मिले हैं? उन्होंने कहा, हाँ वो बूढ़ा है, बहुत ख़ामोश (चुपचाप) रहता है, एक इन्तिहाई नापसंद अ़क़ीदे पर इसरार करता है यानी रज्अ़त पर ईमान रखता है।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

(60) हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, अय्यूब ने एक दिन एक आदमी का तज़्किरा किया। चुनाँचे कहा, उसकी ज़बान दुरुस्त नहीं है

ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ .

यानी झूठा है। एक और आदमी का तज़्किरा किया तो कहा, वो तहरीर में इज़ाफ़ा करता है, यानी हदीस़ में इज़ाफ़ा करता है।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي جَارًا- ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ- وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

(61) हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, अय्यूब ने कहा, मेरा एक पड़ौसी है। फिर उसके फ़ज़ाइल और ख़ूबियाँ बयान कीं और अगर वो मेरे सामने दो खजूरों के बारे में गवाही दे तो मैं उसकी गवाही को मोतबर क़रार नहीं दूँगा (क्योंकि वो झूठा है)।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ- يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ- فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ

(62) मअ़मर कहते हैं मैंने अय्यूब को किसी की ग़ीबत करते नहीं देखा, सिवाय अ़ब्दुल करीम यानी अबू उमैया के। क्योंकि अय्यूब ने उसका तज़्किरा करने के बाद कहा, अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये, वो सिक़ह नहीं था। उसने मुझसे इक्रिमा की एक हदीस़ पूछी फिर कहने लगा, मैंने इक्रिमा से सुना है।

फ़ायदा : ग़ैर सिक़ह होने के लिये इतनी बात काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुम्किन है उसने इक्रिमा से वो हदीस़ सुनी हो, फिर भूल गया हो। याद करने के लिये पूछा, लेकिन चूंकि दूसरे क़राइन और हालात से उसका ज़ौफ़ साबित हो गया था। इसलिये मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ क़रार दिया। इसलिये सुफ़ियान बिन उ़यय्ना, अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी अहमद बिन हम्बल, यहया बिन सईद अल्क़त्तान वग़ैरह जलीलुल क़द्र अइम्मा ने उसे ज़ईफ़ क़रार दिया है।

حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا

(63) हम्माम कहते हैं, हमारे पास अबू दाऊद आ़मा आया और कहने लगा, हमें बराअ (रज़ि.) ने हदीस़ सुनाई, हमें ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने हदीस़ सुनाई। चुनाँचे उस वाक़िये का तज़्किरा हमने क़तादा से किया तो उसने

سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ

कहा, झूठ बोलता है। उसने किसी सहाबी से नहीं सुना। ये तो मंगता (सवाली) था। तबाहकुन ताऊन के वक़्त लोगों के सामने भीख माँगने के लिये हाथ फैलाता था।

फ़ायदा : जरफ़ का असल मानी बहा ले जाना है। और हरफ़ का मानी बेलचा वग़ैरह से मिट्टी खोदना या खुरेचना है। इसलिये हमागीर तबाही मचाने वाली मौत को जारिफ़ कहते हैं और तबाहकुन वबा को ताऊने जारिफ़ का नाम दिया गया है। ये सहीह क़ौल के मुताबिक़ 87 हिजरी में वाक़ेअ़ हुआ था। अबू दाऊद आमा ग़ाली राफ़ज़ी है और बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ है (ये हादसा बसरा में वाक़ेअ़ हुआ था)।

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ لاَ يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً وَلاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً إِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

(64) हम्माम कहते हैं अबू दाऊद आमा क़तादा के यहाँ आया। फिर जब वो चला गया तो हाज़िरीन ने कहा, उसका दावा है कि मैं अठारह बद्री सहाबियों को मिला हूँ। तो क़तादा ने कहा, ये तो ताऊन से पहले माँगता था। उन अहादीस़ से इसको कुछ दिलचस्पी या वास्ता न था और न उनके बारे में बातचीत करता था। अल्लाह की क़सम! हमें हसन बसरी ने किसी बद्री सहाबी से बराहे रास्त सुनकर हदीस़ नहीं सुनाई और न ही सईद बिन मुसय्यब ने हमें किसी बद्री से रू-ब-रू सुनकर हदीस़ सुनाई। सिवाय हज़रत सअ़द बिन मालिक (अबी वक़्क़ास) के।

फ़ायदा : हज़रत हसन बसरी (रह.) और सईद बिन मुसय्यब जलीलुल क़द्र और बड़े ताबेईन में से हैं जो इल्म और उ़म्र दोनों में अबू दाऊद आमा से ऊँचे और निहायत बुलंद हैं। अगर उनको बद्री सहाबी से बराहे रास्त रिवायत करने का मौक़ा नहीं मिल सका, हालांकि वो इल्मे हदीस़ के इन्तिहाई शैदाई थे तो उस अन्धे को अठारह बद्री सहाबियों से शर्फ़े मुलाक़ात कैसे हासिल हो गया। ये सिर्फ़ झूठ और बोहतान है (तो तसव्वुफ़ का सिलसिला हज़रत हसन बसरी के वास्ते से हज़रत अ़ली से कैसे शुरू हो गया)।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ

(65) रक़बा (रह.) कहते हैं, अबू जाफ़र हाशमी मदनी हक़ और सच्ची बातों को हदीसें बनाकर नबी (ﷺ) से बयान करता

كَلاَمَ حَقٌّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

था, जबकि वो अहादीसे नबवी नहीं हैं।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ .

(66) यूनुस बिन उबैदा कहते हैं अम्र बिन उबैद (मुअतज़िली) हदीस में झूठ बोलता था।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَ كَذَبَ وَاللَّهِ عَمْرٌو وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيثِ .

(67) मुआज़ बिन मुआज़ कहते हैं, मैंने औफ़ बिन अबी जमीला से पूछा, अम्र बिन उबैद हमें हसन बसरी से ये हदीस बयान करता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स हम पर हथियार उठाये वो हममें से नहीं है।' औफ़ ने क़सम उठाकर कहा, अम्र झूठा है लेकिन उसका मक़सद ये है इस हदीस से अपने ख़बीस नज़रिये को तक़वियत पहुँचाये और इसको साबित करे (हूज़ का मानी है जमा करना, इकट्ठा करना)।

फ़ायदा : ये हदीस नफ़्सुल अम्र और हक़ीक़ते वाक़िया के ऐतबार से सहीह है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने ख़ुद ये हदीस बयान की है और इस हदीस का सहीह मफ़्हूम ये है कि बिला शरई ज़रूरत के किसी मुसलमान के क़त्ल के दरपे होना, मुसलमान का शेवा नहीं है। इसलिये ऐसा इंसान हमारे तरीक़े और रास्ते को छोड़ देता है। लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो मुअतज़िला कहते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ, कबीरा गुनाह करने वाला, ईमान से ख़ारिज हो जाता है अगरचे काफ़िर नहीं होता, लेकिन काफ़िरों की तरह हमेशा-हमेशा दोज़ख़ में रहेगा, जबकि असल हक़ीक़त ये है कि कबीरा गुनाह करने वाला मुसलमान, फ़ासिक़ और नाफ़रमान मुसलमान है। मुसलमान का मानी इताअत और फ़रमांबरदारी करने वाला है और ये मुसलमान के शेवे इताअत व फ़रमांबरदारी से निकल गया है। इसलिये मुज्रिम और गुनाहगार होने की वजह से अगर तौबा न करे या अल्लाह तआला अपनी रहमत से बख़्श न दे, तो

सज़ा का मुस्तहिक़ है और सज़ा भुगतने के बाद या सिफ़ारिश की क़ुबूलियत की सूरत में सिफ़ारिश से दोज़ख़ से निकल आयेगा।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ حَمَّادٌ سَمَّاهُ يَعْنِي عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ إِنَّمَا نَفِرُّ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

(68) हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, एक आदमी हमेशा अय्यूब के साथ रहता और उनसे हदीस़ सुनता था। चुनाँचे अय्यूब (रह.) ने उसे गुम पाया (तो साथियों से पूछा) तो हाज़िरीने मज्लिस ने कहा, ऐ अबू बकर! वो तो अ़म्र बिन उ़बैद के साथ चिपक गया है यानी उसका हमनशीं बन गया है, हमइल्म हो गया है। हम्माद कहते हैं, जबकि एक दिन मैं सुबह-सवेरे अय्यूब के साथ बाज़ार की तरफ़ जा रहा था। तो सामने से वो शख़्स आ गया। चुनाँचे अय्यूब ने उसे सलाम कहा और हाल-अहवाल पूछा। फिर अय्यूब ने उसे कहा, मुझ तक ये बात पहुँची है तू उस आदमी का हमनशीं हो गया है। हम्माद कहते हैं, अय्यूब ने अ़म्र का नाम लिया। उसने कहा, हाँ! ऐ अबू बकर! क्योंकि वो हमें अ़जीबो-ग़रीब बातें सुनाता है। अय्यूब ने उससे कहा, उन्ही अ़जाइब से तो हम भागते या डरते हैं (क्योंकि उन ग़राइब को हदीसें बताना झूठ है और अगर ये राय या अक़्वाल हैं तो बिदअ़त हैं।)

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ- يَعْنِي حَمَّادًا- قَالَ قِيلَ لأَيُّوبَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ فَقَالَ كَذَبَ

(69) हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, अय्यूब को बताया गया कि अ़म्र बिन उ़बैद हसन बसरी से नक़ल करता है कि नबीज़ से नशा आने पर नशेड़ी को हद (कोड़े) नहीं लगायेंगे। तो उन्होंने कहा, उसने झूठ बोला है। मैंने ख़ुद हज़रत हसन को ये कहते सुना

أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ.

है, नबीज़ से नशा आने पर नशेड़ी को हद लगाई जायेगी।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً لاَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ.

(70) सलाम बिन अबी मुतीअ़ कहते हैं, अय्यूब को पता चला कि मैं अ़म्र के पास जाता हूँ तो एक दिन वो मेरी तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगे, बताओ! एक शख़्स के दीन पर तुम्हें ऐतमाद नहीं है, उस पर हदीस़ के सिलसिले में कैसे ऐतमाद करोगे? यानी उसकी हदीस़ पर ऐतमाद नहीं हो सकता।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ.

(71) अबू मूसा कहते हैं, बिदअ़ती (मुअ़तज़िली, क़दरी) होने से पहले अ़म्र बिन उ़बैद ने हमें हदीसें सुनाईं।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ لاَ تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزِّقْ كِتَابِي.

(72) मुआ़ज़ अ़म्बरी कहते हैं, मैंने क़ाज़ी वासित, अबू शैबा के बारे में शोबा को ख़त लिखकर पूछा, उन्होंने मुझे जवाब लिखकर भेजा, उससे कोई हदीस़ न लिखो और मेरा ख़त फाड़ दो (ताकि वो इस ख़त की वजह से मुझे निशाना न बनाये)।

وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ كَذَبَ.

(73) अ़फ़्फ़ान कहते हैं, मैंने हम्माद बिन सलमा को सालेह व मुर्री की स़ाबित से एक हदीस़ सुनाई तो उन्होंने कहा, वो झूठा है और मैंने हम्माम को सालेह मुर्री की एक हदीस़ सुनाई तो उन्होंने भी कहा, उसने झूठ बोला है।

फ़ायदा : सालेह मुर्री भी आबिद, ज़ाहिद और पारसा इंसान था लेकिन हदीस़ के मामले में क़ाबिले ऐतमाद न था।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قَالَ لِي شُعْبَةُ ايتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً قَالَ : قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شيء قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا تَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى قَالَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ.

(74) अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, मुझे शोबा (रह.) ने कहा, तुम जरीर बिन हाज़िम के पास जाओ और उनसे कहो, आपके लिये हसन बिन उ़मारा से रिवायत बयान करना जाइज़ नहीं है क्योंकि वो झूठ बोलता है। अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, मैंने शोबा (रह.) से पूछा, ये कैसे है? (आपको किस तरह पता चला है) उसने जवाब दिया, हसन ने हमें हकम से कुछ हदीसें सुनाईं जिनकी मुझे कोई असल या बुनियाद नहीं मिली। मैंने कहा, वो कौनसी हदीसें हैं? शोबा ने कहा, मैंने हकम से सवाल किया, क्या नबी (ﷺ) ने उहुद के शुहदा की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी है? हकम ने कहा, नहीं पढ़ी। जबकि हसन बिन उ़मारा, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की हदीस बयान करता है कि नबी (ﷺ) ने उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उनको दफ़न किया। मैंने हकम से पूछा, आपका ज़िना की औलाद के बारे में क्या नज़रिया है? उसने कहा, उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये। मैंने पूछा, किसकी रिवायत है? उसने कहा, हसन बसरी से रिवायत है। जबकि हसन बिन उ़मारा मुहद्दिसीन के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ है और हसन बिन उ़मारा ये रिवायत हकम की सनद से हज़रत अ़ली (रज़ि.) से बयान करता है।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ. وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَقَالَ حَلَفْتُ

(75) हसन हुल्वानी कहते हैं, मैंने यज़ीद बिन हारून से सुना, उन्होंने ज़ियाद बिन मैमून का ज़िक्र करके कहा, मैंने क़सम उठाई है कि मैं उससे और ख़ालिद बिन मज्दूह से

أَلاَّ أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ. وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ. وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ.

कोई रिवायत बयान नहीं करूँगा। क्योंकि मैं ज़ियाद बिन मैमून को मिला और उससे एक हदीस के बारे में पूछा, तो उसने मुझे वो बकर मुज़नी से सुनाई। फिर मैंने उसकी तरफ़ दोबारा रुजूअ किया तो उसने मुझे वो मुवर्रिक़ से सुना दी। फिर मैं उसे तीसरी बार मिला तो उसने मुझे वो हसन से सुना दी और यज़ीद बिन हारून उन दोनों (ज़ियाद, ख़ालिद) को झूठा क़रार देता था।

हुल्वानी कहते हैं, मैंने अ़ब्दुस्समद के पास ज़ियाद बिन मैमून का ज़िक्र किया तो उसने कहा, वो झूठा है।

फायदा : ज़ियाद बिन मैमून को इमाम बुख़ारी (रह.) ने मतरूकुल हदीस क़रार दिया है और ख़ालिद को इमाम नसाई वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ لِيَ اسْكُتْ فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنَسًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ

(76) महमूद बिन गैलान (रह.) कहते हैं, मैंने अबू दाऊद तयालिसी (रह.) से कहा, आपने अ़ब्बाद बिन मन्सूर से बहुत सी रिवायतें बयान की हैं तो क्या वजह है आपने उससे अ़त्तारा की हदीस नहीं सुनी? जो हमें नज़र बिन शुमैल (रह.) ने सुनाई? उन्होंने मुझे कहा, ख़ामोश हो जा क्योंकि मैं और अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी दोनों ज़ियाद बिन मैमून को मिले। तो हमने उससे पूछा, ये अहादीस जो तुम हज़रत अनस (रज़ि.) से बयान करते हो? (उनकी क्या हक़ीक़त है) तो उसने कहा, बताओ! एक आदमी गुनाह करता है फिर तौबा कर लेता है, तो क्या अल्लाह उसकी तौबा क़ुबूल नहीं कर लेता? हमने कहा, माफ़ कर देता है। उसने कहा, मैंने

فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُوبُ. ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ. فَتَرَكْنَاهُ.

उन अहादीस में से कम या ज़्यादा हज़रत अनस (रज़ि.) से कुछ नहीं सुना। अगर आम लोगों को इल्म नहीं है तो क्या आप दोनों को भी इल्म नहीं है। मेरी हज़रत अनस (रज़ि.) से मुलाक़ात ही नहीं हुई। अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, हमें बाद में ख़बर पहुँची कि वो फिर हज़रत अनस से रिवायत करता है तो मैं और अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी उसके पास आये, तो उसने कहा, मैं तौबा करता हूँ, बाद में वो फिर बयान करने लगा, तो हमने उसको छोड़ दिया (कि ये तो झूठा आदमी है)।

फ़ायदा : ज़ियाद बिन मैमून, हज़रत अनस (रज़ि.) से मदीना की एक हौला नामी इत्र बेचने वाली औरत की तवील रिवायत बयान करता था।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَيُّ شيءِ هَذَا قَالَ يَعْنِي تُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ قَالَ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلاَلٍ بِأَيَّامٍ مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

(77) शबाबा कहते हैं, अ़ब्दुल क़ुद्दूस हमें हदीस सुनाता और रावी का नाम सुवैद बिन अक़ला लेता और मतन यूँ सुनाता रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रौह को अ़र्ज़ बनाने से मना फ़रमाया। उससे पूछा गया, ये क्या हुआ? यानी इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा, हवा के दाख़िल होने के लिये दीवार में सूराख़ या खिड़की रखना मना फ़रमाया।

उ़बैदुल्लाह बिन उ़मेर क़वारीरी कहते हैं, मैंने सुना, हम्माद बिन ज़ैद किसी आदमी को कह रहे थे जबकि वो शख़्स महदी बिन हिलाल के पास कुछ दिन बैठ चुका था ये तुम्हारी तरफ़ से फूटने वाला नमकीन चश्मा कैसा है? उसने कहा, हाँ, ऐ अबू इस्माईल (ये हम्माद बिन ज़ैद की कुन्नियत है) वो ऐसा ही है यानी वाक़ेई ज़ईफ़ है।

फ़ायदा : अ़ब्दुल क़ुद्दूस ने सनद और मतन दोनों में ग़लती की है। रावी का नाम अक़ला नहीं है, बल्कि ग़फ़ला है। यानी ऐन की जगह ग़ैन और क़ाफ़ की जगह फ़ा है। मतन में रूह है यानी रा पर पेश है और उसने ज़बर पढ़ा और ग़र्ज़ (निशाने) को अ़रज़ बना दिया। हदीस़ का मानी ये है, जानदार को बांधकर निशाना बनाकर मारने से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ إِلاَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَيَّ.

(78) अबू अ़वाना कहते हैं, मुझे हसन से जो रिवायत भी पहुँची मैं वो लेकर अबान बिन अ़य्याश के पास आ गया तो उसने वो मुझे (झूठ के तौर पर) सुना दी।

وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ عَلِيٌّ فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً.

(79) अ़ली बिन मुस्हिर कहते हैं, मैंने अबू हम्ज़ा ज़य्यात बिन अबी अ़य्याश से तक़रीबन एक हज़ार रिवायत सुनीं। अ़ली बिन मुस्हिर कहते हैं, बाद में मैं हम्ज़ा से मिला तो उसने मुझे बताई। मैंने ख़्वाब में नबी (ﷺ) की ज़ियारत की तो आप पर अबान से सुनी हुई अहादीस़ पेश कीं। तो आपने उनमें से चंद एक पाँच या छः के सिवा किसी हदीस़ को न पहचाना।

फ़ायदा : ख़्वाब दलील या हुज्जत व सनद नहीं बन सकता, लेकिन किसी हक़ीक़त और नफ़्सुल अम्र चीज़ के बारे में दिल के इत्मीनान का बाइस़ बन सकता है। अबान बिन अ़य्याश का ज़ौफ़ ख़ारिज और नफ़्सुल अम्र में स़ाबित है। इस ख़्वाब की बुनियाद पर इसको ज़ईफ़ क़रार नहीं दिया गया, ख़्वाब से सिर्फ़ एक हक़ीक़त के बारे में इत्मीनान हुआ है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ

(80) ज़करिय्या बिन अ़दी कहते हैं, मुझे अबू इस्हाक़ फ़ज़ारी ने कहा, बक़िय्या से सिर्फ़ वो हदीस़ें लिखो जो वो मअ़रूफ़ और मशहूर रावियों से बयान करता है और जो रिवायात वो ग़ैर मअ़रूफ़ रावियों से बयान

الْمَعْرُوفِينَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِمْ.

करता है वो न लिखो और इस्माईल बिन अय्याश से किसी क़िस्म की रिवायत न लिखो, वो मअरूफ़ रावियों से बयान करता हो या ग़ैर मअरूफ़ से।

फ़ायदा : अबू इस्हाक़ ख़ुज़ाई का क़ौल जुम्हूर अहले इल्म के ख़िलाफ़ है वो कुछ इलाक़े के लोगों के बारे में सिक़ह है और कुछ के सिलसिले में ग़ैर सिक़ह।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ

(81) अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं, बक़िय्या अच्छा आदमी था, अगर वो नामों की जगह कुन्नियत और कुन्नियत की जगह नाम न लेता, एक लम्बे अरसे तक वो हमें अबू सईद वुहाज़ी से रिवायत सुनाता रहा तो हमने ग़ौर व फ़िक्र किया तो मालूम हुआ वो अब्दुल क़ुद्दूस है (जो ज़ईफ़ रावी है)।

फ़ायदा : कुछ लोग रावियों का ऐब छिपाने के लिये अगर वो नाम से मअरूफ़ हों तो उनकी रिवायत कुन्नियत बदल कर लेते और अगर कुन्नियत से मअरूफ़ हों तो उसका नाम लेना शुरू कर देते। मक़सद ये होता कि उनके ज़ौफ़ का पता न चल सके।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ كَذَّابٌ إِلاَّ لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ كَذَّابٌ.

(82) अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बयान करते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक को कभी अब्दुल क़ुद्दूस के सिवा किसी को साफ़ तौर पर झूठा कहते नहीं सुना, मैंने उनसे उसको कज़्ज़ाब कहते सुना।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ. فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(83) अबू नुऐम कहते हैं, मुअल्ला बिन उरफ़ान ने कहा, हमें अबू वाइल ने बताया कि जंगे सिफ़्फ़ीन के मौक़े पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) हमारे सामने आये, तो अबू नुऐम ने कहा, क्या तुम्हारे ख़याल के मुताबिक़ वो मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा हो गये थे?

मफ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की वफ़ात हज़रत उसमान (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में 32 हिजरी या 33 हिजरी को हुई है और जंगे सिफ़्फ़ीन हज़रत अली (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में 37 हिजरी को हुई। ये मुअल्ला बिन इरफ़ान का अबू वाइल पर इफ़्तिरा है।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ اغْتَبْتَهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ مَا اغْتَابَهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

(84) अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम कहते हैं, हम इस्माईल बिन उलय्या की मज्लिस में हाज़िर थे कि एक शख़्स ने दूसरे शख़्स से हदीस़ बयान की तो मैंने कहा, ये तो सिक़ह और क़ाबिले ऐतमाद नहीं है। उसने कहा, तुमने उसकी ग़ीबत की है। इस्माईल ने कहा, उसने ग़ीबत नहीं की, लेकिन ये हक़ीक़त बताई है कि वो सिक़ह नहीं है (और रावी की असलियत ज़ाहिर करना ग़ीबत नहीं है)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَؤُلاَءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي قُلْتُ لاَ قَالَ لَوْ

(85) बिश्र बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने इमाम मालिक बिन अनस (रज़ि.) से मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, जो हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत करता है के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, वो क़ाबिले ऐतमाद नहीं है और मैंने उनसे तवामा के आज़ाद किये गये गुलाम सालेह के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, वो सिक़ह नहीं है, मैंने उनसे अबुल हुवैरिस़ (अब्दुर्रहमान बिन मुआविया) के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, वो मोतबर नहीं है। मैंने उनसे उस शोबा के बारे में पूछा, जिससे इब्ने अबी ज़िअब (मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन मुग़ीरह अल्कुरशी) रिवायत करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, वो

كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي.

क़ाबिले ऐतमाद नहीं है और मैंने उनसे हराम बिन उ़स्मान के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, वो क़ाबिले ऐतमाद नहीं है। मैंने इमाम मालिक से उन पाँच के बारे में पूछा, चुनाँचे उन्होंने उन सबके बारे में फ़रमाया, वो हदीस़ बयान करते ही, मोतबर नहीं है और मैंने उनसे एक और आदमी के बारे में पूछा, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने उससे मेरी किताबों में रिवायत देखी है? मैंने कहा, नहीं। फ़रमाया, अगर वो स़िक़ह होता तो उससे मेरी किताबों में रिवायत देख लेते।

फ़ायदा : इमाम मालिक ने अपनी किताबों में सिर्फ़ उन रावियों से रिवायत दर्ज की है जो उनके नज़दीक स़िक़ह और क़ाबिले ऐतमाद थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब दूसरे अइम्मा के नज़दीक भी स़िक़ह और मोतबर हों और वो शोबा जिसको इमाम मालिक ग़ैर स़िक़ह क़रार देते हैं। ये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के आज़ाद किये गये ग़ुलाम और उनका शागिर्द था, जिसको क़ुरशी और हाशमी कहते थे। अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मईन ने उसके बारे में कहा, लैसा बिही बअ्स और मअरूफ़ और मशहूर शोबा बिन अल्हज्जाज वो तो एक जलीलुल कद्र, बुलंद पाया मुहद्दिस़ हैं जिनका शुमार अइम्मा जरह व तअ़दील में होता है।

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا.

(86) हज्जाज कहते हैं, हमें इब्ने अबी ज़िअब ने शुरहबील बिन सअ़द से रिवायात सुनाईं लेकिन वो हदीस़ में मुत्तहम था यानी उस पर झूठ बयानी का इल्ज़ाम है।

फ़ायदा : शुरहबील बिन सअ़द ये मग़ाज़ी का जलीलुल क़द्र इमाम है और बक़ौल इब्ने उ़यय्ना, मग़ाज़ी में उससे बढ़कर कोई न था। लेकिन ये आख़िर में इन्तिहाई तंगदस्त हो गया और किज़्ब बयानी से काम लेने लगा। हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित और दूसरे सहाबा किराम से रिवायत ली है। आख़िर में इख़्तिलात का शिकार हो गया। इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इसकी रिवायत ली हैं।

(87) हज़रत इब्ने मुबारक कहते हैं, मुझे अब्दुल्लाह बिन मुहर्रिर से मिलने का इस क़द्र शौक़ था कि अगर मुझे ये इख़्तियार दिया जाता कि जन्नत में दाख़िल हो जाओ या अब्दुल्लाह बिन मुहर्रिर से मिल लो, तो मैं ये पसंद करता कि पहले उससे मिलूँ फिर जन्नत में दाख़िल हूँ। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरे नज़दीक मींगनी की उससे ज़्यादा क़द्र थी (यानी जब इस क़द्र शौक़ और अक़ीदत के बाद मुलाक़ात का मौक़ा मिला तो वो इन्तिहाई निकम्मा निकला)।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لاَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ.

(88) अब्दुल्लाह बिन अम्र बयान करते हैं, ज़ैद यानी इब्ने अबी उनैसा ने कहा, मेरे भाई से रिवायत न लो।

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ لاَ تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي.

फ़ायदा : मुहद्दिसीन के नज़दीक दीन यानी क़ुरआन व हदीस का तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ाअ़ इस क़द्र अहम और अ़ज़ीज़ था कि वो उसकी ख़ातिर किसी अ़ज़ीज़तरीन फ़र्द भाई, बाप और बेटे का भी लिहाज़ नहीं करते थे, उनके ऐबों और नुक़्सों (कमियों) को भी बयान कर देते।

(89) उबैदुल्लाह बिन अम्र (रह.) कहते हैं, यहया बिन अबी उनैसा झूठा था।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلاَمِ الْوَابِصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّابًا.

(90) हम्माद बिन ज़ैद बयान करते हैं अय्यूब के सामने फ़रक़द (सख़ी, आबिद, ज़ाहिद) का ज़िक्र किया गया तो उन्होंने कहा, वो हदीस का अहल नहीं है।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

फ़ायदा: अबू याक़ूब फ़रक़द बिन याक़ूब ताबेई एक जलीलुल क़द्र आबिद, ज़ाहिद था लेकिन उसका हाफ़िज़ा निकम्मा था। इसलिये मुरसल और मौक़ूफ़ रिवायात को भी ग़ैर शऊरी तौर पर मरफ़ूअ़ और मुसनद बना डालता था इसलिये इमाम साजी ने लिखा है कि वो अहकाम व सुनन में लायक़े ऐतमाद और हुज्जत नहीं है।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ فَضَعَّفَهُ جِدًّا فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

(91) अ़ब्दुर्रहमान बिन बिश्र अ़बदी बयान करते हैं, यहया बिन सईद क़त्तान के सामने मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बैद बिन उ़मैर लैसी का ज़िक्र किया गया। तो उन्होंने उसे बहुत ज़ईफ़ क़रार दिया। यहया से पूछा गया, क्या वो याक़ूब बिन अ़ता से भी ज़्यादा ज़ईफ़ है? उन्होंने कहा, हाँ! फिर कहा, मैं नहीं समझता कि कोई मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बैद बिन उ़मैर से रिवायत करता होगा।

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَعْلَى وَضَعَّفَ يَحْيَى مُوسَى بْنَ دِينَارٍ قَالَ حَدِيثُهُ رِيحٌ. وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ : قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلاَّ حَدِيثَ ثَلاَثَةٍ لاَ تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

(92) बिश्र बिन हकम (रह.) बयान करते हैं, मैंने यहया बिन सईद क़त्तान से सुना, उन्होंने हकीम बिन जुबैर और अ़ब्दुल आ़ला को ज़ईफ़ क़रार दिया और यहया बिन मूसा की तज़्ईफ़ की और फ़रमाया, उसकी हदीस़ रीह (हवा) है, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है और उन्होंने मूसा बिन दहक़ान और ईसा बिन अबी ईसा मदनी को भी ज़ईफ़ क़रार दिया और हसन बिन ईसा कहते हैं, मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, जब तुम जरीर की ख़िदमत में हाज़िर हो तो उसका तमाम इल्म (अहादीस़) लिख लेना, मगर तीन रावियों की रिवायात, उ़बैदा बिन मुअ़त्तिब, सरी बिन इस्माईल और मुहम्मद बिन सालिम की रिवायात न लिखना (क्योंकि ये तीनों ज़ईफ़ और मतरूक रावी हैं)

फ़ायदा : यहया बिन मूसा बिन दीनार का लफ़्ज़ किसी रावी का वहम है। क्योंकि इमाम मुस्लिम (रह.) का मक़सद तो ये है कि यहया ने यानी यहया बिन सईद क़त्तान ने मूसा बिन दीनार को ज़ईफ़ क़रार दिया। ये मक़सद तो नहीं है कि यहया बिन मूसा को ज़ईफ़ क़रार दिया।

قَالَ مُسْلِمٌ وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا .

इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, अहले इल्म का हदीस़ में मुत्तहम रावियों पर नक़्द और उनके ऐबों और नुक़्सों की आगाही व इत्तिलाअ़ के बारे में हमने जो कलाम नक़ल किया है इस जैसा कलाम बहुत ज़्यादा है। अगर हम सब का इस्तीआब करें तो उसके बयान से किताब में तवालत पैदा हो जायेगी और हमने अइम्मा का जो कलाम बयान कर दिया है जो इंसान के अक़्वाल और बयान को समझ लेगा और मुहद्दिसीन के तर्ज़े अ़मल को जान लेगा। उसके लिये हमने जो कुछ बयान कर दिया है वही काफ़ी है (क्योंकि असल मक़सूद तो मुहद्दिसीन का रावियों के सिलसिले में तर्ज़े अ़मल बयान करना है, ताकि उसको नमूना और मैयार बनाया जाये, जरह व तअ़दील की कोई मुस्तक़िल किताब लिखनी तो मत्लूब नहीं है, इस फ़न्न पर तो अलग और मुस्तक़िल किताबें मौजूद हैं)।

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذِ الأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ

और मुहद्दिसीन ने हदीस़ के रावियों और अख़्बार (हदीस़) नक़ल करने वालों के नक़ाइस बयान करने (लिखवाने) का अपने आपको सिर्फ़ इस वजह से पाबंद बनाया है और जब उनसे उसके बारे में पूछा गया तो उसके जवाज़ का फ़तवा दिया क्योंकि ये बहुत अहमियत और शान वाला काम है। क्योंकि दीन के मामले के सिलसिले में जो अख़्बार व अहादीस़ वारिद हुई हैं उनमें तो किसी चीज़ हिल्लत या हुरमत, या हुक्म या नही या तरग़ीब (शौक़ व रग़बत दिलाने) या तरहीब (ख़ौफ़ व डर लाने) का बयान है तो जब उनके बयान करने वाला रावी सिद्क़ व अमानत का मम्बअ़ (सर चश्मा) नहीं है। यानी सिद्क़ व अमानत से मुत्तसिफ़ नहीं है। फिर उसके बावजूद

يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لاَ أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَ مَقْنَعٍ .

उनसे रिवायत करने का इक़्दाम व जसारत ऐसा शख़्स करता है जो उनकी मअरिफ़त और पहचान रखता है और उसके ऐब व नुक़्स को उन दूसरों के लिये बयान नहीं करता जो उनकी असल हक़ीक़त या असलियत की मअरिफ़त नहीं रखता, तो ऐसा इंसान इस किल्माने इल्म की बिना पर गुनाहगार होगा और मुसलमान अवाम से फ़रेब और दग़ा करने वाला होगा, क्योंकि जो लोग उन अख़्बार (अहादीस़) को सुनेंगे उनमें से कुछ के बारे में इससे बेख़ौफ़ या मुत्मइन नहीं हुआ जा सकता कि वो उन अहादीस़ पर अमल करेंगे या उनमें से कुछ अहादीस़ पर अमल करेंगे और मुम्किन है ये सब या इनमें से अक्सर रिवायात झूठ हों, जिनकी कोई असलियत या हक़ीक़त ही न हो, हालांकि सिक़ह और मोतबर रावियों जिन पर क़नाअत व ऐतमाद हो सकता है (क्योंकि वो अदालत व ज़ब्त से मुत्तसिफ़ हैं) की सहीह रिवायात इस क़द्र ज़्यादा हैं कि उनकी मौजूदगी में नाक़ाबिले ऐतमाद और जिन पर क़नाअत व ऐतमाद नहीं हो सकता की रिवायात नक़ल करने की मजबूरी या ज़रूरत नहीं है।

फ़ायदा : अहादीस़, क़ुरआन का बयान और तौज़ीह और तशरीह हैं। उसके इज्माल की तफ़्सील, मुश्किल की तशरीह और मुजमल की तौज़ीह और अमली बयान हैं। इसलिये उन पर दीन का दारोमदार और इन्हिसार है। उनके बग़ैर क़ुरआन और दीन का फ़हम और उस पर अमल मुम्किन नहीं है। इसलिये उनका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ाअ, मिलावट और इख़्तिलात से पाक-साफ़ रखना उम्मत का फ़रीज़ा है और अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूल और आम मुसलमानों की ख़ैरख़्वाही व नसीहत का तक़ाज़ा है कि इस फ़रीज़े को सर अन्जाम दिया जाये कि सहीह हदीस़ों में बातिल, मुन्कर और ज़ईफ़ हदीस़ों की मिलावट न हो सके और ये काम इसके बग़ैर मुम्किन नहीं है कि हदीस़ बयान करने वाले रावियों के उयूब व नक़ाइस को नावाक़िफ़ लोगों के सामने बयान कर दिया जाये। ताकि वो उनसे धोखा न खा जायें और उनकी ग़लत और नाक़ाबिले ऐतबार बातों को हदीस़ समझकर क़ुबूल न कर लें, इससे अगरचे उनका शख़्सी वक़ार मंज्रूह होगा, लेकिन दीन व शरीअत और क़ुरआन व सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ाअ होगा, जो एक उम्मत

का एक इज्तिमाई और दीनी फ़रीज़ा है और उम्मत के इज्तिमाई मफ़ाद को शख़्सी और इन्फ़िरादी मफ़ाद की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता और सिक़ह और क़ाबिले ऐतमाद लोगों की सहीह रिवायात, इस कसरत से मौजूद हैं कि उनकी मौजूदगी में किसी बातिल, बेअसल और ज़ईफ़ रिवायत को क़ुबूल करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी ख़ातिर ग़ैर सिक़ह लोगों को गवारा कर लिया जाये। हाँ इसकी एक वजह वो हो सकती है जिसको आगे इमाम मुस्लिम (रह.) बयान करते हैं यानी अपनी कसरते मालूमात को अवामुन्नास पर धाक बिठाना कि देखो हमें किस क़द्र और कितनी अजीबो-ग़रीब हदीसें याद हैं।

وَلاَ أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلاَّ أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالاِعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلاَ نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلاً أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْعِلْمِ

और मैं समझता हूँ बहुत से वो लोग जिन्होंने उन ज़ईफ़ हदीसों और मज्हूल सनदों (जिन के रावियों के बारे में मालूम नहीं) की तरफ़ तवज्जह दी है और उनमें जो कमज़ोरी और ज़ौफ़ है, उसके जान लेने के बाद भी उनके बयान को क़ाबिले ऐतबार समझा है। उनकी ग़र्ज़ व सबब इसके सिवा कुछ नहीं है कि उन रिवायात को बयान करके और उनको शुमार करके अवाम के सामने अपने इल्म की कसरत व ज़्यादती साबित करें (कि हम बड़ी मालूमात रखते हैं, बड़े आलिम और फ़ाज़िल हैं) और ये कहा जा सके फ़लाँ शख़्स ने किस क़द्र ज़्यादा हदीसें जमा की हैं और कितनी तादाद में उनको जमा किया है और जो इंसान इल्म में इस तरह के रास्ते पर चलता है और इस डगर व तरीक़े को अपनाता है उसका सहीह इल्म में कोई हिस्सा नहीं है और उसको जाहिल कहना इससे ज़्यादा मुनासिब व बेहतर है कि उसकी इल्म की तरफ़ निस्बत की जाये और आलिम कहा जाये।

नोट : सहीह मुस्लिम बशरह नववी, मत्बअ मिस्र या अज़हर और पाकिस्तानी नुस्ख़ों में हदीस मुअनअन से एहतिजाज की सेहत का यहाँ उन्वान क़ायम किया गया है। इसलिये हमने ये इबारत यहाँ लिख दी है अगरचे अल्लामा नववी का नुस्ख़ा जो हमारे पेशे नज़र है उसमें ये उन्वान आगे आयेगा।

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ

हमारे मुआसिरीन में से कुछ हज़रात जो इल्मे हदीस की महारत का दावा रखते हैं, ने असानीद की तस्हीह (सहीह क़रार देना) और तस्क़ीम

لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا إِذِ الإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ أَحْرَى لإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإِ الْمُخْطِئِينَ وَالأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

(सक़ीम व कमज़ोर क़रार देना के बारे में) ऐसी बातचीत की है कि अगर हम उसकी नक़ल से ऐराज़ करें और उसके फ़साद व बिगाड़ के ज़िक्र से पहलूतही करें, तो एक पुख़्ता राय और सहीह नज़रिया होगा, क्योंकि नज़र अन्दाज़ करदा और गिरे पड़े क़ौल से ऐराज़ करना ही (इस पर तवज्जह और इसको अहमियत न देना) इसको मिटाने और इसके कहने वाले के नाम को गुम करने के लिये ज़्यादा मुनासिब है और ज़्यादा बेहतर और क़ाबिले क़ुबूल यही है कि उसका ज़िक्र करके उससे नावाक़िफ़ों को आगाह न किया जाये। मगर चूंकि हमें ये अन्देशा और ख़तरा महसूस हुआ कि इसका अन्जाम और नतीजा बुरा होगा, जाहिल लोग नई-नई बातों से धोखा खा जाते हैं (उन पर फ़रेफ़्ता और उनके दिलदादा हो जाते हैं) और बहुत जल्द ख़ता कर जाने वालों की ख़ता व ग़लती और उलमा की नज़र में गिरे-पड़े अक़्वाल का ऐतक़ाद कर लेते हैं, इसलिये हमारी राय यही ठहरी कि उसके क़ौल का फ़साद ज़ाहिर करें और बक़द्र लायक़, उसके क़ौल की तर्दीद करना लोगों के लिये ज़्यादा मुफ़ीद है और अन्जाम के लिहाज़ से ज़्यादा क़ाबिले तारीफ़ है, इन्शाअल्लाह!

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلاَمَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

और वो बात करने वाला शख़्स जिसके क़ौल की नक़ल और उसकी बद फ़िक्री या राय से आगाही से हमने कलाम का आग़ाज़ किया, उसका ख़याल व गुमान है कि हर वो हदीस़ जिसकी सनद में फ़ुलान अन फ़ुलान हो, जबकि हमें यक़ीनी तौर पर इल्म हो चुका हो कि वो दोनों एक दौर और ज़माने के हैं और ये मुम्किन

وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ- أَنَّ الْحُجَّةَ لاَ تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ- بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَلاَقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا- لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ وَالأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ. قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ

और जाइज़ है कि इस हदीस़ का रावी, जिस शख़्स से ये रिवायत कर रहा है, उससे उसे सुन चुका है और उसके मुँह से (रू-ब-रू) उसको ले चुका है, हाँ इतनी बात है, हमें उससे सिमाअ़ (सुनने) का इल्म नहीं है और किसी रिवायत में हम ये नहीं पाते कि वो कभी मिले हों या कोई हदीस़ रू-ब-रू (बिल्मुशाफ़ा) बयान की हो, तो उसके नज़दीक इस अन्दाज़े और तरीक़े पर आने वाली रिवायत हुज्जत नहीं बन सकती, (उससे इस्तिदलाल नहीं हो सकता) जब तक उसे इस बात का इल्म न हो जाये कि वो दोनों कभी अपने दौरे ज़माने में एक या उससे ज़्यादा बार इकट्ठे हुए थे या रू-ब-रू (आमने-सामने बैठकर) हदीस़ सुनाई थी या कोई ऐसी ख़बर व इत्तिलाअ़ हो जिसमें ये वज़ाहत हो कि वो दोनों अपने दौर में कभी एक या ज़्यादा मर्तबा जमा हुए थे और मिले थे, अगर उसे उसका इल्म न हो सके और कोई ऐसी सहीह रिवायत भी न हो जो ये ख़बर व इत्तिलाअ़ दे कि ये रावी अपने उस्ताद को एक बार मिल चुका है और उससे कुछ सुन चुका है तो ऐसी हदीस़ की नक़ल व ख़बर जिनकी रिवायत की सूरत वो है जो हम बयान कर चुके हैं (कि रावी और उसका उस्ताद हम ज़माना हैं और उनकी मुलाक़ात का इम्कान है) हुज्जत और दलील नहीं बन सकती और उस हदीस़ के बारे में उसके नज़दीक उस वक़्त तक तवक़्क़ुफ़ किया जायेगा यहाँ तक कि उसको पता चल जाये कि उसने अपने उस्ताद से कम या ज़्यादा हदीस़ सुनी है, ऐसे आने वाली किसी एक हदीस़ से सही।

फ़ायदा : फ़ुलान अन फ़ुलान की सूरत में बयान की गई हदीस़ को मुअनअन हदीस़ कहते हैं। चूंकि इस हदीस़ में रावी इस बात की तसरीह या वज़ाहत नहीं करता कि उसने ये हदीस़ अपने उस्ताद से सुनी है या उसने मुझसे बयान की है तो इसलिये ये शुब्हा पैदा हो जाता है शायद उसने अपने मरवी अ़न्हु जिससे रिवायत कर रहा है ये रिवायत रू-ब-रू और बिला वास्ता बराहे रास्त न सुनी हो, दरम्यान में कोई और वास्ता और रावी हो और ये रिवायत उस तक बिल्वास्ता; दूसरे रावी के ज़रिये पहुँचो हो और उसने इस वास्ते दूसरे रावी को नज़र अन्दाज़ कर दिया है और उसका नाम नहीं लिया। इस शुब्हा की बिना पर इस हदीस़ के हुज्जत और लायक़े इस्तिनाद होने में इख़्तिलाफ़ है। कुछ हज़रात के नज़दीक, मुअनअन हदीस़ किसी सूरत में हुज्जत नहीं है और इमाम मुस्लिम का नज़रिया ये है कि अगर रावी और मरवी अ़न्हु जिससे वो रिवायात बयान कर रहा है दोनों हम ज़माना हों और उनकी मुलाक़ात का इम्कान हो और रावी मुदल्लिस न हो, यानी जिस उस्ताद से उसे सिमाअ़ हासिल है, उससे ऐसी रिवायत बयान न करता हो जो उससे सुनी नहीं है किसी और से सुनी है और उसको गिराकर अ़न के ज़रिये ये रिवायत भी अपने उस्ताद की तरफ़ मन्सूब कर दी है। इमाम मुस्लिम और कुछ दूसरे हज़रात के नज़दीक ये रिवायत हुज्जत है अगरचे दोनों की मुलाक़ात ख़ारिज में स़ाबित न हो, सिर्फ़ इम्काने मुलाक़ात ही मुलाक़ात के क़ायम मक़ाम होगा। लेकिन इमाम अ़ली बिन अल्मदीनी, इमाम बुख़ारी वग़ैरह हज़रात का नज़रिया ये है कि जब तक एक या ज़्यादा बार मुलाक़ात स़ाबित न हो, सिर्फ़ मुलाक़ात का इम्कान हो, तो ये रिवायत हुज्जत या लायक़े इस्तदलाल नहीं है और सहीह क़ौल यही है, इम्काने मुलाक़ात काफ़ी नहीं है, मुलाक़ात का सुबूत और इल्म होना चाहिये। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस नज़रिये और राय की बड़े शद्दो-मद और इन्तिहाई सख़्त अन्दाज़ में तर्दीद की है और इस क़ौल के क़ाइल को जअ़ली और बनावटी मुहद्दिस़ क़रार दिया है। मालूम होता है इमाम मुस्लिम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके जलीलुल क़द्र उस्ताद अ़ली बिन अल्मदीनी और इमाम बुख़ारी का मौक़िफ़ भी यही है इसकी वजह हम आगे बयान करेंगे।

बाब 7 : हदीस़ मुअ़नअ़न से इस्तिदलाल करना, उसको हुज्जत व दलील बनाना दुरुस्त है

صِحَّةِ الاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيْثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ مُدَلِّس

وَهَذَا الْقَوْلُ- يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فِي الطَّعْنِ فِي الأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ

ये (ऊपर ज़िक्र किये गये) क़ौल, अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये सनदों पर तअ़न करने के सिलसिले में मनघड़त और नया क़ौल है। इस क़ाइल से पहले किसी ने ये नहीं कहा और अहले इल्म में से

صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلاَ مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلاَ تَشَافَهَا بِكَلاَمٍ فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا لاَزِمَةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلاَلَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَمَّا وَالأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتَّى تَكُونَ الدَّلاَلَةُ الَّتِي بَيَّنَّا. فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَإِلاَّ فَهَلُمَّ دَلِيلاً عَلَى مَا زَعَمْتَ فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي

कोई उसका मुआविन व हामी नहीं है। इसका सबब और वजह ये है कि अहादीस़ का इल्म रखने वाले क़दीम और जदीद अहले इल्म में शाया (मशहूर, फैला हुआ) इत्तिफ़ाक़ी क़ौल ये है कि हर वो शख़्स जो सिक़ह है और अपने जैसे सिक़ह से कोई हदीस़ बयान करता है और उससे उसकी मुलाक़ात और सिमाअ़ (हदीस़ सुनना) मुम्किन और जाइज़ है, क्योंकि वो दोनों एक दौर में थे (उनका ज़माना एक ही है) अगरचे किसी हदीस़ में कभी ये तसरीह नहीं मिली कि वो दोनों इकट्ठे हुए थे और उनकी रू-ब-रू, आमने-सामने बातचीत हुई थी। बहरहाल वो हदीस़ सहीह है और क़ाबिले हुज्जत है। इल्ला ये कि उसकी जगह इस बात की खुली दलील मौजूद हो कि ये रावी जिससे रिवायत बयान कर रहा है उससे मिला नहीं है या उससे कुछ सुना नहीं है। मगर इस सूरत में जबकि मामला मुब्हम हो (सिमाअ़ या अ़दमे सिमाअ़ की सराहत न हो) और इम्काने मुलाक़ात की वो सूरत मौजूद है जिसकी वज़ाहत हमने की है, तो फिर ये रिवायत हमेशा सिमाअ़ पर महमूल होगी (और मुत्तसिल समझी जायेगी) यहाँ तक कि उसके ख़िलाफ़ वाज़ेह दलालत मिल जाये कि उसने उससे कुछ नहीं सुना और न मिला है (फिर रिवायत मुत्तसिल और हुज्जत नहीं होगी) इस क़ौल के मूजिद, जिस का क़ौल हमने बयान किया है या उसका दिफ़ाअ़ करने वाले हिमायती से कहा जायेगा, अपने क़ौल में तुम ये मान चुके हो कि एक क़ाबिले ऐतमाद शख़्स की दूसरे क़ाबिले ऐतमाद शख़्स से रिवायत ऐसी हुज्जत है जिस पर अ़मल करना ज़रूरी है फिर बाद में तुमने एक शर्त

تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلاَ غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلاً وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلاً يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ

दाख़िल कर दी है (शर्त लगा दी है) और आप कहते हैं, यहाँ तक कि हम जान लें, वो दोनों एक या ज़्यादा बार मिल चुके हों या उसने उससे कोई हदीस़ सुनी हो तो क्या आप ये शर्त जो आपने लगा दी है किसी ऐसे शख़्स के यहाँ पाते हैं, जिसका क़ौल मानना ज़रूरी व लाज़िमी है? अगर नहीं तो अपने दावे पर कोई दलील पेश करें। अगर वो सलफ़ उलमा में से किसी के क़ौल का दावा करे कि जिस शर्त का हदीस़ के इत्तिसाल के सुबूत के लिये उसने दावा किया है वो उसका क़ौल भी है, तो उससे उसका मुताल्बा किया जायेगा और उसे या किसी और को उस क़ौल के पेश करने की सूरत या राह न मिल सकेगी और अगर वो अपने दावे के हक़ में क़ाबिले हुज्जत दलील पेश करने का दावा करे तो उससे कहा जायेगा वो कौनसी दलील है? (पेश करो)।

फ़ायदा : इरसाल का मानी है आज़ाद करना, खोल देना। यानी किसी रावी को छोड़ देना। इसलिये मुरसल रिवायात वो होंगी जिस किसी सनद से कोई रावी गिरा हो, चूंकि गिरने वाले रावी का पता नहीं है कि वो कौन है इसलिये जुम्हूर मुहद्दिसीन और बहुत से उसूली और फ़ुक़्हा हज़रात के नज़दीक ये हुज्जत और सनद नहीं बन सकती। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और अहमद के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ मुरसल रिवायात हुज्जत है, बशर्ते कि इरसाल करने वाला क़ाबिले ऐतमाद और सिक़ह और सिक़ह ही से इरसाल करता हो। लेकिन सवाल ये है क्या ये ज़रूरी है अगर वो उसके नज़दीक सिक़ह है तो दूसरों के नज़दीक भी सिक़ह हो?

فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ وَلاَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى

अगर वो ये कहे, मैंने ये शर्त की बात इसलिये की है कि मैंने पुराने और नये (क़दीम और जदीद) हदीस़ के रावियों को देखा है एक दूसरे से हदीस़ रिवायत करता है। हालांकि उसने (दूसरे को) देखा तक नहीं है और न उसने उससे कभी सुना है तो जब मैंने ये सूरते हाल देखी है कि उन्होंने आपसी तौर पर हदीस़ को मुरसल (इन्क़िताअ, बिला

الإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ- وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ- احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لأَدْنَى شَيْءٍ ثَبَتَ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي عَنْهُ بَعْدُ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجَّةٍ لإِمْكَانِ الإِرْسَالِ فِيهِ. فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَنْ لاَ تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ

सिमाअ) तौर पर बिला सिमाअ बयान करना रवा रखा है (उसकी इजाज़त दी है) जबकि मुरसल रिवायात हमारे उसूली क़ौल और हदीसों के इल्म रखने वाले हज़रात के क़ौल की रू से हुज्जत नहीं है तो इस तर्ज़े अमल की वजह से जो मैंने बयान किया है मुझे ज़रूरत और हाजत लायक़ हुई कि मैं रावी की हर हदीस की जो वो दूसरे रावी से बयान करता है उसके सिमाअ की तलाश और कुरेद करूँ। तो जब मुझे उसके किसी चीज़ के सुनने की आगाही या वाक़िफ़ियत हो जायेगी तो उससे मेरे नज़दीक उसकी तमाम रिवायात जो दूसरे रावी से करता है, साबित हो जायेंगी (मैं समझ लूँगा कि उसने सब रिवायात सुनी हैं) लेकिन अगर ये मअरिफ़त मुझे हासिल न हो सकेगी (मुझसे मख़्फ़ी और पोशीदा रहेगी) तो मैं रिवायत के बारे में तवक़्क़ुफ़ करूँगा और वो मेरे नज़दीक इरसाल के इम्कान की बिना पर हुज्जत व दलील के मक़ाम पर फ़ाइज़ नहीं होगी।

उसकी इस दलील के जवाब में उसे कहा जायेगा, अगर आपके नज़दीक हदीस को ज़ईफ़ क़रार देने और उससे एहतिजाज (हुज्जत बनाना) के तर्क कर देने की इल्लत और वजह उसमें इरसाल पाये जाने का इम्कान है तो आप पर लाज़िम आता है कि आप किसी मुअन्अन सनद की सेहत को तस्लीम न करें, जब तक आपको शुरू से आख़िर तक सिमाअ का सुबूत न मिल जाये। उसकी सूरत ये है कि हमारे सामने एक हदीस हिशाम बिन उरवा अन अबीह अन आइशा की सूरत में आती है तो हम यक़ीन के साथ जानते हैं, हिशाम ने अपने बाप से सुना है और उसका

أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلاً وَلاَ يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلاَ يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الإِرْسَالَ .

बाप हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुन चुका है। जैसाकि हमें ये इल्म है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से सुना है। लेकिन ये मुम्किन है जब हिशाम अपने बाप से रिवायत करते वक़्त किसी हदीस़ में समिअतु या अख़बरनी (मैंने सुना, उसने मुझे ख़बर दी) नहीं कहते (अन उरवा कहते हैं) तो उसके और उसके बाप के दरम्यान, उस रिवायत में कोई और इंसान हो जिसने उसे उसके बाप से ये हदीस़ सुनाई हो और उसने बज़ाते ख़ुद बराहे रास्त अपने बाप से न सुनी हो, लेकिन हिशाम ने उसको मुरसल सूरत में बयान करना पसंद किया और जिस शख़्स से सुना है उसकी तरफ़ उसकी निस्बत न की और जिस तरह ये इम्कान और एहतिमाल हिशाम और उसके बाप के सिलसिले में मौजूद है, वही एहतिमाल और इम्कान उसके बाप और हज़रत आइशा के सिलसिले में मौजूद है और इस तरह ये इम्कान हदीस़ की हर उस सनद में मौजूद होगा जहाँ रावी एक दूसरे से सुनने (सिमाअ) की सराहत नहीं करते, अगरचे इज्माली तौर पर उनमें से हर एक के बारे में ये मालूम है कि उसने अपने मरवी अ़न्हु से (जिससे वो रिवायत कर रहा है) बहुत कुछ सुना है, लेकिन हर एक के बारे में ये जाइज़ और मुम्किन है कि वो कुछ रिवायात में उस मक़ाम से नीचे आ जाये और उसकी कुछ रिवायात उससे किसी दूसरे के वास्ते से सुने, फिर कई बार उनको मुरसल सूरत में बयान कर दे और जिससे सुना है उसका नाम न ले और कुछ बार वो चाक व चौबंद हो तो जिस आदमी से वो हदीस़ सुनी है उसका नाम ले ले और इरसाल न करे।

ख़ुलास-ए-कलाम : इमाम मुस्लिम (रह.) के ऐतराज़ का ख़ुलासा ये है कि जब तुम्हारे नज़दीक इरसाल

के इम्कान और एहतिमाल की बिना पर हदीस़ हुज्जत नहीं है तो ये एहतिमाल और इम्कान तो तमाम मुअ़नअ़न सनदों में मौजूद रहेगा। क्योंकि मुलाक़ात के सुबूत से ये लाज़िम नहीं आता कि उसने अपने उस्ताद से तमाम रिवायात बराहे रास्त सुनी हों, कोई रिवायत भी दूसरों के वास्ते से न सुनी हो तो मुलाक़ात का सुबूत भी, इरसाल के इम्कान को ज़ाइल नहीं करता, इसलिये एक बार या एक हदीस़ के सिमाअ़ की शर्त लगाना बेसूद है, हर हदीस़ में शर्त लगाओ या किसी में भी न लगाओ।

ऐतराज़ का जवाब : इमाम मुस्लिम (रह.) के इस ऐतराज़ का जवाब ये है कि इस क़ौल का क़ाइल, एहतिमाल या इम्कान को ख़त्म और ज़ाइल करने के लिये ही तो ये शर्त लगाता है कि सिर्फ़ इम्कान या एहतिमाल मुलाक़ात के लिये काफ़ी नहीं और लिक़ा का सुबूत होना चाहिये। जब मुलाक़ात या सिमाअ़ साबित हो जायेगा तो फिर इरसाल का इम्कान या एहतिमाल ख़त्म हो जायेगा। बल्कि सिमाअ़ की जानिब राजेह होगी। क्योंकि जब रावी मुदल्लिस नहीं है तो वो ऐसी हदीस़ जो उसने अपने शैख़ से सुनी है उसको ऐसे सेग़े से बयान नहीं करेगा, जिसमें सुनने का वहम पैदा होता हो और जो रावी मुदल्लिस है, उसकी कोई रिवायत सिमाअ़ की सराहत के बग़ैर क़ुबूल नहीं क्योंकि वो रावी जो अपने उस्ताद से ऐसी रिवायत, सिमाअ़ का वहम पैदा करने के अल्फ़ाज़ के साथ बयान करता है जो उसने अपने उस्ताद से सुनी नहीं, तो वो मुदल्लिस है।

फ़ायदा : उस क़ाइल से मुराद जिसके क़ौल को इमाम मुस्लिम (रह.) बेअसल, मुख़्तरिअ़ या ग़ैर मस्बूक़ बिला दलील कह रहे हैं, इमाम बुख़ारी नहीं हो सकते, क्योंकि ये मुम्किन नहीं है, जिस उस्ताद की वो इन्तिहाई इ़ज़्ज़त करें, जिसकी ख़ातिर इमाम ज़ैली की सारी रिवायात उन्हें वापस कर दें, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए ये कहें, दअ़नी हत्ता उक़ब्बिला रिज्लैक या उस्ताज़ल उस्ताज़ीन सय्यिदिल मुहद्दिसीन औ सनदल मुहद्दिसीन व तय्यिबिल हदीसि फ़ी इललिही (मुक़द्दमा फ़तहुल बारी) ऐ उस्तादों के उस्ताद! ऐ मुहद्दिसों के सरदार, ऐ मुहद्दिसों के सहारा, मैयार और इलले हदीस़ (हदीस़ के मख़्फ़ी ऐबों) के माहिर, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके क़दम चूम लूँ और कहें, आपसे हासिद ही कीना और बुग़्ज़ रखेगा और मैं गवाही देता हूँ दुनिया में आपकी नज़ीर और तम्सील मौजूद नहीं है। क्या इमाम मुस्लिम, इमाम बुख़ारी को बनावटी और जअ़ली मुहद्दिस क़रार दे सकते हैं और इस क़द्र सख़्त लबो-लहजा अपना सकते हैं? और शैख़ैन (इमाम बुख़ारी, मुस्लिम) के बाद आने वाले मुहद्दिसीन ने भी इमाम बुख़ारी के मौक़िफ़ को वज़नी क़रार दिया है?

وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا

और जो एहतिमाल हमने बयान किया है वो वाक़ियतन नफ़्सुल अम्र में हदीस़ में मौजूद और मशहूर है, जो बड़े क़ाबिले ऐतमाद मुहद्दिसीन और अइम्मए इल्म की हदीस़ में पाया जाता है और हम कुछ हदीसें अपनी बयान की गई सूरत के मुताबिक़ बयान करते हैं, इन्शाअल्लाह

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

उनको नमूना बनाकर बहुत सी रिवायात से हमारे वाला इस्तिदलाल पेश किया जा सकता है, उन रिवायात में से एक रिवायत ये है जिसे अय्यूब सख़्तियानी, इब्ने मुबारक, वकीअ, नुमैर और उनके अलावा एक जमाअत अन हिशाम अन उरवा बिन अबीह अन आइशा (रज़ि.) बयान करते हैं, वो फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम खोलते और एहराम बांधते वक़्त, अपने पास मौजूद सबसे उम्दा ख़ुश्बू लगाती थी। यही रिवायत हू-ब-हू, लैस बिन सअद, दाऊद अता, हुमैद बिन अस्वद, वुहैब बिन ख़ालिद और अबू उसामा, हिशाम से यूँ बयान करते हैं, अख़्बरनी उसमान बिन उरवा, अन उरवा अन आइशा, अनिन्नबी (ﷺ)। हिशाम कहते हैं मुझे उसमान बिन उरवा ने उरवा से रिवायत बयान की और उसने उसे आइशा (रज़ि.) से बयान की।

ख़ुलास-ए-कलाम : पहली सनद में हिशाम अपने बाप से बराहे रास्त बयान करते हैं और दूसरी में अपने भाई उसमान के वास्ते से बयान करते हैं, जिससे साबित हुआ, हिशाम अपने बाप से कभी ये रिवायत मुरसलन बयान करते हैं और कभी मुस्नदन।

जवाब : हिशाम ने ये रिवायत पहले अपने भाई उसमान से सुनी और फिर बराहे रास्त अपने बाप उरवा से सुन ली, फिर उसको दोनों तरह बयान कर दिया।

इस तरह हिशाम अन अबीह अन आइशा (रज़ि.) बयान करते हैं, वो फ़रमाती हैं, नबी (ﷺ) जब एतकाफ़ बैठते, अपना सर मुबारक मेरे क़रीब करते तो मैं हैज़ की हालत में कंघी कर देती। यही रिवायत हू-ब-हू इमाम मालिक बिन अनस, अन ज़ोहरी, अन उरवा बिन अम्रह, अन आइशा, अनिन्नबी (ﷺ) बयान करते हैं। (इस तरह उरवा और आइशा (रज़ि.) के दरम्यान अम्रह का वास्ता है जबकि पहली रिवायत बिला वास्ता है।

जवाब : उरवा ने पहले ये रिवायत अम्रह से सुनी और फिर ख़ाला से बराहे रास्त सुन ली और इमाम तिर्मिज़ी के नज़दीक सहीह सूरते हाल ये है कि ज़ोहरी, उरवा और अम्रह दोनों से ये रिवायत बयान करते हैं, न कि अन उरवा अन अम्रह अन आइशा।

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

इमाम ज़ोहरी और सालेह बिन अबी हस्सान अबी सलमा अन आइशा बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा लेते थे और यहया बिन अबी कसीर बोसा की इस हदीस को अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वास्ते से उरवा से बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने मुझे बताया, नबी (ﷺ) रोज़े की हालत में, उनका बोसा लेते थे। इस तरह इस सनद में, अबू सलमा और हज़रत आइशा (रज़ि.) के दरम्यान दो वास्ते हैं। जबकि पहली सनद में कोई वास्ता नहीं है (इसका जवाब भी यही है, अबू सलमा ने ये हदीस दोनों तरह से सुनी है, बिला वास्ते में बीवी की तअयीन नहीं है, जबकि दूसरी सनद जिसमें वास्ते से बीवी का तअय्युन है कि वो बीवी ख़ुद हज़रत आइशा (रज़ि.) हैं)।

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّهِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِي الْفَهْمِ

इब्ने उयय्ना वग़ैरह, अम्र बिन दीनार अन जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें घोड़े का गोश्त खिलाया और गधे के गोश्त से हमें रोका। यही रिवायत हम्माद बिन ज़ैद बयान करते हैं और अम्र बिन दीनार और जाबिर (रज़ि.) के दरम्यान मुहम्मद बिन अली का वास्ता लाते हैं। इस क़िस्म की रिवायात बेशुमार हैं। जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा हैं और हमने जिस क़द्र बयान कर दी हैं वो बात समझने के लिये फ़हम व फ़रासत वालों के लिये काफ़ी हैं।

जवाब : इन सबका जवाब यही है कि वो दोनों तरह सुनी गई हैं, बिल्वास्ता भी और बिला वास्ता भी। अगर ये सूरते हाल न होती तो इस क़िस्म की तमाम हदीसों में कभी न कभी महज़ूफ़ वास्ते का ज़िक्र कर दिया जाता। हालांकि मुअनअन हदीसों की इन्तिहाई ज़्यादा अक्सरियत में वास्ते का ज़िक्र मौजूद नहीं है।

अगर वास्ता होता तो मज़्कूर रिवायात की तरह उनमें कोई न कोई रावी तो वास्ते का तज़्किरा करता, जिससे पता चल सकता कि ये मुरसल और मुस्नद दोनों तरह मन्कूल है। लिहाज़ा मुरसल रिवायत भी क़ुबूल है। क्योंकि दूसरी सनद से उसके गिरे हुए रावी का पता चल गया है और सिक़ह और ग़ैर सिक़ह होने का इल्म हो सकता है।

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الاِحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلاَّ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الأَخْبَارَ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالاً وَلاَ يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتٌ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ.

जब इल्लत व सबब उस शख़्स के नज़दीक, जिसका क़ौल हम पहले बयान कर चुके हैं, हदीस़ के फ़साद और कमज़ोरी का बाइस़, जब ये पता न चल सके कि रावी जिससे रिवायत कर रहा है उससे कुछ सुना या नहीं, इसमें इरसाल का इम्कान या एहतिमाल है तो उसके क़ौल का तक़ाज़ा ये है कि वो जिसमें सिमाअ़ का ज़िक्र है किसी और रिवायत को लायक़े हुज्जत न समझे। क्योंकि हम पहले उन अइम्मा से हदीस़ों को नक़ल करने वाले हैं, ये बयान कर चुके हैं कि कई बार हदीस़ों में इरसाल से काम लेते थे और जिससे रिवायत सुनी है, उसका नाम लेते थे और कई बार चाक व चौबंद होने और निशात (मसर्रत) की सूरत में हदीस़ की सनद इस अन्दाज़ व शक्ल से बयान कर देते, जिस तरह सुनी होती फिर अगर सनद में नुज़ूल चाहते तो नुज़ूल इख़्तियार करते और अगर सऊद व उ़रूज चाहते तो हदीस़ में उ़रूज इख़्तियार कर लेते जैसाकि हम उनसे वाज़ेह कर चुके हैं।

फ़ायदा : इमाम साहब के ऊपर ज़िक्र किये गये बयान से मालूम हुआ सनद की दो क़िस्में हैं, सनदे नाज़िल, जिसमें रावी ज़्यादा हों और सनदे आ़ली जिसमें रावी कम हों और बयान करने वाला रावी ऊपर चढ़ गया हो उसने सऊद और उ़रूज हासिल कर लिया है तो इस तरह इमाम साहब के अपने क़ौल से स़ाबित हो गया, इस सनद में इरसाल नहीं होता, बल्कि रावी कई बार नुज़ूल इख़्तियार करते हुए सनदे नाज़िल ज़्यादा रावियों वाली ले आता है और कभी सऊद और उ़लू इख़्तियार करते हुए सनद आ़ली कम रावियों वाली बयान करता है। सनद दोनों सूरतों में मुत्तसिल ही होती है। किसी में इरसाल नहीं होता, इसलिये इमाम मुस्लिम का इल्ज़ाम उन ही के क़ौल से दूर हो गया।

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَتَّشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الأَسَانِيدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الأَئِمَّةِ. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَلاَ حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا

और अइम्मए सलफ़ में से जो हदीसों पर अमलपैरा थे और उनकी सनद की सेहत व ज़ौफ़ की जाँच-पड़ताल करते थे जैसे अय्यूब सख़ितयानी, इब्ने औन, मालिक बिन अनस, शोबा बिन हज्जाज, यहया बिन सईद क़त्तान और अब्दुर्रहमान बिन महदी और उनके बाद आने वाले मुहद्दिसीन में से किसी के बारे में ये नहीं जानते कि उसने असानीद में सिमाअ की इस अन्दाज़ में तफ़्तीश व तहक़ीक़ की हो जिसका ये दावा करने वाला, जिसका क़ौल हम नक़ल कर चुके हैं, दावा करता है। उनमें से जो भी हदीस के रावियों का जिन से वो रिवायत करते हैं, सिमाअ की तफ़्तीश व तहक़ीक़ करता, वो तहक़ीक़ व तलाश सिर्फ़ उस सूरत में होती, जब वो तदलीस में मअरूफ़ व मशहूर होता। ऐसी सूरत में वो रिवायत में उसके सिमाअ की कुरेद व जुस्तजू करते और उसके सिमाअ की टोह लगाते ताकि उनसे तदलीस की इल्लत व बीमारी दूर हो सके। मगर जो शख़्स ग़ैर मुदल्लिस में इस अन्दाज़ की जुस्तजू करता है जो हमने इस मुद्दई से नक़ल किया है तो हमने ये चीज़ किसी इमाम से नहीं सुनी, न उसने जिनके हमने नाम लिये और न उसने जिनके हमने नाम नहीं लिये। उसकी मिसाल अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी (रज़ि.) हैं। जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है और हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं। ये उन दोनों से एक-एक हदीस बयान करते हैं जिसकी निस्बत उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ की है और उन दोनों से रिवायत में उन दोनों से रिवायत सुनने की

مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ وَلاَ وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَلاَ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفٍ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لاَقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيدِ وَقَوِيِّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالاِحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ وَهِيَ فِي زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا

وَهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا وَنَقَلاَ عَنْهُمُ الأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلاَ إِلَى مِثْلِ أَبِي

सराहत मौजूद नहीं है और न ही हम ने किसी रिवायत में ये देखा है कि अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद, हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू मसऊ़द के किसी हदीस़ में उनके रू-ब-रू हुए हैं और उनसे मुलाक़ात की है और हमने किसी गुज़िश्ता अहले इ़ल्म से नहीं सुना और न उन उ़लमा से जो हमारे हम ज़माना हैं कि उन्होंने इन दोनों हदीसों पर तअ़न किया हो, जो अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद, हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू मसऊ़द से नक़ल करते हैं कि ये ज़ईफ़ हैं। बल्कि ये दोनों और उनसे मिलती-जुलती हदीसें, जिन हदीस़ के जानने वालों से हमारी मुलाक़ात हुई है उनके नज़दीक सहीह और क़वी सनद वाली हैं। उन सनदों से जो अहादीस़ मन्क़ूल हैं उनके नज़दीक वो क़ाबिले अ़मल हैं और उनसे मरवी आस़ार व सुनन क़ाबिले एहतिजाज हैं और ये रिवायात उसके ख़्याल में जिसका क़ौल हमने नक़ल किया है, कमज़ोर और बेकार हैं। जब तक उसे रावी की मरवी अ़न्हु से सिमाअ़ का पता न चल सके। अगरचे उन सहीह अहादीस़ को गिनने लग जायें तो अहले इ़ल्म के नज़दीक सहीह हैं और इस क़ाइल के ख़्याल व गुमान के मुताबिक़ ज़ईफ़ हैं तो हम उन सबके ज़िक्र से और उन सबके शुमार से आजिज़ और बेबस हो जायेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उनमें से कुछ को बयान कर दें ताकि जिनसे हम सुकूत और ख़ामोशी इख़्तियार करें उनके लिये नमूना और अ़लामत बन जायें। सुनिये! ये अबू उ़समान नहदी, और अबू राफ़ेअ़ साइग़ उन लोगों में से हैं जिन्होंने जाहिलिय्यत का दौर पाया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के बद्री और बाद वाले सहाबा के साथ रहे और उनसे रिवायात

هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيًّا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا.

नक़ल कीं। यहाँ तक कि बद्री सहाबा से नीचे उतरकर अबू हुरैरह (रज़ि.) और इब्ने उमर (रज़ि.) और इन जैसे दूसरे सहाबा से रिवायत की। इन दोनों (अबू उ़समान, अबू राफ़ेअ) में से हर एक ने उबइ बिन कअ़ब (रज़ि.) के वास्ते से रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीस़ बयान की है और हमने किसी मुतअ़य्यन रिवायत में ये नहीं सुना कि उन दोनों हज़रात ने उबइ (रज़ि.) का दीदार किया या उनसे कुछ सुना है।

फ़ायदा : अबू उ़समान नहदी और अबू राफ़ेअ ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का दौर पाया है मगर आपसे शर्फ़े मुलाक़ात हासिल नहीं कर सके। ऐसे लोगों को मुख़ज़रमीन का नाम दिया जाता है और बड़े ताबेईन में से शुमार होते हैं।

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَيْنِ وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَصَحِبَ عَلِيًّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا

इस तरह अबू अ़म्र शैबानी जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने जाहिलिय्यत का दौर पाया और वो नबी (ﷺ) के ज़माने में जवाँ मर्द थे (बच्चे और कम उ़म्र न थे) और अबू मअ़मर बिन सन्जरह हैं, उनमें से हर एक ने अबू मसऊ़द अन्सारी (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से दो हदीसें बयान की हैं और उ़बैद बिन उ़मैर ने जो नबी (ﷺ) के दौर में पैदा हुए थे, उस उ़बैद ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से एक हदीस़ बयान की है और क़ैस बिन अबी हाज़िम जिसने नबी (ﷺ) का ज़माना पाया है उसने अबू मसऊ़द अन्सारी (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से तीन हदीसें बयान की हैं। अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, उसने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को याद रखा है और हज़रत अ़ली (रज़ि.) के साथ रहे हैं, हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से एक मरफ़ूअ़ हदीस़ बयान की है और रिबई बिन हिराश ने हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) के वास्ते से,

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى عَنْهُ وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلاَثَةَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ .

فَكُلُّ هَؤُلاَءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلاَ أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ وَهِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيدِ لاَ نَعْلَمُهُمْ وَهَنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ وَلاَ الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ وَكَانَ

नबी (ﷺ) से दो हदीसें बयान की हैं और अन अबी बकरह अनिन्नबी (ﷺ) एक रिवायत बयान की है और रिबई, हज़रत अली (रज़ि.) से भी सुन चुके हैं और उनसे रिवायत भी की है और नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुतइम ने अबू शुरेह (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से तीन अहादीस बयन की हैं। अता बिन यज़ीद लैसी ने तमीमदारी (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से एक हदीस बयान की है। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हिमयरी ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से कई अहादीस बयान की हैं। ये तमाम ताबेईन जिनकी रिवायात हमने उन सहाबा किराम से नक़ल की हैं जिनके हमने नाम लिये हैं किसी एक मुतअय्यन रिवायत में भी हमारे इल्म में उनका सिमाअ उन सहाबा किराम से साबित नहीं हुआ और न किसी एक ख़ास रिवायत में उनसे मुलाक़ात का तज़्किरा महफ़ूज़ है और ये तमाम असानीद, अहादीस व रिवायात की मअरिफ़त व इल्म रखने वाले हज़रात के नज़दीक सहीह असानीद हैं और अहले इल्म में से किसी एक के बारे में भी हम नहीं जानते कि उसने उन रिवायात को ज़ईफ़ क़रार दिया हो या एक-दूसरे से सिमाअ की तलाश व जुस्तजू की हो क्योंकि उनमें से हर एक का अपने मरवी अन्हु से (जिस सहाबी से वो रिवायत करता है) सिमाअ मुम्किन है, जिसका इंकार नहीं हो सकता। क्योंकि ये सब एक मुश्तरका दौर में मौजूद थे और ये क़ौल जो हमने इस क़ाइल से नया निकाला है जिसका क़ौल हम अहादीस ज़ईफ़ ठहराने के लिये नक़ल कर चुके हैं, उस इल्लत व सबब की बिना पर जो उसने बयान किया है ये क़ौल इस क़ाबिल नहीं है

هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثًا وَكَلاَمًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ. والْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ-

कि इसकी तरफ़ तवज्जह और इल्तिफ़ात किया जाये और उसका चर्चा किया जाये। क्योंकि ये क़ौल नया निकाला गया है और ऐसा गिरा-पड़ा कलाम है कि सलफ़े अहले इल्म में से कोई भी इसका क़ाइल नहीं है और उनके बाद आने वाले ख़लफ़ ने इसको नापसन्दीदा क़रार दिया है। इसलिये जिस शरह से हमने इसकी तर्दीद कर दी, उससे ज़्यादा तर्दीद करने की हमें ज़रूरत और हाजत नहीं है जबकि इस क़ौल और इसके क़ाइल की हैसियत और मक़ाम या वक़्अत वही है जो हम बयान कर चुके हैं और जो शख़्स अहले इल्म के मौक़िफ़ व राय के ख़िलाफ़ बात कहे उससे दिफ़ाअ व हिफ़ाज़त के लिये अल्लाह तआला ही से मदद मतलूब है और उसी पर ऐतिमाद और भरोसा है।

फ़ायदा : उन बड़े ताबेईन की अदालत व ज़ब्त और बुलंद मक़ाम की बिना पर उनकी उन रिवायात को सिमाअ पर महमूल कर लिया गया है क्यों कि उनकी मुआसिरत और लिक़ा, क़राइन और हालात के पेशे नज़र एक यक़ीनी चीज़ है और सहाबा किराम से उनकी मुलाक़ात साबित है। अगरचे जिनसे वो रिवायत करते हैं उनसे मुलाक़ात और सिमाअ की सराहत नहीं है।

इस किताब के कुल अबवाब 96 और 441 अहादीस़ हैं।

كتاب الإيمان

किताबुल ईमान
(ईमान का बयान)

हदीस़ नम्बर 93 से 533 तक

किताबुल ईमान का तआरुफ़

इमाम मुस्लिम (रह.) ने सहीह मुस्लिम का आग़ाज़ किताबुल ईमान से किया है। अहदे नबवी (ﷺ) (नबी ﷺ के ज़माने) में जब कुरआन नाज़िल हुआ और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईमान, इस्लाम और एहसान की तालीम दी तो उस वक़्त इन इस्तिलाहात के मफ़्हूम के बारे में किसी के दिल में कोई तशनगी मौजूद न थी। लेकिन आप (ﷺ) की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने ईमान और इस्लाम के उसी मफ़्हूम पर इक्तिफ़ा न किया जो सहाब-ए-किराम ने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से समझा और दूसरों को समझाया था, उन्होंने अपनी अग़राज़ या अपने-अपने फ़हम के मुताबिक़ इन दोनों के नये-नये मफ़्हूम निकालने शुरू कर दिये।

सबसे पहले गिरोह जिसने ईमान और कुफ़्र का मफ़्हूम अपनी मर्ज़ी से निकाला, ख़्वारिज थे। ये गंवार लोग थे। कुरआन और इस्लाम के बुनियादी उसूलों की ताबीर भी अपनी मर्ज़ी से करते थे। इस्लाम से पहले के डाकूओं की तरह लोगों को क़त्ल करते और उनका माल लूटते। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन तमाम जराइम के जवाज़ के लिये उन्होंने ये अक़ीदा निकाला कि गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब काफ़िरे मुत्लक़ (बिल्कुल काफ़िर) है। उनके नज़दीक ईमान महज़ अमल का नाम था। सहीह मुस्लिम की हदीस़ 473 (191) में उनके इस अक़ीदे का ज़िक्र है।

हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर में जब इस्लामी फ़ुतूहात का दायरा वसीअ हुआ तो इराक़, फ़ारस, शाम और मिस्र वग़ैरह के इलाक़े इस्लामी हुदूद में दाख़िल हुए और यहाँ के बाशिन्दे बड़ी तादाद में मुसलमान हुए। ये इलाक़े इस्लाम से पहले इलाहियात और अक़्ली उलूम, ख़ुसूसन फ़ल्सफ़ा, मन्तिक़ और मा बअ़द अत्तबीआत के मराकिज़ थे। यहाँ के लोगों के दीनी अफ़्कार पर उलूमे अक़्लिया की छाप नुमायाँ थी। इस्लाम में दाख़िल होने के बाद अपने-अपने अफ़्कार के हवाले से उनके कई सारे फ़िर्क़े सामने आये। उन लोगों ने ईमान और इस्लाम के हवाले से फ़ल्सफ़ियाना और मन्तक़ी सवालात उलमाए इस्लाम के सामने पेश करने शुरू कर दिये। उनमें से कुछ लोगों का मक़सद तो फ़हम और हुसूले इल्म था जबकि कुछ लोग ख़्वारिज की तरह फ़ित्ना अंगेज़ी के लिये उन सवालों को ज़ेरे बहस लाते थे। उन बहुत से सवालात में एक सवाल ये भी था कि तक़्दीर से मुराद क्या है और क्या इसको मानना भी ईमान का हिस्सा है या नहीं। उलमाए इस्लाम को हर सूरत में उन सवालों के जवाब देने थे। हर एक ने अपने ज़ख़ीर-ए-इल्म और अपने फ़हम के मुताबिक़ जवाब देने की कोशिश की।

उस दौर के मबाहिस़ के हवाले से फ़ुक़्हाए मुहद्दिसीन के सामने ईमान के बारे में जो सवालात पेश हुए वो इस तरह थे :

* ईमान क्या है? महज़ इल्म, महज़ दिल की तस्दीक़, महज़ इक़रार, महज़ अमल या इनमें से कुछ का या इन सबका मज्मूआ?

* इसी तरह ये सवाल भी उठा कि ईमान रखने वाले सब बराबर हैं या किसी का ईमान ज़्यादा और किसी का कम है?

* क्या एक आम उम्मती का ईमान सिद्दीक़े अकबर या उमर फ़ारूक़ या अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) के ईमान के बराबर हो सकता है?

* क्या एक उम्मती का ईमान अम्बिया और मलाइका के ईमान के बराबर हो सकता है? क्या ईमान और चीज़ है और अमल दूसरी चीज़?

* क्या ईमान हमेशा एक जितना रहता है या कमो-बेश हो सकता है?

* किन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है? उनमें तक़दीर भी शामिल है या नहीं?

* ये सवाल भी शिद्दत से ज़ेरे बहस रहा कि कबाइर का मुर्तकिब मुसलमान है या दायर-ए-इस्लाम से बिल्कुल ख़ारिज है या फिर कहीं दरम्यान में है?

मअबद जोहनी, जहम बिन सफ़्वान और उस दौर के फ़िर्क़-ए-क़दरिया से तअल्लुक़ रखने वाले अबू हसन सालही का नुक़्त-ए-नज़र ये था कि ईमान महज़ दिल की मअरिफ़त या दिल में जान लेने का नाम है और कुफ़्र अल्जह्लु बिर्रब्बि तआला अल्लाह तबारक व तआला को न जानने का नाम है। इस जवाब से ये नतीजा निकल सकता है कि फ़िरऔन मोमिन था क्योंकि जिस तरह हज़रत मूसा (अलै.) ने फ़रमाया, 'उसे इल्म था कि अल्लाह ही आसमानों व ज़मीन का रब है।' इरशादे इलाही है, 'तूने जान लिया है कि इन चीज़ों को निशानियाँ बनाकर आसमानों और ज़मीन के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारा।' (सूरह बनी इस्राईल 17 : 102)

अहले किताब के बारे में क़ुरआन कहता है, 'वो रसूलुल्लाह को पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं।' (सूरह बक़रह 2 : 146)

इस नुक़्त-ए-नज़र के मुताबिक़ ये सब भी मोमिन हुए। इब्लीस भी जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बेइल्म नहीं, मोमिन क़रार पाया नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक!

इस बुनियादी सवाल के हवाले से फ़िर्क़-ए-कर्रामिया का जवाब ये था कि ईमान महज़ ज़बान से इक़रार करने का नाम है। इस सूरत में मुनाफ़िक़ भी कामिल ईमान रखने वाले मोमिन क़रार पाते हैं। कर्रामिया उनको मोमिन ही समझते थे, अल्बत्ता ये कहते थे कि अल्लाह तआ़ला ने उनके लिये जिस अ़ज़ाब की ख़बर दी है उसे वो ज़रूर भुगतेंगे।

अबू मन्सूर मातुरीदी और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का नुक्त-ए-नज़र ये था कि ईमान महज़ दिल की तस्दीक़ का नाम है। उनके बिल्मुक़ाबिल उ़लमाए अहनाफ़ में से एक बड़ी तादाद का नुक़्त-ए-नज़र ये है कि ईमान दिल की तस्दीक़ और ज़बान के इक़रार को कहते हैं।

ज़्यादातर अइम्म-ए-किराम जैसे इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद बिन हम्बल, औज़ाई, इस्हाक़ बिन राहवे और बाक़ी तमाम अइम्म-ए-हदीस़ के अ़लावा ज़ाहिरिया और मुतकल्लिमीन में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्ईमानु तस्दीकुम् बिल्जनानि, व इक़्रारुम् बिल्लिसानि व अ़मलुम् बिल्अरकान ईमान दिल की तस्दीक़, ज़बान के इक़रार और (इस तस्दीक़ व इक़रार के मुताबिक़ बाक़ी आज़ा के आमाल से साबित होता है। याद रहे कि मुहद्दिसीन दिल की तस्दीक़ को दिल का अ़मल और ज़बान के इक़रार को ज़बान का अ़मल समझते हैं। (शरह अल्अक़ीदतुत्तहाविया, क़ौलुहू वल्ईमान हुवल इक़रारु बिल्लिसान, पेज नं. 332)

क़दरयिा, जहमिय्या और कर्रामिया तो अहले सुन्नत वल्जमाअ़त से ख़ारिज थे। उनका रद्द यक़ीनन ज़रूरी था और अच्छी तरह किया भी गया। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके ताईद करने वालों के लिये, जो ग़ैर नहीं ख़ुद असातीने अहले सुन्नत वल्जमाअ़त में से थे, फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़रिये से असल हक़ाइक़ की वज़ाहत इन्तिहाई ज़रूरी थी।

ईमान के बारे में ऊपर ज़िक्र किए गये बुनियादी सवालात के जवाब में इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से ये बातें मन्क़ूल हैं :

(1) 'अ़मल ईमान से जुदा है और ईमान अ़मल से अलग है।'

(2) 'मोमिनीन ईमान और तौहीद में बराबर हैं और आ़माल में कमो-बेश।'

(3) 'ईमान न घटता है न बढ़ता है।'

(4) मेरा ईमान जिब्रईल (अ़लै.) के ईमान के मानिन्द है।'

(5) आसमानों और ज़मीन वालों का ईमान और अगलों-पिछलों और अम्बिया का ईमान एक (बराबर) है।' (शहर अल्फ़िक़्हुल अकबर बिहवाला ऐज़न हाशिया अल अदिल्ला, पेज नं. 301-308)

इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम और दूसरे अइम्म-ए-हदीस़ के सामने चूंकि पूरा ज़ख़ीर-ए-हदीस़ था, इसलिये उन्हें मालूम था कि ये बातें न सिर्फ़ किताबो-सुन्नत से टकराती हैं, बल्कि कुछ सूरतों में जिन-जिन अल्फ़ाज़ के साथ क़ुरआन ने या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन उमूर को बयान फ़रमाया है बिऐनिही (हू-ब-हू) उन्ही अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल मुतज़ाद बातें कह दी गई हैं और एक बड़े हल्क़े में उनको क़ुबूल भी किया जा रहा है। इसका सहीह मदावा यही था कि जो लोग भी क़ुरआन और हदीस़े रसूल (ﷺ) से मुतज़ाद बातें कह रहे थे, उनके सामने रिसालत मआब (ﷺ) के तमाम मुतअल्लिक़ा फ़रामीन मिन व अ़न (वैसे के वैसे) पेश कर दिये जायें।

किताबुल ईमान में इमाम मुस्लिम सबसे पहले हदीस़े जिब्रईल लाये हैं। इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जिब्रईल (अ़लै.) के पेश करदा सवालों के जवाब देते हुए ईमान, इस्लाम और एहसान का मफ़्हूम वाज़ेह किया है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इसके साथ ही इस मफ़्हूम की दूसरी अहादीस़ भी बयान कर दी हैं। इन अहादीस़ 93-103 (8-12) से पता चलता है कि इन तीनों (ईमान, इस्लाम और एहसान) में पहला मर्तबा इस्लाम का है, उससे ऊँचा मक़ाम ईमान का है और सबसे ऊँचा एहसान का और ये कि अल्लाह, उसके रसूल, मलाइका, क़यामत, जन्नत और दोज़ख़ के साथ-साथ तक़दीरे इलाही पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इसी तरह इन अहादीस़ से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब अबदी जहन्नमी नहीं होता।

उसके बाद इमाम मुस्लिम ऐसी अहादीस़ लाये हैं जिनमें ये मज़्कूर है कि वो ईमान जो इंसान को जन्नत में ले जाता है शिर्क से पाक इबादात, ज़कात की अदायगी, सिला रहमी और अल्लाह के हराम व हलाल के अहकामात की पाबंदी पर मुश्तमिल है। (देखिये अहादीस़ : 104-114 (13-16)

फिर वो वफ़दे अ़ब्दुल क़ैस से मुताल्लिक़ा रिवायात और उनके हम मानी अहादीस़ लाये हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वफ़द के लोगों को हुक्म दिया कि वो एक अल्लाह पर ईमान लायें, फिर समझाने के लिये ख़ुद ही सवाल किया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान क्या है? फिर ख़ुद ही वज़ाहत फ़रमाई कि ईमान अल्लाह की वहदानियत और मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत की गवाही, इक़ामते सलात, ज़कात की अदायगी, रोज़े रखने और अल्लाह की हराम की गई चीज़ों से दूर रहने का नाम है। (देखिये अहादीस़ : 115-123 (17-19)

इन अहादीस़ से तीन बातें वाज़ेह हो जाती हैं :

(1) गवाही (शहादत) दिल की तस्दीक़ की होती है।

(2) ईमान महज़ दिल की तस्दीक़ का नाम नहीं, न दिल की तस्दीक़ और ज़बान के इक़रार तक मामला ख़त्म हो जाता है बल्कि बाक़ी आ़ज़ा व जवारिह के आ़माल के ज़रिये से भी उसी हक़ीक़त की तस्दीक़ ज़रूरी है जिसकी ज़बान से गवाही दी गई।

(3) ईमान और इस्लाम के अल्फ़ाज़ जब दोनों मिलाकर एक साथ बोले जायें तो दोनों से अलग-अलग मफ़्हूम मुराद लिया जाता है। जब उनमें से सिर्फ़ एक बोला जाये तो उसके मानी में कई बार दूसरा भी शामिल होता है और कई बार दोनों एक दूसरे के क़ायम मक़ाम के तौर पर बोले जाते हैं। इससे भी यही बात साबित होती है कि ईमान महज़ तस्दीक़ व इक़रार का नाम नहीं बल्कि इसमें दीगर आज़ा के आमाल भी शामिल होने ज़रूरी हैं, वरना ये इस्लाम के क़ायम मक़ाम के तौर पर न बोला जा सकता।

उसके बाद इमाम मुस्लिम मानेईने ज़कात (ज़कात रोकने वालों) के हवाले से वो अहादीस़ लाये हैं जिनमें हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के अलग-अलग मौक़िफ़ का ज़िक्र है। हज़रत उमर (रज़ि.) का ख़्याल था कि जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह दिया वो मोमिन है इसलिये बक़ौले रसूलुल्लाह (ﷺ) जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) का हक़दार है, उससे जंग नहीं की जा सकती। ला इला-ह इल्लल्लाह कहने से इक़रार और अग़लबन तस्दीक़ का तो पता चल जाता है लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) का मौक़िफ़ इससे मुख़्तलिफ़ था। उन्होंने फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ) के अगले हिस्से की तरफ़ तवज्जह दिलाई। आपने फ़रमाया था, 'इल्ला ये कि उसी का हक़ हो।' यानी ला इला-ह इल्लल्लाह का हक़ ये है कि बाक़ी आज़ा उसके मुताबिक़ अमल करते हों। जब ज़कात का वक़्त आ जाये तो ला इला-ह का तक़ाज़ा है कि ज़कात अदा की जाये। अगर कोई इससे इंकार करता है तो उसके लिये जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ बाक़ी न रहेगा। आपने जोर देकर ये भी फ़रमाया कि अगर कोई ज़कात के माल की एक रस्सी देने से भी इंकार करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जिहाद होगा। इस बात से हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी इत्तिफ़ाक़ किया और तस्लीम किया कि हक़ वही है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) कह रहे हैं। (देखिये अहादीस़ : 124-131 (20-23)

इनके बाद वो अहादीस़ लाई गईं जिनके अल्फ़ाज़ में इज्माल के साथ इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा वो यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होगा। (देखिये अहादीस़ : 136-151 (26-34)

इन अहादीस़ के ज़रिये से ये बात वाज़ेह होती है कि इज्माल के मौक़ों पर महज़ ला इला-ह इल्लल्लाह कहने की बात की गई लेकिन इसमें ला इला-ह इल्लल्लाह के तक़ाज़ों पर अमल करना शामिल है। फिर ये रिवायत पेश की गई कि ईमान का ज़ायक़ा महज़ वही शख़्स चखता है जो अल्लाह के रब होने और मुहम्मद (ﷺ) के रसूल होने के साथ-साथ इस्लाम के दीन होने पर भी राज़ी हो। ज़ाहिर है जो इस्तिताअत के बावजूद अहकामे इस्लाम पर अमल नहीं करता वो दिल से इस्लाम के दीन होने पर राज़ी ही नहीं है। ये इन्तिहाई लतीफ़ नुकात (इशारे) हैं जो इमाम मुस्लिभ ने महज़ अहादीसे मुबारका की तर्तीब के ज़रिये से वाज़ेह फ़रमाये हैं।

फिर इमाम मुस्लिम ने बतर्तीब (तर्तीब के साथ) ईमान के शोअबों और उनमें से अफ़ज़ल और अदना शोअबों के मुताल्लिक़ अहादीस़ पेश कीं। उनके बाद वो अहादीस़ हैं जिनमें कहा गया है कि ईमान की हलावत से वही आश्ना होता है जो अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान से मुहब्बत करता है। उनके बाद वो अहादीस़ हैं जिनमें ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अहलो-अ़याल, औलाद, माल और ख़ुद अपनी ज़ात से बढ़कर मुहब्बत न हो तो ईमान मौजूद नहीं। ज़ाहिर है मुहब्बत तस्दीक़ और इक़रार के अ़लावा दिल का एक और अ़मल है। (देखिये अहादीस़ : 152-169 (35-44) इसके बग़ैर भी ईमान की नफ़ी हो जाती है। गोया तस्दीक़ बिल्क़ल्ब के अ़लावा क़ल्ब ही के दूसरे आ़माल जैसे मुहब्बत और एहतिराम भी ज़रूरी हैं।

इमाम मुस्लिम अहादीस़ 177-180 (49-50) में अम्र बिल्मअ़रूफ़ और नहि अ़निल मुन्कर की रिवायात लाये हैं। तफ़्सीली रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं, 'जिसने इन (मुन्करात) के ख़िलाफ़ हाथों से जिहाद किया वो मोमिन है, जिसने ज़बान के साथ जिहाद किया वो मोमिन है और जिसने दिल के साथ जिहाद किया वो मोमिन है। इससे नीचे एक राई के बराबर भी ईमान नहीं।' इन अल्फ़ाज़ से वाज़ेह तौर पर स़ाबित होता है कि जिस तरह कुछ लोगों ने कहा है महज़ दिल की तस्दीक़ और ज़बान का इक़रार ईमान नहीं, बल्कि दीगर आ़ज़ा, ज़बान और ख़ुद दिल के दूसरे आ़माल भी ज़रूरी हैं। तस्दीक़ के अ़लावा दिल के दूसरे आ़माल में मुन्करात से नफ़रत और ये अ़ज़्म कि जब हाथ और ज़बान से उन मुन्करात के ख़िलाफ़ जिहाद की इस्तिताअ़त मिलेगी तो ये जिहाद करूँगा, शामिल हैं। दिल के मज़ीद आ़माल जैसे अल्हुब्बु फ़िल्लाहि वल्बुग़्ज़ु फ़िल्लाहि के बारे में भी अहादीस़ पेशे नज़र रहनी चाहिये। इन अहादीस़ से जहमिय्या के नुक़्त-ए-नज़र की तर्दीद भी होती है कि दिल की तस्दीक़ के सिवा दिल के दूसरे आ़माल ईमान नहीं। इन अहादीस़ से ये भी स़ाबित होता है कि हाथ से जिहाद करने वाले का ईमान ज़्यादा है क्योंकि उसमें बाक़ी आ़ज़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होते हैं। ज़बान से जिहाद करने वाले इससे कम, इसमें ज़बान के साथ दिल शरीक होता है और दिल में बुरा समझने वाले का ईमान सबसे कम है, क्योंकि बाक़ी आ़ज़ा शामिल नहीं होते। उसके नीचे सिरे से ईमान ही मौजूद नहीं.

इनके बाद इमाम मुस्लिम ने वो अहादीस़ ज़िक्र की हैं जिनमें ये बताया गया है कि किन लोगों का ईमान किन-किन आ़माल की बिना पर अफ़ज़ल है और किन लोगों का ईमान कम मर्तबा है। नीज़ ईमान को यमन की तरफ़ निस्बत दी गई है और इसका सबब उनके दिलों की रिक़्क़त (नर्मी) को क़रार दिया गया और कुफ़्र की निस्बत उन ऊँट चराने वालों की तरफ़ की गई जो शिद्दत पसंद और उज्जड़ थे। (देखिये अहादीस़ : 181-193 (51-53)

इन अहादीस़ से अम्र बिल्मअरूफ़ वाली अहादीस़ की मज़ीद वज़ाहत हो जाती है कि दिल की तस्दीक़ के अलावा दिल ही से मुताल्लिक़ दीगर ऐसे आमाल हैं जो ईमान का हिस्सा हैं। इसी तरह अद्मे तस्दीक़ के साथ दिल ही के कुछ दीगर अमल हैं जो कुफ़्र को संगीनतर बना देते हैं । ऐसे आमाल में संगदिली, शिद्दतपसन्दी वग़ैरह शामिल हैं।

क़ुरआन मजीद ने ईमान और उसमें इज़ाफ़े को दिल ही की कैफ़ियत के साथ ज़िक्र किया है। फ़रमाने इलाही है, 'मोमिन वही हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर उसकी आयतें तिलावत की जायें तो ये आयतें उनका ईमान ज़्यादा कर देती हैं और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं।' (सूरह अन्फ़ाल 8 : 2)

अहादीस़ की तर्तीब से ये भी वाज़ेह होता है कि मुन्करात से शदीद नफ़रत, दिल की नर्मी, अल्लाह के ज़िक्र पर दिलों में ख़शिय्यत, सब ईमान में शामिल हैं। ये महज़ दिल की तस्दीक़ का नाम नहीं। क़ुरआन मजीद की ज़िक्र की गई आयतों से ये भी पता चलता है कि आयाते इलाही को सुनने से ईमान, जो ऊपर ज़िक्र की गई तमाम बातों का मज्मूआ है, ज़्यादा हो जाता है। जो हज़रात नफ़्से ईमान में इज़ाफ़े के क़ाइल नहीं बल्कि नुज़ूले क़ुरआन के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा आयतों पर ईमान लाने को ईमान का इज़ाफ़ा क़रार देते हैं, उनको इस आयत के ये मानी क़रार देना पड़ेंगे कि जब पहली बार कोई आयत उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। दूसरी या तीसरी बार उन्ही आयतों को सुनकर ईमान में इज़ाफ़ा नहीं होता और आयते मुबारका में जिस तरह तिलावते आयात से पहले ज़िक्रे इलाही का बयान है उसे भी वो पहली बार अल्लाह के ज़िक्र पर महमूल करेंगे। क़ुरआन के अल्फ़ाज़ इज़ा ज़ुकिरल्लाहु और वइज़ा तुलियत अ़लैहिम आयातुहू 'जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है' और 'जब उसकी आयतें उनके सामने तिलावत की जायें' से ऐसे मफ़्हूम की गुंजाइश भी नहीं निकलती।

उसके बाद अहादीस़ : 202-209 (57) के ज़रिये से ये वज़ाहत की गई है कि गुनाहों के इर्तिकाब से ईमान में कमी वाक़ेअ होती है, नीज़ गुनाहे कबीरा के इर्तिकाब के वक़्त ईमान इंसान के दिल से निकल जाता है, बाद में वापस आ जाता है। इन अहादीस़ को अगर हर गुनाह के साथ दिल पर एक काला नुक्ता आ जाने और गुनाहों की कस़रत से दिल के मुकम्मल स्याह हो जाने वाली अहादीस़ के साथ मिलाकर देखा जाये तो पता चलता है कि बुरे आमाल के इर्तिकाब से दिल के अंदर मौजूद नूरे ईमान कम होता-होता बिल्आख़िर रुख़्सत हो जाता है। इसी तरह अच्छे अमल करने से नूरे ईमान में इज़ाफ़ा होता जाता है। ये अक़्वाल कि मेरा ईमान जिब्राईल (अलै.) के ईमान की तरह है या अव्वलीन, आख़िरीन, अहले दुनिया, अहले आसमान और अम्बिया सबका ईमान बराबर है, ज़िक्र की गई अहादीस़ से बिल्कुल मुतज़ाद हैं।

उनके बाद की अहादीस़ में कुछ ऐसे आमाल का तज़्किरा है जिनको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुफ़्र क़रार दिया है। उनके बाद वो अहादीस़ हैं जिनमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईमान को अमल क़रार दिया है। आप (ﷺ) से पूछा गया, अफ़ज़ल तरीन अमल कौनसा है? फ़रमाया, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर ईमान लाना।' (देखिये अहादीस़ : 248-251 (83-85) ये क़ौल कि अल्ईमानु ग़ैरुन् वल्अमलु ग़ैरुन इन फ़रामीने रसूल (ﷺ) से बिल्कुल मुतज़ाद है।

फिर उन अहादीस़ को लाया गया जिनसे स़ाबित होता है कि ईमान की तरह कुफ़्र में भी कमी और ज़्यादती होती है। जैसे तारिके सलात या बाहम क़िताल करने वालों का कुफ़्र, क़तई और हतमी कुफ़्र से कमतर है। इन अहादीस़ के बाद कबाइर के दरजात के हवाले से अहादीसे मुबारका को लाया गया, फिर वो अहादीस़ हैं जिनमें किब्र और शिर्क को ईमान से मुतज़ाद क़रार दिया गया और शिर्क न करने को जन्नत में दाख़िले की शर्त और शिर्क करने को जहन्नम में दाख़िले का हतमी सबब क़रार दिया गया। किब्र और शिर्क दोनों दिल और आज़ा के अमल ही की सूरतें हैं महज़ दिल की अदमे तस्दीक़ की नहीं।

फिर वो अहादीस़ बयान हुईं जिनमें ज़िक्र है कि ईमान में दर्जा-बदर्जा इज़ाफ़ा होता है, कमतरीन ईमान ये है कि कोई शख़्स अचानक मौत को सामने देखकर इस्लाम से अदावत और इनाद के फ़ौरन बाद ग़ौर व फ़िक्र के बग़ैर, यकम ला इला-ह इल्लल्लाह का इक़रार कर ले। ये सब से निचला दर्जा है। जब ऐसा वाक़िया पेश आया तो मौक़े पर मौजूद सहाबी का ज़न्ने ग़ालिब ये था कि ऐसे शख़्स की ज़बान पर इक़रार था लेकिन उसके पीछे जान बचाने का इरादा था, तस्दीक़ का कोई जुज़ मौजूद न था। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ोर देकर फ़रमाया, 'उसने जो ला इला-ह इल्लल्लाह कह दिया था तो ये दलील है कि ईमान का ये जुज़ मौजूद न था। आपने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन जब ला इला-ह इल्लल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हो जायेगा तो क्या करोगे?' आपने ये भी फ़रमाया, 'तुम जो ये समझे कि उसके दिल में जान बचाने के क़सद के अलावा कुछ नहीं था तो तुमने उसका दिल चीर कर क्यों न देख लिया?' (देखिये अहादीस़ : 274-279 (95-97) इनके साथ इस हदीस़ को मिलाकर देखें जिसमें ये हुक्म दिया गया है कि अगर किसी बस्ती से अज़ान की आवाज़ आये तो उस पर हमला न करो। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अगर महज़ इक़रार या अमल सामने आ जाये तो उसे ईमान समझा जाये जब तक ऐसी दलील मौजूद न हो जो कुफ़्र पर दलालत करे।

फिर वो अहादीस़ हैं जिनमें ये फ़रमाया गया है कि जिसने काफ़िर हो जाने की झूठी क़सम खाई वो उसी तरह (काफ़िर) है जिस तरह उसने कहा। ऐसे शख़्स की ये क़सम कि वो काफ़िर है, तब झूठी होगी जब उसके दिल में किसी न किसी दर्जे का ईमान मौजूद हो और उस क़सम की बिना पर उसके दिल में कुफ़्र का गुस्सा भी मौजूद है। इन अहादीस़ से स़ाबित होता है कि किसी इंसान के दिल में इस्लाम और कुफ़्र दोनों की मुतज़ाद कैफ़ियतें भी मौजूद हो सकती हैं। चूंकि मज़्कूरा बाला कबाइर के मुर्तकिब लोगों

के यहाँ कुछ आमाले सालेहा भी मौजूद हो सकते हैं जो किसी हद तक उनके दिल की तस्दीक़ और ज़बान के इक़रार की तस्दीक़ करते हैं , इसलिये उनको इस्लाम से क़तई तौर पर ख़ारिज क़रार नहीं दिया गया लेकिन उनके दिलों में ईमान की कमी की वजह से ऐसी कैफ़ियत भी मौजूद है जिसके सबब से वो कुफ़्रिया अमल का इर्तिकाब करते जा रहे हैं । ये इन्तिहाई बारीक नुकात (इशारे) हैं जो इमाम मुस्लिम ने अहादीस़ के इन्तिख़ाब और उनकी तर्तीब से उजागर किये हैं ।

इसी तरह ऐसा शख़्स जो ख़ुदकुशी कर ले उसकी सज़ा अबदी जहन्नम है जो क़तई कुफ़्र या शिर्क की सज़ा है । रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये भी ऐलान कराया कि नफ़्से मुस्लिम या मोमिन इंसान के अलावा कोई जन्नत में न जायेगा लेकिन ये भी हुआ कि एक शख़्स ने हिज्रत के बाद मुश्किलात भरी ज़िन्दगी से तंग आकर हाथों की रगें काटकर ख़ुदकुशी कर ली । अल्लाह तआला ने हाथों के अलावा उसके बाक़ी वजूद को बख़्श दिया । हाथ वैसे रहे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके हाथों के लिये भी बख़्शिश की दुआ फ़रमा दी ।

इस हदीस़ से और इससे पहले वाली अहादीस़ से पता चला कि बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनका इर्तिकाब उस वक़्त होता है जब ईमान या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है । ख़त्म हो जाने की सूरत में उनकी सज़ा जहन्नम बल्कि अबदी जहन्नम है लेकिन अगर वही गुनाह किसी ऐसे शख़्स से हो जाये जिसके दिल से ईमान क़तई तौर पर रुख़सत नहीं हुआ था तो ईमान की ये कम से कम मिक़्दार बड़े गुनाहों की मग़्फ़िरत का सबब भी बन सकती है । (देखिये अहादीस़ : 300-308 (109-112)

आगे चलकर वस्वसों की बात है । अहादीस़ : 340-342 (132-133) में दिल में आने वाले ऐसे वस्वसों की कैफ़ियत को जो ज़बान पर नहीं लाये जा सकते, सरीह ईमान या महज़ ईमान क़रार दिया गया है । जिसकी बिना पर इंसान को अल्लाह का ख़ौफ़ लाहिक़ होता है और उन वसाविस से कराहत होती है ऐसे बुरे वस्वसों से दिल में मौजूद होते हैं जो ज़बान पर नहीं लाये जा सकते । लेकिन उनके होते हुए उस वक़्त दिल में जो ईमान मौजूद है जिसकी बिना पर उसे सरीह, ख़ालिस और मिलावट से पाक ईमान क़रार दिया गया है ।

इन अहादीस़ से पता चलता है कि ईमान के साथ दिल में ऐसी बातें आ सकती हैं जिन्हें एक मोमिन के लिये ज़बान पर लाना मुम्किन नहीं । ये वस्वसे हैं, लेकिन जब तक ये शक बनकर दिल में जा गुज़ीं न हो जायें उन पर मुवाख़िज़ा नहीं । जा गुज़ीं हो जायें तो मुवाख़िज़ा है क्योंकि अब ये दिल का अमल बन चुका है । इसी तरह नेकी का इरादा दिल का अमल बन चुका है । जिस पर जज़ा मिलती है । बुराई का इरादा भी दिल ही का अमल है लेकिन अल्लाह ने अपनी ख़ुसूसी रहमत से उसको माफ़ फ़रमा दिया है । अगर इस इरादे पर दूसरे आज़ा अमल करके इसकी तस्दीक़ करते हैं तो फिर एक बुराई लिखी जाती है ।

वस्वसों की वजह से अहले ईमान के दिलों के अंदर बर्पा जंग में, अहले ईमान की ईमान पर साबित क़दमी, उनके ईमान के ख़ालिस होने की सबसे बड़ी दलील है। ये भी दिल ही का अमल है।

अहादीस़ 343-352 (134) में शैतान के उठाये जाने वाले ऐसे सवाल का तज़्किरा है जिसका मक़सद शुकूक व शुब्हात पैदा करना और ईमान व यक़ीन की पूरी इमारत को मुन्हदिम करना (ढहाना) है। सवालों के सिलसिले में जब सवाल सामने आता है कि अगर हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है तो फिर ख़ुद अल्लाह को किसने पैदा किया? ये बदतरीन वस्वसा है। इसका इलाज ये बताया गया कि इस मरहले पर मोमिन को चाहिये कि फ़ौरन रुक जाये और शैतान से अल्लाह की पनाह माँगे और आमन्तु बिल्लाह कहे। दूसरे लफ़्ज़ों में उसे ये ताकीद की गई कि वजूदे बारी तआला के लिये अ़क़्ल और हिस्स की वाज़ेह दलालत मौजूद है लेकिन शैतान दिल में डाले गये इस सवाल के ज़रिये से इंसान को उन चीज़ों के बारे में महज़ अ़क़्ल को इस्तेमाल करने की तरग़ीब देता है। इस मरहले पर ज़रूरी है कि इंसान अपनी फ़ितरत की तरफ़ रुजूअ करे, उस अव्वलीन मीस़ाक़ को दोहराये जो हर रूह से लिया गया और उस मीस़ाक़ के साथ अपनी वाबस्तगी को मज़बूत करे।

उसके बाद इमाम मुस्लिम ने बड़े लतीफ़ पैराये में अपनी तर्तीब को आगे बढ़ाया। हदीस़ 357-362 (137-141) तक अ़हद और हलफ़ (वादा और क़सम) की अहमियत की अहादीस़ बयान फ़रमाई और मुताल्लिक़ा मसाइल की वज़ाहत की। उसके बाद 362-366 (142) तक बड़ी ज़िम्मेदारियों जैसे हुक्मरानों के अ़हद और हलफ़ के बारे में अहादीस़ ज़िक्र कीं, फिर उस अ़हद या मीस़ाक़े अव्वल के मौज़ूअ पर अहादीस़ लाये जिसे क़ुरआन ने 'अल्अमानत' कहा है।

हदीस़ 367 (143) में पहले ये अल्फ़ाज़ हैं कि सबसे पहले 'अल्अमानत' इंसानी दिलों के अंदुरूनी हिस्से में नाज़िल हुई, फिर क़ुरआन नाज़िल हुआ और अहले ईमान ने क़ुरआन और सुन्नत से इल्म हासिल किया, इन अल्फ़ाज़ में बहुत से नुकात क़ाबिले ग़ौर हैं। अल्अमानत वही है जिसके बारे में क़ुरआन ने कहा, 'हमने पेश की अमानत आसमानों को, ज़मीन को और पहाड़ों को तो उन सबने इंकार कर दिया कि उसे उठायें और उससे डर गये और इंसान ने उसे उठा लिया, ये बड़ा ही ज़ालिम और नादान है।' (सूरह अहज़ाब 33 : 72)

मुहद्दिस़ीन ने अमानत के मानी ईमान किये हैं। ईमान को एक अमानत ही के तौर पर इंसान के सुपुर्द किया गया था, इसकी हिफ़ाज़त ज़रूरी थी, क़ुरआन मजीद ने ये बात यूँ बयान की :

'और जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और (ये पूछकर) उन्हें ख़ुद उन पर गवाह बनाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं! हम गवाह हैं (ये इसलिये किया

कि) कहीं क़यामत के दिन तुम ये न कहो कि हमें तो इस बात (अकेले अल्लाह की रुबूबियत) की ख़बर ही न थी या ऐसा कहो कि शिर्क तो हमारे आबा व अज्दाद (पुर्खों) ने किया, हम तो बाद में उनकी औलाद थे (जो उन्होंने सिखाया सीख गये) तो हमें क्यों हलाक करते हो उस काम पर जिसे (दूसरे) ग़लत कारों ने किया और इस तरह हम खोलते हैं आयतों को शायद वो लोग (हक़ की तरफ़) लोट आयें।' (सूरह आराफ़ 7 : 172-174)

यही अ़हद वो फ़ितरी ईमान है जिस पर इंसान की विलादत होती है। क़ुरआन इसे इन अल्फ़ाज़ में बयान करता है, 'पस तू एक तरफ़ का होकर अपना चेहरा दीन के लिये सीधा रख, अल्लाह की उस फ़ितरत के मुताबिक़ जिस पर उसने सब लोगों को पैदा किया, अल्लाह की पैदाइश को किसी तरह बदलना (जाइज़) नहीं। यही सीधा दीन है और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।' (सूरह रूम 30 : 30)

सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है।' (सहीह बुख़ारी : 1385, सहीह मुस्लिम : 6755 (2658)

मुस्लिम की एक और हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ हैं, 'मैंने अपने तमाम बन्दे दीने हनीफ़ के पैरोकार पैदा किये (फिर) उनके पास शयातीन आये और उन्हें उनके दीन से फेर दिया।' (सहीह मुस्लिम : 7207 (2865)

बुख़ारी और मुस्लिम में है, 'अल्लाह तआ़ला दोज़ख़ियों में से सबसे हल्के अ़ज़ाब वाले से कहेगा, ज़मीन में जो कुछ भी है अगर वो तेरी मिल्कियत हो तो क्या तू उसे इस (अ़ज़ाब) के बदले फ़िदये में दे देगा? वो कहेगा, जी हाँ। वो (अल्लाह) कहेगा, मैंने तो जब तू आदम की पुश्त में था, तुझसे वो माँगा था जो इससे बहुत कम था ये कि तू (किसी को) मेरा शरीक न ठहराना पर तूने शरीक ठहराने के सिवा हर चीज़ से इंकार किया।' (सहीह बुख़ारी : 3334, सहीह मुस्लिम : 7083 (2805)

यही वो अ़हद है जिस पर अल्लाह तआ़ला इंसान को पैदा करता है। अगर माँ बाप और दीगर अ़वामिल इंसान को इससे फेर न दें तो दिल से इसकी तस्दीक़ होती है, फिर ज़बान गवाही देकर और बाक़ी आज़ा भी अपने अ़मल से इसकी तस्दीक़ करते हैं।

उसके बाद बाब अल्इस्रा बिरसूलिल्लाहि (ﷺ) इलस्समावाति व फ़रज़स्सलात में इमाम मुस्लिम 412-417 (162-164) तक वो अहादीस़ लाये हैं जिनमें दोबारा रसूलुल्लाह (ﷺ) का शक़्क़े सदर (सीना चाक) होने का तज़्किरा है।

पहला वाक़िया इब्तिदाए तुफ़ूलियत (बचपन) का है जब आप बनू सअ़द में थे। इसको इन

अल्फ़ाज़ में बयान किया गया है, 'जिब्रईल (अलै.) ने आपके दिल को बाहर निकाला, उसमें से एक लोथड़ा अलग किया और कहा, ये (दिल के अंदर) वो हिस्सा था जिसके ज़रिये से शैतान असर अन्दाज़ हो सकता था, फिर उसे (दिल को) सोने के तश्त में ज़मज़म के पानी से धोया, फिर उसे जोड़ा और उसकी जगह पर वापस रख दिया।'

और मेअराज से पहले होने वाले शक़्क़े सद्र के बारे में हदीस के अल्फ़ाज़ यूँ हैं, 'जिब्रईल ने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर सोने का एक तश्त लाये जो हिक्मत और ईमान से भरा हुआ था तो उसे मेरे सीने में ख़ाली कर दिया, फिर सीने को बंद किया फिर मेरा हाथ पकड़ा और मेअराज पर ले गये।'

पहले शक़्क़े सद्र का मक़सद यही मालूम होता है कि मीसाक़े अव्वलीन को बुराई की कोई कुव्वत छेड़ ही न सके, चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) वाज़ेह तौर पर हमेशा इसी मीसाक़ पर क़ायम रहे और दूसरे शक़्क़े सद्र का मक़सद ये था कि आपके क़ल्बे मुबारक में हिक्मत व ईमान में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाये ताकि आप अपने अज़ीम तरीन सफ़र और उसके मुशाहिदात के लिये तैयार हो जायें। ये हदीस हक़ीक़ते ईमान में ज़्यादती के बारे में नस्से सरीह (साफ़ दलील) है। आप (ﷺ) का क़ल्बे मुतहर पहले ही ईमान से मअमूर था। इस मरहले में उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया। इन दोनों हदीसों से कहने वाले की इस बात की मुकम्मल तर्दीद हो जाती है कि 'मेरा ईमान अम्बिया के ईमान की तरह है।' इन फ़िक्रों के हामी मुतकल्लिमीन ने इन फ़िक्रों की ताईद के लिये जो कुछ कहा है इस हदीस को सामने रखें तो उनमें से किसी बात में कोई वज़न बाक़ी नहीं रहता।

अल्बत्ता मुहद्दिसीन की भरपूर मुहिम (तहरीक) के नतीजे में कुछ अहले इल्म ने इन बातों की अज़ सरे नौ (नये सिरे से) तअबीर और वज़ाहत करने की कोशिश कीं। शैख़ मुल्ला अली क़ारी ने इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के बाद उनके ऐसे शारेहीन के वज़ाहती बयान जमा करके कामयाबी से हज़रतुल इमाम के अक़्वाल की ऐसी तअबीर कर दी है जो किताबो-सुन्नत पर मबनी अइम्म-ए-मुहद्दिसीन और जुम्हूर उम्मत के नुक़्त-ए-नज़र के क़रीबतर है।

ईमान के हवाले से इमाम मुस्लिम ने अहादीस की जमा व तर्तीब के ज़रिये से जो हक़ाइक़ वाज़ेह किये, ये उनका एक इज्माली जायज़ा है, इस जायज़े का मक़सद ये है कि क़ारेईन के सामने ईमान के बुनियादी हक़ाइक़ का एक मुख़्तसर नक़्शा मौजूद रहे और इमाम मुस्लिम ने अपने हुस्ने तर्तीब से जो नुकात वाज़ेह करने की कोशिश की उनके समझने में मुश्किल पेश न आये।

*****

كتاب الإيمان

1. ईमान का बयान

باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه	**बाब 1 : ईमान, इस्लाम और एहसान का बयान, अल्लाह तआ़ला के लिये तक़दीर के इस़बात पर ईमान लाज़िम है, जो लोग तक़दीर पर ईमान नहीं लाते उनसे बराअत की दलील और उनके बारे में सख़्त अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल**

इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल्हज्जाज (रह.) फ़रमाते हैं, 'हम अल्लाह तआ़ला की मदद से शुरू करते हैं और उसे ही काफ़ी समझते हैं, हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाने वाला अल्लाह तआ़ला ही है जो अ़ज़मत व जलालत वाला है।'

حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ

(93) मुझे अबू ख़ैस़मा ज़ुहैर बिन हरब ने वकीअ़ के वास्ते से, कहमस से सुनाया, कहमस कहते हैं, मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने यहया बिन यअ़मर से नक़ल किया, नीज़ इमाम मुस्लिम का क़ौल है हमें उ़बैदुल्लाह बिन मुआ़ज़ अल्अम्बरी ने अपने बाप के वास्ते से, कहमस से बयान किया और ये अल्फ़ाज़ अ़म्बरी के हैं (हदीस़ अ़म्बरी की नक़ल की गई है) कहमस (रह.), इब्ने बुरैदा (रह.) के वास्ते से यहया बिन यअ़मर (रह.) से रिवायत करते हैं कि बसरा में सबसे पहले मसल-ए-तक़दीर पर बातचीत की शुरूआत मअ़बद अल्जुहनी ने किया। मैं (यहया) और हुमैद बिन

फ़ानतलक़्तु... अब्दुर्रहमान हिमयरी हज या उमरा के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, ऐ काश! हमारी मुलाक़ात नबी (ﷺ) के साथियों में से किसी एक के साथ हो जाये, तो हम इससे (ये लोग जो कुछ तक़दीर के बारे में कह रहे हैं) उसके बारे में पूछ लें। तो इत्तिफ़ाक़न हमारी मुलाक़ात अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मस्जिद में दाख़िल होते हुए हो गई और मेरे साथी ने उन्हें घेर लिया। हममें से एक उनके दायें और दूसरा उनके बायें था। मैंने ख़याल किया, मेरा साथी यक़ीनन बातचीत का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनाँचे मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान (ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. की कुन्नियत है) वाक़िया ये है कि हमारे इलाक़े में कुछ ऐसे लोग हैं जो क़ुरआन की क़िरअत करते हैं और इल्म के मुतलाशी हैं (इस तरह) उन के हालात बयान किये उन लोगों का ख़याल है कि तक़दीर का कोई मसला नहीं। हर काम नये सिरे से हो रहा है (अल्लाह तआला को पहले से उसका इल्म नहीं है) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, जब तेरी उन लोगों से मुलाक़ात हो तो उन्हें बताना, मैं उनसे बरी हूँ (उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं) और उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जिस ज़ात की क़सम उठाता है उसकी क़सम उनमें से किसी एक के पास अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो, जिसे वो ख़र्च कर दे अल्लाह तआला उसे क़ुबूल नहीं फ़रमायेगा यहाँ तक कि वो तक़दीर पर ईमान ले आये। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने बताया कि एक दिन हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ - وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ - وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفٌ . قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ

إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ . قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ . قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ .

में हाज़िर थे। इसी बीच में अचानक एक शख़्स हमारे सामने नमूदार हुआ जिसके कपड़े इन्तिहाई सफ़ेद और बाल बहुत ही ज़्यादा काले थे। उस पर सफ़र के असरात दिखाई न देते थे और हममें से कोई एक उसे जानता-पहचानता भी न था। यहाँ तक कि वो आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिये और अपनी हथेलियाँ अपनी रानों पर रख लीं (जैसे तालिबे इल्म उस्ताद के सामने बैठता है) और पूछा, ऐ मुहम्मद! मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस्लाम ये है कि तू इस बात का इक़रार करे कि अल्लाह तआला के अलावा कोई इलाह नहीं (बन्दगी और इबादत के लायक़ कोई नहीं) और मुहम्मद उसके रसूल हैं, नमाज़ का एहतिमाम करे, ज़कात अदा करता रहे, रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह का हज करे अगर उस तक पहुँचने की ताक़त रखता हो।' उसने कहा, आपने सच कहा। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, हमें उसकी इस बात पर ताज्जुब हुआ कि ये शख़्स पूछता है और फिर (ख़ुद ही) तस्दीक़ करता है। उसने सवाल किया, मुझे ईमान की हक़ीक़त से आगाह कीजिये? आपने फ़रमाया, 'तू अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आख़िरत के दिन यानी क़यामत को मान ले और तक़दीर को, ख़ैर की हो या शर की, तस्लीम कर ले।' उसने कहा, आपने दुरुस्त फ़रमाया। उसने पूछा, पस मुझे एहसान की हक़ीक़त की ख़बर दीजिये? आपने फ़रमाया, 'तू अल्लाह तआला की बन्दगी व ताअत इस तरह करे गोया कि तू उसे

قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا . قَالَ " أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ " . قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي " يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " .

देख रहा है हालांकि तू उसे नहीं देख रहा, यक़ीनन वो तुझे देख रहा है।' उसने सवाल किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइये? आपने जवाब दिया, जिससे क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है, वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, तो मुझे उसकी कुछ अलामत (निशानियाँ) ही बता दीजिये? आपने फ़रमाया, 'लौण्डी अपनी मालिका को जनेगी और तू देखेगा नंगे पाँव, नंगे बदन वाले, मोहताज, बकरियों के चरवाहे इमारतों की तामीर में, एक-दूसरे पर फ़ख़्र करेंगे।' हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है फिर वो सवाल करने वाला चला गया तो मैं कुछ देर ठहरा रहा। बाद में मुझसे आपने पूछा, 'ऐ उमर! तुझे मालूम है साइल कौन था?' मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानता है। आपने फ़रमाया, 'वो जिब्रईल (अलै.) थे, तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे।'

(अबू दाऊद : 4695, तिर्मिज़ी : 2610, नसाई : 8/97-101, 5005, इब्ने माजह : 63)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़दर, दाल की ज़बर और सुकून के साथ पढ़ा जाता है, मानी है अन्दाज़ा, मिक़्दार, क़ुदरत व ताक़त **(2) यतक़फ़्फ़रून :** वो तलाश और जुस्तजू करते हैं, अगर क़ाफ़ की बजाए फ़ा पहले हो यानी यतफ़क़्क़रून तो मानी होगा बारीकियाँ निकालते हैं, गहराई में उतरते हैं **(3) अल्अम्र उन्फ़ुन :** हर काम नये सिरे से हो रहा है, अल्लाह तआला को पहले से उसका इल्म नहीं, अल्लाह तआला को वुक़ूअ के बाद पता चलता है। **(4) हुफ़ात :** हाफ़िन की जमा है। नंगे पाँव वाले, उरातिन का मुफ़रद आरिन है, नंगे बदन वाले, आलतुन का मुफ़रद आइल है। फ़क़ीर व मोहताज, रिआअ रा के ज़ेर के साथ राइन की जमा है चरवाहा। **(5) यततावलून :** इमारत के इरतिफ़ाअ व बुलंदी और कसरत पर एक-दूसरे से बढ़ेंगे और उनसे हुस्न व ज़ेबाइश पर एक-दूसरे पर फ़ख़्र करेंगे। **(6) मलिय्या :** मीम के फ़तह और या की तशदीद के साथ, काफ़ी अरसा या देर तक ठहरना। सुनन की रिवायत है कि ये अरसा तीन दिन था। हज़रत उमर (रज़ि.) मज्लिस से जल्द चले गये थे, इसलिये उनको आपने बाद में

बताया और हाज़िरीन को उसी मज्लिस में बता दिया था।

फ़वाइद : (1) जिब्रईल (अलै.) की आमद और आपसे बातचीत नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी के बिल्कुल आख़िरी दौर में हुई, गोया जिस दीन की तक्मील, आपकी 23 साला ज़िन्दगी में हुई आख़िरी दौर में हज़रत जिब्रईल (अलै.) के सवालात और आप (ﷺ) के जवाबात की सूरत में उसका ख़ुलासा और न्चोड़ सहाबा किराम (रज़ि.) के सामने पेश कर दिया गया और इसी हदीस़ को हदीसे जिब्रईल के नाम से मौसूम करते हैं। **(2)** इस हदीस़ में चूंकि पूरे दीन का निचोड़, ख़ुलासा और अतर आ गया है जिस तरह फ़ातिहा में पूरे क़ुरआन का निचोड़ और मग़ज़ आ गया है, इसलिये इस हदीस़ को उम्मुस्सुन्नह या उम्मुल हदीस़ का नाम दिया गया। जिस तरह कि फ़ातिहा को उम्मुल क़ुरआन या उम्मुल किताब कहा जाता है। **(3)** दीन का हासिल और रूह तीन बातें हैं : (अ) इंसान अपने आपको मुकम्मल तौर पर अल्लाह तआला के सुपुर्द कर दे, उसका मुतीअ और फ़रमांबरदार बन जाये। अपनी पूरी ज़िन्दगी उसकी बन्दगी में गुज़ारे, इसका नाम इस्लाम है और इसके पाँच अरकान, तौहीद व रिसालत का इक़रार व शहादत, नमाज़, ज़कात, रोज़ा और बैतुल्लाह का हज। ये इस्लाम का पैकरे महसूस और बन्दगी का मज़हर हैं। (ब) उन ग़ैबी हक़ीक़तों का मानना और उन पर यक़ीन करना, जो अल्लाह तआला का रसूल बतलाये और उनके मानने की दावत दे इसका नाम ईमान है। जिसके छः अरकान हैं, अल्लाह तआला, फ़रिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों, क़यामत और तक़दीर ख़ैर व शर पर ईमान लाना। (स) इस्लाम और ईमान का इस क़द्र पुख़्ता यक़ीन, जिसकी बिना पर अल्लाह तआला की ज़ात का ऐसा इस्तिहज़ार हो कि उसके अहकाम व फ़रामीन और उसके अवामिर व नवाही की तामील इस तरह होने लगे गोया वो हमारी आँखों के सामने है और हमें देख रहा है। फरमांबरदारी और बन्दगी की इस कैफ़ियत का नाम एहसान है। अगरचे इंसान दुनिया में नहीं देख सकता मगर देखने का तसव्वुर कर रहा है क्योंकि अल्लाह तआला तो देख रहा है और असल में उसी के देखने का ऐतबार है क्योंकि अज्र व सवाब उसी को देना है। **(4)** अल्लाह तआला पर ईमान लाना : ये है कि उसको उन तमाम सिफ़ाते कमाल से मुत्तसिफ़ माना जाये जो क़ुरआन व हदीस़ में आई हैं और उनको बिला तश्बीह और तम्सील और बिला तक्यीफ़ व तावील तस्लीम किया जाये और उसको तमाम सिफ़ाते नुक़्स से मुनज़्ज़ा और पाक माना जाये, उसकी ज़ात, सिफ़ात अफ़आल और हुक़ूक़ में किसी को शरीक व सहीम क़रार न दिया जाये, पूरी कायनात का ख़ालिक़ व मालिक और मुदब्बिर व मुन्तज़िम माना जाये, नफ़ा व नुक़सान का मालिक सिर्फ़ उसी को तस्लीम किया जाये। इसलिये तमाम हाजतों और ज़रूरतों को पूरा करने वाला और तमाम मुश्किलात का हल करने वाला उसे ही माना जाये। **(5)** मलाइका पर ईमान लाना : ये है कि वो एक मुस्तक़िल मख़्लूक़ है, जिस तरह इंसान, जिन्न और हैवान एक अलग-अलग और मुस्तक़िल मख़्लूक़ हैं। फ़रिश्ते अल्लाह तआला की एक पाकीज़ा और मोहतरम मख़्लूक़ है। यानी इबादे मुक्रमून मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बन्दे हैं। जिनमें शर और शरारत, इस्यान और सरकशी और नाफ़रमानी का माद्दा नहीं है, 'वो अल्लाह तआला के अहकाम की नाफ़रमानी नहीं

करते। जो हुक्म मिलता है उसकी तामील करते हैं।' (सूरह तहरीम : 6) 'बात में पहल नहीं करते, सिर्फ़ उसके हुक्म के मुताबिक़ ही काम करते हैं।' (सूरह अम्बिया : 27) इस तरह क़ुरआन व सुन्नत में उनकी जो सिफ़ात और फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं उनको दिल की गहराई से मानना 'ईमान बिल्मलाइका' है। **(6)** अल्लाह तआला की किताबों पर ईमान लाने का मक़सद ये है कि तस्लीम किया जाये कि अल्लाह तआला ने इंसानों की रुश्दो-हिदायत और रहनुमाई के लिये वक़्तन-फ़वक़्तन जो हिदायत नामे भेजे वो बरहक़ थे और अब आख़िरी हिदायत नामा क़ुरआन मजीद है। जो पहली तमाम किताबों का मिस्दाक़ और मुहैमिन (निगेहबान व मुहाफ़िज़) है। ये हिदायत नामा, आसमानी हिदायत नामों का गोया आख़िरी मुकम्मल तरीन एडिशन है। जो तमाम आसमानी किताबों के असासी व बुनियादी और ज़रूरी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। सबसे मुस्तग़ना और बेनियाज़ कर देने वाला है। रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों की ज़रूरियात का कफ़ील है। अब इंसान किसी और हिदायत नामे (आसमानी किताब) और शरीअ़त व दीन के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह तआला ने क़यामत तक, इसके हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी उठाई है। फ़रमाया, 'बेशक हम ही ने ज़िक्र उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं।' (सूरह हिज्र : 9) **(7)** अल्लाह तआला के रसूलों पर ईमान लाना ये है कि इस वाक़ेई हक़ीक़त का सिदक़ दिल से इक़रार किया जाये कि अल्लाह तआला ने वक़्तन-फ़वक़्तन अपने बन्दों की रुश्दो-हिदायत और रहनुमाई के लिये, अपने मख़्सूस, बरगुज़ीदा और मुन्तख़ब बन्दों को अपनी रज़ामन्दी का मज़हर ज़ाब्त-ए-हयात और दस्तूरे ज़िन्दगी देकर मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में मुख़्तलिफ़ लोगों की तरफ़ भेजा। उन्होंने इन्तिहाई दयानत व अमानत और फ़र्ज़ शनासी से अल्लाह तआला का पैग़ाम इंसानों तक पहुँचाया और उन्होंने इंसानों को राहे रास्त पर लाने और कुफ़्र व ज़लालत से बचाने के लिये अपनी ज़िन्दगियाँ वक़्फ़ कर दीं और इन्तिहाई मेहनत व मशक़्क़त बर्दाश्त करते हुए अपने फ़र्ज़े मन्सबी से ओहदा बरा हुए। वो सबके सब सादिक़ और अमीन थे। उनमें से किसी ने भी अपना फ़र्ज़ अदा करने में कोताही नहीं की और न ही किसी ने सुस्ती और काहिली का मुज़ाहिरा किया। उनमें से कुछ के हालात व वाक़ियात क़ुरआन व सुन्नत में बयान किये गये हैं और अक्सर के हालात पर्द-ए-ख़िफ़ा में हैं, फ़रमाया, 'उनमें से कुछ का हाल हमने आपसे बयान किया है और कुछ का हाल आपसे बयान नहीं किया है।' (सूरह मोमिन : 78) रिसालत व नुबूवत का ये सिलसिला हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी नबी या रसूल का आना मुम्किन नहीं है और जो भी ये दावा करता है या करेगा वो झूठा और मक्कार है और उसको मानने वाला दायर-ए-इस्लाम से ख़ारिज होगा। आप ख़ातिमुल अम्बिया और अल्लाह तआला के आख़िरी रसूल हैं। 'मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, अल्बत्ता अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़ातिम हैं।' (सूरह अहज़ाब : 40) क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिये निजात व फ़लाह आप ही की पैरवी पर मौक़ूफ़ है और आप ही की हिदायात व तालीमात की पाबंदी ईमान की अलामत और निशानी है। **(8)** ईमान बिल्यौमिल आख़िर का मानी ये है कि इस हक़ीक़त का यक़ीन किया जाये कि ये दुनिया अपने वक़्ते

मुक़र्ररह पर अन्जाम को पहुँच जायेगी। यानी मौजूदा कायनात फ़ना कर दी जायेगी, दुनिया के ख़ातमे पर अल्लाह तआला अपनी क़ुदरते कामिला से तमाम इंसानों को दोबारा ज़िन्दा फ़रमायेगा और उनसे उनकी ज़िन्दगी का हिसाबो-किताब लेगा। इंसान ने जो कुछ इस दुनिया में किया है उसकी जज़ा या सज़ा पायेगा जो बोया है उसे ही काटेगा। इंसान की कामयाबी व कामरानी या नाकामी व नामुरादी का दारो-मदार इंसान के अपने अक़ीदे और अमल पर है। (9) ईमान बिल्क़दर ये है कि इस बात का इक़रार किया जाये कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ख़ैर है या शर्र, नेक है या बद, कुफ़्र व शिर्क है या ईमान व यक़ीन, शरीअत व दीन की पाबंदी व पासदारी है या नाफ़रमानी व इस्यान और सरकशी। इन सबका अल्लाह तआला को पहले से इल्म है और सब कुछ उसके इरादे और मशिय्यत (चाहत) के तहत हो रहा है। लेकिन वो ईमान व यक़ीन और इताअत व फ़रमांबरदारी को पसंद फ़रमाता है और कुफ़्र व इस्यान को नापसंद करता है। 'वो अपने बन्दों के लिये कुफ़्र को नापसंद करता है और अगर तुम शुक्र करोगे तो वो उसे तुम्हारे लिये पसंद करता है।' (सूरह ज़ुमर : 7) दुनिया में कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं। वो जो कुछ चाहता है वही होता है और जो कुछ नहीं चाहता वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो तो कुछ और चाहता हो लेकिन इस दुनिया में उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ और वाक़ेअ हो जाये। वो आजिज़ और बेबस नहीं है बल्कि क़ुदरते कामिला का मालिक है। उसका इल्म मुहीत है यानी अज़ली व अबदी है। हर चीज़ को उसके वुक़ूअ से पहले जानता है और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके इल्म के मुताबिक़ हो रहा है ऐसा नहीं है कि उसके इल्म में कुछ हो और वाक़ेअ कुछ और हो जाये।

क़दरिया जो मअबद जुहनी के पैरोकार हैं : वो इन चीज़ों के मुन्किर हैं। उनके बक़ौल अल्लाह तआला को पहले से किसी चीज़ का इल्म नहीं है। बल्कि उस वक़्त इल्म होता है जब कोई चीज़ वाक़ेअ हो जाती है। इस फ़िर्क़े को जो तक़दीर का मुन्किर है क़दरिया इसलिये कहते हैं कि ये लोग तक़दीर के मसले पर बहुत बहस व तम्हीस करते हैं। अहले हक़ तमाम कामों को अल्लाह तआला के सुपुर्द करते हैं और उनके तमाम कामों, ख़ैर हों या शर्र, नेक हों या बद, का ख़ालिक़ अल्लाह तआला को तस्लीम करते हैं। इंसान को सिर्फ़ फ़ाइल (करने वाला) और कासिब (कमाने वाला) क़रार देते हैं और क़दरिया तमाम अफ़आल का ख़ालिक़ अपने आपको यानी इंसान को क़रार देते हैं। गोया क़दर और फ़ैअल की निस्बत अपनी तरफ़ करते हैं। इसलिये उनका नाम क़दरिया रखा गया। लेकिन ये अक़ीदा क़दीम क़दरिया का था जो ख़त्म हो चुके हैं। मुअतज़िला को भी क़दरिया कहते हैं, क्योंकि वो भी इस बात के क़ाइल थे कि बन्दा क़ादिर है और वो ख़ुद अपने अफ़आल ख़ैर हों शर, कुफ़्र व ज़लालत हों या रुश्दो-हिदायत का ख़ालिक़ है। राफ़ज़ी यानी शीया का मौक़िफ़ भी यही है। अहले हदीस़ के नज़दीक हर चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह तआला है उसके सिवा कोई भी ख़ालिक़ नहीं। यहाँ तक कि इंसान के इरादे व इख़्तियार और इंकार व ख़्यालात का ख़ालिक़ भी वही है।

जदीद क़दरिया : ख़ैर का ख़ालिक़ अल्लाह तआला को मानते हैं और शर का इंसान को। इसलिये

उनको मजूस क़रार दिया जाता है क्योंकि मजूसी भी नूर (यज़्दाँ) को ख़ालिक़े ख़ैर क़रार देते हैं और ज़ुल्मत (अहरमन) को ख़ालिक़े शर। जबकि हक़ीक़तन ये लोग मजूस से भी बदतर हैं। क्योंकि इन्होंने तो हर इंसान को ख़ालिक़ क़रार दिया है। (10) एहसान : ये है कि हर इंसान, हर अमल इन्तिहाई ख़ूबी व कमाल के साथ इस तरह सर अन्जाम दे गोया कि वो अल्लाह तआ़ला को अपनी आँखों से देख रहा है। क्योंकि ये तो एक हक़ीक़ते मुसल्लमा है कि वो हमें देख रहा है अगरचे हम उसे देख नहीं रहे हैं। इस तरह एहसान का ताल्लुक़ इंसान की पूरी ज़िन्दगी और हर हरकत व अ़मल से है। इसकी हक़ीक़त ये है कि अल्लाह तआ़ला की बन्दगी व ताअ़त और उसके हर हुक्म की तामील इस तरह की जाये और उसकी पकड़ व मुहासबे से इस तरह डरा जाये गोया वो हमारे सामने है और हमारी हर हरकत व सुकून और हर क़ौल-फ़ैअ़ल को देख रहा है और हमारा दाइया अ़मल जज़्ब-ए-फ़ैअ़ल और इख़्लास व मेहनत उस पर ज़ाहिर है। इस हक़ीक़त को यूँ समझा जा सकता है कि एक ग़ुलाम अपने आक़ा के हुक्म की तामील एक तो उस वक़्त करता है जब उसका आक़ा व मालिक उसके सामने मौजूद होता है और उसको यक़ीन होता है कि मेरा आक़ा मेरे काम को अच्छी तरह देख रहा है और एक सूरत ये होती है कि ग़ुलाम का आक़ा उसके सामने मौजूद नहीं होता और वो ये समझता है कि मेरा मालिक मेरे काम को देख नहीं रहा है। आ़म तौर पर इन दोनों क़िस्म में हालात में फ़र्क़ होता है। जिस क़द्र तवज्जह व एहतिमाम और मेहनत व लगन और ख़ूबसूरती व हुनरमन्दी से ग़ुलाम आक़ा के सामने जबकि वो दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, काम सर अन्जाम देता है। उसकी ग़ैर मौजूदगी या नज़र न आने की सूरत में इस क़द्र ख़ुश उस्लूबी और मेहनत या काविश और ज़ौक़ व शौक़ से काम नहीं करता। यही हाल इंसान का अपने ख़ालिक़ व मालिक के साथ है जिस वक़्त बन्दा ये महसूस करता है कि मेरा ख़ालिक़ व मालिक मुझे देख रहा है, मेरा हर काम, हर क़ौल व फ़ैअ़ल और उसका जज़्ब-ए-मुहर्रिका या दाइया अ़मल उस पर ज़ाहिर है। उस वक़्त उसके अ़मल व रवैये में जो दिली तवज्जह व एहतिमाम, मेहनत व लगन और इख़्लास का जज़्बा कारफ़रमा होता है वो उस वक़्त नहीं होता। जब उसे ये एहसास हो कि मेरा आक़ा व मालिक मुझे नहीं देख रहा है इसलिये हर क़ौल व अ़मल के वक़्त इस एहसास का इस्तिहज़ार होना चाहिये कि मैं अपने मालिक को देख रहा हूँ जैसाकि वो मुझे देख रहा है क्योंकि उसका देखना एक तयशुदा हक़ीक़त है। इसलिये जज़्ब-ए-मुशाहिदा हक़ को पैदा करने की ज़रूरत है। अ़ल्लामा नववी (रह.) और इमाम सिन्धी (रह.) ने इसी मानी को तरजीह दी है लेकिन आ़म तौर पर ये मानी किया जाता है कि आ़ला दर्जा इस हक़ीक़त को पैदा करना है कि मैं अल्लाह तआ़ला को देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, इसको मुशाहिद-ए-हक़ का नाम दिया जाता है। अगरचे ये दर्जा पैदा न हो सके तो कम से कम इस हक़ीक़त का तो इस्तिहज़ार व तसव्वुर होना चाहिये कि वो (अल्लाह तआ़ला) मुझे देख रहा है, अगरचे मैं उसे नहीं देख रहा हूँ इसको मुराक़ब-ए-हक़ का नाम दिया जाता है। अ़ल्लामा नववी (रह.) व सिन्धी (रह.) के नज़दीक इंसान का अल्लाह तआ़ला को न देखना एक हक़ीक़त है जिस तरह कि अल्लाह तआ़ला का इंसान को देखना एक

हक़ीक़त है। इसलिये मुराक़ब-ए हक़ का इस्तिहज़ार और ज़हन नशीन होना ही मुशाहिद-ए-हक़ का ज़रिया व वास्ता है। **(11)** अगर इंसान को किसी चीज़ का इल्म न हो तो उसे अहले इल्म से पूछना चाहिये और अहले इल्म को सवाल का ख़न्दा पेशानी से जवाब देना चाहिये और अगर साहिबे इल्म को किसी सवाल का जवाब मालूम न हो तो उसे साफ़ कह देना चाहिये मुझे इसका इल्म नहीं है। तहक़ीक़ व जुस्तजू के बाद बता सकूँगा और हर सवाल का जवाब मालूम न होना अहले इल्म की शान के मुनाफ़ी नहीं। क्योंकि आ़लिम के लिये हर बात का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। जिब्रईल (अ़लै.) और नबी (ﷺ) के सवालात व जवाबात इस हक़ीक़त का मज़हर हैं और क़ुरआन मजीद ने इस हक़ीक़त को यूँ बयान फ़रमाया है, 'अगर तुम्हें इल्म न हो तो अहले इल्म से पूछ लो।' (सूरह नहल : 43)

अ़लामाते क़यामत : (अ) लौण्डी, अपनी मालिका और आक़ा को जनेगी। शारिहीने हदीस़ ने इस जुम्ले के अलग-अलग मआ़नी बयान फ़रमाये हैं। दौरे हाज़िर के मुनासिब मानी ये है कि क़यामत के वुक़ूअ़ और क़ुर्ब की अ़लामत में से एक अ़लामत ये है कि माँ-बाप की नाफ़रमानी आ़म हो जायेगी यहाँ तक कि बच्चियाँ जिनकी जिबिल्लत व सरशत में माँओं की इताअ़त और फ़रमांबरदारी का जज़्बा वाफ़िर होता है। जिनसे माँ की सरकशी व नाफ़रमानी का सुदूर बज़ाहिर बहुत मुश्किल है वो भी न सिर्फ़ ये कि माँओं की नाफ़रमान होंगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलायेंगी जिस तरह एक मालिका अपनी लौण्डी पर हुक्म चलाती है। (ब) भूखे, नंगे और बकरियों के चरवाहे यानी निचले तबक़े के लोग ऊँचे-ऊँचे महल और क़िलेनुमा कोठियाँ तामीर करेंगे। इस फ़िक़रे में इस हक़ीक़त की निशानदेहीं फ़रमाई गई है कि क़यामत के क़रीब दुनियावी माल व दौलत और सरदारी, चौधराहट उन लोगों के हाथ में आयेगी जो उसके अहल नहीं होंगे। उनके नज़दीक माल व दौलत और हुकूमत व इक़्तिदार का मक़सद व मसरफ़ यही होगा कि ऊँचे-ऊँचे और शानदार महल बनवाये जायें और इसी को सरमायाए फ़ख़्र व मबाहात क़रार दिया जाये। इसमें एक दूसरे से बाज़ी ले जाने की कोशिश की जायेगी। हमारे मुल्क का सदारती महल, वज़ीरे आ़ज़म हाऊस और हमारे लीडरों की कोठियाँ इसका मुँह बोलता सुबूत हैं। नबी (ﷺ) ने इस हक़ीक़त को एक दूसरी हदीस़ में यूँ बयान फ़रमाया है, '**जब हुकूमती इख़्तियारात और ओ़हदे व मनासिब नाअहलों के सुपुर्द होने लगें तो फिर क़यामत का इन्तिज़ार करना।**' (बुख़ारी)

कुछ शुब्हात का इज़ाला : कुछ हज़रात ने इस हदीस़ से इस्तिदलाल करते हुए या मुहम्मद कहना और इसके ज़रिये निदा करना जाइज़ क़रार दिया है ओर लिखा है ये निदा अदब और एहतिराम के ख़िलाफ़ नहीं। अगर निदा करना अदब व एहतिराम के ख़िलाफ़ होता तो या अल्लाह कहना भी हराम होता। इसकी ताईद में वो अहादीस़ भी पेश की हैं जिनमें अल्लाह तआ़ला और अम्बिया (अ़लै.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को या मुहम्मद के साथ निदा और ख़िताब किया है।

इसका जवाब ये है : (1) अल्लाह तआ़ला, जिब्रईल और कुछ अम्बिया का आपको या मुहम्मद कहना आपकी दुनियावी ज़िन्दगी में और आपके सामने था और आज आप (ﷺ) को या मुहम्मद हाज़िर

व नाज़िर समझकर मदद और इस्तिग़ासा के लिये कहा जाता है इसलिये ये क़यास मअल फ़ारिक़ है। आपको हाज़िर व नाज़िर समझना और इस वक़्त आपसे मदद और इस्तिग़ासा करना क़ुरआन व सुन्नत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आपको अब हयाते बरज़ख़ी हासिल है और आपका हम से ताल्लुक़ व राब्ता ख़त्म हो चुका है। इसलिये इस अक़ीदे की सूरत में तो या रसूलल्लाह कहना भी दुरुस्त नहीं है।

(2) या अल्लाह कहना शरीअत की दलीलों से साबित है और या मुहम्मद कहना ख़िलाफ़े अदब व एहतिराम है और मख़्लूक़ को ख़ालिक़ पर क़यास करना, एक फ़रेब और धोखा है।

(3) या मुहम्मद कहने की मुमानिअत और उसका अदब व एहतिराम के मुनाफ़ी होना उम्मते मुहम्मदिया (अलै.) के लिये है। अल्लाह तआला, जिब्रईल और अम्बिया (अलै.) इसके मुकल्लफ़ न थे।

(4) अल्लाह तआला, जिब्रईल (अलै.) और अम्बिया (अलै.) का या मुहम्मद कहना निदा या ख़िताब के लिये न था क्योंकि उनके सामने और उनके पास आप मौजूद थे। महज़ अपनी तरफ़ मुतवज्जह करना मक़सूद था। इसलिये जिब्रईल (अलै.) ने कभी या मुहम्मद कहा और कभी या रसूलल्लाह कहा। जैसाकि इमाम बुख़ारी ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में सूरह लुक़मान में या रसूलल्लाह के अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं, मुस्लिम में ये रिवायत आगे आ रही है।

(5) जिब्रईल (अलै.) जिस कैफ़ियत और हैबत में आये थे उसका तक़ाज़-ए-मस्लिहत यही था कि आप बदवियाना अन्दाज़ से आपको मुख़ातब करते और अदब व एहतिराम का इज़हार न हो क्योंकि बद्दू शख़्स अदब व आदाब से वाक़िफ़ न थे क्योंकि अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस में है उसने या रसूलल्लाह कहा था।

(6) जिब्रईल (अलै.) ने सिफ़ती मानी का इरादा किया यानी बहुत तारीफ़ किया गया, बतौरे नाम ख़िताब मक़सूद न था।

(94) मुझे हम्माद बिन ज़ैद के वास्ते से मतरिल वर्राक़ ने बयान किया। मतर ने अब्दुल्लाह बिन बुरैदा के वास्ते से यहया बिन यअमर से नक़ल किया कि जब मअबद ने तक़दीर के बारे में जो बातचीत चाही, की। हमने उसे बहुत अजीब ख़याल किया। तो मैं और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हिमयरी ने हज किया। इमाम मुस्लिम के तीनों उस्ताद ने कहमस की रिवायत, उसकी सनद से बयान की और अल्फ़ाज़ में कुछ कमी-बेशी है।
(अबू दाऊद : 4695, तिर्मिज़ी : 2610, नसाई : 8/97-101, 5005, इब्ने माजह : 63)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا ذَلِكَ . قَالَ فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حِجَّةً . وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ . وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ .

(95) अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने यहया बिन यअ़मर और हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान दोनों से नक़ल किया कि हम अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को मिले और हमने तक़दीर का तज़्किरा किया और मुन्किरीने तक़दीर का क़ौल नक़ल किया। मुहम्मद बिन हातिम ने भी इमाम साहब के ऊपर ज़िक्र किये उस्ताद की तरह हज़रत उ़मर (रज़ि.) से रिवायत बयान की उसमें कुछ इज़ाफ़ा है और कुछ कमी भी की है।

(अबू दाऊद : 4696)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ . فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ شَىْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا .

(96) मोतमिर ने अपने बाप के हवाले से यहया बिन यअ़मर की अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से हज़रत उ़मर (रज़ि.) की रिवायत बयान की जो ऊपर ज़िक्र किये गये उस्ताद की हदीस़ जैसी है।

(अबू दाऊद : 4695, तिर्मिज़ी : 2610, नसाई : 8/97-101, 5005, इब्ने माजह : 63)

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(97) अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) एक दिन लोगों के सामने तशरीफ़ फ़रमा थे। तो एक आदमी ने आकर आपसे सवाल किया ऐ अल्लाह के रसूल! ईमान क्या है? आपने फ़रमाया, 'तुम अल्लाह तआ़ला के फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसकी मुलाक़ात और उसके रसूलों को मान लो और दोबारा उठने का यक़ीन कर लो।' उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! इस्लाम क्या है? आपने जवाब दिया, 'इस्लाम ये है कि अल्लाह तआ़ला की इबादत व बन्दगी करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, फ़र्ज़ नमाज़ की पाबंदी करो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ " .

उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! एहसान की हक़ीक़त क्या है? आपने इरशाद फ़रमाया, 'अल्लाह की बन्दगी इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि बेशक तुम उसे नहीं देख रहे हो वो तो तुम्हें देख रहा है।' उसने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! क़यामत कब क़ायम होगी? आपने फ़रमाया, 'जिससे सवाल किया गया है वो उसके बारे में पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें उसकी निशानियों से आगाह कर देता हूँ, जब लौण्डी अपने मालिक को जनेगी तो ये उसकी अलामत में से होगा और जब नंगे जिस्म, नंगे पाँव, लोगों के सरदार (हाकिम) होंगे तो ये भी उसकी निशानी होगी और जब भेड़-बकरियों के चराने वाले, बड़ी-बड़ी इमारत बनाने में एक-दूसरे पर बाज़ी ले जाने की कोशिश करेंगे (और उसमें एक-दूसरे पर फ़ख़्र करेंगे) तो ये भी उसकी अलामत में से है। क़यामत के वुक़ूअ का इल्म उन पाँच चीज़ों में से है जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता।' फिर आपने ये आयत पढ़ी, 'बेशक अल्लाह तआला ही के पास है क़यामत का इल्म, वही बारिश बरसाता है और माँ के पेट में जो कुछ है उसे जानता है, कोई नफ़्स नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, न किसी नफ़्स को ये मालूम है कि वो किस ज़मीन में (किस जगह) फ़ौत होगा। बेशक अल्लाह ही ख़ूब जानने वाला ख़बरदार है।' (सूरह लुक़मान 34) रावी ने बताया, फिर वो आदमी पीठ फेरकर चला गया, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस आदमी को वापस मेरे पास लाओ।' सहाबा किराम (रज़ि.) उसे वापस लाने के लिये निकले तो उन्हें कुछ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ " . ثُمَّ تَلاَ صلى الله عليه وسلم { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} " . قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ " . فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ

नज़र न आया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये जिब्राईल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आये थे।'

(सहीह बुख़ारी : 50, 4777, इब्ने माजह : 64, 4044)

يَرَوْا شَيْئًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ ‏"‏ ‏.‏

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्ईमान : अमन से माख़ूज़ है और अमन ख़ौफ़ की ज़िद्द है। इसलिये इसका मानी है ख़ौफ़ का न होना। तमानियत व तस्कीन और इंसान जिससे बेख़ौफ़ होता है उस पर ऐतमाद और भरोसा करता है और उससे बेक़रार और परेशान नहीं होता, इसलिये ईमान का लफ़्ज़ चार मानी में इस्तेमाल होता है। **(2) आमनहुम :** उनको बेख़ौफ़ कर दिया। **(3) आमन बिही :** इसका ऐतराफ़ किया, इसको मान लिया। **(4) आमन लहू :** उसकी तस्दीक़ की। **(5) आमन अ़लैहि :** उस पर ऐतमाद व भरोसा किया। इसलिये ईमान का मानी होगा, रसूल पर ऐतमाद करते हुए उसकी बात की तस्दीक़ करके उसको मुख़ालिफ़त से बेख़ौफ़ कर देना।

इस्लाम : इस्लाम का मानी है अपने आपको किसी के सुपुर्द कर देना और उसके ताबेअ़ फ़रमान हो जाना। इसलिये अल्लाह तआ़ला के भेजे हुए और उसके रसूलों के पेश किये गये ज़ाब्ते हयात का नाम इस्लाम है। क्योंकि इसकी रू से इंसान अपने आपको बिल्कुल अल्लाह तआ़ला के हवाले कर देता है और उसके मुक़ाबले में अपनी रज़ा से दस्तबरदार होकर मुकम्मल तौर पर उसकी इताअ़त का अ़हद (वादा) करता है।

एहसान : हुस्न से माख़ूज़ है जिसका मानी है ख़ूबी व कमाल, इस्तिहकाम व पुख़्तगी, काम इस तरह करना जिस तरह के उसके करने का हक़ है।

लिक़ा : मस्दर है जिसका मानी मुलाक़ात है। लेकिन यहाँ मुराद, हिसाबो-किताब के लिये अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर पेशी है।

बअ़से आख़िर : इससे मुराद जज़ा व सज़ा के लिये दोबारा ज़िन्दा होना है।

अश्रात : शर्त शीन और रा के फ़तहा के साथ की जमा है जिसका मानी अ़लामत व निशानी है या मुक़द्दमात (किसी चीज़ के शुरूआ़ती मामलात)।

बह्म : बह्मतुन की जमा है और बह्मुन भेड़-बकरी के बच्चे को कहते हैं।

फ़वाइद : (1) अरकाने इस्लाम : अरकाने इस्लाम में से पहला रुक्न अल्लाह तआ़ला की बन्दगी और इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना है। ये रुक्न असास (बुनियाद) और संग मील की हैसियत रखता है जिस पर बाक़ी अरकान की क़ुबूलियत और उनके क़ियाम व बक़ा का इन्हिसार (दारोमदार) है। इबादत के असल मानी हैं किसी के लिये राम होना। उसके सामने बिछ जाना और उसके हुज़ूर इन्तिहाई आ़जिज़ी व फ़रौतनी और बेबसी व इन्किसारी का इज़हार करना, चुनाँचे उसके लिये इताअ़त व फ़रमांबरदारी लाज़िम है।

शरीयत की रू से इबादत : उस इजज़ व नियातीहुल ग़ैब की तफ़्सीर इन उलूमे ख़मसा से की है। (फ़तहुल बारी)

(98) इमाम साहब ने ऊपर वाली रिवायत दूसरे उस्ताद से बयान की है। सिर्फ़ इन अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ है, वलदतिल अमतु बअ्लहा लौण्डी अपने मालिक को जनेगी, यानी रब की जगह बअ़ल का लफ़्ज़ है। यानी अस्सरारी, लौण्डियाँ।

(सहीह बुख़ारी : 50, 4777, इब्ने माजह : 64, 4044)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ " إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ بَعْلَهَا " يَعْنِي السَّرَارِيَّ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) बअ़ल : बअ़ल की तफ़्सीर कुछ ने शौहर से की है और कुछ ने मालिक व आक़ा से। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इसी को इख़्तियार किया। **(2) सरारी :** सिरायह की जमा है, सिरया उस लौण्डी को कहते हैं जो ताल्लुक़ात क़ायम करने के लिये रखी जाती है।

(99) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझसे पूछ लो।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपसे सवाल करने में हैबत महसूस की (आपकी इज़्ज़त की बिना पर सवाल न किया) तो एक आदमी आया और आपके घुटनों के पास बैठ गया। फिर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! इस्लाम क्या है? आपने फ़रमाया, 'तू अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराये, नमाज़ का एहतिमाम करे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे।' उसने कहा, आपने सच कहा। पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! ईमान क्या है? आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'ये कि तू अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसकी मुलाक़ात, और उसके रसूलों पर ईमान लाये और मरने के बाद उठने का यक़ीन रखे और हर क़िस्म की तक़दीर को तस्लीम करे।' उसने कहा, आपने दुरुस्त फ़रमाया। कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल!

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَلُونِي " . فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ . فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ " لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ

تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ " . ثُمَّ قَرَأَ ‏{‏ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ‏}‏ قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رُدُّوهُ عَلَىَّ " فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا " .

एहसान क्या है? आपने इरशाद फ़रमाया, 'तू अल्लाह तआला से इस तरह डरे, गोया कि तू उसे देख रहा है, बिला शुब्हा अगरचे तू उसे नहीं देख रहा है वो तो तुझे देख रहा है (और असल चीज़ आक़ा व मालिक का देखना है)।' उसने कहा, आपने सहीह फ़रमाया। पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क़यामत कब क़ायम होगी? आपने जवाब दिया, 'जिससे क़यामत के (वाक़ेअ होने के) बारे में पूछा जा रहा है, वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता और मैं तुम्हें उसकी अलामत बताये देता हूँ। जब देखो लौण्डी अपने आक़ा को जन रही है तो ये उसकी निशानियों में से है, और जब देखो नंगे पाँव, नंगे बदन, बहरे, गूंगे, ज़मीन के बादशाह हैं, तो ये भी उसकी अलामत में से है और जब देखो भेड़-बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने में एक-दूसरे पर फ़ख़्र कर रहे हैं तो ये भी उसकी निशानियों में से है। क़यामत उन पाँच ग़ैबी चीज़ों में से है, जिनको अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता।' फिर आपने पढ़ा, 'क़यामत का इल्म अल्लाह तआला ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि रहमों में क्या है और कोई शख़्स नहीं जानता वो आने वाले कल क्या करेगा और न कोई शख़्स ये जानता है कि वो किस ज़मीन में (कहाँ) फ़ौत होगा, बेशक अल्लाह तआला जानने वाला ख़बर देने वाला है।' (सूरह लुक़मान : 34) फिर आदमी उठकर चला गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे मेरे पास वापस लाओ।' उसे तलाश किया गया तो वो उन्हें (सहाबा किराम) को न मिला। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

फ़रमाया, 'ये जिब्राईल (अलै.) थे जिन्होंने चाहा तुम (दीन) सीख लो, क्योंकि तुमने सवाल न किया था।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अस्सुम्म : असम की जमा है, बहरे (कान रखने के बावजूद हक़ क़ुबूल न करना, गोया सुनने की ताक़त से महरूम होना है) **(2) अल्बुक्म :** अब्कम की जमा है, गूंगे (ज़बान रखने के बावजूद हक़ का इज़हार न करना, ज़बान से महरूम होना है) **(3) मुलूक :** मलिक की जमा है, बादशाह साहिबे इक़्तिदार। **(4) ग़ैब :** जो चीज़ हवास और हिदायते अक़्ली से मालूम न हो सके और उस पर कोई दलील भी क़ायम न हो।

फ़वाइद : (1) हदीस़ में दीन के तीन दरजात बयान किये गये हैं। इस्लाम, ईमान और एहसान। हर बाद वाला दर्जा पहले से बुलंद और उस पर मुश्तमिल है। ईमान के अंदर इस्लाम दाख़िल है और एहसान, इस्लाम और ईमान दोनों पर मुश्तमिल है और आख़िरी, बुलंद तरीन रुत्बा है।

(2) इस्लाम : जिस तरह पूरे दीन का नाम है, जो इस्लाम के सिवा किसी दीन का मुतलाशी होगा। इसी तरह दीन के अमली पैकर जो महसूस हो का नाम भी है, जो पाँच अरकान से तश्कील पाता है।

(3) ईमान : दीन का मर्तबा है जो दीने इस्लाम के छः बुनियादी अरकान पर मुश्तमिल है और इस्लाम के अमली और महसूस होने वाले पाँच अरकान के लिये क़ुव्वते मुहर्रिका का काम देता है, इसलिये इस पर मुश्तमिल और बरतर दर्जा है।

(4) एहसान : दीन का आख़िरी और तीसरा मर्तबा है, जो पहले दोनों दर्जो पर मुश्तमिल और उनसे बुलंद है जिसकी हक़ीक़त ये है कि हर क़ौल व फ़ैअल और अक़ीदा व अमल के पस मन्ज़र हैं। ये जज़्बा और दाइया मौजूद हो कि गोया कि मैं अल्लाह तआला को देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, क्योंकि अल्लाह तआला का देखना तो एक ऐसी हक़ीक़त है जिसका कोई मुसलमान मुन्किर नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान इस हक़ीक़त के तसव्वुर के साथ इस तसव्वुर को भी क़ायम करे कि मैं भी उसे देख रहा हूँ। लेकिन आज हमारी बदक़िस्मती ये है कि इस हक़ीक़ते मुसल्लमा कि अल्लाह तआला हमें देख रहा है, इसका तसव्वुर भी मफ़्क़ूद है। इसलिये कम से कम हमें हर अक़ीदा व अमल के साथ, इस हक़ीक़त का इस्तिहज़ार (तसव्वुर व ख़्याल में) करना चाहिये कि अल्लाह तआला हमें देख रहा है क्योंकि अज्र व सवाब या जज़ा व सज़ा में तो उसके देखने का ऐतबार है।

(5) जिस तरह इंसान को अपनी मौत के वक़्त, दिन और जगह का इल्म नहीं, उसी तरह पूरे आलम या कायनात के फ़ना और ख़ातमे का भी किसी को इल्म नहीं, हाँ क़यामत से पहले उसके क़ुर्ब और वाक़ेअ होने की अलामतों और निशानियों का आहिस्ता-आहिस्ता, बतदरीज ज़ुहूर शुरू हो जायेगा और इस हदीस़ में उनमें से सिर्फ़ तीन निशानियों को बयान फ़रमाया गया है, (1) नंगे, बदन, नंगे पाँव, बकरियों के चरवाहे जो इल्म व फ़ज़्ल से महरूम जाहिल और नादान होते हैं, वो लोगों के हुक्मराँ व क़ाइद और

दौलत व सरवत के मालिक होंगे। जिनका काम इमारात बनाने में एक-दूसरे से बढ़ना और उस पर फ़ख़्र व मबाहात करना होगा। (2) जब फ़क़ीर व क़ल्लाश लोग जो बहरे-गूंगे होंगे यानी सलाहियत व अहलियत और इस्तिअदाद व क़ाबिलियत से महरूम होंगे, अमानत व दयानत और इल्म व फ़ज़ल से तही दामन होंगे, वो बादशाह होंगे, उन्हें अपने हुक़ूक़ व फ़राइज़ का इल्म न होगा। उन्हें तो सिर्फ़ माल व दौलत समेटने और महल्लात बनाने की फ़िक्र होगी, इससे दीन व दुनिया दोनों का हुक्म व नसक़ तबाह व बर्बाद होगा। (3) इल्म और दयानत से महरूमी की बिना पर बेटियाँ, माँओं की नाफ़रमान होंगी बल्कि मालिका की तरह उन पर हुक्म चलायेंगी।

(6) मल्मस्ऊलु अन्हा अअ्लमु मिनस्साइल : आपने ये नहीं फ़रमाया, मैं उसे तुझसे ज़्यादा नहीं जानता, बल्कि ये फ़रमाया, जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। इसमें इस तरफ़ इशारा है कि इस मसले में मेरी और तेरी तख़्सीस नहीं बल्कि हर सवाल करने वाले और जिससे सवाल किया जा रहा है उसके जवाब में बराबर हैं, किसी शख़्स को भी इसका इल्म नहीं दिया गया।

(7) रावी जब उस्ताद से अकेला रिवायत सुने तो हद्दसनी कहता है और जब दूसरे साथियों के साथ सिमाअ करे तो हद्दसना। इसी तरह जब अकेला उस्ताद को रिवायत सुनाये तो अख़बरनी और जब साथियों के साथ क़िरअत करे तो अख़बरना इस्तेमाल करता है। इमाम साहब की भी सूरते हाल यही है।

बाब 2 : नमाज़ का बयान जो इस्लाम के अरकान में से एक रुक्न है

باب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ

(100) हज़रत तलहा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक नजदी आदमी आया। जिसके बाल परागन्दा थे, उसकी आवाज़ की भिनभिनाहट हम सुन रहे थे और वो जो कुछ कह रहा था उसको हम समझ नहीं रहे थे। यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़रीब आया, वो आपसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दिन रात में पाँच नमाज़ें हैं।' तो उसने पूछा, मेरे ज़िम्मे इनके अलावा भी हैं? आपने फ़रमाया,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ " لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ " . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ " لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " .

'नहीं! मगर ये कि तू नफ़ली नमाज़ अदा करे और माहे रमज़ान के रोज़े रखे।' तो उसने पूछा, क्या मेरे ज़िम्मे इसके अलावा रोज़े भी हैं? फ़रमाया, 'नहीं! मगर ये कि तुम नफ़ली रोज़े रखो।' और रसूलुल्लाह ने उसे ज़कात के बारे में बताया तो उसने सवाल किया, क्या मेरे ज़िम्मे ज़कात के सिवा सदक़ा भी फ़र्ज़ है? आपने जवाब दिया, 'नहीं! हाँ, अगर तुम नफ़ली सदक़ा करना चाहो तो कर सकते हो।' रावी बयान करते हैं वो आदमी ये कहता हुआ वापस चला गया, अल्लाह की क़सम! न तो मैं इस पर इज़ाफ़ा करूँगा और न इसमें कमी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कामयाब हुआ अगर सच्चा है।'

(सहीह बुख़ारी : 2532, 1891, 6956, अबू दाऊद: 391-392, 3252, नसाई : 1/226-227, 4/12, 2089, 1/119-120, 5043)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) साइरुन : परागन्दा, बिखरे हुए बाल। **(2) दविय्युन :** दाल के ज़बर के साथ, दूरी होने की बिना पर आवाज़ की गुनगुनाहट जिससे मानी व मतलब समझ में न आ सके।

फ़वाइद : (1) दिन-रात में सिर्फ़ पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। इनके सिवा रोज़ाना और कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज़ों के आगे और पीछे यानी पहले और बाद में पढ़ी जाने वाली सुन्नतें, वो कोई अलग और मुस्तक़िल फ़र्ज़ नमाज़ नहीं हैं। वो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये दिल की हुज़ूरी, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के हासिल करने और फ़र्ज़ में हो जाने वाली कमी व कोताही के दूर करने के लिये पढ़ी जाती हैं गोया फ़र्ज़ नमाज़ों में हुस्न व कमाल पैदा करने की वजह और उनका ततिम्मा व तकमिला हैं, मुस्तक़िल फ़र्ज़ नहीं है।
(2) सिर्फ़ माहे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के अलावा रोज़े, दरजात की बुलंदी और नफ़्से इंसानी के तज़्किये व ततहीर के अमल को क़ायम व बरक़रार रखने के लिये रखे जाते हैं। नफ़ली नमाज़ों की तरह, नफ़ली रोज़े भी गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनते हैं और फ़र्ज़ रोज़े रखने की हिम्मत व इस्तिअदाद पैदा करते हैं। (3) दीन में आईनी व क़ानूनी फ़र्ज़, सिर्फ़ ज़कात है जो माल के शुक्राने के तौर पर अल्लाह तआला का हक़ है। माल में ज़कात के अलावा इन्फ़ाक़ एक अख़्लाक़ी, समाजी और मुआशरती फ़र्ज़

है। इसलिये कुरआन मजीद में आयते बिर में ज़कात के साथ, व आतल माल अ़ला हुब्बिही माल की मुहब्बत के बावजूद माल दिया। मुस्तक़िल तौर पर बयान किया गया है। (4) इल्ला अन ततव्वअ़ : में इल्ला शवाफ़िअ़ के नज़दीक इस्तिस़ना मुन्क़तअ़ के लिये है। इसलिये नफ़ल को पूरा करना बेहतर और अफ़ज़ल है, लाज़िम नहीं, ज़रूरत के वक़्त नफ़ली नमाज़ और नफ़ली रोज़े को तोड़ा जा सकता है और उसकी क़ज़ा लाज़िम या वाजिब नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक इल्ला इस्तिस़ना मुत्तसिल के लिये है। इसलिये तोड़ने की सूरत में क़ज़ा फ़र्ज़ या लाज़िम है मगर अहनाफ़ के क़ौल को दुरुस्त माना जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ की तादाद पाँच नहीं रहती। इसी तरह रमज़ान के अ़लावा रोज़े भी फ़र्ज़ मानना पड़ते हैं, जो ज़ाहिर हैं कि दुरुस्त नहीं (मसले की तफ़्सील अपनी जगह पर आयेगी, इन्शाअल्लाह)।

(5) ला अज़ीद वला अन्कुस : मैं कमी व बेशी नहीं करूँगा। मक़सद ये है कि मैं आपकी तालीम व हिदायत की पूरी-पूरी पाबंदी करूँगा। अपनी तबीअ़त व मिज़ाज और अपनी मर्ज़ी व ख़्वाहिश से कोई ज़्यादती या कमी नहीं करूँगा।

(6) इस हदीस़ में हज का तज़्किरा नहीं है। मुम्किन है ये सवाल व जवाब फ़र्ज़िय्यते हज से पहले हुए हों, क्योंकि हज की अदायगी का मौक़ा, फ़तहे मक्का के बाद ही मुम्किन था और हज मशहूर क़ौल की रू से 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। ये भी मुम्किन है कि आपने मौक़े महल की मुनासिबत से उन्हें अरकाने इस्लाम से आगाह फ़रमाया हो। बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत तलहा बिन उ़बैदुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ हैं, फ़अख़्बरहू अन शराइअ़िल इस्लाम आपने उसे इस्लामी अहकाम की ख़बर दी। इससे मालूम होता है इस रिवायत में इख़्तिसार है।

(7) नफ़्से फ़लाह व निजात का इन्हिसार (दारोमदार) फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी पर है। दरजात व मरातिब के हुसूल के लिये नवाफ़िल और मुस्तहब्बात का एहतिमाम ज़रूरी है। जिस क़द्र नवाफ़िल और इस्तिहबाब का एहतिमाम होगा उस क़द्र दर्जा बुलंद होगा और उसकी तामील व इम्तिस़ाल (इताअ़त व फ़रमांबरदारी है) इसलिये आपने फ़रमाया, अगर अपनी बात में सच्चा है तो कामयाब व कामरान होगा।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " . أَوْ " دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ "

(101) इमाम साहब यही रिवायत दूसरे उस्ताद से नक़ल करते हैं। सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया कामयाब हुआ। उसके बाप की क़सम, अगर सच्चा है या फ़रमाया, जन्नत में दाख़िल होगा, उसके बाप की क़सम अगर सच्चा है।

फ़ायदा : **व अबीहि :** उसके बाप की क़सम। आपने बाप की क़सम से मना करने के बावजूद बाप की

क़सम उठाई है। इसका जवाब ये है (1) ये क़सम मना करने से पहले का वाक़िया है (2) ये अरबों के कलाम व मुहावरा या उनके उर्फ़ व आदत के मुताबिक़ है, जिसमें क़सम का इरादा या क़सद नहीं होता। महज़ कलाम में जोर व ताकीद पैदा करना मतलूब होता है। (3) क़सम का इरादा या निय्यत न थी, तकिय-ए-कलाम के तौर पर अफ़रा, हल्क़ी, तरिबत यदाहु की तरह कह दिया। इस तरह ये लग़्व क़सम की एक शक्ल है जिस पर मुवाख़िज़ा नहीं।

बाब 3 : अरकाने इस्लाम के बारे में सवाल

باب السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ

(102) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमें (बिला ज़रूरत) रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल करने से रोक दिया गया, तो हमें इस बात से ख़ुशी होती थी कि समझदार बदवी, आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर आपसे सवाल करे और हम सुनें। तो एक बदवी आया और कहने लगा, ऐ मुहम्मद! आपका क़ासिद (मैसेन्जर) हमारे पास आया, उसने हमें बताया, आपका कहना है कि अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाया है। आपने फ़रमाया, 'उसने सच कहा।' उसने पूछा, तो आसमान किसने बनाया है? आपने जवाब दिया, 'अल्लाह ने।' उसने कहा, तो ज़मीन को किसने बनाया है? इरशाद हुआ, 'अल्लाह ने।' उसने सवाल किया, तो ये पहाड़ किसने गाड़े हैं और उनमें जो कुछ रखा है किसने रखा है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने।' बदवी ने कहा, उस ज़ात की क़सम! जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई और ये पहाड़ नसब किये, क्या अल्लाह ही ने आपको रसूल बनाकर भेजा है? आपने जवाब दिया, 'हाँ।' उसने पूछा,

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ . قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ

فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ ثُمَّ وَلَّى . قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " .

आपके क़ासिद ने कहा, हमारे ज़िम्मे हमारे दिन और रात में पाँच नमाज़ें हैं? आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'उसने दुरुस्त कहा।' उसने कहा, तो उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको भेजा है, क्या अल्लाह ही ने आपको ये हुक्म दिया? (कि हम पाँच नमाज़ें अदा करें) आपने जवाब दिया, 'हाँ! (ये अल्लाह ही का हुक्म है)' उसने सवाल किया, आपके क़ासिद (मैसेन्जर) का गुमान है, हमारे ज़िम्मे हमारे मालों की ज़कात है? आपने कहा, 'उसने सच कहा।' बदवी ने कहा, तो उस ज़ात की क़सम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ही ने आपको ये हुक्म दिया है? आपने जवाब दिया, 'हाँ!' आराबी ने कहा, आपके पैग़ाम्बर का ख़्याल है, हमारे साल में हमारे ज़िम्मे माहे रमज़ान के रोज़े हैं। आपने फ़रमाया, 'उसने सहीह कहा।' उसने कहा, तो जिसने आपको भेजा उसकी क़सम! क्या अल्लाह ही ने आपको ये हुक्म दिया? आपने जवाब दिया, 'हाँ!' बदवी ने कहा, आपके क़ासिद (मैसेन्जर) ने कहा, हमारे ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज है, उस पर जो उस तक पहुँच सकता हो? आपने फ़रमाया, 'उसने सच कहा।' सहाबी बयान करते हैं, फिर वो वापस चल पड़ा और चलते-चलते कहा, उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ देकर भेजा, मैं इन पर इज़ाफ़ा करूँगा न ही इनमें कमी करूँगा तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर ये सच्चा है तो यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 63, तिर्मिज़ी : 619, नसाई : 2090)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अहलुल बादिया : आराबी, बदवी या जंगली लोग जिनमें जहालत और जफ़ा (सख़्त मिज़ाज़ी) आम है। **(2) अल्आक़िल :** दानिशमन्द, समझदार। **(3) ज़अ़म :** सिर्फ़ गुमान या ज़न्न के मानी में नहीं, बल्कि यक़ीन क़ौल (बात) के मानी में इस्तेमाल हुआ है इसलिये आपने तस्दीक़ की। **(4) नसब :** गाड़ना, पेवस्त करना। **जिबाल :** जबल की जमा है, पहाड़।

फ़वाइद : (1) सवाल की बन्दिश करने में क़ुरआन मजीद की सूरह माएदा की आयत की तरफ़ इशारा है। 'ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जायें तो तुम्हारे लिये नागवारी का बाइस़ बनें।'

असल बात ये है कि नये-नये सवालात करना इंसानी फ़ितरत है, लेकिन इस आदत को अगर बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाये तो इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान ग़ैर मुताल्लिक़ और बेफ़ायदा चीज़ों के मुताल्लिक़ सवालात करना शुरू कर देता है और उसका रुझान मूशगाफ़ियों की तरफ़ बढ़ जाता है, वो बाल की खाल उतारता है। जिससे अमल की तरफ़ तवज्जह कम हो जाती है, हालांकि असल मक़सूद अमल है नीज़ रसूलुल्लाह से ज़्यादा सवाल करने का नतीजा ये भी निकलता है कि पाबन्दियों में इज़ाफ़ा हो जाता है। (जैसाकि बनू इस्राईल के गाय के बारे में सवालात से ये बात ज़ाहिर है) जिससे अमल में दुशवारी पैदा होती है और जज़्ब-ए-अमल मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से सहाबा किराम (रज़ि.) को ग़ैर ज़रूरी और बेमक़सद सवाल करने से रोक दिया गया। इसलिये वो बराहे रास्त बहुत कम सवाल करते थे और इस बात के आरज़ूमन्द रहा करते कि कोई आक़िल और समझदार आराबी आये, जो सवाल करने की कैफ़ियत, आदाब और ज़रूरत को समझता हो। वो आपसे सवाल करे और सहाबा किराम (रज़ि.) को सुनने का मौक़ा मिल जाये।

(2) क़सम, कई बार सिर्फ़ ताकीद और तक़रीर के लिये उठाई जाती है, किसी शक व शुब्हा को दूर करना मक़सूद नहीं होता।

(3) साइल को जवाब देते वक़्त, उसकी हैसियत व मक़ाम और मुआशरती सतह का लिहाज़ रखना चाहिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ बदवियों के लिये बड़ी वुस्अत व कुशादगी थी। वो सवालात में बड़ी जुरअत व जसारत दिखाते और बेधड़क जो चाहते पूछ लेते। कई बार सख़्त रवैया इख़्तियार करते, वो शहरी तहज़ीब व सलीक़ा या अदब का लिहाज़ न रखते, लेकिन आपके रुख़े अन्वार (चेहरे) पर मलाल ज़ाहिर न होता। ख़न्दा रूई से जवाब देते।

(103) हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत नक़ल करते हैं कि हमें क़ुरआन मजीद में रसूलुल्लाह (ﷺ) से (बिला ख़ास ज़रूरत के) किसी चीज़ के बारे में सवाल करने की मुमानिअ़त कर दी

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ

أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .

गई। बहज़ ने भी हाशिम बिन अल्क़ासिम जैसे अल्फ़ाज़ में हदीस़ बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 63, तिर्मिज़ी : 619, नसाई : 2090)

باب بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ

बाब 4 : वो ईमान जिसकी बिना पर इंसान जन्नत में दाख़िल हो सकेगा और जो उस चीज़ की पाबंदी करेगा जिसका हुक्म मिला है वो जन्नती है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي سَفَرٍ . فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ " لَقَدْ وُفِّقَ - أَوْ لَقَدْ هُدِيَ - قَالَ كَيْفَ قُلْتَ " . قَالَ فَأَعَادَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ " .

(104) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र में थे। एक आराबी आपके सामने खड़ा हुआ और आपकी ऊँटनी की महार या नकेल पकड़ ली। फिर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! या ऐ मुहम्मद! मुझे वो बात बताइए जो मुझे जन्नत के क़रीब कर दे और आग से दूर कर दे। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रुक गये। फिर अपने साथियों पर नज़र दौड़ाई। फिर फ़रमाया, 'इसको तौफ़ीक़ या हिदायत मिली।' और बदवी से पूछा, तूने क्या कहा? उसने अपनी बात दोहराई तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला की बन्दगी कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज़ की पाबंदी कर, ज़कात अदा कर, सिला रहमी कर, ऊँटनी को छोड़ दे।'

(सहीह बुख़ारी: 1396, 5982, नसाई: 1/234, 467)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ख़िताम और ज़िमाम : दोनों एक मानी महार या हांकते की रस्सी के लिये आ जाते हैं और इनमें फ़र्क़ भी कर लिया जाता है। ख़िताम रस्सी या महार, ज़िमाम नकेल। **(2) वुफ़्फ़िक़ :** नेकी करने की क़ुदरत हासिल हुई अच्छी बात पूछने की हिम्मत मिली।

फ़वाइद : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जन्नत से क़रीब और दोज़ख़ से दूर करने वाले आमाल में से सिर्फ़ चार अमलों को बयान फ़रमाया, (1) सिर्फ़ अल्लाह तआला की बन्दगी और इताअत कर (2) नमाज़ का एहतिमाम (3) अदाए ज़कात (4) अज़ीज़ो-अक़ारिब से अच्छा सुलूक। यहाँ रोज़ा और हज का तज़्किरा नहीं फ़रमाया। इसकी वजह ये है कि आप एक शफ़ीक़ उस्ताद और मेहरबान मुरब्बी हैं। कोई मुसन्निफ़ या मुअल्लिफ़ नहीं कि सब कुछ एक ही मज्लिस व महल में बयान फ़रमा दें। मौक़े महल के मुताबिक़ और सवाल करने वाले के हालात के मुनासिब, उसको उन्हीं चीज़ों की तल्क़ीन की जिनकी उसे ज़रूरत थी। नीज़ उमूमन् लोग इन ही चार चीज़ों में ज़्यादा कोताही करते हैं। अल्लाह तआला के साथ शिर्क का ख़तरा, तमाम कोताहियों से ज़्यादा है। नमाज़ की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और सिला रहमी में ग़फ़लत व कोताही भी आम है और जो लोग इन चार चीज़ों का पूरा-पूरा और सहीह एहतिमाम करते हैं वो यक़ीनन बाक़ी फ़राइज़ व वाजिबात की भी पाबंदी करते हैं और मन्हियात (जिनसे रोका गया है) व मुहर्रिमात (हराम करदा) से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिये अगली रिवायत में आ रहा है अगर ये पुख़्तगी व इस्तिक़ामत से इन अहकाम पर अमलपैरा रहेगा, तो यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होगा। (2) एक उस्ताद और मुरब्बी को इन्तिहाई मुश्फ़िक़ और मेरहबान होना चाहिये कि दौराने सफ़र में एक बिल्कुल अजनबी बदवी सामने आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी की महार पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर सवाल करता है आप उसके इस रवैये और तरीक़े से नाराज़ नहीं होते बल्कि उसके दीनी ज़ौक़ व जज़्बे की तारीफ़ फ़रमाकर उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। (3) अल्फ़ाज़े हदीस़ के नक़ल करने में इंसान को इन्तिहाई मोहतात रवैया इख़्तियार करना चाहिये। रावी को तीन जगह अल्फ़ाज के बारे में शक है और उसने इसका इज़हार किया है। हालांकि तीनों जगह मानी में कोई ख़ास तब्दीली पैदा नहीं होती।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَبُوهُ، عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

(105) इमाम साहब ऊपर ज़िक्र की गई रिवायत एक दूसरे उस्ताद से नक़ल करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1396, 5982, नसाई : 1/234, 467)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

(106) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) रिवायत नक़ल करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और पूछा, मुझे कोई ऐसा अमल

مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ " تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ " فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ " إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ " .

बताइये जो मुझे जन्नत के क़रीब कर दे और दोज़ख़ से दूर कर दे। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह की बन्दगी कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज़ की पाबंदी कर, ज़कात देता रह और अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी कर।' जब वो पीठ फेरकर चल दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर उसने उन चीज़ों की पाबंदी की जिनका उसको हुक्म दिया गया है तो जन्नती है।' इब्ने अबी शैबा की रिवायत है अगर इन चीज़ों की पाबंदी की।

(सहीह बुख़ारी : 1396, 5982, नसाई : 1/234, 467)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ " تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ " . قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا " .

(107) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आराबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ऐसा अमल बताइये कि मैं उस पर अमलपैरा होकर जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आपने फ़रमाया, 'तू अल्लाह की बन्दगी कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, फ़र्ज़ नमाज़ क़ायम कर, फ़र्ज़ ज़कात अदा करता रह और रमज़ान के रोज़े रखा कर।' वो कहने लगा, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! मैं इस पर कभी किसी चीज़ का इज़ाफ़ा नहीं करूँगा और न इसमें कमी करूँगा। फिर जब उसने पुश्त (पीठ) फेर ली (और चल दिया) नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसे इस बात से ख़ुशी हो कि वो एक जन्नती आदमी को देखे, वो इसको देख ले।'

(सहीह बुख़ारी : 1397, 4930)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) दुल्लनी : मेरी रहनुमाई कीजिये, मुझे बतलाइये। **(2) अल्मक्तूबा :** लिखी गई, यानी फ़र्ज़ व लाज़िम ठहराई गई। **(3) अल्मफ़रूज़ा :** फ़र्ज़ और वाजिब क़रार दी गई। **(4) सर्र :** मसर्रत और ख़ुशी का बाइस़ बना।

फ़ायदा : ला अज़ीदु वला अन्कुस अरबी ज़बान का एक मुहावरा है जो कलाम के अंदर हुस्न और ज़ोर व ताकीद पैदा करने के लिये इस्तेमाल होता है। जिसका मक़सद ये होता है कि मैं इन आमाल की तामील में किसी क़िस्म की कोताही या कमी नहीं करूँगा। ये मक़सद नहीं होता कि मैं इससे ज़्यादा अमल नहीं करूँगा। जबकि हम दुकानदार से सोडा-सर्फ़ ख़रीदते वक़्त कह देते हैं, इसमें कमी-बेशी हो सकती है। बेशी का लफ़्ज़ सिर्फ़ हुस्न और ज़ोर कलाम में इज़ाफ़े के लिये बढ़ा दिया जाता है। हमारा मतलूब सिर्फ़ कमी होता है न कि बेशी। इसके लिये तो वो दुकानदार फ़ौरन तैयार होगा। इसी मुहावरे के मुताबिक़ अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'जिस वक़्त उनका वक़्ते मुक़र्रर आ जायेगा उस वक़्त न एक घड़ी पीछे रह सकेंगी और न बढ़ सकेंगी।' (सूरह आराफ़ : 34) जब वक़्ते मुक़र्ररह आ जाये तो उसमें ताख़ीर का इम्कान तो मौजूद है, मगर तक़दीम तो अक़्लन मुम्किन ही नहीं। यहाँ मक़सूद सिर्फ़ ताख़ीर ही है लेकिन कलाम के अन्दाज़ व ताकीद और तहसीन के लिये ताख़ीर के साथ उसके मुक़ाबिल, तक़दीम को भी लाया गया है। इसी तरह, इस हदीस़ में मक़सद ला अन्कुस है लेकिन कलाम की तहसीन व ताकीद के लिये उसके मुक़ाबिल ला अज़ीदु कह दिया गया है वरना नफ़्ल तो मक़सूद व मतलूब हैं।

(108) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास नोमान बिन क़ौक़ल आये और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! बतलाइये जब मैं फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करता रहूँ, हराम से बचता रहूँ और हलाल को हलाल क़रार दूँ, तो क्या मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊँगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ!'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " نَعَمْ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हर्रम्तुल हराम : हराम को हराम समझकर उससे बचूँ। **(2) अह्लल्तुल हलाल :** हलाल को हलाल समझूँ।

फ़ायदा : हराम को हराम समझना और उससे बचना दोनों लाज़िम हैं और हलाल के लिये सिर्फ़ उसको हलाल समझना ही लाज़िम है इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं।

(109) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, नोमान बिन क़ौक़ल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! फिर मज़्कूरा रिवायत बयान की और आख़िर में इतना इज़ाफ़ा किया, और इस पर किसी चीज़ का इज़ाफ़ा न करूँ।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي، سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ . بِمِثْلِهِ . وَزَادَ فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

(110) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया, बतलाइये, जब मैं फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करूँ और मैं रमज़ान के रोज़े रखूँ और मैं हलाल को हलाल समझूँ और मैं हराम से बचूँ और इस पर कुछ इज़ाफ़ा न करूँ, तो क्या मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊँगा। आपने फ़रमाया, 'हाँ!' उसने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं इस पर कुछ इज़ाफ़ा नहीं करूँगा।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

बाब 5 : इस्लाम के अरकान और इन्तिहाई बड़े सुतूनों का बयान

باب بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ

रुक्न की जमा अरकान है और रुक्न उस चीज़ को कहते हैं जिसके वजूद पर दूसरी चीज़ के वजूद का इन्हिसार (टिकाव) हो और वो उसका हिस्सा और जुज़ हो, जिस तरह नमाज़ में सज्दा और रुकूअ हैं।

(111) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस्लाम की तामीर पाँच चीज़ों से है, अल्लाह को यकता क़रार दिया जाये, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज।' एक शख़्स ने कहा, हज और रमज़ान के रोज़े? इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, नहीं! रमज़ान के रोज़े

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ

और हज। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसे ही सुना।

وَالْحَجِّ ". فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ. صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ . هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) बुनिय : मज्हूल का सेग़ा है, बनाया गया, तामीर किया गया। **(2) युवह्हदु** : मुज़ारिअ मज्हूल, यकता व मुन्फ़रिद क़रार दिया जाये। **(3) इक़ामुन** : मस्दर है, असल में इक़्वाम था, वाव को हज़्फ़ कर दिया गया इसके ऐवज़ में आख़िर में (त) का इज़ाफ़ा करके इक़ामत कहते हैं। जो यहाँ इज़ाफ़त की वजह से गिर गई है। इसका मानी बिल्कुल सीधा करना, कजी और टेढ़ निकाल देना, किसी काम या ज़िम्मेदारी को इस तरह अदा करना, जिस तरह इसका हक़ है।

फ़वाइद : (1) इस्लाम को एक ख़ैमे से तश्बीह दी गई है जिसके पाँच सुतून होते हैं। चार सुतून यानी खूंटियाँ चारों तरफ़ होते हैं और एक बीच में। जिस पर ख़ैमा खड़ा होता है और मर्कज़ी सुतून ही असल और बुनियाद होता है, जिसके बग़ैर ख़ैमा खड़ा नहीं हो सकता। ये हैसियत कलिम-ए-शहादत को हासिल है या अगर इस्लाम को एक इमारत से तश्बीह दें। जिसकी चार दीवारें और एक छत होती हैं और छत के बग़ैर मकान बेकार और बेफ़ायदा होता है। उसी तरह चारों अरकान नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज की कुबूलियत का दारोमदार शहादत पर है। किसी मुसलमान के लिये इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि वो इन पाँच अरकान की अदायगी और सर अन्जामदेही में किसी क़िस्म की ग़फ़लत सुस्ती व काहिली या कोताही से काम ले, क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी सुतून हैं और इस्लाम का महसूस पैकर हैं। नीज़ ये वो तक़ीदी उमूर हैं जो बिज़्ज़ात और हर हालत में मतलूब व मक़सूद हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम सिर्फ़ इन पाँच बातों का नाम है। ख़ैमे में पाँच सुतूनों के सिवा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसी तरह इमारत सिर्फ़ चार दीवारों और छत का नाम नहीं, लेकिन असली और मर्कज़ी अहमियत इन्ही को हासिल होती है। **(2) अल्फ़ाज़े हदीस़ में तक़दीम व ताख़ीर :** हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने सौम का तज़्किरा हज से पहले किया। क्योंकि अ़मली अरकान की फ़र्ज़िय्यत की तर्तीब यही है। ईमान के बाद सबसे पहले नमाज़ फ़र्ज़ हुई। फिर इज्माली तौर पर ज़कात हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए और 6 हिजरी या सहीह और मशहूर क़ौल के मुताबिक़ 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। लेकिन यज़ीद बिन बिश्र सुकसुकी ने हज का तज़्किरा सौम से पहले किया। इस पर हज़रत इब्ने उ़मर (रजि.) ने ऐतराज़ किया और बताया नबी (ﷺ) ने सौम का तज़्किरा हज से पहले किया था। इससे मालूम हुआ जहाँ तक मुम्किन हो हदीस़ को उसी तरह बयान करना चाहिये जिस तरह उसको सुना हो। उसमें तग़य्युर व तबद्दुल करना और हदीस़ के अल्फ़ाज़ की तर्तीब बदलना दुरुस्त नहीं है। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर की अगली रिवायत में हज का तज़्किरा सौम से पहले किया गया है। तो ये रिवायत बिल्मानी की बिना पर है। क्योंकि रावी ने समझा वाव तर्तीब का तक़ाज़ा नहीं करती जैसाकि

जुम्हूर फ़ुक़्हा और नहवियों का नज़रिया है इस रावी को इब्ने उमर (रज़ि.) के ऐतराज़ और तर्दीद का इल्म नहीं होगा। इसलिये इसने तर्तीब बदल दी। (फ़तहुल बारी : 1/71 दारुस्सलाम)

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " .

(112) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है, अल्लाह की बन्दगी करना, उसके मा सिवा की इबादत से इंकार करना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना।'

फ़ायदा : पहली रिवायत में अल्लाह तआला को यकता और मुन्फ़रिद क़रार देना बयान किया गया था। इस रिवायत में इसकी जगह अल्लाह तआला की बन्दगी करना और मा सिवा अल्लाह की इबादत से इंकार करना बयान किया गया है। जो इस बात की दलील है कि तौहीद की तीन क़िस्में (1) तौहीदे रुबूबियत कि कायनात का ख़ालिक़, मालिक, मुदब्बिर व मुन्तज़िम और रब सिर्फ़ अल्लाह है। (2) तौहीदे अस्मा व सिफ़ात कि वो अपने अस्मा व सिफ़ात में बेमिस्ल है और उसी के अस्मा व सिफ़ाते हुस्ना हैं। (3) तौहीदे उलूहियत कि बन्दगी का हक़दार सिर्फ़ वही है। इनमें मर्कज़ व मेहवर की हैसियत तौहीदे उलूहियत को हासिल है, इसलिये सबसे पहले इसका मुतालबा किया गया है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " .

(113) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस्लाम की तामीर पाँच चीज़ों से हुई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई इलाह (बन्दगी के लायक़) नहीं और बेशक मुहम्मद उसके बन्दे और उसके रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना।'

फ़ायदा : अल्लाह तआला की उलूहियत के इक़रार के लिये नबी (ﷺ) की रिसालत का इक़रार लाज़िम है। इसलिये ऊपर वाली रिवायात में सिर्फ़ उलूहियत का तज़्किरा किया गया है। रिसालत का ज़िक्र सराहत के साथ नहीं किया गया।

(114) एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा, आप जिहाद में हिस्सा क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने जवाब दिया, बिला शुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'इस्लाम की इमारत पाँच चीज़ों पर क़ायम है अल्लाह तआला की उलूहियत की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना।'

وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلاَ تَغْزُو فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ " .

(सहीह बुख़ारी : 8, तिर्मिज़ी : 2609)

फ़वाइद : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सवाल करने वाला हकीम नामी इंसान था। (2) जिहाद इस्लाम के पाँच अरकान की तरह बिज़्ज़ात मक़सूद और मतलूब नहीं बल्कि इस्लाम के बाक़ी उमूर की तरह किसी आरिज़ी (ज़रूरत व हाजत) ख़ास हालात और ख़ास मौक़ों पर फ़र्ज़ होता है। इसलिये जिहाद हर वक़्त, हर हालत में, हर मर्द और हर औरत पर फ़र्ज़ नहीं। इसलिये जिहाद को अरकाने इस्लाम में शुमार नहीं किया गया।

बाब 6 : अल्लाह तआला और उसके रसूल पर ईमान, दीनी अहकाम पर अमल, दीन की तरफ़ बुलाना, दीन के बारे में सवाल करना, उसकी हिफ़ाज़त करना, याद रखना और जिन तक दीन न पहुँचा हो उन तक पहुँचाना

باب الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِعِ الدِّينِ والدُّعَاءِ اِلَيْهِ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ وَ حِفْظِهِ وَتَبْلِيْغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلغه

(115) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अब्दुल क़ैस का वफ़द हाज़िर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम रबीआ क़बीला के अफ़राद हैं। हमारे और आपके दरम्यान मुज़र

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، -

وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللَّهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ - شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ " . زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ " شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . وَعَقَدَ وَاحِدَةً .

क़बीला जो काफ़िर है, हाइल है और हम हुरमत वाले महीने के सिवा आप तक पहुँच नहीं सकते। लिहाज़ा आप हमें किसी ऐसे अम्र (हुक्म, बात) का हुक्म दीजिये जिस पर हम अमल पैरा हों और अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को उसकी दावत दें। आपने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ और तुम्हें चार चीज़ों से रोकता हूँ (1) अल्लाह तआला पर ईमान लाना।' फिर आपने ईमान बिल्लाह की तफ़्सीर की। फ़रमाया, 'इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं और बेशक मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। (2) नमाज़ क़ायम करना (3) ज़कात अदा करना (4) माले ग़नीमत जो तुम्हें हासिल हो उससे पाँचवाँ हिस्सा अदा करना और मैं तुम्हें दुब्बा (कद्दू का तौम्बा) सब्ज़ घड़े, लकड़ी के बर्तन, तारकोल मिले हुए बर्तन के इस्तेमाल से मना करता हूँ।' ख़लफ़ ने अपनी रिवायत में ये इज़ाफ़ा किया, अल्लाह तआला के सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं का इक़रार और इसको आपने उंगली के इशारे से एक शुमार किया।

(सहीह बुख़ारी : 53,523, 1398, 3095, 3510)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वफ़द : वाफ़िद की जमा है, किसी क़ौम या क़बीले के उन मुन्तख़ब (चुनिन्दा) लोगों को कहते हैं जो किसी ज़रूरी काम के लिये किसी साहिबे इख़्तियार की मुलाक़ात के लिये भेजे जाते हैं। अ़ब्दुल क़ैस ये एक आदमी का नाम है, उसकी औलाद, उसकी तरफ़ मन्सूब हुई और ये रबीआ की एक शाख़ है। रबीआ बिन फ़ज़ार बिन सअद और मुज़र बिन नज़ार बिन मअद दोनों भाई थे। अ़ब्दुल क़ैस के लोग बहरैन के इलाक़े में रहते थे। उनका एक वफ़द 12 लोगों पर मुश्तमिल 6 हिजरी में आया और दूसरा 40 लोगों पर मुश्तमिल 8 हिजरी में आया। पहले वफ़द का क़ाइद मुन्ज़िर बिन आ़इज़ था। आपने उसको अशज के नाम से पुकारा। **(2) ग़नीमत :** वो माल जो दुश्मन पर ग़ालिब

आने की सूरत में उससे हासिल हो। **(3) अद्दुब्बा :** कद्दू के ख़ुश्क होने के बाद उसके गूदे को निकाल कर जो तौम्बा बनाया जाता है। **(4) अन्नक़ीर :** खजूर के निचले हिस्से को कुरेदकर बर्तन बनाया जाता है गोया कुरेदी हुई लकड़ी का बर्तन। **(5) अल्हन्तुम :** सब्ज़ रोग़न का घड़ा। कुछ ने मुत्लक़न रोग़न घड़ा कहा है तो कुछ मिस्री रोग़नी घड़ा, या लाल रंग घड़ा। **(6) मुक़य्यर :** क़ार से माख़ूज़ है, राल या तारकोल चढ़ा हुआ बर्तन। इसी को दूसरी रिवायत में मुज़फ़्फ़त का नाम दिया गया है जो ज़ुफ़्त से माख़ूज़ है और मुक़य्यर का हममानी है।

फ़वाइद : (1) शहरुल हराम : अहले अ़रब के यहाँ हज़रत इब्राहीम (अ़लै.) के वक़्त से चार माह मोहतरम और मुअ़ज़्ज़ज़ ख़्याल किये जाते थे। उन चार महीनों में जंगो-जिदाल और क़त्ल व ग़ारत को मम्नूअ समझा जाता था और लोग अमन व अमान से सफ़र कर सकते थे। ज़िल्क़अ़दा, ज़िल्हिज्जा और मुहर्रम, हज के लिये मख़्सूस थे और रजब। उ़मरा के लिये अश्शह्र में अलिफ़ लाम अगर अ़हदे ख़ारिजी के लिये हो तो इससे मुराद, रजब मुराद होगा और मुज़री लोग रजब की बाक़ी महीनों से ज़्यादा ताज़ीम करते थे। इसलिये कुछ हदीसों में रजब की इज़ाफ़त मुज़र की तरफ़ करके रजबे मुज़र के अल्फ़ाज़ आये हैं। अगर मुराद जिन्स हो तो इससे चारों महीने मुराद होंगे। आगे आने वाले अश्शहरुल हुरुम के अल्फ़ाज़ से इसकी ताईद होती है। **(2) आमुरुकुम बिअरबइन :** मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूँ लेकिन जब आपने हुक्म दिया तो सिर्फ़ ईमान बिल्लाह का हुक्म दिया और उसकी तफ़्सीर में चार बातें बयान फ़रमाईं। इसका जवाब ये है कि एक चीज़ जब मुतअ़द्दिद अजज़ा से मुरक्कब होती है और वो अजज़ा अलग-अलग एक मुस्तक़िल हैसियत भी रखते हैं तो उसके अजज़ा के तअ़द्दुद का लिहाज़ रखते हुए उसको मुतअ़द्दिद भी शुमार कर सकते हैं और मज्मूए की हैसियत से एक भी। जैसाकि कुछ अहले इल्म के मुख़्तलिफ़ रसाइल को मिला दिया जाता है तो वो एक किताब बन जाते हैं और अपनी अलग-अलग मुस्तक़िल हैसियत के ऐतबार से मुतअ़द्दिद, इस्लाम के पाँच अरकान अलग-अलग ही शुमार होते हैं और उनका मज्मूई नाम इस्लाम एक ही है। यही हाल ईमान के छः अरकान का है। इसी तरह इस हदीस में ईमान बिल्लाह की तफ़्सीर में जो चीज़ें बयान हुई हुईं वो मज्मूई ऐतबार से एक हैं और अपनी अलग-अलग हैसियत से चार। इसलिये ख़लफ़ बिन हिशाम ने शहादति अल्ला इला-ह इल्लल्लाह का तज़्किरा करने के बाद अ़क़्दे वाहिदा एक उंगली हाथ से मिलाकर एक शुमार किया। (3) रबीआ़, मुज़र, अन्माज़ और ज़ैद चार भाई थे उनमें रबीआ़ और मुज़र को बहुत शोहरत मिली, क़ुरैश आपका क़बीला मुज़र की औलाद से है।

(116) अबू जम्रह (रह.) बयान करते हैं कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) और दूसरे लोगों के दरम्यान तर्जुमान था। उनके पास एक औरत उनसे घड़े के नबीज़ के बारे में सवाल

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ، مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ

شُعْبَةَ، وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَىِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ " . قَالُوا رَبِيعَةُ . قَالَ " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى " . قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ . قَالَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . قَالَ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ . وَقَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ " . وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ

करने के लिये आई। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अ़ब्दुल क़ैस का वफ़द आया तो आप (ﷺ) ने पूछा, ये वफ़द कौन है? या ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, रबीआ। फ़रमाया, 'क़ौम या वफ़द को ख़ुशामदीद, जिसे रुस्वाई ज़िल्लत और शर्मिन्दगी व निदामत नहीं उठानी पड़ी।' उन लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम लोग आपके पास बहुत दूर से आये हैं और हमारे और आपके दरम्यान ये काफ़िर क़बीला मुज़र हाइल है और हम आपके पास हुरमत वाले महीनों के सिवा नहीं आ सकते। लिहाज़ा आप हमें दो टूक (फ़ैसलाकुन) बात बताइये, हम उसको अपने पिछले लोगों को बतायें और उसके ज़रिये से हम जन्नत में चले जायें। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बताया कि आपने उनको चार बातों का हुक्म दिया और उनको चार चीज़ों से रोका। आपने उनको सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाने का हुक्म दिया और पूछा, जानते हो! सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'गवाही देना कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और तुम माले ग़नीमत में से उसका पाँचवाँ हिस्सा देना और उन्हें ख़ुश्क कद्दू से बनाये हुए बर्तन, सब्ज़ मटके और तारकोल मिले हुए बर्तन से मना किया।' शोबा कहते हैं, अबू जम्रह (रह.) ने

وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ . قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ . قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ . وَقَالَ " احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ " . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ " مَنْ وَرَاءَكُمْ " وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ .

कुछ बार नक़ीर लकड़ी में खुदाई किया हुआ बर्तन कहा और कुछ बार मुक़य्यर तारकोल मिला हुआ बर्तन कहा और आपने फ़रमाया, 'इसको ख़ुद याद रखो और इसकी अपने पिछलों को ख़बर दो।' अबू बकर बिन अबी शैबा की रिवायत में मिंव्वराइकुम की बजाए मंव्वराअकुम के अल्फ़ाज़ हैं और इसकी रिवायत में मुक़य्यर का ज़िक्र नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 53,523, 1398, 3095, 3510, 4368-4369, 6176, 7266, 7556)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) उतर्जिमु : मैं तर्जुमानी करता था, एक की बात दूसरे को समझाना, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना। **(2) नबीज़ :** अंगूर या खजूरों को पानी में भिगोना, ताकि जब उनका अस़र पानी में मुन्तक़िल हो जाये तो उसको पी लिया जाये। अगर उसमें नशा पैदा हो जाये तो फिर उसका पीना जाइज़ नहीं होगा। **(3) जर्र :** जुर्रह की जमा है, मटका, घड़ा। **(4) मरहबा :** रहब दोस्त, कुशादगी से माख़ूज़ है, किसी की आमद पर मसर्रत व ख़ुशी का इज़हार करना, उसको ख़ुश आमदीद कहना। **(5) ख़ज़ाया :** ख़िज़्यान की जमा है, रुस्वा-ज़लील। **(6) नदामा :** नदमान की जमा है जो नादिम शर्मिन्दा, पशेमान के मानी में है। **(7) शुक़्क़ह :** शीन के ज़म्मा (पेश) और कसरा (ज़ेर) के साथ, ज़म्मा (पेश) के साथ बेहतर है दूर की या तवील मसाफ़त।

फ़वाइद : (1) ईमान बिल्लाह की तफ़्सीर व तफ़्सील में आपने पाँच चीज़ों का तज़्किरा फ़रमाया है हालांकि आपने चार चीज़ों का हुक्म देने का कहा था, इसका जवाब ये है (1) आपने चार चीज़ों के लिये कहा था। लेकिन रबीआ का मुज़री काफ़िरों से मुक़ाबला था। इसलिये उनसे जिहाद का इम्कान था और जिहाद में दुश्मन पर ग़ल्बा व फ़तह की सूरत में माले ग़नीमत हासिल हो सकता है। इसलिये उस्लूबे कलाम बदलते हुए मौक़ा महल की मुनासिबत से उन्हें ग़नीमत का हुक्म भी बता दिया और उसका उन्हें ही ख़ुसूसी मुख़ातब बनाया (अन् तुअद्दू, तुम अदा करो) (2) अदाए ख़ुमुस, ज़कात ही का एक शौबा या हिस्सा है, अलग या मुस्तक़िल नहीं, इसलिये ज़कात ही में दाख़िल होगा। (3) अदाए ख़ुमुस का अत्फ़ ईमान बिल्लाह या लफ़्ज़ सलात, सौम और ज़कात पर नहीं बल्कि आमुरुकुम बिअरबइन पर है कि चार चीज़ों के हुक्म के साथ जो आम हैं सबके लिये हैं) तुम्हें ख़ुसूसी तौर पर अदाए ख़ुमुस का हुक्म देता हूँ। **(2)** चार बर्तनों में ख़ुसूसी तौर पर नबीज़ तैयार करने की मुमानिअत का सबब ये है कि लोग इन बर्तनों में शराब तैयार करते थे और इनमें नशा जल्द पैदा हो जाता था, इसलिये शराब की हुरमत के बाद

उनमें नबीज़ तैयार करने से मना कर दिया गया। ताकि उन बर्तनों को देखकर शराब का ख़्याल न आये और बेख़बरी या ग़फ़लत व सुस्ती से ग़ैर शऊरी तौर पर नबीज़ में नशा पैदा हो जाने के बाद उसको पी न लिया जाये। लेकिन जब शराब की हुरमत पर एक अरसा गुज़र गया और उससे नफ़रत दिलों में रासिख़ हो गई। तो फिर उन बर्तनों में नबीज़ बनाने की इजाज़त दे दी गई और बता दिया गया कि उसको नशावर होने के बाद न पीना जैसाकि आगे हज़रत बुरैदा की हदीस़ आ रही है। इब्ने उमर, इब्ने अब्बास (रज़ि.) और इमाम मालिक, इमाम अहमद, इस्हाक़ (रह.) के नज़दीक इनमें नबीज़ बनाने की हुरमत अब भी मौजूद है। (शरह मुस्लिम : 1/34) लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त नहीं।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالاَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ . وَقَالَ " أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ " . وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ " إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ " .

(117) अबू जम्रह इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ये मरफ़ूअ हदीस़ बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें उस नबीज़ से मना करता हूँ जो दुब्बा (तौम्बा) लकड़ी के तराशे हुए बर्तन) सब्ज़ मटके और तारकोल मिले बर्तन में तैयार किया जाये।' इब्ने मुआज़ ने अपने बाप की रिवायत में ये इज़ाफ़ा किया है कि नबी (ﷺ) ने अब्दुल क़ैस के अशज्ज को फ़रमाया, 'तुममें दो ख़ूबियाँ ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसंद फ़रमाता है, अक़्ल व समझ बुर्दबारी और ठहराव व वक़ार।'

(सहीह बुख़ारी : 53,523, 1398, 3095, 3510, 4368-4369, 6176, 7266, 7556)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्हिल्म : अक़्ल व दानाई और तहम्मुल व बुर्दबारी। **(2) अल्अनात :** ठहराव या वक़ार, जल्द बाज़ी से परहेज़। **(3) अशज्ज :** जिसकी पेशानी पर ज़ख़्म हो।

फ़वाइद : (1) अशज्ज की तारीफ़ का पसे मन्ज़र : जब अब्दुल क़ैस का वफ़द मदीना पहुँचा तो ये लोग फ़ौरन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गये। मगर अशज्ज सामान के पास रुक गया। सब सामान इकट्ठा किया, ऊँट को बांधा, फिर कपड़े बदले, उसके बाद आपके पास पहुँचा। आपने उसे क़रीब बुलाया, अपने पहलू में बिठाया और ये अल्फ़ाज़ कहे कि तुममें दो ऐसी ख़ूबियाँ हैं जो अल्लाह तआला को पसंद हैं ये दोनों ख़ूबियाँ तमाम ख़ूबियों की जड़ और असल हैं। **(2) मिस्लुहू और नह्वुहू में फ़र्क़ :** मिस्ल में अल्फ़ाज़ क़रीबन एक जैसे होते हैं और नह्वुहू में अल्फ़ाज़ में फ़र्क़ होता है मानी एक जैसे होता है।

(118) क़तादा कहते हैं, मुझे उस शख़्स ने बताया जिसने अ़ब्दुल क़ैस के उस वफ़्द से मुलाक़ात की थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ था। सईद कहते हैं, क़तादा ने अबू नज़्रह के वास्ते से अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से उनकी ये रिवायत बयान की कि अ़ब्दुल क़ैस के कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम रबीआ़ के लोग हैं और हमारे और आपके दरम्यान मुज़र क़बीला जो काफ़िर है हाइल है और हम हुरमत वाले महीनों के अलावा आप तक नहीं पहुँच सकते, इसलिये आप हमें ऐसा हुक्म बताइये जो हम अपने पिछलों तक पहुँचायें और उस पर अ़मल करके जन्नत में दाख़िल हो जायें। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ। अल्लाह तआ़ला की बन्दगी करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, नमाज़ की पाबंदी करो, ज़कात देते रहो, रमज़ान के रोज़े रखो और ग़नीमतों में से पाँचवाँ हिस्सा अदा करो और मैं तुम्हें चार चीज़ों से रोकता हूँ, ख़ुश्क कद्दू के बर्तन से, सब्ज़ मटके से, लकड़ी के तराशे हुए बर्तन और तारकोल मिले बर्तन से है।' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! नक़ीर को आप जानते हैं? फ़रमाया, 'क्यों नहीं! तना, तुम उसे अंदर से कुरेदते हो। उसमें खजूरें डालते हैं।' सईद कहते हैं या आप ने कहा, 'तम्र (छूहारे) डालते हो, फिर उसमें पानी डालते हो जब उसका जोश

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ، لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ . قَالَ سَعِيدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا . أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا حَىٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ " بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ - قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ

مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " . قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ . قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلاَ تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ " . قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ " إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ " .

साकिन हो जाता है यानी (जोश ख़त्म हो जाता है) उसे पी लेते हो। यहाँ तक कि तुममें से एक या उनमें से एक अपने चाचाज़ाद को तलवार का निशाना बनाता है।' लोगों में एक आदमी था जिसको इसी सूरत में एक ज़ख़्म लगा था। वो कहता है कि मैं इसे हया व शर्म की बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से छिपाता था। तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम किस चीज़ में पिया करें? आपने फ़रमाया, 'चमड़े की उन मश्कों में पियो जिनके मुँह बन्धे हुए हों।' अहले वफ़्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! हमारी ज़मीन में चूहे बहुत हैं, वहाँ चमड़े के मश्कीज़े नहीं बच सकते। तो अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगरचे उनको चूहे खा लें, अगरचे उन्हें चूहे काट लें, अगरचे उनको चूहे काट लें।' रावी का बयान है कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुल क़ैस के अशज्ज से फ़रमाया, 'तुम्हारे अंदर दो ऐसी ख़ूबियाँ हैं जो अल्लाह तआला को महबूब हैं, अक़्ल व दानिशमन्दी और तहम्मुल व ठहराव।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **जिज़्इन :** खजूर के दरख़्त का तना या निचला हिस्सा। (2) **तक़्ज़िफ़ून :** तुम डालते हो। (3) **अल्कुतैआ :** खजूरों की एक क़िस्म है जो छोटी-छोटी होती हैं। (4) **तस्सुब्बून :** तुम डालते हो या उण्डेलते हो। (5) **सकन ग़लयानुहू :** जोश का मान्द पड़ना और उसका थम जाना। (6) **अस्क़ियह :** सिक़ा की जमा है मश्क, मश्कीज़ा। (7) **अल्आदम, अदयम :** की जमा है चमड़ा, जिरज़ान जीम के कसरा के साथ जुरज़ की जमा है चूहों की एक क़िस्म।

फ़वाइद : (1) जब इंसान नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी अक़्ल बंद हो जाती है और वो अक़्ल व शऊर से महरूम होकर दोस्त-दुश्मन में फ़र्क़ नहीं कर सकता, अपने क़रीबी अज़ीज़ तक को नुक़सान पहुँचाता है। इसलिये शरीअ़ते इस्लामिया में नशावर चीज़ों के इस्तेमाल को मम्नूअ क़रार दिया

गया है। (2) जब शरीअत किसी चीज़ से रोक दे तो उसकी इजाज़त के लिये उज़्र और बहाने तलाश करना दुरुस्त नहीं। इसलिये आपने फ़रमाया, अगरचे मश्कीज़ों को चूहे काट लें। (3) किसी की हौसला अफ़ज़ाई के लिये उसकी ख़ूबी का उसके सामने ऐतराफ़ करना दुरुस्त है। (4) ईमान और इस्लाम : मुतरादिफ़ या हम मानी हैं। इसलिये आपने वफ़्दे अब्दुल क़ैस के सामने ईमान की तफ़्सीर व तशरीह में उन्ही आमाल का तज़्किरा फ़रमाया जिनको अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस़ में इस्लाम के तहत शुमार किया गया है। (5) मसाइल पूछने के लिये अहले इल्म के पास, वफ़्द भेजना दुरुस्त है ताकि वो आकर पीछे रह जाने वाले लोगों को आगाह करें। (6) अहले इल्म के सामने अपना सहीह उज़्र पेश करना ताकि बार-बार आने की ज़हमत न उठानी पड़े। (7) आने वालों के सामने मसर्रत व शादमानी का इज़हार करना और उन्हें ख़ुशामदीद कहना ताकि उन्हें अपनी आमद का मक़सद बयान करने में सहूलत और आसानी पैदा हो, बेहतर है। (8) बात समझने के लिये दोबारा पूछना जाइज़ है।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ، وَاحِدٍ، لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ . وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ " وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ " . وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ .

(119) क़तादा (रह.) कहते हैं, मुझे बहुत से उन लोगों ने जिनकी मुलाक़ात अब्दुल क़ैस के वफ़्द से हुई थी, हदीस़ सुनाई और अबू नज़्रह ने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से नक़ल किया कि जब अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। फिर इब्ने उलय्या की हदीस़ जैसी हदीस़ बयान की। हाँ! इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, तुम उसमें छोटी खजूरें डालते हो और छूहारे और पानी और उसमें सईद का क़ौल औ क़ाल मिनत्तम्र या छूहारे नहीं है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : तज़ीक़ून : ज़ाक़ यज़ीक़ से है, मिलाना, आमेज़िश करना।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ

(120) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अब्दुल क़ैस का वफ़्द नबी (ﷺ) के पास आया तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला हमें आप पर फ़िदा करे! कौनसे मशरूबात हमारे लिये दुरुस्त हैं? तो आपने जवाब दिया, 'लकड़ी में खुदे हुए बर्तन में न पियो।' कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी!

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ " لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ قَالَ " نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلاَ فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى " .

अल्लाह तआला हमें आप पर क़ुर्बान कर दे! आप जानते हैं नक़ीर क्या है? फ़रमाया, 'हाँ! दरख़्त का तना जिसको दरम्यान से खोल दिया जाता है (यानी चटू) और न ख़ुश्क कद्दू के बर्तन में और न सब्ज़ घड़े में, मश्कीज़ों में पियो जिनका मुँह बन्धा हुआ हो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्अश्रिबह : शराब की जमा है, मशरूब, पीने की चीज़। **(2) अल्मुका :** जिसका मुँह रोका, यानी तस्मा या डोरी से बांधा गया हो।

بَاب الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ

बाब 7 : शहादतैन (तौहीद व रिसालत) की गवाही और इस्लाम के अहकाम की दावत देना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، - عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، - قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

(121) हज़रत मुआज़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भेजा और फ़रमाया, 'तुम अहले किताब के कुछ लोगों के पास जा रहे हो, तो उन्हें दावत देना कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई बन्दगी का मुस्तहिक़ नहीं और मैं (मुहम्मद) अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो इसको मान लें तो उन्हें बतलाना, अल्लाह तआला ने उन पर हर दिन-रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो इसको तस्लीम कर लें तो उनको बतलाना, अल्लाह तआला ने उन पर सदक़ा (ज़कात) फ़र्ज़ किया है, जो उनके मालदारों से लेकर, उनके मोहताजों की तरफ़ लौटाया जायेगा, फिर जब वो इसको क़ुबूल कर लें तो उनके बेहतरीन

لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " .

मालों से दूर रहना (ज़कात में बेहतरीन माल वसूल न करना) और मज़्लूम की दुआ (बद्दुआ) से बचना क्योंकि उसके और अल्लाह के दरम्यान कोई हिजाब (पर्दा) हाइल नहीं।'

(सहीहबुख़ारी: 1395,1458, 2448, 4347, 7371)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) शराइअ : शरीअत की जमा है, हुक्म, क़ानून, ज़ाब्ता। **(2) अग़्नियाअ :** ग़निय्युन की जमा है, मालदार, अस्हाबे सरवत व दौलत। **(3) फ़ुक़राअ :** फ़क़ीर की जमा है, मोहताज, क़ल्लाश। **(4) कराइम :** करीमा की जमा है नफ़ीस, उम्दा, बेहतरीन, अम्वाल माल की जमा है।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا " بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

(122) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत नक़ल करते हैं कि अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) ने मुआज़ को यमन की तरफ़ भेजा और फ़रमाया, 'तुम जल्द कुछ लोगों के पास पहुँचोगे।' आगे वकीअ की रिवायत जैसे अल्फ़ाज़ हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1395, 1458, 2448, 4347, 7371)

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ

(123) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत सुनाते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआज़ को यमन भेजा फ़रमाया, 'तुम अहले किताब के लोगों के पास जाओगे तो उन्हें सबसे पहले अल्लाह तआला की बन्दगी की दावत देना। जब वो अल्लाह की मअरिफ़त हासिल कर लें तो उन्हें बताना अल्लाह तआल ने उनके दिन-रात में उन पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। तो जब वो इसकी तामील कर लें, तो उन्हें बतलाना कि अल्लाह तआला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है। जो उनके मालादारों से ली जायेगी और उनके ज़रूरतमन्दों में तक़सीम कर दी जायेगी। पस

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ " .

जब वो इसको मान लें तो उनसे ज़कात लेना और उनके नफ़ीस-नफ़ीस माल से बचना।'
(सहीह बुख़ारी : 1395, 1458, 2448, 4347, 7371)

फ़वाइद : (1) आपने हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) को इमाम बुख़ारी वग़ैरह की तहक़ीक़ के मुताबिक़ 10 हिजरी में और अक्सर उलमाए सीरत और अहले मग़ाज़ी के नज़दीक 9 हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था। **(2)** दीन की तालीम और इस्लाम की दावत में मुअल्लिम और दाई को तर्तीब और तदरीज का लिहाज़ रखना चाहिये और एक दम इस्लाम के तमाम अहकाम व मुतालिबात और दीन के तमाम अवामिर व नवाही लोगों के सामने बयान नहीं करनी चाहिये, अहम फ़ल्अहम की तर्तीब को मल्हूज़ रखा जायेगा। **(3)** दीन की असास व बुनियाद, तौहीद व रिसालत है। इसलिये सबसे पहले इन्हीं की दावत दी जायेगी। क्योंकि जब तक कोई इंसान अल्लाह तआला को तस्लीम नहीं करता वो रसूल और उसके दीन व शरीअत को कैसे क़ुबूल करेगा। अल्लाह तआला की उलूहियत के इक़रार के बाद ही रिसालत और दीन व शरीअत को क़ुबूल करने का दाइया पैदा होगा। **(4)** तौहीद व रिसालत के इक़रार के बाद इस्लाम के अरकान और फ़राइज़ में नमाज़ और ज़कात की अहमियत सबसे ज़्यादा है और क़ुरआन मजीद में इन ही दो पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत जो आगे आ रही है उसमें भी इन दो का ही तज़्किरा है। क्योंकि नमाज़ तमाम हुक़ूक़ुल्लाह की अदायगी की बुनियाद है और ज़कात तमाम हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी की असास है। इसलिये जो इंसान इन दो की पाबंदी करता है उसके लिये इस्लाम के तमाम अरकान व फ़राइज़ का अदा करना आसान हो जाता है। **(5)** ज़कात की वसूली के वक़्त लोगों के मालों (पैदावार हो या हैवानात) से नफ़ीस-नफ़ीस और बेहतर-बेहतर चीज़ नहीं ली जायेगी, बल्कि दरम्याना क़िस्म का माल वसूल किया जायेगा और मुसलमान ज़रूरतमन्दों में तक़सीम कर दिया जायेगा। **(6)** किसी पर ज़ुल्म व ज़्यादती करना, इन्तिहाई हराम है। मज़्लूम की दुआ की क़ुबूलियत के दरम्यान कोई चीज़ हाइल नहीं होती, फ़िस्क़ व फ़ुजूर के इर्तिकाब के बावजूद मज़्लूम की बद्दुआ क़ुबूल होती है। **(7)** रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ईमान लाना और आपकी लाई हुई शरीअत पर चलना, आपसे पहले आने वाले अम्बिया के मानने वाले अहले किताब के लिये भी ज़रूरी है। अपने से पहले दीन पर क़ायम रहना उनकी निजात के लिये काफ़ी नहीं है।

बाब 8 : लोगों से लड़ाई का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इला-ह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें, नमाज़ की पाबंदी करें, ज़कात, अदा करें, नबी (ﷺ) की बताई गई तमाम बातों को मान लें और जो इंसान इन कामों को करेगा वो अपनी जान और माल महफ़ूज़ करेगा, मगर ये कि इस्लाम का तक़ाज़ा हो कि उसकी जान या माल महफ़ूज़ नहीं, उसका बातिन अल्लाह तआला के सुपुर्द होगा और जो लोग ज़कात और इसके अलावा इस्लाम के हक़ अदा नहीं करेंगे, उनसे जंग होगी और हुक्मरान इस्लामी शआइर (इम्तियाज़ात) का एहतिमाम करेगा।

باب الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ

(124) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वफ़ात पाई और आपके बाद अबू बकर (रज़ि.) ख़लीफ़ा मुक़र्रर हुए और अरब के कुछ लोग काफ़िर हो गये। (और अबू बकर ने मानिईने ज़कात से जंग का इरादा किया) तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहने लगे, आप उन लोगों से किस तरह जंग कर सकते हैं जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमा चुके हैं, मुझे लोगों से उस वक़्त तक लड़ाई का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इला-ह इल्लल्लाह का इक़रार न करें जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह लिया उसने मुझसे अपनी जान,

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

माल, महफ़ूज़ कर लिया, मगर ये कि ला इला-ह इल्लल्लाह का तक़ाज़ा उसके ख़िलाफ़ हो (वो दीन के अहकाम व हुदूद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करेगा तो मुवाख़िज़ा होगा) और उसका मुहासबा, अल्लाह तआला का काम है (उसका बातिन अल्लाह तआला के सुपुर्द है) तो अबू बकर (रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! मैं उन लोगों से जंग लड़ूँगा, जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेंगे क्योंकि ज़कात के माल में (अल्लाह का) हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर ये लोग एक ज़ानूबन्द (रस्सी) जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे, मुझे नहीं देंगे तो मैं उस (ज़ानूबन्द) के रोकने पर ज़रूर उनसे जंग लड़ूँगा। तो हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह की क़सम! मैंने यक़ीन कर लिया कि इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह तआला ने लड़ाई के लिये अबू बकर का सीना खोल दिया है (अल्लाह तआला ने अबू बकर के दिल में इसका इल्क़ा फ़रमाया है) तो मैं जान गया यही चीज़ दुरुस्त है।

(सहीह बुख़ारी : 1399, 1457, 2946, 6924, 6855, अबू दाऊद : 1556-1557, तिर्मिज़ी : 2607, नसाई : 5/14-15, 5/7-6, 7/77-78)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अिक़ाल : ऊँट का घुटना बांधने की रस्सी, ज़ानूबन्द।

फ़वाइद : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद मदीना मुनव्वरा से दूर रहने वाले क़बीले जिन्हें नबी (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) की रिफ़ाक़त का ज़्यादा मौक़ा नहीं मिला था और इस्लाम को पूरी तरह समझ नहीं सके थे या सिर्फ़ मुसलमानों की क़ुव्वत व ताक़त से ख़ौफ़ खाकर मुसलमान हुए थे वो इस्लाम से फिर गये। लेकिन वो लोग जिन्हें नबी (ﷺ) से तालीम व तर्बियत का मौक़ा मिला और सहाबा किराम (रज़ि.) के साथ उठने-बैठने के लम्हात मुयस्सर आये और उन्होंने इस्लाम को दिल की गहराइयों से समझ लिया। उनके दिल में इस्लाम के बारे में कोई शक व शुब्हा पैदा नहीं हुआ, वो इस्लाम पर क़ायम रहे। यही लोग अक्सरियत में थे और तक़रीबन हर क़बीले में कमो-बेश मौजूद थे। इस्लाम से फिरने वालों के अलग-

अलग गिरोह थे। (1) वो लोग जो इस्लाम से बिल्कुल मुर्तद होकर अपने पहले कुफ़्र की तरफ़ लौट गये, दीनी शआइर, नमाज़, ज़कात और दूसरे अहकामे शरइय्या को छोड़कर, ज़मान-ए-जाहिलियत के तौर-तरीक़ों को इख़्तियार कर लिया। (2) वो लोग जो किनाराकश होकर हालात का इन्तिज़ार करने लगे। (3) वो लोग जो इस्लाम के मुन्किर नहीं थे सिर्फ़ ज़कात का इंकार करते थे ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ही वसूल कर सकते थे और उनमें से भी कुछ लोग सिर्फ़ ख़लीफ़ा को ज़कात अदा करने से मुन्किर थे कि हम अपने तौर पर अपने मोहताजों में तक़सीम करेंगे। बल्कि बनू यरबूअ के लोगों ने सदक़ात इकट्ठे करके ख़लीफ़ा को देना चाहा था उनके सरदार, मालिक बिन नुवेरह ने उनको रोक दिया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर (रज़ि.) का इख़्तिलाफ़ इस चौथे गिरोह के बारे में था और फिर ये इख़्तिलाफ़ भी ख़त्म हो गया। **(2)** नमाज़ और ज़कात इस्लाम के ऐसे दो बुनियादी अरकान हैं कि इस्लाम का क़ियाम व बक़ा उन पर मुन्हसिर हैं। इसलिये इनमें से किसी एक का मुन्किर (इन्कार करने वाला) काफ़िर है बल्कि ज़रूरियाते दीन, जिन चीज़ों का दीन होना हर ख़ास व आम को मालूम है उनका मुन्किर काफ़िर है। **(3)** जो इंसान कलिम-ए-शहादत का इक़रार करता है या अल्लाह तआला की उलूहियत को तस्लीम करता है तो गोया वो पूरे दीन को तस्लीम करता है इसलिये उसका माल व जान महफ़ूज़ होंगे और दीन के अहकाम पर अमलपैरा होने का वो पाबंद होगा। इसलिये अगर किसी ऐसी चीज़ का इर्तिकाब करेगा जिससे उसका माल या जान महफ़ूज़ न रह सकते हों तो उसका मुहासबा होगा। ज़कात अगर अदा न करे तो ज़बरदस्ती ली जायेगी, शादीशुदा होकर ज़िना करेगा या किसी को नाहक़ क़त्ल करेगा तो उसको क़त्ल कर दिया जायेगा। **(4)** जो शख़्स कलिम-ए-इस्लाम पढ़कर हमारे सामने अपने ईमान लाने का इज़हार करता है तो ये दुनियवी और क़ानूनी तौर पर उसको मुसलमान तस्लीम कर लेंगे और उसको मुसलमानों वाले हुक़ूक़ हासिल होंगे और मुसलमानों के फ़राइज़ का वो पाबंद होगा लेकिन अगर ये काम उसने सिर्फ़ मुसलमानों से डर कर या किसी बदनिय्यती से किया है तो अल्लाह उसका मुहासबा करेगा। हम तो ज़ाहिर के पाबंद हैं, बातिन को आलिमुल ग़ैब और अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर ज़ात ही जानती है। **(5)** हज़रत अबू बकर (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के ऐतराज़ का जवाब देते हुए फ़रमाया था, जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ और इम्तियाज़ करेगा, एक को अदा करेगा और दूसरी का मुन्किर होगा। इससे मालूम होता है कि उनके सामने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत थी जिसमें जान व माल की अस्मत को नमाज़ और ज़कात पर मौक़ूफ़ किया गया है। ये रिवायत आगे आ रही है और मुत्तफ़क़ अलैह है। (फ़तहुल बारी : 1/103)

इसलिये हज़रत अबू बकर (रज़ि.) ने फ़रमाया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों को बराबर अहमियत दी है तो फिर इनमें फ़र्क़ कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है और कुछ तारीख़ी रिवायात में इस रिवायत के पेश करने की तसरीह मौजूद है। (अल्इमारह वस्सियासह : 1/17)

इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं कि शैख़ैन के सामने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत न थी, इसलिये हज़रत अबू बकर को क़यास व इस्तिम्बात से काम लेना पड़ा और हज़रत उमर को शुब्हा लाहिक़ हुआ।

(6) अन्नास से मुराद सिर्फ़ क़ुरैश मर्द हैं इसलिये कहा जाता है, आमुन उरीदा बिहिल ख़ास लफ़्ज़ आम है लेकिन मुराद ख़ास है या उख़्तस्स मिन्हुल बअ्ज़ आम है लेकिन दलाइल की रोशनी में इसकी तख़्सीस कर ली गई या अलिफ़ लाम अहदे ज़हनी के लिये हैमुराद क़ुरैश हैं क्योंकि अहले किताब अगर जिज़्या अदा कर दें तो उनसे लड़ाई नहीं की जायेगी हत्ता युअ्तुल जिज़्य-त अंय्यदिव वहुम साग़िरून (सूरह तौबा)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " .

(125) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ( ) ने फ़रमाया, 'मुझे हुक्म है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जंग जारी रखूँ यहाँ तक कि वो ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत दें, जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह लिया उसके मेरी तरफ़ से माल व जान महफ़ूज़ हो गये। मगर ये कि उसका (कलिमा) हक़ हो और उसका मुवाख़िज़ा (पकड़) अल्लाह तआला करेगा।'

(नसाई : 5/6)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ، ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

(126) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे हुक्म है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जंग जारी रखूँ यहाँ तक कि वो ला इला-ह इल्लल्लाह की गवाही दें और मुझ पर और जो (दीन) मैं लेकर आया हूँ उस पर ईमान ले आयें। सो जब वो ऐसा कर लें तो उन्होंने अपनी जान व माल को मुझसे महफ़ूज़ कर लिया, सिवाय उसके हक़ के और उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है।'

फ़ायदा : इस हदीस में ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत के अलावा रसूलुल्लाह (ﷺ) की रिसालत और आपकी लाई हुई हिदायत व दीन पर ईमान लाने का भी ज़िक्र मौजूद है जो इस बात का वाज़ेह क़रीना और दलील है कि ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत पूरे दीन का उन्वान है और ला इला-ह इल्लल्लाह के क़ाइल होने का मानी है दीने इस्लाम को क़ुबूल करना।

(127) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे लोगों से जंग करने का हुक्म मिला है।' फिर वही अल्फ़ाज़ बयान किये जो सईद बिन मुसय्यब अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

(128) और हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे हुक्म मिला है कि लोगों से जंग लड़ूँ यहाँ तक कि वो ला इला-ह इल्लल्लाह कहें। जब ला इला-ह इल्लल्लाह कह लेंगे तो उसके बाद मेरी तरफ़ से उनके ख़ून और माल महफ़ूज़ हैं इल्ला ये कि उस (कलिमे) के हक़ का तक़ाज़ा हो और उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है।' फिर आपने पढ़ा, 'आप तो बस नसीहत करने वाले हैं, उन पर मुसल्लत (जब्र करने वाले) नहीं हैं।'

(सूरह ग़ाशिया : 21-22)

(इब्ने माजह : 3927)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " . ثُمَّ قَرَأَ } إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ{

फ़ायदा : जब मुसन्निफ़ सनद में किसी नाम के बाद यअ़नी या हुव का इज़ाफ़ा करके किसी नाम या निस्बत का तज़्किरा करते हैं तो उसमें इस तरफ़ इशारा होता है कि मुसन्निफ़ के उस्ताद ने उस नाम या निस्बत को ज़िक्र नहीं किया था बल्कि मुसन्निफ़ ने तौज़ीह व तअ़यीन के लिये ऐसे किया है।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .

(129) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे हुक्म मिला है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक लड़ता रहूँ यहाँ तक कि वो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के पैग़म्बर हैं और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करने लगें। पस जब वो ये सब कुछ करने लगें तो उन्होंने अपने ख़ून (जान) और माल को मुझसे महफ़ूज़ कर लिया। सिवाय इस्लाम के हक़ के और उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है।'

(सहीह बुख़ारी : 7422)

وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " .

(130) अबू मालिक अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के सिवा जिनकी बन्दगी की जाती है, का इंकार किया उसका माल व जान महफ़ूज़ है और उसका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

(131) अबू मालिक (रह.) अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि उसने नबी (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने अल्लाह तआ़ला को यकता क़रार दिया।' फिर ऊपर वाली हदीस़ बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 7422)

फ़ायदा : ऊपर वाली हदीस़ से मालूम हुआ, मुसलमानों के क़िताल व जिहाद की ग़र्ज़ो-ग़ायत इसके सिवा कुछ नहीं है कि लोग अल्लाह तआ़ला की इबादत करने लगें और दावते इस्लाम को कुबूल कर लें और जो लोग दीने इस्लाम को कुबूल कर लेंगे उनके जान व माल महफ़ूज़ होंगे और वो हुक़ूक़ व फ़राइज़ (ज़िम्मेदारी) में दूसरे मुसलमानों के बिल्कुल मसावी (बराबर) होंगे।

बाब 9 : जिसकी मौत का वक़्त आ गया लेकिन अभी तक जाँकनी तारी नहीं हुई, उसका इस्लाम लाना सहीह है और मुश्रिकों के लिये बख़्शिश की दुआ करने की इजाज़त मन्सूख़ (ख़त्म कर दी गई) है और इस बात की दलील कि जो मुश्रिक फ़ौत हुआ वो जहन्नमी है और उसको जहन्नम से किसी क़िस्म का वसीला निजात नहीं दिलवा सकेगा

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا

(1) नज़अ और ग़रग़रह : जांकनी के आ़लम को कहते हैं। यानी जब मौत की अ़लामात व आसार ज़ाहिर हो जाते हैं और मौत यक़ीनी होती है। **(2) अल्वसाइल :** वसीले की जमा है, वास्ता, ज़रिया, सबब जिसके ज़रिये दूसरे का तक़र्रुब हासिल हो सके। **ला यन्क़िज़ुहू :** इन्क़ाज़ से माख़ूज़ है, छुड़ाना, बचाना, उसको नहीं छुड़ायेगा या बचायेगा।

(132) सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने अपने बाप से रिवायत सुनाई कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आ पहुँचा तो उसके पास रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये। अबू तालिब के पास अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या बिन मुग़ीरह भी मौजूद थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ चाचा! एक बार ला इला-ह इल्लल्लाह कहो मैं तुम्हारे हक़ में अल्लाह के यहाँ, इसके सबब तुम्हारे (ईमान

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَمِّ قُلْ لاَ

إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ " . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ " . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم } إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ{ .

की) गवाही दूँगा।' अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन उमय्या ने कहा, ऐ अबू तालिब! क्या तुम अपने बाप अ़ब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से ऐराज़ करोगे (छोड़ोगे)? रसूलुल्लाह (ﷺ) मुसलसल उसको कलिमा पेश करते रहे और अपनी ये बात दोहराते रहे। यहाँ तक कि अबू तालिब ने जो आख़िरी बात उनसे की वो ये थी, वो अ़ब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर क़ायम है। और ला इला-ह इल्लल्लाह कहने से इंकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ, अल्लाह की क़सम! मैं तेरे लिये अल्लाह तआ़ला से मग़फ़िरत की दुआ़ करता रहूँगा, जब तक मुझे इससे रोक न दिया जाये।' इस पर अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, 'नबी और मुसलमानों के लिये मुश्रिकीन की मग़फ़िरत की दुआ़ करना जाइज़ नहीं है, ख़्वाह वो उनके रिश्तेदार ही क्यों न हों, जबकि उनके सामने उनका जहन्नमी होना वाज़ेह हो चुका है।' (सूरह तौबा : 113) और अल्लाह तआ़ला ने अबू तालिब के बारे में ये आयत भी उतारी और रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुख़ातब फ़रमाया, 'हर वो शख़्स जिसको आप चाहें आप उसे राहे रास्त पर नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह तआ़ला जिसको चाहे राहे रास्त पर ले आता है और वो राहयाब होने वालों को ख़ूब जानता है।' (सूरह क़सस : 28)

(सहीह बुख़ारी : 1360, 4884, 4675, 4772, 6681, नसाई : 4/90)

(133) मअमर और सालेह (रह.) और ज़ोहरी से ऊपर वाली सनद के साथ मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, फ़र्क़ ये है कि सालेह की रिवायत फ़अन्ज़लल्लाहु अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़ीहि उसके बारे में अल्लाह तआ़ला ने आयत उतारी, पर ख़त्म हो गई और उसने दोनों आयतों को बयान नहीं किया और अपनी हदीस़ में ये भी कहा कि वो दोनों (अबू जहल, अ़ब्दुल्लाह बिन उमय्या) अपनी बात दोहराते रहे और मअमर की रिवायत में इसकी बजाय ये है, वो दोनों बराबर उसके पास रहे या बात दोहराते रहे।

(सहीह बुख़ारी : 25)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَتَيْنِ . وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودَانِ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ . وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالاَ بِهِ .

(134) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने चाचा की मौत के वक़्त चाचा से फ़रमाया, 'ला इला-ह इल्लल्लाह कह लें, मैं क़यामत के दिन इसकी बुनियाद पर तेरे हक़ में (आपके इस्लाम की) गवाही दूँगा।' लेकिन चाचा ने इंकार कर दिया तो अल्लाह तआ़ला ने ये आयत उतारी, 'आप जिसे चाहें हिदायत पर नहीं ला सकते।' (सूरह क़सस : 28)

(तिर्मिज़ी : 3188)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ " قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الآيَةَ .

(135) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने चाचा (अबू तालिब) से फ़रमाया, 'ला इला-ह इल्लल्लाह

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِ " قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}

कह दो मैं क़यामत के दिन इसकी बिना पर तेरे हक़ में गवाही दूँगा।' उसने जवाब दिया, अगर मुझे क़ुरैश से इस आ़र दिलाने का डर न होता कि वो कहेंगे कि इस बात पर (आख़िरत की) घबराहट ने आमादा किया है, तो मैं ये कलिमा पढ़कर तेरी आँखों को ठण्डा करता तो इस पर अल्लाह तआ़ला ने उतारा, 'आप जिसे चाहें राहे रास्त पर नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह तआ़ला जिसे चाहे राहे रास्त पर ले आता है।' (सूरह क़सस : 28)

(सहीह बुख़ारी : 25)

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) और मुश्रिकों से अबू तालिब की बातचीत करना इस बात की दलील है कि अभी उस पर नज़अ़ की हालत तारी नहीं हुई थी और जान हलक़ में नहीं पहुँची थी। अबू तालिब की वफ़ात हिजरत से तीन साल पहले हुई है जबकि नबी (ﷺ) की उम्र 49 साल आठ माह और ग्यारह दिन थी। **(2)** इंसान के मुसलमान होने के लिये कलिम-ए-शहादत का अ़लल ऐलान इक़रार और ऐतराफ़ ज़रूरी है, सिर्फ़ दिल के अंदर आपकी नुबूवत का इक़रार काफ़ी नहीं है। **(3)** अबू तालिब की वफ़ात शिर्क पर हुई है। ये कहना सहीह नहीं है कि अबू तालिब ईमान पर फ़ौत हुआ है क्योंकि ये क़ुरआन मजीद और सहीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। बरेलवी अ़ल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं, क़ुरआन मजीद की अव्वलुज़्ज़िक्र आयात और स़ानीउज़्ज़िक्र अहादीसे सहीहा की रोशनी में मज़ाहिबे अरबअ़ा के मअ़रूफ़ उ़लमा, फ़ुक़्हा, मुफ़स्सिरीन और जुम्हूर अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि अबू तालिब का ईमान स़ाबित नहीं है। (शरह सहीह मुस्लिम उर्दू : 1/398) **(4)** हिदायत का लफ़्ज़ दो मानी में इस्तेमाल होता है (1) राह दिखाना, रहनुमाई करना, ये रसूल का फ़रीज़ा है। (2) राहे रास्त पर चलाना, हिदायत देना, ये अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी है, रसूल के बस में नहीं है। **(5)** अबू तालिब की वफ़ात मक्का मुकर्रमा में हुई और आपने सुलहे हुदैबिया के सफ़र में अपनी वालिदा की क़ब्र पर इस्तिग़फ़ार की इजाज़त तलब की है। लेकिन आपको इजाज़त नहीं मिली और इस आयत का नुज़ूल हुआ। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये आयत पहले से नाज़िल हो चुकी थी इसलिये आपको इजाज़त तलब करने की ज़रूरत महसूस हुई और ये भी हो सकता है कि आयत का नुज़ूल अबू तालिब की वफ़ात के काफ़ी अ़रसे बाद हुआ हो क्योंकि ये आयत सूरह तौबा की है जिसका नुज़ूल हिजरत के बाद हुआ है।

बाब 10 : इस बात की दलील कि तौहीद पर मरने वाला क़तई तौर पर जन्नत में दाख़िल होगा

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، - عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(136) हज़रत हुमरान (रज़ि.) ने हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स इस यक़ीन पर मरा कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं है वो जन्नत में दाख़िल होगा।'

फ़ायदा : अहले सुन्नत और अहले हक़ का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि तौहीद पर मरने वाला जन्नती है अगर वो गुनाहों से बचा हो। सहीह तो ये है कि वो सीधा जन्नत में दाख़िल होगा। अगर उसने कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब किया और तौबा की तौफ़ीक़ न मिली तो फिर अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी उसके गुनाह माफ़ कर दे और जन्नत में दाख़िल करे या उसके गुनाहों के मुताबिक़ दोज़ख़ में दाख़िल करके गुनाहों से पाक-साफ़ करके जन्नत में ले जाये। बहरहाल वो अन्जाम के ऐतबार से जन्नती है। तौहीद के इक़रार व शहादत के लिये रिसालत व आख़िरत पर यक़ीन व ईमान लाज़िम है, इनका आपस में चोली-दामन का साथ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً .

(137) हज़रत हुमरान, हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं दोनों में यकसानियत है।

(138) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि हम एक सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ थे। लोगों का ज़ादे राह ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कुछ सवारियों (ऊँटों) को ज़िब्ह कर दिया जाये।' तो उमर (रज़ि.) कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! काश आप लोगों का बचा-खुचा तौशा जमा फ़रमा लें और उस पर अल्लाह तआला से बरकत की दुआ फ़रमायें। नबी (ﷺ) ने ऐसे ही किया। गन्दुम वाला अपनी गन्दुम लाया और खजूर वाला खजूर। मुजाहिद कहते हैं जिसके पास गुठलियाँ थीं वो गुठलियाँ ले आया। रावी ने पूछा (मुजाहिद से) कि गुठलियों का लोग किया करते थे? जवाब मिला, उनको चूसकर पानी पी लेते थे। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, जमाशुदा तौशे पर आपने दुआ फ़रमाई तो लोगों ने अपने-अपने तौशे के बर्तनों को भर लिया। उस वक़्त आपने फ़रमाया, 'मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं है जो बन्दा भी अल्लाह तआला को इन दोनों बातों में (तौहीद व रिसालत का इकरार करने में) बिला शक व शुब्हा मिलेगा वो जन्नत में दाख़िल होगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ - قَالَ - فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ - قَالَ - فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا . قَالَ فَفَعَلَ - قَالَ - فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ - قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ - قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ . قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا - قَالَ - حَتَّى مَلأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ - قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(139) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से या हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से (आमश को शक है) रिवायत है कि ग़ज़्व-ए-तबूक के सफ़र में लोगों को भूख लाहिक़ हुई उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ

الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، - شَكَّ الأَعْمَشُ - قَالَ لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " افْعَلُوا " . قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " . قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ - قَالَ - فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ - قَالَ - وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ يَسِيرٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ " خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ " . قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلأُوهُ - قَالَ - فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ

रसूल! काश आप हमें इजाज़त दें तो हम पानी लाने वाले ऊँटों को ज़िब्ह कर लें, खायें और चर्बी का तेल बना लें। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐसे कर लो।' इतने में उमर (रज़ि.) आ गये और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपने ऐसा किया तो सवारियाँ कम हो जायेंगी, अल्बत्ता आप उनको उनके बचे हुए ज़ादे राह समेत बुलवाइये। फिर उनके लिये अल्लाह से उस पर बरकत की दुआ कीजिये। उम्मीद है अल्लाह तआला उसमें बरकत डाल देगा। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ठीक है।' आपने चमड़े का एक दस्तरख़्वान मंगवाकर बिछा दिया। फिर लोगों का बचा हुआ ज़ादे राह मँगवाया। कोई शख़्स मुट्ठी भर जवार ला रहा है और कोई मुट्ठी भर खजूर, कोई रोटी का टुकड़ा यहाँ तक कि उससे दस्तरख़्वान पर थोड़ी सी तादाद जमा हो गई। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बरकत की दुआ फ़रमाई। फिर लोगों से कहा, अपने बर्तनों में डाल लो। तो सबने अपने-अपने बर्तन भर लिये। यहाँ तक कि लश्कर के तमाम बर्तन भर गये। फिर सबने मिलकर खा लिया और सैर हो गये और खाना फिर भी बच गया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को मुख़ातब करते हुए फ़रमाया, 'मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत के मुस्तहिक़ नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जो शख़्स इन दोनों (तौहीद व रिसालत) पर यक़ीन रखते हुए अल्लाह को मिलेगा वो जन्नत से महरूम न होगा।'

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अज़्वाद : ज़ाद की जमा है, ज़ादे सफ़र, तौशा। **(2) हमाइल :** हमूला की जमा है, बार बरदारी के ऊँट या सवारी के ऊँट। **(3) नवा :** निवाह की जमा है गुठली। **(4) अज़्विदह :** ज़ाद की जमा है तौशा, लेकिन यहाँ तौशादान मुराद है, या मुज़ाफ़ महज़ूफ़ यानी अदइय्यति अज़्वदतिहिम उनके तौशे के बर्तन। **(5) नाज़िहुन :** नाज़िहह की जमा है पानी लाने वाले ऊँट, मुज़क्कर को नाज़िह और मुअन्नस़ को नाज़िहा कहते हैं। **(6) इद्दहना :** का ज़ाहिरी मानी तेल लगाना है, लेकिन यहाँ मुराद ऊँटों की चर्बी का तेल बनाना है। **(7) अज़्ज़हर :** सवारी, क्योंकि उसकी पुश्त पर सवार हुआ जाता है या उससे सफ़र में कुव्वत व मदद हासिल की जाती है। **(8) फ़ज़्ल :** बचा-खुचा। **(9) नितहुन :** चमड़े का दस्तरख़्वान।

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) का मशवरा क़ुबूल करते हुए लोगों को बचा-खुचा ज़ादे राह इकट्ठा करने का हुक्म दिया और उस पर बरकत की दुआ फ़रमाई। अल्लाह तआला ने बरकत डाली। इससे मालूम होता है अगर अदना, आला को मुनासिब और सहीह मशवरा दे तो उसको क़ुबूल कर लेना चाहिये। बिला वजह अपनी बात पर अड़ना नहीं चाहिये या उसको इज़्ज़ते नफ़्स का मसला नहीं बनाना चाहिये।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ

(140) हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स ने कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है उसका कोई शरीक नहीं, बेशक मुहम्मद उसका बन्दा और उसका रसूल है और बेशक ईसा अल्लाह का बन्दा, उसकी बन्दी का बेटा है और उसका वो कलिमा है जिसका उसने मरयम की तरफ़ इल्क़ा किया और उसकी तरफ़ से रूह है और

जन्नत हक़ है, दोज़ख़ हक़ है, अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को जन्नत के आठ दरवाज़ों में से जिससे वो चाहेगा जन्नत में दाख़िल करेगा।'
(सहीह बुख़ारी : 3435, 5075)

عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) कलिमा : बोल को कहते हैं चूंकि हज़रत ईसा (अलै.) कलिमए कुन (हो जा) से पैदा हुए हैं। इसलिये उनको कलिमा क़रार दिया गया है। **(2) रूहुम्मिन्हु :** हज़रत ईसा की रूह की निस्बत, इज़्ज़त व तकरीम के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ की गई है जैसे बैतुल्लाह, नाक़तुल्लाह, सूरह सज्दा में इंसान की तख़्लीक़ के सिलसिले में फ़रमाया, **'उसमें अपनी रूह फूंकी।'** मिन्हु का मानी उसका जुज़ नहीं है वरना हर चीज़ उसका जुज़ होगी। सूरह जासि़या में फ़रमाया, **'उसने तुम्हारे लिये मुसख़्ख़र किया जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है सबको अपनी तरफ़ से।'** (सूरह जासि़या : 13) यहाँ जमीअम्-मिन्हु का ये मानी नहीं है कि सब कुछ उसका हिस्सा या जुज़ है। **(3) अल्हक़ :** हक़ उस मौजूद को कहते हैं जो पाया जाये या जिसका पाया जाना ज़रूरी हो। अल्लाह तआला को हक़ इसलिये कहते हैं कि वो अज़ली और अबदी है हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जन्नत और दोज़ख़ को हक़ इसलिये कहते हैं कि उनका पाया जाना यक़ीनी है। हक़ लाज़िम और वाजिब को भी कहते हैं।

(141) उमैर बिन हानी ने मज़्कूरा बाला सनद से यही हदीस़ सुनाई। आख़िरी अल्फ़ाज़ ये हैं, अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल करेगा, उसके अमल कैसे भी हों और जन्नत के आठ दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाख़िल हो जाये, ज़िक्र नहीं किया।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ " مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ " .

(142) सुनाबिही (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत उबादा (रज़ि.) के पास था जबकि वो मौत के क़रीब थे, तो मैं रो पड़ा। वो मुझे फ़रमाने

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلاً لِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ " .

लगे, ठहरिये क्यों रोते हो? पस अल्लाह की क़सम! अगर मुझसे गवाही ली गई तो मैं तेरे हक़ में गवाही दूँगा और अगर मुझे सिफ़ारिश का मौक़ा मिला तो मैं तेरी सिफ़ारिश करूँगा और अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुझे ज़रूर नफ़ा पहुँचाऊँगा। फिर कहा, अल्लाह की क़सम! जो हदीस़ भी मैंने तुम्हारी बेहतरी का बाइस़ नबी (ﷺ) से सुनी, वो एक हदीस़ के सिवा तुम तक पहुँचा दी और वो हदीस़ भी आज तुम्हें सुना देता हूँ क्योंकि मेरी जान क़ब्ज़ होने को है। मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना, 'जिस शख़्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तआला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देगा।'

(तिर्मिज़ी : 2638)

फ़ायदा : लोगों के सामने उनकी हैसियत और उनके इल्म व इदराक के मुनासिब ऐसी अहादीस़ बयान करनी चाहिये , जो उनके लिये भलाई और बेहतरी या नफ़ा का बाइस़ हों। ऐसी अहादीस़ जो लोगों के फ़हम और शऊर से बाला (ऊपर) हों या उनके लिये फ़ित्ना या नुक़सान का सबब बन सकती हों, उनको बयान नहीं करना चाहिये। आख़िरी वक़्त में उन लोगों को ये हदीस़ सुनाई जिसके फ़हम व शऊर पर ऐतमाद था कि वो उससे इस बदफ़हमी या ग़लतफ़हमी में तबाह नहीं होंगे कि उनको अमलों की ज़रूरत नहीं है।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ

(143) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के साथ सवारी पर आपके पीछे सवार था। मेरे और आपके दरम्यान कजावे के पिछले हिस्से के सिवा और कोई चीज़ हाइल न थी। तो आपने फ़रमाया, 'ऐ

مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ " يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ " يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ " يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا " . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ " يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ " .

मुआज़ बिन जबल!' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ और ख़िदमत के लिये तैयार हूँ। फिर कुछ देर चलने के बाद फ़रमाया, 'ऐ मुआज़ बिन जबल!' मैंने अ़र्ज़ किया, मैं ख़िदमत में हाज़िर हूँ, आपका फ़रमांबरदार हूँ। फिर कुछ वक़्त चलने के बाद फ़रमाया, 'ऐ मुआज़ बिन जबल!' मैंने अ़र्ज़ किया, हाज़िरे ख़िदमत हूँ और इताअ़त के लिये तैयार हूँ। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम जानते हो कि बन्दों पर अल्लाह का क्या हक़ है?' मैंने अ़र्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। इरशाद फ़रमाया, 'अल्लाह का हक़ बन्दों पर ये है कि उसकी बन्दगी करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें।' फिर कुछ देर चलने के बाद फ़रमाया, 'ऐ मुआज़ बिन जबल!' मैंने अ़र्ज़ किया, हाज़िर हूँ और ख़िदमत के लिये तैयार हूँ। आपने फ़रमाया, 'क्या जानते हो कि जब बन्दे अल्लाह का ये हक़ अदा करें तो फिर अल्लाह पर उनका क्या हक़ है?' मैंने अ़र्ज़ किया, अल्लाह व रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। आपने फ़रमाया, 'ये कि उन्हें अ़ज़ाब न दे।'

(सहीह बुख़ारी : 5967, 6267, 6500)

मुफ़रदातुल ह़दीस़ : (1) लब्बैक : लब का तस्निया है और काफ़ की तरफ़ मुज़ाफ़ है, तकरार और ताकीद व कसरत के लिये ऐसा करते हैं। मानी है अजिब्तु लक इजाबतु बअ़्द इजाबतिन आपके लिये बार-बार हाज़िर हूँ या अक़म्तु ताअ़तुक इक़ामति बअ़द इक़ामतिन, मुसलसल आपकी इताअ़त पर क़ायम हों।

(2) सअ़दैक : सअ़द का तस्निया है और इसका मक़सद भी तकरार व कसरत है मानी है इन्ना नस्अ़दु ताअ़तुक इस्आद बअ़दि इस्आदिन या उसइदुक इस्आदु अब्अ़दु इस्आदिन आपकी ख़िदमत व ताअ़त की सआ़दत पर क़ायम हूँ।

फ़वाइद : **(1)** हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने आपके साथ बैठने की कैफ़ियत को तफ़्सील से बयान किया है ताकि नबी (ﷺ) की जो ख़ास शफ़क़त और इनायत हासिल थी और बारगाहे नबवी में जो ख़ास मक़ामे क़ुर्ब हासिल था। वो सामेईन के पेशे नज़र रहे ताकि वो समझ सकें कि आपने हज़रत मुआज़ को ऐसी बात क्यों फ़रमाई जिसकी आम इशाअत की इजाज़त न थी जैसाकि आगे उनकी हदीस में आ रहा है। नीज़ लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाये कि मुझे ये हदीस अच्छी तरह याद है यहाँ तक कि उसकी जुज़्ई बातें भी महफ़ूज़ हैं। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ हज़रत मुआज़ को तीन बार मुख़ातब किया और फिर तीसरी बार भी बात मुकम्मल नहीं की। मक़सद ये था कि हज़रत मुआज़ पूरी तरह आपकी तरफ़ मुतवज्जह हों और हमातन गोश होकर पूरी रग़बत व तवज्जह और ग़ौर व ताम्मुल के साथ आपकी बात सुनें क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ का मुन्तज़िर होता है, तो उसकी तरफ़ पूरी तवज्जह करता है और कामिल इन्हिमाक और शौक़ से सुनता है और उसको ज़हन नशीन (याद) करने की कोशिश करता है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ " يَا مُعَاذُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ " لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا " .

(144) हज़रत मुआज़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं उफ़ैर नामी गधे पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपके पीछे सवार था। आपने फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! जानते हो, अल्लाह का बन्दों पर क्या हक़ है और बन्दों का अल्लाह पर क्या हक़ है?' मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह का बन्दों पर ये हक़ है कि वो उसकी बन्दगी करें, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहरायें और बन्दों का अल्लाह पर ये हक़ है जो उसके साथ शरीक न ठहराये उसको अज़ाब न दे।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं लोगों को ख़ुशख़बरी न सुनाऊँ? आपने फ़रमाया, 'उनको ख़ुशख़बरी न दो वो इसी पर भरोसा कर लेंगे।'
(सहीह बुख़ारी : 2701, अबू दाऊद : 2856, तिर्मिज़ी : 2643)

फ़ायदा : अल्हक़ : हक़, मौजूद चीज़ को कहते हैं इसलिये सच, सिद्क को भी हक़ कह देते हैं क्योंकि वो मौजूद है और हक़ हर उस चीज़ को कह देते हैं जिसका करना लाज़िम और ज़रूरी है। इसलिये फ़राइज़ जिनकी अदायगी ज़रूरी है या क़र्ज़ जिसका अदा करना लाज़िम है उसको भी हक़ कह देते हैं अल्लाह का बन्दों पर हक़ है का मानी ये है कि बन्दे पर इस काम का करना लाज़िम और वाजिब है ओर बन्दों का अल्लाह पर हक़ है का मानी ये है कि उस चीज़ का पाया जाना क़तई और यक़ीनी है। ये मानी नहीं है कि अल्लाह तआला पर उसका करना लाज़िम-वाजिब है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ " . قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَىْءٌ - قَالَ - أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ " . فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ " .

(145) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ( ) ने फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! क्या तुम जानते हो अल्लाह का बन्दों पर क्या हक़ है?' मुआज़ ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह की बन्दगी करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक क़रार न दें।' आपने पूछा, 'क्या तुम जानते हो अगर बन्दे ये फ़र्ज़ सर अन्जाम दें तो उनका उस पर (अल्लाह पर) क्या हक़ है?' मैंने जवाब दिया, अल्लाह व रसूल ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'उनको अज़ाब न दे।'
(सहीह बुख़ारी : 7373)

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا، يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ " . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(146) अस्वद कहते हैं, मैंने मुआज़ (रज़ि.) को ये बयान करते हुए सुना कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बुलाया, तो मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने पूछा, 'क्या जानते हो अल्लाह का लोगों पर क्या हक़ है?' फिर ऊपर वाली रिवायत बयान की।
(सहीह बुख़ारी : 2701, अबू दाऊद : 2856, तिर्मिज़ी : 2643)

(147) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के आस-पास बैठे थे। साथ ही अबू बकर और उमर भी एक जमाअत के साथ मौजूद थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे दरम्यान से उठे (और किसी तरफ़ चले गये) फिर आप की वापसी में बहुत ताख़ीर हो गई तो हमें डर पैदा हुआ कि कहीं हमसे अलाहिदा (अलग होने की वजह से) आपको कोई तकलीफ़ न पहुँचाई जाये। (हमारी ग़ैर मौजूदगी में दुश्मन वग़ैरह की तरफ़ से आपको कोई गज़न्द न पहुँचे) इस पर हम बहुत घबराये और हम लोग (आपकी तलाश में) निकल खड़े हुए और सबसे पहले मैं ही घबराकर आपकी तलाश में निकला। यहाँ तक कि अन्सार के ख़ानदान बनू नज्जार के एक बाग़ में पहुँच गया, जो चार दीवारी से घिरा हुआ था और मैंने उसके चारों तरफ़ चक्कर लगाया कि अंदर जाने के लिये मुझे रास्ता मिल जाये लेकिन नहीं मिला। अचानक एक नाला दिखाई दिया जो बाहर के कुँऐं से बाग़ के अंदर जाता था। रबीअ जदवल (नाले) को कहते हैं। मैं लोमड़ी की तरह सिमट और सिकुड़ कर अंदर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँच गया। आपने पूछा, अबू हुरैरह! मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ही हूँ। आपने फ़रमाया, 'तुम कैसे आये? (क्या बात है?)' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमारे दरम्यान तशरीफ़ रखते थे। फिर वहाँ से उठकर चले आये। फिर देर तक आपकी वापसी नहीं हुई। तो हमें ख़तरा लाहिक़ हुआ कि कहीं

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ - فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَبُو هُرَيْرَةَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا

فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ " اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لاِسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي

दुश्मन आपको तन्हा देखकर ईज़ा न पहुँचाये तो इस पर हम घबरा गये। सबसे पहले मैं घबराया। तो मैं इस बाग़ तक पहुँचा और लोमड़ी की तरह सिमट-सिकुड़ के (अंदर घुस आया हूँ) और दूसरे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। तो आपने फ़रमाया, 'ऐ अबू हुरैरह!' और मुझे अपने नअ़लैन (जूते) मुबारक अ़ता फ़रमाये और इरशाद फ़रमाया, 'मेरे ये जूते ले जाओ और इस बाग़ से बाहर जो आदमी भी तुम्हें ऐसा मिले जो दिल के पूरे यक़ीन के साथ ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत देता हो उसको जन्नत की ख़ुशख़बरी सुना दो।' तो सबसे पहले मेरी मुलाक़ात उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, अबू हुरैरह! हाथ में ये दो जूतियाँ कैसी हैं? मैंने कहा, ये नअ़लैन मुबारक रसूलुल्लाह (ﷺ) के हैं। आपने ये दोनों जूतियाँ मुझे देकर भेजा है कि जो कोई भी दिल के इत्मीनान के साथ ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत देता हुआ मुझे मिले उसको जन्नत की बशारत दे दूँ। अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, पस उ़मर ने मेरे सीने पर एक हाथ मारा। जिससे मैं अपनी सुरीनों के बल पीछे को गिर पड़ा और मुझसे उन्होंने कहा, ऐ अबू हुरैरह! पीछे को लौटो। मैं रोती सूरत के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास वापस आया और उ़मर (रज़ि.) भी मेरे पीछे-पीछे आये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'ऐ अबू हुरैरह! तुम्हें क्या हुआ?' मैंने अ़र्ज़ किया, उ़मर मुझे मिले थे, आपने मुझे जो पैग़ाम देकर भेजा, मैंने उन्हें वो बतलाया तो उन्होंने मेरे सीने

بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاِسْتِي قَالَ ارْجِعْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ . قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَخَلِّهِمْ " .

पर एक थप्पड़ मारा, जिससे मैं अपनी सुरीन के बल गिर पड़ा और मुझसे कहा कि पीछे लौटो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़मर को मुख़ातब करके फ़रमाया, 'उ़मर! तुमने ऐसा क्यों किया?' उन्होंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान हों! क्या आपने अबू हुरैरह को अपने नअ़लैन मुबारक देकर इसलिये भेजा था कि जो कोई भी दिल के यक़ीन के साथ ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत देने वाला उनको मिले, वो उसको जन्नत की बशारत दे दें? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' (मैंने ही ये कहकर भेजा था) उ़मर ने अ़र्ज़ किया, तो ऐसा न कीजिये! मुझे ख़तरा है कि कहीं लोग बस इस शहादत पर भरोसा करके (कोशिश व अ़मल से बेपरवाह होकर) न बैठ जायें, लिहाज़ा उन्हें इसी तरह अ़मल करने दीजिये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अच्छा उनको अ़मल करने दो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़ुउदन हौलहू : इर्द-गिर्द बैठना, चारों तरफ़ से घेरे में लिये हुए थे। **(2) अज़्हरना :** दरम्यान में या वस्त में बैठना। अज़्हरकुम, ज़हरानीकुम, ज़हरीकुम सबका यही मफ़्हूम है। **(3) ख़शीना अंय्यक़्ततअ़ दूनना :** हमें ख़तरा पैदा हुआ कि आपको हम से अलग-थलग, दुश्मन ईज़ा न पहुँचाये। **(4) हाइत़ :** वो बाग़ जिसकी चार दीवारी हो, छत न होने की वजह से उसे हाइत (दीवार) कहते हैं। **(6) अल जद्वल :** नाला, उसको रबीअ़ भी कहते हैं। **(7) बिअ्रुन ख़ारिजह:** ख़ारिजा को अगर बिअ्र की सिफ़त बनायें तो मानी होगा, बाहर वाला कुँआँ और अगर ख़ारिजा किसी इंसान का नाम हो तो मानी होगा ख़ारिजा के कूँऐं से। **(8) फ़ह्तफ़ज़्तु :** मैं सिमटा और सिकुड़ा, ताकि अंदर घुसना आसान हो जाये। **(9) स़अ्लब :** लोमड़ी। **(10) इस्ती :** अपनी सुरीन दुबुर को कहते हैं, शर्म व हया की ख़ातिर सरीह लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। **(11) अज्हश्तु बुकाअन :** मैं घबरा कर आपकी पनाह में आया। रंग फ़क़ हो गया और सूरत रोनी थी, रोया नहीं था। **(12) रकिबनी उ़मर :** उ़मर ने मेरा पीछा किया और मेरे पीछे-पीछे चल दिये।

फ़वाइद : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू हुरैरह (रज़ि.) को एक बशारते उ़ज़मा (बड़ी ख़ुशख़बरी) के ऐलान के लिये भेजा था। उसकी ग़ैर मामूली अहमियत के पेशे नज़र आपकी किसी ख़ास निशानी की ज़रूरत थी। उस वक़्त मुयस्सर निशानी नअ़लैन (दो जूते मुबारक) ही थे, वही अ़ता फ़रमाये। (2) हज़रत उ़मर (रज़ि.) का मक़सूद अबू हुरैरह (रज़ि.) को गिराना या ईज़ा पहुँचाना न था बल्कि इस काम से बाज़ रखना मक़सूद था, शायद उ़मर ने पहले अबू हुरैरह (रज़ि.) को वापस चलने को कहा हो, लेकिन चूंकि वो अहले ईमान के लिये एक अ़ज़ीम बशारत का परवाना लेकर आ रहे थे और उन्हें इस तरह एक बड़ी सआ़दत हासिल हो रही थी इसलिये उन्होंने वापस जाने से इंकार किया होगा। इसलिये तम्बीह और सरज़निश के तौर पर उन्होंने सीने पर हाथ मारा जो अचानक लगा। इसलिये हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) अपना तवाज़ुन बरक़रार न रख सके। हज़रत उ़मर (रज़ि.) चूंकि इस बशारते आ़म्मह में एक मुज़िर और नुक़सानदेह पहलू देखते थे। वो वक़्त सई और जद्दो-जहद का था। तमाम अहकामे इस्लामिया की पाबंदी करना, दीन की तब्लीग़ व इशाअ़त के लिये सई व कोशिश करना और तरक़्क़िये-दीन के लिये जिहाद में हिस्सा लेना ज़रूरी था। इस ख़ुशख़बरी के ऐलाने आ़म के बाद एहतिमाल था कि बहुत से लोग तन आसानी इख़्तियार करके इस पर भरोसा करते हुए अ़मल व कोशिश से सुस्ती और तग़ाफ़ुल बरतेंगे इसलिये हज़रत उ़मर इसको ख़िलाफ़े मस्लिहत समझते थे इसलिये वो चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेक आ़माल करें ताकि उनके दरजात व मरातिब में बुलन्दी और तरक़्क़ी हो। इसलिये नबी (ﷺ) ने हज़रत उ़मर की बात को तस्लीम कर लिया और आपने ख़ुद भी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को इसकी इशाअ़त की इजाज़त नहीं दी थी और वजह वही बताई थी जो उ़मर (रज़ि.) ने बयान की है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ " يَا مُعَاذُ " . قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ " يَا مُعَاذُ " . قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ " يَا مُعَاذُ " . قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ .

(148) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) को जबकि वो पालान पर आपके पीछे सवार थे पुकारा, ऐ मुआ़ज़! उन्होंने अ़र्ज़ किया, लब्बैक, या रसूलल्लाह व सअ़दैक! नबी (ﷺ) ने फिर कहा, ऐ मुआ़ज़! उन्होंने अ़र्ज़ किया, लब्बैक, या रसूलल्लाह व सअ़दैक। तीन बार ऐसा हुआ। फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो कोई सच्चे दिल से शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद उसके रसूल हैं तो अल्लाह ने दोज़ख़ पर ऐसे शख़्स को हराम कर

قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ " إِذًا يَتَّكِلُوا " فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا .

दिया है।' हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं लोगों को इसकी ख़बर न कर दूँ ताकि वो सब ख़ुश हो जायें? आपने फ़रमाया, 'फिर वो इसी पर भरोसा करके बैठ जायेंगे।' फिर हज़रत मुआज़ ने कित्माने इल्म के गुनाह के ख़ौफ़ से अपने आख़िरी वक़्त में ये हदीस़ बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 128)

फ़वाइद : (1) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला हदीस़ में आपने ख़ुद ये ख़ुशख़बरी देने का हुक्म दिया था। लेकिन हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने जब आपके सामने उसमें जो मन्फ़ी पहलू था वो पेश किया और नबी ने उसको ख़िलाफ़े मस्लिहत समझा तो आपने हज़रत उमर की राय तस्लीम कर ली। इससे ये उसूल निकला कि अगर कोई बड़ा यहाँ तक कि अल्लाह का नबी व रसूल भी किसी मामले में अपनी राय ज़ाहिर करे और किसी साहिबे राय आदमी को उसमें नुक़सान का पहलू नज़र आये तो वो अदब व एहतिराम के साथ अपनी राय और अपना मशवरा पेश करने में ताम्मुल न करे और बड़े को चाहिये कि वो उस राय या मशवरे पर ग़ौर व ख़ौज करे। अगर दूसरे की राय बेहतर और मस्लिहत व हिक्मत के मुताबिक़ हो तो उसको क़ुबूल करके अपनी राय से रुजूअ करने में अदना ताम्मुल न करे। नबी (ﷺ) ने उ़मर (रज़ि.) की राय के बाद अपनी राय बदल ली थी। **(2)** हज़रत मुआज़ जब तक ज़िन्दा रहे उस वक़्त तक इस हदीस़ के ज़ाया होने का एहतिमाल नहीं था, जब मरने लगे तो उन्हें कितमाने इल्म (इल्म छिपाने) का अन्देशा लाहिक़ हुआ जो एक बड़ा जुर्म है और नबी (ﷺ) का मना फ़रमाना, एक मस्लिहत व हिक्मत के लिये था कि लोग इस पर ऐतमाद करके, कोशिश व अ़मल से बैठे रहेंगे। लेकिन जब दीन की नश्रो-इशाअ़त आ़म हो गई, आपकी वफ़ात तक दीन व शरीअ़त मुकम्मल हो गये, लोगों के अंदर दीन रासिख़ हो गया और जज़्ब-ए-अ़मल क़वी हो गया और अ़मल व कोशिश में कोताही का डर न रहा तो हज़रत मुआज़ ने ये हदीस़, मौत के वक़्त बयान कर दी। क्योंकि नही तहरीम के लिये न थी, वरना हज़रत मुआज़ जैसे साहिबे इल्म व फ़ज़्ल को कितमाने इल्म का अन्देशा लाहिक़ न होता और हक़ीक़त ये है कि कलिम-ए-शहादत का दिल की गहराई से इक़रार इंसान को दीन की मुकम्मल पाबंदी पर मजबूर करता है जिसके नतीजे में इंसान दोज़ख़ से महफ़ूज़ हो जाता है।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، -

(149) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे महमूद बिन रबीअ (रज़ि.) ने इतबान

बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत सुनाई, महमूद कहते हैं, मैं मदीना आया और इतबान को मिला। तो मैंने कहा, आपकी एक रिवायत मुझे पहुँची है (वो मुझे बराहे रास्त सुनाइये) इतबान ने कहा, मेरी आँखों में कुछ तकलीफ़ पैदा हुई तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पैग़ाम भेजा कि हुज़ूर मेरी तमन्ना है आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें ताकि उसको नमाज़गाह बना लूँ (वहाँ नमाज़ पढ़ा करूँ) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और जिन साथियों को अल्लाह तआला ने चाहा वो भी साथ थे। सो आप दाख़िल होकर मेरे घर में नमाज़ पढ़ने लगे और आपके साथी आपस में बातें करने लगे। बातों का (मौज़ूअ मुनाफ़िक़ों के आमाले बद और उनकी बुरी हरकात थीं) अक्सर और बड़ा मौज़ूअ मालिक बिन दुख़्शुम की हरकतें थीं। सहाबा ने चाहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके हक़ में बद्दुआ फ़रमायें वो मर जाये और ख़्वाहिश की कि उसे कोई आफ़त पहुँचे। रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए और पूछा, 'क्या वो इस बात की गवाही नहीं देता कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने जवाब दिया, वो ज़बान से ये कहता है लेकिन दिल में ये नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स भी इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो जहन्नम में दाख़िल न होगा न उसे जहन्नम खायेगी।' हज़रत अनस

يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّىْءِ فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى - قَالَ - فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَنْزِلِي وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ وَكِبْرَهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ دُخْشُمٍ قَالُوا وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَوَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرٌّ . فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ وَقَالَ " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ . قَالَ " لاَ يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

فَيَدْخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ " . قَالَ أَنَسٌ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لاِبْنِي اكْتُبْهُ فَكَتَبَهُ .

(रज़ि.) कहते हैं, ये हदीस़ मुझे बहुत अच्छी लगी (पसंद आई) तो मैंने अपने बेटे को कहा, इसे लिख लो। उसने लिख लिया।

(सहीह बुख़ारी : 424, 425, 667, 686, 838, 840, 1186, 4009, 5401, 6423, 6938, नसाई : 2/80, 3/64-65, इब्ने माजह : 754)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) उ़ज़्म : ऐन के पेश के साथ बड़ा हिस्सा, कुब्र काफ़ के पेश और ज़ेर के साथ अक्स़र हिस्सा। **(2) दआ़ अ़लैह :** किसी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करना।

फ़ायदा : आपने तौहीद व रिसालत की शहादत देने वाले को कहा कि वो दोज़ख़ पर हराम है या उसे आग नहीं खायेगी। इस क़िस्म की बशारतों में आपका मक़सद और मत्महे नज़र किसी अ़मले ख़ैर की ज़ाती ख़ासिय्यत और उसका असल अस़र बताना है और ये ख़ासिय्यत और अस़र उसी वक़्त ज़ाहिर होता है जब कोई चीज़ उसके मानेअ़ मौजूद न हो जो उसके अस़र को ज़ाइल करने वाली हो। जैसे तबीब कहता है, जो शख़्स हमेशा इत्रिफ़ील इस्तेमाल करता रहेगा वो हमेशा नज़ला से महफ़ूज़ रहेगा, तो क्या उसका ये मानी लेना दुरुस्त होगा उसके साथ किसी परहेज़ और एहतियात की ज़रूरत नहीं है वो शख़्स अगर नज़ला पैदा करने वाली चीज़ों जैसे, तेल-तरश वग़ैरह चीज़ें भी बराबर खाता रहे तो क्या वो नज़ला से बच सकेगा। तौहीद व रिसालत की शहादत का असल मक़सद, दावते दीन व ईमान को क़ुबूल करना और आपके लाये हुए दीने इस्लाम को अपनाना है जैसाकि हम पहले इसकी वज़ाहत कर चुके हैं। इसलिये तौहीद व रिसालत की शहादत का इक़्तिज़ा यही है कि ऐसा आदमी अ़ज़ाबे दोज़ख़ से महफ़ूज़ रहे और जन्नत में जाये। लेकिन अगर उसने अपनी बदबख़्ती से कुछ ऐसे आ़माल भी किये हैं जिनका ज़ाती तक़ाज़ा या ख़ासिय्यत व अस़र क़ुरआन व हदीस़ की रू से अ़ज़ाब पाना और दोज़ख़ में जाना बतलाया गया है, तो ज़ाहिर है उन आ़माल का भी कुछ न कुछ अस़र होगा और उनके मुताबिक़ (उसे अगर अल्लाह तआ़ला ने माफ़ न फ़रमाया) तो कुछ अ़रसा दोज़ख़ में गुज़ारना होगा।

एक शुब्हा और उसका इज़ाला : सहीह मुस्लिम के कुछ शारिहीन ने लिखा है कि कुछ सहाबा ने मालिक बिन दुख़्शुम के बारे में ये गुमान किया कि वो दिल से कलिमा नहीं पढ़ता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसका रद्द किया। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दिलों के हाल की इत्तिलाअ़ रखते हैं। इसका जवाब ये है कि पीछे ऐसी रिवायत गुज़र चुकी है जिनसे स़ाबित होता है हमारा काम ज़ाहिर के मुताबिक़ फ़ैसला करना है, हम किसी के बातिन से आगाह नहीं हैं। इसलिये उस पर हुक्म लगाना दुरुस्त नहीं है। उसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। इसी उसूल के मुताबिक़ आपने एक उसूली बात फ़रमाई है

कि ला यशहदु अहद जो भी शहादत देता है और शहादत, दिल और ज़बान की यकसानियत का नाम है यानी शहादत दिल की गवाही का नाम है। सिर्फ़ ज़बान से कह देना शहादत नहीं है। इसीलिये अल्लाह तआला ने सूरह मुनाफ़िकून में मुनाफ़िक़ों के नश्हदु कहने की तर्दीद फ़रमाई है और आपने हज़रत उसामा को ये फ़रमाया था, हल शक़क़्ता क़ल्बहू 'क्या तूने उसका दिल फाड़कर देख लिया था कि उसने इस्लाम का इक़रार दिल से नहीं किया।' और आपने इब्ने दुख़शुम के बारे में निफ़ाक़ का शुब्हा करने वाले को फ़रमाया था, अला तराहु क़द क़ाल ला इला-ह इल्लल्लाहु युरीदु बिज़ालिक वज्हल्लाहि? 'क्या तुम नहीं देखते हो कि वो ला इला-ह इल्लल्लाह का क़ाइल है और वो उससे अल्लाह ही की रज़ा चाहता है।' आपने तराहु का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है, तो क्या वो उसके दिल के हालात से आगाह था या उसके दिल में झांक रहा था। अगर आप दिलों की इत्तिलाअ़ रखते थे तो ये क्यों फ़रमाया गया, ला तअ़्लमुहुम् नह्नु नअ़्लमुहुम 'आप आगाह नहीं हैं उन्हें हम ही जानते हैं।' (सूरह तौबा : 101)

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ عَمِيَ فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَ قَوْمُهُ وَنُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ .

(150) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं मुझे इतबान बिन मालिक ने बताया कि मैं नाबीना हो गया। इस वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ पैग़ाम भेजा (तशरीफ़ लाकर मेरे मकान में) मस्जिद की एक जगह मुतअ़य्यन कर दीजिये (ताकि मैं उसमें नमाज़ पढ़ सकूँ) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और इतबान की क़ौम के लोग भी आ गये। उनमें से एक आदमी जिसे मालिक बिन दुख़शुम कहते थे, ग़ायब रहा। उसके बाद सुलैमान बिन मुग़ीरह की हदीस़ की तरह रिवायत है।

(सहीह बुख़ारी : 128)

بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

बाब 11 : इस बात की दलील कि जो शख़्स अल्लाह तआला की उलूहियत, इस्लाम के दीन और मुहम्मद के रसूल होने पर राज़ी और मुत्मइन है तो वो मोमिन है अगरचे वो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब ही क्यों न हो

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً "

(151) हज़रत अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'ईमान का मज़ा चख लिया उसने जो अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मुहम्मद को अपना रसूल मानने पर दिल से राज़ी हो गया।'

(तिर्मिज़ी : 2623)

फ़वाइद : (1) जिस तरह मज़ेदार और ज़ायक़ेदार माद्दी ग़िज़ाओं में एक लज़्ज़त और लुत्फ़ होता है जिसे सिर्फ़ वो आदमी पा सकता है जिसकी कुव्वते ज़ायक़ा, किसी बीमारी की वजह से मुतास्सिर न हुई हो, इसी तरह ईमान में एक लज़्ज़त और ज़ायक़ा है जिसे वो ख़ुशक़िस्मत इंसान ही पा सकता है जिसने पूरी ख़ुशदिली और इम्बिसात और दिल की रज़ा के साथ अल्लाह तआला को अपना मालिक और परवरदिगार और मुहम्मद (ﷺ) को अपना रसूल और इस्लाम को अपना दीन और ज़िन्दगी का दस्तूर बना लिया हो, अल्लाह व रसूल और इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ रस्मी और मौरूसी या सिर्फ़ अ़क़्ली और दिमाग़ी न हो, बल्कि उनके साथ दिल की गरवीदगी और शैफ़्तगी हो, क्योंकि रज़ा का मानी क़नाअ़त, किफ़ायत और कुछ न चाहना है। **(2)** अल्लाह तआला की रुबूबियत पर राज़ी होना ये है कि उसकी क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रहे। दुख-सुख, रंज व अलम और तकलीफ़ व मुसीबत में मुत्मइन रहे। उसका गिला-शिक्वा न करे। इस्लाम पर राज़ी होना ये है कि उसके अहकाम व हिदायात की दिल की गहराइयों से फ़रमांबरदारी करे और उसके अहकाम व फ़रामीन के बारे में किसी क़िस्म के शक व शुब्हा में न पड़े और मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत पर राज़ी होना ये है कि आपकी इताअ़त व इत्तिबाअ़

करे, आपसे मुहब्बत व अक़ीदत का रिश्ता इस्तिवार करे। आपके तौर व तरीक़े को छोड़कर कोई और तरीक़ा और रवैया इख़्तियार न करे। ऐसे इंसान को नेकी के काम से लज़्ज़त व फ़रहत हासिल होती है और नाफ़रमानी और मअसियत के इर्तिकाब से रंज व कुल्फ़त महसूस होती है।

बाब 12 : ईमान की शाख़ों की तादाद और ईमान के आला दर्जे और अदना दर्जे का बयान, हया व शर्म की फ़ज़ीलत और उसका ईमान में दाख़िल होना

باب بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكَوْنِهِ مِنَ الإِيمَانِ

(152) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईमान की सत्तर से ज़्यादा शाख़ें हैं और हया भी ईमान की एक शाख़ है।'

(सहीह बुख़ारी : 9, अबू दाऊद : 4676, तिर्मिज़ी : 2614)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) बिज़्अ़न : अगर गिनती के लिये इस्तेमाल हो तो बज़िअ् और बिज़्अह की बा पर ज़बर और ज़ेर दोनों पढ़ लेते हैं, गोश्त का टुकड़ा भी मुराद लिया जाता है। गिनती में, तीन से नौ या दस तक के लिये इस्तेमाल होता है। **(2) शुअ़बह :** हिस्सा, टुकड़ा, जुज़, शाख़।

फ़वाइद : (1) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की रिवायत में इस्लाम को एक इमारत या ख़ैमे से तश्बीह दी गई थी और यहाँ अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में दरख़्त से तश्बीह दी गई है और ज़ाहिर है दरख़्त मुरक्कब है कुछ अजज़ा से। यानी जड़, शाख़ें और पत्ते, बसीत नहीं है यानी सिर्फ़ जड़ या तने का नाम नहीं है। लेकिन इन तमाम अजज़ा की हैसियत बराबर नहीं है बल्कि कुछ हिस्से ऐसे हैं कि उनके सिवा भी असल हक़ीक़त शजरह (दरख़्त) बरक़रार और क़ायम रहती है गो उनमें नुक़्स और कमी आ जाये जैसाकि शाख़ें, टहनियाँ और पत्ते हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं कि अगर वो न रहें और बाक़ी हिस्से मौजूद हों तो दरख़्त क़ायम नहीं रहता। जैसाकि जब जड़ और असल (तना) को काट दिया जाये और शाख़ें और पत्ते सहीह व सालिम हों तो दरख़्त ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ईमान भी तीन चीज़ों से मिलता है यानी इसके तीन हिस्से हैं। मगर तीनों की हैसियत व रुत्बा एक जैसा और बराबर नहीं है। इसलिये ईमान में कमी-बेशी होती रहती है।

इस हदीस में ईमान के बिज़्अ व सब्ऊन सत्तर से ज़्यादा शौबे बताये गये हैं और बुख़ारी की रिवायत बिज़्अ व सित्तून साठ से ज़्यादा। इसलिये दोनों हदीसों की तत्बीक़ में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। कुछ उलमा का नज़रिया है सत्तर के लफ़्ज़ से सिर्फ़ कसरत मुराद है। अहले अरब सिर्फ़ मुबालग़े और कसरत के लिये भी सत्तर का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। गिनती मुतअय्यन मुराद नहीं होता। अल्लामा अैनी ने तस्दीक़ बिल्क़ल्ब के लिहाज़ से ईमान की 31 शाख़ें, इक़रार बिल्लिसान के लिहाज़ से 7 और अमल बिल्अरकान के लिहाज़ से 40 शाख़ें बयान की हैं। इस तरह कुल शाख़ें 78 बनती हैं।

और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ आमाले क़ल्बी 24, आमाले लिसानी 7 और आमाले बदनी 38 हैं। इस तरह तादाद 69 बनती हैं। (फ़तहुल बारी : 1/73-74)

अल्लामा शब्बीर अहमद उसमानी का ख़्याल है कि क़ुरआन मजीद में कुछ ऐसे शौबे भी बयान किये गये हैं कि अगर उनको एक शुमार किया जाये तो फिर भी ठीक है और एक से ज़्यादा मान लें तो फिर भी दुरुस्त है। जैसे क़ुरआन मजीद में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को ईमान का एक शौबा क़रार दिया गया है और ज़कात भी ईमान का शौबा है।

इसी तरह इज्तिनाब अनिल्किज़्ब (झूठ से बचना) एक शौबा है और एक शौबा झूठी शहादत से परहेज़ करना है। इस क़िस्म के छः शौबे हैं उनको अगर एक-एक माना जाये तो तादाद 67 बनती है और अगर दो-दो माना जाये तो 72, इसी तरह एक ऐतबार से बिज़्अ व सित्तून होगा और दूसरे ऐतबार से बिज़्अ व सब्ऊन फ़ज़्लुल बारी शरह सहीह बुख़ारी उर्दू जिल्द 1, पेज नम्बर 318।

(2) इस हदीस से ईमान का मुरक्कब होना साबित होता है, लेकिन कुछ हज़रात इसको बसीत मानते हैं। इस सिलसिले में अलग-अलग मज़हब व मस्लक की तफ़्सील इस तरह हैं :

<u>ईमान के बसीत होने के ऐतबार से मसालिक व मज़ाहिब :</u> (1) जह्मिय्या : जो जहम बिन सफ़्वान के पैरोकार हैं, उनके नज़दीक ईमान सिर्फ़ मअरिफ़ते क़ल्बी का नाम है। वो मअरिफ़त इख़्तियारी हो या इज़्तिरारी, आमाल जैसे भी हों लेकिन इस सूरत में तो इब्लीस और फ़िरऔन भी मोमिन हैं क्योंकि दिली तौर पर अल्लाह तआला को वो भी जानते थे। इब्लीस का क़ौल है, 'रब्बि बिमा अग़्वैतनी' (सूरह हुजुरात : 39) फ़िरऔन और उसकी क़ौम के बारे में है, 'व जहदू बिहा वस्तैक़न्तहा अन्फ़ुसुहुम।' (सूरह नमल : 14)

(2) कर्रामिया : जो मुहम्मद बिन कर्राम के मुत्तबिअ हैं। उनके नज़दीक ईमान सिर्फ़ इक़रार बिल्लिसान (ज़बान से तस्लीम करना) का नाम है। इस तरह मुनाफ़िक़ भी मोमिन होंगे। इल्ला (मगर) ये कि ये मुराद हो कि वो दुनियवी अहकाम के ऐतबार से मोमिन हैं। क्योंकि ये तो ज़ाहिर के पाबंद हैं, बातिन (दिल) को तो अल्लाह तआला ही जानता है। इसलिये मुनाफ़िक़ों को मुसलमान ही तसव्वुर किया जाता है। आख़िरत में फ़ैसला बातिन के मुताबिक़ होगा।

(3) मुतकल्लिमीन : अबुल हसन अश्अरी और अबू मन्सूर मातुरीदी और उनके मुत्तबिईन के नज़दीक ईमान तस्दीक़े क़ल्बी का नाम है। इन हज़रात के नज़दीक इक़रार बिल्लिसान (ज़बान से इक़रार)

दुनियावी अहकाम में मुसलमान तसव्वुर करने के लिये शर्त है कि इसके बग़ैर उसके मुसलमान होने का पता नहीं चलेगा और ज़ाहिर है किसी चीज़ की शर्त, उसका रुक्न या जुज नहीं होती। जिस तरह वुज़ू नमाज़ के लिये शर्त है, नमाज़ का रुकूअ व सुजूद की तरह रुक्न या जुज़ नहीं है।

कुछ अहनाफ़ भी इसके क़ाइल हैं। अहनाफ़ फ़ुक़्हा इक़रार बिल्लिसान को रुक्न मानते हैं लेकिन रुक्ने ज़ाइद जो साक़ित हो सकता है।

(4) मुरजिया : इनके तीन क़ौल मन्क़ूल हैं (1) ईमान सिर्फ़ इक़रार बिल्लिसान का नाम है (2) ईमान सिर्फ़ तस्दीक़े क़ल्बी (दिल से मानना) का नाम है (3) ईमान तस्दीक़े क़ल्बी और इक़रार बिल्लिसान का नाम है। इस तीसरे क़ौल की रू से मुरजिया के नज़दीक ईमान मुरक्कब होगा।

<u>ईमान के मुरक्कब होने के ऐतबार से मसालिक व मज़ाहिब :</u> (1) मुरजिया : ईमान, इक़रार बिल्लिसान और तस्दीक़ बिल्जिनान का नाम है।

(2) अहनाफ़ : अहनाफ़ का मशहूर क़ौल ये है कि ईमान इक़रार बिल्लिसान और तस्दीक़ बिल्जिनान का नाम है।

(3) मुअतज़िला व ख़्वारिज : मुअतज़िला और ख़ारिजियों के नज़दीक ईमान, इक़रार बिल्लिसान, तस्दीक़ बिल्जिनान और अ़मल बिल्अरकान का नाम है। यानी आ़माल ईमान का हिस्सा हैं।

(4) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, तमाम मुहद्दिसीन और सलफ़े उम्मत के नज़दीक ईमान इक़रार बिल्लिसान तस्दीक़ बिल्जिनान और अ़मल बिल्अरकान का नाम है। मौलाना शब्बीर अहमद उ़समानी (रह.) ने इमाम अबू हनीफ़ा का मस्लक भी यही तस्लीम किया है। वो लिखते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा ने कलामे सलफ़ की तहलील करके बतला दिया कि उनके नज़दीक ईमान ऐतक़ाद और क़ौल व अ़मल सबके मज्मूए का नाम है। लेकिन इस मज्मूए में कुछ उसूल हैं और फ़ुरूअ़। असल ईमान जो मदारे निजात है वो तस्दीक़ बिल्जिनान और इक़रार बिल्लिसान है। (फ़ज़्लुल बारी : 1/267)

<u>मुरजिया और अहनाफ़ में फ़र्क़ :</u> मुरजिया के नज़दीक आ़माल का ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो कहते हैं, 'ला यज़ुर्रु मअ़ल ईमान मअ़सिय्यतुन, कमा ला यन्फ़उ मअ़ल कुफ़्र ताअ़त' ईमान की मौजूदगी में गुनाह से कोई नुक़सान नहीं होता, जिस तरह कुफ़्र के साथ कोई इताअ़त मुफ़ीद नहीं है। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आ़माल, ईमान का समरह, तक़ाज़ा और मुताल्बा हैं। इनके बग़ैर ईमान कामिल नहीं होता। इसलिये मुरजिया के नज़दीक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब, अ़ज़ाब से दोचार नहीं होगा। उसका ईमान कामिल है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक अगर गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब ने तौबा न की, या अल्लाह तआ़ला ने उसे माफ़ न फ़रमाया तो वो दोज़ख़ में जायेगा। गोया ईमाने कामिल की सूरत में इंसान सीधा जन्नत में दाख़िल होगा। वो मुन्जी अ़निन्नार है। आग से तहफ़्फ़ुज़ व पनाह देने वाला है, अगर गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब हुआ तो ये मुन्जी अ़निल ख़ुलूदि फ़िन्नार है कि अ़ज़ाब भुगतने के बाद दोज़ख़ से निकल आयेगा। गोया अहनाफ़ के नज़दीक आ़माल मतलूब हैं अगरचे ईमान का हिस्सा नहीं हैं।

मुअतज़िला व ख़वारिज और सलफ़े उम्मत में फ़र्क़ : मुअतज़िला के नज़दीक आमाल, ईमान का ऐसा जुज़ है कि अगर ये न हों तो ईमान ख़त्म हो जाता है। यानी गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब मोमिन नहीं है। अगरचे वो उसको काफ़िर भी नहीं कहते, लेकिन हमेशा-हमेशा के लिये दोज़ख़ी क़रार देते हैं और उसको फ़ासिक़ का नाम देते हैं। ख़ारिजियों के नज़दीक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब काफ़िर है और हमेशा-हमेशा के लिये दोज़ख़ में जायेगा। सलफ़े उम्मत, अइम्मा और मुहद्दिसीन के नज़दीक ईमान अगरचे तीन चीज़ों के मज्मूए का नाम है लेकिन तीनों हिस्सों की हैसियत बराबर नहीं है। इसलिये अमले बद या गुनाहे कबीरा के इर्तिकाब से इंसान काफ़िर नहीं होता। हाँ! उसके ईमान में नुक़्स ओर कमी पैदा हो जाती है। इसलिये वो मोमिन फ़ासिक़ कहलाता है यानी मोमिन तो है लेकिन गुनाहगार। इसलिये वो अगर अल्लाह तआला ने उसे माफ़ न किया तो सज़ा भुगतने के बाद दोज़ख़ से निकलकर जन्नत में आजायेगा।

अहनाफ़ और बाक़ी अइम्मा व मुहद्दिसीन में फ़र्क़ : (1) अहनाफ़ के नज़दीक आमाल की हक़ीक़त ईमान में दाख़िल नहीं है। इसलिये ईमान का जुज़ या हिस्सा नहीं। मुहद्दिसीन और बाक़ी अइम्मा के नज़दीक आमाल, ईमान की हक़ीक़त में दाख़िल हैं। इसलिये उसका हिस्सा और जुज़ हैं। जिस तरह अग़्सान व औराक़ (पत्ते और डालियाँ) दरख़्त का हिस्सा और जुज़ हैं इंसान के हाथ, पाँव उसका हिस्सा और जुज़ हैं लेकिन उनके कटने से दरख़्त और इंसान ख़त्म नहीं होता। (2) अहनाफ़ के नज़दीक ईमान में कमी-बेशी नहीं होती। मुहद्दिसीन और बाक़ी अइम्मा के नज़दीक ईमान घटता और बढ़ता है। जिस तरह दरख़्त के अग़्सान और औराक़ (पत्ते और डालियाँ) कटने से उसमें कमी व नुक़्स पैदा होता है, अगर उसकी शाख़ें मौजूद हों तो वो कामिल होता है या कुछ आज़ा जिस तरह इंसान के लिये आज़ा कटने से नुक़्स पैदा होता है, अगर उसकी शाख़ें मौजूद हों तो वो कामिल होता है या कुछ आज़ा जिस तरह इंसान के लिये आज़ा कटने से नुक़्स पैदा होता है और आज़ा व जवारिह मुकम्मल हों तो वो कामिल। इसी तरह आमाल में कोताही से ईमान घटता है और आमाले सालेहा करने से ईमान बढ़ता है। क़ुरआन व सुन्नत की दलील अइम्म-ए-सलासा और मुहद्दिसीन के मौक़िफ़ की ताईद करने वाली हैं और यही नज़रिया दुरुस्त है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

(153) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईमान के सत्तर से ऊपर या साठ से ज़्यादा शौबे हैं, सबसे आला और अफ़ज़ल शाख़ ला इला-ह इल्लल्लाह का इक़रार और उसका निचला दर्जा किसी अज़ियत और तकलीफ़ देने वाली चीज़ का रास्ते से हटाना है और हया ईमान की एक अहम शाख़ है।'
(सहीह बुख़ारी : 128)

फ़ायदा : हया का लुग़वी मानी : तबीअते इंसानी के अंदर बुरी, नापसन्दीदा, क़ाबिले ऐब या क़ाबिले मलामत चीज़ के इर्तिकाब से जो इन्क़िबाज़ और शिकस्तगी तबीअत की कैफ़ियत पैदा होती है उसको हया कहते हैं।

हयाए शरई : इंसान के अंदर वो मलिका और ख़ल्क़ जो इंसान को इस बात पर आमादा करता है कि वो किसी बुराई का इर्तिकाब न करे और किसी साहिबे हक़ के हक़ की अदायगी में कोताही और तक़सीर न करे। इस तरह हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी की असास व बुनियाद हया व शर्म है। जो उनको हर इताअत के करने पर आमादा करता है और हर मअसियत से बचने की हिम्मत बख़्शता है, इसको ईमान के शौबों में ख़ुसूसी अहमियत हासिल है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : इमाततुल अज़ा : हर वो चीज़ जो इंसान के लिये तकलीफ़ और अज़ियत का बाइस़ हो। यानी गंदगी या पत्थर, काँटा वग़ैरह। इस चीज़ को ईमान का अदना (निचला दर्जा) दिया गया है जिससे मालूम हुआ हर नेक अमल, वो ईमान की शाख़ और जुज़ है।

(154) सालिम अपने वालिद से बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने एक आदमी को सुना, वो अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रहा है तो आपने फ़रमाया, '(हया से मत रोको) हया ईमान का अहम जुज़ है।'

(तिर्मिज़ी : 2615, इब्ने माजह : 58)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ " الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ " .

(155) हमें अब्द बिन हुमैद ने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से मअमर की ज़ोहरी से मज़्कूरा बाला सनद के साथ रिवायत बयान की। जिसमें ये है कि आप एक अन्सारी आदमी के पास से गुज़रे जो अपने भाई को नसीहत कर रहा था।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ .

(156) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हया ख़ैर व भलाई ही का बाइस़ है।' तो बुशैर बिन कअब ने कहा, हिक्मत की किताबों में लिखा है कि इसमें से कुछ वक़ार से और कुछ सुकून से। तो इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कहा, मैं तुम्हें

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ

قَالَ " الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ " . فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً . فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ .

रसूलुल्लाह की हदीस़ सुनाता हूँ और तुम (उसके मुक़ाबले में) अपनी किताबों की बातें सुनाते हो।
(सहीह बुख़ारी : 5766)

मुफ़रदातुल हदीस़ : वक़ार : सोच समझकर काम करना, उ़ज्लत और जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा न करना, इसके क़रीब सकीना है, इत्मीनान और सुकून व स़बात, इज़्तिराब व घबराहट से एहतिराज़ करना।

फ़ायदा : क़ुरआन व हदीस़ के मुक़ाबले में किसी बड़े से बड़े दानिशमन्द या इमाम का क़ौल पेश करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि रसूल मअ़सूम है दूसरा कोई इंसान मअ़सूम नहीं। आइन्दा रिवायत में तफ़्सील है कि उसने हया की दो क़िस्में बनाईं और कहा कि कुछ तो वक़ार और सुकून होते हैं और कई बार हया आदमी की कमज़ोरी और बुज़दिली होता है। इस पर सहाबी को गुस्सा आया कि नबी (ﷺ) तो हया को सरासर ख़ैर कह रहे हैं और ये हया की कुछ क़िस्मों को ज़ौफ़ और बुज़दिली क़रार दे रहा है। इसलिये उस पर नाराज़ हुए, जैसाकि अगली हदीस़ में तफ़्सील आ रही है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، حَدَّثَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ، يَوْمَئِذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ " . قَالَ أَوْ قَالَ " الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ " . فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ . قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلاَ أُرَانِي

(157) हज़रत अबू क़तादा ने बताया कि हम अपने गिरोह के साथ हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) के पास हाज़िर थे और हममें बुशैर बिन कअ़ब भी मौजूद थे। उस दिन इमरान ने हमें एक हदीस़ सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हया मुकम्मल ख़ैर है या पूरी ख़ैर है।' तो बुशैर बिन कअ़ब ने कहा, हमने कुछ किताबों या हिक्मत में पाया है कि कई बार वो वक़ार और इत्मीनान होता है और कई बार वो कमज़ोरी होता है। तो हज़रत इमरान गुस्से में आ गये यहाँ तक कि उनकी आँखें सुर्ख़ हो गईं और फ़रमाने लगे, मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस़ सुनाता हूँ और तुम उसके ख़िलाफ़ या मुक़ाबले में बातें करते हो। अबू क़तादा कहते हैं कि इमरान ने दोबारा हदीस़ सुनाई और बुशैर ने

भी अपनी बात को दोहराया। इस पर इमरान ग़ुस्से में आ गये (और बुशैर को सज़ा देने का इरादा किया) तो हम मुसलसल कहने लगे, ऐ अबू नुजैद! (इमरान की कुन्नियत) ये हममें (मेहमान) है इसमें कोई ऐब या नुक़्स नहीं (मुनाफ़िक़ या बेदीन नहीं) है।
(अबू दाऊद : 4796)

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُعَارِضُ فِيهِ . قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .

(158) हमें इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने नज़्र से अबू नआमा अदवी की रिवायत सुनाई। उसने बताया कि मैंने हिम्यर में रबीअ अदवी से इमरान बिन हुसैन की रिवायत सुनी। ये रिवायत भी हम्माद बिन ज़ैद की रिवायत की तरह है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيَّ، يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ज़अ्फ़ : पस्त, हौसलगी, बूदापन या डरपोक होना। ज़ाहिर है ये हया नहीं बल्कि जुबुन (बुज़दिली) या इजज़ व बेबसी है। इसलिये इसको हया का नाम देना दुरुस्त नहीं है। हया सिर्फ़ उस सिफ़त या मलिके को कहते हैं जो इंसान को नापसन्दीदगी और गुनाह से रोकता है। **(2) इह्मर्रता अैनाहु :** ये असर्रुन्नजवा और यतआक़बून फ़ीकुमुल मलाइकतु के उसूल पर मबनी है। जिसमें ज़मीर फ़ाइल होती है और इस्मे ज़ाहिर बदल बनता है।

बाब 13 : इस्लाम के जामेअ औसाफ़

باب جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلاَمِ

(159) हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह स़क़फ़ी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी (तसल्ली बख़्श) बात बताइए कि फिर आपके बाद मुझे किसी से इस्लाम के बारे में सवाल न करना पड़े (अबू उसामा की रिवायत में बअदक की बजाए ग़ैरक आपके सिवा, है)। आपने इरशाद फ़रमाया,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ

لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ " قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ " .

'आमन्तु बिल्लाह (मैं अल्लाह पर ईमान लाया) कहकर उस पर पुख़्तगी के साथ क़ायम रहो या जम जाओ।'

(तिर्मिज़ी : 2410, इब्ने माजह : 3972)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) आमन्तु बिल्लाह : ये एक अ़हदो-पैमान है जिसका मानी है मैंने अल्लाह तआला के हर हुक्म, हर हिदायत को दिल व जान से मान लिया और दीने इस्लाम पर अ़मल करने की ज़िम्मेदारी को क़ुबूल कर लिया।

इस्तिक़ामत : इस्तिहकाम व पुख़्तगी और मज़बूती, जम जाना, डट जाना, इस्तिक़लाल व पामर्दी दिखाना। इसलिये इस्तिक़ामत का तक़ाज़ा है कि इंसान इस इक़रार और मुआहिदे से फिरे बग़ैर ज़िन्दगी भर इस्लाम के अहकाम की पाबंदी और इल्तिज़ाम करे, हर क़िस्म के गर्म, सर्द हालात, कड़े से कड़े और मुश्किल से मुश्किल मरहले में उसके पाए इस्तिक़ामत में ज़ौफ़ व कमज़ोरी न आयें और किसी मरहले पर भी उसके पाँव न डगमगायें। इसलिये इमाम अबुल क़ासिम क़ुशैरी ने लिखा है कि इस्तिक़ामत एक दर्जा है जिसके नतीजे में तमाम काम, कामिल तरीक़े पर सरअन्जाम पाते हैं। तमाम नेकियाँ और भलाइयाँ वजूद में आती हैं। जिस शख़्स में इस्तिक़ामत व इस्तिक़लाल न हो उसकी हर कोशिश रायगाँ जाती है। (शरह मुस्लिम नववी : 1/48)

باب بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلاَمِ وَأَىِّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ

बाब 14 : इस्लाम के अहकाम व ख़साइल की एक दूसरे पर फ़ज़ीलत और उनमें सबसे अफ़ज़ल काम

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ " تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

(160) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, 'इस्लाम की कौनसी ख़ूबी और ख़स्लत बेहतर है?' आपने जवाब दिया, 'लोगों को खाना खिलाना, हर मुसलमान को सलाम कहना, तुम्हारा शनासा (पहचान का) हो या नावाक़िफ़ व अजनबी।'

(सहीह बुख़ारी : 12,28 5882, अबू दाऊद : 5193, नसाई : 8/107, 5015, इब्ने माजह : 3253)

फ़वाइद : (1) अय्यु का मुज़ाफ़ इलैह जमा होता है इसलिये यहाँ इबादत मुक़द्दर होगी अय्यु ख़िसालिल इस्लामिया अय ज़विल इस्लाम, इस्लाम की कौनसी ख़स्लत या कौनसा मुसलमान बेहतर है। (2) **सलाम :** इस्लाम का मुसलमानों के लिये एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो बेहतर भी है और पुरमग़्ज़ भी कि इसमें दुआ के साथ ये फ़ायदा भी है कि दो इंसान आपस में मिलते हुए एक-दूसरे को अपनी तरफ़ से सलामती की ख़बर से मुत्मइन कर देते हैं कि मेरी तरफ़ से तुमको हर क़िस्म की सलामती है किसी क़िस्म की घबराहट और तशवीश की ज़रूरत नहीं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " .

(161) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, कौनसा मुसलमान बेहतर है? आपने फ़रमाया, 'जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफ़ूज़ हों।'

फ़ायदा : हदीस़ में सिर्फ़ ज़बान और हाथ से ईज़ा रसानी का ज़िक्र इसलिये फ़रमाया गया है कि आम तौर पर ईज़ाओं (तकलीफ़ों) का ताल्लुक़ इन दो ही से होता है। वरना असल मक़सद और मतलब ये है कि मुसलमान की शान ये है कि लोगों को उससे किसी तरह की तकलीफ़ या अज़ियत न पहुँचे इसका ताल्लुक़ क़ौल से हो या फ़ैअल से।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، - قَالَ عَبْدٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمٍ، - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

(162) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये कहते हुए सुना, 'मुस्लिम वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफ़ूज़ रहें।'

फ़ायदा : इस हदीस़ में जिस ईज़ा रसानी को इस्लाम के मुनाफ़ी बतलाया गया है उससे मुराद वो तकलीफ़ है जो बग़ैर किसी सहीह वजह और मअक़ूल या शरई व अख़्लाक़ी सबब के हो। वरना बशर्ते ताक़त व क़ुदरत से मुज्रिमों को सज़ा देना और ज़ालिमों की ज़्यादतियों, शर अंगेजों की शर अंगेज़ियों

और मुफ़्सिदों की फ़साद अंगेज़ियों को बज़ोरे बाज़ू दफ़ा करना या कम से कम उनको ज़बान से मना करना मुसलमान का फ़र्ज़े मन्सबी है। अगर ऐसा न किया जाये दुनिया अमन व राहत से महरूम होकर जहन्नम की तरह बन जाये, जैसाकि आज कल दुनिया जहन्नम की तरह बन चुकी है।

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " .

(163) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, इस्लाम की कौनसी ख़स्लत या अमल अफ़ज़ल है। आपने फ़रमाया, 'मुसलमान जिसकी ज़बान और हाथ से महफ़ूज़ हों।'

(सहीह बुख़ारी : 4, तिर्मिज़ी : 52, 2504, नसाई : 8/107)

وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(164) और मुझे इब्राहीम बिन सईद जौहरी ने अबू उसामा से बुरैद बिन अ़ब्दुल्लाह से इसी सनद के साथ हदीस़ सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया, कौनसा मुसलमान अफ़ज़ल है? आगे ऊपर वाली हदीस़ है।

(सहीह बुख़ारी : 4, तिर्मिज़ी : 52, 2504, नसाई : 8/107)

फ़ायदा : आपने एक सवाल का जवाब दो मुख़्तलिफ़ इंसानों को अलग-अलग दिया है। इसका जवाब ये है एक-दूसरे पर फ़ज़ीलत अश्ख़ास में हो या आमाल में, इसकी दो सूरतें हैं : (1) फ़ज़ीलते कुल्ली (2) फ़ज़ीलते जुज़्ई। फ़ज़ीलते कुल्ली ये है कि एक चीज़ अपनी ज़ात और शख़्सियत के लिहाज़ से दूसरी चीज़ से बेहतर और अफ़ज़ल है लेकिन किसी जुज़्ई अम्र के ऐतबार से मफ़ज़ूल चीज़ में फ़ज़ीलत आ सकती है और इस ख़ास अम्र में उसी को अफ़ज़ल क़रार दिया जायेगा और उस जुज़्ई अम्र में फ़ज़ीलत से ये चीज़ कुल्ली फ़ज़ीलत वाली चीज़ से अफ़ज़ल नहीं बन जायेगी और ये जुज़्ई उमूर या औसाफ़ अलग-अलग हो सकते हैं। जैसाकि रसूलुल्लाह (ﷺ) तमाम अम्बिया से अफ़ज़ल और अशरफ़ हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से अम्बिया के लिये अलग-अलग वजूह, अलग-अलग ऐतबारात और अलग-अलग हैसियात से फ़ज़ीलत साबित है। इब्राहीम (अ़लै.) ख़लीलुल्लाह हैं जिनको सबसे पहले हुल्ला (लिबास) पहनाया जायेगा। मूसा (अ़लै.) कलीमुल्लाह हैं जो नफ़ख़े सानी के बाद सबसे पहले होश में आकर अ़र्श का पाया थामे होंगे। तीसरे पारे की पहली आयत में इसी जुज़्ई फ़ज़ीलत की तरफ़ इशारा है। सहाबा किराम (रज़ि.) ख़ुलफ़ाए अरबआ, तर्तीबे ख़िलाफ़त के मुताबिक़ अफ़ज़ल हैं। इसके बावजूद आपने फ़रमाया, 'अमीनु हाज़िहिल उम्मति अबू

ज़्बैदब्निल जर्राह' मेरी उम्मत के अमीन अबू ज़्बैदा हैं। अस्दक़ुहुम लहजतन अबू ज़र 'सबसे सच्चा आदमी अबू ज़र है।' अक़रउहुम उबइ 'सबसे बड़ा क़ारी उबइ है।' अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि ज़्मर व अस्दक़ुहुम हयाउन ज़्समान व अक़ज़ाहुम अ़ली 'अल्लाह तआ़ला के दीन के बारे में सबसे पुख़्ता ज़्मर, सबसे बड़ा हयादार ज़्समान है और सबसे बड़ा क़ाज़ी अ़ली है।' बिल्कुल इसी तरह आ़माल में भी अलग-अलग हैसियात और मुख़्तलिफ़ जेहात, फ़ज़ीलत की बिना पर तफ़ाज़ुल हो सकता है। कुछ आ़माल की फ़ज़ीलत मुसलमानी फ़ितरत में होने की वजह से है कि उनकी अच्छाई हर मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम, नेक व बद तस्लीम करता है जैसे बच्चों से प्यार, ग़रीबों और मिस्कीनों की ख़बरगीरी करना, मरीज़ों की इयादत, लोगों से ख़न्दा पेशानी से पेश आना और नर्म बर्ताव करना, इसलिये वो तमाम काम जिनमें ख़ैर ही ख़ैर है, शर का कोई पहलू नहीं वो अफ़ज़ल हैं। लेकिन अलग-अलग लोग, अलग-अलग वक़्त में अलग-अलग मौक़े व महल के ऐतबार से उनमें से मुख़्तलिफ़ अ़मलों को अफ़ज़ल क़रार दिया जा सकता है। खाना खिलाना, हर एक को सलाम कहना, दूसरों को ईज़ा न पहुँचाना, सब अफ़ज़ल हैं लेकिन शख़्स या वक़्त या मौक़ा बदलने से जवाब बदल गया है। इस तरह कुछ आ़माल की फ़ज़ीलत उनसे सवाबे अ़ज़ीम और अज्रे जज़ील के हुसूल की बिना पर है क्योंकि उनके हुसूल के लिये मेहनत व मशक़्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है और क़ाइदे व क़ानून से ईनामात का इन्हिसार, तकलीफ़ों और मुसीबतों की बर्दाश्त पर है। 'अल्अताया अ़ला मत्निल बलाया' और हज़रत आइशा (रज़ि.) को आपने फ़रमाया था, 'अज्रुकि अ़ला क़दरि नस्बिकि' तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बक़द्र सवाब मिलेगा। इस ऐतबार से सबसे अफ़ज़ल अ़मल आबाई दीन को छोड़कर दीने इस्लाम को क़ुबूल करना है उसके बाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है उसके बाद हज्जे मबरूर का दर्जा है। कुछ आ़माल की अफ़ज़लियत की वजह ये है कि उनसे इंसान की अ़ब्दियत, इन्तिहाई इज्ज़ व इन्किसारी और तवाज़ोअ़ व तज़ल्लुल का इज़हार होता है। इस ऐतबार से सबसे अफ़ज़ल और बेहतर अ़मल 'अस्सलातु लिवक़्तिहा' यानी वक़्त पर नमाज़ पढ़ना है। क्योंकि नमाज़ के अंदर जिस क़द्र इन्तिहाई इज्ज़ व फ़रौतनी और इंसान की महकूमियत व ज़्बूदियत का मुज़ाहिरा पाया जाता है वो किसी और अ़मल में नहीं है। दूसरा दर्जा बिर्रुल वालिदैन माँ-बाप की इताअ़त और फ़रमांबरदारी है और तीसरा दर्जा इताअ़ते अमीर है। इसलिये अलग-अलग हदीसों में जो एक सवाल के अलग-अलग जवाबात आये हैं या आयेंगे उनमें कोई तज़ाद और मुख़ालिफ़त नहीं है।

बाब 15 : उन ख़साइल और ख़ूबियों का बयान जिनसे मुत्तसिफ़ होने से ईमान की शीरीनी और मिठास हासिल होती है

باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ

(165) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईमान की हलावत

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ

التَّقَفِيُّ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ " .

उसी को नसीब होगी जिसमें तीन ख़ूबियाँ पाई जायेंगी। एक ये कि अल्लाह व रसूल की मुहब्बत उसमें तमाम चीज़ों से से ज़्यादा हो, दूसरा ये कि जिस आदमी से भी उसको मुहब्बत हो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिये हो और तीसरा ये कि ईमान के बाद कुफ़्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत या ऐसी अज़ियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है।'
(सहीह बुख़ारी : 16, 6542, तिर्मिज़ी : 2624)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ " .

(166) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन ख़स्लतें जिसमें भी होंगी वो ईमान की शीरीनी (मिठास) महसूस करेगा। (1) जो किसी इंसान से मुहब्बत सिर्फ़ अल्लाह की ख़ातिर करता है (2) जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके मा सिवा से ज़्यादा महबूब है (3) जिसे कुफ़्र से निजात पाने के बाद कुफ़्र की तरफ़ लौटने से आग में डाला जाना ज़्यादा पसंद है।'
(सहीह बुख़ारी : 12, 5694, नसाई : 8/94, 1255)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " .

(167) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया। ऊपर वाली हदीस़ ही है। सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि आपने फ़रमाया, 'यहूदी और ईसाई हो जाने से आग में डाला जाना ज़्यादा पसंद है।'

फ़ायदा : (1) हलावते ईमानी : जिस तरह इंसान, शीरीं और मीठी ग़िज़ाओं और मिठाइयों से मिठास और शीरीनी महसूस करता है और उस ज़ायक़े व लज़्ज़त की बिना पर उनकी तरफ़ शौक़ व रग़बत रखता है

और उनसे फ़रहत व इम्बिसात पाता है उस तरह इन ख़ूबियों से मुत्तसिफ़ इंसान को दीनी कामों की इताअ़त व फ़रमांबरदारी से उसे लज़्ज़त व फ़रहत हासिल होती है। उनकी सर अन्जामदेही की तरफ़ रग़बत और शौक़ होता है और तामीले हुक्म के बाद ख़ुशी और मसर्रत हासिल होती है। (2) इस हदीस़ में तीन चीज़ों का तज़्किरा किया गया है। उन तीनों का मर्कज़ व मरजअ़ अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत है क्योंकि मुहब्बत के तमाम अस्बाब व वजूह (जिनका तज़्किरा जल्द होगा) बदर्ज-ए-अतम्म अल्लाह तआ़ला में जमा हैं। इसलिये मुहब्बत दरअसल उसी से होनी चाहिये और रसूल से मुहब्बत उसी का नुमाइन्दा और महबूब होने की वजह से है और उनसे मुहब्बत, नेक बन्दों से मुहब्बत की बुनियाद है इसी वजह से इस्लाम महबूब व पसन्दीदा है और कुफ़्र नापसन्दीदा व मकरूह। अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत की अ़लामत व निशानी उनकी इताअ़त व फ़रमांबरदारी और उनकी मुख़ालिफ़त से नफ़रत और दूरी है।

बाब 16 : रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुहब्बत अहल, औलाद, वालिदैन और सब लोगों से ज़्यादा होना ज़रूरी है और जिसके दिल में ऐसी मुहब्बत नहीं वो मोमिन नहीं है

باب وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلاَقِ عَدَمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ

(168) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई बन्दा (और अ़ब्दुल वारिस़ की हदीस़ में है कोई आदमी) उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके अहल (घर वालों), माल और सब लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ।'

(सहीह बुख़ारी : 15, नसाई : 8/115, 993, 1047)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ - حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .

(169) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ

سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .

'तुममें से कोई शख़्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसके माँ-बाप और सब लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ।'

(सहीह बुख़ारी : 15, नसाई : 8/114-115, इब्ने माजह : 67)

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़वाइद – मुहम्मद का लुग्वी माना किसी चीज़ की तरफ़ दिल का मैलान होना या किसी लज़ीज़ चीज़ की तरफ़ मुतवज्जा होना या झुक जाना।

मुहब्बत की दो क़िस्में हैं (1) मुहब्बते तबई जो ग़ैर इख़्तियारी है जैसे अहल, औलाद, वालिदैन, अज़ीज़ो-अक़ारिब और माल व मनाल की मुहब्बत (2) मुहब्बते अक़्ली, ये मुहब्बत इख़्तियारी है। अक़्ल का तक़ाज़ा और मुताल्बा है कि उस चीज़ या ज़ात से मुहब्बत का रिश्ता इस्तवार किया जाये, इसके अस्बाब व वजूह अलग-अलग हैं।

(1) एहसान व तफ़ज़्ज़ुल : किसी शख़्स का किसी का मुहसिन होना और हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही करना, मुहब्बत का बाइस़ होता है। कहते हैं, अल्इन्सानु अ़ब्दुल इह्सान, इंसान मुहसिन का ग़ुलाम व बन्दा है। इसको हुब्बे एहसानी का नाम दिया जाता है।

(2) हुस्नो-जमाल : किसी चीज़ या शख़्स का हुस्नो-जमाल और ख़ूबसूरती भी कशिश व मैलान और गरवीदगी का बाइस़ है ये हुस्ने ज़ात हो या हुस्ने सौत व आवाज़ या हुस्ने सूरत व सीरत इसको हुब्बे जमाली कह सकते हैं।

(3) कमाल व ख़ूबी : किसी का किसी फ़न्न व हुनर में कामिल होना भी मुहब्बत और मैलाने क़ल्बी का सबब बनता है और किसी के कमालात सुनकर ही इंसान उससे मुहब्बत करने लगता है, इसका नाम हुब्बे कमाली रखा जा सकता है।

(4) किसी चीज़ का नाफ़ेअ़ और फ़ायदेमन्द होना : जिस दवा फ़न्न व पेशे से इंसान को मतलूब व मक़सूद फ़ायदा और नफ़ा हासिल होता है उससे भी इंसान मुहब्बत करता है। कुछ अइम्मा ने इसको हुब्बे अक़्ली का नाम दिया है। हुज़ूर (ﷺ) के अंदर मुहब्बत का बाइस़ ये तमाम अस्बाब मौजूद थे। ये अस्बाब अगरचे तबई नहीं हैं जो एक इज़्तिरारी और ग़ैर इख़्तियारी मुहब्बत का बाइस़ हैं लेकिन ये हक़ीक़ात है कि इंसान इन अस्बाब को बिल्कुल्लिया ग़ैर तबई भी क़रार नहीं दे सकता। इंसान तबई और फ़ितरी तौर पर भी उनकी तरफ़ कुछ न कुछ राग़िब होता है। लेकिन रसूल की मुहब्बत इन तमाम कामों से बाला और बुलन्द है। इसलिये रसूल से मुहब्बत भी अल्लाह तआ़ला के बाद सबसे ज़्यादा होती है। रसूल से मुहब्बत का सबब ईमान है और ईमान हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। इसकी ख़ातिर इंसान सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन इसको किसी चीज़ पर क़ुर्बान नहीं किया जा सकता। इसलिये रसूल से मुहब्बत ईमान के सबब हो और

इसको हुब्बे ईमानी का नाम देना चाहिये और इससे आपसे मुहब्बत का मानी व मफ़्हूम भी वाज़ेह हो गया कि आपकी ख़ातिर, हर चीज़ को छोड़ा जा सकता है। हर महबूब से महबूब और हर अ़ज़ीज़ से अ़ज़ीज़ चीज़ आपकी ख़ातिर क़ुर्बान की जा सकती है लेकिन किसी महबूब से महबूब और अ़ज़ीज़ से अ़ज़ीज़ चीज़ के हुसूल की ख़ातिर आपको, आपके लाये हुए दीन को और आपकी तालीमात व हिदायात और आपके अहकाम व फ़रामीन को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता है। यही चीज़ ईमान की कसौटी और मीज़ान व तराज़ू है।

लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, आप पर ईमान, अल्लाह तआ़ला का रसूल होने की हैसियत से है इसीलिये आप महबूब हैं। लिहाज़ा आपकी शान व मक़ाम को अल्लाह तआ़ला से बढ़ाना, ग़ुलू है जो एक नापसन्दीदा हरकत है। एक बरेलवी आ़लिम ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने क्या ख़ूब लिखा है, 'यूँ न कहा जाये कि ख़ुदा का ज़िक्र मिट जायेगा और मुस्तफ़ा का ज़िक्र जारी रहेगा या ख़ुदा की दी हुई आँख में इतनी रोशनी न थी जितनी मुस्तफ़ा की दी हुई आँख में रोशनी थी। इस तरह ये शेअ़र भी ग़लत है :

ख़ुदा जिसको पकड़े छुड़ाये मुहम्मद
मुहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता

ये शेअ़र भी ग़लत है, बजाते थे जो दुनिया में इन्नी अ़बदुहू की बीन-बींसरी हर दम, वो महशर में इन्नी अनल्लाह कहके निकलेंगे।

कुछ वअ़ज़ करने वाले कलिमे में अल्लाह के ज़िक्र के मुक़द्दम होने की वजह ये बयान करते हैं कि पहले ला इला-ह इल्लल्लाह कहने से ज़बान पाक हो जाये फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाये। कुछ वाइज़ीन जोशे ख़िताबत में या नारा लगवाने और दाद हासिल करने के शौक़ में इस क़िस्म की बातें कह जाते हैं, इन सबसे एहतिराज़ लाज़िम है। रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह की मख़्लूक़ और ग़ुलाम। ख़ुदा हैं न ख़ुदा से बढ़कर हैं। न इसमें आपकी कोई फ़ज़ीलत है न आप ऐसी तारीफ़ से ख़ुश होते हैं। आप अल्लाह की मख़्लूक़ में सबसे आ़ला और अफ़ज़ल हैं। (शरह मुस्लिम उर्दू : 1/442)

बाब 17 : इस बात की दलील कि ईमानी ख़ूबियों में से ये भी है कि जो अच्छी चीज़ अपने लिये पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिये पसंद करे

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

(170) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ

سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " .

है! कोई बन्दा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने पड़ौसी' या फ़रमाया, 'अपने भाई के लिये उस चीज़ को पसंद न करे जिसे वो अपने लिये पसंद करता है।'

(सहीह बुख़ारी : 13, तिर्मिज़ी : 59, 2515, नसाई : 8/119, 8/125-126, 66)

फ़ायदा : मक़सद ये है कि ईमान के असल मक़ाम तक पहुँचने के लिये और उसकी ख़ास ख़ैरात व बरकात के हुसूल की ख़ातिर ज़रूरी है कि इंसना ख़ुद ग़र्ज़ी से पाक हो और उसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिये इतना जज़्ब-ए-ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी मौजूद हो (जैसाकि नसाई की रिवायत में मिनल ख़ैर की तसरीह मौजूद है) कि जो नेमत, भलाई और जो बेहतरी वो अपने लिये चाहता है वही दूसरे भाइयों के लिये भी चाहे या जिस तरह वो अपने लिये एहतिराम व इक्राम, अपने जज़्बात व एहसासात की पासदारी चाहता है और अपने साथ लोगों का जो रवैया और तर्ज़े अमल पसंद करता है अपने दूसरे भाइयों के साथ वही रवैया और सुलूक इख़्तियार करे और जो बात और जो हाल और जो सुलूक वो अपने साथ पसंद नहीं करता दूसरों के लिये भी पसंद न करे। इसके बग़ैर वो कामिल ईमानदार नहीं हो सकता है। इसलिये सहीह इब्ने हिब्बान की एक रिवायत में है, ला यब्लुग़ुल अब्दु हक़ीक़तल ईमान 'बन्दा ईमान की हक़ीक़त व कमाल को नहीं पा सकता।' ये अरबी का इस तरह का एक रोज़मर्रा या आम मुहावरा है जिस तरह हम उर्दू में किसी बुरे और ग़लतकार आदमी को कहते हैं कि 'इसमें तो इंसानियत ही नहीं है' मक़सद ये होता है कि वो अच्छा और मअ़क़ूल आदमी नहीं है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " .

(171) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! उस वक़्त तक बन्दा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने पड़ौसी के लिये पसंद करे' या फ़रमाया, 'अपने भाई के लिये वो चीज़ पसंद करे जो अपने लिये करे।'

(सहीह बुख़ारी : 13, नसाई : 8/115)

बाब 18 : पड़ौसी को तकलीफ़ पहुँचाने की मुमानिअत

باب بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ

(172) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पड़ौसी उसकी ईज़ा रसानी (तकलीफ़ पहुँचाने) से महफ़ूज़ (सुरक्षित) न हों, वो जन्नत में नहीं जायेगा।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : बवाइक़ : बाइक़तुन की जमा है। शर, फ़साद व बिगाड़, तकलीफ़देह और हलाकत व तबाही का बाइस़ चीज़, आफ़त।

फ़ायदा : पड़ौसियों के साथ ऐसा हुस्ने सुलूक और ऐसा शरीफ़ाना बर्ताव कि उनको हमारी तरफ़ से पूरा इत्मीनान व तस्कीन रहे और हमारी जानिब से किसी ज़ुल्म व ज़्यादती और शरारत व बदसुलूकी का अन्देशा न रहे। ये ईमान की उन शर्तों और लाज़िमों में से है जिनके बग़ैर ईमान गोया कल्अदम (ग़ैर मौजूद) है। असल मक़सद शरीफ़ाना बर्ताव पर आमादा करना है।

बाब 19 : पड़ौसी और मेहमान की तकरीम और ख़ैर व भलाई की बात के सिवा उसे ख़ामोश रहने पर आमादा करना और इन सब चीज़ों का ईमान में दाख़िल होना

باب الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلاَّ مِنَ الْخَيْرِ وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الإِيمَانِ

(173) अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'जो इंसान अल्लाह और क़यामत पर ईमान व यक़ीन रखता है वो अच्छी बात करे या फिर ख़ामोश रहे

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ " .

और जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ौसी का एहतिराम करे और जो आदमी अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यक़ीन रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ " .

(174) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ौसी को ईज़ा न पहुँचाये और जो आदमी अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है तो वो अपने मेहमान की तकरीम करे और जो इंसान अल्लाह और क़यामत पर यक़ीन रखता है वो अच्छी बात करे या फिर चुप रहे।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ " .

(175) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो अपने पड़ौसी से अच्छा सुलूक करे।'

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنْ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ

(176) हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ौसी से अच्छा सुलूक करे और जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यक़ीन रखता है तो वो अपने मेहमान की तकरीम करे और जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या फिर ख़ामोशी इख़्तियार करे।'

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ " .

(सहीह बुख़ारी : 5673, 5784, 5785, 6111, तिर्मिज़ी : 1967-1968, इब्ने माजह : 3675)

फ़वाइद : अल्लाह तआ़ला की रज़ा व ख़ुशनूदी और आख़िरत में कामयाबी व कामरानी के मुताल्बात में से कुछ ये हैं : **(1)** इंसान बात करने से पहले सोचे यानी 'पहले तौलो फिर बोलो' के उसूल पर अ़मलपैरा हो। हर वो बात करे जो उसके लिये अज्र व सवाब और अल्लाह की रज़ा का बाइस़ हो और हर उस गुफ़्तगू या कलाम से बाज़ रहे जो उसकी गिरफ़्त और मुवाख़िज़े का बाइस़ हो या लग़्व, बेमक़सद, फ़िज़ूल और बेफ़ायदा या लायअ़नी (बे मतलब की) हो। **(2)** अपने पड़ौसी के साथ अच्छा सुलूक और बेहतर बर्ताव करे, हर उस हरकत, क़ौल व फ़ैअ़ल से बाज़ रहे जो पड़ौसी के लिये तकलीफ़ व अज़ियत या उसकी दिल आज़ारी का सबब बनता है। मैल-मिलाप के वक़्त ख़न्दा पेशानी (ख़ुश मिज़ाजी), कुशादा रूई और ऐज़ाज़ व इकराम से पेश आये। **(3)** मेहमान की आमद पर उसे ख़ुशामदीद कहे, उसकी हत्तल मक़्दूर (ताक़त भर) मेहमान नवाज़ी करे और अच्छे अन्दाज़ से अल्विदाअ़ कहे।

باب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ، مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

बाब 20 : बुराई से रोकना ईमान में दाख़िल है और ईमान घटता-बढ़ता है, मअ़रूफ़ का हुक्म देना और मुन्कर से रोकना फ़र्ज़ है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ قَبْلَ

(177) तारिक़ बिन शिहाब (रह.) बयान करते हैं कि सबसे पहले ईद के दिन नमाज़ से पहले ख़ुत्बे का आग़ाज़ मरवान ने किया। एक आदमी ने खड़े होकर कहा, नमाज़ ख़ुत्बे से पहले है। मरवान ने जवाब दिया, ये तरीक़ा छोड़ दिया गया है। अबू सईद (रज़ि.) ने कहा, उस इंसान ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'तुममें से जो शख़्स मुन्कर काम देखे उस पर

الْخُطْبَةِ . فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .

लाज़िम है अगर ताक़त रखता हो तो उसे अपने हाथ (यानी ज़ोर व कुव्वत) से रोकने की कोशिश करे और अगर इसकी ताक़त न रखता हो तो फिर अपनी ज़बान ही से उसको बदलने की कोशिश करे और अगर इसकी भी ताक़त न रखता हो तो अपने दिल में से उसके बदलने की तदबीर सोचे) और ये सबसे कमज़ोर ईमान है।'
(अबू दाऊद : 1140, 4340, तिर्मिज़ी : 2172, नसाई : 8/111-112, इब्ने माजह : 1275, 4013)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुन्कर : बुरा, नापसन्दीदा, शरीअ़त और अ़क़्ल व उ़र्फ़ के ख़िलाफ़ काम। फ़ल्युग़य्यिरहु उसको तब्दील करे, बदलने और दुरुस्त करने की कोशिश करे। **(2) यद :** हाथ को कहते हैं यहाँ मुराद बज़ोरे बाज़ू है कि कुव्वत व ताक़त इस्तेमाल करे।

फ़वाइद : (1) बुराई, शरारत और ख़िलाफ़े शरीअ़त काम को रोकने और उसको बदल डालने की बक़द्र इस्तिताअ़त सई व कोशिश करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है ये किसी ख़ास फ़र्द, गिरोह, तबक़े या सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है और इसके तीन दरजात या मरातिब हैं :

(1) अगर इक़्तिदार व इख़्तियार हासिल हो और कुव्वत व ताक़त के जरिये उस बुराई को बंद किया जा सकता हो तो कुव्वत व ताक़त, या हुकूमत व इक़्तिदार का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।

(2) अगर इक़्तिदार व इख़्तियार या ताक़त व कुव्वत का इस्तेमाल मुम्किन नहीं, या ये चीज़ें हासिल नहीं हैं तो ज़बानी और तहरीरी तौर पर इफ़्हाम व तफ़्हीम और पन्द व नसीहत ही से उसको रोकने और इस्लाह करने की कोशिश करना होगा।

(3) अगर हालात इस क़द्र संगीन और ऐसे नामुवाफ़िक़ हैं कि इंसान उस बुराई के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की भी ताक़त नहीं रखता या अहले दीन इस क़द्र कमज़ोर पोज़ीशन में हैं कि इज्तिमाई तौर पर भी उसके ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की गुंजाइश नहीं है तो आख़िरी दर्जा ये है कि उसको दिल से बुरा समझा जाये और उसको मिटाने और बदलने का जज़्बा दिल में रखा जाये और उसको मिटाने की तदबीरें सोची जायें और जिसकी कम से कम सूरत ये है कि अल्लाह तआ़ला से इन्फ़िरादी और इज्तिमाई तौर पर जैसे भी मुम्किन हो, मिटाने की दुआ़ करते रहना चाहिये और ये ईमान का आख़िरी और कमज़ोर दर्जा है कि इसके बाद कोई और दर्जा ईमान का है ही नहीं। **(2)** ये ऐतराज़ नहीं हो सकता कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने इस हदीस़ पर अ़मल करते हुए ख़ुद मरवान को क्यों नहीं रोका। क्योंकि मुत्तफ़क़ अ़लैह रिवायत में मौजूद है कि

जब नमाज़ से पहले मरवान ख़ुत्बे के लिये मिम्बर की तरफ़ बढ़ा तो हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और कहा, पहले नमाज़ पढ़। (फ़तहुल बारी : 2/579) और जब उस इंसान ने ये फ़रीज़ा सर अन्जाम दिया तो फिर दोबारा आपने उसकी ताईद फ़रमाई। (3) अगर बुराई और मुन्कर का इर्तिकाब सबके सामने किया जा रहा हो तो फिर ये फ़र्ज़े ऐन नहीं होगा, फ़र्ज़े किफ़ाया होगा। जब कुछ लोग उस फ़र्ज़ को अदा कर लेंगे तो दूसरों से ये फ़र्ज़ साक़ित हो जायेगा। जिस जगह कोई और शख़्स बुराई से रोकने वाला मौजूद न हो तो जो उस बुराई को जानने वाला शख़्स मौजूद होगा तो उस पर रोकना फ़र्ज़े ऐन होगा, बुराई का मुर्तकिब बाज़ आये या न आये, हर हालत में रोकना ज़िम्मेदारी है। (4) शरीअत ने किसी शरई काम और अमल के लिये जो सूरत और शक्ल व हैयत मुक़र्रर की है उसमें तब्दीली करना जाइज़ नहीं। रावी ने सिर्फ़ नमाज़ और ख़ुत्बे में तक़दीम व ताख़ीर की थी किसी काम को नज़र अन्दाज़ नहीं किया था। सिर्फ़ तक़दीम व ताख़ीर और तर्तीब की तब्दीली की बिना पर उसके फ़ैअल को मुन्कर क़रार दिया गया। उम्मत के किसी इमाम ने इस तब्दीली को क़ुबूल नहीं किया। हालांकि इसमें एक मस्लिहत और फ़ायदा है कि इस तरह देर से आने वाले भी नमाज़ में शरीक हो जाते हैं और ख़ुत्बे जुम्आ में भी, ख़ुत्बा नमाज़ से पहले है जब हैयत व शक्ल में तब्दीली गवारा नहीं है तो अपनी तरफ़ से किसी अमल के लिये हैयत व कैफ़ियत या तरीक़ा मुक़र्रर करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ .

(178) इमाम साहब मज़्कूरा बाला वाक़िया और हदीस़ दूसरी सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ

(179) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह ने जो नबी भी मुझसे पहले किसी उम्मत में भेजा तो उसके कुछ हवारी और लायक़ साथी होते थे जो उसके तरीक़े और उसके हुक्म पर चलते थे। फिर ऐसा होता था कि उनके

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ " . قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَحَدَّثْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَىَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ

नालायक़ पसमान्दगान उनके जाँनशीन होते थे। जो ऐसी बात कहते थे जो ख़ुद नहीं करते थे (लोगों को अच्छा काम करने को कहते थे और ख़ुद वो काम नहीं करते थे यानी जो काम करना है वो नहीं करते थे, उनके मुताल्लिक़ लोगों को कहते थे कि हम करते हैं, गोया अपना तक़द्दुस और अपनी बुज़ुर्गी क़ायम रखने के लिये झूठ भी बोलते थे) और जिन कामों का उनको हुक्म नहीं दिया गया था उनको करते थे (यानी अपने नबी की सुन्नतों और उसके अवामिर व अहकाम पर तो अमलपैरा न थे मगर मअसियात और बिदआत, जिनका उनको हुक्म नहीं दिया गया था, उनके (दिलदादा थे, उनको ख़ूब करते थे) तो जिसने उनके ख़िलाफ़ अपने दस्त व बाज़ू से जिहाद किया वो मोमिन है और जिसने (बदर्जा मजबूरी) उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ ज़बान से जिहाद किया वो भी मोमिन है और जिसने (ज़बान से आजिज़ रहकर) सिर्फ़ दिल से उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। यानी दिल में उनसे नफ़रत की और उनके ख़िलाफ़ ग़ैज़ व ग़ज़ब रखा) तो वो भी ईमानदार है लेकिन इसके बग़ैर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं।' अबू राफ़ेअ कहते हैं, मैंने हदीस़ अब्दुल्लाह बिन उमर को सुनाई तो उन्होंने इसको न माना। इत्तिफ़ाक़ से अब्दुल्लाह बिन मसऊद भी आ गये और वादीए क़नात (मदीना की एक वादी है) में ठहरे। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उनकी इयादत के लिये मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ चला गया। हम जब जाकर बैठ गये तो मैंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से इस हदीस़ के बारे में पूछा, तो उन्होंने

فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ . قَالَ صَالِحٌ وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ .

मुझे ये हदीस़ उसी तरह सुनाई जैसे मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को सुनाई थी। सालेह बिन कैसान ने कहा, ये हदीस़ अबू राफ़ेअ़ से इसी तरह बयान की गई है। (मक़सद ये है कि अबू राफ़ेअ़ ने ये हदीस़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ि. के वास्ते के बग़ैर राहे रास्त बयान की है।)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हवारिय्यून : हवारी की जमा है, मुख़्लिस और बरगुज़ीदा लोग जो हर क़िस्म के ऐब से पाक हों या मददगार या जिहाद करने वाले, या रसूल के बाद आपकी ख़िलाफ़त के अहल। **(2) ख़ुलूफ़ :** ख़ल्फ़ (लाम के सुकून के साथ) की जमा है, बुरे जाँनशीन। जैसाकि क़ुरआन मजीद में है, 'उनके बाद बुरे लोग उनके जाँनशीन बने।' (सूरह मरयम) इस्तित्बअ़ मुझसे साथ चलने का तक़ाज़ा किया या साथ चलने को कहा।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ " . مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ .

(180) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो नबी भी गुज़रा है उसके साथ कुछ हवारी (मुआविन, मददगार) थे, जो उसकी राह व रस्म को अपनाते और उसकी सुन्नत की पैरवी करते थे।' आगे सालेह की रिवायत की तरह है लेकिन उसमें अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की आमद और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से उनकी मुलाक़ात का तज़्किरा नहीं है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : हदयुन/हुदा : रवैया, तर्ज़े अ़मल या वतीरा, सुन्नत, तरीक़ा, रास्ता।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि अम्बिया (अ़लै.) और बुज़ुर्गाने दीन के जाँनशीनों और उनके नाम लेवाओं में ग़लतकार और बदकिरदार लोग भी होते हैं। जो दूसरों को तो आ़माले ख़ैर की दावत देते हैं, लेकिन ख़ुद उन पर अ़मल नहीं करते। हाँ लोगों के सामने ऐसे नेक और अच्छे कामों के करने का झूठा दावा करते हैं, जो किये नहीं होते और इसके बरअ़क्स, अपनी बदकिरदारी और बेअ़मली को छिपाने के लिये ऐसी रुसूम और बिदआ़त निकालते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता चूंकि ये रसूल व

नबी की जाँनशीन के दावेदार होते हैं। इसलिये लोग उनके फ़रेब में आ जाते हैं और दीन के अंदर, दीन के नाम से बिदआत राह पा जाती हैं। ऐसे ग़लतकार और बिदअती लोगों के ख़िलाफ़ हस्बे इस्तिताअत हाथ से या ज़बान से जिहाद करना अहले हक़ की ज़िम्मेदारी है। अगर क़ुव्वत व ताक़त और ज़बान से उनके ख़िलाफ़ जिहाद मुम्किन न हो तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का जज़्बा रखना, उन बिदआत को मिटाने की तदबीरें सोचना और उन अफ़आल से दिल में नफ़रत व बुग़्ज़ रखना और उन बिदअतों के दाइयों से दिल में ग़ैज़ व ग़ज़ब रखना, ईमान के शराइत व लवाज़िम में से है जो शख़्स अपने दिल में भी उस जिहाद का जज़्बा न रखता हो उसका दिल ईमान की हरारत और उसके सोज़ से गोया बिल्कुल ख़ाली है। **(2)** दीन की नश्रो-इशाअत और दीन की तालीम व तदरीस और तब्लीग़ और दीन के ख़िलाफ़ होने वाले उमूर से उसका तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ाअ भी जिहाद है जिस तरह सैफ़ व सिनान और तोप व तफंग से जिहाद किया जाता है। इसी तरह क़लम व ज़बान से भी जिहाद होता है और उसकी अहमियत घटाना और उसकी तहक़ीर करना दुरुस्त नहीं है। **(3)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के इस हदीस से इंकार की वजह ये है कि कुछ हदीसों के मुन्करात की आम तरवीज के दौर के बारे में आया है 'इस्बिरू हत्ता तुल्कूनी' सब्र करना यहाँ तक कि क़यामत को तुम मुझे मिलो और दरहक़ीक़त इन दोनों हदीसों में कोई तज़ाद नहीं है। इस हदीस का ताल्लुक़ उस दौर से है जब इंकार मुन्कर से ख़राबी और बुराई में इज़ाफ़े का डर हो या फ़ित्ना व फ़साद उभरने और ख़ून्रेज़ी का ख़तरा हो। इस बिना पर इमाम अहमद (रह.) ने भी इस हदीस का इंकार किया है। लेकिन उलमाए उम्मत ने इमाम अहमद के क़ौल की तर्दीद की है और उसको ताज्जुबख़ेज़ क़रार दिया है। (शरह मुस्लिम नववी : 1/52) **(4)** इस बाब की अहादीस से ईमान के अलग-अलग मर्तबे साबित होते हैं और उसमें क़ुव्वत का भी पता चलता है।

बाब 21 : अहले ईमान में एक-दूसरे से कम ज़्यादा होना और अहले यमन को उसमें तरजीह हासिल होना

باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ

(181) हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हाथ यमन की तरफ़ करके इशारा किया और फ़रमाया, 'ख़बरदार! ईमान उधर है दुरुश्ती व शिद्दत और संगदिली उन लोगों में है जो ऊँटों की दुम की जड़ में चीख़ते-चिल्लाते हैं, जहाँ शैतान के दो सींग निकलते हैं रबीआ व मुज़र में।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ

(सहीह बुख़ारी : 3126, 3307, 4126,4997)

إِسْمَاعِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا، يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ " أَلاَ إِنَّ الإِيمَانَ هَا هُنَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ " .

मुफ़रदातुल हदीस (1) क़स्वा : वो सख़्ती व शिद्दत जिसकी बिना पर वो वअ़ज़ व नसीहत से मुतास्सिर नहीं होते और ग़िल्ज़ुन सख़्ती है। जिसकी बिना पर दिल फ़हम और समझने से आ़री होता है। ग़िल्ज़त, नर्मी और रिक़्क़त की ज़िद है और क़स्वा के मानी ग़िल्ज़त भी है ये ग़ल्ज़ से मस्दर है। **(2) फ़द्दादीन :** कुछ अइम्मए लुग़त के नज़दीक फ़द्दाद की जमा है खेती बाड़ी में काम आने वाले बैल को कहते हैं। लिहाज़ा इससे मुराद काश्तकार होंगे। चूंकि ये लोग इल्म व तहज़ीब के मराकिज़ से दूर होते हैं। इसलिये उनमें शिद्दत व ख़ुशूनत या खुर्दुरापन होता है। कुछ ने कहा, ये फ़दीद से माख़ूज़ है। जिसका मानी है चीख़ना और चिल्लाना जो ऊँटों के पीछे चीख़ते और शौर करते हैं। अबू उ़बैदा के नज़दीक ज़्यादा ऊँट रखने वाले लोग हैं जिनके पास दो सौ से लेकर हज़ार तक ऊँट होते हैं। हक़ीक़त ये है कि जानवरों की सोहबत व रिफ़ाक़त की भी तासीर होती है। इसलिये बड़े और मज़बूत जानवरों के चरवाहे, सख़्तगीर और बदख़ुल्क़ होते हैं क्योंकि वो अपने मवेशियों को ख़ूब मारते-पीटते हैं। भेड़-बकरी कमज़ोर जानवरों को चराने वाले नर्मख़ू और नर्म दिल होते हैं। क्योंकि वो बकरियों को ज़्यादा मारकर अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते, बल्कि उन्हें अपनी बकरियों के साथ नर्म बर्ताव करना पड़ता है। इसलिये वो नर्मी के आ़दी हो जाते हैं। इसी बिना पर पैग़म्बरों ने बकरियों को चराया। बअ़ज़ के बक़ौल इससे मुराद माल व दौलत की कसरत है। मालदार लोग, दूसरों को हक़ीर और कमतर समझकर उन पर तकब्बुर करते हैं। अ़रबों में माल व दौलत की कसरत की अ़लामत ऊँटों की कसरत थी, इसलिये ऊँटों का नाम लिया गया है। क़रनश्शैतान :शैतान के दो सींग, क्योंकि जब सूरज तुलूअ़ होता है तो वो उसको अपने दोनों सींगों के दरम्यान लेकर समझता है सूरज के पुजारी मेरी परस्तिश कर रहे हैं।

उसूल : असल की जमा है जड़ और बुनियाद को कहते हैं। अज़्नाब, ज़न्ब की जमा है दुम को कहते हैं।

फ़ायदा : ऐसे इन्सान जिनका वास्ता हैवानात से पड़ता रहता है, उनके मिज़ाज और तबीअ़त से मुतास्सिर होता है तो इंसान, इंसानों की रिफ़ाक़त और दोस्ती से क्यों मुतास्सिर नहीं होगा। इसीलिये शैख़ सअ़दी ने कहा है कि जाल हमनशीं दामन असर कर्द, मैं साथी की हमनशीनी से मुतास्सिर हुआ हूँ।

इंसान के रफ़ीक़ और साथी जिस क़िस्म के होंगे, वैसा ही रहे बनेगा। सोहबते सालेह तुरा, सालेह कुनद, व सोहबते तालिह तुरा, तालिह कुनद।

(182) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले यमन आये हैं, ये लोग नर्म दिल हैं, ईमान यमनी है, फ़िक़्ह यमनी है और हिक्मत भी यमानी है।'

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़िक़्ह : लुग़वी तौर पर किसी चीज़ के फ़हम और इल्म को कहते हैं। कुछ ने मानी बारीकबीनी, दक़ीक़ा रसी और मुतकल्लिम की ग़र्ज़ व मक़सद को जान लेना बताया है। **(2) अल्हिक्मत :** हिक्मत के अलग-अलग मआनी किये गये, आसान मानी ये है किसी चीज़ की असल हक़ीक़त को जानना और उसके मुताबिक़ अमल करना। **(3) अरक़्क़ु अफ़इदह :** रिक़्क़त, बारीकी और नर्मी को कहते हैं, मक़सद है अस़र पज़ीरी या जल्द मुतास्सिर होने वाले। **(4) अफ़इदह :** फ़ुआद की जमा है। कुछ क़ल्ब और फ़ुआद दोनों को हम मानी क़रार देते हैं और ज़ाहिर यही है। कुछ के दिल के अंदरूनी या दिल की आँख को फ़ुआद कहते हैं।

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने अलग-अलग इलाक़ों के लोगों के अंदर अलग-अलग सिफ़ात रखी हैं। यमनी लोगों के अंदर हदीस़ में बयान की गई सिफ़ात पाई जाती हैं जैसाकि अहले मश्रिक़ के अंदर दिलों की सख़्ती और दुरुश्ती पाई जाती है।

(183) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत दूसरी सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ ‏.‏

(184) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे पास यमनी लोग आये हैं, दिल के ज़ईफ़ और फ़ुआद के नर्म, फ़िक़्हे यमनी है और हिक्मत भी यमानी है।'

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ " .

फ़ायदा : क़ल्ब के ज़ईफ़ और फ़ुआद के रक़ीक़ होने का मक़सद ये है कि उनके दिलों के अंदर ख़ौफ़ व ख़शियत और तवाज़ोअ है और वअ़ज़ व नसीहत से जल्द मुतास्सिर होने और सहीह बात को क़ुबूल करने की सलाहियत मौजूद है। दिलों की सख़्ती और ग़िल्ज़त से पाक और सहीह व सालिम हैं।

(185) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कुफ़्र का गढ़, मश्रिक़ की तरफ़ है और फ़ख़्र व तकब्बुर घोड़ों और ऊँटों वालों में है जो चिल्लाते हैं जो वबर वाले (जंगली) हैं और सकीनत व इत्मीनान बकरियों के मालिकों में है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्फ़ख़्र : घमण्ड और ग़ुरूर। **(2) अल्ख़ैला :** तकब्बुर, लोगों को हक़ीर समझना। **(3) अहलुल वबर :** अहलुल बद्व, बादिया नशीन और वबर ऊँटों के बालों को कहते हैं। ये लोग आम तौर पर जंगलों में रहते थे।

(186) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईमान यमन में है, कुफ़्र मश्रिक़ की तरफ़ है, सुकून व इत्मीनान अहले ग़नम (बकरी) में है, फ़ख़्र व रिया शौर करने वालों, अहले ख़ैल (घोड़े) और अहले वबर में है। (ऊँटों वाले)'
(सहीह बुख़ारी : 3125)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ " .

(187) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'फ़ख़्र व तकब्बुर चिल्लाने वालों ऊँटों के मालिकों में है और इत्मीनान व सुकून बकरी वालों में है।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم يَقُولُ " الْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ " .

(188) ज़ोहरी यही रिवायत इसी सनद से बयान करते हैं और आख़िर में इज़ाफ़ा है 'ईमान यमनी है और हिक्मत भी यमानी है।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ"الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ " .

(189) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'अहले यमन आये हैं, उनके दिल बाद में ज़ईफ़ और फ़ुआद रक़ीक़ से हैं, ईमान यमनी है और हिक्मत भी यमानी है, सकीनत अहले ग़नम में है और फ़ख़्र व ख़ुयला चीख़ने वाले अहले वबर में है जो सूरज के तुलूअ होने की तरफ़ रहते हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 3308)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ " .

(190) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे पास अहले यमन आये हैं उनके क़ुलूब नर्म और फ़ुआद रक़ीक़ (पतले) हैं, ईमान यमनी है और हिक्मत भी यमानी है और कुफ़्र की चोटी मश्रिक़ की तरफ़ है।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रअ्सुल कुफ़्र : रअ्स, सर या किसी चीज़ की चोटी को कहते हैं और रअ्सुश्शह्र से मुराद महीने का पहला दिन होता है। इसलिये मुराद, मम्बअ़ व सरचश्मा होगा जिस तरह मुहावरा है रअ्सुल हिक्मत मख़ाफ़तुल्लाहि हिक्मत का सरचश्मा अल्लाह का ख़ौफ़ है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ " رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ " .

(191) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक दूसरी सनद से बयान करते हैं और उसमें 'कुफ़्र का गढ़ मश्रिक़ की तरफ़ है' का तज़्किरा किया।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ " وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَصْحَابِ الإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ " .

(192) इमाम साहब यही रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं और उसमें इतना इज़ाफ़ा है कि 'फ़ख़्र व ख़ुयला ऊँट वालों और सकीनत व वक़ार बकरियों वालों में है।'

(सहीह बुख़ारी : 4127,12396)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ " .

(193) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दिलों की सख़्ती और शिद्दत मश्रिक़ में है और ईमान अहले हिजाज़ में है।'

एक शुब्हा और उसका हल : अहले मश्रिक़ से कौन लोग मुराद हैं इसकी तअयीन आपने ख़ुद फ़रमा दी है कि इससे मुराद रबीआ और मुज़र के क़बीले हैं। आपकी तअयीन के बाद उसको मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब पर चस्पाँ करने की कोई तर्क नहीं है। हक़ीक़त ये है कि मदीना से मश्रिक़ की तरफ़ इराक़ है और अक्सर फ़ित्ने यहीं से निकले हैं।

अहले मश्रिक़ से कौन मुराद हैं इसकी तफ़्सील के लिये देखिये अल्बय्यिनात आसिम हद्दाद (रह.), पेज नं. 398-400

باب بَيَانِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلاَمِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا

बाब 22 : इस बात का बयान कि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाख़िल होंगे और मोमिनों से मुहब्बत करना ईमान का हिस्सा है और अस्सलामु अलैकुम को आम रिवाज देना मुहब्बत का बाइस है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا . أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ " .

(194) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकोगे और तुम उस वक़्त तक सहीह मोमिन नहीं होगे जब तक एक-दूसरे से मुहब्बत नहीं करोगे। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊँ कि अगर तुम उस पर अ़मलपैरा होगे तो आपस में मुहब्बत करने लगोगे? एक-दूसरे को बकस़रत सलाम कहो।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا " . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٍ .

(195) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ये हदीस़ यूँ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! तुम जब तक ईमान नहीं लाओगे जन्नत में दाख़िल नहीं होगे।' आगे की इबारत अबू मुआ़विया और वकीअ़ की हदीस़ की तरह है।

फ़ायदा : जन्नत में दाख़िला ईमान पर मौक़ूफ़ है और ईमान की पहचान और अ़लामत आपसी मुहब्बत व प्यार है और आपस में मुहब्बत व मवद्दत पैदा करने का आसान तरीक़ा ये है कि हर एक मुसलमान को सलाम किया जाये। उससे जान-पहचान हो या न हो, इससे मुहब्बत व उल्फ़त पैदा होगी, अ़दावत व दुश्मनी मिटेगी, क्योंकि सलाम का मानी है अल्लाह तआ़ला तुमको हर बला व मुसीबत से महफ़ूज़ और सलामत रखे और इंसान की आ़म आ़दत है कि वो अपने ख़ैरख़्वाह और दुआ़गो से मुहब्बत करता है, उसको दोस्त समझता है।

बाब 23 : इस बात का बयान कि दीन ख़ैरख़्वाही और ख़ुलूस का नाम है

باب بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ، قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ، عَنِّي رَجُلاً قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينُ النَّصِيحَةُ " قُلْنَا لِمَنْ قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " .

(196) सुफ़ियान का कहना है कि मैंने सईद से कहा, उमर ने हमें क़अक़ाअ के वास्ते से आपके बाप से हदीस़ सुनाई है और मेरी ख़्वाहिश ये थी कि वो मुझे रिवायत सुनाये ताकि एक रावी कम हो जाये। तो सुहैल ने कहा, मैंने अपने बाप के शामी दोस्त, जिससे वो रिवायत बयान करते हैं, ख़ुद हदीस़ सुनी है (अब ये रिवायत क़अक़ाअ और सुहैल के बाप अबू सालेह की बजाय सुहैल से है और सनद आ़ली हो गई है) फिर सुफ़ियान ने हमें सुहैल से अ़ता बिन यज़ीद की तमीमदारी से रिवायत सुनाई कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दीन ख़ैरख़्वाही का नाम है।' हमने पूछा, किसकी ख़ैरख़्वाही? आपने फ़रमाया, 'अल्लाह की, उसकी किताब की, उसके रसूल की, मुसलमानों के अमीरों की और आ़म मुसलमानों की।'

(अबू दाऊद : 4944, नसाई : 7/156-157)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अन्नसीहा : नसीहत का लफ़्ज़ इन्तिहाई जामेअ और पुरमग़ज़ है जिसमें हर क़िस्म की भलाइयाँ दाख़िल हैं। इसलिये जिस तरह अल्हज्ज अ़रफ़ा कहा गया है कि अ़रफ़ा में वक़ूफ़ के बग़ैर हज नहीं हो सकता। इसी तरह दीन ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी से इबारत है, इसके बग़ैर दीन कल्अदम (ना के बराबर) है। कुछ हज़रात ने इसको 'नसहर्रजुलु स़ौबा' (आदमी ने अपने कपड़े सिये) के मुहावरे से माख़ूज़ माना है। इसलिये नसीहा उसका नाम है जिससे दूसरों के ऐब व नुक़्स दूर होते हैं और उनके मामलात में इस्लाह और दुरुस्तगी पैदा होती है। कुछ ने इसको नसह्तु सल्ल मैंने शहद को मोम से पाक-साफ़ किया, से माख़ूज़ माना है। इसमें ख़ुलूस व सफ़ाई का मानी है, तो नसीहत का मानी होगा ख़ुलूस के साथ दूसरों के मामलात को संवारना और उनकी इस्लाह करना।

फ़ायदा : (1) अल्लाह तआ़ला के लिये नसीहत का मानी है, अल्लाह तआ़ला की ज़ात और उसकी

तमाम सिफ़ात को बिला तश्बीह व तमसील मानना। उसके अहकाम की पैरवी करना, उसकी बन्दगी में किसी को शरीक न ठहराना, उसकी शान के मुनाफ़ी कोई चीज़ उसकी तरफ़ मन्सूब न करना और उसकी इबादत व बन्दगी की दूसरों को दावत देना और ये तमाम काम इन्तिहाई ख़ुलूस और सच्चाई के साथ सर अन्जाम देना। (2) अल्लाह की किताब के लिये नसीहत ये है कि उसको अल्लाह तआला का कलाम माना जाये, जो बेमिस्ल है और अल्लाह की सिफ़त है उसकी तअज़ीम व तकरीम करना, उसकी तिलावत करना, उस पर तदब्बुर व तफ़क्कुर (ग़ौरो-फ़िक्र) करना और उसके अहकाम व हिदायात के सामने सरे तस्लीम ख़म करना, उसकी नश्रो-इशाअत और तब्लीग़ के लिये कोशाँ रहना, उसके ख़िलाफ़ शुकूक व शुब्हात फैलाने वालों के ऐतराज़ात का रद्द करना। (3) उसके रसूल के लिये नसीहत ये है कि उसकी रिसालत पर ईमान लाना, उससे मुहब्बत व अक़ीदत रखना और उसकी इत्तिबाअ व इताअत करना और उसकी हिमायत व दिफ़ाअ के लिये कमर बस्ता रहना, आपके दोस्तों से मुहब्बत और आपके दुश्मनों से अदावत रखना और आपके लाये हुए दीन की नश्रो-इशाअत और तब्लीग़ करना। (4) मुसलमान हुक्मरानों के लिये नसीहत ये है कि नेक और सहीह कामों में उनकी इताअत करना, उनसे तौक़ीर के साथ पेश आना, बिला वजह उनकी मुख़ालिफ़त न करना और उनके ख़िलाफ़ इल्म बग़ावत बुलंद न करना, अगर इससे मुराद अइम्म-ए-दीन हों तो इससे मुराद होगा उनकी तकरीम व एहतिराम करना, उनके बारे में अच्छे जज़्बात रखना, क़ुरआन व सुन्नत के मुताबिक़ उनकी हिदायात व तालीमात पर अमलपैरा होना, उनके इल्म व फ़ज़्ल से फ़ायदा उठाना, लेकिन उससे उनकी तक़लीद करना मुराद नहीं है। क्योंकि ला ताअत लिमख़्लूक़िन फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़ का क़ानून व उसूल सिर्फ़ अइम्म-ए-सियासत के लिये नहीं है। अइम्म-ए-दीन भी इसमें दाख़िल हैं और किसी इमाम के बारे में भी मासूम होने का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिये उनकी हर बात आँखें बंद करके तस्लीम नहीं की जा सकती, ये मक़ाम व मर्तबा तो सिर्फ़ पैग़म्बर को हासिल है कि उसकी हर बात माना और उसके मुताबिक़ अमल करना, ईमान की जान है, उसके बग़ैर इंसान ईमानदार नहीं हो सकता। (5) मुसलमान अवाम की नसीहत ये है कि उनके साथ ख़ैरख़्वाही व हमदर्दी से पेश आया जाये। उनके जान व माल और इज़्ज़त व नामूस की हिफ़ाज़त की जाये, उनके दुख-सुख में उनके शरीक हुआ जाये, दिल में उनके ख़िलाफ़ हसद व कीना और नफ़रत व गुस्सा न रखा जाये, उनके ऐबों को छिपाया जाये, उन्हें दीन व दुनिया की भलाई की बातों की तल्क़ीन की जाये।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(197) सुफ़ियान स़ौरी ने सुहैल बिन इब्ने सालेह से, उन्होंने अ़ता बिन यज़ीद लैस़ी से, उन्होंने हज़रत तमीमदारी (रज़ि.) से उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पिछली हदीस़ की तरह रिवायत की।

(इब्ने माजह : 68)

(198) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं।

(इब्ने माजह : 68)

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَهُ وَهُوَ، يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(199) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़्वाही करने पर बैत की।

(सहीह बुख़ारी : 57, 501, 1336, 2049, 2566, तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र वस्सिलह)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

(200) हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही पर बैत की।

(सहीह बुख़ारी : 1925, 3226, 58, 2565, नसाई: 7/140, 3210)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

(201) हज़रत जरीर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से बात सुनने और मानने पर बैअ़त की तो आपने मुझे तल्क़ीन की कि जहाँ तक तेरे बस में हो और हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही की बैअ़त की।

(सहीह बुख़ारी : 6778, नसाई : 7/152, 4200)

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " . وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . قَالَ يَعْقُوبُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ .

बाब 24 : इस बात की वज़ाहत कि गुनाहों से ईमान का कम होना और गुनाह करने वाले से ईमान की नफ़ी इस मानी में करना कि उसका ईमान कामिल नहीं है

باب بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولاَنِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَؤُلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ " وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .

(202) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़ानी जब ज़िना कर रहा होता है तो वो मोमिन नहीं होता और चोर जब चोरी कर रहा होता है तो वो मोमिन नहीं होता और न शराब पीते वक़्त (शराबी) मोमिन होता है।' और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मज़्कूरा बाला बातों के बाद उनके साथ ये बात भी मिलाते, 'न (लूटने वाला) किसी बड़ी क़द्र व मन्ज़िलत वाली चीज़ को जिसकी तरफ़ लोग नज़र उठाते हैं, लूटते वक़्त मोमिन होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 5256)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यन्तहिबु नह्बतन : छीनता है, बर सरे आम लूटता है। **(2) ज़ात शरफ़ :** मर्तबा व मक़ाम वाली, चीज़ बड़ी क़द्रो-मन्ज़िलत वाली। **(3) अब्सार :** बसर की जमा है, नज़र, आँख।

फ़ायदा : गुनाहे कबीरा को करते वक़्त इंसान ईमान की रोशनी व नूर और ईमानी बसीरत व फ़रासत से महरूम होता है। गोया उसका ईमान कामिल नहीं होता (जैसाकि इमाम नववी रह. ने तर्जुमत बाब में इसकी तरफ़ इशारा किया है) क्योंकि कई बार किसी चीज़ की नफ़ी से मक़सद उसके कमाल की नफ़ी होती है, जैसाकि कहते हैं, इल्म वही है जो फ़ायदा दे, माल नहीं मगर ऊँट, ज़िन्दगी नहीं मगर आख़िरत की ज़िन्दगी कमाल।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي " . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ يَذْكُرُ مَعَ ذِكْرِ النُّهْبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا إِلاَّ النُّهْبَةَ .

(203) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़ानी ज़िना नहीं करता।' और ऊपर वाली हदीस़ बयान की, उसमें लूट के ज़िक्र के साथ 'ज़ात शरफ़' की क़ैद नहीं है। इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। उसमें नह्बा का ज़िक्र नहीं।

(सहीह बुख़ारी : 2343, 6390, इब्ने माजह : 3936)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ النُّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلْ ذَاتَ شَرَفٍ .

(204) इमाम साहब और एक सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं जिसमें लूट का तज़्किरा मौजूद है, लेकिन क़द्रो-मन्ज़िलत या शान वाले की क़ैद नहीं है।

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(205) इमाम साहब यही रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(206) इमाम साहब मज़्कूरा रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ هَؤُلاَءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَلاَءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا " يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ " . وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ " يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ " . وَزَادَ " وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ " .

(207) इमाम साहब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि सफ़वान बिन सुलैम और अ़ला की रिवायत में इसकी क़द्रो-मन्ज़िलत की बिना पर लोग उसकी तरफ़ अपनी नज़रें उठायेंगे।' का तज़्किरा नहीं और हम्माम की रिवायत में है, 'मोमिन उसकी अहमियत की बिना पर उसकी तरफ़ अपनी नज़रें उठाते हैं कि वो लूटते वक़्त मोमिन हो' और इतना इज़ाफ़ा है 'और तुममें से ख़यानत करने वाला ख़यानत करते वक़्त मोमिन नहीं होता और तुम इन तमाम कामों से बचो, बचो।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ هَؤُلاَءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَلاَءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا " يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ " . وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ " يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ " . وَزَادَ " وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ " .

(208) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़ानी ज़िना की

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ " .

हालत में मोमिन नहीं होता, चोर चोरी करते वक़्त मोमिन नहीं होता, शराबी शराब पीते वक़्त मोमिन नहीं होता, उसके बावजूद उनको तौबा का मौक़ा हासिल होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 6425, नसाई : 8/65)

फ़ायदा : ज़िना से उन तमाम कामों की तरफ़ इशारा है जो जिन्सी ख़्वाहिश के नतीजे में सरज़द होते हैं। शराब से और उन तमाम गुनाहों से तम्बीह की है जो इंसान को यादे इलाही से ग़ाफ़िल करते हैं, जिनकी बिना पर हुक़ूक़ुल्लाह पामाल होते हैं, लूट-मार उन तमाम गुनाहों की नुमाइन्दा है जिनमें अल्लाह तआला के बन्दों पर ज़ुल्म व सितम ढहाया जाता है और माल व दौलत को नाजाइज़ ज़रीयों से जमा किया जाता है। लेकिन जाँकनी से पहले-पहले तमाम गुनाहों की तौबा क़ुबूल होती है और तौबा के तीन रुक्न है : (1) गुनाह से रुक जाये (2) गुनाह के करने पर शर्मिन्दा हो और (3) दिल में पक्का वादा करे कि आइन्दा वो गुनाह न होगा। अगर नफ़्स के ग़ल्बे और शैतान के बहकाने की वजह से दोबारा, तीसरी बार उस गुनाह का मुर्तकिब हो जाये तो फिर भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। (शरह सहीह मुस्लिम : 1/56)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ .

(209) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'ज़ानी ज़िना नहीं करता।' आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

फ़ायदा : अगर कोई मुसलमान अल्लाह तआला की हराम की गई चीज़ों को उलमा की बातें कहकर और हलाल समझकर उनका बर सरे आम इर्तिकाब करता है या उन हराम करदा चीज़ों को मामूली समझता है और कोई अहमियत नहीं देता, तो फिर ऐसे इंसान का ईमान ख़तरे की ज़द में है। वो उन गुनाहों की नहूसत की बिना पर ईमान से महरूम हो सकता है। (अआज़नल्लाहु मिन्हु)

बाब 25 : बाब मुनाफ़िक़ की ख़स्लतें (निशानियाँ)

باب بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ

(210) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'चार आदतें हैं जिसमें चारों होंगी वो पक्का मुनाफ़िक़ होगा और जिसमें उनमें से एक होगी तो उसमें निफ़ाक़ की एक ख़स्लत होगी, यहाँ तक कि उससे बाज़ आ जाये। जब बात करे तो झूठ बोले और जब अ़हद करे तो उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करे, जब वादा करे तो उसको पूरा न करे और जब किसी से झगड़े तो हक़ को छोड़ दे।' सुफ़ियान की रिवायत में ख़ल्लत की जगह ख़स्लत का लफ़्ज़ है।

(सहीह बुख़ारी : 34, 2427, 3007, अबू दाऊद : 3688, तिर्मिज़ी : 2632)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ " وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ख़ालिस : पक्का, बेआमेज़। (जिसमें मिलावट न हो) **(2) आहद :** अ़हद व मुआहिदा करता है, पैमाने वफ़ा बांधता है। **(3) ग़दर :** बद अहदी करता है, अ़हदे वफ़ा को तोड़ता है, वादा ख़िलाफ़ी करता है। **(4) फ़जर :** हक़ से हटकर ग़लत और झूठी बात कहता है क़सद और ऐतदाल से दूर हो जाता है।

(211) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करे और जब उसको किसी अमानत का अमीन बनाया जाये तो उसमें ख़यानत करे।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ، نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " آيَةُ

الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " .

(सहीह बुख़ारी : 33, 2536, 2598, 5744, तिर्मिज़ी : 2631, नसाई : 8/117)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " .

(212) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुनाफ़िक़ की अलामात में से ये तीन भी हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करे और जब अमीन बनाया जाये तो ख़यानत करे।'

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " .

(213) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की और कहा, 'मुनाफ़िक़ की अलामात तीन हैं अगरचे वो रोज़ा रखता हो, नमाज़ पढ़ता हो और अपने आपको मुसलमान समझता हो।'

(तिर्मिज़ी : 2631)

وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ذَكَرَ فِيهِ " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " .

(214) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मज़्कूरा हदीस़ बयान की और उसमें है, 'अगरचे वो रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े और अपने आपको मुसलमान समझता हो।'

फ़वाइद : (1) आयतुल मुनाफ़िक़ि स़लास़ा : आयत, मुफ़रद है और स़लास़ जमा है। इस तरह इफ़राद जमा में मुताबिक़त नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि आयत का लफ़्ज़ जिन्स के लिये है, जिसका इतलाक़ जमा पर भी होता है या स़लास़ को मज्मूई ऐतबार से एक समझा गया है। **(2)**

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की रिवायत में 'अरबअ़' चार है और अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में 'सलास़' तीन है। अगर दोनों रिवायतों को सामने रखा जाये तो ये ख़स्लतें पाँच बनती हैं: (1) झूठ बोलना (2) अ़हद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करना (3) वादे को पूरा न करना (4) झगड़े में गाली-गलोच करना (5) अमानत में ख़यानत करना। इसका जवाब ये है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में तीन में हस्र मक़सूद नहीं है। इसलिये अबू हुरैरह (रज़ि.) की दूसरी रिवायत में जिन्हें अ़लामात कहा गया है वहाँ अ़लामात में से है और अ़दद के इज़हार से मक़सूद, इससे ज़्यादा की नफ़ी नहीं है। मौक़ा महल के बदलने से कहीं एक सिफ़त को छोड़ दिया गया है और कहीं उसकी जगह दूसरी का तज़्किरा कर दिया गया है या तीन कहने की वजह ये है कि बाक़ी बातें, उनके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आ़माले इंसानी का ताल्लुक़ तीन चीज़ों से है। निय्यत, क़ौल और फ़ैअ़ल वादे की ख़िलाफ़वर्ज़ी का ताल्लुक़ निय्यत से है क्योंकि वादे की ख़िलाफ़वर्ज़ी इस सूरत में क़ाबिले मज़म्मत है जबकि वादा करते वक़्त ही अ़दमे वफ़ा की निय्यत हो। जैसाकि एक हदीस़ में है इज़ा वअ़द वहुव यहदिसु नफ़्सहू अन्नहू युख़्लिफ़ु कि वादा करते वक़्त ही दिल में ख़िलाफ़वर्ज़ी का ख़याल था। अगर वादा करते वक़्त वफ़ा की निय्यत थी लेकिन किसी सबब व रुकावट की बिना पर कोशिश के बावजूद वादा पूरा न कर सका तो ये निफ़ाक़ की अ़लामत नहीं होगी। इस हदीस़ के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने लिखा है, ला बअ्स बिही और फ़ायदा फ़तहुल बारी से माख़ूज़ है। (फ़तहुल बारी : 1/122, दारुस्सलाम) ये सुनन अबी दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस़ का तर्जुमा है, हवाला मज़्कूरा बाला। किज़्ब और गाली-गलोच का ताल्लुक़ क़ौल से है, बदअ़हदी और ख़यानत का ताल्लुक़ फ़ैअ़ल से है। **(3)** इन हदीसों में 'इज़ा' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसका मानी ये है कि ये काम उसका वतीरा, रवैया और पुख़्ता आ़दत हैं और उसकी ज़िन्दगी का मामूल हैं। तो फिर ये आ़दात व ख़साइल मुनाफ़िक़ाना हैं और अगर कभी-कभार सरज़द हों तो फिर ये निफ़ाक़ की अ़लामात या निशानी नहीं हैं। हदीस़ का मक़सद ये है कि ये औसाफ़ व ख़साइल मोमिन के शायाने शान नहीं है। ये तो उन लोगों की आ़दात हैं जिनका ईमान पुख़्ता नहीं है। **(4)** निफ़ाक़ की दो क़िस्में हैं (1) एक का ताल्लुक़ ईमान व अ़क़ीदे से है जो कुफ़्र की बदतरीन सूरत है कि इन्नल् मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल् अस्फ़लि मिनन्नार कि मुनाफ़िक़ दोज़ख़ के सबसे संगीन, निचले तबक़े में होंगे। (2) दूसरी क़िस्म का ताल्लुक़, अ़मल व किरदार से है कि किसी शख़्स की सीरत व अ़मल मुनाफ़िक़ों जैसा हो। उसका ताल्लुक़ ईमान व अ़क़ीदे से नहीं है मज़्कूरा चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान की सीरत व किरदार से है। इस तरह ये निफ़ाक़े अ़मली होगा और एक मुसलमान के लिये जिस तरह ये ज़रूरी है कि वो कुफ़्र व शिर्क और ऐतक़ादी निफ़ाक़ की नजासत व आलूदगी से बचे। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि मुनाफ़िक़ाना आ़माल व अख़्लाक़ की गन्दगी से भी अपने आपको महफ़ूज़ रखे।

बाब 26 : अपने मुसलमान भाई को ऐ काफ़िर! कहने वाले के ईमान की हालत

باب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " .

(215) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब एक आदमी अपने भाई को काफ़िर कहता है तो दोनों में से एक उसका मुस्तहिक़ होगा।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ " .

(216) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स ने अपने भाई से कहा, ऐ काफ़िर! तो कुफ़्र दोनों में से एक तरफ़ ज़रूर पलटेगा, अगर मुख़ातब वाक़ेई काफ़िर है तो ठीक होगा (वरना कहने वाला काफ़िर होगा)।

फ़ायदा : किसी इंसान को उसकी बदअ़मली या बदअख़्लाक़ी की बिना पर काफ़िर क़रार देना संगीन जुर्म है। इंसान को अपनी ज़बान पर क़ाबू रखना चाहिये और बिला दरेग़ 'कुफ़्र के फ़तवे' जारी नहीं करने चाहिये। हाँ ये कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि उसके आ़माल काफ़िराना या मुनाफ़िक़ाना हैं या वह शिर्किया अफ़आल का मुर्तकिब है क्योंकि मुम्किन है वो जहालत की वजह से या ग़लतफ़हमी बल्कि बदफ़हमी की वजह से या किसी ग़लत या सहीह तावील की वजह से, इख़्लास व लिल्लाहियत के साथ उस अ़मल को शिर्क या कुफ़्र का बाइस न समझता हो। लेकिन अगर कोई इंसान ज़रूरियाते दीन का इंकार करे या क़तई और यक़ीनी दलाइल से साबित, नाजाइज़ काम को जाइज़ क़रार दे और लोगों को भी उसकी दावत दे तो फिर इन अल्फ़ाज़ की गुंजाइश निकल सकती है। बिला वजह किसी की तकफ़ीर करने वाला, अपनी तकफ़ीर की ज़द में ख़ुद ही आ जाता है और अपने आपको काफ़िर क़रार दे बैठता है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ " .

(217) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये सुना, 'जो शख़्स दानिस्ता अपने बाप की बजाय किसी और का बेटा होने का दावा करता है तो उसने कुफ़्र किया और जो ऐसी चीज़ का दावा करता है जो उसकी नहीं है वो हममें से नहीं है और वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले और जो शख़्स किसी को काफ़िर कहकर पुकारता है या अल्लाह का दुश्मन कहता है हालांकि वो ऐसा नहीं है तो कुफ़्र उसकी तरफ़ लौट आता है।'

(सहीह बुख़ारी : 3317, 5698)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इद्दआ : दावा करना। **(2) आद अलैह :** बाअ और रजअ के हममानी है पलटना, लौटना पलट आता है।

फ़वाइद : (1) अपने हक़ीक़ी नसब का इंकार करके किसी और का बेटा बनना इन्तिहाई मुज्रिमाना हरकत है और कोई मुसलमान उसको अपने लिये रवा नहीं समझ सकता। अगर कोई बदबख़्त मुसलमान ऐसा है जो इसको सहीह और जाइज़ काम क़रार देता है तो किसी बदीही नाजाइज़ चीज़ को हलाल और जाइज़ क़रार देना वाक़ेई कुफ़्र है और ये कुफ़राने कुफ़्र होगा जो मुख़्रिज अनिल्लाह नहीं है और उसके काम को कुफ़्र क़रार दिया जायेगा, अगर किसी तावील और ज़रूरत के तहत ऐसा करता है तो ये कुफ़राने नेमत होगा। जैसाकि आपने औरतों के बारे में फ़रमाया, 'वो ख़ाविन्द की नाशुक्री और एहसान फ़रामोश हैं।' इसी तरह ये इंसान अल्लाह और बाप के हक़ का नमक हराम है। **(2)** अगर कोई जान-बूझकर किसी ऐसी चीज़ के अपनी होने का दावा करता है जो उसकी नहीं है तो ये एक झूठ है और दूसरे के माल पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा है जो किसी सहीह और कामिल मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'वो हममें से नहीं।' जैसाकि नूह (अले.) के बेटे के बारे में फ़रमाने बारी तआला है, 'वो आपके अहल में से नहीं है।' यानी उसका तौर तरीक़ा और तर्ज़े अमल या बर्ताव और मामला मुसलमानों वाला नहीं है और ये एक ऐसा क़ुसूर और खुल्लम-खुल्ला गुनाह है जिसकी सज़ा जहन्नम है। मगर ये कि इंसान उससे तौबा करे या अल्लाह तआला माफ़ कर दे।

बाब 27 : अपने बाप से जान-बूझकर बेरग़बती करने वाले के ईमान की हालत

باب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

(218) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने बापों से बेरग़बती न करो क्योंकि अपने बाप से बेरग़बती (इन्हिराफ़) करना कुफ़्र है।'

(सहीह बुख़ारी : 6386)

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ " .

(219) अबू उसमान बयान करते हैं कि जब ज़ियाद की निस्बत अबू सुफ़ियान की तरफ़ की गई या (मुआविया रज़ि. ने) उसके भाई होने का दावा किया तो मैं अबू बकरह (रज़ि.) को मिला और उससे पूछा, तुमने ये क्या किया? मैंने तो सअ़द बिन अबी वक़्क़ास से सुना, वो कह रहे थे, मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'जिसने इस्लाम में अपने हक़ीक़ी बाप के सिवा किसी और के बाप होने का ये जानते हुए दावा किया कि वो मेरा बाप नहीं है उसका जन्नत में दाख़िला नहीं है।' तो अबू बकरह ने कहा, ख़ुद मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही सुना है।

(सहीह बुख़ारी : 6385, अबू दाऊद : 5113, इब्ने माजह : 2610)

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ " مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الإِسْلاَمِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : इस हदीस में उस वाक़िये की तरफ़ इशारा है कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने अबू बकरह (रज़ि.) के माँ की तरफ़ से भाई ज़ियाद को अपना भाई क़रार दिया था, दोनों की माँ सुमय्या नामी लौण्डी थी।

वाक़िये की असल हक़ीक़त ये है कि जाहिलिय्यत के दौर में निकाह की अलग-अलग सूरतें थीं। जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) की बुख़ारी में रिवायत है। उनमें से एक सूरत ये थी कि बहुत से लोग किसी औरत से ताल्लुक़ात क़ायम करते और जब वो बच्चा जनती तो उन सबको बुला लेती और अपने बच्चे को उनमें से किसी एक का क़रार दे देती और उसको इसकी बात तस्लीम करनी पड़ती। वो उसके बाप होने का इंकार नहीं कर सकता था और वो उसका बेटा तसव्वुर होता था। जाहिलिय्यत के दौर में अबू सुफ़ियान किसी काम से ताइफ़ गये। वहाँ सुमय्या से ताल्लुक़ात क़ायम किये। जब बच्चा पैदा हुआ तो सुमय्या ने उसको अबू सुफ़ियान का बेटा क़रार दिया। अबू सुफ़ियान के लिये उसके इक़रार के सिवा कोई चारा न था, उसने मान लिया। चूंकि ये मामला ताइफ़ में पेश आया था इसलिये उसका आम चर्चा न हुआ था। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने कुछ लोगों की गवाही पर उस नसब को तस्लीम कर लिया। क्योंकि इस्लाम के बाद जाहिलिय्यत के नसबों का इंकार नहीं हुआ था लेकिन चूंकि उस चीज़ की शोहरत आम न थी, इसलिये कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) को इस पर ऐतराज़ था जबकि शरई तौर पर इसमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं है। क्योंकि ये जाहिलियत के दौर की बात है जिसमें इस नसब को सहीह तस्लीम किया जाता था।

जाहिलिय्यत के दौर में लोग ख़ुद अपनी लौण्डी से ये कसब (काम) कराते थे जैसाकि सूरह नूर में है। इसलिये इस पर इस्लाम का उसूल नाफ़िज़ नहीं होगा क्योंकि वाक़िया पहले का है।

लेकिन तशरीह अल्वलदु लिल्फ़िराशि के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगरचे अबू सुफ़ियान ने ज़िना किया था, मगर बच्चा क़ानूनी तौर पर उस लौण्डी के मालिक का बेटा कहलायेगा।

मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम (हफ़िज़हुल्लाह) का ऐतराज़ दुरुस्त नहीं है। जाहिलिय्यत के दौर के नसबों को इस्लामी उसूलों पर नहीं परखा जा सकता। वरना हज़रत मुआविया (रज़ि.) कभी इस हरकत का इर्तिकाब न करते। वो इस्लाम के हमसे ज़्यादा शैदाई थे इस तरह बहुत से नसब मशकूक हो जायेंगे और वो इस्लाम के उसूल 'लिल्आहिर' से नावाक़िफ़ न थे। इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी ने 'अल्अवासिमु मिनल् क़वासिम' पेज नम्बर 235 पर हज़रत मुआविया (रज़ि.) के फ़ेअल को सहीह क़रार दिया है। तफ़्सीली बहस के लिये देखिये हज़रत मुआविया (रज़ि.) शख़्सियत व किरदार : 2/64-72 अज़ हकीम महमूद अहमद ज़फ़र सियालकोटी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي، بَكْرَةَ كِلاَهُمَا يَقُولُ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ، وَوَعَاهُ،

(220) हज़रत सअद और अबू बकरह (रज़ि.) दोनों ने कहा, ये बात मेरे दोनों कानों ने सुनी और मेरे दिल ने याद रखी, मुहम्मद (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अपने बाप के सिवा किसी और के बारे में बाप होने का दावा किया, हालांकि वो जानता है कि वो उसका बाप नहीं

है, ऐसे इंसान के लिये जन्नत हराम है।'

أُذُنَايَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " .

बाब 28 : हुज़ूर (ﷺ) के इस फ़रमान का बयान कि मुसलमान को बुरा-भला कहना फ़िस्क़ और उससे क़िताल करना कुफ़्र है

باب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ "

(221) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उससे लड़ना कुफ़्र है।' ज़ुबैद कहते हैं, मैंने अबू वाइल से पूछा, क्या तूने ये रिवायत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हुए सुना है? तो उसने कहा, हाँ! शोबा की रिवायत में ज़ुबैद के अबू वाइल से पूछने का ज़िक्र नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 5697, तिर्मिज़ी : 2635, 1983, नसाई : 7/122)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " . قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لأَبِي وَائِلٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सिबाब : गाली-गलोच करना, किसी की इ़ज़्ज़त व नामूस पर ऐबगीरी करना। **(2) अल्फ़िस्क़** : निकलना, ख़िराज करना यानी हक़ व सवाब को छोड़ देना, नाफ़रमानी करना।

(222) मन्सूर और आ़मश दोनों ने अबू वाइल से अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की नबी (ﷺ) से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(सहीह बुख़ारी : 6665, नसाई : 7/127-128, इब्ने माजह : 9251)

फ़ायदा : एक मुसलमान को नाहक़ बुरा-भला कहना और उस पर ऐब लगाना, इस्लाम के उसूल व ज़वाबित और इस्लामी मुआशिरत के तक़ाज़ों से ख़ुरूज (बाहर) है। इस्लाम तो आपसी प्यार व मुहब्बत उख़ुवत और भाईचारे का दर्स देता है।

मुसलमान से लड़ाई करना मुसलमानों के एक-दूसरे पर जो हुक़ूक़ हैं उनका इंकार करना है जो नेमते इस्लाम की नाक़द्री और नाशुक्री है। इस्लाम तो मुसलमानों को एक-दूसरे की इज़्ज़त व नामूस और जान व माल की हिफ़ाज़त की तल्क़ीन करता है और उनको जसदे वाहिद (एक जिस्म) की तरह क़रार देता है और ये क़त्ल के दर्पे है।

باب " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "

बाब 29 : नबी (ﷺ) के फ़रमान, 'मेरे बाद एक-दूसरे की गर्दन मारकर काफ़िर न बन जाना' का मफ़्हूम

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ، جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " اسْتَنْصِتِ النَّاسَ " . ثُمَّ قَالَ " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

(223) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे नबी (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर फ़रमाया, 'लोगों को चुप करवाओ।' फिर फ़रमाया, 'मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक-दूसरे की गर्दनें मारने लगो।'

(सहीह बुख़ारी : 4143, 6475, 6669, नसाई : 7/128, इब्ने माजह : 3942)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हज्जतुल विदाअ के ख़ुत्बे जिसमें नबी (ﷺ) ने लोगों को दीन के बुनियादी कामों की तल्क़ीन की और ग़ैर हाज़िरों तक पहुँचाने की ताकीद की और ये फ़रमाकर लअ़ल्ली ला

अराकुम बअ़द आमी हाज़ा शायद मैं तुम्हें इस साल के बाद देख न सकूँ, अल्विदाअ़ कहा। **हज्जत :** हज्जत की हा पर ज़बर और ज़ेर दोनों दुरुस्त है। ये आपका आख़िरी हज था। इसके जल्द बाद आप दुनिया से वफ़ात कर गये। **इस्तन्सत :** लोगों को कहो, ख़ामोश हो जाओ, उन्हें चुप करवाओ। **कुफ़्फ़ार :** काफ़िर की जमा है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(224) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।

(सहीह बुख़ारी : 5814, 6403, 6474, 6666, अबू दाऊद : 4686, नसाई : 7/126, 4136, इब्ने माजह : 3943)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " وَيْحَكُمْ - أَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ - لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

(225) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर फ़रमाया, 'तुम पर ताज्जुब व हैरत है' या फ़रमाया, 'तुम पर अफ़सोस है, मेरे बाद काफ़िरों की तरह एक-दूसरे की गर्दनें न मारना।'

(सहीह बुख़ारी : 5697, तिर्मिज़ी : 2635, 1983, नसाई : 7/122)

मुफ़रदातुल हदीस़ : वैल : ताज्जुब और दुख के लिये इस्तेमाल है और वैह रहम व तरस के मौक़े पर इस्तेमाल करते हैं।

फ़वाइद : (1) मुसलमानों का एक-दूसरे से जंग और क़िताल करना और उसको जाइज़ और दुरुस्त क़रार देना, एक-दूसरे को काफ़िर क़रार देने के मुतरादिफ़ (बराबर) है और उसकी नहूसत कुफ़्र तक पहुँचा सकती है। (2) मुसलमानों का आपस में लड़ना, एक-दूसरे के हुक़ूक़ को पामाल करना है, क्योंकि उनमें उख़ुवत व मुरव्वत का ताल्लुक़ है। जो एक-दूसरे के तआ़वुन व तनासुर को ज़रूरी ठहराता है। (3) मुसलमान मुसलमानों से लड़ाई नहीं करता बल्कि मुसलमानों की लड़ाई हरबी काफ़िरों से है। इसलिये आपस में लड़ाई काफ़िरों का तरीक़ा और रवैया इख़्तियार करना है और मुसलमानों को उनकी मुशाबिहत और तर्ज़े अ़मल अपनाने से मना किया गया है।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ .

(226) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।

(सहीह बुख़ारी : 5697, तिर्मिज़ी : 2635, 1983, नसाई : 7/122)

باب إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

बाब 30 : नसब में तअ़न करने और नौहा करने को कुफ़्र का नाम दिया गया है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "

(227) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोगों की दो बातें उनमें कुफ़्र की हैं, नसब में तअ़न करना और मय्यित पर नौहा करना।'

फ़वाइद : (1) जाहिलिय्यत के दौर में लोग हसब व नसब पर फ़ख़्र करते थे और दूसरों के हसब व नसब पर तअ़न व तश्नीअ़ करते थे। क्योंकि उनके नज़दीक तफ़व्वुक़ व बरतरी का इन्हिसार तक़वा और आमाले सालेहा पर नहीं था। लेकिन इस्लाम की रू से इ़ज़्ज़त व शराफ़त का मदार तक़वा और दीनदारी पर है। क़यामत के दिन, ईमान और आमाल के बग़ैर ज़ात और नसब कुछ काम न देंगे। लेकिन मुसलमानों में अभी ये ज़हनियत मौजूद चली आ रही है जो काफ़िराना हरकत है, जिससे बचना लाज़िम है। **(2)** मय्यित पर चीख़ना-चिल्लाना और वावेला करना भी जाहिलिय्यत का शिआर (तरीक़ा) है। वो इस काम में एक-दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते और औरतें नौहा करने में एक-दूसरे का तआवुन करती थीं और मुसलमानों में ये रस्म दौरे जाहिलिय्यत की यादगार के तौर पर चली आ रही है जिससे परहेज़ करना ज़रूरी है।

बाब 31 : भगोड़े ग़ुलाम को काफ़िर का नाम देना

باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ " أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ " . قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَا هُنَا بِالْبَصْرَةِ .

(228) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है कि 'जो ग़ुलाम, अपने मालिकों से भाग गया, उसने कुफ़्र का इर्तिकाब किया, यहाँ तक कि उनकी तरफ़ लौट आये।' मन्सूर का क़ौल है, अल्लाह की क़सम! ये रिवायत नबी (ﷺ) से बयान की गई है लेकिन यहाँ बसरह में मैं इसको बयान करना पसंद नहीं करता।

(अबू दाऊद : 4360, नसाई : 7/103-104, 7/102)

मन्सूर के क़ौल का पसे मन्ज़र : बसरह में ख़ारिजी लोग काफ़ी तादाद में थे और वो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब को काफ़िर व जहन्नमी क़रार देते थे और इस क़िस्म की हदीसों के ज़ाहिर से इस्तिदलाल करते थे। हालांकि अगर तमाम शरई दलील को मद्दे नज़र रखा जाये तो इससे ये मालूम होता है कि इस क़िस्म के काम, मोमिन की शान के लायक़ नहीं है। इस क़िस्म की हरकतें काफ़िर करते हैं। मुसलमानों को काफ़िरों जैसी हरकतों और सिफ़ात व अफ़आल से परहेज़ करना चाहिये। ये मतलब नहीं होता कि ऐसा काम करने वाले काफ़िर और हमेशा जहन्नमी हैं अगर हम ये तावील नहीं करेंगे तो जिन दलीलों और हदीसों से मुर्जिया इस्तिदलाल करते हैं, जिनका ये मौक़िफ़ है कि ईमान की सूरत में गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब नुक़सानदेह नहीं है उनके साथ उन अहादीस का तआरुज़ और मुख़ालिफ़त पैदा होगी। नीज़ ये इंसानी मुहावरात और उस्लूबे कलाम से पहलूतही होगी। बशारत और तख़्वीफ़ के उस्लूब और अन्दाज़ को मल्हूज़ रखना ज़रूरी है। मक़सद ये है ऐसा इंसान कामिल मोमिन नहीं है। ये मानी नहीं है कि वो दीन से ख़ारिज है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .

(229) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो ग़ुलाम भगोड़ा हो गया, तो वो ज़िम्मेदारी से निकल गया।'

(सहीह बुख़ारी : 5697, तिर्मिज़ी : 2635, 1983, नसाई : 7/122)

फ़ायदा : इस्लामी अहकाम व हिदायतों पर अमल करने से इंसान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं जो इस्लामी अहकाम को तोड़ने की बिना पर ख़त्म हो जाते हैं। गुलाम के भाग जाने की सूरत में शरीअत के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनसे महरूम हो जायेगा और उसका मालिक उसको तलाश करके जो चाहेगा उसके साथ सुलूक करेगा।

(230) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत करते थे कि जब गुलाम भाग जाये तो उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती।

(सहीह बुख़ारी : 5697, तिर्मिज़ी : 2635, 1983, नसाई : 7/122)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ " .

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने इबादते अरबआ (नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज) में अलग-अलग ख़ुसूसियात रखी हैं और उनकी अदायगी से इंसान के अंदर अल्लाह तआला की बन्दगी और इताअत का जज़्बा और हौसला पैदा होता है और ये राहे हक़ को रोशन और मुनव्वर करते हैं। नमाज़ क़ुबूल न होने का मतलब ये है कि वो नमाज़ के नूर व रोशनी और उसकी ख़ैरात व बरकात से महरूम हो जाता है और ये नमाज़ उसके लिये अज्र व सवाब और फ़ज़ीलत व रिफ़अत का बाइस नहीं बनती अगरचे ज़ाहिरी तौर पर वो इस फ़रीज़े की अदायगी से सुबुकदोश हो जाता है, उस पर क़ज़ाई नहीं है।

बाब 32 : जो शख़्स बारिश का बाइस व सबब सितारों की गर्दिश को क़रार दे उसका काफ़िर होना

باب بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

(231) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुदैबिया के मक़ाम पर सुबह की जमाअत कराई, जबकि रात को बारिश हो चुकी थी। आप सलाम फेर कर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और पूछा, 'क्या जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया?' सहाबा किराम (रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल को ही ज़्यादा इल्म

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ

فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ . فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ " .

है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'मेरे बन्दों में से कुछ की सुबह मुझ पर ईमान पर हुई और कुछ की मेरे साथ कुफ़्र पर। जिसने तो ये कहा, हम पर बारिश अल्लाह तआला के फ़ज़्ल और रहमत के बाइस हुई, तो उसने मुझ पर ईमान रखा और सितारे के साथ कुफ़्र किया और जिसने ये कहा, हम पर बारिश फ़लाँ-फ़लाँ सितारे के ग़ुरूब व तुलूअ से हुई है. उसने मेरे साथ कुफ़्र का बर्ताव किया और सितारों पर ईमान रखा।''

(सहीह बुख़ारी : 810, 991, 3916, 7064, अबू दाऊद : 3906, नसाई : 3/165, 1524)

फ़ायदा : जाहिलिय्यत के लोगों का ऐतक़ाद था कि सितारे ज़ाती तौर पर मुअस्सिर (प्रभावी) हैं इसलिये वो ज़ाती तौर पर बारिश बरसाने का सबब व बाइस और फ़ाइल हैं, मुअस्सिरे हक़ीक़ी और बारिश बरसाने वाला अल्लाह तआला को नहीं समझते थे, तो अब भी जिस इंसान का ऐतक़ाद ये हो वो काफ़िर होगा। लेकिन अगर कोई इंसान मुअस्सिरे हक़ीक़ी अल्लाह तआला को समझता है और ये ऐतक़ाद रखता है कि बारिश बरसाना और रोकना अल्लाह तआला का काम है अगर उसका फ़ज़्ल व करम होगा तो वो बाराने रहमत बरसायेगा। वरना बारिश नहीं होगी लेकिन कुछ सितारों का तुलूअ व गुरूब बारिश बरसने की अलामत और निशानी है या जिस तरह उसने आग में जलाने, पानी में सैराब करने की तासीर रखी है, किसी सितारे में भी कोई तासीर रखी है तो वो काफ़िर नही होगा लेकिन मुअस्सिरे हक़ीक़ी और जिसके फ़ज़्ल व रहमत के नतीजे में बारिश हुई उसकी तरफ़ निस्बत न करने और ज़ाहिरी अलामत की तरफ़ मन्सूब करने की बिना पर नाशुक्री और नासपासी का मुर्तकिब होगा और उसका क़ौल काफ़िरों के क़ौल के मुशाबेह होगा।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي

(232) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया? उसने फ़रमाया, 'जो नेमत भी मैं बन्दों को देता हूँ तो एक गिरोह उसकी नाशुक्री करता है कहता है

यूनुस، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ . يَقُولُونَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ " .

गो फ़लाँ सितारे या सितारों से हासिल हुई है।''

(नसाई : 3/165)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا " وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيِّ " بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا " .

(233) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह से बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब अल्लाह तआला आसमान से बरकत (बारिश) उतारता है तो लोगों का एक गिरोह, उस के बाइस नाशुक्री करता है, बारिश अल्लाह तआला उतारता है, तो लोग कहते हैं, फ़लाँ-फ़लाँ सितारा' और मुरादी की रिवायत में है 'फ़लाँ-फ़लाँ सितारे के बाइस हुई है।'

وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ

(234) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के दौर में लोगों पर बारिश बरसी, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कुछ लोग शुक्रगुज़ार बने और कुछ नाशुक्रे। कुछ ने कहा, ये अल्लाह की रहमत और कुछ ने कहा, फ़लाँ नौअ और फ़लाँ नौअ का काम है।' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, इस पर ये आयत उतरी, 'मुझे सितारों के गिरने की क़सम!' से लेकर 'तुम्हारा हिस्सा और नसीब यही है कि तुम

نَوْءُ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ } فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ{ حَتَّى بَلَغَ { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ{

झुठलाते हो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : रिज़्क़ का मानी : कुछ ने हिस्सा व नसीब कुछ ने शुक्र किया है और कुछ ने मुज़ाफ़ महज़ूफ़ माना, यानी शुक्रु रिज़्क़िकुम।

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ وَبُغْضَهُمْ مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ

बाब 33 : अन्सार और हज़रत अ़ली (रज़ि.) की मुहब्बत ईमान का हिस्सा और अ़लामत है और उनसे बुग़ज़ व नफ़रत निफ़ाक़ की अ़लामत में से है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الأَنْصَارِ " .

(235) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुनाफ़िक़ की निशानी अन्सार से बुग़ज़ है और मोमिन की अ़लामत अन्सार की मुहब्बत है।'

(सहीह बुख़ारी : 17,3573, नसाई : 8/116, 962)

फ़ायदा : जो इंसान अन्सार की इस हैसियत और मक़ाम व मर्तबे को पहचान लेता है कि उन्होंने दीने इस्लाम की नुसरत व हिमायत की, उसके ग़ल्बे व इशाअ़त की सई व कोशिश की, मुसलमानों को जगह और पनाह दी, दीने इस्लाम की मुहिम्मात की सर अन्जामदेही में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नबी (ﷺ) से मुहब्बत की और आपको उनसे मुहब्बत व प्यार था। अपने जान व माल को बेदरेग़ ख़र्च किया, इस्लाम की ख़ातिर तमाम लोगों से दुश्मनी मौल ली और उनसे जंगें लड़ीं, फिर उन बातों की बिना पर उनसे बुग़ज़ व नफ़रत का इज़हार करता है तो ये चीज़ यक़ीनन कुफ़्र व निफ़ाक़ है और अगर किसी ज़ाती वजह से जो एक जगह रहने वालों में पैदा हो सकती है या किसी इज्तिहाद और सियासी मसले में इख़्तिलाफ़ की वजह से रंजिश व नफ़रत पैदा हुई है जैसाकि कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) के आपस में

इख़्तिलाफ़ थे या आपकी वफ़ात के बाद मुहाजिरीन व अन्सार में ख़लीफ़ा चुनने के मसले पर नाराज़ी पैदा हुई तो इस क़िस्म का इख़्तिलाफ़ निफ़ाक़ की अलामत नहीं है। गोया अन्सार से बतौरे दीन के मुआविन व मददगार होने के सबब नफ़रत व बुग़्ज़ है तो निफ़ाक़ की अलामत है।

(236) हज़रत अनस (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अन्सार से मुहब्बत ईमान की अलामत है और उनसे बुग़्ज़ निफ़ाक़ की निशानी है।'

(नसाई : 3/165)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ " .

(237) हज़रत बराअ (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने अन्सार के बारे में फ़रमाया, 'उनसे सिर्फ़ मोमिन मुहब्बत करेगा और उनसे सिर्फ़ मुनाफ़िक़ बुग़्ज़ रखेगा, जो उनसे मुहब्बत करे अल्लाह उससे मुहब्बत करे और जो उनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखे।' शोबा ने अदी से पूछा, क्या तूने ये रिवायत बराअ (रज़ि.) से सुनी? तो उसने जवाब दिया, उन्होंने मुझे ही सुनाई थी।

(सहीह बुख़ारी : 3572, तिर्मिज़ी : 3899, इब्ने माजह : 163)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَنْصَارِ " لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ " . قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ إِيَّاىَ حَدَّثَ .

(238) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो आदमी अल्लाह तआला और क़यामत पर ईमान रखता है वो अन्सार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ " .

(239) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई शख़्स जो अल्लाह तआला और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है अन्सार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा।'

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ " .

(240) हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, 'उस ज़ात की क़सम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे तल्क़ीन व ताकीद की थी कि मुझसे सिर्फ़ मोमिन मुहब्बत करेगा और मुझसे सिर्फ़ मुनाफ़िक़ बुग़्ज़ रखेगा।'

(तिर्मिज़ी : 21, 3736, नसाई : 8/116, 8/117, इब्ने माजह : 114)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إِلَىَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ .

फ़ायदा : एक इंसान हज़रत अली (रज़ि.) की हैसियत जानकर कि वो नबी (ﷺ) के चाचाज़ाद और दामाद थे। नबी (ﷺ) को उनसे मुहब्बत थी, आपने बचपन में उनकी तर्बियत की और वो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं, उन्होंने इस्लाम की ख़ातिर अपना सब कुछ क़ुर्बान किया, तो फिर नफ़रत व बुग़्ज़ रखता है, तो ये इस बात की सरीह दलील है कि उसको इस्लाम और रसूलुल्लाह (ﷺ) से बुग़्ज़ है और उसको इस्लाम का ग़ल्बा और इशाअत पसंद नहीं है। अगर वो ऊपर बयान शुदा वुजूहात के सबब मुहब्बत व अक़ीदत के जज़्बात रखता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसको इस्लाम, रसूलुल्लाह और इस्लाम के ग़ल्बे से मुहब्बत है और ये चीज़ें उसके लिये मसर्रत अंगेज़ हैं। इसलिये वो मोमिन है लेकिन अगर किसी ज़ाती, सियासी और ख़ानगी वजह से बुग़्ज़ व इख़्तिलाफ़ है जैसाकि कई बार फ़ातिमा (रज़ि.) अली और शैख़ैन, अली और दूसरे सहाबा (रज़ि.) में इख़्तिलाफ़ और नाराज़ी पैदा हुई तो ये चीज़ ईमान के मुनाफ़ी नहीं है।

बाब 34 : ताआत में कमी से ईमान का कम होना और कुफ़्र बिल्लाह के सिवा नेमत व हुक़ूक़ के कुफ़रान (नाशुक्री) को कुफ़्र से ताबीर करना

باب بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ وَبَيَانِ إِطْلاَقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ كَكُفْرِ النِّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

(241) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ औरतों की जमाअ़त! तुम सदक़ा किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करो क्योंकि मैंने तुम्हारी कसीर तादाद को दोज़ख़ में देखा है।' उनमें से एक अ़क़्लमन्द औरत ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी अक्सरियत दोज़ख़ में क्यों है? आपने फ़रमाया, 'तुम लानत बहुत भेजती हो और ख़ाविन्द की नाशुक्री करती हो, मैंने अ़क़्ल व दीन में कम होने के बावजूद, दाना व अ़क़्लमन्द शख़्स को मग़्लूब कर लेने वाली तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा।' उसने पूछा, अ़क़्ल व दीन में कमी क्या है? आपने फ़रमाया, 'अ़क़्ल में कमी ये है कि दो औरतों की शहादत, एक मर्द के बराबर है तो ये अ़क़्ल की कमी हुई और वो कई रातें (दिन) नमाज़ नहीं पढ़ सकती (माहवारी की वजह से) और रमज़ान में न रोज़ा रख सकती है तो ये दीन व इताअ़त की कमी है।'

(अबू दाऊद : 3680, इब्ने माजह : 4003)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ " . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . قَالَ " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मअ़शर : गिरोह या जमाअ़त। **(2) जज़िलह :** साहिबे अ़क़्ल व फ़िक्र, जज़ालत अ़क़्ल व वक़ार को कहते हैं। **लानत :** दूर करना, निकाल देना, मक़सद रहमते इलाही से दूर क़रार देना। **(3) लुब्ब :** कमाले अ़क़्ल, ख़ालिस अ़क़्ल।

फ़वाइद : (1) सदक़ा व ख़ैरात करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना एक इन्तिहाई पसन्दीदा काम है जो गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनता है किसी पर बिला वजह लानत भेजना और शौहर की एहसान फ़रामोशी बहुत बड़ा जुर्म है, जो दोज़ख़ में ले जाने का बाइस़ बन सकता है। (2) क़ुरआन मजीद ने औरत की शहादत को मर्द के मुक़ाबले में कम दर्जा दिया है। क्योंकि इस्लाम उमूमी तौर पर औरतों की ख़ानगी और घरेलू कामों तक महदूद रखना चाहता है वो उन्हें चिराग़ेख़ाना बनाता है, शमअे महफ़िल नहीं। इसलिये अगर मर्द दस्तियाब न हों तो फिर उनको गवाह बनाने की इजाज़त दी गई है और फिर एक मर्द को साथ रखा गया है। क्योंकि आम तौर पर औरतों में हिफ़्ज़ व ज़ब्त (याद्दाश्त) कम होता है जिसकी तरफ़ क़ुरआन ने 'कि एक के भूल जाने पर दूसरी याद दिला सके' में इशारा किया है। नीज़ शहादत का ताल्लुक़ अदालत से है और मुद्दआ अ़लैह के ख़िलाफ़, अदालत में दूसरों के सामने गवाही देना बड़ी जुरअत व जसारत और हौसला व हिम्मत का काम है और औरत के अंदर इस क़द्र हौसला, जुरअत व इस्तिक़लाल व पामर्दी नहीं है जिसकी ऐसे मौक़े पर ज़रूरत है। इसलिये शरीअ़त मजबूरी की हालत में उसको गवाह बनाने की इजाज़त देती है और उसके हौसले व हिम्मत को बुलंद रखने की ख़ातिर उसके साथ एक दूसरी औरत और मर्द को भी खड़ा करती है। इसलिये वस्तश्हिदू शहीदैनि मिर्रिजालिकुम का हुक्म दिया और ज़रूरत व मजबूरी की सूरत में फ़रमाया, फ़इल्लम यकूना रजुलैनि अगर दो मर्द मुयस्सर न हों फिर फ़रजुलुंव्-वम्रअतानि एक मर्द और दो औरतें हों और ये मसला इख़्तियारी शहादत का है। हंगामी, नागहानी या इज़्तिरारी वाक़ियात में जहाँ सिर्फ़ औरतें ही हों या सिर्फ़ काफ़िर लोग मौजूद हों, उससे इसका ताल्लुक़ नहीं है। औरतों में अ़क़्ल की कमी वाक़ियात व शवाहिद की रू से एक मुसल्लमा अम्र है। उसके बावजूद वो अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों और आँसूओं के ज़ोर पर मर्द को उमूमन अपने पीछे लगा लेती हैं और वो उनकी बात तस्लीम करते हैं और नुक़सान उठाते हैं। (3) औरतों के दीन में कमी का मतलब, उनका इताअ़त व बन्दगी में पीछे रह जाना है क्योंकि दीन, इताअ़त व फरमांबरदारी का नाम है, औरत तबई तौर पर कई इबादतें अदा नहीं कर सकती और इबादात ही ताअ़त की रूह और जान हैं। अगर वो उन इबादतों की निय्यत भी कर लें कि अगर हमें इजाज़त होती तो हम ये इबादतें अदा करतीं तो निय्यत और अ़मल में बहुत बड़ा फ़र्क़ है और माहवारी में कमज़ोरी और मिज़ाज की तब्दीली की वजह से अ़मलन ये मुम्किन भी नहीं है। (4) शरअ़न कुफ़्र का इतलाक़ कुफ़राने नेमत व हुक़ूक़ यानी एहसान फ़रामोशी और नाशुक्री पर भी हो जाता है जो ऐतक़ादी कुफ़्र नहीं है जो इंसान को दीन से ख़ारिज कर देता है बल्कि अ़मली व अख़्लाक़ी कुफ़्र है जिससे इंसान दीन से नहीं निकलता।

(242) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

(अबू दाऊद : 3680, इब्ने माजह : 4003)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(243) इमाम साहब एक सनद से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) और एक दूसरी सनद से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत के हममानी रिवायत नक़ल करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 298, 913, 1393, 1850, 2515, 2050, नसाई : 3/187, 3/188, इब्ने माजह : 1288)

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حوحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

बाब 35 : जो शख़्स नमाज़ छोड़ दे उसको काफ़िर कहना

باب بَيَانِ إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

(244) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब इब्ने आदम (इंसान) सज्दे की आयत तिलावत करके सज्दा करता है, शैतान रोते हुए वहाँ से हट जाता है और कहता है, हाय इसकी हलाकत।' और अबू कुरैब की रिवायत में है, 'हाय मेरी तबाही! इब्ने आदम को सज्दे का हुक्म मिला तो वो सज्दा करके जन्नत का मुस्तहिक़ ठहरा और मुझे सज्दे का हुक्म मिला तो मैं इंकार करके दोज़ख़ का हक़दार ठहरा।'

(इब्ने माजह : 1052)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ " .

फ़ायदा : सज्दे की आयत नमाज़ या नमाज़ के अलावा पढ़ने पर जब बन्दा सज्दा करता है तो उस वक़्त शैतान ये कहता है और हदीस़ और बाब के दरम्यान मुताबिक़त है इस तरह शैतान एक सज्दे के इंकार से दोज़ख़ का हक़दार ठहरा और दोज़ख़ का हक़दार काफ़िर ही है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : वैल : शर का शिकार होना, तबाही व बर्बादी।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ " .

(245) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत बयान करते हैं। इतना फ़र्क़ है कि उसमें अबैतु की बजाय अ़सैतु (मैंने नाफ़रमानी की) इसलिये मेरे लिये आग है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ " .

(246) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'इंसान को शिर्क व कुफ़्र से जोड़ने वाली चीज़ नमाज़ छोड़ना है।'

(तिर्मिज़ी : 2618)

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .

(247) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'आदमी को शिर्क व कुफ़्र से जोड़ने वाली चीज़ नमाज़ को छोड़ना है।'

(नसाई : 1/232)

फ़ायदा : इस हदीस़ से इस्लाम के अंदर नमाज़ का मक़ाम व मर्तबा और अहमियत वाज़ेह होती है। इस हदीस़ की बिना पर इमाम अहमद, अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक और इब्ने राहवे वग़ैरह अइम्मा नमाज़ छोड़ने को कुफ़्र क़रार देते हैं। अगर कोई इंसान नमाज़ की फ़रज़िय्यत का इंकार करते हुए नमाज़ छोड़ता है तो वो बिल्इत्तिफ़ाक़ काफ़िर है और इस्लाम से ख़ारिज है। लेकिन फ़र्ज़ तस्लीम करते हुए सुस्ती व काहिली और बद अ़मली की बिना पर अगर नमाज़ छोड़ देता है तो फिर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और

अक्सर सलफ़ व ख़लफ़ के नज़दीक वो फ़ासिक़ होगा और उससे तौबा कराई जायेगी। अगर वो तौबा करके नमाज़ पढ़ने का अहद करे तो उसको छोड़ दिया जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा और कुछ अहले कूफ़ा के नज़दीक उसे जेल में डाला जायेगा और जब तक तौबा करके नमाज़ पढ़ने का अहद नहीं करेगा उसे क़ैद से नहीं निकाला जायेगा। मौलाना शब्बीर अहमद उ़समानी के बक़ौल अहनाफ़ के नज़दीक उसको क़ैद किया जायेगा और सख़्त मारा जायेगा। यहाँ तक कि बदन से ख़ून निकलने लगे, उसको भूखा-प्यासा रखा जायेगा और हर क़िस्म की सज़ायें और तकलीफ़ें दी जायेंगी। यहाँ तक कि मर जाये या तौबा करे। (फ़ज़्लुल बारी : 1/388) अइम्म-ए-दीन की इस सराहत के बावजूद उम्मते मुस्लिमा का नमाज़ के बारे में जो रवैया है वो किसी से छिपा नहीं है। (शरह सहीह मुस्लिम : 1/61)

باب بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ

बाब 36 : अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाना सब कामों से अफ़ज़ल काम है

وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ " . وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " .

(248) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया सबसे अफ़ज़ल अ़मल कौनसा है? आपने फ़रमाया, 'ईमान बिल्लाह।' पूछा गया, फिर उसके बाद कौनसा? आपने फ़रमाया, 'जिहाद (अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना)।' पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'हज्जे मक़बूल।' और मुहम्मद बिन जाफ़र की रिवायत में है 'अल्लाह व रसूल पर ईमान लाना।'

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(249) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरी सनद से बयान करते हैं।

(नसाई : 5/113, 6/19)

फ़ायदा : सिर्फ़ इस रिवायत में सराहतन ईमान बिल्लाह को अफ़ज़ल क़रार दिया गया है। बाद वाली रिवायत में दूसरे आ़माल को अफ़ज़ल क़रार दिया गया है लेकिन वो सब आ़माल वही शख़्स बजा

लायेगा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है जिसका अल्लाह तआ़ला पर ईमान नहीं है उन आ़माल को सर अन्जाम नहीं देगा। गोया ईमान बिल्लाह और ये आ़माल लाज़िम-मल्ज़ूम हैं।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ " . قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ " تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ " .

(250) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह के साथ ईमान और उसकी राह में जिहाद करना।' फिर मैंने पूछा, कौनसी गर्दन (आज़ाद करना) अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया, 'मालिकों को पसन्दीदा और क़ीमत में ज़्यादा।' मैंने पूछा, 'अगर ये काम मैं न कर सकूँ? आपने फ़रमाया, 'माहिर कारीगर की मदद करो और अनाड़ी का काम कर दो।' मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं कोई काम न कर सकूँ? आपने फ़रमाया, 'लोगों से अपने शर (बुराई) को रोक लो (उनको तकलीफ़ न पहुँचाओ) ये भी तेरा अपने ऊपर सदक़ा है।'

(सहीह बुख़ारी : 2382, नसाई : 6/19, इब्ने माजह: 2523)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हज्जे मबरूर : जिसमें किसी गुनाह की मिलावट न हो। सहीह तरीक़े से अदा किया गया हो, इसलिये अल्लाह के यहाँ मक़बूल हो। **(2) अन्फ़स :** बहुत उ़म्दा और नफ़ीस होने की बिना पर मरग़ूब और पसन्दीदा। **(3) सानिअ़ :** किसी काम में महारत रखने वाला, कारीगर। **(4) अख़रक़ :** अनाड़ी, जिसे किसी काम का सलीक़ा न हो, फूहड़।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

(251) इमाम साहब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, फ़र्क़ ये है कि उसमें 'फ़तुईनुस्सानिअ़ औ तस्नअ़ लिअख़रक़ के अल्फ़ाज़ हैं (ऊपर की रिवायत में तुईनु सानिअ़न था)।

(तिर्मिज़ी : 2618)

الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَتُعِينُ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ " الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ .

(252) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ अपने वक़्त पर।' मैंने पूछा, उसके बाद कौनसा? फ़रमाया, 'वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक।' मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में जिहाद।' मैंने आपकी रिआ़यत व लिहाज़ की ख़ातिर मज़ीद सवालात न किये (कि आप पर गिराँ न गुज़रे)।

(सहीह बुख़ारी : 2630, 5625, 7096, तिर्मिज़ी : 173, नसाई : 1/292)

मुफ़रदातुल हदीस़ : इरआ़अन् : रिआ़यत व लिहाज़, किसी के साथ नर्मी और रुख़सत इख़्तियार करना।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ " الصَّلاَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا " . قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " . قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(253) अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, कौनसा अ़मल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने वक़्त पर नमाज़।' मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'फिर वालिदैन के साथ एहसान से पेश आना।' मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'फिर अल्लाह की राह में जिहाद।'

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

(254) अबू अम्र शैबानी बयान करते हैं, मुझे इस घर के मालिक ने बताया और अब्दुल्लाह के घर की तरफ़ इशारा किया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, कौनसा अमल अल्लाह तआला को ज़्यादा महबूब है? फ़रमाया, 'अपने वक़्त पर नमाज़ पढ़ना।' मैंने कहा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'फिर वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना।' मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'फिर अल्लाह तआला की राह में जिहाद करना।' आपने ये बातें मुझे बताईं और अगर मैं और पूछता आप मुझे मज़ीद बता देते।

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ، هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ " الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا " . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي .

(255) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत बयान करते हैं। आख़िर में इतना इज़ाफ़ा किया अब्दुल्लाह (इब्ने मसऊद) के घर की तरफ़ इशारा किया, उनका नाम हमें नहीं बताया।

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَزَادَ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا .

(256) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आमाल में सबसे अफ़ज़ल या अफ़ज़ल अमल वक़्त पर नमाज़ पढ़ना और वालिदैन से हुस्ने सुलूक और नेकी करना है।'

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَفْضَلُ الأَعْمَالِ - أَوِ الْعَمَلِ - الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ " .

फ़ायदा : आपने अलग-अलग वक़्त और अलग-अलग मौक़े व महल की ज़रूरत व रिआयत और अलग-अलग लोगों के मिज़ाज और मस्लिहत की रिआयत रखते हुए अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जवाब दिये हैं। इसलिये इन अहादीस़ में तआरुज़ (टकराव) नहीं है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (1/41)166/42 में।

बाब 37 : शिर्क का तमाम गुनाहों से बदतर होना और उसके बाद बड़े गुनाह का बयान

باب كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَقَالَ، عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ " .

(257) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, अल्लाह के यहाँ सबसे संगीन गुनाह कौनसा है? आपने फ़रमाया, 'ये कि तुम अल्लाह का शरीक और मद्दे मुक़ाबिल किसी को ठहराओ हालांकि वो तुम्हारा ख़ालिक़ है।' मैंने अ़र्ज़ किया, क्या वाक़ेई ये संगीन है? मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'ये कि तुम इस डर से अपनी औलाद को क़त्ल करो कि वो तुम्हारे साथ खायेगी।' मैंने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'फिर ये कि अपने पड़ौसी की बीवी से ज़िना करो।'

(सहीह बुख़ारी : 4207, 4483, 5655, 6426, 6468, 7082, 7094, अबू दाऊद : 2310, तिर्मिज़ी : 3182, नसाई : 7/89)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ " أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ

(258) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा गुनाह अल्लाह के यहाँ बड़ा है? फ़रमाया, 'ये कि तुम किसी को अल्लाह के बराबर क़रार दो, हालांकि उसने तुझे पैदा किया है।' उसने पूछा, फिर कौनसा? फ़रमाया, 'ये कि तुम अपनी औलाद को इस अन्देशे से क़त्ल करो कि वो तुम्हारे साथ खायेगी।' उसने पूछा, फिर कौनसा? आपने फ़रमाया, 'ये कि तुम

خَلَقَكَ " . قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " . قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ " فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}

अपने पड़ौसी की बीवी से ज़िना करो।' अल्लाह तआला ने आपके जवाब की तस्दीक़ में उतारा, 'जो अल्लाह तआला के साथ किसी को इलाह क़रार नहीं देते और अल्लाह ने जिस जान को मोहतरम ठहराया है (उसके क़त्ल को हराम क़रार दिया है) उसको नाहक़ क़त्ल नहीं करते और न वो ज़िना करते हैं और जो इन का इर्तिकाब करेगा वो गुनाह (की सज़ा) से दोचार होगा।' (सूरह फ़ुरक़ान : 68)

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) निद्द : नज़ीर व मस़ील, बराबर की चोट का। **(2) हलीलह :** बीवी क्योंकि वो ख़ाविन्द के साथ ठहरती है और उसके लिये हलाल है।

फ़ायदा : किसी दुनियवी सबब से वो फ़क़्रो-फ़ाक़ा हो या उसका अन्देशा व ख़तरा औलाद की पैदाइश को रोकना, शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म है। जिसका ग़ैर मुस्लिमों की साज़िश का शिकार होकर मुसलमान हुकूमतें और अफ़राद इर्तिकाब कर रहे हैं। (यानी ज़ब्ते विलादत के लिये ग़ैर मुस्लिम फण्ड वग़ैरह के साथ तआवुन करते हैं जबकि अपने ममालिक में ज़्यादा विलादतों पर टैक्स माफ़ करते हैं और इंसान अपने पड़ौसी की इज़्ज़त व नामूस का मुहाफ़िज़ (रक्षक) है। अगर वही उसकी इज़्ज़त पर डाका डालने लगे या उसको ग़लत राह पर डालने की कोशिश करे तो ये तो बाड़ खेत को खाने लगी वाला मामला है इसलिये उसको इन्तिहाई नागवार और संगीन जुर्म क़रार दिया गया है।

باب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

बाब 38 : कबीरा गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह का बयान

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ

(259) अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरह अपने बाप से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे, तो आप (ﷺ) ने तीन बार फ़रमाया, 'क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह की ख़बर न दूँ? अल्लाह

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ - ثَلاَثًا - الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ " . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

तआला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, झूठी शहादत देना, झूठी बात करना।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) टेक लगाकर बैठे हुए थे तो आप सीधे होकर बैठ गये और आख़िरी बात को मुसलसल दोहराते रहे यहाँ तक कि हमने (जी में) कहा, ऐ काश! आप ख़ामोश हो जायें (आपका जोश ठण्डा हो जाये और आपको तकरार से तकलीफ़ न हो)।'

(सहीह बुख़ारी : 2511, 5631, 5918, 6521, तिर्मिज़ी : 1901, 2299, 3019)

फ़ायदा : अल्लाह तआला की मुख़ालिफ़त मअसियत के ऐतबार से हर गुनाह बड़ा है। लेकिन गुनाहों की आपसी निस्बत के ऐतबार से तमाम गुनाह बराबर नहीं हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों की सज़ा है या उनका गुनाह व जुर्म संगीन है या उनका नुक़सान और असरे बद ज़्यादा है वो बड़े होंगे जिनकी सज़ा, संगीनी या नुक़सान और बद असरात या दायरे असर महदूद है वो छोटे होंगे।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَبَائِرِ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ " .

(260) हज़रत अनस (रज़ि.) कबाइर के बारे में बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, किसी जान को (नाहक़) क़त्ल करना और झूठ बोलना (बड़ा कबीरा गुनाह है।)।'(सहीह बुख़ारी : 2510, 5632, 6477, तिर्मिज़ी : 1207, 3018, नसाई : 7/88, 7/63)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) उक़ूक़ : अ़क़ से माख़ूज़ है, जिसका मानी काटना, वालिदैन की इताअ़त के हक़ को ख़त्म करना। **(2) ज़ूर :** झूठ, नाहक़ बात।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ

(261) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बड़े गुनाहों का तज़्किरा फ़रमाया (या आपसे बड़े गुनाहों के बारे में सवाल हुआ) तो आपने फ़रमाया, 'अल्लाह के

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَبَائِرَ - أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ - فَقَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " . وَقَالَ " أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ " . قَالَ " قَوْلُ الزُّورِ " . أَوْ قَالَ " شَهَادَةُ الزُّورِ " . قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ .

साथ शिर्क करना, किसी को नाहक़ क़त्ल करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना' और फ़रमाया, 'क्या मैं कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाह की तुम्हें ख़बर न दूँ?' फ़रमाया, 'झूठ बोलना (या फ़रमाया झूठी गवाही देना)।' शोबा का क़ौल है मेरा ज़न्ने ग़ालिब ये है कि आपने झूठी शहादत कहा।

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

फ़ायदा : मौक़ा महल की मुनासिबत से आपने यहाँ शिर्क बिल्लाह की बजाय, झूठी शहादत को अकबरुल कबाइर क़रार दिया है क्योंकि झूठी शहादत से रोकना और उससे डराना मक़सूद था और शिर्क भी दरहक़ीक़त एक झूठी शहादत और झूठा बोल है। अल्लाह तआला के मक़ाम व मर्तबे को नज़र अन्दाज़ करके ये बुरी हरकत की जाती है और उसकी मख़्लूक़ को उसका शरीक व हमसर क़रार दिया जाता है।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ " .

(262) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सात तबाहकुन चीज़ों से बचो।' सवाल हुआ, वो कौनसी हैं? फ़रमाया, 'अल्लाह के साथ शिर्क, जादू, जिसने जान के क़त्ल को अल्लाह ने हराम ठहराया उसका नाजाइज़ क़त्ल, यतीम का माल खाना, सूद खाना, लड़ाई के दिन दुश्मन को पुश्त दिखाना (भाग जाना) और पाक दामन बेख़बर मोमिन औरतों पर इल्ज़ाम तराशी करना।'

(सहीह बुख़ारी : 2615, 5431, 6465, अबू दाऊद : 2874, नसाई : 6/257)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्मूबिक़ात : वबक़ : से माख़ूज़ है जिसका मानी हलाकत व बर्बादी है, लिहाज़ा मूबिक़ा का मानी हुआ तबाह करने वाली। **(2) तवल्ला :** ऐराज़ व इन्हिराफ़, पीठ फेरना।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ " .

(263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आदमी का वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है।' आप (ﷺ) से सवाल हुआ, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या कोई आदमी अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? फ़रमाया, 'हाँ! किसी के बाप को गाली देता है, तो वो उसके बाप को गाली देता है। किसी की माँ को गाली देता है तो वो उसकी माँ को गाली देता है।'

(सहीह बुख़ारी : 5628, अबू दाऊद : 5142, तिर्मिज़ी : 1902)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(264) इमाम साहब एक दूसरी सनद से यही रिवायत नक़ल करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 2511, 5631, 5918, 6521, तिर्मिज़ी : 1901, 2299, 3019)

फ़ायदा : किसी काम और अमल का सबब और बाइस़ बनने वाला भी उसका मुर्तकिब तसव्वुर होता है। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि आज माँ, बाप को गाली बिला वास्ता दी जाती है और इसको ताज्जुब अंगेज़ ख़याल नहीं किया जाता, जबकि इस्लामी मुआशरे में बिल्वास्ता गाली देना भी एक इन्तिहाई मअयूब काम है जिसका इर्तिकाब किसी मुसलमान को ज़ैब नहीं देता।

बाब 39 : तकब्बुर (ख़ुद पसन्दी) की हुरमत का बयान

باب تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ " .

(265) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।' एक शख़्स ने पूछा, आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसके जूते अच्छे हों। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह जमील (ख़ूबसूरत) है और जमाल (ख़ूबसूरती) को पसंद फ़रमाता है। किब्र (ख़ुद पसन्दी) हक़ के इंकार और लोगों को हक़ीर समझने का नाम है।'

(तिर्मिज़ी : 1999)

फ़ायदा : किब्रियाई और बड़ाई ख़ालिक़े कायनात के लिये ज़ैबा है किसी इंसान के लिये रवा नहीं। क्योंकि इंसान महकूम और पाबंद है, आज़ाद और ख़ुद मुख़्तार नहीं है। (यानी दीन से आज़ाद और इस्लाम से बालातर नहीं) लेकिन रहन-सहन, लिबास और इस्तेमाल की चीज़ों में अपनी हैसियत के मुताबिक़ हलाल कमाई से, आ़ला मेअ़यार इख़्तियार करना, साफ़-सुथरा रहना, ये ख़ुद पसन्दी नहीं है। ख़ुद पसन्दी और तकब्बुर ये है कि 'इंसान हमीं मा दीगरे नीस्त' (मेरे सामने किसी की बिसात नहीं) 'अना ख़ैरुम्मिन्हु' का शिकार होकर आज़ादी व ख़ुद मुख़्तार का इज़हार करते हुए हक़ का इंकार करे। किसी को अपने हमपल्ला न समझे बल्कि लोगों को हक़ीर व ज़लील तसव्वुर करे। इस बद ख़स्लत की ख़ासियत और तासीर यही है कि ऐसा आदमी दोज़ख़ में जाये। क्योंकि वो किसी के हक़ को तस्लीम ही नहीं करता तो वो अल्लाह तआ़ला की बन्दगी और इबादत कैसे करेगा कि जन्नत में जा सके।

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، - قَالَ

(266) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर

مِنْجَابُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ

ईमान है आग में दाख़िल नहीं होगा और न कोई ऐसा इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर किब्र है जन्नत में दाख़िल होगा।'

(अबू दाऊद : 4091, तिर्मिज़ी : 1998, इब्ने माजह : 9421)

फ़ायदा : ईमान की ख़ासियत और तासीर जन्नत में दुख़ूल है और तकब्बुर व घमण्ड का ख़ास्सा आग है। इसलिये जब ये बेआमेज़ हों, यानी ख़ालिस (शुद्ध) हों, किसी मुख़ालिफ़त व मुतज़ाद चीज़ का इनमें मिलावट हो तो इनका ख़ास्सा किसी रुकावट के बग़ैर ज़ाहिर होगा। लेकिन अगर ईमान और किब्र की आमेज़िश हो जाये तो उनका ज़ाती तक़ाज़ा पूरी तरह ज़ाहिर नहीं होगा, ईमान वाला हमेशा दोज़ख़ में नहीं रहेगा ओर ग़ुरूर व तकब्बुर की बिना पर फ़ौरी तौर पर जन्नत में नहीं जायेगा। तकब्बुर की आमेज़िश की बिना पर दोज़ख़ में से होकर जन्नत में दाख़िल होगा।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " .

(267) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐसा शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर किब्र होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1447, नसाई : 8/93-94)

باب مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

बाब 40 : जो शख़्स इस हालत में मरा कि उसने अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराया वो जन्नत में दाख़िल होगा और अगर शिर्क करता हुआ मरा तो आग में दाख़िल होगा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ وَكِيعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(268) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे, 'जो शख़्स अल्लाह के साथ शिर्क करता

وسلم وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " . وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

हुआ मरा वो दोज़ख़ी है।' और मैंने कहा, जो अल्लाह के साथ शिर्क न करता हुआ (तौहीद पर) मरा वो जन्नत में दाख़िल होगा।

(सहीह बुख़ारी : 1181, 4227, 6305)

फ़ायदा : तौहीद पूरे दीन का निचोड़, रूह और मग़ज़ है। दूसरे अल्फ़ाज़ में पूरे दीन का उन्वान है। क्योंकि तौहीद ये है कि अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात व असमा, अफ़आल और उसके हुक़ूक़ में किसी को शरीक न ठहराया जाये और इस तौहीद का इक़रार करने वाला, शऊरी तौर पर दीन व शरीअत की ज़िन्दगी के किसी गोशे में मुख़ालिफ़त नहीं कर सकता। इसलिये वो सीधा जन्नत में दाख़िल होगा। इसके मुक़ाबले में शिर्क ये है कि अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात व असमा या अफ़आल या उसके हुक़ूक़ में किसी को शरीक ठहराया जाये और उनमें से शिर्क की किसी जुज़ का मुर्तकिब सीधा जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। हाँ अगर उसमें तौहीद का कोई जुज़ होगा तो उसकी बिना पर वो किसी न किसी वक़्त सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में दाख़िल हो सकेगा। इस क़िस्म की हदीसों में तौहीदे हक़ीक़ी और शिर्के असली के नतीजे बयान किये गये हैं। जिनमें एक-दूसरे का इख़्तिलात नहीं है क्योंकि मुफ़रदात के ख़वास, किसी दूसरी चीज़ के साथ मुरक्कब होने से बदल जाते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ " مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " .

(269) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत और दोज़ख़ को वाजिब ठहराने वाली दो सिफ़ात कौनसी हैं? तो आपने जवाब दिया, 'जो शिर्क न करता हुआ मरा वो जन्नत में दाख़िल होगा और जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराते हुए मरा वो दोज़ख़ में दाख़िल होगा।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا

(270) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जो कोई अल्लाह को इस हालत में मिला कि वो उसके साथ किसी चीज़

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ "

को शरीक नहीं ठहराता था, वो जन्नत में दाख़िल होगा और जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराता हुआ मिला वो आग में दाख़िल होगा।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ .

(271) इमाम साहब मज़्कूरा रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ . قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " .

(272) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे पास जिब्रईल आये और मुझे बशारत दी कि आपकी उम्मत का जो फ़र्द इस हालत में मरेगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा, वो जन्नत में दाख़िल होगा।' मैंने पूछा, 'अगरचे उसने ज़िना और चोरी का इर्तिकाब किया हो? आपने जवाब दिया, 'अगरचे उसने ज़िना और चोरी की हो।'

(सहीह बुख़ारी : 1180, 7049)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ

(273) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में इस हाल में हाज़िर हुआ कि आप सोये हुए थे। आप पर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ था। फिर मैं दोबारा हाज़िरे ख़िदमत हुआ तो आप फिर भी सोये हुए थे। फिर मैं (तीसरी बार) आया तो आप बेदार हो चुके थे। तो मैं आपके पास बैठ गया। इस पर

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " . ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ " عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ " قَالَ فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ .

आपने फ़रमाया, 'जिस बन्दे ने भी ला इला-ह इल्लल्लाह कहा फिर उसी पर मरा, वो जन्नत में दाख़िल होगा।' मैंने पूछा, अगरचे उसने ज़िना और चोरी की हो। आपने जवाब दिया, 'अगरचे वो ज़िना और चोरी करे।' मैंने तीन बार कहा (आपने तीनों बार यही जवाब दिया) फिर आपने चौथी बार फ़रमाया, 'अबू ज़र की नाक ख़ाक आलूद की सूरत में भी।' (यानी उसकी ख़्वाहिश और राय के बरख़िलाफ़) तो अबू ज़र आपकी मज्लिस से ये कहते हुए निकले, 'अगरचे अबू ज़र की नाक ख़ाक आलूद हो।'

(सहीह बुख़ारी : 5489)

मुफ़रदातुल हदीस़ : आला रग़्मि अन्फ़ि : रग़िम, रग़ाम : मिट्टी, ख़ाक से माख़ूज़ है जिसका ज़ाहिरी मानी उसकी नाक ख़ाक आलूद हो वो ज़िल्लत व रुस्वाई से दोचार हो। लेकिन ये अरबी मुहावरा है जिससे बद्दुआ देना मक़सूद नहीं होता, सिर्फ़ ये मक़सद होता है कि उसकी ख़्वाहिश के बरख़िलाफ़ ये काम होकर रहेगा।

फ़वाइद : (1) ला इला-ह इल्लल्लाह तौहीद से किनाया है और तौहीद जैसाकि हम बयान कर आये हैं कि पूरे दीन का उन्वान है। यानी दीने इस्लाम पर ईमान लाना और इसकी पाबंदी करना, ज़ाहिर है जो इंसान दीने कामिल की पाबंदी करेगा, इसके किसी हुक्म की मुख़ालिफ़त नहीं करेगा, तो वो सीधा जन्नत में जायेगा। अगर उसने तौहीद के इक़रार के बावजूद गुनाह भी किये होंगे तो अगर वो अपने दूसरे आमाले हसना की बिना पर माफ़ी का मुस्तहिक़ होगा तो अल्लाह तआला उसके गुनाह माफ़ करके बग़ैर किसी अज़ाब के उसको जन्नत में दाख़िल कर देगा और अगर वो माफ़ी का हक़दार नहीं होगा तो गुनाहों की सज़ा पाने के बाद जन्नत में जा सकेगा और इसकी वजह हम ऊपर बयान कर आये हैं। (1/40/150/92) **(2)** हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने अपना सवाल बार-बार दोहराया, क्योंकि वो ज़िना और चोरी को इन्तिहाई नापाक गुनाह तसव्वुर करते थे। इस वजह से उन्हें ताज्जुब हुआ कि ऐसे नाज़ैबा और गन्दे गुनाह करने वाले भी जन्नत में जा सकेंगे। **(3)** इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हमेशा-हमेशा आग में नहीं रहेगा। जैसाकि ख़्वारिज और मुअतज़िला का नज़रिया है लेकिन इससे ये बात कशीद करना कि जन्नत में दाख़िले के लिये सिर्फ़ ला इला-ह इल्लल्लाह का इक़रार

ही काफ़ी है। नेक आमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं और न बद आमालियों का कोई नुक़सान है, जैसाकि मुरजिय्या का नज़रिया है, जो दुरुस्त नही है। कुरआन व सुन्नत की नुसूस के मानी की तशरीह व तौज़ीह के लिये ज़रूरी है कि इस मौज़ूअ के बारे में जितनी नुसूस मौजूद हों, सबको पेशे नज़र रखा जाये। वरना नुसूस में तआरुज़ पैदा होगा और उनका सहीह मानी भी समझ में नहीं आयेगा। इसलिये हम देखते हैं कि ख़्वारिज व मुअतज़िला ने एक क़िस्म की नुसूस को लेकर (जिनका ताल्लुक़ तरहीब व तख़्वीफ़ से था) कबीरा गुनाह के मुर्तकिब को हमेशा-हमेशा के लिये दोज़ख़ी क़रार दिया और मुरजिय्या ने दूसरी क़िस्म की नुसूस को लेकर (जिनका ताल्लुक़ तरग़ीब व तश्वीक़ और बशारत से था) गुनाहों को बेहैसियत क़रार दिया और कहा, सिर्फ़ ला इला-ह इल्लल्लाह कह देना जन्नत के दाख़िले के लिये काफ़ी है। इसी तरह दोनों गिरोह हक़ व सवाब की राह से दूर हट गये। अहले सुन्नत ने दोनों क़िस्म की नुसूस को जमा किया, जिससे तज़ाद भी ख़त्म हुआ और राहे हक़ व सवाब भी मिल गई।

बाब 41 : काफ़िर को ला इला-ह इल्लल्लाह कहने के बाद क़त्ल करना हराम है

باب تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

(274) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताइये अगर किसी काफ़िर आदमी से मेरा मुक़ाबला हो जाये और वो मुझसे लड़ पड़े और मेरा एक हाथ तलवार की ज़र्ब से काट दे, फिर मुझसे किसी दरख़्त की पनाह लेकर कहे, मैंने अपने आपको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया (मैं मुसलमान हो गया) तो ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये कलिमा कहने के बाद मैं उसको क़त्ल कर सकता हूँ? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं! तुम उसे क़त्ल नहीं कर सकते।' तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो मेरा एक हाथ काट चुका है, फिर उसने (मेरा हाथ) काटने के बाद ये कलिमा कहा है तो क्या मैं उसे

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، - وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا . ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلْهُ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ " .

क़त्ल कर दूँ? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे क़त्ल न करो, अगर तूने उसको क़त्ल कर दिया तो वो उस मक़ाम पर होगा जिस पर तुम उसको क़त्ल करने से पहले थे और तू उसकी जगह व मक़ाम पर होगा जिस पर वो कलिमे के कहने से पहले था।'
(सहीह बुख़ारी : 3794, 6472, अबू दाऊद : 2644)

मुफ़रदातुल हदीस़ : लाज़ : पनाह पकड़ना, बचाव इख़्तियार करना।

फ़ायदा : काफ़िर जब कलिम-ए-इस्लाम ज़बान से कह लेता है तो उसकी जान को हुरमत व तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है और उसको क़त्ल करना जाइज़ नहीं होता। अगर कोई मुसलमान उसको क़त्ल कर देगा तो उस मुसलमान की जान की हुरमत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जायेगा और उसको क़िसास में क़त्ल करना जाइज़ होगा।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا الأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . كَمَا قَالَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ . وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لأَقْتُلَهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(275) इमाम साहब मुख़्तलिफ़ असातिज़ा से यही रिवायत नक़ल करते हैं। एक रिवायत में अस्लम्तु लिल्लाह (मैं अल्लाह का मुतीअ़ हुआ) के अल्फ़ाज़ हैं दूसरी रिवायत में ये है कि जब मैं उसके क़त्ल के लिये लपका तो उसने कहा, ला इला-ह इल्लल्लाह।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ

(276) हज़रत मिक़्दाद बिन अ़म्र बिन अस्वद किन्दी जो बनू ज़ुहरा के हलीफ़ थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-बद्र में शरीक हुए थे उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा

عُبَيْدَ، اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ - وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

बताइये, अगर मेरी एक काफ़िर आदमी से मुठभेड़ हो जाये फिर सबसे पहली हदीस़ की तरह बयान की।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهَذَا، حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ . قَالَ " أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ " . فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي

(277) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक लश्कर के साथ भेजा। हम सुबह-सुबह जुहैना क़बीले की बस्ती हुरक़ात पहुँच गये। मैंने एक आदमी पर ग़ल्बा हासिल किया तो उसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह दिया। मैंने (उसको काट डाला)। उसके बारे में मेरे दिल में खटका पैदा हुआ। सो मैंने इसका तज़्किरा नबी (ﷺ) से किया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तूने ला इला-ह इल्लल्लाह कहने के बावजूद उसे क़त्ल कर दिया? मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! उसने अस्लहे के डर से कलिमा पढ़ा। आपने फ़रमाया, 'तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया ताकि तुम्हें पता चल जाता, उसने दिल से कहा है या डर से।' फिर आप मुसलसल ये कलिमा दोहराते रहे यहाँ तक कि मैंने ख़्वाहिश की कि मैं आज ही मुसलमान हुआ होता। तो सअ़द (रज़ि.) कहने लगे, और मैं अल्लाह की क़सम! किसी मुसलमान को क़त्ल नहीं करूँगा जब तक ज़ुल्बुतैन यानी उसामा उसे क़त्ल करने के लिये

أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ . قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ . يَعْنِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ‏{‏ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ‏}‏ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ .

तैयार न हो। इस पर एक आदमी ने कहा, क्या अल्लाह का ये फ़रमान नहीं, 'उनसे जंग लड़ो यहाँ तक कि फ़ित्ना मिट जाये (किसी में दीन से फेरने की ताक़त न रहे) और अल्लाह का पूरा दीन आम हो जाये।' तो सअ़द ने जवाब दिया, हमने फ़ित्ना ख़त्म करने की ख़ातिर जंग लड़ी तू और तेरे साथी फ़ित्ना बर्पा करने की ख़ातिर लड़ना चाहते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 4021, 6478, अबू दाऊद : 2643)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हुरक़ात : बक़ौल बाज़ जुहैना के इलाक़े में एक बस्ती का नाम है और कुछ के नज़दीक ये क़बीला जुहैना की एक शाख़ और ख़ानदान है। **(2) फ़ित्ना :** आज़माइश, इम्तिहान, मक़सूद है दीन से बरगश्ता करने (फेरने) की ताक़त न रहे। **(3) फ़सब्बहनल हुरक़ात :** जगह का नाम हो तो सुबह के वक़्त पहुँचे, अगर ख़ानदान हो तो सुबह-सुबह हमलावर हुए। **(4) ज़ुल्बुतैन :** बा के फ़तहा के साथ बतन की तस्ग़ीर बड़े पेट वाला। हज़रत उसामा (रज़ि.) का पेट बढ़ा हुआ था।

फ़वाइद : (1) मैदाने जंग में अगर काफ़िर कलिमा पढ़ ले तो वो मुसलमान तसव्वुर होगा। क्योंकि हम ज़ाहिर के पाबंद हैं किसी के दिल से आगाही हमारे बस में नहीं है। इसलिये ये कहकर कि उसने कलिमा जान बचाने के लिये पढ़ा है उसको क़त्ल करना जाइज़ नहीं होगा। (2) हज़रत उसामा ने एक काफ़िर को कलिमा पढ़ने के बावजूद क़त्ल कर दिया था लेकिन आपने उस पर क़िसास, दिय्यत या कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं ठहराया, सिर्फ़ ग़ुस्से का इज़हार किया, जिसकी बिना पर हज़रत उसामा के दिल में ये ख़्वाहिश पैदा हुई कि काश! मैं आज मुसलमान हुआ होता ताकि इस जुर्म के गुनाह माफ़ हो जाते। हज़रत उसामा का मक़सद सिर्फ़ नदामत व पशेमानी का इज़हार था। ये मक़सद न था कि मैं आज से पहले मुसलमान न हुआ होता। हज़रत उसामा चूंकि इस उसूल से आगाह न थे कि हम ज़ाहिर के पाबंद हैं, बातिन अल्लाह के सुपुर्द है। इसलिये उन्होंने ज़ाहिरी क़ुरआन से ये समझा कि उसने डरकर कलिमा पढ़ा है। इसलिये उसका ख़ून बहाना जाइज़ है, इसलिये उनको सज़ा नहीं दी गई। (3) हज़रत सअ़द और उसामा (रज़ि.) हज़रत अ़ली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) की जंगों में अलग-थलग हो गये थे। वो मुसलमान की आपस में जंगों को फ़ित्ना बर्पा करने से ताबीर करते थे। इसलिये शराकत के लिये आमादा न हुए।

(278) हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें जुहैना की शाख़ हुरक़ा की तरफ़ भेजा। तो हमने उन लोगों पर सुबह-सुबह हमला कर दिया और उनको शिकस्त दे दी। मैं और एक अन्सारी आदमी ने उनके एक आदमी का पीछा किया। जब हमने उसको घेरे में ले लिया (वो हमले की ज़द में आ गया) उसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह दिया। अन्सारी उससे रुक गया। मैंने अपना नेज़ा माकर उसको क़त्ल कर दिया। उसामा का बयान है कि जब हम वापस आये तो उसकी इत्तिलाअ रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी हो गई (जो ख़ुद उसामा ने दी थी) तो आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ उसामा! क्या तूने उसे ला इला-ह इल्लल्लाह कहने के बाद क़त्ल कर दिया?' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! उसने तो सिर्फ़ पनाह हासिल करने के लिये ऐसा किया था। तो आपने फ़रमाया, 'क्या तूने उसे ला इला-ह इल्लल्लाह कहने के बाद क़त्ल कर दिया? फिर आप बार-बार ये बात दोहराते रहे यहाँ तक कि मैंने आरज़ू की ऐ काश! मैं आज से पहले मुसलमान न होता (आज मुसलमान होता ताकि तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते)।

(सहीह बुख़ारी : 5489)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو ظِبْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا . قَالَ فَقَالَ " أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

(279) सफ़्वान बिन मुहरिज़ बयान करते हैं हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के फ़ित्ने के ज़माने में जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बजली ने अस्अस बिन सलामा के पास पैग़ाम भेजा कि मेरे लिये अपने

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّ خَالِدًا الأَثْبَجَ ابْنَ

أَخِي، صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ . فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ . حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " لِمَ قَتَلْتَهُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

साथियों का एक गिरोह जमा करो ताकि मैं उनसे बात करूँ। अ़स्अ़स ने अपने साथियों को बुला भेजा, तो जब वो जमा हो गये जुन्दब एक बुर्नुस (बराण्डी) ज़र्द रंग की पहने हुए आये और फ़रमाया, जो बातें तुम कर रहे थे वो करते रहो तो जब बात उन तक पहुँची (उनके बोलने की बारी आई) उन्होंने सर से बराण्डी उतार दी। फिर कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे नबी की हदीस़ बयान करने के इरादे से नहीं आया था। (लेकिन अब आपकी हदीस़ बयान करता हूँ) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमान का एक लश्कर मुश्रिक लोगों की तरफ़ भेजा और उनका आमना-सामना हुआ। मुश्रिकों में से एक आदमी था जो मुसलमान पर हमला करना चाहता। हमला करके उसको क़त्ल कर देता। एक मुसलमान आदमी ने उसकी ग़फ़लत से फ़ायदा उठाना चाहा (उसकी घात में रहा) हमें बताया जाता था कि वो उसामा बिन ज़ैद थे। तो जब उन्होंने उस पर तलवार उठाई (उनकी तलवार की ज़द में आ गया) तो उसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह दिया। लेकिन उन्होंने उसे क़त्ल कर दिया। फ़तह की बशारत देने वाला नबी (ﷺ) के पास पहुँचा तो आपने उससे पूछा, उसने हालात बताये। यहाँ तक कि उस आदमी ने हज़रत उसामा के कारनामे की भी ख़बर दी। आपने उनको बुलाकर पूछा, तूने उसको क्यों क़त्ल किया? उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल! उसने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई और फ़लाँ-फ़लाँ को क़त्ल किया। उन्होंने चंद आदमियों के

أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقَتَلْتَهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ " كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

नाम लिये। जब मैंने उस पर हमला किया तो तलवार देखकर उसने ला इला-ह इल्लल्लाह कह दिया। आपने पूछा, क्या तूने उसे क़त्ल किया है? उसामा ने हाँ में जवाब दिया। आपने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन जब ला इला-ह इल्लल्लाह आयेगा तो क्या जवाब दोगे?' उसामा ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये बख़्शिश तलब कीजिये। आपने फ़रमाया, 'ला इला-ह इल्लल्लाह जब क़यामत को आयेगा तो उसका क्या जवाब दोगे।' रसूलुल्लाह (ﷺ) इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे थे, जब क़यामत के दिन ला इला-ह इल्लल्लाह आयेगा तो उसका क्या जवाब दोगे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : बुर्नुस : इस जुब्बे या बराण्डी को कहते हैं जिसके साथ टोपी मौजूद हो।

फ़ायदा : इस हदीस़ में एक जुम्ला वला उरीदु अन उख़बिरकुम अ़न नबिय्यिकुम आया है जिसका मानी है मैं तुम्हें तुम्हारे नबी की हदीस़ सुनाने के इरादे से नहीं आया। हालांकि उन्होंने हदीस़ बयान की है। इसकी मुख़्तलिफ़ तौजीहें की गई हैं। एक तो वही जो हमने तर्जुमे में इख़्तियार की है कि उन्होंने हालात देखकर इरादा बदल लिया और अपनी बातों के साथ हदीस़ भी सुना दी। दूसरी तौजीह ये है कि उरीदु से पहले इल्ला को ज़्यादा माना जाये, लेकिन इसका कोई क़रीना मौजूद नहीं है।

तीसरी सूरत ये है कि अ़न उख़बरिकुम से पहले इल्ला है जो किसी वजह से साक़ित हो गया है जैसाकि कुछ हज़रात ने लिखा है कि कुछ नुस्ख़ों में इल्ला मौजूद है। इस सूरत में मानी होगा, मेरी निय्यत व इरादा सिर्फ़ हदीसे नबवी बयान करने का है। यानी इल्ला अन उख़बरिकुम अ़न नबिय्यिकुम।

باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله تعالى عليه وسلم - " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا "

बाब 42 : नबी (ﷺ) का फ़रमान जो शख़्स हम पर हथियार उठाये वो हममें से नहीं

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

(280) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हममें से नहीं है।'

फ़ायदा : मुसलमानों से जंग लड़ना और उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाना काफ़िरों का काम है। तो जो मुसलमान इस काम को अपने लिये रवा और जाइज़ ख़्याल करता है तो वो अपने आपको या मुसलमानों को काफ़िर समझता है। इसलिये वो काफ़िर होगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी ग़लतफ़हमी या बदफ़हमी की बिना पर या इज्तिहादी तौर पर दीन का तक़ाज़ा समझता हुआ ये काम करता है तो फिर वो काफ़िर नहीं होगा और अगर ग़ैर शऊरी तौर पर बिला सोचे-समझे किसी दुनियवी मफ़ाद की ख़ातिर ये हरकत करता है तो उसने मुसलमानों वाला रवैया और तर्ज़े अमल इख़्तियार नहीं किया हालांकि उसको मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमानों वाली सीरत और किरदार इख़्तियार करना चाहिये था। इसलिये वो मुज्रिम और गुनाहगार होगा, काफ़िर नहीं होगा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ - حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

(281) इयास बिन सलमा अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने हमारे ख़िलाफ़ तलवार सौंती तो वो हममें से नहीं है।'

أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

(282) अबू मूसा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाये वो हममें से नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 6660, तिर्मिज़ी : 1459, इब्ने माजह : 2577)

फ़ायदा : लैसा मिन्ना से मक़सूद उसको काफ़िर क़रार देना नहीं है बल्कि मक़सूद ये है कि उसके अख़्लाक़ व आमाल हम जैसे नहीं हैं। जैसाकि अल्लाह तआला ने नूह (अलै.) को फ़रमाया था, 'वो तेरे अहल में से नहीं है।' हालांकि वो निस्बती तौर पर उन्ही का बेटा था। मक़सूद था उसने तेरे अहल वाला तरीक़ा और रवैया इख़्तियार नहीं किया या उसने तेरी इताअत व पैरवी नहीं की और तेरे रास्ते पर नहीं चला।

باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله تعالى عليه وسلم - " مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "

बाब 43 : नबी (ﷺ) का फ़रमान, 'जिसने हमको धोखा दिया वो हममें से नहीं है'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " .

(283) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हममें से नहीं है और जिसने हमारे साथ धोखा किया वो भी हममें से नहीं है।'

(इब्ने माजह : 2575)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي " .

(284) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ल्ले के एक ढेर से गुज़रे तो उसमें अपना हाथ दाख़िल फ़रमाया। इससे आपकी उंगलियों को तरी महसूस हुई, तो आपने फ़रमाया, 'ऐ ग़ल्ले के मालिक! ये क्या है? उसने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! रात इस पर बारिश बरसी थी। तो आपने फ़रमाया, 'तूने इस भीगे हुए ग़ल्ले को ऊपर क्यों न किया कि लोग इसको देख लेते? जिसने धोखा किया वो मुझसे नहीं।'

(तिर्मिज़ी : 1315)

फ़ायदा : इस हदीस़ में धोखे की एक सूरत बयान की गई है जिसके तहत बहुत सारी जुज़्इयात आ जाती हैं कि ऊपर चीज़ अच्छी है जो नज़र आ रही है और नीचे वाली चीज़ जो नज़र नहीं आ रही है, वो नाक़िस या निकम्मी है। इस तरह मिलावट व आमेज़, जअ़लसाज़ी, मुलम्मा साज़ी, ख़रीदो-फ़रोख़्त की वो तमाम शक्लें जिनमें धोखा और फ्रॉड पाया जाता है, इस हदीस़ के तहत आती हैं और बदक़िस्मती से मुसलमान बिला ख़ौफ़ व ख़तर धड़ल्ले से इनका इर्तिकाब कर रहे हैं और हर तरफ़ धोखा व फ़रेब का बाज़ार गर्म है। लेकिन मुसलमानों को एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म है कि कोई सहीह और कामिल मोमिन से इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता।

باب تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

बाब 44 : रुख़सार पीटने, गिरेबान चाक करने और जाहिलिय्यत के दौर की चीख़ व पुकार की हुरमत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(285) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने रुख़सार पीटे या गिरेबान चाक किया या जाहिलिय्यत की पुकार पुकारी तो वो हममें से नहीं है।' ये यहया की हदीस़ है लेकिन इब्ने नुमैर

مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " . هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالاَ " وَشَقَّ وَدَعَا " بِغَيْرِ أَلِفٍ .

और अबू बकर दोनों ने कहा, शक़्क़ा और दआ अलिफ़ के बग़ैर (यानी औ की जगह व कहा)
(सहीह बुख़ारी : 1235, 1236, 3331, नसाई : 4/19, इब्ने माजह : 1584)

मुफ़रदातुल हदीस़ : दआ बिदअ्वल जाहिलिय्यह : जाहिलिय्यत के दौर की पुकार का मानी है नौहा करना, जज़अ-फ़ज़अ करना। अपने लिये तबाही व बर्बादी की दुआ करना, मय्यित के सहीह या ग़लत कारनामों को याद करके उस पर चीख़ना-चिल्लाना और बदक़िस्मती से ये काम आज-कल मुसलमान घरानों की औरतों में आम पाये जाते हैं। अआज़नल्लाहु मिन्हा

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ" وَشَقَّ وَدَعَا " .

(286) इमाम साहब ने ऊपर वाली रिवायत मुख़्तलिफ़ सनदों से बयान की कहा, व शक़्क़ व दआ, गिरेबान चाक किया और वावेला किया।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ .

(287) अबू बुरदा बिन अबी मूसा बयान करते हैं कि अबू मूसा (रज़ि.) इस क़द्र शदीद बीमार हुए कि उन पर ग़शी तारी हो गई और उनका सर उनके ख़ानदान की किसी औरत की गोद में था। तो उनके ख़ानदान की एक औरत चीख़ने लगी। हज़रत अबू मूसा (बेहोशी की वजह से) उसको कुछ कह न सके (मना न कर सके) जब होश में आये तो कहने लगे, मैं उससे बेज़ार हूँ जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेज़ारी का इज़हार फ़रमाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चिल्लाने वाली, सर मुण्डवाने वाली और गिरेबान चाक करने वाली से बराअत का इज़हार फ़रमाया।
(सहीह बुख़ारी : 1234)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) स़ॉलिक़ा या सालिक़ा : मुसीबत और रंज की बिना पर चीख़ने-चिल्लाने वाली सलक़ से माख़ूज़ है, बुलंद और सख़्त आवाज़। **(2) अल्हालिक़ा :** मुसीबत व रंज की बिना पर सर मुण्डाने वाली। **(3) अश्शाक़्क़ह :** रंज व ग़म की बिना पर कपड़े फाड़ने वाली।

फ़ायदा : मुसीबत और रंज व ग़म की बिना पर जज़अ-फ़ज़अ करते हुए, चीख़ना-चिल्लाना, कपड़े फाड़ना और सर के बाल मुण्डवाना जाहिलिय्यत का तौर-तरीक़ा है और शरीअ़त इन ग़लत रस्मों को जो सब्र व शकीब और अल्लाह की मशिय्यत पर रज़ा के इज़हार के मुनाफ़ी हैं ख़त्म करती है उन रुसूमे बद का इर्तिकाब दीन व शरीअ़त से दूरी की अ़लामत है, जिससे हर मुसलमान को बचना चाहिये।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ، يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي، بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالاَ أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ . قَالاَ ثُمَّ أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي - وَكَانَ يُحَدِّثُهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ " .

(288) अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद और अबू बुरदा बिन अबी मूसा अश्अ़री दोनों ने बताया कि अबू मूसा पर ग़शी तारी हो गई और उनकी बीवी उम्मे अ़ब्दुल्लाह बुलंद आवाज़ से रोती हुई आई। दोनों ने कहा, फिर उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या क़हा तुम्हें मालूम नहीं है? वो हदीस़ उसे बताया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं सर मुण्डाने वाले, चिल्लाने वाले और कपड़े फाड़ने वाले से बेज़ार हूँ।'

(नसाई : 4/18, इब्ने माजह : 1856)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ

(289) इमाम साहब ने ये सनद मुख़्तलिफ़ सनदों से बयान की है। इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से हज़रत अबू मूसा से मरफ़ूअ़न यही रिवायत बयान की, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि इयाज़ अश्अ़री ने बरिअ की बजाय लैसा मिन्ना कहा। (बरिअ नहीं कहा।)

(नसाई : 4/21)

عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ " لَيْسَ مِنَّا " . وَلَمْ يَقُلْ " بَرِيءٌ " .

باب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

बाब 45 चुग़लख़ोरी की सख़्त हुरमत

وَحَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، يَنِمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ " .

(290) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को पता चला कि एक आदमी लगाई-बुझाई करता है, तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि 'चुग़लख़ोर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : नम्माम : चुग़लख़ोर, एक इंसान की बात दूसरे तक इस ग़र्ज़ से पहुँचाना कि दूसरा पहले से बदज़न और नाराज़ हो जाये और उनके आपसी ताल्लुक़ात में बिगाड़ व फ़साद पैदा हो जाये, ये नमीमा कहलाता है। इससे नम्माम माख़ूज़ है।

फ़ायदा : चुग़लख़ोरी की आदत उन संगीन गुनाहों में से है जो जन्नत के दाख़िले में रुकावट बनने वाले हैं और कोई आदमी इस गन्दी और ग़लीज़ आदत के साथ जन्नत में दाख़िल न हो सकेगा, इल्ला (मगर) ये कि वो तौबा कर ले। उसके पास इस क़द्र अज़ीम नेकियाँ हों जिनकी बिना पर उससे माफ़ी मिल जाये या दोज़ख़ की आग इस जुर्म से उसको पाक-साफ़ कर दे इस फ़ैअ़ल की ज़ाती तासीर आग में दाख़िला ही है। जब चुग़ली का असर ख़त्म हो जायेगा तो वो दोज़ख़ से निकल आयेगा।

(291) हम्माम बिन हारिस़ बयान करते हैं कि एक आदमी लोगों की बातें हाकिम तक पहुँचाता था। हम मस्जिद में बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा, ये उनमें से है जो बातें हाकिम तक पहुँचाते हैं और वो आकर हमारे पास बैठ गया। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़रमाने लगे, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, 'लगाई-बझाई करने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 5709, अबू दाऊद : 4871, तिर्मिज़ी : 2026)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ . قَالَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا . فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : क़त्तातुन : क़त्तातुन नम्मामुन के मानी में है। कुछ के नज़दीक लोगों की चोरी-छिपे बातें सुनने वाले को क़त्तात कहते हैं।

(292) हम्माम बिन हारिस़ से रिवायत है कि हम मस्जिद में हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के साथ बैठे हुए थे तो एक आदमी आकर हमारे पास बैठ गया। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को बताया गया कि ये इंसान बादशाह तक लोगों की बातें पहुँचाता है। तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने उसको सुनाने के लिये कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि 'चुग़लख़ोर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1234)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ - إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ " .

باب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانِ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

बाब 46 : तहबंद टख़्नों से नीचे लटकाने, देकर एहसान जतलाने और झूठी क़सम खाकर सौदा बेचने की सख़्त हुरमत का बयान और उन तीन गिरोहों का बयान जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह (प्यार व मुहब्बत की) बात नहीं करेगा और न ही (नज़रे रहमत से) देखेगा और न उनको (गुनाहों से) पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ " .

(293) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन क़िस्म के लोग हैं क़यामत के दिन अल्लाह उन से (प्यार व मुहब्बत की) गुफ़्तगू नहीं करेगा और न उनको (नज़रे रहमत से) देखेगा और न उनको (गुनाहों से) पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।' आपने तीन बार आले इमरान की ये आयत (77) पढ़ी। अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा, नाकाम हो गये और नुक़सान से दोचार हुए। ऐ अल्लाह के रसूल! ये कौन लोग हैं? फ़रमाया, 'कपड़ा नीचे लटकाने वाला, एहसान जतलाने वाला और झूठी क़सम से अपने सामान को रिवाज देने वाला (उसकी निकासी करने वाला)।'

(अबू दाऊद : 4087, तिर्मिज़ी : 1211, नसाई : 5/81, 7/240-247, 8/208, 5348, इब्ने माजह : 2208)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ला युकल्लिमुहुम वला यन्ज़ुरु इलैहिम : किसी से गुफ़्तगू करना और उसकी तरफ़ देखना, ये इस बात की निशानी है कि उसको अहमियत दी जा रही है और इस पर तवज्जह है

और इन दोनों चीज़ों से किसी को महरूम करना, इससे ऐराज़ व इन्हिराफ़ की अलामत है कि ऐसे लोगों को कोई अहमियत व हैसियत हासिल न होगी। **(2) वला युज़क्कीहिम :** मुसलमानों के लिये आग गुनाहों से पाकीज़गी और ततहीर का बाइस होगी। ये ऐसे शदीद गुनाह हैं कि सिर्फ़ आग भी उनसे पाक नहीं करेगी जब तक तौबा न की जाये। **(3) अल्मुस्बिल :** फ़ख़्र और गुरूर से ज़रूरत से ज़्यादा पगड़ी, क़मीस या तहबंद लटकाना, आम तौर पर तहबंद को टख़्नों से नीचे लटकाया जाता है इसलिये इसका ज़िक्र आम तौर पर किया गया है, ये इस्बाल से है, लटकाना। **(4) अल्मन्नान :** ये मन्न से है, एहसान दोहराना, किसी को कुछ देकर उसको जतलाना। **(5) अल्मुनफ़्फ़िक़ :** निफ़ाक़ से है, रिवाज देना, पुरकशिश बनाना। **सिल्अह :** सामाने तिजारत, बेचने की चीज़।

फ़ायदा : फ़ख़्र व गुरूर से चादर वग़ैरह लटकाना। किसी को कुछ देकर उसको जताना और लोगों को फाँसने के लिये सामान की बेजा तारीफ़ करना। इंसानी शराफ़त और इस्लामी किरदार के मुनाफ़ी अशिया हैं जो दूसरों के लिये अज़िय्यत व तकलीफ़ का बाइस हैं इसलिये इनको इन्तिहाई शदीद जुर्म क़रार दिया गया है कि इनका इर्तिकाब अल्लाह तआला के प्यार व मुहब्बत और नज़रे इनायत व इल्तिफ़ात से ही महरूमी का बाइस नहीं है बल्कि ये जराइम ऐसे हैं कि अगर ईमान व आमाले सालेहा का तौशा न हुआ तो आग भी इन गुनाहों को नहीं जलायेगी कि इंसान पाक हो जाये। इसलिये मुसलमानों को इन कामों से बचना चाहिये।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ " .

(294) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत सुनाते हैं कि आपने फ़रमाया, 'तीन क़िस्म के लोग हैं क़यामत के दिन अल्लाह उनसे (प्यार व मुहब्बत की) बात नहीं करेगा। मन्नान जो देकर जतलाता है, जो झूठी क़सम के ज़रिये अपने सामान को फ़रोख़्त करता है और अपनी तहबंद लटकाता है।'

(नसाई : 4/21)

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " .

(295) इमाम साहब एक दूसरी सनद से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'अल्लाह उनसे बातचीत नहीं करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।'

(नसाई : 4/21)

(296) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन क़िस्म के लोगों से अल्लाह तआला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और न उनको पाक करेगा (अबू मुआविया ने कहा, न उनकी तरफ़ देखेगा) और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है, बूढ़ा ज़ानी, झूठा हुक्मरान और तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर व मोहताज।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : अल्आइल, ऐलह : फ़क़्र व एहतियाज से माख़ूज़ है, तंगदस्त और मोहताज।

फ़ायदा : गुनाह और जुर्म हर एक के लिये गुनाह और जुर्म है लेकिन कुछ किसी सबब व ज़रूरत या दाइया और मुहर्रिक की बिना पर इसके करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिये उन पर गुस्सा और अफ़सोस कम होता है। लेकिन कुछ लोग, बिला सबब (वजह) और बिला दाइया व ज़रूरत सिर्फ़ जुर्म गुनाह को हल्का और बेवज़न समझते हुए ये काम करते हैं इसलिये उन पर गुस्सा ज़्यादा होता है। बूढ़ा ज़ानी, हुक्मरान और फ़क़ीर व क़ल्लाश इन जराइम का इर्तिकाब करते हैं। हालांकि उनके अंदर इस काम की ज़रूरत या इन पर आमादा करने वाला दाइया और मुहर्रिक नहीं है। बूढ़ा जिन्स परस्त और शहवत के बेक़ाबू होने के दौर से गुज़र चुका है, बादशाह को किसी से कोई ख़ौफ़ व ख़तर लाहिक़ नहीं है। जिससे बचने के लिये वो झूठ बोले, फ़क़ीर और क़ल्लाश के पास वो माल व दौलत नहीं जो इंसान को आपे से बाहर कर देती है और मालदार इसके बलबूते पर अकड़फूँ का शिकार होता है। इसलिये ये लोग बिला उ़ज़्र व सबब अल्लाह की नाफ़रमानी व मअ़सियत को हल्का समझते हुए और इससे बेनियाज़ होकर हटधर्मी का मुज़ाहिरा करते हुए ये हरकत करते हैं। इसलिये उनसे मुवाख़िज़ा शदीद होगा, आज-कल अरबाबे इख़्तियार व इक़्तिदार आ़म तौर पर इन तीनों जराइम में गिरफ़्तार हैं लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमानों के लीडर और क़ाइद शुमार होते हैं और लोग उनको लीडर तस्लीम करते हैं, गोया कि ये जुर्मों में से ही नहीं हैं।

(297) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन क़िस्म के आदमी हैं क़यामत के दिन अल्लाह उनसे गुफ़्तगू नहीं करेगा, न उन लोगों की तरफ़ देखेगा और न उनको पाक-साफ़ करेगा, उनके लिये दर्दनाक दुख है। एक आदमी जंगल में उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी है लेकिन वो

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ " .

मुसाफ़िर को उससे रोकता है, दूसरा वो जो किसी आदमी को अ़सर के बाद सामान बेचता है और अल्लाह की क़सम खाकर कहता है, मैंने ये सामान इतनी रक़म में ख़रीदा है, हालांकि ऐसा नहीं है, ख़रीदार ने उसकी बात मान ली। तीसरा वो आदमी जो हुक्मरान की बैअ़त सिर्फ़ इसलिये करता है कि उससे मफ़ाद (दुनिया) हासिल करे, अगर वो उसे मफ़ाद पहुँचाता है तो वो वफ़ादार रहता है अगर दुनिया का मफ़ाद नहीं देता तो वो भी बैअ़त का हक़ अदा नहीं करता।'
(इब्ने माजह : 2207, 2870)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़ज़्ल : ज़रूरत व हाजत से ज़्यादा चीज़। **(2) फ़लात :** ब्याबान जंगल। **(3) इमाम :** हुक्मरान, अमीर।

फ़ायदा : पानी एक आम ज़रूरत की चीज़ है जिस पर इंसान की ज़िन्दगी टिकी होती है। किसी ज़रूरतमन्द और मोहताज को उससे बिला अपनी ज़रूरत व हाजत के महरूम करना उसको मौत के मुँह में धकेलना है, इसलिये ये शदीद जुर्म है। जो लोग ग़िज़ाओं और अदविया (दवाओं) में मिलावट करके लोगों की ज़िन्दगियों से खेलते हैं, उन्हें इस पर ग़ौर करना चाहिये। झूठ बोलना एक संगीन जुर्म है और अ़सर का वक़्त एक ख़ैर व बरकत वाला वक़्त है, ऐसे वक़्त झूठ बोलकर सामान बेचना तीन जुर्मों का एक साथ करना है। (1) झूठ (2) ग्राहक के साथ धोखा (3) वक़्त की हुरमत व तक़द्दुस की पामाली। फिर झूठ भी अल्लाह की क़सम खाकर, गोया अल्लाह की अ़ज़मत व मक़ाम का एहसास ही नहीं। आज इस जुर्म को जुर्म ही नहीं समझा जाता और अपने नफ़्स को फ़रेब देने के लिये इसके मुख़्तलिफ़ हीले और बहाने निकाले जाते हैं। इमाम व अमीर अपने मक़ाम व मन्सब की बिना पर, इताअ़त का हक़दार है लेकिन इताअ़त को अपने मफ़ाद पर मौक़ूफ़ करना, उसको ब्लैकमेल करना और उसको इस बात की तरग़ीब देना है कि तुम भी अपने मफ़ाद के लिये ख़ूब खेल खेलो और गुल खिलाओ और आज इस हरकत का चाल-चलन आम है। इसलिये कोई भी हुकूमत सहीह तरीक़े पर नहीं चलती और नाकामी से दोचार होती है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

(298) इमाम साहब जरीर से इस हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं कि एक आदमी जो दूसरे आदमी से सामान का भाव करता है सावम, सौम से है। भाव लगाना, क़ीमत तय करना।

مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ " وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ " .

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ أُرَاهُ مَرْفُوعًا - قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ " . وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الأَعْمَشِ .

(299) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, आपने फ़रमाया, 'तीन शख़्स हैं अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है, एक आदमी जिसने मुसलमान का माल दबाने के लिये असर के बाद क़सम उठाई (और उसका माल दबा लिया)' हदीस का बाक़ी हिस्सा, आमश की हदीस जैसा है।

(सहीह बुख़ारी : 2240, 7008)

मुफ़रदातुल हदीस : इक़्ततअ : क़तअ से है, मार लेना, काट लेना यानी दबा लेना।

फ़ायदा : दूसरों के माल पर क़ब्ज़ा करना और उसके लिये झूठी क़सम खाना, इन्तिहाई शदीद जुर्म है और आज-कल (क़ब्ज़ा ग्रुपों) का इन्हिसार इसी हरकत पर है बल्कि इसके साथ और जराइम भी जमा हो जाते हैं (धोंस, धान्दली और अस्लिहे का इस्तेमाल)।

باب غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَإِنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

बाब 47 : ख़ुदकुशी की हुरमत की तशदीद, इंसान जिस आला (चीज़) से अपने आपको क़त्ल करेगा, आग में उसको उसके ज़रिये से अज़ाब होगा और जन्नत में सिर्फ़ मुसलमान शख़्स दाख़िल होगा

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

(300) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अपने आपको लौहे (के हथियार) से क़त्ल किया तो उसका लौहा उसके साथ में होगा,

فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " .

आग में हमेशा-हमेशा उसको अपने पेट में घोंपेगा, जिसने ज़हर पी कर ख़ुदकुशी की वो जहन्नम की आग में हमेशा-हमेशा उसको घूँट-घूँट कर पियेगा और जिसने अपने आपको पहाड़ से गिरा कर क़त्ल किया वो हमेशा-हमेशा जहन्नम की आग में पहाड़ से गिरेगा।'

(तिर्मिज़ी : 2044, इब्ने माजह : 3460)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हदीदा : हदीद लौहे को कहते हैं, हदीदा लौहे का हथियार। **(2) यतवज्जउ** : वज्उन से माख़ूज़ है, मारना, घोंपना। **(3) सम:** सीन पर पेश ज़बर और ज़ेर तीनों आते हैं। ज़ेर फ़सीहतर है, ज़हर। **(4) यतहस्साहु :** उसे आहिस्ता-आहिस्ता पियेगा। **(5) यतरद्दा :** ऊँची जगह से गिरेगा।

फ़ायदा : ख़ुदकुशी, इन्तिहा का शदीद जुर्म है कि इंसान अपने आपको अपनी मौत व ज़िन्दगी का मालिक समझता है, हालांकि वो मालिक नहीं है। नीज़ अपने आपको ख़ुद मुख़्तार तसव्वुर करता है हालांकि वो पाबंद है। नीज़ उसे अल्लाह की मशिय्यत व तक़दीर पर यक़ीन नहीं है इसलिये नामसाइद (परेशानकुन) हालात पर सब्र व शकीब की बजाय, बेसब्री का मुज़ाहिरा करता है इस तरह एक क़िस्म की बग़ावत करता है। उसके इस जुर्म की तासीर और असली सज़ा यही है। दूसरी वजहों की बिना पर उसमें तख़्फ़ीफ़ और कमी हो सकती है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ .

(301) इमाम साहब एक दूसरी सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। (सुलैमान, आमश का नाम है और ज़कवान, अबू सालेह का)

(सहीह बुख़ारी : 5442, तिर्मिज़ी : 2044, नसाई : 4/67)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(302) हज़रत स़ाबित बिन ज़ह्हाक (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने दरख़्त के नीचे रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअ़ते रिज़वान की। आपने फ़रमाया, 'जिस शख़्स ने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब पर होने की झूठी क़सम उठाई तो वो वैसा

عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَىْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ " .

ही होगा और जिसने अपने आपको किसी चीज़ से क़त्ल किया, उसे उसी चीज़ के ज़रिये क़यामत के दिन अज़ाब होगा और जो शख़्स किसी चीज़ का मालिक नहीं है उसके बारे में नज़र पूरी करता उसके लिये लाज़िम नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 1297, 5700, 5754, 6476, अबू दाऊद : 3257, तिर्मिज़ी : 1527, 1543, नसाई : 6/6-7, 7/19-20)

फ़वाइद : (1) इस्लाम के सिवा किसी मज़हब की क़सम उठाने का मतलब ये है कि अगर मैंने फ़लाँ काम किया हो तो मैं यहूदी या नसरानी हूँ हालांकि वो काम कर चुका है जिसका मानी है उसने इस्लाम को अपने मफ़ाद की ख़ातिर तज दिया और इस्लाम को दुनियावी फ़ायदे पर क़ुर्बान कर दिया। इसी तरह दुनिया को आख़िरत पर तरजीह दी है अगर उसने ये काम शऊरी तौर पर किया है तो वो वाक़ेई ग़ैर इस्लाम पर होगा और अगर उसने अपने झूठ को या ग़लत काम को छिपाने के लिये ज़ोर व ताकीद पैदा करने की ख़ातिर ये हरकत की है गो ये काम इतना संगीन है कि दीन से निकल गया हो क्योंकि उसने झूठी क़सम को हल्का ख़्याल किया है और अल्लाह की तौक़ीर व तअज़ीम के मुनाफ़ी हरकत की है, जो कुफ़्र का बाइस बन सकती है। (2) नज़्र उस चीज़ के बारे में माननी चाहिये जो इंसान के बस में है या उसकी मिल्कियत में है, वरना ये नज़्र लग़्व और बेकार होगी।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً

(303) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस चीज़ का इंसान मालिक नहीं है, उसके बारे में नज़्र उसके ज़िम्मे नहीं है, मोमिन पर लानत भेजना, उसके क़त्ल के मुतरादिफ़ (बराबर) है और जिसने किसी चीज़ से अपने आपको क़त्ल किया, क़यामत के दिन उसी चीज़ से उसको अज़ाब दिया जायेगा और जिसने माल में इज़ाफ़े के लिये झूठा दावा किया अल्लाह तआला उसके माल में कमी करेगा। यही हाल उसका होगा जो फ़ैसलाकुन झूठी

لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ " .

क़सम उठाता है (यानी जिस क़सम पर क़ाज़ी या हाकिम ने फ़ैसला देना है वो माल बटोरने के लिये झूठी क़सम उठाये)।'

(सहीह बुख़ारी : 3938, 4562, अबू दाऊद : 3257)

फ़ायदा : किसी मुसलमान पर बिला वजह और तअयीन के बग़ैर लानत भेजना इन्तिहाई क़बीह हरकत है, इससे एहतिराज़ करना चाहिये (बचना चाहिये)।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " . هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ . وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(304) इमाम साहब अलग-अलग सनदों से हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (रज़ि.) से मरफ़ूअ रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने जान-बूझकर, इस्लाम के सिवा किसी मज़हब की झूठी क़सम उठाई तो वो अपने क़ौल के मुताबिक़ होगा और जिसने अपने नफ़्स को किसी चीज़ से ख़त्म किया अल्लाह जहन्नम की आग में उसी चीज़ के ज़रिये से उसे अज़ाब से दोचार करेगा।' ये सुफ़ियान की रिवायत है लेकिन शोबा की रिवायत इस तरह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने इस्लाम के सिवा किसी मिल्लत की झूठी क़सम खाई, तो वो अपने क़ौल के मुताबिक़ है और जिसने अपने आपको किसी चीज़ से ज़िब्ह कर डाला, क़यामत के दिन उसे उसी चीज़ से ज़िब्ह किया जायेगा।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ

(305) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि हम जंगे हुनैन में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मौजूद थे तो आप (ﷺ) ने इस्लाम के दावेदार एक शख़्स के बारे में फ़रमाया, 'ये जहन्नमी है।'

جब लड़ाई शुरू हुई तो उस आदमी ने बड़ी ज़ोरदार जंग लड़ी, जिससे वो ज़ख़्मी हो गया तो आपसे अ़र्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो आदमी जिसके बारे में आपने अभी फ़रमाया था, 'वो दोज़ख़ी है।' उसने तो आज बड़ी शदीद जंग लड़ी है और वो मर चुका है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आग की तरफ़ जायेगा।' तो क़रीब था कि कुछ मुसलमान आपके इस फ़रमान के बारे में शक व शुब्हा में पड़ जाते (कि ऐसा जान निसार दोज़ख़ी होगा) इसी दौरान बतलाया गया कि वो मरा नहीं है लेकिन शदीद ज़ख़्मी है। जब रात पड़ी तो वो अपने ज़ख़्मों पर सब्र न कर सका और ख़ुदकुशी कर ली फिर आपको इसकी इत्तिलाअ़ दी गई तो आपने फ़रमाया, 'किब्रयाई व अ़ज़मत का मुस्तहिक़ अल्लाह है! मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल और उसका बन्दा हूँ।' फिर आपने बिलाल को हुक्म दिया तो उसने लोगों में ऐलान किया कि मुसलमान शख़्स ही जन्नत में दाख़िल हो सकेगा और अल्लाह इस दीन की ताईद का काम बुरे लोगों से भी लेता है।'

(सहीह बुख़ारी : 2897, 6232)

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالإِسْلاَمِ " هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ " فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا " إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِلَى النَّارِ " فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " . ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ " إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ " .

(306) हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुश्रिकों का आमना-सामना हुआ और जंग शुरू हो गई। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने लश्कर की तरफ़ पलटे और दूसरा फ़रीक़ अपने लश्कर की तरफ़ झुका तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों में एक

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ

आदमी था। जो दुश्मन से अलग होने वाले और अलग रहने वाले का तआक़ुब (पीछा) करता और अपनी तलवार से उसको मौत के घाट उतार देता। लोगों ने कहा, आज जिस क़द्र उसने काम किया है (मुसलमानों का फ़ायदा पहुँचाया) उस क़द्र किसी ने नफ़ा नहीं पहुँचाया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसके बावजूद ये दोज़ख़ी है।' तो लोगों में से एक आदमी कहने लगा, मैं हर वक़्त उसके साथ रहूँगा। तो वो उसके साथ निकला, जहाँ वो ठहरता, वहीं वो ठहर जाता।' और जब वो तेज़ रफ़्तारी इख़्तियार करता तो वो भी तेज़ चल पड़ता, वो आदमी शदीद ज़ख़्मी हो गया। उसने जल्द मौत चाही और उसने अपनी तलवार का फल ज़मीन पर रखा और उसकी धार अपनी छाती पर फिर अपनी तलवार पर अपना पूरा वज़न डालकर ख़ुदकुशी कर ली। तो दूसरा आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और अर्ज़ किया, मैं आपकी रिसालत की गवाही देता हूँ।' आपने पूछा, 'क्या सबब है?' तो उसने कहा, वो आदमी जिसके बारे में आपने अभी बताया था कि वो दोज़ख़ी है और लोगों पर ये बात गिराँ गुज़री थी, तो मैंने लोगों को कहा था मैं उसके अन्जाम को जानने का ज़िम्मा लेता हूँ। मैं उसकी तलाश में निकला यहाँ तक कि वो शदीद ज़ख़्मी हो गया, तो उसने जल्द मौत चाही। उसके लिये अपनी तलवार का फल ज़मीन पर रखा और उसकी धार अपने दोनों पिस्तानों के दरम्यान रखी। फिर उस पर बोझ डाला और ख़ुदकुशी कर ली। तो इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया,

فَاقْتَتَلُوا . فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوا مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا . قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ - قَالَ - فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " .

'आदमी जन्नतियों वाले काम करता रहता है जैसाकि लोगों को नज़र आता है यानी ज़ाहिरी ऐतबार से हालांकि वो दोज़ख़ी होता है और एक दूसरा आदमी लोगों को नज़र आने के ऐतबार से दोज़ख़ियों वाले काम करता है हालांकि वो जन्नती होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 3966, 2742)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शाज़्ज़ह : लोगों से अलग होने वाला इन्फ़िाज़ाह अकेला, तन्हा। **(2)** अज्ज़अमन्ना : हमारे काम आया, हमारे लिये काफ़ी हुआ और हमें फ़ायदा पहुँचाया। **(3) ला यदउ़ अहदन :** वो बहुत जरी और बहादुर है हर एक पर ग़ल्बा पा लेता है। **(4) अना साहिबुहू :** मैं उसके साथ रहूँगा। **(5) नस्ल :** फल। **(6) ज़ुबाब :** धार। **(7) अअ्ज़मन्नास ज़ालिक :** लोगों ने उसको बहुत बड़ा ख़्याल किया। लोगों पर ये बात निहायत शाक़ गुज़री।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ، - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ " إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَسْجِدِ .

(307) हसन (रह.) से रिवायत है उन्होंने कहा, अगले लोगों में एक आदमी था उसे फोड़ा निकला। जब उसने उसे तकलीफ़ दी तो उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उस फोड़े को चीर दिया जिससे ख़ून निकलना बंद न हुआ और वो मर गया। अल्लाह तआला तुम्हारे रब ने फ़रमाया, 'मैंने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है।' फिर हसन ने मस्जिद की तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ! अल्लाह की क़सम! ये हदीस़ मुझे जुन्दब (रज़ि.) ने इसी मस्जिद में रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनाई थी।

(तिर्मिज़ी : 1298, 3726)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़रहा : फोड़ा, फुन्सी। **(2) कनानह :** तरकश। **(3) निकाहा :** उसे छीला, चीरा दिया। **(4) लम यर्क़इद्दम :** ख़ून निकलना बंद न हुआ, ख़ून न रुका। **(5) ख़िराज :** फोड़ा।

(308) हसन (रह.) बयान करते हैं कि हमें जुन्दब बिन अ़ब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) ने इस मस्जिद में हदीस़ सुनाई। न हम भूले हैं और न हमें ये अन्देशा है कि जुन्दब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ अपनी तरफ़ से बात मन्सूब की होगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुमसे पहले गुज़रे हुए लोगों में से एक आदमी के फोड़ा निकला।' फिर ऊपर वाली हदीस़ बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 3938, 4562, अबू दाऊद : 3257)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

बाब 48 : ग़नीमत में ख़यानत की शदीद मुमानिअ़त और ये हक़ीक़त है कि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन ही दाख़िल होंगे (और इस हक़ीक़त का इज़हार कि जन्नत में मोमिन ही दाख़िल होंगे)

باب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ

(309) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि जब ख़ैबर का दिन था तो नबी (ﷺ) के कुछ साथी आये और कहने लगे, फ़लाँ शहीद हुआ और फ़लाँ शहीद हुआ। यहाँ तक कि एक आदमी का तज़्किरा हुआ तो कहने लगे, वो शहीद है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये हर्गिज़ नहीं। मैंने उसे एक धारीदार चादर या अ़बा की ख़यानत करने की बिना पर आग में देखा है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ ख़त्ताब के बेटे! लोगों में जाकर

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ " . ثُمَّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ " . قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ " أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ " .

ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाख़िल होंगे।' तो मैंने निकलकर (लोगों में) ऐलान किया, ख़बरदार हो जाओ! जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाख़िल होंगे।'
(तिर्मिज़ी : 1298, 3726)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ग़ुलूल : ग़नीमत में ख़यानत करना और कुछ हज़रात के बक़ौल हर चीज़ में ख़यानत ग़ुलूल है। **(2) बुरदह :** धारीदार या बड़ी चादर और बक़ौल कुछ मुनक़्क़श स्याह लोई। **(3) अबाअह :** कपड़ों के ऊपर ओढ़ने वाली बड़ी चादर।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسُ

(310) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ ख़ैबर गये। अल्लाह ने फ़तह इनायत फ़रमाई। हमें ग़नीमत में सोना या चाँदी न मिला, हमें ग़नीमत में सामान, ग़ल्ला और कपड़े हासिल हुए। फिर एक वादी की तरफ़ चल पड़े और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपका एक ग़ुलाम था जो जुज़ाम क़बीले के एक आदमी ने आपको हिबा किया था। जो बनू ज़ुबैब से था, जिसे रिफ़ाआ बिन ज़ैद कहते थे। जब हम ने उस वादी में पड़ाव किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) का ग़ुलाम (मुदअम नामी) आपका पालान खोलने के लिये उठा। उसको एक तीर मारा गया जो उसकी मौत का बाइस बना। तो हम ने कहा, इसे शहादत मुबारक हो, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'हर्गिज़ नहीं! उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है! वो शमला जो उसने ख़ैबर के दिन माले ग़नीमत की तक़सीम से पहले उठाई थी उस पर आग बनकर भड़क रही है। ये सुनकर लोग ख़ौफ़ज़दा हो गये।

مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ " . قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ . فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ " .

एक आदमी एक तस्मा या दो तस्मे लेकर आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ये ख़ैबर के दिन मिले थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आग का एक तस्मा या आग के दो तस्मे।'

(सहीह बुख़ारी : 3993, 6329, अबू दाऊद : 2711)

मुफ़रदातुल हदीस़ : यहुल्लु रह्लह : आपका पालान या कजावा खोल रहा था। (2) **हत्फ़ :** मौत। (3) **हनीअल्लहू :** उसे मुबारक हो। उसके लिये मसर्रत और ख़ुशगवारी का बाइस़ हो। (4) **शम्लह :** खुली ओढ़ने की चादर (5) **तल्तहिबु :** भड़क रही है, शौला ज़न है। (6) **ग़नाइम :** ग़नीमत की जमा, दुश्मन से जंग के वक़्त हासिल होने वाला माल। (7) **मक़ासिम :** मक़सिम की जमा है, जो तक़सीम या बाँटने के मानी में है। (8) **शिराक :** चमड़े का तस्मा।

फ़ायदा : तमाम लोगों की मुश्तरिका चीज़ में से किसी एक का उनकी इजाज़त के बग़ैर कुछ उठा लेना अगरचे वो मामूली चीज़ हो, इन्तिहाई ख़ौफ़नाक जुर्म है जिसकी आज-कल लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। मफ़ादे आम्मा की चीज़ों या मफ़ादे आम्मा की जगहों पर क़ब्ज़ा करने की वबा आम हो चुकी है। सैलाब, ज़लज़ला वग़ैरह आफ़तों के सिलसिले में हासिल होने वाली चीज़ों को शीरेमादर (जागीर) समझकर हज़म कर लिया जाता है। हालांकि ये हरकत करने वाला शहादत के अज़ीम रुत्बे से भी महरूम हो जाता है। इसलिये इन कामों से बचना ज़रूरी है।

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لاَ يَكْفُرُ

बाब 49 : ख़ुदकुशी करने वाला काफ़िर नहीं है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

(311) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि तुफ़ैल बिन अम्र दौसी (रज़ि.) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप एक मज़बूत क़िले और मुहाफ़िज़ दस्ते की ख़्वाहिश रखते हैं? तो

جَابِرٍ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ-قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ.فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ "

आपने इंकार फ़रमाया क्योंकि ये सआदत अल्लाह ने अन्सार के हिस्से में रखी थी। तो जब नबी (ﷺ) हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गये तुफ़ैल बिन अम्र भी हिजरत करके आपके पास आ गया। उसके साथ उसकी क़ौम के एक आदमी ने भी हिजरत की। उन्होंने मदीना की आबो-हवा नामुवाफ़िक़ पाई तो वो आदमी बीमार हो गया और घबरा गया। उसने अपना लम्बा-चौड़ा तीर लिया और अपनी उंगलियों के पोर काट डाले। दोनों हाथों का ख़ून बह गया और इसकी वजह से मर गया। तुफ़ैल बिन अम्र ने उसे ख़्वाब में देखा। उसकी हैयत व कैफ़ियत अच्छी देखी और उसे देखा कि उसने अपने दोनों हाथ ढांपे हुए हैं। तुफ़ैल (रज़ि.) ने उससे पूछा, तेरे रब ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? उसने जवाब दिया, मुझे बख़्श दिया क्योंकि मैंने उसके नबी (ﷺ) की ख़ातिर घर-बार छोड़ा था। तो पूछा, तुमने दोनों हाथ क्यों छिपाये हुए हो? उसने कहा, मुझे बताया गया जो चीज़ तूने ख़ुद ही ख़राब की है हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। तो तुफ़ैल ने ये ख़्वाब रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुनाया। तो आपने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! उसके दोनों हाथों को भी माफ़ फ़रमा (उनको भी दुरुस्त कर दे)।'

मुफ़रदातुल हदीस : **(1) हल लक फ़ी हिस्निन :** हिस्न, क्या आपको पुख़्ता और मुस्तहकम क़िले की रग़बत व ख़्वाहिश है, हिस्न हसीन ये रोमियों का क़िला था। **(2) मनअह :** क़ुव्वत व ताक़त और पनाह या ये मानिअ की जमा होगा तो मुहाफ़िज़ दस्ता व जमाअत मुराद होगी। **(3) फ़ज्तवा :** किसी जगह को परेशानी या बीमारी की वजह से अपने लिये पसंद न करना, कुछ के नज़दीक बिला क़ैद, किसी जगह की रिहाइश को पसंद न करना (अगरचे वहाँ आसूदगी और ख़ुशहाली मुयस्सर हो) ये जवा से

माख़ूज़ है जो पेट की बीमारी है। **(4) मशाक़िस :** मिश्क़स की जमा है जो बक़ौल कुछ लम्बे फल वाले तीर को कहते हैं। कुछ के नज़दीक चौड़े फल वाला और बक़ौल इमाम नववी मा ताल व अरज़ जो लम्बा और चौड़ा हो। **(5) बराजिम :** बरजमह की जमा है, उंगलियों के जोड़ों को कहते हैं। **(6) शख़बत यदाहु :** दोनों हाथों का ख़ून बह गया।

फ़वाइद : (1) हिज्रत एक अज़ीम नेकी है, जो ख़ुदकुशी जैसे संगीन जुर्म की माफ़ी का बाइस बन जाता है। जिससे साबित होता है कि कबीरा गुनाह की भी माफ़ी हो सकती है और उसका मुर्तकिब काफ़िर नहीं है। हाँ अगर किसी वजह से माफ़ी न मिल सकी तो अज़ाब होगा। **(2)** ख़्वारिज व मुअतज़िला और मुर्जिया दोनों फ़िर्क़ों का मौक़िफ़ ग़लत है, मुसलमान कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नमी नहीं है। अल्लाह चाहे तो माफ़ करके सीधा जन्नत में भेज दे और चाहे तो सज़ा के बाद जन्नत में दाख़िल करे, इसलिये गुनाहों से एहतिराज़ (बचना) ज़रूरी है। **(3)** इंसान अपने आज़ा व जवारिह (शरीर के हिस्सों) के इस्तेमाल में ख़ुद मुख़्तार और आज़ाद नहीं है कि जैसे चाहे उनके साथ सुलूक करे। इसलिये इंसानी आज़ा (अंगों) की ख़रीदो-फ़रोख़्त जाइज़ नहीं है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर, अपनी जान को जोखिम में डाला जा सकता है।

बाब 50 : वो हवा जो क़यामत के क़रीब चलेगी और हर उस शख़्स की रूह को क़ब्ज़ कर लेगी जिसके दिल में कुछ न कुछ ईमान होगा

باب فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَىْءٌ مِنَ الإِيمَانِ

(312) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला यमन से एक हवा भेजेगा जो रेशम से ज़्यादा मुलायम होगी और जिस शख़्स के दिल में भी' बक़ौल अबू अल्क़मा 'दाना बराबर' और बक़ौल अब्दुल अज़ीज़ 'ज़र्रा बराबर ईमान होगा उसकी रूह क़ब्ज़ किये बग़ैर न छोड़ेगी।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ "

बाब 51 : फ़ित्नों के ज़ुहूर व ग़ल्बे से पहले-पहले आमाले सालेहा की तरफ़ लपकने की तरग़ीब

باب الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا " .

(313) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उन फ़ित्नों से पहले-पहले जो रात तारीक टुकड़ों की तरह छा जायेंगे, नेक आमाल कर लो, सुबह को आदमी मुसलमान होगा और शाम को काफ़िर या शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफ़िर अपना दीन-ईमान दुनियावी सामान के ऐवज़ बेच डालेगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़ितन : फ़ित्ने की जमा है, आज़माइश व इम्तिहान की चीज़। **(2) बादिरू :** जल्दी करो, सबक़त करो। **(3) कक़ितअल्लैलिल् मुज़्लिम :** तारीक रात के टुकड़े, यानी बकस़रत फ़ित्नों का ज़ुहूर होगा।

फ़वाइद : (1) इंसान को अपनी सेहत व आफ़ियत के औक़ात से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने चाहिये। मालूम नहीं हालात में कब तब्दीली वाक़ेअ हो जाये और नेकी करना मुश्किल हो जाये। दुनियवी मफ़ादात व मनाफ़ेअ को नज़र अन्दाज़ करके नेकी करना मुम्किन नहीं है और हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो दुनियवी मफ़ादात व मनाफ़ेअ को नज़र अन्दाज़ कर दे। **(2)** ईमान की तबाही व बर्बादी का बाइस़ दुनियवी मफ़ादात व अग़राज़ हैं, जिनका असीर (क़ैदी) होकर इंसान अपने ईमान से महरूम हो सकता है और उन अग़राज़ व मफ़ादात को क़ुर्बान करना मुश्किल है। जैसाकि आज-कल हमारे मुआशरे के हालात से महसूस हो रहा है और कामयाबी व कामरानी इसके बग़ैर मुम्किन नहीं है कि इंसान दुनियवी मफ़ादात से बुलंद होकर ही कुछ हासिल कर सकता है।

बाब 52 : मोमिन का अपने अ़मल के ज़ाया (बर्बाद) होने से डरना

باب مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ

(314) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने बताया, जब ये आयत उतरी 'ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो (आयत के आख़िर तक)' तो साबित बिन क़ैस (रज़ि.) अपने घर में बैठ गये और कहने लगे, मैं तो दोज़ख़ी हूँ। और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होने से रुक गये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू अ़म्र! साबित को क्या हुआ? क्या वो बीमार है? सअ़द ने जवाब दिया, वो मेरा पड़ौसी है और मुझे उसकी बीमारी का इल्म नहीं है। उसके बाद सअ़द (रज़ि.) साबित (रज़ि.) के पास आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात सुनाई तो साबित ने जवाब में कहा, ये आयत उतर चुकी है और तुम जानते हो मेरी आवाज़ तुम सबकी निस्बत रसूलुल्लाह (ﷺ) की आवाज़ से बुलंद है, इस बिना पर मैं जहन्नमी हूँ। इस जवाब का ज़िक्र सअ़द (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं! वो तो जन्नती है।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ‏.‏ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ ‏"‏ يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثَابِتٍ أَشْتَكَى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى ‏.‏ قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ‏.‏ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏

फ़ायदा : अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की आवाज़ से शऊरी तौर पर आवाज़ बुलंद करना आमाल के ज़ाया होने का बाइस है तो आपके पैग़ाम और आपके हुक्म पर अपने या किसी के क़ौल व फ़ैअ़ल को तरजीह देना कैसे रवा हो सकता है। हज़रत साबित बिन क़ैस (रज़ि.) ख़तीबे अन्सार थे और उनकी आवाज़ तबई तौर पर बुलंद थी। वो अपनी बात मनवाने के लिये आवाज़ में ज़ोर और बुलंदी पैदा नहीं

करते थे कि ये चीज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की गुस्ताख़ी और बेअदबी हो और इससे आपके दिल में रंज व मलाल पैदा हो, जिसकी बिना पर इंसान के आमाल ज़ाया हो जायें, चूंकि उनकी आवाज़ तबई तौर पर बुलंद थी, बुलंद करते नहीं थे। इसलिये आपकी अज़ियत व तकलीफ़ का बाइस न थी। इसलिये आपने फ़रमाया, उसके अमल रायगाँ नहीं, इसलिये वो जन्नती है। इससे ये कहाँ साबित हुआ कि आपको जन्नतियों और दोज़खियों का इल्म था? अगर आपको सब का इल्म था तो सिर्फ़ चंद सहाबा के बारे में ये बात क्यों फ़रमाई?

وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏.‏ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ ‏.‏ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ‏.‏

(315) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि साबित बिन क़ैस बिन शम्मास (रज़ि.) अन्सारियों के ख़तीब थे। जब ये आयत उतरी, आगे हम्माद की हदीस की तरह है लेकिन उसमें सअद बिन मुआज़ का वाक़िया नहीं है।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ‏}‏ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ ‏.‏

(316) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि जब आयत ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन्नबिय्यि उतरी। हदीस में सअद बिन मुआज़ का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏.‏ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ‏.‏

(317) हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी, आगे मज़्कूरा हदीस बयान की और सअद बिन मुआज़ का ज़िक्र नहीं किया, इतना इज़ाफ़ा किया कि हम उसे अपने दरम्यान चलता देखकर ये समझते कि वो जन्नती आदमी है।

बाब 53 : क्या जाहिलियत के दौर के आमाल का मुवाख़िज़ा (पकड़) होगा?

باب هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ " أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ " .

(318) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारे जाहिलियत के अ़मलों पर मुवाख़िज़ा होगा? आपने फ़रमाया, 'जिसने इस्लाम लाने के बाद अच्छे आ़माल किये उसके जाहिलियत के आ़माल का मुवाख़िज़ा नहीं होगा और जिसने बुरे अ़मल किये उसके जाहिलियत और इस्लाम दोनों के आ़माल का मुवाख़िज़ा होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 6523)

फ़ायदा : इस्लाम लाने का मक़सद ये है कि वो अपने कुफ़्र के आ़माल से बाज़ आ जाये। इसलिये इस्लाम लाने से तमाम पिछले आ़माल माफ़ हो जाते हैं। एक इंसान ईमान लाने के बाद भी अगर पिछले आ़माल से बाज़ नहीं आता तो इसका मानी ये है वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हुआ है। उसने हक़ीक़ी तौर पर इस्लाम को क़ुबूल नहीं किया।' इसलिये उसका तमाम पर मुवाख़िज़ा होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ " مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ " .

(319) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारा जाहिलियत के अ़मलों पर मुवाख़िज़ा होगा? (पकड़ होगी) आपने फ़रमाया, 'जिसने इस्लाम लाने के बाद अच्छे अ़मल किये, उसके जाहिलियत के आ़माल का मुवाख़िज़ा नहीं होगा और जिसने इस्लाम में बुरा तरीक़ा इख़्तियार किया उसके पहले और पिछले आ़माल पर मुवाख़िज़ा होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 6523, इब्ने माजह : 4242)

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(320) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान की है।

باب كَوْنِ الإِسْلاَمِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةُ وَالْحَجُّ

बाब 54 : इस्लाम, ऐसे ही हज और हिज्रत पहले गुनाहों को मिटा देते हैं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ . فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ . فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي وَلاَ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ

(321) इब्ने शमासा महरी से रिवायत है कि अम्र बिन आस (रज़ि.) के पास उनकी मौत के वक़्त मौजूद थे तो वो देर तक रोते रहे और चेहरा दीवार की तरफ़ कर लिया। तो उनका बेटा कहने लगा, ऐ अब्बा जान! क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको फ़लाँ चीज़ की बशारत नहीं दी? क्या फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? तो वो हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहा, हम सबसे बेहतर चीज़ जिसका एहतिमाम व तैयारी करते हैं अल्लाह की उलूहियत और मुहम्मद की रिसालत की गवाही है और मुझ पर तीन क़िस्म के हालात गुज़रे हैं (पहला ये) मैंने अपने आपको इस हालत में पाया कि मुझसे ज़्यादा किसी को रसूलुल्लाह (ﷺ) से बुग़्ज़ न था और न इससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे पसंद थी कि मैं आप पर क़ाबू पाकर आपको क़त्ल कर दूँ। अगर मैं (ख़ुदा-नख़्वास्ता) इस हालत में मर जाता तो मैं यक़ीनन दोज़ख़ी होता। (दूसरा हाल) जब अल्लाह तआला ने मेरे दिल में इस्लाम की मुहब्बत पैदा कर दी तो मैं रसलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, अपना दायाँ हाथ बढ़ाइये ताकि मैं आपकी बैअत कर

عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ يَمِينَهُ - قَالَ - فَقَبَضْتُ يَدِي . قَالَ " مَا لَكَ يَا عَمْرُو " . قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ . قَالَ " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا " . قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي . قَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ " . وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي .

सकूँ। आपने दायाँ हाथ फैला दिया, तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। आपने फ़रमांया, 'ऐ अम्र! क्या बात है?' मैंने अर्ज़ किया, शर्त तय करना चाहता हूँ। फ़रमाया, 'क्या शर्त चाहते हो?' मैंने अर्ज़ किया, मुझे माफ़ी मिल जाये। आपने फ़रमाया, 'क्या तुझे मालूम नहीं इस्लाम पहले गुनाहों को मिटा देता है? और हिज्रत पहले गुनाहों को मिटा देती है? और हज पहले गुनाहों को साक़ित कर देता है?' उस वक़्त मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़्यादा महबूब कोई न था और न ही आपसे बढ़कर मेरे नज़दीक कोई जलीलुल क़द्र था और मैं आपकी तौक़ीर की बिना पर आँख भरकर आपको देख नहीं सकता था और अगर मुझसे आपका हुलिया पूछा जाये तो मैं बयान नहीं कर सकूँगा। क्योंकि मैंने आपको आँखें भरकर देखा ही नहीं और अगर मैं इस हालत में मर जाता तो मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नती होता। (तीसरा हाल ये है) फिर कुछ काम हमारे सुपुर्द हुए। मैं नहीं जानता उनकी अदायगी में मेरी हालत क्या रही। (उनकी बिना पर मेरा अन्जाम क्या होगा) तो जब मैं मर जाऊँ कोई नौहा करने वाली मेरे साथ न हो और न ही आग हो और जब तुम मुझे दफ़न कर चुको तो मुझ पर मिट्टी डालना, फिर मेरी क़ब्र के गिर्द इतना वक़्त ठहरना जिसमें ऊँट ज़िब्ह करके उसका गोश्त तक़सीम किया जा सके। ताकि मैं तुम्हारी वजह से उन्स हासिल कर सकूँ और देख लूँ अपने रब के फ़रिस्तादों को मैं क्या जवाब देता हूँ?

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सियाक़ुल मौत : मौत की आमद, मौत का क़ुर्ब। **(2) अत्बाक़ :** तबक़ की जमा है, हालत। **(3) इस्तम्कन्तु :** मकनत व क़ुदरत हासिल कर सकूँ। **(4) मुकनह :** क़ुव्वत से माख़ूज़ है। **(5) उब्सुत यमीनक :** अपना दाहिना हाथ बढ़ाइये। **(6) यह्दिमु मा क़ब्लुहू :** पहले अस़रात मिटा देता है या ख़त्म कर देता है, यानी उससे पहले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। **(7) इज्लाल :** जलालत से माख़ूज़ है, इ़ज़्ज़त व बड़ाई। **(8) अन असिफ़हू :** आपका हुलिया व सूरत बयान करूँ। **(9) शुन्नू अलत्तुराब :** मुझ पर मिट्टी डालना। **(10) नाइहह :** नौहा और मातम करने वाली। **(11) जज़ूर :** ऊँटनी जिसे नहर किया जाता है।

फ़वाइद : (1) हदीस़ से इस्लाम, हिज्रत और हज की अ़जमत और मक़ाम व मर्तबा ज़ाहिर है अगर ये काम इख़्लास और हुस्ने निय्यत से किये जायें तो उनसे पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और गुनाहों की नहूसत से पाक-साफ़ होकर इंसान नेकी करने का जज़्बा हासिल कर लेता है, इस्लाम लाते ही मब्ग़ूज़ तरीन शख़्सियत, महबूब तरीन बन जाती है। **(2)** जाहिलिय्यत के दौर में मरने वाले के साथ, उसकी इ़ज़्ज़त और क़द्रो-मन्ज़िलत के इज़हार के लिये मातम करने वाली जाती थीं और उसकी जूदो-सख़ा की तरफ़ इशारा करने के लिये आग भी साथ ले जाई जाती थी। जाहिलिय्यत के इस शिआ़र को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। **(3)** हाज़िरीन को क़ब्र पर मिट्टी डालना चाहिये। मय्यित को दफ़न करने के बाद क़ब्र के पास कुछ वक़्त के लिये रुककर स़ाबित क़दमी की दुआ करना मसनून है। लेकिन इससे ये स़ाबित नहीं होता कि क़ब्र के पास जो बातचीत की जाती है क़ब्र वाला उसको सुनता है, जूतों की आवाज़ सुनने और हर चीज़ सुनने में बहुत फ़र्क़ है। (शरह नववी : 1/76)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، - وَاللَّفْظُ لإِبْرَاهِيمَ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي

(322) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ मुश्रिक लोगों ने (जाहिलिय्यत के दौर में) बहुत क़त्ल किये, बहुत ज़िना किये, फिर मुहम्मद (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, आप जो कुछ फ़रमाते हैं और जिस राह की दावत देते हैं, बहुत अच्छा है अगर आप हमें ये बता दें कि जो अ़मल हम कर चुके हैं उनका कफ़्फ़ारा है (तो हम ईमान ले आयें) तो ये आयत नाज़िल हुई, 'जो लोग अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते और जिस जान को अल्लाह ने

تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ ‏{‏ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ وَنَزَلَ ‏{‏ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‏}‏ ‏.‏

महफ़ूज़ क़रार दिया है उसे क़त्ल नहीं करते मगर हाँ हक़ तौर पर और न ज़िना करते हैं और जो ऐसा करेगा उसको सज़ा से साबिक़ा पड़ेगा।' (सूरह फ़ुरक़ान : 68) और नाज़िल हुआ, 'ऐ मेरे बन्दो! जो अपने ऊपर ज़्यादतियाँ कर चुके हो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो।' (सूरह ज़ुमर : 53)

(सहीह बुख़ारी : 4532, अबू दाऊद : 4274, नसाई : 7/226)

फ़ायदा : हदीस़ का पूरा मफ़्हूम समझने के लिये ज़रूरी है कि इन दोनों आयतों के बाद वाली आयतों को पढ़ा जाये। ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि तौबा से (इस्लाम लाना भी कुफ़्र व शिर्क से तौबा है) तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

باب بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

बाब 55 : इस्लाम लाने के बाद (काफ़िर के साबिक़ा आमाल का हुक्म)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ‏"‏ ‏.‏ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ ‏.‏

(323) इ़रवह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे हकीम बिन हिज़ाम ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, बताइये वो काम जो मैं जाहिलिय्यत के दौर में गुनाह से बचने की ख़ातिर करता था, क्या मुझे उनका कुछ अज्र मिलेगा? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो तुम पहले नेकियाँ कर चुके हो, उनके साथ इस्लाम लाये।' तहन्नुस़, तअ़ब्बुदु यानी इबादत व बन्दगी को कहते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1369, 2107, 2401, 5646)

(324) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये वो उमूर (नेकियाँ) जो मैं जाहिलिय्यत के दौर में गुनाह से बचने के लिये करता था यानी सदक़ा व ख़ैरात, गुलामों की आज़ादी, सिला रहमी, तो क्या ये अज्र का बाइस होंगी? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू पहली नेकियों पर इस्लाम लाया है (यानी साबिक़ा नेकियाँ क़ायम हैं)।'

(सहीह बुख़ारी : 6523, इब्ने माजह : 4242)

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ، حَدَّثَنِي - يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىْ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ أَفِيهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ " .

(325) हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, वो नेकियाँ जो मैं जाहिलिय्यत के दौर में किया करता था (बक़ौल हिशाम यानी मैं उनके ज़रिये नेकी व एहसान करता था) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम उन गुज़िश्ता नेकियों के सबब ईमान लाये हो।' मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैंने जो काम जाहिलिय्यत में किये थे, उनमें से किसी अमल को नहीं छोड़ूँगा, मगर वैसा ही इस्लाम में भी करूँगा। जाहिलिय्यत वाले काम इस्लाम की हालत में करता रहूँगा।

(सहीह बुख़ारी : 6523, इब्ने माजह : 4242)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ " . قُلْتُ فَوَاللَّهِ لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : अतबर्ररुबिहा : बिर (नेकी, एहसान) से माख़ूज़ है। इनके ज़रिये लोगों से एहसान और अल्लाह का तक़र्रुब चाहता था।

फ़ायदा : इस हदीस़ का एक मतलब ये भी लिया गया है जाहिलिय्यत के दौर के नेक आमाल ने तेरे अंदर, इस्लाम लाने की सलाहियत व इस्तिअ़दाद पैदा की और वो तेरे इस्लाम लाने का बाइस़ व सबब बने। या ये उन ही नेकियों की बरकत और नतीजा है कि तुम इस्लाम ले आये हो।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الإِسْلاَمِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(326) हिशाम बिन उ़रवह बयान करते हैं कि हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने दौरे जाहिलिय्यत में सौ ग़ुलाम आज़ाद किये और सौ ऊँट सवारी के लिये सदक़ा किये फिर इस्लाम लाने के बाद भी सौ ग़ुलाम आज़ाद किये और सौ ऊँट सवारी के लिये ख़ैरात किये। फिर नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

(सहीह बुख़ारी : 6523, इब्ने माजह : 4242)

باب صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلاَصِهِ

बाब 56 : ईमान की सच्चाई और इख़्लास

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ { يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}

(327) हज़रत अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अपने ईमान के साथ ज़ुल्म की मिलावट नहीं की।' (सूरह अन्आम : 82) तो सहाबा किराम (रज़ि.) पर ये आयत बहुत शाक़ (भारी) गुज़री। उन्होंने गुज़ारिश की, हममें से कौन है जिसने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म नहीं किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस आयत का मतलब वो नहीं है जो तुम समझते हो। ज़ुल्म से मुराद वो है जैसाकि लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, 'ऐ बेटे! अल्लाह के साथ शिर्क न कर, शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है।' (सूरह लुक़मान : 13)

(सहीह बुख़ारी : 3181, 3245, 3246, 4353, 4498, 6520, 6538, तिर्मिज़ी : 3067)

(328) इमाम साहब अपने बहुत से दूसरे उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 1369, 2107, 2401, 5646)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَوَّلاً أَبِي، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

फ़ायदा : ज़ुल्म का लुग़वी मानी वज्उश्शैइ फ़ी ग़ैरि महल्लिही है किसी चीज़ को उसके मौक़े और महल की बजाय दूसरे महल में रखना यानी बेजा काम करना। इस ऐतबार से एक हक़ीर और मामूली गुनाह भी ज़ुल्म है और बड़े से बड़ा गुनाह भी ज़ुल्म है गोया ज़ुल्म कुल्ली मुशक्कक है जिसके तमाम अफ़राद व जुज़्इयात बराबर दर्जे के नहीं होते। इसलिये सहाबा के लिये ये आयत नागवारी का बाइस़ बनी कि छोटा-मोटा गुनाह तो हर फ़र्दे बशर (इन्सान) से सादिर हो जाता है इससे तो मासूम के सिवा कोई नहीं बच सकता। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि ज़ुल्म किससे सादिर नहीं होता? तो आपने बता दिया कि यहाँ ज़ुल्म से मुराद, हर क़िस्म का ज़ुल्म नहीं है बल्कि वो ज़ुल्म है जो ईमान के साथ जमा होकर उसके मिटाने का बाइस़ बनता है यानी शिर्क मुराद है जो इंसान के ईमान को ख़त्म कर देता है शिर्क के सिवा कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो ईमान को कल्अदम (नहीं के बराबर) क़रार दे।

बाब 57 : अल्लाह तआला ने इंसान पर उतनी ही ज़िम्मेदारी डाली है जितनी उसके बस में है

باب بَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا مَا يُطَاقُ

(329) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पर आयत उतरी, 'आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है और तुम्हारे नफ़्सों (दिलों) में जो कुछ है उसको ज़ाहिर करो या छिपाओ, अल्लाह उस पर तुम्हारा मुहासबा (पकड़) करेगा, फिर जिसे चाहेगा बख़्श देगा और जिसे चाहेगा अज़ाब देगा

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، - وَاللَّفْظُ لأُمَيَّةَ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

और अल्लाह जो चाहे कर सकता है।' (सूरह बक़रह : 284) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों पर शाक़ गुज़री, तो वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर दो ज़ानू बैठ गये और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! हमें ऐसे आमाल का मुकल्लफ़ ठहराया गया है जो हमारी मक़दरत में हैं (हम कर सकते हैं) नमाज़, रोज़ा, जिहाद और सदक़ा और अब आप पर ये आयत उतरी है जिस पर अमल हमारे बस में नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम दोनों किताबों वालों (यहूदो-नसारा) जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं की तरह कहना चाहते हो कि हमने सुना और नाफ़रमानी की (न माना) बल्कि यूँ कहो, हमने सुना और इताअत की (माना) ऐ हमारे रब! हम तेरी बख़्शिश के तलबगार हैं और तेरी ही तरफ़ लौटना है।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, हम ने सुनकर मान लिया, ऐ हमारे रब! हम तेरी बख़्शिश के तलबगार हैं और तेरी ही तरफ़ लौटना है।' जब सहाबा किराम (रज़ि.) ने ये अल्फ़ाज़ पढ़े तो उनके लिये उनकी ज़बानें नर्म हो गईं, (आसानी से अल्फ़ाज़ उनकी ज़बानों पर जारी हो गये) अल्लाह ने पहली आयत के बाद ये आयतें उतारी, 'और रसूल पर उसके रब की तरफ़ से जो कुछ उतारा गया उस पर रसूल और मोमिन, ईमान ले आये, सब ईमान ले आये अल्लाह, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, हम उसके रसूलों के दरम्यान (ईमान लाने में) बिल्कुल फ़र्क़ नहीं करते और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने मान लिया, ऐ हमारे रब! हम तेरी बख़्शिश के ख़्वास्तगार हैं और तेरी

صلى الله عليه وسلم { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَىْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ نُطِيقُهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ " . قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا } آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قَالَ نَعَمْ {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قَالَ نَعَمْ {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قَالَ نَعَمْ {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قَالَ نَعَمْ .

ही तरफ़ वापसी है।' (सूरह बक़रह : 285) जब उन्होंने ये कहा, तो अल्लाह ने आयत उतारी, जिसने पहली आयत को मन्सूख़ कर दिया, 'अल्लाह किसी नफ़्स को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता (ज़िम्मेदारी नहीं डालता) उसके नफ़ा के लिये हैं (जो नेकियाँ) उसने कमाईं और उसी पर वबाल है (उन बुराइयों का) जो उसने कीं। ऐ हमारे रब! अगर हम भूल जायें तो हमारा मुवाख़िज़ा न करना या अगर हम चूक जायें (तो फिर भी न पकड़ना) अल्लाह ने फ़रमाया, ठीक है! ऐ हमारे रब! और हम पर बोझ न डाल उन लोगों की तरह जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं। अल्लाह ने फ़रमाया, ठीक है! ऐ हमारे आक़ा! हमको हमारी ताक़त से ज़्यादा अहकाम का मुकल्लफ़ न ठहरा (हम पर ऐसा बोझ न डाल जिसके उठाने की हम में ताक़त नहीं) अल्लाह ने फ़रमाया, अच्छा! और हमसे दरगुज़र फ़रमा और हमें बख़्श दे और हम पर मेहरबानी फ़रमा तू हमारा मौला है काफ़िरों के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमा। अल्लाह ने फ़रमाया, ठीक है।' (सूरह बक़रा : 286)

मुफ़रदातुल हदीस़ : नसख़ : का लुग़्वी मानी है इज़ाला करना, हटा देना। कहते हैं, नसख़तिश्शम्सुज़्ज़िल्ल 'धूप ने साया ज़ाइल कर दिया।' दूसरा मानी है नक़ल करना। कहते हैं, नसख़्तुल किताब मैंने किताब नक़ल की।

फ़ायदा : सहाबा किराम (रज़ि.) ने (मा फ़ी अन्फुसिकुम) के मा को आ़म समझा कि दिल के अंदर जो वस्वसे आते हैं या जिन ख़्यालात का ख़तरा होता है या दिल के अंदर जो अ़क़ाइद व अफ़्कार जम जाते हैं, सब उसमें दाख़िल होते हैं जबकि दिल के अंदर पैदा होने वाले ख़्यालात या वस्वसे जो आते और गुज़र जाते हैं, वो इंसान के बस में नहीं हैं। अगर उन पर भी मुवाख़िज़ा हो तो कोई इंसान मुवाख़िज़े से बच नहीं सकेगा। इसलिये ये आयत उनके लिये इन्तिहाई परेशानी और इज़्तिराब का बाइस़ बनी और वो

रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए जबकि ये ज़ाहिरी-मानी मुराद नहीं था। मुवाख़िज़ा तो उन्ही अफ़्कार व नज़रियात या दिल में जम जाने वाले अ़क़ाइद व तसव्वुरात पर हैं जिनको इंसान शऊरी तौर पर दिल में जगह देता है, इसलिये आपने जवाब दिया, अहले किताब वाला तर्ज़े अ़मल इख़्तियार न करो कि जो काम उनके बस में होते थे वहाँ भी उनका अ़मल समिअ़्ना व अ़सैना था कि (सुन लिया लेकिन अ़मल नहीं करेंगे) सहाबा किराम (रज़ि.) ने सरे तस्लीम ख़म कर दिया तो अगली आयत में ज़ाहिरी मानी लेने की तर्दीद की गई और पहली आयत का मफ़्हूम वाज़ेह हो गया। ज़ाहिरी मानी की तब्दीली व तग़य्युर या इज़ाले को नस्ख़ से ताबीर किया गया है। रफ़ओ हुक्म वाला मानी मुराद नहीं है कि पहले तो यही हुक्म कि वसाविस व ख़तरात पर भी मुवाख़िज़ा होगा जो इंसान के बस में नहीं हैं और फिर (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन) से इस हुक्म को मन्सूख़ कर दिया गया हो, बल्कि अल्लाह का मक़सद पहले ही से दिल में जम जाने वाले अ़क़ाइद व आमाल थे।

(330) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत 'तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसको ज़ाहिर करो या छिपाओ अल्लाह उस पर तुम्हारा मुवाख़िजा करेगा' उतरी, इससे सहाबा के दिल में इस क़द्र ख़ौफ़ पैदा हुआ जो किसी चीज़ से पैदा नहीं हुआ था। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'यूँ कहो, हमने सुना हमने इताअ़त की और हमने मान लिया।' तो अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों में यक़ीन डाल दिया। इस पर ये आयत उतरी, 'अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को उसकी ताक़त से ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं ठहराता, हर शख़्स को (उन नेकियों पर सवाब मिलेगा) जो उसने की हैं (और उन पर आमाल का उस पर वबाल होगा) जो उसने किये हैं। ऐ हमारे आक़ा! अगर हम भूल जायें या चूक जायें तो हमारा मुवाख़िज़ा न करना। अल्लाह ने फ़रमाया, 'मैंने ऐसा कर दिया।' ऐ हमारे रब! हम पर बोझ न डाल

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ‏}‏ قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَىْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قَالَ قَدْ فَعَلْتُ } رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} - قَالَ قَدْ فَعَلْتُ } وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا} قَالَ قَدْ فَعَلْتُ .

जैसाकि तूने उन लोगों पर डाला जो हमसे पहले थे। फ़रमाया, 'मैंने ऐसा कर दिया।' हमसे दरगुज़र फ़रमा, हमें बख़्श दे और हम पर रहम फ़रमा, तू ही हमारा मददगार और कारसाज़ है। अल्लाह ने फ़रमाया, 'मैंने ऐसा कर दिया।'

(तिर्मिज़ी : 2992)

باب تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَالْخَوَاطِرِ، بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

बाब 58 : अल्लाह तआला ने हदीसे नफ़्स और दिल में आने वाले ख़्वातिर से दरगुज़र फ़रमाया बशर्तेकि वो दिल में जगह न बना लें

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ " .

(331) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की उन बातों से दरगुज़र फ़रमाया है जो वो अपने नफ़्स से करे, जब तक उनको ज़बान पर न लायें या उन पर अमल पैरा न हों।'

(सहीह बुख़ारी : 2391, 4968, 6287, अबू दाऊद : 2209, तिर्मिज़ी : 1183, नसाई :6/157, इब्ने माजह : 2040, 2044)

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي

(332) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की उन बातों से दरगुज़र फ़रमाया है जो वो अपने नफ़्स से करे जब तक उस पर अमल या कलाम न करे।'

(सहीह बुख़ारी : 3181, 3245, 3246, 4353, 4498, 6520, 6538, तिर्मिज़ी : 3067)

هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तजावज़ : दरगुज़र करना, माफ़ कर देना। जवाज़ : (तसाहुल व चश्मपोशी) से माख़ूज़ है। **(2) हद्दस़त बिही अन्फ़ुसुहा :** नफ़्स के ऐराब के बारे में उलमा के दो ख़्याल हैं (1) नफ़्स, मफ़ऊल बिही और मन्सूब है इस सूरत में मानी होगा, जो वो अपने दिल से बात करे। मशहूर और ज़्यादा ज़ाहिर यही क़ौल है और क़ाज़ी अयाज़ ने हदीस़, 'हममें से एक अपने नफ़्स से बात करता है' से इसकी ताईद की है और अल्लाह तआला के फ़ज़्ल व करम का ज़्यादा इज़्हार इसी से होता है। (2) नफ़्स, फ़ाइल और मरफ़ूअ है मानी उसके दिल में बात आती है। इमाम तहावी ने नअ्लमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहू से इसकी ताईद की है और बुख़ारी की हदीस़ भी है। मा वस्वसत बिही सदरुहा लेकिन ज़ाहिर है हदीसे नफ़्स और वस्वसे में फ़र्क़ है। अल्लाह तआला ने दोनों से दरगुज़र फ़रमाया है।

फ़ायदा : ख़्यालात व तसव्वुरात की दो क़िस्में हैं। लेकिन वो दिल में जमते नहीं हैं वो आते हैं और गुज़र जाते हैं। इंसान उन पर ग़ौर व फ़िक्र नहीं करता और न उनका अ़ज़्म व क़सद या इरादा करता है, उनको वस्वसे और ख़तरात का नाम दिया जाता है। दूसरे क़िस्म के ख़्यालात वो हैं जो इंसान ख़ुद दिल में लाता है, उन पर ग़ौर व फ़िक्र करता है और कई बार उनका अ़ज़्म व क़सद और इरादा भी कर लेता है। इनकी भी दो क़िस्में हैं एक वो जिनका ताल्लुक़ ज़बान या आज़ा जवारिह से है जैसे चुग़ली, ग़ीबत, बोहतान या चोरी, ज़िना और शराब पीना। दूसरा वो जिनका ताल्लुक़ क़ल्ब व दिल से है जैसे हसद, बुग़्ज़ व कीना, किब्र, नख़ुवत, हिर्स, तमअ़ (लालच) वग़ैरह, वसाविस (वस्वसे) और ख़तरात पर मुवाख़िज़ा नहीं है। इसी तरह आज़ा जवारिह से ताल्लुक़ रखने वाले आमाल का दिल में क़सद व इरादा करना या अ़ज़्म करना इस पर भी मुवाख़िज़ा नहीं है। यही उम्मते मुहम्मदिया का शर्फ़ है। पहली उम्मतों का इस पर मुवाख़िज़ था लेकिन चीज़ों का ताल्लुक़ सिर्फ़ दिल से है यानी वो क़ाल्बी आमाल नहीं है, क़ल्बी आमाल हैं। उनके हम व अ़ज़्म और क़सद व इरादे पर मुवाख़िज़ा होगा क्योंकि वो अमल में आ चुके हैं। इसलिये मुत्लक़ ये कह देना कि जो ख़्याल में जम गया और मज़बूत हो गया या उसका अ़ज़्म व क़सद और इरादा कर लिया तो उस पर मुवाख़िज़ा होगा, दुरुस्त नहीं है क्योंकि आगे आ रहा है कि एक इंसान बुराई का इरादा कर लेता है लेकिन अल्लाह के ख़ौफ़ व डर से उससे बाज़ आ जाता है तो उसका अज्र व स़वाब होगा, अगर सिर्फ़ इरादे पर मुवाख़िज़ा है तो उस पर गुनाह होना चाहिये था।

(333) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَهِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبَانَ،

جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(सहीह बुख़ारी : 3181, 3245, 3246, 4353, 4498, 6520, 6538, तिर्मिज़ी : 3067)

باب إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

बाब 59 : इंसान जब नेकी का इरादा करता है तो वो नेकी लिख ली जाती है और जब बुराई का क़सद व अ़ज़्म करता है (उसको अ़मल में नहीं लाता) तो बुराई नहीं लिखी जाती

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا " .

(334) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, जब मेरा बन्दा किसी गुनाह का क़सद व अ़ज़्म करे तो उसको उसके नामाए आ़माल में न लिखो अगर वो उसको अ़मल में लाये तो उसे एक बदी लिखो और जब नेकी का क़सद व अ़ज़्म करे तो उसको एक नेकी लिख लो, पस अगर उस पर अ़मल करे तो दस नेकियाँ लिख लो।'

(तिर्मिज़ी : 3073, नसाई : 8/233)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हम्म क़सद व अराद : कुछ हज़रात ने हम्म (क़सद व अराद) और अ़ज़्म (पुख़्ता व मज़बूत इरादा) में फ़र्क़ किया है उनके नज़दीक क़सद और इरादे पर मुवाख़िज़ा नहीं है लेकिन अ़ज़्म पर मुवाख़िज़ा है। वो दीन में आने वाले ख़यालात को पाँच क़िस्मों में तक़सीम करते हैं। (1) हाजिस : किसी चीज़ का अचानक ख़याल आ जाये और गुज़र जाये। (2) ख़ातिर : किसी चीज़ का बार-बार ख़याल आये लेकिन उसके करने या बोलने का क़सद न करे। (3) हदीसे नफ़्स जिस चीज़ का ख़याल आये, ज़हन उसकी तरफ़ राग़िब हो और उसके हुसूल का मन्सूबा सोचे। (4) हम्म, किसी चीज़ का दिल में ख़याल आये और उसके हुसूल का इरादा ग़ालिब हो, अगरचे किसी मुख़्तस्स नुक़सान की

बिना पर ख़फ़ीफ़ सा ख़याल हो उसको हासिल न किया जाये। (5) अज़्म, किसी चीज़ का ख़याल दिल में जम जाये और उसके हुसूल का पुख़्ता अज़्म व इरादा हो।

फ़ायदा : मुसलमान पर अल्लाह तआला का ये फ़ज़्ल व करम है नेकी करने का सिर्फ़ इरादा ही एक नेकी के अज्र व सवाब का बाइस बनता है और अगर वो अपने क़सद व इरादे को अमली जामा पहना लेता है तो उसके अज्र व सवाब में कम से कम दस गुना इज़ाफ़ा होता है। लेकिन अगर वो बुराई का इरादा करता है तो जब तक वो उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं करता उसके नाम-ए-आमाल में बुराई नहीं लिखी जाती और अगर वो अल्लाह के ख़ौफ़ और डर से उससे बाज़ आ जाये तो उसके लिये नेकी लिख दी जाती है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً " .

(335) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया है जब मेरा बन्दा किसी नेकी का क़सद व इरादा करे और उसको अमल में न लाये तो मैं उसके लिये एक नेकी लिखूँगा, पस अगर उस पर अमल कर ले तो मैं उसको दस नेकियों से सात सौ गुना तक लिखूँगा और जब मेरा बन्दा किसी बुराई का क़सद व इरादा करे और उसको अमल में नहीं लाये तो मैं उसके ख़िलाफ़ उसे नहीं लिखूँगा, पस अगर उस पर अमल करे तो मैं एक बुराई लिखूँगा।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا

(336) हम्माम बिन मुनब्बिह से रिवायत है कि ये वो हदीसें हैं जो हमें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनाईं, उनमें से एक ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'जब मेरा बन्दा दिल में किसी नेकी के करने की बात करता है, तो मैं उसके लिये ऐक नेकी लिख देता हूँ, अगरचे उस पर अमल न करे, फिर अगर उस को

تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً - وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا . وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً - إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ" .

अमल में ले आये तो मैं उसे दस गुना लिख लेता हूँ और जब दिल में बुराई करने की बात करता है तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ जब तक वो उसको न करे, तो जब वो उसको अमल में ले आये तो एक ही बुराई लिखता हूँ।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते पूछते हैं ऐ आक़ा! तेरा बन्दा बुराई करना चाहता है (और अल्लाह उसको ख़ूब देख रहा होता है) तो अल्लाह फ़रमाता है, 'उसका इन्तिज़ार करो अगर बुराई करे तो उसके बराबर लिख लो (एक बुराई लिख लो) और अगर उसको छोड़ दे तो उसे उसके लिये एक नेकी लिखो। क्योंकि उसने मेरी ख़ातिर उसे छोड़ा है (मेरे डर या अज़मत के एहसास की बिना पर छोड़ दिया है)।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुमसे कोई एक अपने इस्लाम को ख़ालिस कर लेता है एहसान की सिफ़त अपने अंदर पैदा कर लेता है तो हर वो नेकी जिसे वो करता है उसे दस गुना से लेकर सात सौ गुना लिखा जाता है और हर वो बुराई जिसको वो कर गुज़रता है उसको एक ही लिखा जाता है। यहाँ तक वो अल्लाह से जा मिलता है (फ़ौत हो जाता है।)।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : मिन जर्राया : मेरी ख़ातिर या मेरे वास्ते।

फ़ायदा : नेकी के अज्र व स़वाब के मरातिब में फ़र्क़ का मदार, नेकी करने वाले के जज़्बे, इख़्लासे निय्यत, उसके हालात और मौक़े महल पर है जिस क़द्र इंसान के अंदर नेकी का वल्वला व जोश ज़्यादा और उसका इख़्लास व एहसान बुलंद दर्जे का होगा। वो जिस क़द्र ईसार व क़ुर्बानी का मुज़ाहिरा करेगा और जिस क़द्र मौक़ा व महल ज़्यादा मुनासिब और मुस्तहिक़ होगा उस क़द्र स़वाब ज़्यादा होगा जो सात सो गुना बल्कि बिला हिसाब तक पहुँच जायेगा और जिस क़द्र उन चीज़ों में कमी होगी उसी क़द्र स़वाब

कम होगा और कम होते-होते दस तक रह जायेगा और बक़ौल कुछ उन मरातिब का ताल्लुक़ मुख़्तलिफ़ आमाल से है। जैसे इबादाते बदनिया पर दस गुना, सदक़ात व ख़ैरात पर सात सौ गुना और सब्र व सबात और ज़ब्ते नफ़्स पर बिला हिसाब व लामहदूद (अनगिनत)।

(337) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स किसी नेकी का इरादा करता है और उसे करता नहीं है, उसके लिये एक नेकी लिखी जाती है और जो शख़्स नेकी का इरादा करके उस पर अमल भी करता है, उसके लिये दस से सात सौ गुना तक नेकियाँ लिखी जाती हैं और जो शख़्स किसी बुराई का इरादा करके करता नहीं है उसकी बुराई नहीं लिखी जाती और अगर उसे कर गुज़रता है तो उसे लिख दिया जाता है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ " .

(338) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) नबी (ﷺ) से हदीसे क़ुदसी बयान करते हैं (कि आपने उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ की) फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने नेकियाँ और बुराइयाँ लिख ली हैं, फिर उनकी तफ़्सील बता दी है, तो जो शख़्स किसी नेकी का इरादा करके उस पर अमल नहीं करता तो अल्लाह उसे अपने यहाँ एक कामिल नेकी लिख लेता है और अगर नेकी का इरादा करके उसे कर गुज़रता है तो अल्लाह उसे अपने यहाँ दस से सात सौ गुना और उससे बहुत ज़्यादा लिख लेता है और अगर बुराई का इरादा करके, उसे (अल्लाह के डर ख़ौफ़ से) करता नहीं है तो अल्लाह उसे अपने यहाँ एक पूरी नेकी लिख लेता है और अगर इरादा करके कर गुज़रता है तो

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ

حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً " .

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल अपने यहाँ एक ही बुराई लिखता है।'

(सहीह बुख़ारी : 6126)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ . وَزَادَ " وَمَحَاهَا اللَّهُ وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ هَالِكٌ " .

(339) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें ये इज़ाफ़ा है, 'और अल्लाह उसे मिटा देता है और अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ हलाक होने वाला ही हलाक होता है (कि अल्लाह के इस क़द्र फ़ज़्ल व करम के बावजूद तबाही से न बच सका)।'

(तिर्मिज़ी : 3073, नसाई : 8/233)

باب بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

बाब 60 : ईमान के बावजूद वस्वसा आना और उसके आने पर क्या कहना चाहिये

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ . قَالَ " وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ " .

(340) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के कुछ साथी हाज़िर होकर दरख़्वास्त गुज़ार हुए, हमारे दिल में ऐसे वस्वसे आते हैं कि हममें से कोई उनको ज़बान पर लाना इन्तिहाई संगीन समझता है।' आपने पूछा, 'क्या वाक़ेई उन ख़्यालात पर ये गिरानी महसूस करते हो?' उन्होंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'ये तो ख़ालिस ईमान है।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यतआ़ज़मु : उसको बड़ा गिराँ और नागवार तसव्वुर करता है। **(2) सरीहुल ईमान :** ख़ालिस ईमान है।

फ़ायदा : किसी इंसान की ये कैफ़ियत व हालत कि वो दीन व शरीअ़त के ख़िलाफ़ ख़्यालात-वस्वसे से इतना घबराये कि किसी के सामने उनका इज़्हार करना उसके लिये गिराँ हो तो ये ईमान के ख़ालिस होने की दलील है।

(341) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से भी मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

(342) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी से वस्वसे के बारे में सवाल हुआ। आपने फ़रमाया, 'ये तो ख़ालिस ईमान है।'

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَسْوَسَةِ قَالَ " تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ " .

फ़ायदा : वस्वसे का सबब या वजह ईमान है क्योंकि शैतान उसके दिल में वस्वसे डालता है जिसके गुमराह करने से वो नाउम्मीद होता है और जो लोग काफ़िर व फ़ासिक़ हैं और उसके क़ाबू में हैं उनके दिल में उसे वस्वसा डालने की क्या ज़रूरत है? इसलिये वस्वसा ईमान की अलामत है, बशर्तेकि इंसान उसको नागवार ख़्याल करे।

(343) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि..) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग हमेशा एक-दूसरे से (फ़िज़ूल) सवालात करते रहेंगे यहाँ तक कि ये (अहमक़ाना) सवाल भी होगा, अल्लाह ने सब मख़्लूक़ को पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है? पस जिस किसी के ज़हन में इस क़िस्म का सवाल पैदा हो वो यही कहकर (बात ख़त्म कर दे) मैं अल्लाह पर ईमान लाया।'

(सहीह बुख़ारी : 3102, अबू दाऊद : 4721)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ " .

फ़ायदा : मतलब ये है कि मोमिन का रवैया उन सवालात और वस्वसों के बारे में ये होना चाहिये कि वो

सवाल करने वाले आदमी से या वस्वसा डालने वाले शैतान से और अपने नफ़्स से कहे कि मुझे अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान की रोशनी नसीब हो गई। इसलिये मेरे लिये ये सवाल क़ाबिले तवज्जह और लायक़े इल्तिफ़ात नहीं है जिस तरह किसी आँखों वाले के लिये सवाल क़ाबिले ग़ौर नहीं है कि सूरज चढ़ा हुआ है या नहीं? वो रोशन है या तारीक? क्योंकि जब अल्लाह उस हस्ती का नाम है जिसका वजूद उसकी ज़ाती सिफ़त है और वो तमाम मौजूदात को वजूद बख़्शने वाला है किसी का मोहताज नहीं है अगर उसके मुताल्लिक़ भी सवाल क़ाबिले ग़ौर है तो फिर वो ख़ालिक़ कहाँ रहेगा वो तो मख़्लूक़ और मोहताज होगा।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ " وَرُسُلِهِ " .

(344) इमाम साहब एक और सनद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी के पास शैतान आकर कहता है आसमान को किसने पैदा किया? ज़मीन को किसने पैदा किया? तो वो जवाब देता है, अल्लाह ने।' फिर ऊपर वाली रिवायत बयान की और आमन्तु बिल्लाह के बाद व रुसुलिही (उसके रसूल पर) का इज़ाफ़ा किया।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ " .

(345) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी के पास शैतान आता है और पूछता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया? फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया? यहाँ तक कि उससे सवाल करता है तेरे रब को किसने पैदा किया? (पस सवालात का सिलसिला) जब यहाँ तक पहुँचे तो वो अल्लाह से पनाह माँगे और रुक जाये।'

फ़ायदा : मक़सद ये है कि अल्लाह तआला के बारे में इस क़िस्म के वस्वसे और सवालात शैतान की तरफ़ से होते हैं और जब शैतान किसी के दिल में इस क़िस्म का फ़िज़ूल बल्कि बेवक़ूफ़ाना सवाल डाले तो उसका इलाज यही है कि बन्दा शैतान के शर से अल्लाह की पनाह चाहे। इस क़िस्म के सवालात को

क़ाबिले ग़ौर न समझे, बल्कि इनसे रुक जाये क्योंकि अल्लाह के बारे में ये सवाल उसको किसने पैदा किया है? उसको ख़ालिक़ के बजाय मख़्लूक़ क़रार देना है।

(346) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बन्दे के पास शैतान आता है और कहता है फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया?' आगे मज़्कूरा बाला (ऊपर वाली) रिवायत जैसे अल्फ़ाज़ हैं।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا " مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ .

(347) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग तुमसे हमेशा इल्म के बारे में सवाल करेंगे। यहाँ तक कि कहेंगे, ये अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है तो अल्लाह को किसने पैदा किया है?' और वो एक आदमी का हाथ पकड़े हुए थे और कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) ने सच फ़रमाया मुझसे तो दो आदमी सवाल कर चुके हैं और ये तीसरा है या कहा, मुझसे एक ने सवाल किया था और ये दूसरा है।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ " . قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ . أَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي .

(348) इमाम साहब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ऊपर वाली रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं, फ़र्क़ ये है कि उस सनद में नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन हदीस़ के आख़िर में ये कहा, सदक़ल्लाहु व रसूलुहू अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " لاَ يَزَالُ النَّاسُ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

(349) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ

مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ " قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَأَخَذَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي .

कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग हमेशा तुझसे सवाल करते रहेंगे, ऐ अबू हुरैरह! यहाँ तक कि कहेंगे, ये अल्लाह है तो अल्लाह को किसने पैदा किया?' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बताया, इसी दौरान में कि मैं मस्जिद में था कि अचानक मेरे पास कुछ बदवी आये और कहने लगे, ऐ अबू हुरैरह! ये अल्लाह है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया है? रावी कहते हैं तो उन्होंने मुट्ठी में कंकर लेकर उन पर फेंके। फिर कहा, उठो-उठो! मेरे ख़लील ने सच फ़रमाया (यानी नबी (ﷺ) ने)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ " .

(350) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग तुमसे हर चीज़ के बारे में सवाल करेंगे यहाँ तक कि कहेंगे, ये अल्लाह है, उसने हर चीज़ पैदा की है तो उसको किसने पैदा किया है?'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ " .

(351) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया, 'तेरी उम्मत हमेशा पूछती रहेगी ये क्या? ये क्या? यहाँ तक कि पूछेंगे, ये अल्लाह है उसने मख़्लूक़ को पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया?''

حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ

(352) मुख़्तार ने हज़रत अनस (रज़ि.) से नबी (ﷺ) की यही हदीस़ सुनाई और क़ालल्लाहु इन्न उम्मतक (अल्लाह ने कहा बेशक तेरी

أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ " قَالَ اللَّهُ إِنَّ أُمَّتَكَ " .

उम्मत) का ज़िक्र नहीं किया।

باب وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

बाब 61 : जिसने झूठी क़सम मुसलमान का हक़ मारने की ख़ातिर उठाई उसके लिये आग की वईद है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " .

(353) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अपनी क़सम से किसी मुसलमान का हक़ दबाया, तो अल्लाह ने उसके लिये दोज़ख़ को लाज़िम कर दिया और जन्नत को उसके लिये हराम ठहराया।' एक शख़्स ने अर्ज़ किया, अगरचे वो हक़ीर चीज़ हो? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'अगरचे वो पीलू के दरख़्त की शाख़ हो।'

(नसाई : 8/246, इब्ने माजह : 2324)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(354) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " . قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا . قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ " . فَقُلْتُ لاَ . قَالَ " فَيَمِينُهُ " . قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " . فَنَزَلَتْ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(355) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत बयान करते हैं आपने फ़रमाया, 'जिसने मुसलमान का माल दबाने के लिये फ़ैसलाकुन झूठी क़सम खाई वो अल्लाह से मुलाक़ात इस हाल में करेगा कि वो उससे नाराज़ होगा।' रावी बयान करता है कि इस दौरान उनके पास अश्अस़ बिन क़ैस आ गये और पूछने लगे, तुम्हें अबू अब्दुर्रहमान ने क्या सुनाया है? हाज़िरीन ने कहा, फ़लाँ-फ़लाँ बात बताई है। अश्अस़ ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान ने सच कहा। ये आयत मेरे बारे में उतरी है। मेरी और एक आदमी की मुश्तरिका ज़मीन थी। मैं उसके साथ अपना झगड़ा हुज़ूर के पास ले गया। आपने पूछा, 'क्या तेरे पास शहादत (गवाह) है।' मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फ़रमाया, 'तो फिर उससे क़सम लेनी होगी।' मैंने कहा, वो तो क़सम उठा देगा। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने फ़ैसलाकुन झूठी क़सम उठाई ताकि किसी मुसलमान का माल क़ब्ज़े में करे, वो अल्लाह को इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर नाराज़ होगा।' इस पर ये आयत उतरी, 'और जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के ज़रिये मताए हक़ीर हासिल करते हैं।' (आख़िर तक) (सूरह आले इमरान : 77)

(सहीह बुख़ारी : 2229, 2380, 2523, 2531, 2285, 4275, 6283, 6299, 6761, 7007, अबू दाऊद : 3243, तिर्मिज़ी : 1269, 2996, इब्ने माजह : 2323)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **क़ज़ीब :** छड़ी, शाख़। **यमीनुन सबरुन :** जिस पर क़सम उठाने वाला अपने आपको रोकता है जिस पर फ़ैसले का इन्हिसार है। (2) **यक़्ततिइ़ :** दबाता है, मारता है, मालिक से काट लेता है।

फ़ायदा : किसी शख़्स का हक़ मारना या माल दबाना, ख़ुसूसी तौर पर जबकि वो अपना दीनी भाई मुसलमान हो इतना बड़ा जुर्म है (जबकि उसके लिये अल्लाह की झूठी क़सम भी उठाई गई हो, ये हक़ मामूली हो या ज़्यादा) कि उसका मुर्तकिब इस्लाम जो हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही का नाम है, उसे पामाल करता है और अल्लाह के मक़ाम व मर्तबे की बेहुरमती करता है इसलिये अगर उसको माफ़ी न मिल सके तो वो उस सज़ा का मुस्तहिक़ है कि दोज़ख़ में जाये और सीधा जन्नत में जाने के शर्फ़ से महरूम हो जाये।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ " .

(356) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने कहा, 'जो शख़्स ऐसी झूठी क़सम उठाता है, जिसकी बिना पर वो माल का हक़दार ठहरता है, वो अल्लाह को इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर ग़ज़बनाक होगा।' फिर अ़ामश की तरह रिवायत बयान की। फ़र्क़ ये है कि उसने कहा, मेरे और एक आदमी के दरम्यान कुँऐं के बारे में झगड़ा था, तो हम झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गये। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़ैसला तेरे गवाहों या उसकी क़सम पर होगा।'

(नसाई : 8/246, इब्ने माजह : 2324)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ

(357) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने मुसलमान के माल के बारे में नाहक़ क़सम उठाई वो अल्लाह को नाराज़ी की हालत में मिलेगा।' अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, फिर आपने उसकी तस्दीक़ में किताबुल्लाह की आयत सुनाई, 'जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों के ऐवज़ हक़ीर पूँजी हासिल करते हैं।'

كِتَابِ اللَّهِ] إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً] إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(आख़िर तक) (सूरह आले इमरान : 77)

(सहीह बुख़ारी : 7007)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلَكَ يَمِينُهُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىْءٍ . فَقَالَ " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ " فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ " أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ " .

(358) अल्क़मा बिन वाइल अपने बाप से रिवायत नक़ल करते हैं कि एक हज़रे मौत (जगह का नाम) का आदमी और एक किन्दा का आदमी नबी (ﷺ) के पास आये। हज़्रमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरी, मेरे बाप की तरफ़ से ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर बैठा है। तो किन्दी ने कहा, ये मेरी ज़मीन है, मेरे क़ब्ज़े में है, मैं इसे काश्त करता हूँ इसका इसमें कुछ हक़ नहीं है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़्रमी से कहा, 'क्या तेरे पास गवाह है?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'तुम इससे क़सम ले सकते हो।' उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी बदकार है, इसे कोई परवाह नहीं किस की क़सम उठाता है, किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता। आपने फ़रमाया, 'तुम इससे इसके सिवा कुछ नहीं ले सकते।' वो क़सम उठाने लगा, तो जब क़सम के लिये मुड़ा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ अल्लाह की क़सम! अगर उसने ज़ुल्मन इसका माल खाने के लिये क़सम उठाई तो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर नाराज़ होगा।'

(अबू दाऊद : 3245, 3623, नसाई : 1340)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ

(359) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास था, आपके पास दो आदमी एक ज़मीन का तनाज़ुअ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ - قَالَ " بَيِّنَتُكَ " . قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ . قَالَ " يَمِينُهُ " . قَالَ إِذًا يَذْهَبُ بِهَا . قَالَ " لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ " . قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " . قَالَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ .

(झगड़ा) लाये, तो उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसने जाहिलिय्यत के दौर में मेरी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया। (वो इम्रउल क़ैस बिन आ़बिस किन्दी था, उसका हरीफ़, रबीआ़ बिन अ़ब्दान था) आपने फ़रमाया, 'गवाही मतलूब है।' उसने कहा, मेरे पास शहादत नहीं है। आपने फ़रमाया, 'फ़ैसला उसकी क़सम पर होगा।' उसने कहा, इस सूरत में वो मेरी ज़मीन ले जायेगा। आपने फ़रमाया, 'तुम क़सम ही ले सकते हो।' तो जब वो क़सम उठाने के लिये उठा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने किसी की ज़मीन ज़ुल्म से छीनी वो अल्लाह को इस हाल में मिलेगा कि उस पर नाराज़ होगा।' इस्हाक़ ने अपनी हदीस़ में रबीआ़ बिन अ़ब्दान का नाम लिया (ज़ुहैर ने अ़ब्दान बा के साथ कहा था और इस्हाक़ ने या (ऐ़दान) के साथ)।

(नसाई : 8/246, इब्ने माजह : 2324)

फ़ायदा : अगर किसी मसले में दो आदमियों का इख़्तिलाफ़ हो तो जो मुद्दई होगा (दावा करेगा) अगर मुद्दआ़ अलैह (जिसके ख़िलाफ़ दावा किया गया है) उसके दावे को तस्लीम न करे तो फिर मुद्दई को दो गवाह पेश करने होंगे। अगर वो गवाह पेश न कर सके तो मुद्दआ़ अ़लैह की क़सम क़ुबूल करनी होगी। वो क़सम झूठी उठाये या सच्ची और वो अच्छा इंसान हो या बुरा। बहरहाल क़सम उसकी क़ुबूल करनी होगी।

बाब 62 : इस बात की दलील कि जो शख़्स दूसरे का माल नाहक़ छीनना चाहता है तो उसका ख़ून (दूसरे के हक़ में) रायगाँ होगा (उसका क़त्ल जाइज़ होगा) और अगर वो क़त्ल हो जाये तो दोज़ख़ी होगा और जो अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुए मरेगा वो शहीद होगा

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

(360) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये, अगर कोई आदमी आकर मेरा माल छीनना चाहे (तो मैं क्या करूँ)? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे अपना माल न दे।' उसने पूछा, बताइये, अगर वो मेरे साथ लड़ाई करे? फ़रमाया, 'तू उससे लड़ाई कर।' उसने पूछा, फ़रमाइये, अगर वो मुझे क़त्ल कर दे? तो आपने फ़रमाया, 'तू शहीद है।' उसने पूछा, अगर मैं उसे क़त्ल कर दूँ? फ़रमाया, 'वो दोज़ख़ी होगा।'

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ " فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ " . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ " قَاتِلْهُ " . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ " فَأَنْتَ شَهِيدٌ " . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ " هُوَ فِي النَّارِ " .

फ़वाइद : (1) अपने माल व दौलत का तहफ़्फ़ुज़ और बचाव एक अज्र व सवाब और फ़ज़ीलत का काम है। क्योंकि अगर हर इंसान, ज़ुल्म को गवारा करना शुरू कर दे, ज़ालिम का मुक़ाबला न करे तो ज़ालिम दिलैर और निडर होंगे और उनकी माल व दौलत की हवस, उनको मज़ीद ज़ुल्म व सितम पर आमादा करेगी। लेकिन अगर ज़ालिमों का मुक़ाबला होगा, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जायेगा तो ज़ुल्म व सितम का रास्ता बंद होगा। इसलिये शरीअ़त इस काम को अज्र व सवाब का बाइस क़रार देती है। ताकि लोगों के अंदर ज़ालिमों की राह रोकने की हिम्मत व जुरअत पैदा हो। बदक़िस्मती से आज हमने इस हदीस़ पर अ़मल करना छोड़ दिया इसलिये दिन-बदिन क़त्ल व ग़ारत और दहशतगर्दी में

इज़ाफ़ा हो रहा है। (2) दूसरों पर ज़ुल्म व सितम ढहाना, किसी का माल छीनना, इस क़द्र घिनौना काम है कि ऐसे शख़्स का ख़ून मोहतरम नहीं रहता, उसका ज़रूरत की सूरत में ख़ून बहाना जाइज़ होगा और इस काम का ख़ास्सा, जहन्नम की सज़ा है अगर तौबा न की या माफ़ी न मिली और उसके हाथों ज़ुल्म किया जाने वाला आख़िरत के अज्र व सवाब की रू से शहीद होगा।'

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(361) अम्र बिन अब्दुर्रहमान के आज़ाद करदा गुलाम साबित से रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन अम्र और अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान के दरम्यान इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ और वो लड़ाई के लिये तैयार हो गये तो ख़ालिद बिन आस सवार होकर अब्दुल्लाह बिन अम्र के पास गये और उसे नसीहत की, तो अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो अपने माल की हिफ़ाज़त में क़त्ल कर दिया गया वो शहीद है।'

फ़ायदा : अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) के बाग़ से ज़बरदस्ती पानी की गुज़रगाह बनाना चाहते थे, इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने बाग़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिये लड़ाई के लिये आमादा हो गये थे।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(362) इमाम साहब ये रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 6731-6732)

बाब 63 : अपनी रिआया (जनता) से धोखा करने वाला हुक्मरान आग का मुस्तहिक़ है

باب اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

(363) हसन (रह.) बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हज़रत मअक़िल बिन यसार मुज़नी (रज़ि.) की उनकी मर्ज़ुल मौत में इयादत की। तो मअक़िल (रज़ि.) कहने लगे, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस़ सुनाने लगा हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। अगर मैं ये समझता कि मैं अभी कुछ अरसा और ज़िन्दा रहूँगा तो तुम्हें ये हदीस़ न सुनाता। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स को अल्लाह किसी रिआया का निगरान और मुहाफ़िज़ बनाता है और वो अपनी रिआया के (हुक़ूक़ में) ख़यानत करता हुआ मरता है, तो उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है।'

(सहीह बुख़ारी : 6731-6732)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ . قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यस्तरईहि : हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त चाहना। **(2) ग़ाश्शुन :** धोखा और फ़रेब करने वाला।

फ़वाइद : (1) रिआया (जनता) के जान व माल, इज़्ज़त-नामूस और दीन की हिफ़ाज़त हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है। अगर वो उन हुक़ूक़ व फ़राइज़ की अदायगी में जान-बूझकर कोताही करता है तो ये अल्लाह की मख़्लूक़ के साथ बद अहदी और ख़यानत है इसलिये उसकी असल और वाक़ेई सज़ा दोज़ख़ है। लेकिन उसके साथ अगर वो मोमिन है और उसके आमाले सालेहा भी हैं तो इस सज़ा में कमी-बेशी हो सकती है। **(2)** हज़रत मअक़िल ने आख़िरी वक़्त में ये हदीस़ इसलिये बयान की कि वो पहले ये समझते थे, इस हदीस़ को बयान करने की सूरत में फ़ित्ना व फ़साद बर्पा होगा, लोग उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे या वो उन्हें नुक़सान पहुँचायेगा।

अब अगर आख़िरी वक़्त में भी बयान न करते तो ये कितमाने इल्म (इल्म छिपाने जैसा) होता, इसलिये इस गुनाह से बचने के लिये मौत के वक़्त बयान कर दी।

(364) हसन (रह.) से रिवायत है कि जब हज़रत मअक़िल बिन यसार (रज़ि.) बीमार हुए तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद (उनकी बीमारपुर्सी के लिये) उनके पास आया और उनका हाल पूछा, तो वो कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुनाने लगा हूँ जो मैंने पहले तुम्हें नहीं सुनाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला किसी बन्दे को किसी रइयत (जनता) का मुहाफ़िज़ बनाता है और वो इस हालत में मरता है कि वो उस (रइयत) के साथ धोखा करने वाला होता है तो अल्लाह उसके लिये जन्नत मम्नूअ क़रार दे देता है।' उबैदुल्लाह ने कहा, आपने आज से पहले मुझे ये हदीस क्यों नहीं सुनाई? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुझे नहीं सुनाई, या मैं बयान नहीं कर सकता था (क्योंकि ज़िन्दगी में बयान करने की सूरत में ख़तरा था)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . قَالَ أَلاَّ كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثَكَ .

(365) हसन (रह.) ने बताया, हम मअक़िल बिन यसार (रज़ि.) के पास इयादत के लिये गये हुए थे कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी आ गया। तो मअक़िल (रज़ि.) ने उससे कहा, मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुनाने लगा हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। फिर ऊपर के मफ़्हूम वाली हदीस बयान की।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا .

(366) अबुल मलीह (रह.) से रिवायत है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मअक़िल बिन यसार (रज़ि.) की बीमारी में उनकी इयादत की, तो मअक़िल (रज़ि.) ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ

هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ " .

हदीस़ सुनाता हूँ अगर मैं मर न रहा होता तो वो न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, (जो अमीर भी मुसलमानों के मामलात का ज़िम्मेदार बनता है फिर वो (उनकी बेहतरी व बहबूद के लिये) कोशिश नहीं करता और ख़ैरख़्वाही नहीं करता, तो वो उनके साथ जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।'

باب رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

बाब 64 : लोगों के लिये (कुछ के) दिलों से अमानत और ईमान का उठना और दिलों पर फ़ित्नों का पेश आना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنَا " أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ " . ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ قَالَ "

(367) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो हदीसें सुनाईं। एक तो मैं देख चुका हूँ (पूरी हो चुकी है) और दूसरी का मैं मुन्तज़िर (इन्तिज़ार कर रहा) हूँ। आपने फ़रमाया, 'अमानत लोगों के दिलों की जड़ में उतरी, फिर क़ुरआन उतरा, तो उन्होंने क़ुरआन जाना और सुन्नत से जाना।' (दूसरी हदीस़) अमानत के उठने के बारे में बयान फ़रमाई। फ़रमाया, 'एक आदमी थोड़ी देर सोयेगा तो उसके दिल से अमानत क़ब्ज़ कर ली जायेगी और उसका निशान एक फीके रंग की तरह रह जायेगा। फिर वो कुछ वक़्त के लिये सोयेगा तो अमानत उसके दिल से क़ब्ज़ कर ली

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا . حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ " . وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا .

जायेगी और उसका निशान आबले की तरह रह जायेगा। जैसाकि तुम अंगारे अपने पाँव पर लुढ़का दो तो उस पर आबला बन जाये, तो तुम उसे उभरा हुआ देखते और उसके अंदर कुछ नहीं होता। फिर आपने एक कंकरी ली और उसे अपने पाँव पर लुढ़का दिया। तो फिर लोग ख़रीदो-फ़रोख़्त करेंगे तो उनमें से कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अमानत अदा करे। यहाँ तक कि लोग कहेंगे, फ़लाँ ख़ानदान में एक अमानतदार आदमी है। यहाँ तक कि एक आदमी के बारे में कहा जायेगा, वो किस क़द्र बेदार मग़ज़, ख़ुश मिज़ाज और अक़्लमन्द है और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करेंगे। और उसके दिल में राई के दाने के बक़द्र ईमान नहीं होगा।' हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, मुझ पर एक दौर गुज़र चुका है कि मुझे किसी के साथ लेन-देन करने में कोई परवाह नहीं होती थी। अगर वो मुसलमान होता तो उसका दीन उसको मेरे साथ ख़यानत करने से रोकता और अगर वो यहूदी या ईसाई होता तो उसका हाकिम उसको मुझे नुक़सान पहुँचाने से रोकता। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ फ़लाँ-फ़लाँ के सिवा किसी से मामला करने के लिये तैयार नहीं हूँ।

(सहीह बुख़ारी : 6132, 6675, 6848, तिर्मिज़ी : 2179, इब्ने माजह : 4053)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्अमानत : दयानत यहाँ मुराद वो ज़िम्मेदारी और तकलीफ़ है जिसका इंसान मुकल्लफ़ है और सूरह अहज़ाब की इस आयत, 'हमने आसमानों और ज़मीन पर ज़िम्मेदारी और तकलीफ़ पेश की है।' **(2) जिज़्रु क़ुलूबिर्रिजाल :** जिज़्र जीम पर ज़बर और ज़ेर दोनों पढ़े जा सकते

हैं, यानी जड़ और असल। **(3) अल्वक्तु :** हल्का निशान जो स्याही माइल होता है। **(4) मज्ल :** मीम पर ज़बर है और जीम पर ज़ेर और सुकून दोनों आ सकते हैं, कुल्हाड़ा या कसी वग़ैरह से काम करने के नतीजे में जो आबला हाथों पर उभर आता है। **(5) नफ़ित :** फ़ा पर ज़ेर है, चमड़े और गोश्त के दरम्यान पैदा होने वाला पानी। **(6) मुन्तबिरा :** उभरा हुआ, इससे मुराद मिम्बर है। **(7) मा अज्लदहू :** जिलादह से माख़ूज़ है, सलाहियत व इस्तिहकाम को कहते हैं, ताक़तवर और साबिर इंसान या अक़्लमन्द, किस क़द्र बहादुर और दिलैर है या मज़बूत और ताक़तवर है या ज़हीन व फ़तीन है। **(8) मा अज़रफ़हू ज़राफ़त :** दानिशमन्दी, महारत व हज़ाक़त, किस क़द्र हाज़िक़, माहिर है या होशियार है।

फ़वाइद : (1) पासे अ़हद और तकलीफ़ ज़िम्मेदारी का एहसास इंसान की फ़ितरत और सरशत में रखा गया है और इंसान तबई और फ़ितरी तौर पर अपने आपको अल्लाह की उलूहियत व रुबूबियत का पाबंद समझता है। क़ुरआन व सुन्नत से उसको मज़ीद तक़वियत और ताईद हासिल होती है। (2) आहिस्ता-आहिस्ता इंसान अपनी फ़ितरत और सरशत से हटता जाता है और उसकी फ़ितरत मस्ख़ हो जाती है। जिससे एहसासे ज़िम्मेदारी ख़त्म होता जाता है और दिल में स्याही और तारीकी तारी होना शुरू हो जाती है और आख़िरकार ये पासे अ़हदी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उस आबले की तरह हो जाता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता। आज-कल लोगों की अक्सरियत की यही हालत है कि उनके अंदर एहसासे ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुका है। क़ुरआन व सुन्नत की पाबन्दी व पासदारी अ़मलन दिन-बदिन मफ़्क़ूद (ख़त्म) हो रही है और उनकी दीन में बद मामलगी बढ़ रही है। (3) जब ज़िम्मेदारी और तकलीफ़ की पासदारी ख़त्म होगी तो इंसान की तारीफ़ व तौसीफ़ का मदार, इल्म व अ़मल या तक़वा व दयानत नहीं रहेगी, बल्कि माल व दौलत की कसरत, दिलैरी व शुजाअ़त और फ़साहत व बलाग़त, ओहदा व मन्सब बाइसे मदह बनेंगे और आज-कल ये सूरत हर जगह देखी जा सकती है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(368) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं (नुमैर, वकीअ़ और ईसा से)।

باب بَيَانِ أَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

बाब 65 : इस्लाम का आग़ाज़ अजनबियत की हालत में हुआ वो (आख़िर में भी) अजनबी हो जायेगा और मस्जिदों में सिमट जायेगा

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ . فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوا أَجَلْ . قَالَ تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا . قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ . قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى

(369) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हज़रत उमर (रज़ि.) के पास हाज़िर थे तो उन्होंने (उमर) ने पूछा, तुममें से किसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़ित्नों का ज़िक्र सुना है? तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, हमने सुना है। तो उमर ने फ़रमाया, शायद तुम वो आज़माइश मुराद ले रहे हो जो आदमी को अपने अहल, माल और पड़ौसी के सिलसिले में पेश आती है। उन्होंने कहा, हाँ! उमर (रज़ि.) ने कहा, इस फ़ित्ने (आज़माइश व इब्तिला) का कफ़्फ़ारा, नमाज़ रोज़ा और सदक़ा बन जाते हैं लेकिन तुममें से किसने नबी (ﷺ) से उस फ़ित्ने का ज़िक्र सुना है जो समुन्द्र की मौजों की तरह मौजज़न होगा (उफानें मारता होगा)। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बताया, इस पर सब ख़ामोश हो गये। तो मैंने कहा, मैंने (सुना है)। उमर (रज़ि.) ने कहा, तेरा बाप अल्लाह का करिश्मा है। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़रमाया, 'फ़ित्ने लोगों के दिलों पर चटाई के तिनकों की तरह एक-एक करके पेश किये जायेंगे, तो जिस दिल में वो पेवस्ता हो गये उसमें स्याह नुक्ता पड़ जायेगा और जिस दिल ने उनको कुबूल न किया उसमें सफ़ेद नुक्ता पड़ जायेगा। यहाँ तक कि दिल दो क़िस्म के हो

قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ " . قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ . قَالَ عُمَرُ أَكَسْرًا لاَ أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ . قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ . وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ . حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ . قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ يَا أَبَا مَالِكٍ مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًّا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ . قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّيًا قَالَ مَنْكُوسًا .

जायेंगे, चट्टान की तरह सफ़ेद। तो जब तक आसमान व ज़मीन क़ायम रहेंगे ऐसे दिलों को कोई फ़ित्ना नुक़सान नहीं पहुँचायेगा। दूसरे ओन्धे लोटे की तरह ख़ाकी स्याह जो न किसी मअरूफ़ को पहचानेंगे और न किसी मुन्कर का इंकार करेंगे। मगर जिस चीज़ से उनकी ख़्वाहिश पूरी हो।' हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैंने उमर (रज़ि.) को बताया कि आपके और उन फ़ित्नों के दरम्यान बंद दरवाज़ा है जो जल्द टूट जायेगा। उमर (रज़ि.) ने पूछा, क्या तोड़ दिया जायेगा? तेरा बाप न हो, अगर वो खोल दिया जाये, तो बंद किया जा सकता था। मैंने कहा, खोला नहीं, तोड़ा जायेगा और मैंने कहा, वो दरवाज़ा एक आदमी है जो क़त्ल किया जायेगा या मरेगा, साफ़ बात है पहेली या मुअम्मा नहीं है। अबू ख़ालिद कहते हैं, मैंने सअद से पूछा, ऐ अबू मालिक! 'अस्वदु मुरबाद्दन' से क्या मुराद है? उसने कहा, स्याही में बहुत सफ़ेदी। मैंने पूछा, 'अल्कूज़ु, मुजख़्ख़ियन' से क्या मुराद है? उसने कहा, उल्टा हुआ (प्याला)।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي

(370) अबू मालिक अश्जई की रिबई (रह.) से रिवायत है कि जब हुज़ैफ़ा उमर की मज्लिस से आये तो हमें बताने लगे कि जब गुज़िश्ता कल मैं अमीरुल मोमिनीन उमर (रज़ि.) की मज्लिस में बैठा, तो उन्होंने अपने रुफ़क़ा (हम नशी लोगों) से पूछा, तुममें से किसको रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ित्नों के बारे में फ़रमान याद है? और अबू ख़ालिद की रिवायत की तरह, रिवायत सुनाई लेकिन अबू मालिक की मुरबाद्दन मुजख़्ख़ियन

की तफ़्सीर बयान नहीं की।

(सहीह बुख़ारी : 6132, 6675, 6848, तिर्मिज़ी : 2179, इब्ने माजह : 4053)

خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لِقَوْلِهِ " مُرْبَادًّا مُجَخِّيًا " .

(371) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि उमर (रज़ि.) ने पूछा, कोई हमें सुनायेगा, या तुममें से कौन हमें वो रिवायत सुनायेगा? उनमें हुज़ैफ़ा भी थे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ित्ने के बारे में फ़रमाई थी। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैं। आगे अबू मालिक की रिबई से हदीस़ की तरह बयान की और हदीस़ में ये भी बयान किया, मैंने उसे हदीस़ सुनाई थी, मुअम्मा नहीं। मक़सद ये था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस़ थी (अपनी बात नहीं)।

(सहीह बुख़ारी : 6132, 6675, 6848, तिर्मिज़ी : 2179, इब्ने माजह : 4053)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ - مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ وَقَالَ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़ित्ना : आज़माइश, इम्तिहान और इब्तिला। अहल व माल के फ़ित्ने से मुराद है, उनकी मुहब्बत या उनके साथ मसरूफ़ियत की बिना पर नेक कामों से महरूम हो जाना और उनकी ख़ातिर ग़लत काम कर बैठना या अहल के हुक़ूक़, उनकी तालीम व तर्बियत में कोताही करना और पड़ौसी का फ़ित्ना ये है कि उसके हुक़ूक़ अदा न करना या उसकी ख़ातिर ग़लत क़दम उठाना, जाइज़ व नाजाइज़ हर सूरत में उसका साथ देना। **(2) अल्लती तमूजु मौजल बहर:** समुन्द्र की तरह ठाठें मारेगा यानी वो फ़ित्ना जो आम होगा, सब लोग उसका शिकार होंगे, इन्फ़िरादी या शख़्सी नहीं होगा। **(3) अस्कतल क़ौम :** लोगों ने ख़ामोशी से सर झुका लिया। **(4) लिल्लाहि अबूक :** अरबी मुहावरा है, जो उस वक़्त इस्तेमाल होता है, जब कोई इंसान क़ाबिले तारीफ़ काम करे। चूंकि इसमें वालिद की तालीम व तर्बियत का अस़र होता है। इसलिये बाप की इ़ज़्ज़त व तकरीम की ख़ातिर, बाप की निस्बत अल्लाह तआ़ला की तरफ़ कर दी जाती है। **(5) तुअ़रज़ुल फ़ितन :** फ़ित्ने सामने आते हैं, दिल पर अस़र अन्दाज़ होने की कोशिश करते हैं। **(6) ऊदन, ऊदा :** एक के बाद एक, तसलसुल के साथ। जिस तरह चटाई एक-एक तिनके को आपस में मिलाकर बनाई जाती है। **(7) उश्रिबुहा, अय्यु क़ल्बिन उश्रिबहा :** जिस दिल में पानी की तरह सिरायत कर गये, जा गुज़ीं हो गये, उसने उनके अस़र

को क़ुबूल कर लिया। **(8) मिस्लुस्सफ़ाअ :** चिकने पत्थर या चट्टान की तरह पुख़्ता व मज़बूत, जिसके साथ कोई चीज़ चिमटती नहीं है। **(9) मुरबाद्दा :** स्याह रंग जिसमें मामूली सफ़ेदी हो। **(10) मुजख़्ख़िया :** एक तरफ़ झुका हुआ या उल्टा हुआ। **(11) ला अबालक :** एक अरबी मुहावरा है कि तुम्हारी नुसरत व हिमायत करने वाला कोई नहीं है। इसलिये बात पूरे एहतिमाम और ऐतमाद से करो। **(12) अग़ालीत :** अग़लूत की जमा है, पहेली, मुअम्मा।

फ़वाइद : (1) इंसान ख़ताकार है। उसके अलग-अलग वक़्तों में अलग-अलग क़िस्म के गुनाह सरज़द होते रहते हैं। इसलिये वो हर क़िस्म की इबादात की अदायगी का मोहताज है। ताकि अलग-अलग इबादात से अलग-अलग क़िस्म के क़ुसूर माफ़ होते रहें। गुनाह अगर शख़्सी व इन्फ़िरादी सतह के होंगे और उनका दायरा असर महदूद होगा जिसकी बिना पर दिल भी कम मुतास्सिर होगा, तो महज़ नेकी से वो गुनाह मिट जायेंगे अगर गुनाह, इज्तिमाई और मुआशरती सतह पर होंगे और उनका दायरा असर वसीअ होगा। जिसकी बिना पर दिल पर असर भी ज़्यादा होगा, तो वो सिर्फ़ नेकी से माफ़ नहीं होंगे, उनकी माफ़ी के लिये तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत होगी। (2) अल्लाह तआला इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता आज़माता है, फ़ौरन सख़्त या शदीद इम्तिहान में मुब्तला नहीं करता। जो लोग छोटे-छोटे गुनाहों में मुलव्विस होना शुरू हो जाते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़े-बड़े गुनाहों का शिकार हो जाते हैं और उनका दिल आहिस्ता-आहिस्ता काला होना शुरू हो जाता है और अन्जामकार बिल्कुल स्याह हो जाता है और नेकी व बदी में इम्तियाज़ (फ़र्क़) करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग शुरू से गुनाहों से एहतिराज़ करते हैं, अगर सरज़द हो जाये तो नेकी या तौबा से उसका असर ज़ाइल करने की कोशिश करते हैं, उनका दिल साफ़-शफ़्फ़ाफ़ रहता है और नेकी व बदी में इम्तियाज़ करता है, गुनाहों के ज़ंग को चढ़ने नहीं देता। (3) हुज़ूर (ﷺ) ने उम्मत के शुरूआती दौर में ही उ़मूमी व इज्तिमाई फ़ित्नों के सर उठाने की पेशीनगोई फ़रमाई थी और हज़रत उ़मर (रज़ि.) को उन फ़ित्नों के सामने बंद दरवाज़ा क़रार दिया था जो फ़ित्नों के फैलाव में रुकावट का मज़बूत बन्द था और उस बन्द का टूटना (उ़मर (रज़ि.) की शहादत) ये फ़ित्नों के फैलने की निशानी थी। उ़मर (रज़ि.) की शहादत के बाद ये बन्द टूट गया और उम्मत इज्तिमाई और उ़मूमी फ़ित्नों में मुब्तला होना शुरू हो गई। हज़रत उ़समान की शहादत से इसमें शिद्दत पैदा हो गई जिसका ख़ामियाज़ा उम्मत आज तक भुगत रही है और उम्मत की वहदत और इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद की कोई सूरत नहीं बन रही। बल्कि दिन-बदिन इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार में इज़ाफ़ा हो रहा है।

नोट : हिन्दी नुस्ख़ों में बाब : इस्लाम का आग़ाज़ ग़ुरबत (अजनबियत में हुआ) और फिर अजनबी बनेगा और दो मस्जिदों (मक्का-मदीना) के दरम्यान सिमट आयेगा।' का आग़ाज़ यहाँ से हुआ है और सहीह बात यही है क्योंकि गुज़िश्ता अहादीस का इस बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ " .

(372) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस्लाम का आग़ाज़ (शुरूआत) गुरबत (अजनबियत) की हालत में हुआ और वो यक़ीनन (आख़िर में) अजनबी बनकर रह जायेगा, तो अजनबी बनकर रह जाने वालों के लिये मसर्रत व शादमानी हो।

(इब्ने माजह : 3986)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ग़रीब : गुरबत से माख़ूज़ है, ग़रीब-अजनबी, प्रदेशी को कहते हैं जिसकी दूसरे लोगों के साथ जान-पहचान नहीं होती और वो लोगों से अलग-थलग रहता है और ग़रीब की जमा गुरबा है। हुज़ूर (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को फ़रमाया था, 'दुनिया में प्रदेशी और अजनबी बनकर रह।' **तूबा :** फ़रहत व मसर्रत आँखों की ठण्डक, बेहतर अन्जाम, क़ाबिले रश्क हालत।

फ़ायदा : इस्लाम का आग़ाज़ (शुरूआत) अजनबियत और गुरबत में हुआ। लोग इससे मानूस नहीं थे, इसकी तरफ़ उनकी तवज्जह और एहतिमाम न था। इसने आहिस्ता-आहिस्ता अपने क़दम फैलाये (जमाये) और लोगों में मक़बूल व मानूस बना और आहिस्ता-आहिस्ता गुरबत व अजनबियत की ये हालत लौटकर आयेगी। लोग इसकी तालीमात व हिदायात से दूर हटते जायेंगे और वो लोगों में ग़ैर मानूस और ग़ैर मक़बूल होता जायेगा। इस पर अ़मल करने वाले लोग दिन-बदिन कम होते जायेंगे और आख़िरत में सरफ़राज़ी और सआदत के हक़दार यही होंगे।' आज माद्दियत और मग़रिबियत के ग़ल्बे व इस्तीला की सूरत में, इस पेशीनगोई के इब्तिदाई आसार रूनुमा हो चुके हैं। दिन-बदिन अमली तौर पर इस्लामी मुआशिरत इस्लामी तमद्दुन व स़क़ाफ़त और इस्लामी रिवायात दम तोड़ रही हैं और लोग अ़मलन दीन से दूर हो रहे हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ، قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا

(373) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की मरफ़ूअ रिवायत है कि आपने फ़रमाया, 'इस्लाम का आग़ाज़ गुरबत में हुआ और इब्तिदा की तरह आख़िर में ग़रीब ठहरेगा और वो दोनों मस्जिदों के दरम्यान सिमट आयेगा जैसाकि साँप अपने बिल में आता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मस्जिदैन : दो मस्जिदों से मुराद बैतुल्लाह और मस्जिदे नबवी है। **(2) याज़रू :** जमा होना, लौट आना, पनाह पकड़ना।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا " .

(374) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ईमान मदीना में लौट आयेगा जैसाकि साँप अपने बिल की तरफ़ लौट आता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1876, इब्ने माजह : 3111)

फ़ायदा : इस्लाम का आग़ाज़ मक्का से हुआ, मदीना से फैला। इसलिये इसकी पनाहगाह मदीना है और आख़िरी दौर में इस्लाम अपनी सहीह हालत में सिर्फ़ मदीना में होगा या मक्का में होगा।

باب ذَهَابِ الإِيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ

बाब 66 : अख़ीर ज़माने में इस्लाम का मिट जाना

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ " .

(375) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत क़ायम नहीं होगी, यहाँ तक कि ज़मीन पर अल्लाह-अल्लाह की आवाज़ भी नहीं आयेगी।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ " .

(376) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'किसी ऐसे इंसान पर क़यामत क़ायम नहीं होगी, जो अल्लाह-अल्लाह कहता होगा।'

फ़ायदा : इस दुनिया का निज़ाम जब दरहम-बरहम होना होगा तो इस दुनिया में ख़ालिक़े कायनात का नाम लेवा कोई शख़्स ज़िन्दा नहीं होगा। इस दुनिया का वजूद कायनात के मूजिद के नाम की बरकत से

क़ायम और जिस क़द्र उसका नाम यहाँ बुलंद व बाला होगा उस क़द्र उसमें सुकून व अमन होगा और जब उसका नाम लेने वाले ख़त्म होंगे तो ये कायनात भी तमाम हो जायेगी।

बाब 67 : ख़ौफ़ज़दा का ईमान को छिपाना

باب جَوَازِ الاِسْتِسْرَارِ لِلْخَائِفِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الإِسْلاَمَ " . قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ قَالَ " إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا " . قَالَ فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ سِرًّا .

(377) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में थे आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे इस्लाम के नाम लेवा लोगों की तादाद गिन कर बताओ।' तो हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपको हमारे बारे में अन्देशा है और हमारी तादाद 6-7 सौ के दरम्यान है? आपने फ़रमाया, 'तुम्हें पता नहीं शायद तुम आज़माइश में डाल दिये जाओ।' फिर हम आज़माइश में मुब्तला हो गये, यहाँ तक कि हममें कुछ लोग नमाज़ भी छिपकर पढ़ते थे।'

(सहीह बुख़ारी : 3060-3061, इब्ने माजह : 4029)

फ़ायदा : आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ आपकी वफ़ात के बाद ऐसे हालात पैदा हो गये कि कुछ लोगों को नमाज़ भी (जो ईमान की ज़ाहिरी और महसूस अलामत है) छिपकर पढ़ना पड़ती थी। क्योंकि नमाज़ को अमन व जंग किसी हालत में भी छोड़ा नहीं जा सकता और नमाज़ ही इस्लाम व ईमान की हमेशा निशानी और अलामत है। जो रोज़ाना पाँच बार अदा की जाती है। क्योंकि कुछ गवर्नर नमाज़ बहुत देर करके पढ़ाते थे। इसलिये कुछ लोग अपने तौर पर पहले नमाज़ पढ़ लेते थे। फिर जमाअत में भी शरीक हो जाते थे।

बाब 68 : जिसके ज़ौफ़ व कमज़ोरी की बिना पर उसके ईमान के बारे में ख़तरा हो, उसके दिल को मुसलमानों की तरफ़ मानूस करना और किसी के ईमान को बिला दलील क़तई क़रार देने की मुमानिअत

باب تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ

(378) आमिर बिन सअद अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ माल तक़सीम किया तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लाँ को भी दीजिये, वो मोमिन है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'या मुसलमान है।' मैंने तीन बार गुज़ारिश की और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीनों बार यही जवाब दिया, 'या मुसलमान।' फिर आपने फ़रमाया, 'मैं एक आदमी को देता हूँ हालांकि उसके मुक़ाबले में दूसरा आदमी मुझे ज़्यादा पसंद होता है कि कहीं अल्लाह उसको औन्धे मुँह जहन्नम में न डाल दे।'

(सहीह बुख़ारी : 27, 1478, अबू दाऊद : 4683-4685, नसाई : 8/104)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوْ مُسْلِمٌ " أَقُولُهَا ثَلاَثًا . وَيُرَدِّدُهَا عَلَىَّ ثَلاَثًا " أَوْ مُسْلِمٌ " ثُمَّ قَالَ " إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ " .

(379) आमिर बिन सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) अपने बाप सअद (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गिरोह को कुछ माल दिया और सअद भी उनमें बैठे हुए थे। तो आप ने उनमें से एक आदमी को छोड़ दिया, उसको कुछ न दिया। हालांकि वो मुझे उसको उन सबसे अच्छा लगता था। तो मैंने अर्ज़

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ

جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْ مُسْلِمًا " . قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْ مُسْلِمًا " . قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْ مُسْلِمًا . إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ " .

किया, ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लाँ से ऐराज़ की क्या वजह है? (आपने उसको क्यों नहीं दिया) मैं तो अल्लाह की क़सम! उसको मोमिन समझता हूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, '(मोमिन) या मुसलमान।' तो मैं कुछ देर के लिये चुप हो गया। फिर मैं उसके बारे में जो कुछ जानता था उसका मुझ पर ग़ल्बा हुआ। तो मैंने दोबारा अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लाँ को आपने क्यों छोड़ दिया, अल्लाह की क़सम! मैं तो उसको मोमिन जानता हूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'या मुसलमान।' तो फिर कुछ वक़्त ख़ामोश रहा, फिर मैं उसके बारे में जो इल्म रखता था उसने ग़ल्बा किया। मैंने तीसरी बार अर्ज़ किया (पहली बात दोहराई) कि ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़लाँ को क्यों नज़र अन्दाज़ फ़रमाया। अल्लाह की क़सम! मैं तो उसको मोमिन समझता हूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'या मुसलमान। मैं एक आदमी को देता हूँ हालांकि दूसरा मुझे ज़्यादा पसंद होता है इस अन्देशे से कि अल्लाह उसको औन्धे मुँह आग में न डाल दे।'

मुफ़रदातुल ह़दीस़ : यकब्बुहुल्लाह : अल्लाह उसको मुँह के बल गिरा दे, औन्धे मुँह डाल दे।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(380) आमिर बिन सअ़द (रज़ि.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को माल दिया और मैं भी उनमें बैठा हुआ था। ऊपर की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाकर आपसे

وسلم رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ . وَزَادَ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ .

सरगोशी की और अर्ज़ किया, फ़लाँ से आपने ऐराज़ क्यों फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ " أَقِتَالاً أَىْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ " .

(381) मुहम्मद बिन सअ़द ने अपनी हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ कहे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी गर्दन और कन्धे के दरम्यान अपना हाथ मारा। फिर फ़रमाया, 'ऐ सअ़द! क्या लड़ाई करोगे? मैं एक आदमी को देता हूँ।'

(सहीह बुख़ारी : 1478)

फ़वाइद : (1) नये-नये मुसलमान होने वाले लोग जिनके दिल में अभी दीन पूरी तरह रासिख़ नहीं होता और दीन से मफ़ादात वाबस्ता किये होते हैं, उनकी तालीफ़े क़ल्बी (दिल को इस्लाम की तरफ़ झुकाने) के लिये अगर ज़रूरत और हालात का तक़ाज़ा हो तो उनको माली और माद्दी फ़वाइद से फ़ायदा उठाने का मौक़ा देना चाहिये और इसके लिये वो लोग जो पहले मुस्लिम हुए हैं और दीन से पूरी तरह आगाह हैं उनको ईस़ार व क़ुर्बानी से काम लेना चाहिये और उनकी ख़्वाहिश होनी चाहिये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की तरफ़ राग़िब करके जहन्नम से बचाया जाये। **(2)** इस्लाम ज़ाहिरी आमाल का नाम है और ईमान बातिनी अ़क़ाइद से इबारत है। इंसान दूसरों के ज़ाहिर से आगाह हो सकता है, इसलिये उनको मुसलमान क़रार दे सकता है लेकिन वो दूसरों के बातिन से आगाह नहीं हो सकता, इसलिये क़तई और यक़ीनी क़राइन व अ़लामात के सिवा किसी को यक़ीन और क़तइयत के साथ मोमिन नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि वो अपने ज़ाहिरी आमाल के ऐतबार से मुसलमान नज़र आता है, उसकी असल हक़ीक़त और बातिन से अल्लाह आगाह है और सिफ़ारिश करते हुए भी इसका इज़हार करेगा कि मेरी मालूमात की हद तक ये बात ऐसी है। हज़रत सअ़द (रज़ि.) चूंकि हज़रत जुअ़ैल बिन सुराक़ा के बारे में मुत्मइन थे, इसलिये उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़सद और ग़र्ज़ समझ में नहीं आई। इसलिये उन्होंने इसरार से काम लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनका इल्हाह व इसरार नागवार गुज़रा और फ़रमाया, 'अक़ितालन या सअ़द! ऐ सअ़द लड़ते हो या सिफ़ारिश करते हो। इसलिये सिफ़ारिश करने वाले को बहुत इसरार से काम नहीं लेना चाहिये और न ही अपनी सिफ़ारिश के मनवाने पर ज़ोर देना चाहिये। दूसरों को भी मौक़ा देना चाहिये कि वो हालत के तक़ाज़े के मुताबिक़ फ़ैसला करे।

बाब 69 : दलाइल की कसरत दिल के इत्मीनान व तस्कीन में इज़ाफ़े का बाइस है

باب زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ

(382) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हम इब्राहीम से शक करने के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, जब उन्होंने कहा था, ऐ मेरे रब! मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे ज़िन्दा करेगा? अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'क्या तुझे यक़ीन नहीं है?' इब्राहीम ने जवाब दिया, 'क्यों नहीं (मुझे यक़ीन है) लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा दिल (मुशाहिदे से) और ज़्यादा मुत्मइन हो जाये।' और आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला लूत पर रहम फ़रमाये, वो एक मज़बूत सुतून की पनाह चाहते थे।' और आपने फ़रमाया, 'अगर क़ैदख़ाने में, मैं यूसुफ़ जितना तवील अरसा ठहरता तो बुलाने वाले के बुलावे पर फ़ौरन अमल करता।'
(सहीह बुख़ारी : 4537, 4694, इब्ने माजह : 4026)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} قَالَ " وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ " .

(383) इमाम साहब ने ज़ोहरी की इस सनद से रिवायत बयान की है आख़िर में कहा, फिर ये आयत मुकम्मल पढ़ी, (फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि मालिक की रिवायत हत्ता जाज़हा (उससे फ़ारिग़ हुए) और अबू उवैस की रिवायत में हत्ता अन्जज़हा (यहाँ तक कि उसको मुकम्मल किया) है।
(सहीह बुख़ारी : 3387, 6992)

وَحَدَّثَنِي بِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا، عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ " وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي " . قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى جَازَهَا .

(384) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत दूसरी सनद से भी बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1478)

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ . وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا .

फ़वाइद : (1) हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने सवाल किया था, कैफ़ा तुह्यिल् मौता (तू मुर्दों को कैसे ज़िन्दा फरमायेगा?) यानी मुर्दों को ज़िन्दा करना तय है और उनके ज़िन्दा करने में कोई शुब्हा नहीं है। इसलिये जब अल्लाह तआला ने पूछा और तुम मोमिन हो, क्या तुझे मुर्दों के ज़िन्दा करने पर यक़ीन नहीं? तो इब्राहीम (अलै.) ने जवाब दिया, क्यों नहीं? यक़ीन है। सवाल ये था कि उनके ज़िन्दा करने की सूरत और कैफ़ियत क्या है? उसका मुशाहिदा मतलूब है। दलील और इस्तिदलाल से इंसान को इल्म हासिल हो जाता है और वो यक़ीनी इल्मी व इस्तिदलाली होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ का मुशाहिदा और मुआयना हो जाये तो ये यक़ीनी ऐनी होता है जिसमें कुव्वत व यक़ीन ज़्यादा होता है, इसलिये क़ल्बी इत्मीनान व तस्कीन भी बढ़ जाता है। जब मूसा (अलै.) को अल्लाह तआला ने बताया कि तेरी क़ौम बछड़े की पूजा करने लगी है। तो उन पर वो असर नहीं हुआ जो क़ौम को उस शनीअ (बदतरीन) हरकत में मुब्तला देखकर हुआ। हदीस में है, 'ख़बर व इत्तिलाअ, मुआयना व मुशाहिदे का मुक़ाबला नहीं करती।' इसकी तरफ़ इशारा करते हुए हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इब्राहीम का सवाल किसी शक व शुब्हा की बिना पर न था, अगर इब्राहीम को इसमें शक होता तो यक़ीनन हमें भी शक होता जब हमें शक नहीं है तो इब्राहीम को शक कैसे हो सकता है।'

इमाम ज़रकशी ने अम्सालुस्साइरा के मुसन्निफ़ के हवाले से नक़ल किया है इफ़अल का सेग़ा कभी-कभी दोनों चीज़ों से किसी मानी (सिफ़त) की नफ़ी करने के लिये इस्तेमाल होता है जबकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'क्या वो बेहतर हें या क़ौमे तुब्बअ।' मक़सद ये है कि दोनों ही भलाई से महरूम और ख़ाली हैं।

या कहते हैं अश्शैतानु ख़ैरुम्-मिन फ़ुलानिन फ़लाँ से शैतान अच्छा है। मक़सद ये है दोनों ख़ैर से ख़ाली हैं। (इरशादुस्सारी : 5/363)

इस इस्तेमाल के मुताबिक़ नह्नु अहक़्कु बिश्शक्कि का मानी, हममें से किसी को शक नहीं है। न इब्राहीम ने शक किया, न हमें शक है। इसलिये सवाल भी ज़िन्दा करने की कैफ़ियत के बारे में था। (फ़तहुल बारी, जिल्द नम्बर : 6, किताबुल अम्बिया)

ज़िन्दा करने के बारे में न था क्योंकि ज़िन्दा करना तो मालूम था कैफ़ियत का पता नहीं था।

(2) यरहमुल्लाहु लूतन : हज़रत लूत (अलै.) के पास जब फ़रिश्ते ख़ूबरू जवानों की शक्ल में

मेहमान बनकर आये और उनकी क़ौम अपनी आदते बद के मुताबिक़ उन पर दस्तदराज़ी करने के लिये उनके घर पहुँच गई और लूत (अलै.) ने मेहमानों की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की ख़ातिर हर क़िस्म के जतन कर लिये, लेकिन क़ौम वाले बाज़ न आये। तो उन्होंने मेहमानों के सामने अपनी बेबसी का इज़हार करने के लिये इन्तिहाई परेशानी के आलम में फ़रमाया, ऐ काश! आज मुझ में ज़ाती व शख़्सी तौर पर इस क़द्र ताक़त व कुव्वत होती कि मैं किसी के तआवुन के बग़ैर अपने तौर पर मेहमानों का दिफ़ाअ कर सकता या मुझे अपने ख़ानदान और क़ौम की नुसरत व हिमायत हासिल होती, तो आज मेरे मेहमानों का दिफ़ाअ करके मेरी इज़्ज़त बचाती। क्योंकि ये लोग आपका असल ख़ानदान नहीं थे, दूसरे लोगों की तरफ़ आपको नबी बनाकर भेजा गया था। इसकी वज़ाहत व तबयीन करते हुए हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह लूत (अलै.) पर रहम फ़रमाये, वो एक मज़बूत पनाह चाहते थे।' यानी यहाँ फ़ैअल, इरादे फ़ैअल के मानी में है। जैसाकि कुरआन मजीद में है, 'जब तुम नमाज़ के लिये उठने का इरादा करो तो नमाज़ से पहले वुज़ू कर लो।' या फ़रमाया, 'जब कुरआन पढ़ने का इरादा करो तो पहले अऊज़ुबिल्लाह पढ़ लो।' यहाँ अल्लाह तआला की इआनत व नुसरत (मदद) की नफ़ी मक़सूद नहीं है कि उनको अल्लाह की पनाह हासिल न थी और उन्होंने उस पर नऊज़ुबिल्लाह ऐतमाद न किया। ये दुनिया आलमे अस्बाब है और हर काम ज़ाहिरी अस्बाब के पर्दे में होता है। ज़ाहिरी अस्बाब व वसाइल को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) को जंगों में ज़िरह पहनने की ज़रूरत लाहिक़ न होती और दुश्मन के मुक़ाबले में तैयारी करके निकलने की भी हाजत न होती और मदीना में पहुँचकर ख़ुद आप ने फ़रमाया था, 'ऐ काश! कोई मज़बूत आदमी आज रात मेरी हिफ़ाज़त करता।' और आपने फ़रमाया था, 'मंय्यकलौनल्लैलह (आज रात लश्कर की हिफ़ाज़त कौन करेगा?' (लामिउद्दारी, जिल्द 8/27, हाशिया 9) तो क्या आपको नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की नुसरत व हिमायत और हिफ़ाज़त पर ऐतमाद न था। चूंकि लूत (अलै.) के सामने अल्लाह की नुसरत व हिमायत तो एक मुसल्लमा हक़ीक़त थी। इसलिये इसके इज़हार की ज़रूरत न थी, ज़ाहिरी अस्बाब के तज़्किरे की ज़रूरत थी। उन्ही अस्बाब का उन्होंने तज़्किरा फ़रमाया और उनके हुसूल की ख़्वाहिश व आरज़ू की। **(3)** लअजब्तुद्दाई, मैं बुलाने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कहता। ये कहकर आपने हज़रत यूसुफ़ (अलै.) के सब्र व सबात और उनकी हिम्मत व हौसले की तारीफ़ फ़रमाई है कि उन्होंने बग़ैर किसी जुर्म के एक तवील अरसा जेल में गुज़ारा। लेकिन अपनी बराअत के इज़हार तक, जेल से निकलने के लिये तैयार न हुए। आपने फ़रमाया, 'मैं इस क़द्र सब्र व तहम्मुल और इस्तिक़लाल व पामर्दी का मुजस्समा होने के बावजूद, बादशाह के क़ासिद की बात सुनकर बाहर निकल आता और अपनी बराअत के इज़हार का मामला पेश न करता और ये बात ज़ाहिर है नबी (ﷺ) ने हज़रत यूसुफ़ (अलै.) के सब्र व सबात की तारीफ़ की

ख़ातिर कही है। एक बहादुर और दिलैर आदमी किसी की बहादुरी व बसालत की तारीफ़ करे तो इससे उसकी अपनी बहादुरी और दिलैरी की नफ़ी नहीं होती। वो तो मुख़ातिबीन के नज़दीक मुसल्लम है, रुस्तमे ज़माँ, किसी की तारीफ़ करे तो क्या इससे उसके मक़ाम व मर्तबे में किसी क़िस्म की कमी आ जायेगी, हर्गिज़ नहीं। कुछ हज़रात ने जो ये कहा है कि 'यूसुफ़ (अलै.) के लिये चले जाना ही औला और ज़्यादा बेहतर था क्योंकि इब्तिला और मुसीबत को दावत देना या उसको क़ायम रखना मुनासिब नहीं, बाहर निकलकर उनको तब्लीग़ के ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आते।'

तो ये बात दुरुस्त नहीं है। यूसुफ़ (अलै.) ने इब्तिला को दावत नहीं दी, न उसको क़ायम रखना चाहा, उनका बाहर आना तो अब तय था, लेकिन वो अपनी अ़स्मत व इ़ज़्ज़त की तहारत व सफ़ाई के बग़ैर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इल्ज़ाम तराशी और तोहमत के इज़ाले के बग़ैर अगर वो निकल आते, तो ये चीज़ उनकी दावत व तब्लीग़ की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती और पाकदामनी के ज़ुहूर के बग़ैर, बादशाह के सामने चले जाते तो उन्हें इल्ज़ाम तराशी का एहसास खुलकर बात करने की जुरअत पैदा न होने देता और तहारत के नतीजे में बादशाह की नज़र में जो क़ियामे रफ़ीअ़ (बुलंद दर्जा) मिला वो भी न मिलता।

बाब 70 : हमारे नबी (ﷺ) की तमाम इंसानों की तरफ़ रिसालत और आपकी मिल्लत से सब मिल्लतों के मन्सूख़ होने को मानना ज़रूरी है

باب وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

(385) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस क़द्र भी अम्बिया गुज़रे हैं उनमें से हर एक नबी को इस क़द्र मोजिज़ात मिले कि उनको देखकर लोग ईमान ला सकते थे और जो मोजिज़ा मुझे मिला वो वह्य है जो अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ की है, इसलिये मुझे उम्मीद है क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे होंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 4981, 7274)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

फ़वाइद : (1) आयात से मुराद मोजिज़ात हैं और मोजिज़ा, आम आदत के ख़िलाफ़ चीज़ है। इंसान इन्फ़िरादी या इज्तिमाई तौर पर मिलकर उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता और नबी के हाथों उसका ज़ुहूर इसलिये होता है कि लोग इसको देखकर उसकी नुबूवत को तस्लीम कर लें। लेकिन ये नबी के इख़्तियार में नहीं होता। इसलिये आपने फ़रमाया, उअ्ती नबी को अता किया गया है। आपसे पहले अम्बिया के मोजिज़ात, वक़्ती और आरिज़ी थे क्योंकि उनकी नुबूवत एक महदूद अरसे के लिये थी। आपकी नुबूवत क़यामत तक के लिये है इसलिये आपका मोजिज़ा दाइमी और बाक़ी है जो क़यामत तक रहेगा। (2) आपका लाज़वाल मोजिज़ा वह्य है। जिसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत अल्लाह तआला ने दी है और ये आपके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बावजूद क़ायम और बाक़ी है क्योंकि आपकी नुबूवत बरक़रार है। इसलिये इस मोजिज़े को देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है।' इसलिये आपकी उम्मत के अफ़राद की तादाद भी तमाम उम्मतों से ज़्यादा है।

(386) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस ज़ात के क़ब्ज़े में मेरी जान है, उसकी क़सम! इस उम्मत का (इस दौर का) जो कोई भी यहूदी या नसरानी मेरी ख़बर सुन ले (मेरी नुबूवत रिसालत की दावत उसको पहुँच जाये) और फिर वो (मुझ पर और) मेरे लाये हुए पैग़ाम पर ईमान लाये बग़ैर मर जाये तो वो ज़रूर दोज़ख़ियों में से होगा।'

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " .

फ़ायदा : जिस शख़्स को आपकी नुबूवत व रिसालत की दावत पहुँच जाये और वो आप पर ईमान लाकर आपके लाये हुए दीन को अपना दीन न बनाये और वो इस हाल में मर जाये तो वो दोज़ख़ में जायेगा। अगरचे वो किसी साबिक़ रसूल के दीन और उसकी किताब को मानने वाला शख़्स यहूदी या नसरानी ही क्यों न हो, अल्ग़र्ज़ आपकी बिअ्सत के बाद आप पर ईमान लाये और आपकी शरीअत को क़ुबूल किये बग़ैर निजात मुम्किन नहीं। वहदते अदयान का तसव्वुर कि किसी आसमानी दीन को अपना लो, तौहीद के क़ाइल हो जाओ, बस निजात के लिये यही काफ़ी है, एक गुमराहकुन और मुल्हिदाना नज़रिया है।

(387) सालेह हम्दानी बयान करते हैं कि मैंने एक ख़ुरासानी को देखा, उसने शअ्बी (रह.) से

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ

صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ " . ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَىْءٍ . فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

सवाल किया, ऐ अबू अम्र! हमारी तरफ़ अहले ख़ुरासान, ये कहते हैं, एक इंसान अपनी लौण्डी को आज़ाद करके अगर उससे शादी कर ले तो वो उस हाजी की तरह है जो अपनी क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार हो जाता है। तो शअ़बी (रह.) ने जवाब दिया, मुझे अबू बुरदा बिन अबी मूसा ने अपने बाप से रिवायत सुनाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन आदमियों को दोहरा अज्र दिया जायेगा, एक अहले किताब काफ़िर, जो अपने नबी पर ईमान लाया, उसने नबी (ﷺ) की नुबूवत का ज़माना पा लिया तो आप पर ईमान ले आया, आप की पैरवी और तस्दीक़ की, तो उसको दो अज्र मिलेंगे। दूसरा गुलाम जो किसी की मिल्कियत में है, अल्लाह का जो उस पर हक़ है, उसको अदा करता है और अपने आक़ा के हक़ को भी अदा करता है, तो उसको दो अज्र मिलेंगे। तीसरा वो आदमी जिसकी कोई लौण्डी है, तो वो उसको ख़ूराक देता है और बेहतरीन ग़िज़ा मुहय्या करता है, फिर उसको अदब सिखलाता है और ख़ूब सिखाता है फिर उसको आज़ाद करके शादी कर लेता है, उसको भी दोहरा सिला मिलेगा।' फिर शअ़बी (रह.) ने ख़ुरासानी से कहा, इस हदीस़ को बिला मेहनत व मशक़्क़त उठाये ले लो, पहले आदमी इससे छोटी हदीस़ के हुसूल के लिये मदीना का सफ़र करता था।

(सहीह बुख़ारी : 2547, 3011, 3446, 5083, तिर्मिज़ी : 1116, नसाई : 7, इब्ने माजह : 1956)

फ़वाइद : **(1)** अहले किताब को रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ईमान लाने की सूरत में दो अज्र मिलेंगे। क्योंकि जब वो एक रसूल पर ईमान ला चुके हैं और वो इसको बाइसे निजात समझते हैं, तो अब उनका आप पर ईमान लाना बड़े मुजाहिदा का काम है। कोई इंसान एक पीर के बाद दूसरे को पीर बनाने के लिये आमादा नहीं होता, तो एक नबी (ﷺ) के बाद दूसरे को नबी मानना कितना सख़्त और मुश्किल मरहला होगा और यही मेहनत व मुजाहिदा अज्र में ज़्यादती का बाइस है। इसलिये क़ुरआन मजीद में है, 'उनको उनके सब्र व तहम्मुल की बिना पर दोहरा अज्र मिलेगा।' (सूरह क़सस : 54) इस तरह ग़ुलाम जो अपने आक़ा के हुक़ूक़ पूरी तरह अदा करता है, उसके लिये अल्लाह तआला के हुक़ूक़ आज़ाद के मुक़ाबले में अदा करना बहुत मुश्किल और मशक़्क़त तलब काम है। लेकिन वो इस रुकावट और मानेअ को उबूर करता है जो बहुत दुश्वार और मेहनत तलब है, इसलिये उसको भी दोहरा अज्र मिलेगा। उसूल है, 'अतियात, बक़द्र तकलीफ़ मिलते हैं।' और 'तुम्हारे अज्र तुम्हारी मेहनत की मिक़्दार के मुताबिक़ होंगे।' तीसरा शख़्स जो अपनी लौण्डी पर एहसान करता है, उसको अच्छा खाना खिलाता है, उसकी तालीम व तर्बियत का इन्तिज़ाम करता है, फिर अपनी लौण्डी को जिससे वो जिस तरह चाहे काम ले सकता था और उसको इस्तेमाल भी कर सकता था, उसको आज़ाद करके अपने बराबर की सतह पर लाता है, ये भी जिगर गुरदा का काम है और बहुत बड़ा एहसान है, इसलिये उसको भी इस निकाह पर दो गुना सिला मिलेगा। **(2)** क़ुर्बानी के ऊँट से फ़ायदा उठाना जाइज़ है, जैसाकि हज के मसाइल में आयेगा। इसलिये इससे तश्बीह ही महल्ले नज़र है, जो इस हुक्म पर मबनी है कि क़ुर्बानी के जानवर से फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(388) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक दूसरी सनद से बयान करते हैं.......... यही रिवायत सुनाई।

(सहीह बुख़ारी : 4981, 7274)

बाब 71 : ईसा बिन मरयम (अलै.) नाज़िल होकर हमारे नबी मुहम्मद (ﷺ) की शरीअत के मुताबिक़ हुक्मरानी करेंगे

باب نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ " .

(389) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! क़रीब है कि तुममें ईसा बिन मरयम आदिल हाकिम बनकर उतरें, तो वो सलीब को तोड़ेंगे और ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे, जिज़्या ख़त्म कर देंगे और माल आम हो जायेगा, यहाँ तक कि उसको कोई क़ुबूल नहीं करेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 2222, तिर्मिज़ी : 2233)

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ " إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً " . وَفِي

(390) सुफ़ियान, यूनुस और अबू सालेह ज़ोहरी से ऊपर वाली रिवायत नक़ल करते हैं। इब्ने उयय्ना की रिवायत में है, इमामम् मुक़्सितन हकमन अदला (मुन्सिफ़ इमाम, आदिल हुक्मरान) और यूनुस की रिवायत में सिर्फ़ हकमन आदिलन है, इमामम् मुक़्सितन नहीं है और जैसाकि लैस की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, यहाँ तक कि एक सज्दा दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर होगा। अबू हुरैरह (रज़ि.) आख़िर में फ़रमाते, चाहो तो ये आयत पढ़ लो, 'अहले

رِوَايَةِ يُونُسَ " حَكَمًا عَادِلاً " . وَلَمْ يَذْكُرْ " إِمَامًا مُقْسِطًا " . وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ " حَكَمًا مُقْسِطًا " كَمَا قَالَ اللَّيْثُ . وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ " وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ‏{‏ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ‏}‏ الآيَةَ ‏.‏

किताब में से हर शख़्स ईसा की वफ़ात से पहले उन पर ईमान लायेगा और क़यामत के दिन वो उन्हीं पर गवाह होंगे।' (सूरह निसा : 159)

(सहीह बुख़ारी : 3448)

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत ईसा (अलै.) के नुज़ूल की ताईद में सूरह निसा की इस आयत की तिलावत फ़रमाते थे। जिससे साबित हुआ कि क़ब्ल मौतिही में ज़मीर मजरूर ईसा (अलै.) की तरफ़ लौट रही है कि उनके नुज़ूल के वक़्त तमाम ईसाई उन पर ईमान ले आयेंगे, उनकी अब्दियत पर कि बन्दा हैं, इलाह नहीं और इबनियत कि मरयम के बेटे हैं, इब्नुल्लाह नहीं, का इक़रार करेंगे और इस्लाम को क़ुबूल कर लेंगे। क्योंकि आज तो अहले किताब से जिज़्या लेकर उनको, उनके दीन पर रहने दिया जाता है। उस वक़्त वो जिज़्ये को क़ुबूल नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिज़्ये के क़ुबूल करने के वक़्त की तअयीन फ़रमा दी है कि ईसा (अलै.) की आमद तक क़ुबूल है। ईसा (अलै.) आपकी शरीअत के ताबेअ होंगे और इसके मुताबिक़ अमल करेंगे। क़ादियान का मुतनब्बी नऊज़ुबिल्लाह अगर मसीह मौऊद था, तो उसकी माँ का नाम मरयम क्यों नहीं था। अहले किताब उस पर ईमान क्यों नहीं लाये, सलीब क्यों तोड़ी नहीं जा सकी और ख़िन्ज़ीर की फ़रावानी क्यों है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ

(391) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम! ईसा बिन मरयम यक़ीनन हाकिम आदिल बनकर उतरेंगे। ज़रूर सलीब को तोड़ डालेंगे, ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे और जिज़्या मौक़ूफ़ (ख़त्म) कर देंगे और ज़रूर ही जवान ऊँटों को छोड़ दिया जायेगा और उनसे मेहनत व मशक़्क़त नहीं ली जायेगी और यक़ीनन लोगों के दिलों से अदावत (दुश्मनी) आपसी बुग़्ज़ व हसद ख़त्म हो जायेगा और लाज़िमन लोगों को

الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ " .

माल की दावत दी जायेगी तो उसे कोई क़ुबूल नहीं करेगा।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) क़िलासुन : क़ुलूस की जमा है, नौजवान ऊँट। **(2) ला युस्आ अलैहा :** उन पर मेहनत व मशक़्क़त नहीं की जायेगी, माल व दौलत की कस़रत और लोगों की दुनिया से बेनियाज़ी व बेरग़बती और आख़िरत की फ़िक्र की बिना पर लोगों की तवज्जह आख़िरत की तरफ़ होगी, ज़कात क़ुबूल करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, सब आख़िरत की फ़िक्र करने वाले होंगे, इसलिये ऊँटों से लोग काम नहीं लेंगे। **(3) अश्शहना :** अदावत व दुश्मनी और बुग़्ज़ व कीना। **(4) तबाग़ुज़ :** आपसी बुग़्ज़। **(5) तहासुद :** एक-दूसरे से हसद व कीना।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(392) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी, जब मरयम के बेटे (ईसा) तुममें उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा?'

(सहीह बुख़ारी : 3449)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَأَمَّكُمْ " .

(393) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारी हालत क्या होगी, जब तुममें मरयम के बेटे उतरेंगे और तुम्हारा मुक़्तदा और रहनुमा होंगे?

(सहीह बुख़ारी : 3448)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَيْفَ

(394) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारी क्या शान होगी जब तुममें इब्ने मरयम उतरेंगे और तुम्हारे फ़र्द बनकर इमामत करेंगे?' इब्ने अबी ज़िअ्ब के शागिर्द ने उनसे पूछा, औज़ाई ने हमें ज़ोहरी की नाफ़ेअ से अबू हुरैरह (रज़ि.) की

रिवायत सुनाई तो ये अल्फ़ाज़ कहे, इमामुकुम मिन्कुम, तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा (और आप कह रहे हैं, इब्ने मरयम इमामत करवायेंगे) इब्ने अबी ज़िअ्ब ने जवाब दिया, जानते हो मा अम्मकुम् मिन्कुम का मक़सद क्या है? शागिर्द ने कहा, मुझे आप बता दें। तो उस्ताद ने जवाब दिया, तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी(ﷺ) की सुन्नत के मुताबिक़ तुम्हारी क़यादत व रहनुमाई फ़रमायेंगे।
(सहीह बुख़ारी : 3448)

أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ " . فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِنَّ الأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ " . قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي . قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

(395) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ की ख़ातिर लड़ता रहेगा और हक़ पर होगा और वो क़यामत तक (दुश्मनों पर) ग़ालिब होगा। फिर ईसा बिन मरयम उतरेंगे, तो उस ताइफ़ा का अमीर कहेगा, आइये! हमें जमाअ़त कराइये। तो ईसा (अ़लै.) जवाब देंगे, नहीं! तुम एक-दूसरे पर अमीर हो, अल्लाह ने इस उम्मत को ये इज़्ज़त व शर्फ़ बख़्शा है।'

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا . فَيَقُولُ لاَ . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ . تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ " .

फ़ायदा : जब ईसा (अ़लै.) का नुज़ूल होगा तो बैतुल मक़्दिस में नमाज़ के लिये इमाम महदी आगे बढ़ चुके होंगे। वो पीछे हटकर ईसा (अ़लै.) को इमामत की दावत देंगे। लेकिन वो उनकी दावत को क़ुबूल नहीं फ़रमायेंगे। ताकि ये बात वाज़ेह हो जाये कि इस दीन के ताबेअ़ होकर उतरे हैं। जब उनका इस उम्मत का एक फ़र्द होना ज़ाहिर हो जायेगा, तो बाद में अगर वो इमाम भी बन जायेंगे तो कोई शुब्हा पैदा नहीं होगा। वो किताबो-सुन्नत के मुताबिक़ ही हुक्मरानी करेंगे और इस उम्मत के एक फ़र्द तसव्वुर किये जायेंगे।

बाब 72 : वो दौर जिसमें ईमान क़ुबूल नहीं किया जायेगा

(396) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तक सूरज मग़िब से तुलूअ न हो, क़यामत क़ायम नहीं होगी। जब वो मग़िब से तुलूअ हो जायेगा तो सबके सब लोग ईमान ले आयेंगे। तो उस दिन किसी ऐसे शख़्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा, जो पहले ईमान नहीं लाया था या ईमान के नतीजे में कोई नेकी नहीं की थी।'

(397) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत अपने दूसरे उस्तादों से बयान करते हैं।

(398) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन चीज़ों का जब ज़ुहूर हो जायेगा तो किसी शख़्स को उसका ईमान जो उससे पहले ईमान नहीं ला चुका था या अपने ईमान के सबब कोई नेकी नहीं की थी, फ़ायदा नहीं देगा, सूरज का अपने ग़ुरूब की जगह से निकलना और दज्जाल और दाब्बतुल अर्ज़ (ज़मीन से निकलने वाला

باب بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ إِذَا

خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ " .

अजीबो-ग़रीब जानवर) का ज़ुहूर।'

(तिर्मिज़ी : 3072)

फ़ायदा : वो ईमान मक़बूल व मोतबर है जो बिल्ग़ैब हो (बिन देखे हो)। जब क़यामत वाक़ेअ यक़ीनी तौर पर हो गई और उसके वाक़ेअ होने की निशानियाँ ज़ाहिर हो गईं तो ऐसे वक़्त का ईमान मोतबर नहीं है। जैसाकि ग़रग़रह की हालत में मक़्बूल नहीं है। हाँ, क़ुर्बे क़यामत की निशानियों के ज़ुहूर के वक़्त का ईमान मोतबर है। सूरज का मग़रिब से निकलना और दाब्बतुल अर्ज़ का (ज़मीन से एक अजीबो-ग़रीब जानवर) का निकलना जिसकी तफ़्सीलात किसी सहीह हदीस़ से स़ाबित नहीं। ये क़यामत के वाक़ेअ होने की निशानियाँ है। दज्जाल और ईसा (अलै.) का ज़ुहूर क़यामत के क़ुर्ब की निशानियाँ हैं। इसलिये उनके वक़्त का ईमान मोतबर है। उस वक़्त तक ग़ैबी हक़ाइक़ का इन्किशाफ़ नहीं हुआ होगा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، - حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، - سَمِعَهُ فِيمَا، أَعْلَمُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمًا " أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا

(399) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन पूछा, 'जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है?' सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'ये चलता रहता है, यहाँ तक कि अ़र्श के नीचे अपने मुस्तक़र्र पर पहुँचकर सज्दा करता है। तो वो इस हालत में रहता है, यहाँ तक कि उसको कहा जाता है, उठो! और जहाँ से आये हो उधर लौट जाओ। तो वो वापस लौटता है और अगली सुबह अपने मत्लअ़ से तुलूअ़ होता है। फिर अगले दिन चलता है, यहाँ तक कि अ़र्श के नीचे अपने जाए क़रार पर पहुँच कर सज्दारेज़ हो जाता है और इसी हालत में रहता है। यहाँ तक कि उसको कहा जाता है, बुलंद हो और जहाँ से आये हो लौट जाओ, तो वो वापस चला जाता है और अपने तुलूअ़ होने की जगह से तुलूअ़ होता है। फिर चलता है, लोग उसमें कुछ निरालापन नहीं

ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لاَ يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا " .

पाते। इस तरह वो एक दिन अ़र्श के नीचे अपने मुस्तक़र्र पर पहुँचेगा, तो उसे कहा जायेगा, बुलंद हो और अपने मग़रिब से तुलूअ़ हो। तो वो अपने मग़रिब से तुलूअ़ होगा।' फिर आपने पूछा, 'क्या जानते हो ये कब होगा? ये उस वक़्त होगा, जब किसी शख़्स को जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा या अपने ईमान की वजह से नेकी नहीं की होगी, ईमान लाना मुफ़ीद (फ़ायदेमन्द) नहीं होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 3199, 4802-4803, 7424, 7433, अबू दाऊद : 4002, तिर्मिज़ी : 2186, 3227)

फ़ायदा : इस कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा और हर चीज़ अल्लाह के हुज़ूर सज्दा कुनाँ है। सूरह हज में फ़रमाया, **'क्या तुम्हें मालूम नहीं! अल्लाह को वो सब सज्दा करते हैं जो आसमान में हैं और जो ज़मीन में हैं, सूरज और चाँद भी, सितारे और पहाड़ भी और दरख़्त व चौपाये भी।'** (सूरह हज : 18) हर चीज़ का सज्दा उसकी हैसियत और मक़ाम के ऐतबार से है। इस तरह उसकी ज़बान और तस्बीह उसके मक़ाम के मुताबिक़ है। अल्लाह तआ़ला हर चीज़ की ज़बान को समझता है और हर चीज़ उसके हुक्म को समझती है। अ़र्श पूरी कायनात के ऊपर है। हर चीज़ कहीं भी हो वो अ़र्श के नीचे है और कोई चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर हरकत नहीं कर सकती। सूरज का तुलूअ़ व ग़ुरूब भी उसकी इजाज़त के मरहूने मिन्नत है और उसका ग़ुरूब आँखों से ओझल होना और तुलूअ़ आँखों के सामने आना है। जब तक अल्लाह को इस दुनिया को क़ायम रखना मतलूब है ये सिलसिला जारी रहेगा और जब इस दुनिया का निज़ाम दरहम-बरहम करना मतलूब होगा तो सूरज मश्रिक़ की बजाय मग़रिब से तुलूअ़ होगा। जो इस दुनिया के ख़ातमे की अ़लामत होगा और क़यामत क़ायम हो जायेगी।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(400) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'क्या जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है?' इब्ने उ़लय्या की हदीस़ का मफ़्हूम नक़ल किया है।

يَوْمًا " أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ " بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

(सहीह बुख़ारी : 4635, अबू दाऊद : 4312, इब्ने माजह : 4068)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا " . قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا .

(401) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ, रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! जानते हो, ये कहाँ जाता है?' मैंने अ़र्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'ये जाकर सज्दे की इजाज़त तलब करता है, इसको इजाज़त मिल जाती है। गोया इसको कह दिया गया है जहाँ से आये हो, वहीं लौट जाओ। (आख़िरकार) इसको कहा जायेगा अपने मग़रिब से तुलूअ़ हो, तो वो मग़रिब से तुलूअ़ होगा।' फिर अ़ब्दुल्लाह की क़िरअत के मुताबिक़ पढ़ा, 'और ये उसका जाए क़रार है।'

(सहीह बुख़ारी : 4635, अबू दाऊद : 4312, इब्ने माजह : 4068)

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} قَالَ " مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ " .

(402) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान का क्या मतलब है कि सूरज अपने मुस्तक़र की तरफ़ चल रहा है? (सूरह यासीन : 38) आपने जवाब दिया, 'उसका मुस्तक़र्र अ़र्श के नीचे है।'

(सहीह बुख़ारी : 4635, अबू दाऊद : 4312, इब्ने माजह : 4068)

फ़ायदा : अलग-अलग इलाक़ों और अलग-अलग मुल्कों के ऐतबार से इसका तुलूअ व गुरूब अलग-अलग है और इसको इसकी इजाज़त लेने के लिये ठहरने या तवक्कुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो उसके हुक्म से तुलूअ व गुरूब हो रहा है और उसके मालिक की तदबीर है। जिसमें किसी मिनट-सेकण्ड के आगे-पीछे होने का इम्कान नहीं है। उसके हुक्म से मौसमों में तब्दीली वाक़ेअ हो रही है और उसके हुक्म के मुताबिक़ तुलूअ व गुरूब का वक़्फ़ा कहीं कम और कहीं ज़्यादा है और कहीं हर मौसम में तक़रीबन एक जैसा रहता है (दिन-रात तक़रीबन बराबर होते हैं) और अ़र्श के नीचे गुज़रते हुए इजाज़त तलब करता है।

باب بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ أُولاَتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ

बाब 73 : रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ वह्य की शुरूआत

(403) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि वह्य का आग़ाज़ सबसे पहले नींद में सच्चे ख़्वाबों से हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) जो ख़्वाब भी देखते उसकी ताबीर रोशन सुबह की तरह होती। फिर ख़ल्वत गुज़ीनी (तन्हाई) आपके नज़दीक महबूब बना दी गई और आप ग़ारे हिरा में तन्हाई इख़्तियार करते और अपने अहल की तरफ़ वापसी से पहले कई-कई रातें वहाँ गुनाह से बचते यानी बन्दगी करते और उसके लिये खाने-पीने का सामान ले जाते। फिर ख़दीजा (रज़ि.) के पास वापस आकर उतनी ही रातों के लिये फिर खाने-पीने का सामान ले जाते। यहाँ तक कि आपके पास अचानक हक़ (फ़रिश्तए वह्य) आ गया और आप ग़ारे हिरा में थे। चुनाँचे आपके पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा, पढ़िये! आपने जवाब दिया, 'मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ।' तो उसने मुझे पकड़कर ज़ोर से दबाया।

यहाँ तक कि उसका दबाव मेरी ताक़त की इन्तिहा को पहुँच गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िये! तो मैंने कहा, 'मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ।' फिर उसने मुझे पकड़ा और दोबारा मुझे भींचा। यहाँ तक कि उसका दबाव मेरी ताक़त की इन्तिहा को पहुँच गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िये! मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे पकड़ा और तीसरी बार दबोचा यहाँ तक कि मुझे पूरी कुव्वत से दबाया। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, 'अपने उस रब के नाम की बरकत व तौफ़ीक़ से पढ़िये जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िये! और आपका रब बड़ा करीम है, जिसने क़लम के ज़रिये तालीम दी और इंसान को वो बातें सिखाईं जो वो नहीं जानता था।' (सूरह अलक़ : 1-5) ये आयतें लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) इस हाल में वापस ख़दीजा (रज़ि.) के पास पहुँचे कि आप पर कपकपी तारी थी। आपने फ़रमाया, 'मुझे कपड़ा ओढ़ाओ, मुझ पर कपड़ा डालो।' घर वालों ने कपड़ा ओढ़ाया, यहाँ तक कि आपका ख़ौफ़ ज़ाइल (ख़त्म) हो गया। फिर आपने ख़दीजा (रज़ि.) से कहा, 'ऐ ख़दीजा! मुझे क्या हुआ?' और उसे पूरा वाक़िया सुनाया। कहा, 'मुझे तो अपनी जान का ख़तरा पड़ गया।' ख़दीजा (रज़ि.) ने आपको जवाब दिया, हर्गिज़ नहीं, ख़ुश हो जाइये। अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला आपको हर्गिज़ रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ . قَالَ " مَا أَنَا بِقَارِئٍ - قَالَ - فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ . قَالَ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ - قَالَ - فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ . فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي . فَقَالَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} " . فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ " زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي " . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ " أَىْ خَدِيجَةُ مَا لِي " . وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ " لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي " . قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ

शाहिद है। आप सिला रहमी करते हैं, सच्ची बात करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, नायाब चीज़ें देते हैं (नायाब से मुराद वो चीज़ है जो किसी और से न मिल सकती हो, इसकी तौजीह आगे मौजूद है) मेहमान नवाजी करते हैं, हक़ के लिये पेश आमदा मसाइब में मदद करते हैं। ख़दीजा (रज़ि.) आपको लेकर अपने चाचाज़ाद वरक़ा बिन नोफ़ल के पास पहुँचीं। जिसने जाहिलिय्यत के दौर में ईसाईयत इख़्तियार कर ली थी और वो अरबी ख़त (राइटिंग) में लिखते थे और इन्जील का अरबी में तर्जुमा जिस क़द्र अल्लाह को मन्ज़ूर होता, करते थे। बहुत बूढ़े थे और बीनाई जा रही थी। ख़दीजा (रज़ि.) ने उससे कहा, ऐ चाचा! अपने भतीजे की बात सुनिये। वरक़ा बिन नोफ़ल ने पूछा, ऐ भतीजे! आपने क्या देखा है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो कुछ देखा था, उसे बताया। तो वरक़ा ने आपसे कहा, यही वह्य राज़दाँ (फ़रिश्ता) है, जिसे मूसा (अलै.) की तरफ़ भेजा गया था, ऐ काश! मैं इस वक़्त में जवाँ होता, ऐ काश! मैं उस वक़्त ज़िन्दा हूँ, जब आपकी क़ौम आपको निकालेगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'क्या वो मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहा, हाँ! कभी कोई आदमी आप जैसा पैग़ाम लेकर नहीं आया, मगर उससे दुश्मनी की गई और अगर आपके उस दिन को मैंने पा लिया तो आपकी भरपूर मदद करूँगा।

(सहीह बुख़ारी : 4953)

الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَىْ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ . قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ " . قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्वह्य : वह्य का लुग़वी मानी है इन्तिहाई ख़ुफ़िया या पोशीदा तरीक़े से ख़बर देना और इसका इतलाक़ इशारतन, किताबत, मक्तूब, रिसाला और इल्हाम व इल्क़ा पर भी होता है और शरई तौर पर उस कलाम को वह्य कहा जाता है जो किसी नबी या रसूल पर अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल हो। **(2) अर्रुअ्यस्सादिक़ा :** सच्चा ख़्वाब। जो चीज़ आप ख़्वाब में देखते वो ठीक उसी तरह बेदारी में सामने आ जाती। **(3) फ़लक़स्सुब्ह :** सपेदा सहर, सुबह की रोशनी। यानी वो ख़्वाब बिल्कुल वाज़ेह होता, उसमें किसी क़िस्म का ख़िफ़ा व पोशीदगी न होती। **(4) सुम्म हुब्बिब इलैहिल ख़ला :** तन्हाई और ख़ल्वत से मुहब्बत पैदा हो गई ताकि पूरे इत्मीनान, फ़राग़ते क़ल्बी से सोच-विचार का मौक़ा मिले और मालूफ़ाते इंसानी से अलग-थलग होकर दिल में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पैदा हो। **(5) यतहन्नस़ :** गुनाह से बचना, हन्नस़ गुनाह को कहते हैं, और तहन्नस़ गुनाह से बचने को। गोया इबादत, इंसान को गुनाह से बचाती है इसलिये इसकी तफ़्सीर तअब्बुद (बन्दगी करना) से की गई है। **(6) अल्लयाली ज़वातल अदद :** इस काम में कई रातें सर्फ़ फ़रमाते। कभी-कभी पूरा माहे रमज़ान, इसी तरह गुज़र जाता। **(7) हत्ता फ़जिअहुल हक़्क़ु :** अचानक आपके पास फ़रिश्ता वह्य लेकर आ गया, आपको इसकी उम्मीद या तवक़्क़ुअ न थी। तक़दीर अल्लाह के इल्म के ऐतबार से, तो हर चीज़ आसामन व ज़मीन की तख़्लीक़ से भी पचास हज़ार साल पहले लौहे महफ़ूज़ में लिख दी गई है जिसमें नुबूवत, विलायत, सआदत व शक़ावत, नेकी व बदी हर चीज़ का रिकॉर्ड है। इस ऐतबार से तो आप क्या, हर नबी, हर सहाबी, हर वली बल्कि हर इंसान का मक़ाम व मर्तबा पहले से मुतअय्यन है, लेकिन हर चीज़ का ज़ुहूर अपने मुक़र्ररह वक़्त पर होता है। हर इंसान की पैदाइश और मौत का वक़्त मुक़र्रर है। लेकिन उसका ज़ुहूर अपने-अपने वक़्त पर होगा। इसी तरह आपकी नुबूवत का वक़्त मुक़र्रर था। लेकिन जब आपकी तरफ़ वह्य की आमद शुरू हुई तो आप नबी बन गये, वह्य की आमद से पहले आप नबी नहीं थे (अगरचे तक़दीर और अल्लाह के इल्म में नबी थे) इसलिये ये कहना कि आप विलादत के वक़्त बल्कि उस वक़्त नबी थे कि जब अभी आदम (अलै.) पैदा भी नहीं हुए थे, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप पहले ही नबी थे, तो फिर इस बहस़ की ज़रूरत क्या है कि आप ग़ारे हिरा में इबादत, किस शरीअत के मुताबिक़ करते थे। नीज़ जो हालात पहली वह्य के वक़्त पेश आये, क्या वो बाद में भी पेश आये। जब आप पहले से नबी थे और आपको इसका इल्म था तो फिर ये सूरते हाल क्यों पेश आई। **(8) मा अना बिक़ारी :** मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अक्सर उलमा ने मा को नाफ़िया (नेगेटिव) क़रार दिया है और इसका मानी है, मा अह्सनुल क़िरअति (मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता) और ये उस सूरत में होता है जब किसी को कोई लिखी हुई चीज़ दी जाये और कहा जाये, पढ़! या वैसे ही उसे कहा जाये, पढ़! लेकिन अगर कोई इंसान उसको लफ़्ज़ की शनाख़्त (पहचान) कराकर कहे पढ़, या इबारत बोल

कर कहे, इस इबारत को दोहरा, तो वो पढ़ सकता है। इसलिये जब फ़रिश्ते ने वह्य के अल्फ़ाज़ आपके सामने पढ़े तो आपने भी पीछे पढ़ दिये। कुछ उलमा ने इसका मानी इस्तिफ़्हामिया किया है। जैसाकि एक रिवायत के अल्फ़ाज़ कैफ़ अक़रउ मैं कैसे पढ़ूँ (मैं तो अपने तौर पर पढ़ नहीं सकता) दूसरी रिवायत है मा ज़ा अक़रउ मैं क्या पढ़ूँ। तमाम मुतक़द्दिमीन शारिहीन की तसरीहात के बावजूद और ये मानने के बावजूद कि आप अनपढ़ थे, अगर बिल्फ़र्ज़ आप पढ़े-लिखे होते तो लोगों को आपकी नुबूवत में शक पैदा होता। ये दावा किया जाता है कि आपने पढ़ने से इंकार फ़रमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मेरी इबादत में ख़लल पैदा होता है। जब चौथी बार जिब्रईल ने इक़्रअ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ कहा, तब आपका ज़हन इस तरफ़ मुतवज्जह हुआ कि ये भी तो उसी ज़ात का नाम ले रहा है जिसके मुशाहिदे और मुताल्अ़े में मैं डूबा हूँ। सो आपने पढ़ लिया। तो क्या जिब्रईल ने पहली बार दबोचा था, इससे आपकी इबादत में ख़लल पैदा नहीं हुआ था और आपके जवाब से, आपकी इबादत मुतास्सिर हुई थी और आप तो पहले से नबी थे तो आपको पहले क्यों पता न चला। **(9) हत्ता बलग़ मिन्निल् जह्द :** जहद, जीम पर फ़तहा और ज़म्मा दोनों पढ़ना दुरुस्त हैं, मानी होगा ग़ायत (इन्तिहा) और मशक़्क़त, दाल पर अगर ज़बर हो तो मानी होगा, जिब्रईल ने अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ़ कर दी। उसने पूरी ताक़त से दबाया था। चूंकि वो इंसानी शक्ल व सूरत में था, इसलिये उसमें क़ुव्वत भी इंसानी थी कोई इंसान मलकी (फ़रिश्ते की) क़ुव्वत व ताक़त को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही फ़रिश्ते को मशक़्क़त लायक़ होती है। अगर दाल पर पेश हो तो मानी होगा मैंने दबाव सहने में अपनी पूरी ताक़त निचोड़ दी। मेरी ताक़त आख़िरी मराहिल में दाख़िल हो गई। मुम्किन है पहली बार ग़त (दबाव) दुनिया के ख़्यालात व तफ़क्कुरात से रुख़ करने के लिये हो। दूसरी बार आपके ख़्यालात व तवज्जह को अपनी तरफ़ मब्ज़ूल करने के लिये और तीसरी बार अपने से मानूस करने के लिये किया हो। (इरशादुस्सारी : 1/63) **(10) तरजुफ़ु बवादिरुहू :** बवादिर, बादिरह की जमा है, शाने के गोश्त को कहते हैं, वो घबराहट और इज़्तिराब की वजह से हिल रहा था। **(11) ज़म्मिलूनी :** मुझे कपड़े में लपेट दो या मुझ पर कपड़ा डाल दो। **(12) अरौअ़ :** घबराहट, परेशानी। **(13) लक़द ख़शीतु अ़ला नफ़्सी :** फ़रिश्ते के दबाव और घबराहट की बिना पर मुझे अपनी जान का ख़तरा पैदा हो गया था। इस फ़िक़रे का ताल्लुक़ ग़ारे हिरा में गुज़रने वाले हालात से है। क्योंकि ये माज़ी का सेग़ा है और इस वाक़िये की शिद्दत को बयान करना मक़सूद है। अगर इसका मानी हाल व इस्तिक़बाल का लिया जाये, जैसाकि हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के जवाब से महसूस होता है तो फिर माना ये होगा कि मुझे ख़तरा है कि मैं इस ओहदे और ज़िम्मेदारी को कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर सकूँगा या इस अज़ीम ज़िम्मेदारी को उठा नहीं सकूँगा। तब हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने कहा, अगर आप इस ज़िम्मेदारी के अहल न होते या इसको अदा न कर सकते तो ये ज़िम्मेदारी आप पर डाली ही न जाती।

आप जैसी सिफ़ाते आलिया और अख़्लाक़े हसना के मालिक को अल्लाह तआला रुस्वा नहीं करेगा, जिस पर ज़िम्मेदारी डाली जाये और वो उसको अदा न कर सके तो ये चीज़ उसके लिये ज़िल्लत व रुस्वाई का बाइस बनती है। इसलिये ये मुम्किन नहीं कि आप इस ज़िम्मेदारी को पूरा न कर सकें। **(14) तहि्मलुल कल्ल :** कल्ल, बोझ। हुव कल्लुन अ़ला मौलाहू वो अपने आक़ा के लिये बोझ है। यानी आप कमज़ोरों, यतीमों और बेकसों को मदद व इआनत करते हैं, उनको नान व नफ़क़ा मुहैया करते हैं। **(15) तक्सिबुल मअ़्दूम :** कसब और अक्सब का मानी होता है किसी को कमाकर देना, मअ़्दूम, अगर मोहताज के मानी में हो यानी फ़क़ीर व तंगदस्त। तो फिर मानी होगा फ़क़ीर व क़ल्लाश को कमा कर देते हैं। क्योंकि मअ़दूम ग़ैर मौजूद को कहते हैं और फ़क़ीर व मोहताज लाशई मअ़दूम मअ़दम के मानी में आ जाता है या मानी होगा कि आप नायाब चीज़ें देते हैं। आप जैसी तालीमात और हिदायात कहीं से हासिल नहीं हो सकतीं, इस सूरत में कसब सलासी मुजर्रद से होगा और उसको सलासी मज़ीद फ़ीह से मानें तो मफ़ऊले अव्वल महज़ूफ़ होगा और मअ़्दूम का मौसूफ़ भी महज़ूफ़ होगा। तुक्सिब ग़ैरकल मालल् मअ़्दूम दूसरों को नायाब माल कमा कर देते हैं। **(16) नवाइबुल हक़ :** नवाइब, नाइबा की जमा है, हादसा और मुसीबत को कहते हैं कि अगर किसी को हक़ की बिना पर मुसीबत से दोचार होना पड़े तो आप उसकी इआनत (मदद) करते हैं, ग़लत कामों में मदद नहीं करते। **(17) तनस्सर फ़िल्जाहिलिय्यह :** आपकी बिअ़सत से पहले उसने ईसाईयत इख़्तियार कर ली थी। **(18) नामूस :** राज़दाँ, ख़ैर के राज़दाँ को नामूस और शर के राज़दाँ को जासूस कहते हैं। **(19) अल्जुज़अ :** ताक़तवर नौजवान। **(20) नसरम् मुअज़्ज़रन :** मज़बूत और क़वी मदद, भरपूर तौर पर साथ देना।

फ़ायदा : (1) वह्य की आमद से पहले आपको उसके लिये तैयार किया गया, आपके दिल में यकसूई और ख़ल्वत गुज़ीनी (तन्हाई) की मुहब्बत पैदा की गई। ताकि आप अलग-थलग होकर यकसूई के साथ ग़ौर व फ़िक्र के आदी बन जायें और लोगों से मेल-जोल कम हो जाये, दिल के अंदर सफ़ाई पैदा हो जाये। (2) सच्चे ख़्वाबों के ज़रिये रुश्दो-हिदायत की तरफ़ रहनुमाई की गई है कि तुलूअ़े शम्स से पहले सपैदा सह्र नमूदार होता है। (3) जिब्रईल (अ़लै.) अचानक वह्य लेकर आये और ऐसा रवैया इख़्तियार किया कि आइन्दा वह्य का तहम्मुल आसान हो जाये और कुछ अ़रसे के लिये वह्य बंद हो गई ताकि आपके दिल में उसके हुसूल की मुहब्बत व शौक़ बढ़े, महबूब चीज़ एक बार हासिल हो जाये फिर छिन जाये तो फिर उसके हुसूल का शौक़ बहुत बढ़ जाता है। इस बिना पर वह्य की बन्दिश के दौर में आप ग़मगीन हो जाते थे और जिब्रईल (अ़लै.) सामने आकर आपके ग़म व हुज़्न को हल्का करते थे। **(4)** हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने आपकी छः सिफ़ाते कमाल बयान की हैं, जो आपकी कामयाबी व कामरानी की ज़ामिन थीं : (1) सिला रहमी (2) सिद्क़े मक़ाल (सच्चाई) (3) ज़ईफ़ों और नातवाँ

लोगों की मदद व नुसरत (4) मोहताजों, फ़क़ीरों की इआनत (5) मेहमान नवाज़ी (6) पेश आमदा मुसीबतों में तआवुन और यही सिफ़ात आज भी दीन की तब्लीग़ और नश्रो-इशाअत की ज़ामिन हैं और मुसलमान उनको अपना कर पूरी दुनिया में दीन को ग़ालिब कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उलमा जो आपके वारिस़ हैं उनके लिये ये लम्हाए फ़िक्रिया हैं। **(5)** दूसरों को मुतास्सिर करने के लिये फ़ैसलाकुन चीज़ इंसान की सीरत व किरदार है। आपने ख़दीजा को नुबूवत के तस्लीम करने की दावत नहीं दी, सिर्फ़ नुज़ूले वह्य का वाक़िया सुनाया और अपने ऊपर गुज़रने वाली कैफ़ियात से आगाह किया। उसने ख़ुद-बख़ुद आपकी नुबूवत को तस्लीम किया बल्कि अपने ख़्याल के मुताबिक़ आपको तसल्ली दी और मज़ीद इत्मीनान के लिये अपने चाचाज़ाद के पास ले गईं। उसने आपकी नुबूवत को तस्लीम किया और आइन्दा पेश आने वाले हालात से आगाह किया और भरपूर मदद की यक़ीन दिहानी कराई। **(6)** दीन की तब्लीग़ और उसकी नश्रो-इशाअत करने वालों को मसाइब व आलाम और अपनों की दुश्मनी व अदावत से गुज़रना पड़ता है। ये मैदान फूलों की सेज नहीं है काँटों भरी राह है। जिसके लिये सब्र व स़बात और इस्तिक़ामत व पामर्दी की ज़रूरत है। **(7)** सबसे पहले उतरने वाली वह्य सूरह अलक़ की शुरूआती आयतें हैं, जो ग़ारे हिरा में उतरीं और फिर तक़रीबन ढाई साल तक वह्य की आमद बंद रही। **(8)** अरबों के आदाब के मुताबिक़ बड़े को चाचा के नाम से पुकारा जाता था। वरक़ा चूंकि उम्र रसीदा थे इसलिये उन्हें आपका चाचा कहा।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْىِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لاَ يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا . وَقَالَ قَالَتْ خَدِيجَةُ أَىِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ .

(404) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ वह्य की शुरूआत, आगे यूनुस की हदीस की तरह हदीस बयान की। सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि मअमर ने कहा, फ़वल्लाहि ला यह्ज़ुनुकल्लाहु अबदा (अल्लाह की क़सम! अल्लाह कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा) और ख़दीजा (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ ये नक़ल किये, ऐ चाचा के बेटे! अपने भतीजे की बात सुन।

(सहीह बुख़ारी : 6982, 4956)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ،

(405) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़दीजा (रज़ि.) के पास

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ . وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا . وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ أَىِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ .

आये। आपका दिल धड़क रहा था। फिर यूनुस और मअ़मर की तरह हदीस़ बयान की और उन दोनों की रिवायत का शुरूआती हिस्सा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ वह्य का आग़ाज़, सच्चे ख़्वाबों की सूरत में हुआ। बयान नहीं किया और उ़क़ैल बिन ख़ालिद ने यूनुस की तरह फ़वल्लाहि ला यह्ज़ीकल्लाहु अबदा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये और ख़दीजा (रज़ि.) का क़ौल, अय्यु इब्ने अ़म्म, इस्मअ़ मिन इब्ने अख़ीक, अल्लाह की क़सम! अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। (ऐ चाचा के बेटे, भतीजे की बात सुन) नक़ल किया है।

(सहीह बुख़ारी : 3, 4955)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ - قَالَ فِي حَدِيثِهِ " فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ

(406) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) जो सहाबा किराम में से थे बन्दिशे वह्य का वाक़िया बयान करते हुए बताते हैं कि आपने फ़रमाया, 'इस दरम्यान कि मैं चल रहा था, मैंने आसमान से आवाज़ सुनी तो मैंने सर उठाया, देखा कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास ग़ारे हिरा में आया था वो आसमान व जमीन के दरम्यान कुर्सी पर बैठा है। तो मैं ख़ौफ़ज़दा होकर घबराकर वापस आ गया और मैंने कहा, मुझे कपड़ा ओढ़ाओ, मुझ पर कपड़ा डालो। तो घर वालों ने मुझ पर कपड़ा डाल दिया। इस पर अल्लाह तबारक व तआ़ला ने ये आयतें नाज़िल की, 'ऐ कपड़े में लिपटने वाले! उठिये! फिर

وَالأَرْضِ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي . فَدَثَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى] يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وَهِيَ الأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْىُ .

लोगों को डराइये और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिये और अपने कपड़े पाक रखिये और बुतों से अलग रहिये।' (सूरह मुद्दस्सिर : 1-5) रुज्ज़ से मुराद बुत हैं। आपने फ़रमाया, 'फिर वह्य मुसलसल नाज़िल होने लगी।'

(सहीह बुख़ारी : 3, 4922-4923, 4925, 4953, 3238, 6214, तिर्मिज़ी : 3325)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़तरतुल वह्य : वह्य की बन्दिश, रुकावट, उसके तसलसुल का क़ायम न रहना। **(2) फ़जुइस्तु :** मैं मरऊब और ख़ौफ़ज़दा हो गया, घबरा गया। जिअ्त से माख़ूज़ है। **(3) फ़रक़ :** ख़ौफ़ व डर।

फ़ायदा : वह्य के रुक जाने के बाद, सबसे पहले उतरने वाली वह्य सूरह मुद्दस्सिर की आयतें हैं।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْىُ عَنِّي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ " . قَالَ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْىُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ

(407) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'फिर मुझसे कुछ वक़्त वह्य बिल्कुल बंद हो गई। इस अस़ना (बीच) में कि मैं चल रहा था।' फिर यूनुस की तरह रिवायत बयान की। सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उ़क़ैल ने कहा, 'तो मैं ख़ौफ़ से मरऊब हो गया यहाँ तक कि ज़मीन पर गिर गया।' और अबू सलमा ने बताया, रुज्ज़ से मुराद बुत हैं और कहा, फिर वह्य गर्म हो गई और उसमें तसलसुल पैदा हो गया।

(सहीह बुख़ारी : 6982, 4956)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हवैतु इलल अर्ज़ : मैं ज़मीन पर गिर गया। **(2) हमियल वह्य व तताबअ़ :** हमिया का मानी है उसके नुज़ूल में इज़ाफ़ा और कस़रत पैदा हो गई और तताबअ़ से उसकी ताकीद की है कि वो मुसलसल और लगातार उतरने लगी।

(408) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं आख़िर में है, 'तो अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, 'ऐ कपड़े में लिपटने वाले!' से लेकर 'बुतों से दूर रहिये।' (सूरह मुद्दस्सिर : 1-5) ये नमाज़ की फ़र्ज़िय्यत से पहले का वाक़िया है। रुज्ज़ से मुराद बुत हैं और उक़ैल की तरह कहा, फ़जुस्सिस्तु मिन्हु, मैं उससे घबरा गया।

(सहीह बुख़ारी : 6982, 4956)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} إِلَى قَوْلِهِ { وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ - وَهِيَ الأَوْثَانُ - وَقَالَ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ " . كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ

मुफ़रदातुल हदीस : जुस्सिस्तु : ख़लील और कुसाई ने जुइस़ और जुस़्स़ का एक ही मानी किया है मरऊब और ख़ौफ़ज़दा होना।

(409) यहया ने अबू सलमा (रह.) से सवाल किया, सबसे पहले क़ुरआन का कौनसा हिस्सा नाज़िल हुआ? उसने जवाब दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो मैं ने पूछा, इक़रअ नहीं? तो अबू सलमा ने कहा, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, सबसे पहले क़ुरआन का कौनसा हिस्सा उतारा गया? तो जाबिर ने जवाब दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो मैंने कहा, क्या इक़रअ नहीं? जाबिर (रज़ि.) ने कहा, मैं तुम्हें वही बताता हूँ जो हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बताया। आपने फ़रमाया, 'मैंने एक माह हिरा में गुज़ारा, जब मैंने अपना ऐतकाफ़ मुकम्मल कर लिया, तो मैं उतर कर वादी के दरम्यान पहुँच गया, तो मुझे आवाज़ दी गई, इस पर मैंने अपने आगे और पीछे, अपने दायें और अपने बायें नज़र दौड़ाई, तो मुझे कोई नज़र न आया। फिर

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَىُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأْ . فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَىُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأْ قَالَ جَابِرٌ أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا

ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ - يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي . فَدَثَّرُونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} " .

मुझे आवाज़ दी गई तो मैंने देखा, मुझे कोई नज़र न आया। फिर मुझे (तीसरी बार) आवाज़ दी गई। इस पर मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो वो यानी जिब्रईल फ़िज़ा में अ़र्श (तख़्ते कुर्सी) पर बैठा हुआ था। तो मुझ पर सख़्त लरज़ा तारी हो गया। मैं ख़दीजा (रज़ि.) के पास आ गया और कहा, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। उन्होंने कपड़ा ओढ़ा दिया और मुझ पर पानी डाला, अल्लाह तआ़ला ने आयतें उतारी, 'ऐ कपड़े में लिपटने वाले, उठकर डर और अपने रब की किब्रियाई बयान कर और अपने कपड़े पाक-साफ़ रख।'

(सूरह मुद्दस्सिर : 1-4)

(सहीह बुख़ारी : 6982, 4956)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जावरतु : मैंने मुजावरत व ऐतकाफ़ किया, मस्दर जवार है, पड़ौस में रहना, किसी जगह रुक जाना। **(2) इस्तब्तन्तु :** बतन से माख़ूज़ है, अंदर चले जाना, मैं वादी के अंदर चला गया। **(3) अ़र्श :** चारपाई, कुर्सी, तख़्त। **(4) रजफ़तुन शदीदा :** सख़्त कपकपी, शदीद लरज़ा, सख़्त बेचैनी।

फ़ायदा : इस हदीस़ से बज़ाहिर ये महसूस होता है कि सबसे पहले उतरने वाली वह्य सूरह मुद्दस्सिर की शुरूआती आयतें हैं लेकिन अगर तमाम अहादीस़ पर मज्मूई तौर पर नज़र डाली जाये तो ये बात वाज़ेह है कि सबसे पहले उतरने वाली, वह्य सूरह इक़रअ् की शुरूआती आयतें हैं क्योंकि हज़रत आ़इशा (रज़ि.) की रिवायत (252) में साफ़ मौजूद है कि पहली वह्य ग़ारे हिरा में उतरी। जिसमें जिब्रईल (अ़लै.) ने आपको तीन बार दबाया और जाबिर (रज़ि.) की हदीस़ (406 और 407) में तसरीह मौजूद है कि फ़त्तर-ए-वह्य के बाद, सबसे पहले उतरने वाली आयतें, सूरह मुद्दस्सिर की शुरूआती आयतें हैं। गोया पहली वह्य के बाद वह्य की आमद रुक गई। फिर कुछ अ़रसे के बाद दोबारा आग़ाज़ हुआ, लेकिन सूरह मुद्दस्सिर की आयतों के बाद वह्य में तसलसुल पैदा हो गया। नीज़ इस रिवायत में ये सराहत भी मौजूद है कि ये वह्य लाने वाला फ़रिश्ता वही था जो जाअनी बिहिरा (मेरे पास हिरा में आ चुका था) और सूरह मुद्दस्सिर की आयतें ग़ारे हिरा के बाद उतरीं हैं जबकि पहली वह्य का नुज़ूल, ग़ारे हिरा में हो चुका था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ " .

(410) इमाम साहब एक और सनद से दूसरी रिवायत बयान करते हैं और आख़िर में है, अचानक वो आसमान व ज़मीन के दरम्यान तख़्त पर बैठा हुआ था।

(सहीह बुख़ारी : 6982, 4956)

फ़ायदा : फ़तर-ए-वह्य के अरसे के बारे में इख़्तिलाफ़ है तीन माह, छः माह, तीन साल, ढाई साल यही सहीह क़ौल है।

باب الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

बाब 74 : रसूलुल्लाह (ﷺ) को रात को आसमानों पर ले जाना और नमाज़ों का फ़र्ज़ होना

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ - قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - قَالَ - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ - قَالَ - ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ

(411) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बताया, 'मेरे पास बुराक़ लाया गया। (वो एक सफ़ेद रंग का लम्बा चौपाया था, गधे से ऊँचा और खच्चर से कम (छोटा) अपना क़दम वहाँ रखता था, जहाँ उसकी नज़र पहुँचती) मैं उस पर सवार होकर बैतुल मक़्दिस पहुँचा और उसको उस हल्क़े (कुण्डे) से बांध दिया जिससे अम्बिया (अलै.) अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ और उसमें दो रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर मैं निकला, तो जिब्रईल मेरे पास एक शराब का बर्तन और दूसरा दूध का बर्तन लाया। मैंने दूध को चुना (दूध को पसंद किया) तो जिब्रईल ने कहा, आपने फ़ितरत को इख़्तियार किया। फिर वो हमें लेकर आसमान की तरफ़ चढ़ा। जिब्रईल ने दरवाज़ा खुलवाया, तो पूछा

فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ . فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صلى الله عليه وسلم إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قِيلَ مَنْ

गया, तू कौन है? जवाब दिया, जिब्रईल हूँ। पूछा गया, तेरे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद हैं। सवाल हुआ, उसे बुलवाया गया है? कहा, बुलाया गया है। इस पर हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया। तो मैंने अचानक आदम (अलै.) को पाया, उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिये ख़ैर की दुआ की। फिर हमें दूसरे आसमान पर ले जाया गया। जिब्रईल (अलै.) ने दरवाज़ा खुलवाया, तो पूछा गया, आप कौन हैं? जवाब दिया? जिब्रईल हूँ। सवाल हुआ, आपके साथ कौन है? कहा, मुहम्मद हैं। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, बुलाया गया है। तो हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया। तो अचानक मैंने दो ख़ालाज़ाद भाइयों ईसा बिन मरयम और यहया बिन ज़करिया (अलै.) को पाया (अल्लाह उन दोनों पर रहमतें बरसाये) दोनों ने मुझे मरहबा कहा, और दुआए ख़ैर दी। फिर जिब्रईल मुझे तीसरे आसमान पर ले गये और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, आप कौन हैं? जवाब दिया, जिब्रईल हूँ। सवाल हुआ, आपके साथ कौन है? कहा, मुहम्मद हैं। पूछा गया, क्या उन्हें तलब किया गया है? कहा, उन्हें बुलाया गया है। तो हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया। तो मेरी मुलाक़ात यूसुफ़ (अलै.) से हुई। उन्हें हुस्न का वाफ़िर (बड़ा) हिस्सा मिला है। उसने मरहबा कहा और दुआए ख़ैर की। फिर हमें चौथे आसमान की तरफ़ ले जाया गया। जिब्रईल (अलै.) ने दरवाज़ा खोलने के लिये कहा, तो सवाल हुआ, आप कौन हैं? कहा, जिब्रईल हूँ। पूछा गया, और आपके साथ कौन है? कहा,

मुहम्मद हैं। पूछा, और क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, उन्हें बुलाया गया है। तो हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया और मेरी मुलाक़ात इदरीस (अलै.) से हुई। उन्होंने मरहबा कहा और दुआए ख़ैर दी। अल्लाह का फ़रमान है, 'हमने उसे बुलंद मक़ाम इनायत किया है।' (सूरह मरयम : 57) फिर हमें पाँचवें आसमान पर ले जाया गया। तो जिब्रईल ने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, आप कौन हैं? कहा, जिब्रईल हूँ। सवाल हुआ, और आपके साथ कौन है? कहा, मुहम्मद हैं। पूछा गया, उन्हें बुलवाया गया है? कहा, उन्हें बुलवाया गया है। तो हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया, तो मेरी मुलाक़ात हारून (अलै.) से हुई। उन्होंने मुझे ख़ुशामदीद कहा और मेरे लिये ख़ैर की दुआ की। फिर हमें छठे आसमान पर चढ़ाया गया। जिब्रईल ने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन है? कहा, जिब्रईल। सवाल हुआ, और आपके साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? कहा, जी हाँ! उन्हें बुलवाया गया है। तो हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया। तो मेरी मुलाक़ात मूसा से हुई। उन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिये दुआए ख़ैर की। फिर वो सातवें आसमान पर चढ़ गये। जिब्रईल ने दरवाज़ा खुलवाया, तो पूछा गया, ये कौन है? कहा, जिब्रईल। सवाल किया गया और तेरे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। पूछा गया, क्या उन्हें पैग़ाम भेजा गया है? कहा, उन्हें पैग़ाम भेजा गया है। तो हमारे लिये दरवाज़ा खोल दिया गया। तो मैं इब्राहीम (अलै.) को पाता हूँ। उन्होंने अपनी

هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ . قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صلى الله عليه وسلم فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صلى الله عليه وسلم فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم

पुश्त की टेक बैतुल मअ़मूर से लगाई हुई है और वो ऐसा घर है कि उसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दाख़िल होते हैं फिर उनकी बारी नहीं आयेगी। फिर जिब्राईल मुझे सिदरतुल मुन्तहा (आख़िर सर पर वाक़ेअ़ बेरी का दरख़्त) के पास ले गये। उसके पत्ते हाथियों के कानों और बेर मटकों की तरह हैं। तो जब अल्लाह के हुक्म से जिस चीज़ ने उसे ढांपा, ढांपा तो उसमें ऐसी तब्दीली पैदा हुई कि अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ में से कोई उसके हुस्न को बयान नहीं कर सकता। फिर अल्लाह तआ़ला ने मेरी तरफ़ जो चाहा वह्य की और मुझ पर हर दिन-रात में पचास नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। मैं मूसा की तरफ़ उतरा तो उन्होंने पूछा, तेरे रब ने तेरी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने जवाब दिया, पचास नमाज़ें। मूसा ने कहा, अपने रब के पास वापस जाओ और उससे तख़्फ़ीफ़ (कमी) की दरख़्वास्त करो, क्योंकि तेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखेगी। मैं बनू इस्राईल को आज़मा चुका हूँ और उनको जाँच चुका हूँ। आपने कहा, तो मैं लौटकर अपने रब के पास गया और अ़र्ज़ किया, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत के लिये तख़्फ़ीफ़ फ़रमा। अल्लाह तआ़ला ने पाँच नमाज़ें कम कर दीं। मैं मूसा की तरफ़ वापस आया और उन्हें बताया, 'अल्लाह तआ़ला ने मुझसे पाँच नमाज़ें घटा दीं।' उन्होंने कहा, तेरी उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। अपने रब की तरफ़ लौट जाइये और उससे तख़्फ़ीफ़ का सवाल कीजिये। आपने फ़रमाया, तो मैं अपने रब्बे तबारक व तआ़ला और मूसा के दरम्यान आता-जाता रहा। यहाँ तक कि अल्लाह

مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلاَلِ - قَالَ - فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا . فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ . قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي . فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا . قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ . - قَالَ - فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً . وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً - قَالَ - فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ " .

तआला ने फ़रमाया, 'ऐ मुहम्मद! वो हर दिन-रात में पाँच नमाज़ें हैं और हर नमाज़ दस के बराबर है। इस तरह ये पचास नमाज़ें हैं और जो इंसान किसी नेकी की निय्यत करके करेगा नहीं, उसके लिये एक नेकी लिख दी जायेगी और अगर वो करेगा तो उसके लिये दस नेकियाँ लिखी जायेंगी और जो बुराई का इरादा करेगा और उसे करेगा नहीं तो कुछ नहीं लिखा जायेगा और अगर उसे कर गुज़रेगा तो एक बुराई लिखी जायेगी।' आपने फ़रमाया, 'मैं उतरकर मूसा के पास पहुँचा और उन्हें ख़बर दी, तो उन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाओ और उससे तख़्फ़ीफ़ की दरख़्वास्त करो।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जवाब दिया, 'मैं बार-बार अपने रब के पास गया हूँ, यहाँ तक कि उससे शर्मा गया हूँ।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) बुराक़ : ये वो तेज़ रफ़्तार (बर्क़ रफ़्तार) सवारी है जिस पर सवार होकर आप बैतुल मक़्दिस पहुँचे। **(2) मक़्दिस :** अगर इसको तक़दीस से मफ़ऊल का सेग़ा बनायें तो मानी होगा, पाक किया गया, अगर इसको मस्दर मीमी बनाकर मक़्दिस पढ़ें तो मानी होगा तहारत व पाकीज़गी का घर कि वहाँ इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है और अगर उसको ज़र्फ़े मकान बनायें तो मानी होगा वो घर जो ख़ुद पाक है क्योंकि वो बुतों की आलूदगी से पाक है। **(3) फ़ितरत :** इससे मुराद, इस्लाम और इस्तिक़ामत है। क्योंकि दूध इंसान की तबई व फ़ितरती ग़िज़ा है। जो इंसान की नशो-नुमा का बाइस है, इसी तरह अल्लाह की रुबूबियत व उलूहियत का इक़रार, इंसान की फ़ितरत और सरशत में रख दिया गया है। **(4) बैतुल मअ़मूर :** आबाद घर, कअ़बे के ठीक ऊपर सातवें आसमान पर इबादतगाह है, जिसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इबादत के लिये आते हैं और एक बार आ जाने वालों को दोबारा मौक़ा नहीं मिलेगा। **(5) सिदरतुल मुन्तहा :** फ़रिश्तों के जाने की सरहद पर वाक़ेअ बेरी है। फ़रिश्ते उससे ऊपर के बारे में कुछ इल्म नहीं रखते, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकते या इसलिये कि ऊपर से जो कुछ उतरता है वो यहाँ आकर रुक जाता है और नीचे से जो कुछ चढ़ता है वो भी यहीं रुक जाता है। **(6) फ़ियलह् :** फ़ील की जमा है, हाथी। **क़िलाल :** कुल्लह् की जमा है, बड़ा मटका जिसमें दो या उससे

ज़्यादा मश्कें डाली जा सकती हैं।

फ़वाइद : (1) वाक़िया इसरा और मेअ़राज मक्का मुअज़्ज़मा में पेश आया और बेदारी में। आपके जसदे अतहर (जिस्मे मुबारक) को बुराक़ के ज़रिये, बैतुल मक़्दिस ले जाया गया। यहाँ तक कि सफ़र को इसरा का नाम दिया जाता है और फिर बैतुल मक़्दिस से आसमानों पर मेअ़राज (सीढ़ी, लिफ्ट) के ज़रिये से ले जाया गया, इसको मेअ़राज का नाम दिया जाता है। अगरचे कुछ अइम्मा ने दोनों को इसरा या मेअ़राज से ताबीर किया है और साइंस की तरक़्क़ी के मौजूदा दौर में इस पर किसी क़िस्म के ऐतराज़ और शक व शुब्हा की गुंजाइश नहीं रही। इंसान जो इन्तिहाई महदूद ताक़त और इल्म का मालिक है वो इन्तिहाई हैरत अंगेज़ फ़िज़ाई सफ़र कर रहा है, तो ख़ालिक़े कायनात जिसकी कुव्वत और इल्म की कोई हद नहीं, उसके किसी काम पर कैसे तअ़ज्जुब या ऐतराज़ किया जा सकता है? **(2)** आसमानों का वजूद है वो महज़ हद्दे नज़र का नाम नहीं है और कोई इंसान बग़ैर इजाज़त के आसमान पर नहीं जा सकता। उन पर फ़रिश्तों की सूरत में चौकस पहरेदार मौजूद हैं, कोई उनके नज़र से बचकर नहीं निकल सकता। **(3)** अल्लाह तआ़ला आसमानों के ऊपर अ़र्श पर मौजूद है और अगर वो अपनी ज़ात के साथ हर जगह मौजूद है, तो फिर नबी (ﷺ) को ऊपर ले जाने की क्या ज़रूरत थी कि वहाँ जाकर आपने अल्लाह तआ़ला से कलाम किया। नीज़ इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला के कलाम में हुरूफ़ व आवाज़ है, जिसका आपने सिमाअ़ किया और बार-बार अपनी दरख़्वास्त का जवाब सुना। **(4)** नमाज़ इतना अहम फ़रीज़ा है कि इसको मेअ़राज का तोहफ़ा क़रार दिया जा सकता है और ये अल्लाह तआ़ला का उम्मते मुहम्मदिया पर एहसान है और आपकी शफ़क़त व रहमत का मज़हर (अ़लै.) कि नमाज़ें पचास से पाँच कर दी गईं लेकिन अज्र व सवाब पचास का बरक़रार रहा। इसमें कमी वाक़ेअ़ नहीं हुई। **(5)** आख़िरी बार जब मूसा (अ़लै.) ने फिर जाने को कहा तो आपने फ़रमाया, 'अब मैं शर्म महसूस करता हूँ।' क्योंकि एक तो आपको फ़रमाया जा चुका अब तब्दीली नहीं होगी। और फिर चूंकि हर बार पाँच की तख़्फ़ीफ़ हुई थी अब जाने का मानी ये था कि एक नमाज़ नहीं पढ़ सकते।

(412) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे पास फ़रिश्ते आये और मुझे ज़मज़म के पास से ले गये। मेरा सीना चाक किया गया फिर ज़मज़म के पानी से धोया गया। फिर मुझे छोड़ दिया गया, यानी जिस जगह से उठाया था, वहीं छोड़ दिया।'

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शुरिह अन सदरी : मेरा सीना चाक किया गया। **(2) उन्ज़िल्तु :** मुझे छोड़ दिया गया। (तुरिक्तु)

(413) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जिब्रईल (अलै.) उस वक़्त आये जबकि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपको पकड़कर गिराया और आपका सीना चाक करके दिल निकाल लिया। फिर उससे जमा हुआ ख़ून निकाला और कहा, ये आप में शैतान का हिस्सा था। फिर उसको सोने के थाल (तश्त) में रखकर ज़मज़म के पानी से धोया। फिर उसको (दिल को) जोड़ा और उसकी जगह पर लौटा दिया और बच्चे दौड़ते हुए आपकी वालिदा यानी आपकी दाया (रज़ाई माँ) के पास आये और कहा, मुहम्मद को क़त्ल कर दिया गया है (ये सुनकर लोग आये) और आपसे मिले और (लोगों ने देखा) आपका रंग (ख़ौफ़ या घबराहट की बिना पर) बदल चुका है। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं उस सिलाई का निशान आपके सीने पर देखा करता था।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ . ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ . فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ . قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लअम : जमा किया, मिला दिया। **(2) ज़िअ्र :** दूध पिलाने वाली। **(3) मुन्तक़िउल लौनि :** रंग का ख़ौफ़ व हुज़्न की बिना पर फ़क़ हो जाना। **(4) मिख़्यत :** सूई, सीने का आला।
फ़ायदा : बचपन में शक़्क़े सद्र (सीना चीरने) का वाक़िया, उस वक़्त पेश आया जबकि आपकी उम्र चार या पाँच साल थी और आप अपनी दाया माई हलीमा के पास बनू सअद ही में रह रहे थे।

(414) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) इसरा की रात के बारे में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को कअबा की मस्जिद से इसरा करवाया गया, आपकी तरफ़ वह्य आने

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي نَمِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ، أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ .

से पहले आपके पास तीन लोग (फ़रिश्ते) आये और आप मस्जिदे हराम में सोए हुए थे। शरीक ने वाक़िय-ए-इसरा साबित बुनानी की हदीस की तरह सुनाया और उसमें कुछ चीज़ों को आगे-पीछे कर दिया और कमी व बेशी भी की (इसलिये इमाम मुस्लिम ने पूरी रिवायत नक़ल नहीं की)।

(सहीह बुख़ारी : 3570, 7517)

फ़ायदा : शरीक ने वाक़िय-ए-इसरा के शुरूआत में उस वाक़िये का भी तज़्किरा कर दिया, जो नुबूवत से पहले नींद की हालत में पेश आया। लेकिन उसमें इसरा नहीं हुआ। फ़रिश्ते आपके पास बैठकर बातचीत करके चले गये थे। वाक़िया मेअराज व इसरा नुबूवत के बाद, हिज्रत से कुछ अरसा पहले पेश आया। हिज्रत से 16-14 या 12 माह पहले। अगरचे इमाम नववी (रह.) ने इसको नुबूवत के पाँच साल बाद क़रार दिया और इमाम तबरी ने बैअत वाले साल लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। शरीक की रिवायत में बहुत सी बातें आम रिवायतों के ख़िलाफ़ हैं। इसलिये इमाम मुस्लिम ने इसको तफ़्सीलन बयान नहीं किया।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ .

(415) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बताया, मक्का में मेरे घर की छत खोली गई। जिब्रईल उतरे और मेरा सीना चाक किया। फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया। फिर सोने का तश्त लाकर जो हिक्मत और ईमान से लबरेज़ था उसे मेरे सीने में ख़ाली कर दिया। फिर सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमान की तरफ़ लेकर चढ़ा। जब हम आसमाने दुनिया पर पहुँचे तो जिब्रईल ने पहले आसमान के दरबान से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने पूछा, ये कौन है? कहा, जिब्रईल है। पूछा, क्या तेरे साथ कोई है? कहा, हाँ! मेरे साथ मुहम्मद हैं। पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ! दरवाज़ा खोलो। उसने

दरवाज़ा खोल दिया। जब हम पहले आसमान पर चढ़ गये तो देखा, एक आदमी है उसके दायें तरफ़ भी सूरतें हैं और बायें तरफ़ भी सूरतें हैं। जब वो अपने दायें तरफ़ देखता है हँसता है और जब बायें तरफ़ देखता है तो रोता है। उसने कहा, नेक शिआर नबी और नेक शिआर बेटे को ख़ुश आमदीद। मैंने जिब्राईल से पूछा, ये कौन हैं? उसने जवाब दिया, ये आदम हैं और ये दायें और बायें तरफ़ शक्लें, उसकी औलाद की रूहें हैं, दायें तरफ़ वाले जन्नती हैं और बायें तरफ़ वाली सूरतें दोज़ख़ी हैं। तो जब वो अपने दायें तरफ़ देखता है हँसता है और जब अपने बायें जानिब देखता है तो रो देता है। फिर जिब्राईल मुझे लेकर ऊपर चढ़े यहाँ तक कि हम दूसरे आसमान तक पहुँच गये। तो उसके पहरेदार से कहा, दरवाज़ा खोलो। तो उसके ख़ाज़िन ने पहले आसमान वाले की तरह पूछा, फिर दरवाज़ा खोला। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं आसमानों पर आदम, इदरीस, ईसा, मूसा और इब्राहीम सब पर अल्लाह तआला की रहमतें हों, मिले और उनकी जगहों की तअयीन नहीं की। हाँ उसने यानी अबू ज़र ने ये बताया कि आदम पहले आसमान पर मिले और इब्राहीम छठे आसमान पर और बताया, जब जिब्राईल और रसूलुल्लाह इदरीस के पास से गुज़रे तो उसने कहा, सालेह नबी और सालेह भाई को ख़ुश आमदीद। फिर आगे गुज़रे तो मैंने पूछा, ये कौन हैं? तो जिब्राईल ने जवाब दिया, ये इदरीस हैं। फिर मैं मूसा के पास से गुज़रा, तो उन्होंने कहा,

قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ ‏.‏ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ - قَالَ - فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ - قَالَ - فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى - قَالَ - فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ - قَالَ - قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى - قَالَ - ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ ‏.‏ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ - قَالَ - فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ

وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِدْرِيسَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ - قَالَ - ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا إِدْرِيسُ - قَالَ - ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ - قَالَ - قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى - قَالَ - ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ - ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ - قَالَ - قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ " . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً - قَالَ - فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ - قَالَ - قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ

सालेह नबी और सालेह भाई को ख़ुश आमद कहता हूँ। मैंने पूछा, ये कोन हैं? जिब्रईल ने कहा, ये मूसा हैं। फिर मैं ईसा के पास से गुज़रा। उन्होंने कहा, सालेह नबी और सालेह भाई को ख़ुश आमदीद। आपका फ़रमान है, मैंने पूछा, ये कौन हैं? उसने कहा, ये ईसा बिन मरयम हैं। आपने फ़रमाया, फिर मैं इब्राहीम के पास से गुज़रा। तो उन्होंने कहा, मरहबा! ऐ सालेह नबी और सालेह बेटे! मैंने पूछा, ये कौन हैं? उस (जिब्रईल) ने कहा, ये इब्राहीम हैं। इब्ने शिहाब कहते हैं, मुझे इब्ने हज़्म ने इब्ने अब्बास और अबू हिबा अन्सारी (रज़ि.) से बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फिर मुझे चढ़ाया गया तो मैं एक हमवार जगह पर चढ़ गया। मैं वहाँ क़ल्मों की आवाज़ सुनता था। इब्ने हज़्म और अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। मैं ये हुक्म लेकर लौटा यहाँ तक कि मूसा के पास से गुज़रा। मूसा ने पूछा, तेरे रब ने तेरी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है?' आपने फ़रमाया, 'मैंने जवाब दिया, उन पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं।' मूसा ने मुझसे से कहा, अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि तेरी उम्मत के ये बस में नहीं है। तो मैं अपने रब की तरफ़ लौट गया। उसने काफ़ी हिस्सा कम कर दिया।' आपने फ़रमाया, 'मैं मूसा के पास वापस आया और उनको बताया, उन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाओ क्योंकि तेरी उम्मत इसकी

صَلاَةً . قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ - قَالَ - فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا - قَالَ - فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ - قَالَ - فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهْىَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ - قَالَ - فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ . فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي - قَالَ - ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ - قَالَ - ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ " .

ताक़त नहीं रखती।' आपने फ़रमाया, 'मैं लौटकर अपने रब के पास गया, उसने (अल्लाह तआला ने) फ़रमाया, 'ये पाँच हैं और पचास के बराबर हैं, मेरे यहाँ बात बदला नहीं करती।' आपने फ़रमाया, 'मैं लौटकर मूसा के पास आया, तो उन्होंने कहा, अपने रब के पास जाओ। तो मैंने कहा, मैं अपने रब से (बार-बार सवाल करके) शर्म महसूस करता हूँ।' आपने फ़रमाया, 'फिर मुझे जिब्रईल लेकर चला, यहाँ तक कि हम सिदरतुल मुन्तहा पर पहुँच गये। उसे ऐसे रंगों ने ढांप लिया, मैं नहीं जानता वो क्या था। फिर मुझे जन्नत में दाख़िल कर दिया गया। उसमें मोतियों के गुम्बद थे और उसकी मिट्टी कस्तूरी थी।'

(सहीह बुख़ारी : 3342, 1636, नसाई : 1/221, इब्ने माजह : 1399)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अस्विदह : सुवाद की जमा है, शक्ल व सूरत, हुलिया, बहुत बड़ी तादाद। **(2) नसम :** नसमतुन की जमा है, रूह, साँस। **(3) जहर्तु लिमुस्तवन :** मैं एक बुलंद और हमवार जगह पर चढ़ गया।**(4) सरीफ़ुल अक़्लाम :** क़ल्मों के लिखने की आवाज़। **(5) शत्र :** आधा हिस्सा या मुताल्लिक़ा हिस्सा या एक अहम हिस्सा।

फ़वाइद : (1) इंसान के सीने को चाक करके दिल को साफ़ करना, आज साइंस की तरक़्क़ी के दौर में कोई ख़िलाफ़े अक़्ल चीज़ नहीं रही। इसलिये जिब्रईल का ज़मज़म के पानी से आपके दिल मुबारक को धोना और फिर उसमें ईमान व हिक्मत भरना कोई क़ाबिले तअज्जुब चीज़ नहीं रहा। ईमान और हिक्मत अगरचे हमारे लिये महसूस और माद्दी चीज़ नहीं है लेकिन अल्लाह तआला के सामने इनका वजूद है जैसाकि हवा, बिजली और रोशनी का हमारे सामने वजूद नहीं है। लेकिन जदीद आलात के ज़रिये, इनकी मिक़्दार मालूम कर ली जाती है। इसलिये उनको तश्त में डालना और उसका उनसे भर जाना क़ाबिले ऐतराज़ नहीं है और न ही इसकी तावील की ज़रूरत है कि इससे मुराद कोई ऐसी चीज़ है जिससे ईमान व हिक्मत पैदा होते हैं। **(2)** जन्नत हज़रत आदम के दायें तरफ़ है, इसलिये जन्नती अरवाह (रूहें) दायें तरफ़

नज़र आती हैं और जहन्नम बायें तरफ़ है और दोज़ख़ियों की अरवाह (रूहें) बायें तरफ़ नज़र आती हैं। **(3)** इस हदीस़ में आया है कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने अम्बिया के मक़ामात के तअयीन नहीं फ़रमाया। फिर आगे सुम्म के ज़रिये उनकी मुलाक़ात का तज़्किरा किया गया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ सुम्म, तर्तीबे वुक़ूई पर दलालत नहीं करता कि वाक़िअतन ऐसा है। महज़ तर्तीब ज़िक्र ही के लिये है कि उन सबका तज़्किरा किया जैसाकि क़ुरआन मजीद में है, '**सुम्म का-न मिनल्लज़ी-न आ-म-नू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल्मरहमह।**' (सूरह बलद : 17) तो यहाँ ये मानी नहीं है कि पहले गर्दन आज़ाद की, भूख के दिन यतीमों को खिलाया या मोहताज मिस्कीनों को खिलाया, उसके बाद ईमान लाया और एक-दूसरे को सब्र व रहमत की तल्क़ीन की। बल्कि मक़सद ये है कि ईमान के साथ, ये सिफ़ात भी मौजूद हैं। हदीस़ में सिर्फ़ यही मक़सूद है कि उन सब अम्बिया से अलग-अलग मक़ामात पर मुलाक़ात हुई। ये बयान करना मक़सूद नहीं है कि पहले किससे मुलाक़ात हुई, फिर किससे। क्योंकि इसकी नफ़ी तो पहले कर दी गई है। **(4)** हज़रत इब्राहीम (अलै.) की मुलाक़ात छठे आसमान पर, इस्तिक़बाल या अल्विदाअ के वक़्त है उनका असल ठिकाना सातवें आसमान पर है। **(5)** नमाज़ों की तख़फ़ीफ़ का मसला इस हदीस़ में इन्तिहाई मुख़्तसर तौर पर बयान किया गया है। फ़िल्वाक़ेअ आप बार-बार अल्लाह तआला की ख़िदमत में हाज़िर हुए हैं। इस तरह नौ बार हाज़िरी में पाँच-पाँच करके 45 नमाज़ों की कमी हुई है। लेकिन अज्र व सवाब में फ़र्क़ नहीं पड़ा। इसलिये पाँच को पचास के बराबर ठहराया गया है। **(6)** इसरा व मेअ़राज को सहीह तौर पर समझने के लिये ज़रूरी है कि इसके बारे में जिस क़द्र अहादीस़ अलग-अलग हदीस़ की किताबों में आई हैं सबको जमा किया जाये और उनकी रोशनी में मआनी का तअय्युन किया जाये।

(416) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने शायद अपनी क़ौम के एक आदमी हज़रत मालिक बिन सअसआ (रज़ि.) से नक़ल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं बैतुल्लाह के पास नींद और बेदारी की दरम्यानी कैफ़ियत में था। इस बीच में मैंने एक कहने वाले को कहते सुना कि तीन आदमियों में से दो के दरम्यान वाला आदमी है। फिर मेरे पास आये और मुझे ले जाया गया। फिर मेरे पास सोने का तश्त लाया गया। जिसमें ज़मज़म का पानी था और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा सीना खोला गया।' क़तादा कहते हैं, मैंने अपने साथ वाले से पूछा, इससे क्या मुराद है?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ . فَأُتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا

उसने कहा, पेट के नीचे तक (सीना खोला गया) फिर मेरा दिल निकाला गया और उसे ज़मज़म के पानी से साफ़ करके उसकी जगह पर दोबारा रख दिया गया। फिर उसे ईमान और हिक्मत से भर दिया गया। फिर मेरे पास एक सफ़ेद जानवर लाया गया, जिसे बुराक़ कहा जाता है। गधे से बड़ा और ख़च्चर से छोटा। जो अपना क़दम, अपने मुन्तहाए नज़र पर रखता था। (जिस जगह उसकी निगाह पड़ती थी वहाँ क़दम रखता था) मुझे उस पर सवार कर दिया गया, फिर हम चल दिये। यहाँ तक कि हम पहले आसमान पर पहुँचे। जिब्रईल ने दरवाज़ा खोलने के लिये कहा, तो पूछा गया ये (दरवाज़ा खुलवाने वाला) कौन है? कहा, जिब्रईल हूँ। पूछा गया, और तेरे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद हैं। पूछा गया, क्या इन्हें बुलवाया गया है? कहा, हाँ! तो हमारे लिये उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, मरहबा। और वो बेहतरीन आमद आये हैं और हम आदम के पास पहुँच गये।' आगे पूरा वाक़िया बयान किया और बताया कि आप दूसरे आसमान पर ईसा और यहया को मिले। तीसरे पर यूसुफ़ को और चौथे पर इदरीस से मिले। पाँचवें पर हारून से। कहा, 'फिर हम चले यहाँ तक कि छठे आसमान तक पहुँचे। मैं मूसा के पास पहुँचा और उनको सलाम किया। उन्होंने कहा, सालेह भाई और सालेह नबी को मरहबा। जब मैं उनसे आगे गुज़र गया, तो वो रोने लगे, आवाज़ दी गई। आप क्यों रोते हैं? कहा, ऐ मेरे रब! ये नौजवान, जिसको तूने मेरे बाद भेजा है इसकी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत

وَكَذَا " . قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي قَالَ إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ " فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ - قَالَ - فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ - قَالَ - فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ صلى الله عليه وسلم " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ - قَالَ " ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ .

فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِيَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ رَبِّ هَذَا غُلاَمٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي . - قَالَ - ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ " فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ . ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَنٌ فَعُرِضَا عَلَىَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلاَةً " . ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ .

के लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत में दाख़िल होंगे। आपने फ़रमाया, 'फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुँच गये। तो मैं इब्राहीम तक पहुँच गया।' और हदीस़ में ये भी बयान किया कि नबी (ﷺ) ने बताया, 'मैंने उस (यानी सिदरतुल मुन्तहा) की जड़ से चार नहरें निकलती देखीं, दो खुली और दो छिपी। मैंने कहा, ऐ जिब्रईल! ये नहरें क्या हैं? उसने कहा, बातिनी (छिपी) जन्नत की नहरें हैं और ज़ाहिरी (खुली) नील व फ़ुरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मअ़मूर किया गया। तो मैंने पूछा, ऐ जिब्रईल! ये क्या है? कहा, ये बैतुल मअ़मूर है। इसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दाख़िल होते हैं। जब इससे निकल जाते हैं, फिर आख़िरत तक इसमें वापस नहीं आते। (उनको इसमें दोबारा हाज़िरी का मौक़ा नहीं मिलेगा) फिर मेरे पास दो बर्तन लाये गये। एक शराब का बर्तन और दूसरा दूध का। दोनों मुझ पर पेश किये गये, मैंने दूध को पसंद किया। तो मुझे कहा गया, आपने दुरुस्त किया (फ़ितरत को इख़्तियार किया) अल्लाह तआ़ला ने आपके साथ ख़ैर का इरादा फ़रमाया। आपकी उम्मत फ़ितरत पर रहेगी या अल्लाह तआ़ला आपके सबब, आपकी उम्मत को फ़ितरत पर पहुँचायेगा (आपकी उम्मत भी आपकी इत्तिबाअ़ में फ़ितरत को इख़्तियार करेगी) फिर मुझ पर हर रोज़ पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं।' फिर सारा वाक़िया बयान किया।

(सहीह बुख़ारी : 3207, 3887, 3393, 3430, तिर्मिज़ी : 3346, नसाई : 1/220)

फ़वाइद : (1) हज़रत मूसा (अलै.) का रोना इस बिना पर था कि उन्होंने बनू इस्राईल की तालीम व तर्बियत के लिये बहुत जतन किये। लेकिन वो उनकी मेहनत के मुताबिक़ दुरुस्त न हुए और अपनी कसरत (ज़्यादा होने) के बावजूद उनमें से कम लोग जन्नती होंगे, इस पर उन्हें रंज और अफ़सोस हुआ। **(2)** हज़रत मूसा (अलै.) ने आपको ग़ुलाम (नौजवान) क़रार दिया क्योंकि आप इस उम्र में भी नौजवानों वाला जज़्बा और क़ुव्वत रखते थे और अपनी उम्मत की तालीम और दीन के फ़रोग़ के लिये मुसलसल और पैहम कोशिश फ़रमा रहे थे, इस उम्र में इतनी तगो-दौ और मेहनत आम तौर पर मुम्किन नहीं है। **(3)** नील, मिस्र में बहने वाला दरिया है और फ़ुरात इराक़ में। इन दोनों दरियाओं का असल मम्बअ सिदरतुल मुन्तहा की जड़ है। फिर उनका ज़ुहूर दुनिया में हुआ। इसलिये इनका पानी इन्तिहाई शीरीं, साफ़ ज़ोर हज़म और सरसब्ज़ी व शादाबी का बाइस है। अल्बय्यिनात : आसिम हदाद में कुछ दलाइल की रोशनी में एक और मानी बयान किया गया है, तफ़्सील के लिये देखिये पेज नम्बर : 192-194।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ " فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا " .

(417) हज़रत अनस (रज़ि.) ने हज़रत मालिक बिन सअसआ (रज़ि.) से रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, फिर ऊपर वाली हदीस़ की तरह बयान किया और इसमें इज़ाफ़ा किया, 'तो मेरे पास सोने का हिक्मत व ईमान से भरा हुआ तश्त लाया गया और सीने के ऊपर से पेट के नीचे तक चीरा गया और ज़मज़म के पानी से धोया गया, फिर हिक्मत और ईमान से भर दिया गया।'

(सहीह बुख़ारी : 3342, 1636, नसाई : 1/221, इब्ने माजह : 1399)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ، نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُسْرِيَ بِهِ

(418) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसरा का वाक़िया बयान किया और फ़रमाया, 'मूसा गन्दुमी रंग, लम्बे क़द के थे गोया कि वो शनूआ क़बीले के लोगों में से हैं।' और फ़रमाया, 'ईसा गठ्ठे हुए जिस्म के, मुतवस्सित (मिडियम) क़द वाले थे।' और आपने दोज़ख़ के दारोग़ा मालिक और दज्जाल का तज़्किरा भी फ़रमाया।

فَقَالَ " مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ " . وَقَالَ " عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ " . وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ .

(सहीह बुख़ारी : 3239, 3396)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तुवाल : तवीलुल क़ामत। **(2) आदम :** गन्दुमी रंग वाले। **(3) जअ़्दुन :** घुंघरियाले बालों को कहते हैं। लेकिन यहाँ बालों की बजाय जिस्म की सिफ़त है, इसलिये गट्ठा हुआ जिस्म मुराद है। **(4) मरबूअ़ :** दरम्याना क़द, न बहुत लम्बा और न बहुत छोटा। **(5) शनूआ :** गन्दगी से दूरी को कहते हैं यहाँ एक क़बीले का नाम है।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ، نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - رَجُلٌ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ " . وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ . فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ . قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

(419) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस रात मुझे इसरा करवाया गया मैं मूसा बिन इमरान (रज़ि.) के पास से गुज़रा। वो शनूआ क़बीले के मर्दों की तरह गन्दुमी रंग, तवीलुल क़ामत, घुंघरियाले बालों वाले थे और मैंने ईसा बिन मरयम को देखा, उनका क़द दरम्याना, रंग सुर्ख़ व सफ़ेद सर के बाल सीधे और मालिक दोज़ख़ का दारोग़ा और दज्जाल दिखाये गये। बहुत सी निशानियों में जो आपको अल्लाह ने दिखाईं, तो आपने उनसे मुलाक़ात में शक न करें।' (सूरह सज्दा : 23) रावी ने कहा, क़तादा इस आयत की तफ़्सीर बताते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मूसा (अलै.) से मुलाक़ात की।

(सहीह बुख़ारी : 3342, 1636, नसाई : 1/221, इब्ने माजह : 1399)

मुफ़रदातुल हदीस़ : सबतुन : बा पर फ़तहा और कसरा दोनों आ सकते हैं और अगर बा को साकिन पढ़ें तो सीन पर फ़तहा और कसरा दोनों आ सकेंगे, मानी है साफ़ और सीधे जिनमें ख़मीदगी (टेढ़ापन) न हो।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ

(420) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ " أَىُّ وَادٍ هَذَا " . فَقَالُوا هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ . قَالَ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ " . ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى . فَقَالَ " أَىُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ " . قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّي " . قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا .

करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अज़रक वादी से गुज़रे, आपने पूछा, 'ये कौनसी वादी है?' लोगों ने कहा, ये वादी अज़रक़ है। आपने फ़रमाया, 'गोया कि मैं मूसा को चोटी से उतरते देख रहा हूँ और वो बुलंद आवाज़ से अल्लाह के हुज़ूर तल्बीया कह रहे हैं।' फिर आप हरशा की चोटी पर पहुँचे तो पूछा, ये कौनसी चोटी है? लोगों ने कहा, ये हरशा की चोटी है। आपने फ़रमाया, 'गोया कि मैं यूनुस बिन मत्ता को देख रहा हूँ, सुर्ख़ रंग की घुटी हुई ऊँटनी पर सवार हैं, अदना जुब्बा पहना हुआ है, उनकी ऊँटनी की नकेल खजूर की छाल की है और वो लब्बैक कर रहे हैं।' इब्ने हम्बल ने अपनी हदीस़ में बयान किया कि हुशैम ने कहा, ख़ुल्बा से मुराद लीफ़ है यानी खजूर की छाल।

(इब्ने माजह : 2891)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) स़निय्यह : जमा स़नाया, दर्रह, घाटी, पहाड़ी रास्ता। **(2) जुआर :** बुलंद आवाज़ से दुआ करना, गिड़गिड़ाना, बैल का डकारना। **(3) तल्बिया :** अल्लाहुम्म लब्बैक कहना।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) को शबे मेअ़राज, कुछ अम्बिया की ज़िन्दगी का हाल दिखाया गया कि उनका हज कैसा था, सवारी किस क़िस्म की थी, लब्बैक किस तरह कहा। आज इंसान अलग-अलग क़िस्म के प्रोग्रामों की विडियो तैयार कर लेते हैं और फिर जब चाहते हैं, उन प्रोग्रामों को देख लेते हैं, तो क्या अल्लाह तआ़ला इंसानों की ज़िन्दगी, उनके अफ़आ़ल व आ़माल की विडियोज तैयार नहीं कर सकता कि जब चाहे वो किसी को दिखा दे। इसीलिये आपने कअन्नी अन्ज़ुर गोया कि मैं देख रहा हूँ के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फरमाये हैं। इसी तरह दज्जाल और मालिक ख़ाज़िने नार (दोज़ख़ के दारोग़े) की तस्वीर दिखाई गई जिस तरह आपको जन्नत और दोज़ख़ की तस्वीर दिखाई गई थी। यहाँ तक कि आप दोज़ख़ को देख कर पीछे हट गये और जन्नत को देखकर उसके मेवे तोड़ने के लिये आगे बढ़े, यहाँ तक कि आपने लोगों को जहन्नम में सज़ा पाते देखा।

(421) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का और मदीना के दरम्यान एक वादी से गुज़रे, तो आपने पूछा, ये कौनसी वादी है। लोगों (सहाबा) ने कहा, वादीए अज़रक़ है। आपने फ़रमाया, 'गोया कि मैं मूसा (अ़लै.) को देख रहा हूँ।' आपने मूसा (अ़लै.) के रंग और बालों के बारे में कुछ बताया जो दाऊद को याद नहीं। मूसा (अ़लै.) ने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में रखी हैं और वो बुलंद आवाज़ से तल्बिया पुकारते हुए उस वादी से गुज़र रहे हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, फिर हम चले, यहाँ तक कि हम एक और घाटी पर पहुँचे। तो आपने पूछा, ये कौनसी घाटी है? तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने जवाब दिया, हरशा या लिफ़्त है। तो आपने फ़रमाया, 'गोया कि मैं यूनुस (अ़लै.) को देख रहा हूँ, सुर्ख़ ऊँटनी पर सवार हैं, अदना जुब्बा पहना है, उनकी ऊँटनी की नकेल खजूर की छाल की है, वो तल्बिया कहते हुए उस वादी से गुज़र रहे हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 3342, 1636, नसाई : 1/221, इब्ने माजह : 1399)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ " أَىُّ وَادٍ هَذَا " . فَقَالُوا وَادِي الأَزْرَقِ . فَقَالَ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي " . قَالَ " ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ " أَىُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ " . قَالُوا هَرْشَى أَوْ لِفْتٌ . فَقَالَ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفُ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا " .

(422) मुजाहिद (रह.) ने कहा, हम इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास थे, तो लोगों ने दज्जाल का तज़्किरा छेड़ दिया। मुजाहिद ने कहा, उसकी आँखों के दरम्यान काफ़िर लिखा होगा। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, मैंने आपसे नहीं सुना कि आपने ये कहा हो, लेकिन

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ . قَالَ فَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ . قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ " أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي " .

आपने ये फ़रमाया, 'रहा इब्राहीम तो अपने साथी को (आपको) देख लो और रहे मूसा, एक आदमी हैं गन्दुमी रंग, घुंघरियाले बाल, सुर्ख़ ऊँट पर सवार हैं, जिसकी नकेल खजूर की छाल है गोया कि मैं उनहें देख रहा हूँ जब वादी में उतरते हैं तो तल्बिया कहते हैं।'
(सहीह बुख़ारी : 1555, 3355, 5913)

फ़ायदा : हज़रत इब्राहीम (अलै.) की शक्ल व सूरत आप (ﷺ) जैसी थी। इसलिये आपने फ़रमाया, इब्राहीम (अलै.) को देखना है तो अपने साथी को यानी मुझे देख लो।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " عُرِضَ عَلَىَّ الأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ " دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ " .

(423) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझ पर अम्बिया पेश किये गये, मैंने मूसा (अलै.) को देखा। वो हल्के बदन के आदमी थे गोया कि वो क़बीला शनूआ के लोगों से हैं और मैंने ईसा बिन मरयम (अलै.) को देखा, मैं सबसे ज़्यादा उनके मुशाबेह उरवह बिन मसऊद को देखता हूँ और मैंने इब्राहीम (अलै.) को देखा तो मैं सबसे ज़्यादा उनके मुशाबेह तुम्हारे साथी (रसूल (ﷺ) मुराद हैं) को देखता हूँ।' यानी आप ख़ुद मुराद हैं, 'और मैंने जिब्रईल (अलै.) को देखा, मैं सबसे ज़्यादा उनके मुशाबेह दिह्या को देखता हूँ।' इब्ने रुमह की रिवायत में है, दिह्या बिन ख़लीफ़ा।
(तिर्मिज़ी : 3649)

मुफ़रदातुल हदीस़ : ज़रबुन : कम गोश्त, हल्का-फुल्का, इससे मुज़्तरिब है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ

(424) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस वक़्त मुझे इसरा करवाया गया, मैं मूसा (अलै.)

عَبْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - " . فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا رَجُلٌ - حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ - قَالَ - وَلَقِيتُ عِيسَى " . فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ " فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ " . - يَعْنِي حَمَّامًا - قَالَ " وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ - قَالَ - فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ . فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ . فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ " .

से मिला।' तो आपने उनकी कैफ़ियत बयान की, मेरे ख़याल में आपने फ़रमाया, 'वो एक मर्द हैं कम गोश्त, बालों में कंघी की हुई गोया कि वो शनूआ के लोगों में से हैं।' और आपने फ़रमाया, 'मेरी मुलाक़ात ईसा (अलै.) से हुई।' और आपने उनका हुलिया बयान फ़रमाया, 'वो दरम्याना क़द, सुर्ख़ रंग थे। गोया अभी हमाम से निकले हैं (यानी बिल्कुल तरो-ताज़ा थे) हश्शाश-बश्शाश थे।' और फ़रमाया, 'मैं इब्राहीम (अलै.) को मिला और मैं उनकी औलाद में सबसे ज़्यादा उनके मुशाबेह हूँ।' आपने फ़रमाया, 'मेरे पास दो बर्तन लाये गये, एक में दूध और दूसरे में शराब थी। मुझे कहा गया, इनमें जो चाहे ले लो। तो मैंने दूध लेकर उसे पी लिया। फ़रिश्ते ने कहा, तुम्हारी रहनुमाई फ़ितरत की तरफ़ की गई या तुम फ़ितरत तक पहुँच गये हो। अगर आप शराब को ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती।'

(सहीह बुख़ारी : 3394, 3437, 5576, तिर्मिज़ी : 3130)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुज़्तरिब : ज़र्ब से माख़ूज़ है, कम गोश्त, दुबले-पतले। **(2) रजिलुश्शअर :** बालों को कंघी की हुई। **(3) दीमास :** दमस से मुश्तक़ है, जिसका मानी होता है ख़ाक में छिपाना, दीमास का मानी है हमाम, तहख़ाना, क़ब्र, मुराद चेहरे की तरो-ताज़गी और शादाबी है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में हज़रत ईसा (अलै.) को अहमर (सुर्ख़) कहा गया है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत में इलल हुम्रति वल्बियाज़ (सुर्ख़ व सफ़ेद) कहा गया, गोया सफ़ेद सुर्ख़ी माइल होगा। इसलिये कुछ जगह आदम गन्दुमी रंग क़रार दिया गया है।

बाब 75 : मसीह बिन मरयम (अलै.) और मसीह दज्जाल का तज़्किरा

باب فِي ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

(425) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने एक रात अपने आपको (ख़्वाब में) कअ़बे के पास देखा तो मैंने एक गन्दुमी रंग आदमी देखा। जो गन्दुमी रंग मर्द तूने देखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत गन्दुमी रंग का था। उसके कंघी किये हुए कानों की लौ से नीचे तक आने वाले बहुत ख़ूबसूरत बाल थे। जैसे तूने कानों की लौ से नीचे आने वाले सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत बाल देखे हों, उन बालों से पानी टपक रहा था। वो दो आदमियों पर या दो आदमियों के कन्धों का सहारा लेकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया गया, ये मसीह बिन मरयम (अलै.) हैं। फिर मैंने एक आदमी देखा, जिसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे, दायें आँख कानी थी गोया कि वो उभरा हुआ अंगूर है। मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहा गया, ये मसीह दज्जाल है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " .

(सहीह बुख़ारी : 5902, 6999)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) कअ़बा : मुरब्बअ़ (चौकोर) घर को कहते हैं या गोल और बुलंद चीज़ को कहते हैं।

(2) लिम्मह : जमा लिम्मुन, वो बाल जो कानों की लौ से नीचे तक लटकते हों। **(3) कद रज्जलहा :** उनमें कंघी की हुई थी। **(4) तक़्तुरु माअन :** उनसे हक़ीक़तन पानी टपक रहा था या तरो-ताज़गी में ऐसे थे जो उन बालों में होती है जो पानी से तर होते हैं। **(5) अवातिक़ :** आतिक़ की जमा है, शाना,

कन्धा। **(6) जुअद :** घुंघरियाले, ख़मीदा। **(7) क़ततुन :** बहुत ज़्यादा घुंघरियाले बाल (रजुलु क़ित्त व क़ुततुन)। **(8) इनबतुन ताफ़ियतुन :** उभरा या फूला हुआ अंगूर, जो दूसरे अंगूरों से उभरा हुआ हो।

फ़वाइद : (1) हज़रत ईसा बिन मरयम (अलै.) को इसलिये मसीह कहते हैं कि जब वो किसी बीमार पर हाथ फेरते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से तन्दुरुस्त हो जाता था और दज्जाल को मसीह इसलिये कहते हैं उसकी आँखें मम्सूहा (मिटी) हुई हैं इसलिये कि वो काना या इसलिये कि ख़ैर से वो महरूम है। **(2)** अल्लाह तआला ने हुज़ूर (ﷺ) को अलग-अलग अम्बिया (अलै.) को ज़िन्दगी के अलग-अलग मरहलों में काम करते दिखाया है, इसी तरह अलग-अलग जगहों पर दिखाया है और आज के साइंसी दौर में इसको समझना बिल्कुल आसान हो गया है। एक इंसान एक जगह तक़रीर कर रहा होता है या एक मुल्क में कोई ख़ास ग़मी या ख़ुशी की तक़रीब मुन्अक़िद होती है तो वो तमाम दुनिया में दिखाई देती है और हर जगह यही महसूस होता है कि ये तक़रीर या तक़रीब यहीं हो रही है अगर एक इंसान जिसकी इस पूरी कायनात में, एक ज़र्रे की हैसियत है, उसकी अक़्ल ये काम कर रही, तो पूरी कायनात के ख़ालिक़ व मालिक की क़ुदरत और इल्म जिसका कोई किनारा और हद नहीं है, वो अगर अम्बिया (अलै.) को ज़िन्दगी के अलग-अलग काम करे, ज़िन्दगी के अलग-अलग मरहलों में जहाँ चाहे दिखा दे, तो इसमें क्या इस्तिअबाद (तअज्जुब) हो सकता है। चूंकि अम्बिया (अलै.) ज़िन्दगी के अलग-अलग मरहलों में अलग-अलग काम करते दिखाये गये हैं इसलिये कई बार, एक बार देखने के बाद दोबारा देखते वक़्त आपको पहचान नहीं आ सकी और कुछ जगह हुलिया बयान करने में भी इख़्तिलाफ़ हो गया है। तो ये दरहक़ीक़त इख़्तिलाफ़ नहीं है। ज़िन्दगी के अलग-अलग मरहले या उम्र के इख़्तिलाफ़ से शक्ल व सूरत में फ़र्क़ पड़ जाता है।

(426) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन लोगों के सामने मसीह दज्जाल का तज़्किरा किया और फ़रमाया, 'अल्लाह तबारक वतआला काना नहीं है, ख़बरदार रहना मसीह दज्जाल की दाईं आँख कानी है गोया कि वो फूला हुआ अंगूर है।' इब्ने उमर ने कहा, और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने आज रात अपने आपको ख़्वाब में कअबा के पास देखा तो अचानक मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى، - وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ

طَافِيَةٌ " . قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً . وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىْ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " .

गन्दुमी रंग, इन्तिहाई ख़ूबसूरत गन्दुमी रंग मर्द जो कभी तुमने देखा है, उसके सर के बाल कन्धों के दरम्यान लटके हुए थे, उनमें कंघी की हुई थी (वो बाल कंघी किये हुए थे) वो उनके दरम्यान बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। तो मैं ने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने (फ़रिश्तों) ने जवाब दिया, मसीह इब्ने मरयम (अलै.) है। और मैंने उसके पीछे एक आदमी देखा जिसके बाल इन्तिहाई घुंघरियाले थे, दाईं आँख कानी थी, जिन लोगों को मैंने देखा उनमें से सबसे ज़्यादा इब्ने क़तन के मुशाबेह था अपने दोनों हाथ दो आदमियों के कन्धों पर रखे हुए वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। तो मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मसीह दज्जाल (बहुत झूठा) है।'

(सहीह बुख़ारी : 3439-3440)

फ़ायदा : इस वाक़िये में मसीह दज्जाल, आपको ज़िन्दगी के उस मरहले में तवाफ़ करते दिखाया गया है जबकि वो अपने आख़िरी रूप में नहीं था। जिस दौर में उसके लिये मक्का और मदीना में दाख़िल होना मम्नूअ है, जब क़यामत के क़रीब उसका ज़ुहूर होगा, तो वो मक्का और मदीना में दाख़िल नहीं हो सकेगा और ईसा (अलै.) को देखकर नमक की तरह पिघलेगा। इसलिये ये हदीस़ उस हदीस़ के मुख़ालिफ़ नहीं है कि दज्जाल मदीना और मक्का में दाख़िल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ क़ुर्बे क़यामत से है। (फ़तहुल बारी, बहवाला फ़तहुल मुल्हिम : 333)

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ

(427) इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, आपने फ़रमाया, 'मैंने एक रात अपने आपको कअ़बे के पास ख़्वाब में देखा। एक शख़्स गन्दुमी रंग, इन्तिहाई ख़ूबसूरत, गन्दुमी रंग का मर्द उसके सर के बाल कन्धों के दरम्यान तक लटके हुए थे और उनमें कंघी की हुई थी, सर से पानी टपक रहा था,

अपने दोनों हाथ दो आदमियों के कन्धों पर रखे हुए था और वो दोनों के दरम्यान बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, मसीह बिन मरयम (अलै.) है और उसके पीछे मैंने एक आदमी देखा, जिसके बाल सख़्त घुंघरियाले थे, दाईं आँख कानी थी, जिन लोगों को मैंने देखा है, उनमें सबसे ज़्यादा इब्ने क़तन उनके मुशाबेह था। वो अपने दोनों हाथ दो आदमियों के कन्धों पर रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये मसीह दज्जाल है।'

عَلَى رَجُلَيْنِ . يَسْكُبُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لاَ نَدْرِي أَىَّ ذَلِكَ قَالَ - وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " .

(428) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब क़ुरैश ने मुझे झुठलाया, मैं हिज्र (हतीम) में खड़ा हुआ। अल्लाह तआला ने बैतुल मक़्दिस मेरे सामने कर दिया और मैं उसे देखकर उन्हें उसकी निशानियाँ बतलाने लगा।'

(सहीह बुख़ारी : 4710, 3886, तिर्मिज़ी : 3133)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلاَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ " .

फ़ायदा : आज के दौर में दुनिया की कोई सी इमारत दुनिया के किसी भी मुल्क में टीवी के ज़रिये दिखाई जा सकती है तो कुदरते इलाही के सामने कौनसी चीज़ नामुम्किन हो सकती है। (इस हदीस़ का ताल्लुक़ पिछले बाब से है)। अगर अल्लाह तआला ने आपको हतीम में खड़े बैतुल मक़्दिस दिखा दिया तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं।

(429) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'मैं सो रहा था कि

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ

इस दौरान में मैंने अपने आपको देखा कि मैं कअ़बा का तवाफ़ कर रहा हूँ। अचानक एक आदमी पर मेरी नज़र पड़ी, जिसके बाल सीधे, रंग गन्दुमी है। दो आदमियों के दरम्यान है, उसके सर से पानी बह रहा है या उसके सर से पानी गिर रहा है। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये इब्ने मरयम है। फिर मैं देखने लगा, तो मेरी नज़र एक सुर्ख़ आदमी पर पड़ी जिसका जिस्म भारी था, सर के बाल घुंघरियाले थे, आँख कानी थी गोया कि उसकी आँख उभरा हुआ अंगूर थी। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, दज्जाल है। लोगों में सबसे ज़्यादा उसके मुशाबेह इब्ने क़तन है।'

شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الدَّجَّالُ . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ " .

(430) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाक़ेई मैंने अपने आपको हिज्र में देखा। क़ुरैश मुझसे मेरे इसरा के बारे में सवाल कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बैतुल मक़्दिस की कुछ चीज़ों के बारे में पूछा, जो मुझे महफ़ूज़ न थीं तो मैं इस क़द्र परेशान हुआ कि कभी इतना परेशान नहीं हुआ था।' आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला ने बैतुल मक़्दिस को उठाकर मेरे सामने कर दिया। मैं उसे देख रहा था, वो मुझसे जिस चीज़ के बारे में पूछते, मैं उन्हें उसके बारे में बता देता और मैंने अपने आपको अम्बिया की एक जमाअ़त में देखा। मैंने मूसा (अलै.) को इस हाल में देखा कि वो खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे, वो एक आदमी थे, हल्के-फुल्के गठा हुआ बदन, जैसाकि वो शनूआ (क़बीला) के मर्दों में से हैं और

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَاىَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا . فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ

السَّلاَمُ - قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلاَمِ " .

अचानक ईसा बिन मरयम (अलै.) को देखा, खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोगों में सबसे ज़्यादा उनके मुशाबेह उरवह बिन मसऊद सक़फ़ी हैं और इब्राहीम (अलै.) भी खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं। लोगों में सबसे ज़्यादा उनके मुशाबेह तुम्हारे साथी हैं।' (यानी आप) नमाज़ का वक़्त हो गया, तो मैंने उनकी इमामत की। जब मैं नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो मुझे एक कहने वाले ने कहा, ऐ मुहम्मद! ये मालिक आग का दारोग़ा है, इसे सलाम कहिये! मैं उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ तो उसने मुझे पहले सलाम कह दिया।'

फ़ायदा : जिन अम्बिया को आपने नमाज़ पढ़ते देखा, आपको ये कैफ़ियत उस दौर की दिखाई गई जिसमें वो नमाज़ पढ़ा करते थे। आप आज एक वीडियो फिल्म तैयार कर लें, तो एक अरसे के बाद जबकि उसके शुरका वफ़ात पा चुके होंगे, आप उनको अपनी ज़िन्दगी वाले काम करते देख सकेंगे। इंसान मख़्लूक़ होकर इस क़िस्म के काम आ रहा है और आइन्दा नामालूम जदीद इन्किशाफ़ात (टेक्नोलोजी) का क्या आलम होगा और अल्लाह तआला की क़ुदरत के किस क़द्र राज़ इफ़्शा होंगे, इसलिये सहीह अहादीस़ में बयान किये गये वाक़ियात के बारे में किसी शक व शुब्हा में मुब्तला न होना चाहिये और न उनकी तावील व तहरीफ़ करनी चाहिये।

باب فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

बाब 76 : सिदरतुल मुन्तहा का तज़्किरा

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى

(431) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसरा करवाया गया, आपको सिदरतुल मुन्तहा तक ले जाया गया, वो छठे आसमान पर है। उसके पास जाकर वो चीज़ें जिन्हें ज़मीन से ऊपर ले जाया जाता है रुक जाती हैं और वहाँ से उन्हें ले लिया जाता है और उसके पास आकर रुक जाती हैं। वो चीज़ें जिन्हें उसके ऊपर से नीचे लाया जाता है और

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ { إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ .

वहाँ से उन्हें वसूल कर लिया जाता है (उसके बारे में) अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'जब ढांप लिया, सिदरह को जिसने ढांप लिया।' अब्दुल्लाह ने कहा, सोने के परवाने थे और कहा रसूलुल्लाह (ﷺ) को तीन चीज़ें अता की गईं, पाँच नमाज़ें, सूरह बक़रह की आख़िरी आयतें और आपकी उम्मत के उन तमाम लोगों के बड़े-बड़े गुनाह माफ़ कर दिये गये जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया।

(तिर्मिज़ी : 3276, नसाई : 1/226)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़राश मिन ज़हब : सोने के पतिंगे, चिराग़ की रोशनी पर गिरने वाले परवाने मुराद हैं। **(2) अल्मुक़हिमात :** इक़्हाम का मानी होता है किसी को बिला सोचे-समझे दाख़िल करना। **अक़्हम फ़रसहुन्नह्र :** अपने घोड़े को जबरन नहर में दाख़िल किया। **अल्मुक़हिमात :** से मुराद वो बड़े-बड़े गुनाह हैं जो इंसान की तबाही व बर्बादी का बाइस़ हैं।

फ़वाइद : (1) सिदरतुल मुन्तहा छठे आसमान से शुरू होकर सातवें आसमान के ऊपर तक फैली हुई है। इसकी जड़ें छठे आसमान पर हैं और शाख़ें सातवें पर हैं। **(2)** कुछ लोगों के ईमान की पुख़्तगी और नेकियों की वजह से सब गुनाह माफ़ हो जायेंगे, ये अल्लाह का करम व एहसान है या फिर बक़द्र जुर्म व गुनाह अज़ाब के बाद उनके गुनाह ख़त्म हो जायेंगे और फिर वो जन्नत में दाख़िल होंगे।

नोट : मुन्दर्जा ज़ैल (नीचे की) तीन हदीसें हिन्दुस्तानी और पाकिस्तानी नुस्ख़ों में अगले बाब के तहत दर्ज हैं और उनका ताल्लुक़ भी अगले बाब ही से है। लेकिन बैरूत नुस्ख़े में मज़्कूरा बाला बाब के तहत हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ - حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ { فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

(432) शैबानी कहते हैं मैंने ज़िर्र बिन हुबैश से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के क़ौल 'क़ा-ब क़ौसैनि औ अदना' वो दो कमानों के फ़ास्ले पर हो आया बल्कि उसके क़रीबतर। उसने जवाब दिया, मुझे इब्ने मसऊद ने बताया बिला शुब्हा नबी (ﷺ) ने जिब्राईल को देखा उसके छः सौ पर थे।

(सहीह बुख़ारी : 4856, 4857, 3232, तिर्मिज़ी : 3277)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

(433) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, 'दिल ने झूठ नहीं बोला, उसने देखा भी उसमें झूठ की आमेज़िश (मिलावट) नहीं की' उन्होंने कहा, आपने जिब्राईल (अलै.) को देखा उसके छः सौ पर थे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ { لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

(434) अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इस आयत की तफ़्सीर में 'आपने यक़ीनन अपने रब की कुछ बहुत बड़ी निशानियाँ देखीं' मन्क़ूल है, आपने जिब्राईल (अलै.) को उसकी असल सूरत में देखा, उसके छः सौ पर थे।

باب مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ

बाब 77 : अल्लाह तआला के इस क़ौल का मानी 'बिला शुब्हा यक़ीनन आपने उसे एक और बार उतरते देखा' और क्या आपने शबे इसरा की रात अपने रब को देखा था?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ .

(435) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का क़ौल है कि 'लक़द रआहु नज़्लतन उख़रा' (सूरह नज्म : 13) की तफ़्सीर ये है कि यक़ीनन बिला शुब्हा आपने एक और बार उसे उतरते देखा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَآهُ بِقَلْبِهِ .

(436) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल कि आपने अल्लाह तआला को अपने दिल से देखा है।

(437) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि 'मा कज़बल् फ़ुआदु मा रआ' (सूरह नज्म : 13) आपने जो कुछ देखा दिल ने उसमें झूठ की आमेज़िश नहीं की। 'व लक़द रआहु नज़्लतन उख़रा' (सूरह नज्म : 13) बिला शुब्हा आपने उसे एक और बार उतरते देखा है' की तफ़्सीर ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह तआला को अपने दिल से दो बार देखा है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، - قَالَ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

(438) इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल बयान किया है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(439) मसरूक़ कहते हैं कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास टेक लगाये हुए बैठा था कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू आइशा! (मसरूक़ की कुन्नियत है)! तीन चीज़ें हैं जो कोई उनमें से किसी का क़ाइल हुआ उसने अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा बोहतान बान्धा। मैंने पूछा, वो बातें कौनसी हैं? उन्होंने जवाब दिया, 'जिसने ये गुमान किया कि मुहम्मद ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह तआला के बारे में बहुत बड़ा झूठ बोला।' मसरूक़ कहते हैं, मैं टेक लगाये हुए बैठा था तो सीधा होकर बैठ गया और मैंने कहा, ऐ मोमिनों की माँ! मुझे बात करने का मौक़ा दीजिये! मुझसे जल्दी न कीजिये। अल्लाह तआला का ये फ़रमान नहीं है, 'बेशक उन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा।' (सूरह तक्वीर : 23) (व लक़द रआहु नज़्लतन उख़रा) 'और उन्होंने उसे एक और बार उतरते

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ . قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ . قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلاَ تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَقَدْ

رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ{ } وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى{ . فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ " . فَقَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ } لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ } وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ{ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ } يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ{ . قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا

देखा।' (सूरह नज्म : 13) तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'इस उम्मत में सबसे पहले मैंने इसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, तो आपने फ़रमाया, 'वो तो जिब्रईल हैं। मैंने उनको उन दो बार के अलावा उनकी असल सूरत में, जिसमें पैदा किये गये हैं नहीं देखा। मैंने उन्हें एक बार आसमान से उतरते देखा, उनकी जसामत (जिस्म) की बड़ाई ने आसमान व ज़मीन का दरम्यान भर दिया था।' फिर उम्मुल मोमिनीन ने फ़रमाया, क्या तूने अल्लाह तआला का फ़रमान नहीं सुना, 'आँखें उसका इदराक नहीं कर सकतीं और वो आँखों का इदराक कर सकता है (आँखें उसको नहीं पा सकतीं और वो आँखों को पा सकता है) और वो बारीक बीन ख़बरदार है।' (सूरह अन्आम : 103) और तूने अल्लाह का ये फ़रमान नहीं सुना, 'और किसी बशर में ये ताक़त नहीं कि वो अल्लाह तआला से कलाम करे मगर वह्य के ज़रिये या पर्दे की ओट से या वो किसी रसूल-फ़रिश्ते को भेजे, जो अल्लाह की मर्ज़ी से जो वो चाहे, वह्य करे बिला शुब्हा वो बुलंद और हकीम है।' (सूरह शूरा : 51) उम्मुल मोमिनीन ने फ़रमाया, 'जो शख़्स ये ख़्याल करता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह तआला की किताब में से कुछ छिपा लिया, तो उसने अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा बोहतान बान्धा। जबकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'ऐ रसूल! तेरे रब की तरफ़ से तुझ पर जो कुछ उतारा गया है, पहुँचा दीजिये! अगर (बिल्फ़र्ज़) आपने ऐसा न किया तो आपने फ़रीज़-ए-रिसालत अदा नहीं किया।' (सूरह माइदा : 67)

يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ .

और उन्होंने फ़रमाया, 'और जो शख़्स ये कहे, आप कल को होने वाली बात की ख़बर देते थे, तो उसने अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा झूठ बान्धा। क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है, 'फ़रमा दीजिये! जो कोई आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह के सिवा वो ग़ैब नहीं जानता।'
(सूरह नमल : 65)
(सहीह बुख़ारी : 4612, 4855, 7380, 7531, तिर्मिज़ी : 3068, 3278)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्फ़िरयत जमा फ़ुरा : मनघड़त बात, झूठ। **(2) अन्ज़िरीनी :** इन्ज़ार से है, मोहलत देना, ढील देना, मुझे मोहलत दीजिये। **(3) साद्दन :** सद्द से है, रोकना, बंद कर देना। **(4) उज़्म :** ऐन पर पेश और ज़ा साकिन है या ऐन पर ज़ेर और ज़ा पर ज़बर है, बड़ाई जसामत के ऐतबार से।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से स़ाबित हुआ अल्लाह तआला के लिये क़ाल उसने फ़रमाया, इसी तरह 'अल्लाहु यक़ूल' अल्लाह तआला फ़रमाता है कहना दुरुस्त है। ख़ुद क़ुरआन मजीद में है, वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वो हक़ फ़रमाता है। (सूरह अहज़ाब : 5) **(2)** ग़ैब का इल्म, अल्लाह तआला के साथ ख़ास है। उसके सिवा कोई रसूल, फ़रिश्ता, वली और सालेह इंसान ग़ैब नहीं जानता। कुछ ने इस आयत के तर्जुमे में ब्रेकेट के अंदर लिखा है (बिज़्ज़ात यानी अल्लाह तआला के बतलाये बग़ैर) शरह सहीह मुस्लिम : 1/775 सवाल ये है कि जब अल्लाह तआला ने बतला दिया तो वो ग़ैब कहाँ रहा। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूरे का पूरा मुकम्मल क़ुरआन उम्मत तक पहुँचा दिया है। क्योंकि अगर आप इसमें किसी क़िस्म की कोताही करते, तो ये फ़रीज़-ए-रिसालत की अदायगी में कोताही हुई। इसलिये शीया का ये दावा कि मौजूदा क़ुरआन असल से कम है ये एक बोहतान और इफ़्तिरा है, जो ईमान के मुनाफ़ी है। **(4)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की तरह हज़रत आइशा (रज़ि.) की राय भी यही है कि हुज़ूर (ﷺ) को मेअराज में अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। (इस मसले पर बहस़ हम आगे करेंगे, इन्शाअल्लाह!)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ

(440) और इसी सनद से इब्ने उलय्या जैसी हदीस़ बयान करते हैं और जिसमें ये इज़ाफ़ा है हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'अगर

حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ}

मुहम्मद (ﷺ) पर जो कुछ उतारा गया है उसको छिपाने वाले होते, तो ये आयत छिपा लेते, 'उस वक़्त को याद करो जब आप उस शख़्स से, जिस पर अल्लाह ने एहसान फ़रमाया और आपने इनाम फ़रमाया, कह रहे थे, अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और आप अपने जी में वो चीज़ छिपा रहे थे, जिसे अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता था। आप लोगों के (तअ़नो-तश्नीअ़/ तअ़नाबाज़ी) से डर रहे थे हालांकि डरने का हक़दार अल्लाह ही है कि आप उससे डरें।' (सूरह अहज़ाब : 37)

फ़ायदा : जिस पर अल्लाह और आपने इनाम फ़रमाया इससे मुराद आपके मुतबन्नअ़ (मुँह बोला बेटा) हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) हैं। आपने उनकी शादी अपनी फूफीज़ाद हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से की। जो इन्तिहाई हसीन व जमील थीं और कुरैशी होने की बिना पर इस शादी पर आमादा न थीं। अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल के फ़ैसले को हतमी क़रार दिया। जिसकी बिना पर वो राज़ी हो गईं। लेकिन वो अपने हुस्नो-जमाल और अपने हसबो-नसब की बुलंदी की बिना पर, हज़रत ज़ैद को वो अहमियत न देती थीं जिसके वो ख़ाविन्द होने की बिना पर हक़दार थे। इसलिये मियाँ-बीवी में बहस व तकरार रहती थी। हज़रत ज़ैद इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि मेरा उनसे निबाह मुम्किन नहीं है। इसलिये मुझे उसको तलाक़ दे देनी चाहिये, इसके लिये हज़रत ज़ैद ने आपसे मशवरा किया। अल्लाह तआ़ला ने हज़रत ज़ैद के हवाले से जिस तरह मुतबन्नअ़ बनाने की रस्म और जाहिलिय्यत की इस बात को ख़त्म किया कि उसे असल बेटे की हैसियत हासिल है। इसी तरह जाहिलिय्यत की इस रस्म को भी ख़त्म करना चाहा कि मुतबन्नअ़ की बीवी से शादी नहीं हो सकती और अपने रसूल को आगाह कर दिया कि हज़रत ज़ैद अपनी बीवी को तलाक़ देंगे और आप उससे शादी फ़रमायेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये अन्देशा था कि अगर मैंने ज़ैनब से शादी कर ली तो काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों को मेरे ख़िलाफ़ तअ़नो-तश्नीअ़ का तूफ़ान उठाने का मौक़ा मिलेगा।

लोग कहेंगे ये कैसा नबी है, जिसने अपने मुँह बोले बेटे की बीवी और अपनी बहू से निकाह कर लिया है। इसलिये आप चाहते थे कि हज़रत ज़ैद तलाक़ न दें। ताकि मेरे निकाह की नौबत ही पेश न आये लेकिन चूंकि आप आख़िरी रसूल हैं। इसलिये अगर इस मसले का हल आपकी शरीअ़त में न कर दिया जाता तो क़यामत तक ये रस्म ख़त्म नहीं हो सकती थी। इसलिये अल्लाह तआ़ला की हिक्मत का

तक़ाज़ा यही था कि हज़रत ज़ैद अपनी बीवी को तलाक़ दें और नबी (ﷺ) उससे शादी कर लें और आपका ये फ़ैअल मुसलमानों के लिये इस बात की दलील व हुज्जत बने कि मुँह बोला बेटा जिस तरह हक़ीक़ी बेटा नहीं है, उसी तरह उसकी बीवी हक़ीक़ी बहू नहीं है कि उससे शादी न हो सके।

तम्बीह : इस वाक़िये से ये इस्तिदलाल करना कि आपको इल्मे ग़ैब हासिल है क्योंकि आपको मालूम था कि अन्जाम कार क्या होना है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर आपको अन्जामकार का पता था तो आपने हज़रत ज़ैद को तलाक़ देने से क्यों रोका और लोगों के तअनो-तश्नीअ का अन्देशा क्यों महसूस किया? इसी तरह आपके हुक्म और फ़ैसले की पाबंदी लाज़िम है, इसका ये मानी नहीं है कि आप उम्मती की जान और माल के मालिक और मुख़्तार हैं। अगर ये बात होती तो हज़रत बरीरह को आपने जब हज़रत मुग़ीस़ के निकाह में रहने को कहा था तो आप ये न फ़रमाते, ये मेरा मशवरा है जिसका मानना या न मानना तेरे इख़्तियार में है। उसने अ़र्ज़ किया, अगर आपका हुक्म और फ़ैसला है तो सर आँखों पर, अगर मशवरा है तो मैं मुग़ीस़ के साथ नहीं रह सकती। क्योंकि आपके मशवरे की पाबंदी लाज़िम नहीं है।

(441) मसरूक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या मुहम्मद (ﷺ) ने अपने रब को देखा है? उन्होंने तअ़ज्जुब से कहा, सुब्हानअल्लाह! तेरी बात से मेरे बाल खड़े हो गये हैं (रोंगटे खड़े हो गये हैं)। इस्माईल ने हदीस़ समेत बयान की, लेकिन दाऊद की रिवायत ज़्यादा कामिल और तवील है।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सुब्हानअल्लाह : अ़रब ये कलिमा हैरत व इस्तिअ़जाब के वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि आप पर इस बात का छिपा रह जाना, इन्तिहाई हैरत व तअ़ज्जुब अंगेज़ है। आपको मालूम होना चाहिये था कि आप (ﷺ) ने अल्लाह तआ़ला को नहीं देखा। कुछ बार ऐसे मौक़े पर ला इला-ह इल्लल्लाह भी कह देते हैं। **(2) लक़द क़फ़्फ़ शअ़री :** अ़रब किसी बात के इंकार के लिये कह देते हैं क़फ़्फ़ शअ़री (मेरे रोंगटे खड़े हो गये) या इक़्शअ़र्र जिल्दी मुझ पर कपकपी तारी हो गई। **(3) दना फ़तदल्ला :** क़रीब हुआ, मज़ीद क़रीब हो गया। तदल्ला का असल मानी होता है ऊपर से नीचे लटक आना। मक़सद ये है कि जिब्राईल ऊपर था, क़रीब होने के लिये ऊपर से मज़ीद नीचे आ गया। **(4) क़ाब :** क़द्र, फ़ास्ला। **(5) क़ौस :** (कमान) और बक़ौले बाज़ एक हाथ (ज़िराअ़) मुराद है।

(442) हज़रत मसरूक़ (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, अल्लाह के इस फ़रमान का क्या मानी है, 'तो वो दो

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ

مَسْرُوقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيْنَ قَوْلُهُ { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} قَالَتْ إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ .

कमानों के फ़ासले पर हो गया, बल्कि ज़्यादा क़रीब आ गया। फिर उसने वह्य की उसके बन्दे की तरफ़ जो वह्य की।' उस (आइशा) ने कहा, इससे मुराद तो बस जिब्रईल (अलै.) है वो आपके पास मर्दों की सूरत (शक्ल) में आते हैं। इस मर्तबा वो आपके पास अपनी असली सूरत जो उसकी सूरत है में आये तो आसमान को भर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 3234, 17618)

باب فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ " . وَفِي قَوْلِهِ " رَأَيْتُ نُورًا

बाब 78 : आप (ﷺ) का फ़रमान, 'वो नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ' और एक क़ौल है, 'मैंने नूर देखा है'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ " نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ " .

(443) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा है? आपने जवाब दिया, 'वो नूर है मैं उसको कैसे देख सकता हूँ।'

(तिर्मिज़ी : 3282)

फ़ायदा : नूरुन अन्ना अराहु को मुहद्दिसीन ने अलग-अलग तरीक़े से पढ़ा है। एक सूरत वही जिसके मुताबिक़ मानी किया गया है और इसका मक़सद ये है कि उसका हिजाब नूर है यानी वो नूर से मस्तूर है। नूर की वजह से उसको देखा नहीं जा सकता। नूर से आँखें चकाचौंद हो जाती हैं इसलिये उसको देखा नहीं जा सकता। कुछ ने इसको नूरानी कहा है कि वो नूरानी है। मैं उसको देखता हूँ। कुछ पढ़ते हैं, नूरानी अराहु वो नूर है मैं उसको देख रहा हूँ। कुछ पढ़ते हैं, नूरुन ऐना अराहु यानी नूरुन ऐना अराहु जहाँ से भी देखूँ वो नूर है। अगली हदीस रअयतु नूरा मैंने नूर को देखा है, से इसकी ताईद होती है और अल्लामा आलूसी का ख़्याल है कि नूरुन अन्ना अराहु में नूर पर तन्वीन नौईयत या तअज़ीम के लिये है कि अल्लाह तआला को उसके असल नूर में दुनिया में देखना मुम्किन नहीं है और रअयतु नूरन में तन्वीन तअज़ीम के लिये नहीं है। इसलिये मानी है एक क़िस्म का नूर देखा है। जिसका पर्दे की ओट से ज़ुहूर हुआ था। शबे मेअ़राज नबी

(ﷺ) ने अल्लाह तआला को देखा था या नहीं। उसके बारे में हज़रत आइशा (रज़ि.) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह का नज़रिया तो ये है कि आपने अल्लाह तआला को नहीं देखा, लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अबू ज़र और हज़रत कअब (रज़ि.) का नज़रिया है कि आपने अल्लाह तआला को देखा है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से दिल से देखना और नज़र से देखना दोनों मन्क़ूल हैं। (फ़तहुल मुल्हिम : 1/336, फ़तहुल बारी : 8/774)

अल्लामा आलूसी ने इस तरह हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के क़ौल में तत्बीक़ दी है कि बक़ौल कुछ हज़रत आइशा (रज़ि.) से जिस रिवायत की नफ़ी की है, उससे मुराद अल्लाह तआला का वो असली नूर है जिस पर कोई आँख टिक नहीं सकती है और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मक़सद उस नूर को देखना है जो आँखों को चकाचौंद नहीं करता। (फ़तहुल मुल्हिम : 1/339) और ला तुदरिक्हुल अब्सार को हज़रत आइशा (रज़ि.) से अपनी ताईद में पेश किया है। इसका मानी है अहाता करना, घेरना और अल्लाह तआला का अहाता का अहाता मुम्किन नहीं है, इदराक व अहाता की नफ़ी से देखने की नफ़ी नहीं होती। सूरह शुअरा में है, **'और जब दोनों जमाअतों ने एक-दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम यक़ीनन घेरे में आ गये।'** (सूरह शुअरा : 61) मूसा (अलै.) ने जवाब दिया, हर्गिज़ नहीं। यहाँ दोनों जमाअतों के लिये रूयत (देखना) है लेकिन जब मूसा (अलै.) के साथियों ने इदराक का ख़तरा पेश किया तो हज़रत मूसा (अले.) ने इदराक (अहाता) की नफ़ी कर दी। इसलिये सूरह अन्आम की आयत में इदराक की नफ़ी है। रूयत की नफ़ी नहीं। मज़ीद बराँ दुनिया में देखने की नफ़ी है। लेकिन दूसरी आयतें और सहीह हदीसों में क़यामत के दिन तमाम मोमिनों के लिये रूयत (देखना) साबित है और नबी (ﷺ) को भी रूयत आसमानों पर हुई है। इसलिये इसमें किसी क़िस्म का इस्तिहाला नहीं। अल्लाह तआला ने आपकी आँखों में इस क़द्र कुव्वत पैदा कर दी कि आपके लिये देखना मुम्किन हो गया। (हाज़ा मा इन्दी वल्लाहु अअ्लमु बिस्सवाब)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَىِّ شَىْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ " رَأَيْتُ نُورًا " .

(444) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखता तो आपसे पूछता। अबू ज़र ने कहा, तू आपसे किस चीज़ के बारे में सवाल करता? अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने कहा, मैं आपसे सवाल करता, क्या आपने अपने रब को देखा है? अबू ज़र ने फ़रमाया, मैं पूछ चुका हूँ। आपने फ़रमाया, 'मैंने नूर देखा है।' यानी मैंने बस नूर देखा है।

बाब 79 : आप (ﷺ) का फ़रमान है, 'अल्लाह तआला सोता नहीं है' और आप (ﷺ) का क़ौल है, 'उसका हिजाब (पर्दा) नूर है अगर उसको उठा दे तो उसके चेहरे की शुआऐं (किरणें) उसके मुन्तहाए नज़र तक मख़्लूक़ को जला दें

باب فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ». وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

(445) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मज्लिस में खड़े होकर हमें पाँच बातें बताईं। फ़रमाया, '(1) अल्लाह तआला सोता नहीं है और न ही सोना उसके शायाने शान है। (2) मीज़ान के पलड़ों को झुकाता और उठाता है। (3) उसकी तरफ़ रात के आमाल, दिन के आमाल से पहले और दिन के आमाल (बाद वाली रात) से पहले उठाये जाते हैं (4) उसका पर्दा नूर है।' अबू बकर की रिवायत में नूर की जगह नार (आग) है। (5) अगर वो उस पर्दे को खोल दे तो उसके चेहरे की शुआऐं जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचे उसकी मख़्लूक़ को जला दें।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ"إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ-لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ".وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا .

(इब्ने माजह : 195, 196)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ला यम्बग़ी लहू अंय्यनाम : सोना उसके लिये नामुम्किन है। क्योंकि सोना ग़फ़लत और बेख़बरी की और एहतियात की अलामत है। इससे होशो-हवास क़ायम नहीं रहते और अल्लाह तआला के लिये ये सब चीज़ें महाल (नामुम्किन) हैं। **(2) यख़िफ़ज़ुल क़िस्त :** तराज़ू झुकाता है, क़िस्त का असल मानी अद्ल व इंसाफ़ है और तराज़ू अद्ल का आला है, इसलिये इसको भी क़िस्त कह देते हैं। **(3) क़िस्त :** (मीज़ान, तराज़ू) से ऊपर चढ़ने वाले आमाल और नीचे उतरने

वाले रिज़्क़ तोले जाते हैं। (4) **हिजाबुहुन्नूर :** उसकी रूयत व दीदार में नूर का पर्दा हाइल है, उसकी निगाह तमाम मख़्लूक़ तक पहुँचती है, अगर वो अपना हिजाब उठा ले तो उसके रूए मुबारक की तजल्ली के सामने कोई चीज़ न ठहर सके। **सुबुहात :** सुब्हतुन की जमा है और इससे मुराद चेहरे का नूर और जलाल है। उसके नूर, चेहरे और बसर की तावील करना या तअ़तील करते हुए उसकी नफ़ी करना या किसी मख़्लूक़ से तश्बीह व तम्सील देना ग़लत है। उसकी ज़ात जिस तरह बेमिसाल है उस तरह उसके लिये जो सिफ़ात और आज़ा के अल्फ़ाज़ आये हैं वो भी बेमिसाल हैं। उनकी कैफ़ियत व हक़ीक़त को बयान करना मुम्किन नहीं है।

फ़वाइद : (1) आमाल और अरज़ाक़ के तोलने के लिये तराज़ू है, तराज़ू की कैफ़ियत को मालूम करना मुम्किन नहीं। (2) रात के आमाल नेक व बुरे, दिन के आने से पहले और दिन के अमल, रात के आने से पहले ऊपर ले जाये जाते हैं। जिससे साबित हुआ कि अल्लाह तआ़ला ऊपर है। इसलिये अल्लाह तआ़ला के उलू और उसकी फ़ौक़ियत का इंकार कई हीलों-बहानों या तावीलात के ज़रिये से दुरुस्त नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ " مِنْ خَلْقِهِ " . وَقَالَ حِجَابُهُ النُّورُ .

(446) इमाम साहब एक दूसरी सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें है कि आपने एक मज्लिस में खड़े होकर हमें चार बातें बताईं। फिर जरीर ने अबू मुआविया की तरह हदीस बयान की और 'मिन ख़ल्क़िही' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये और कहा, हिजाबुहुन्नूर (उसका पर्दा नूर है)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ " .

(447) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) से रिवायत है कि आपने खड़े होकर हमें चार बातें बताईं (1) अल्लाह तआ़ला सोता नहीं है और न ही सोना उसके लायक़ है। (2) वो तराज़ू के पलड़े ऊपर नीचे करता रहता है। (3) उसकी तरफ़ दिन का अमल रात को (4) और रात का अमल दिन को उठाया जाता है।

फ़ायदा : दिन का अ़मल, रात के आने में उसके छाने से पहले और रात का अ़मल दिन के आने में, दिन के चढ़ने से पहले पेश किया जाता है। इसलिये दोनों हदीसों में तज़ाद (टकराव) नहीं है।

बाब 80 : मोमिनों के लिये आख़िरत में उनके रब के दीदार का इस़बात (स़ाबित करना)

باب إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

(448) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो जन्नतें ऐसी हैं कि उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है चाँदी के होंगे और दो जन्नतें ऐसी हैं कि उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सोने के होंगे। लोगों और उनके रब की जन्नते अ़द्न में रूयत (देखने) के दरम्यान उसके चेहरे पर अ़ज़मत व बड़ाई की चादर के सिवा कोई चीज़ हाइल नहीं होगी।'

(सहीह बुख़ारी : 4878,4880, 7444, तिर्मिज़ी : 2528, इब्ने माजह : 186)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ " .

फ़ायदा : सहाबा किराम (रज़ि.) और सलफ़े उम्मत के नज़दीक आख़िरत में मोमिनों को अल्लाह तआ़ला का दीदार होगा। अल्लाह तआ़ला अपने चेहरे से अ़ज़मत व किब्रियाई का पर्दा उठायेगा। मुतकल्लिमीन की तरह इसमें किसी क़िस्म की तावील की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी जहत या मकान में नहीं होगा। इस तरह से वज्हुन से मुराद ज़ात है दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तआ़ला का दीदार होगा और वो ऊपर होगा। क़ुरआन व हदीस़ दोनों से दीदारे इलाही स़ाबित है। मुअ़तज़िला, ख़्वारिज और कुछ मुर्जिया ने रूयत का इंकार किया और इंकार में वही चीज़ें पेश की हैं (जिनकी) मुतकल्लिमीन ने बिला वजह तावील की है। वो कहते हैं, न उसका जिस्म है, न उस का कोई रंग है, न कोई मकान और जहत है। फिर उसको कैसे देखा जा सकता है और मुतकल्लिमीन भी इस इंकार में उनके हमख़्याल हैं और कहते हैं जिस तरह वो मख़्लूक़ को उन चीज़ों से पाक होने के बावजूद देखता है। इस तरह मख़्लूक़ भी उसको

देखेगी। सहाबा किराम (रज़ि.) सलफ़े उम्मत और मुहद्दिसीन के नज़दीक अल्लाह तआला अर्श पर है। उसके लिये जहते उलू और फ़ौक़ियत साबित है और उसकी आँखें, चेहरा हाथ वग़ैरह जिसका अहादीस में तज़्किरा आया है मौजूद हैं। लेकिन मख़्लूक़ के लिये ये चीज़ें उनकी हैसियत और शान के मुताबिक़ हैं और ख़ालिक़ के लिये उसके शायाने शान हैं। जिस तरह वो अपनी ज़ात व सिफ़ात में बेमिसाल है उसी तरह उन चीज़ों में भी बेमिसाल है। जिस तरह उसकी ज़ात की हक़ीक़त व माहियत को नहीं जाना जा सकता। इसी तरह उन चीज़ों की हक़ीक़त व माहियत और कैफ़ियत को नहीं जाना जा सकता।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ " .

(449) हज़रत सुहैब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान सुनाया, 'जब जन्नती, जन्नत में दाख़िल हो जायेंगे, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फ़रमायेगा, 'तुम किसी और चीज़ के ख़्वाहिशमन्द हो? कि मैं तुम्हें और दूँ।' तो वो जवाब देंगे, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किये? क्या तूने हमें जन्नत में दाख़िल नहीं किया और दोज़ख़ से निजात नहीं दी?' आपने फ़रमाया, 'इस पर वो पर्दा उठायेगा। उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई होगी जो उन्हें अपने रब्बे इज़्ज़त व जलाल वाले के दीदार से ज़्यादा पसन्दीदा हो।' (हर नेमत से दीदार की नेमत ज़्यादा महबूब होगी)।

(तिर्मिज़ी : 2552, इब्ने माजह : 187)

फ़ायदा : अल्लाह तआला का दीदार वो सबसे बड़ी नेमत है जिससे जन्नतियों को नवाज़ा जायेगा। अगर इंसान अपनी अक़्ले सलीम और फ़ितरते मुस्तक़ीमा से ग़ौर करे, तो वो इस सबसे बड़ी नेमत की ख़्वाहिश और आरज़ू ज़रूर महसूस करेगा कि वो ज़ात जिसने इंसान को वजूद, ज़िन्दगी, ज़िन्दगी गुज़ारने के अस्बाब व वसाइल और ला तादाद नेमतें दी हैं और जन्नत में पहुँचकर उनसे लाखों गुना ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। वो अपने उस मुहसिन और करीम रब को देख पाये। अगर उसे कभी भी ये नज़ारा नसीब न हो तो यक़ीनन उसकी मसर्रत व शादमानी और उसकी फ़रहत व लज़्ज़त में बड़ी कमी और बड़ी तश्नगी रहेगी। अल्लाह तआला जन्नतियों को उनकी किसी तमन्ना और ख़्वाहिश से महरूम नहीं रखेंगे। इसलिये वो उस नेमते उज़मा (सबसे बड़ी नेमत), जिसके बराबर कोई नेमत नहीं, से सरशार होंगे और उससे काफ़िरों व मुन्किरों की तरह महरूम नहीं रखे जायेंगे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}

(450) इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से हदीस़ बयान की और उसमें इतना इज़ाफ़ा किया। फिर आपने ये आयत पढ़ी, 'जिन लोगों ने अच्छी ज़िन्दगी गुज़ारी, उनके लिये अच्छी जगह है (यानी जन्नत और उसकी नेमतें) और उस पर ज़्यादा एक नेमत है (दीदारे हक़ है)।' (सूरह यूनुस : 26)

باب مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

बाब 81 : रूयते बारी की राह की पहचान (रूयत किस राह पर चलने से हासिल होगी)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ

(451) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देख पायेंगे? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'चौधवीं का चाँद देखने में (इज़्दहाम/भीड़ की वजह से) एक-दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हो?' उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'क्या सूरज जब उसके वरे बादल हाइल न हों, देखने में एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हो?' सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'तुम अल्लाह को भी उसी तरह (बग़ैर तकलीफ़ व दुश्वारी के) देखोगे, अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन तमाम लोगों को जमा करेगा। फिर फ़रमायेगा, 'जो किसी की बन्दगी करता था उसी के साथ हो जाये।' फिर जो शख़्स सूरज की पूजा करता था वो सूरज के पीछे चला

يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ . فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ . فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا . فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ " . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ تَخْطَفُ

जायेगा। जो चाँद की परस्तिश करता था वो उसके साथ हो जायेगा और जो तागूतों (ग़ैरुल्लाह) की पूजा करता था वो तागूतों के साथ हो जायेगा और ये उम्मत रह जायेगी। इसमें मुनाफ़िक़ भी होंगे। तो उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सूरत में आयेगा जिसको वो पहचानते नहीं होंगे और फ़रमायेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे, हम तुझसे अल्लाह तआला की पनाह माँगते हैं, हम उस जगह ठहरेंगे यहाँ तक कि हमारे पास हमारा रब आ जाये। जब हमारा रब आ जायेगा, हम उसे पहचान लेंगे, तो अल्लाह उनके पास उस सूरत में आयेगा जिसमें वो उसको पहचान लेंगे और फ़रमायेगा, 'मैं तुम्हारा रब हूँ।' वो कहेंगे, तू ही हमारा रब है और उसके साथ हो जायेंगे। फिर जहन्नम की पुश्त पर पुल सिरात रखा जायेगा, तो मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले उससे गुज़रेंगे और रसूलों के सिवा उस दिन किसी को याराए गुफ़्तगू न होगा और रसूलों की पुकार उस दिन यही होगा। ऐ अल्लाह! बचा, बचा और दोज़ख़ में सअदान नामी झाड़ी के काँटों की तरह लौहे के मुड़े हुए सरों वाले आंकड़े (कुण्डे) होंगे। (जिन पर गोश्त भूना जाता है) क्या तुमने सअदान झाड़ी को देखा है? सहाबा (रज़ि.) ने जवाब दिया, जी हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'वो आंकड़े (सलाख़ें) सअदान के काँटों जैसे होंगे। लेकिन उनकी जसामत और बड़ाई की मिक़्दार को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और वो लोगों को उनके बद आमाल की बिना पर उचक लेंगे (उनमें फँसने वाले अपने अमलों के सबब हलाक होंगे) उनमें मोमिन होंगे

النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ . فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ

जो अपने अमलों के सबब बच जायेंगे और उनमें से कुछ बदला दिये जायेंगे, यहाँ तक कि निजात दिये जायेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह तआला बन्दों के फ़ैसले से फ़ारिग़ हो जायेगा और अपनी रहमत से दोज़ख़ियों को आग से निकालना चाहेगा। जिनके बारे में उसका इरादा होगा। तो वो फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि वो उन लोगों को आग से निकाल दें, जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराते थे। उनमें से जिनको वो अपनी रहमत से नवाज़ना चाहेगा, उनमें से जो ला इला-ह इल्लल्लाह कहते थे और फ़रिश्ते उनको आग में पहचान लेंगे। वो उन्हें सज्दों के निशान से पहचानेंगे। आग इब्ने आदम से सज्दों के निशान के सिवा हर चीज़ को हड़प कर जायेगी। अल्लाह तआला ने आग पर सज्दे के निशान को जलाना हराम ठहराया है। वो आग से इस हाल में निकाल ले जायेंगे कि वो जल चुके होंगे। उन पर आबे हयात डाला जायेगा। वो उससे यूँ फले-फूलेंगे जिस तरह कुदरती दाना सैलाब के डेल्टा (पानी के बहाव के साथ आने वाली मिट्टी और ख़सो-ख़ाशाक) में उगता है। (यानी बहुत जल्द तरो-ताज़ा होकर उठ खड़े होंगे) फिर जब अल्लाह तआला अपने बन्दों के दरम्यान फ़ैसला करने से फ़ारिग़ हो जायेगा और एक शख़्स बाक़ी रह जायेगा। जिसका चेहरा आग की तरफ़ होगा और यही आदमी जन्नत में दाख़िल होने वाला आख़िरी शख़्स होगा। वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब! मेरा चेहरा आग से फेर दे, क्योंकि उसकी बदबू ने मुझमें ज़हर भर दिया है या मेरी शक्ल व सूरत बदल दी है और उसकी तपिश ने मुझे जला डाला है। जब

عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ . فَيَقُولُ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ . فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ . فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ . فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا

तक अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होगा, वो पुकारता रहेगा। फिर अल्लाह तआला फ़रमायेगा, कहीं ऐसे तो नहीं, अगर मैं तेरे साथ ऐसा कर दूँ (तेरा सवाल पूरा कर दूँ) तो और सवाल कर दे। वो अर्ज़ करेगा, मैं तुझसे और सवाल नहीं करूँगा और अल्लाह जो अ़हदो-पैमान चाहेगा दे देगा। तो अल्लाह तआला उसका चेहरा दोज़ख़ से फेर देगा। तो जब वो जन्नत की तरफ़ मुतवज्जह होगा और उसे देखेगा जब तक अल्लाह चाहेगा वो ख़ामोश रहेगा। फिर कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे जन्नत के दरवाज़े तक आगे कर दे। अल्लाह तआला फ़रमायेगा, क्या तूने अपने अ़हदो-पैमान नहीं दिये थे कि जो कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है उसके सिवा सवाल नहीं करेगा। तू तबाह हुआ ऐ आदम के बेटे! तू किस क़द्र बेवफ़ा है। वो कहेगा, ऐ मेरे रब! और अल्लाह से दुआ करेगा। यहाँ तक कि अल्लाह उसे फ़रमायेगा, कहीं ऐसे तो नहीं, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूँ, तो तू और माँगना शुरू कर दे। वो कहेगा, तेरी इज़्ज़त की क़सम! और नहीं माँगूगा। तो अपने रब को, अल्लाह जो चाहेगा अ़हदो-पैमान दे देगा। तो अल्लाह उसे जन्नत के दरवाज़े तक आगे कर देगा। जब वो जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा होगा। जन्नत उसके लिये खुल जायेगी और वो उसकी ख़ैरात और फ़रहत व मसर्रत अंगेज़ चीज़ों को देखेगा। तो जब तक अल्लाह को ख़ामोशी मन्ज़ूर होगी, ख़ामोश रहेगा। फिर कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे। तो अल्लाह तआला उसे फ़रमायेगा, क्या तूने अपने पुख़्ता अ़हदो-पैमान नहीं दिये थे कि जो कुछ तुझे दे दिया गया है,

أَغْدَرَكَ . فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ . فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ . فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهْ . فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ " . قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا . حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ .

उसके सिवा नहीं माँगेगा? तुझ पर अफ़सोस ऐ इब्ने आदम! तू किस क़द्र दग़ाबाज़ है? वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मैं तेरी मख़्लूक़ में से सबसे बदनसीब न बनूँ।' आपने फ़रमाया, 'वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से फ़रियाद करता रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह तआला हँसेगा और जब अल्लाह तआला हँस पड़ेगा तो फ़रमायेगा, जन्नत में दाख़िल हो जा। जब वो उसमें दाख़िल हो जायेगा, अल्लाह तआला उसे फ़रमायेगा, तमन्ना कर! तो वो अपने रब से सवाल करेगा और तमन्ना करेगा यहाँ तक कि अल्लाह उसे याद दिलायेगा, फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ की तमन्ना कर। यहाँ तक कि जब उसकी तमाम आरज़ूएँ ख़त्म हो जायेंगी तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, ये सब कुछ तुझे दिया और इतना मज़ीद और।' अता बिन यज़ीद बयान करते हैं अबू सईद भी अबू हुरैरह के साथ मौजूद थे। उसकी हदीस की किसी चीज़ की तर्दीद नहीं कर रहे थे यहाँ तक कि जब अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि 'अल्लाह तआला उस आदमी से फ़रमायेगा, ये सब कुछ तुझे दिया और इतना और भी दिया।' तो अबू सईद ने कहा, उसके साथ उससे दस गुना ज़्यादा ऐ अबू हुरैरह! अबू हुरैरह ने कहा, मुझे तो यही याद है। तेरे लिये ये सब कुछ है और इतना मज़ीद और। अबू सईद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ। मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये क़ौल याद है, 'तुझे ये सब कुछ हासिल है और इससे दस गुना ज़्यादा।' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, 'और ये आदमी जन्नत में दाख़िल होने वाला आख़िरी फ़र्द होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 7437, 6573, नसाई : 2/229)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तुज़ार्रून : एक-दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, बाब मुफ़ाअला से है जो ज़र्र (तकलीफ़ पहुँचाना या नुक़सान पहुँचाना) से माख़ूज़ है। अगर ज़र्र यज़ुर्रु ज़र्रन से मानें तो मानी होगा दुख और तकलीफ़ पहुँचाना और मुज़ारेअ मज्हूल होगा, मुफ़ाअला की सूरत में मअरूफ़ होगा और मुफ़ाअला की सूरत में रा मुशद्दद होगी असल में है तुज़ार्रून **(2) तवाग़ीत :** तागूत की जमा है अल्लाह तआला के सिवा हर माबूद पर इसका इतलाक़ होता है। वो जानदार हो या बेजान। **(3) युज़्रबुस सिरात :** पुल बिछा दिया जायेगा। **(4) अव्वल मंय्युजीज़ु :** जौज़ से माख़ूज़ है। किसी मक़ाम से आगे बढ़ना, मसाफ़त तय करना। जाज़ल मकान और अजाज़ल मकान दोनों का मानी एक है। गुज़रना, आगे बढ़ना। **(5) कलालीब :** कुल्लाब की जमा है, लौहे की मुड़े हुए सर की सलाख़, आंकड़ा, जिस पर गोश्त भूना जाता है। **(6) शौकुस्सअदान :** शौक की जमा अश्वाक काँटा। सअदान एक ख़ारदार झाड़ी है जिसके काँटे बड़े-बड़े होते हैं। **(7) बक़िया बिअमलिही :** अपने अमल के सबब बच गया। लेकिन हिन्दुस्तानी व पाकिस्तानी नुस्ख़ों में अल्मूबिकु बिअमलिही है। जो वबक़ (हलाकत व तबाही) से माख़ूज़ है, यानी अमलों के सबब हलाक किया गया। **(8) अल्मुजाज़ा :** जज़ा से माख़ूज़ है, बदला दिया गया। **(9) क़द इमतहशू :** मख़ुश से माख़ूज़ है, चमड़े का जलकर हड्डी का नंगा हो जाना। यानी वो जल चुके होंगे। **(10) हिब्बतु :** हा पर ज़ेर है, जमा हिबबुन , कुदरती बीज। **(11) क़शबना :** क़शबुन से माख़ूज़ है, खाने में ज़हर मिलाना। यानी मुझमें ज़हर भर दी है, मेरे लिये अज़ियत व तबाही का बाइस है या बक़ौल कुछ मेरी शक्ल व सूरत को बदल दिया है। **(12) ज़काअ :** लपट, भड़कता हुआ या शौलाज़न, लौ। **(13) इन्फ़हक़त :** खुल जायेगी, वसीअ हो जायेगी।

फ़वाइद : (1) क़यामत को जन्नत में जाने से पहले ही मोमिनों को अल्लाह तआला का दीदार होगा। शुरू में मुनाफ़िक़ भी साथ होंगे लेकिन फिर मोमिनों और मुनाफ़िक़ों के दरम्यान आड़ हाइल हो जायेगी जैसाकि सूरह हदीद 13 में आया है। (2) अल्लाह तआला की एक ऐसी सूरत है जिसमें देखकर, मोमिनों को यक़ीन हो जायेगा कि ये अल्लाह तआला है, उस सूरत के बग़ैर उनके दिलों में उसका यक़ीन पैदा नहीं होगा। इसलिये वो उसके अल्लाह तआला होने पर मुत्मइन नहीं होंगे और इंकार कर देंगे। (3) इस हदीस़ में अल्लाह तआला की रूयत को चौधवीं रात के चाँद या साफ़ सूरज के देखने से तश्बीह दी गई? इस तरह रूयत की रूयत से तश्बीह है। रूयत दीदार, मरई देखी हुई चीज़ यानी अल्लाह तआला की सूरज व चाँद से तश्बीह नहीं है बल्कि अल्लाह तआला के देखने को सूरज व चाँद के देखने से तश्बीह दी है कि देखने में कोई इज़्दहाम (भीड़ भाड़) और तकलीफ़ व मशक़्क़त नहीं है। अल्लाह तआला को चाँद और सूरज से तश्बीह नहीं दी है। मक़सद ये है जिस तरह चाँद और सूरज के देखने के लिये इज़्दहाम और धक्कमपैल की सूरत पैदा नहीं होती। हर इंसान बग़ैर किसी वक़्त व तकलीफ़ के अपनी-अपनी जगह देख लेता है। इसी तरह अल्लाह तआला का दीदार हर मोमिन को अपनी-अपनी जगह हो जायेगा। भीड़ और धक्कमपैल नहीं होगी और किसी को अज़ियत व तकलीफ़ से दोचार नहीं होना पड़ेगा। (4) इस हदीस़ में

अल्लाह तआला के ज़हक (हँसी) इतियान (आमद) सूरत (शक्ल) और गुफ़्तगू (क़ौल व कलाम) का इस़बात किया गया है, अल्लाह तआला इन चीज़ों से मुत्तसिफ़ है, लेकिन उनकी कैफ़ियत व सिफ़त को बयान करना मुम्किन नहीं है इसलिये तश्बीह व तम्स़ील या तावील व तअतील दुरुस्त नहीं है। ख़ालिक़ की सिफ़ात उसके शायाने शान हैं और मख़्लूक़ की सिफ़ात उनकी हैसियत और मक़ाम के मुताबिक़ हैं, इसलिये सिफ़ात के इस्बात से तश्बीह व तम्सील लाज़िम नहीं आती। (5) इस हदीस़ में जहन्नम की पुश्त पर पुल लगाने का तज़्किरा हुआ, जिससे लोगों को गुज़रना है। उसकी हौलनाकी की बिना पर अम्बिया भी सल्लिम सल्लिम बचा, बचा की सदा बुलंद करेंगे। (पुल की तफ़्सील अपनी जगह पर आयेगी)। (6) जहन्नम में दाख़िले के बाद मुवह्हिद (तौहीद परस्त) आखिर कार, दोज़ख़ से निकाल लिये जायेंगे। इसकी तफ़्सील शफ़ाअत में आयेगी। (7) जन्नत में दाख़िल होने वाले आख़िरी फ़र्द के साथ अल्लाह तआला का मुकाल्मा वाज़ेह तौर पर अल्लाह तआला के लिये कलाम स़ाबित कर रहा है और ये कलाम लफ़्ज़ी है। जिसको वो फ़र्द सुनेगा और जवाब देगा। इसलिये मुतकल्लिमीन की तरह सिफ़ते कलाम में तावील करना दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह तआला का कलाम, कलामे नफ़्सी है। जो हुरूफ़ व सूरत से ख़ाली है क्योंकि कलामे नफ़्सी को तो दूसरा सुन नहीं सकता।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ .

(452) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि लोगों (सहाबा किराम रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम क़यामत को अपने रब को देख पायेंगे? आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

(सहीह बुख़ारी : 806, 6573)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

(453) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से एक की जन्नत में कम से कम जगह ये है (कम दर्जे का जन्नती वो है कि) अल्लाह तआला उससे फ़रमायेगा, आरज़ू कर! तो वो तमन्ना करेगा और तमन्ना करेगा। तो अल्लाह तआला उससे पूछेगा, क्या तूने आरज़ू

أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ . فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ " .

कर ली है? वो कहेगा, हाँ! अल्लाह तआला फ़रमायेगा, तेरे लिये वो सब कुछ है, जिसकी तूने तमन्ना की और उतना ही और।'

फ़ायदा : इमाम मुस्लिम ने ये हदीस़ हम्माम बिन मुनब्बिह के सहीफ़े से नक़ल की है। जिसकी अहादीस़ एक ही सनद से हैं, लेकिन वो सनद सिर्फ़ पहली हदीस़ के शुरू में नक़ल की गई है। इसलिये इमाम मुस्लिम जब इस सहीफ़े की पहली हदीस़ के सिवा कोई और हदीस़ नक़ल करते हैं, तो ये सनद बयान करने के बाद कहते हैं, ज़ुकिरा अहादीस़, मिन्हा व क़ाल रसूलुल्लाह (ﷺ) कि हमें इस सनद से बहुत सी अहादीस़ पहुँची हैं। उनमें से एक ये है (ये इमाम मुस्लिम की इन्तिहाई मोहतात रविश है)।

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " . قَالَ " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ

(454) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ।' फ़रमाया, 'क्या दोपहर के वक़्त, जब मतलअ़ (आसामान) साफ़ हो, अब्र आलूद (बादल से ढके) न हो, तुम्हें सूरज के देखने में कोई तकलीफ़ होती है? क्या चौधवीं रात, जब आसमान साफ़ हो, बादल न हों, तुम्हें चाँद देखने में कोई अज़ियत पहुँचती है?' सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाया, 'क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआ़ला के देखने में इतनी ही कुल्फ़त होगी जितनी इन दोनों में से किसी एक के देखने में होती है। जब क़यामत का दिन होगा, एक ऐलान करने वाला मुनादी करेगा, हर उम्मत अपने माबूद के साथ हो जाये। जिस क़द्र लोग अल्लाह के सिवा बुतों, आस्तानों को पूजते थे, सब आग में जा गिरेंगे और सिर्फ़ वो लोग बच जायेंगे, जो अल्लाह

كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ . فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا . فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ . فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ . مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ . فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا . - قَالَ - فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى

तआला की बन्दगी करते थे, नेक हो या बद। और कुछ अहले किताब के बक़ाया लोग (जो अपने असल दीन पर क़ायम रहे) फिर यहूद को बुलाया जायेगा और उनसे पूछा जायेगा, तुम किस चीज़ की इबादत करते थे? कहेंगे, हम अल्लाह के बेटे उज़ैर की बन्दगी करते थे। तो उनसे कहा जायेगा, तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह तआला की न कोई बीवी है और न कोई बेटा है, तुम क्या चाहते हो? कहेंगे, हमें प्यास लगी है, ऐ हमारे रब! हमें पानी पिला। तो उनको इशारा किया जायेगा, तुम पानी पर क्यों नहीं जाते? फिर उन्हें जहन्नम की तरफ़ हांक दिया जायेगा। वो उन्हें सराब की तरह दिखाई देगी और उसका कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से को तबाह कर रहा होगा। तो वो सब जहन्नम में गिर जायेंगे। फिर नसारा को बुलाकर पूछा जायेगा, तुम किस चीज़ की बन्दगी करते थे? वो कहेंगे, हम अल्लाह के बेटे मसीह की इबादत करते थे। उनसे कहा जायेगा, तुम झूठ बोलते हो अल्लाह की कोई बीवी है न कोई औलाद। फिर उनसे पूछा जायेगा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे, ऐ हमारे रब! हम को प्यास लगी है, हमें पानी पिला।' आपने फ़रमाया, 'उनको इशारा किया जायेगा, तुम पानी की तरफ़ क्यों नहीं जाते? फिर उन्हें जहन्नम की तरफ़ हांका जायेगा, गोया कि वो सराब है कुछ, कुछ को खा रहा होगा। (शिद्दते इश्तिआल से एक-दूसरे को तोड़ रहा होगा) तो वो सब आग में गिर जायेंगे। यहाँ तक कि सिर्फ़ वो लोग रह जायेंगे जो अल्लाह की बन्दगी करते थे, नेक हों या बद। उनके पास कायनात का मालिक उससे

जَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا . قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ . فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ . فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ . فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ . ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ

क़रीबतर शक्ल में आयेगा, जिसको वो जानते होंगे। फ़रमायेगा, तुम किस चीज़ का इन्तिज़ार कर रहे हो? हर गिरोह उसके साथ चला गया है जिसकी वो इबादत करता था। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब! हमने दुनिया में लोगों से उस वक़्त जुदाई इख़्तियार की जब कि हम उनके बहुत मोहताज थे और उनके साथ न रहे। तो वो फ़रमायेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे, हम तुमसे अल्लाह की पनाह में आते हैं। हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते (दो या तीन बार यही कहेंगे) यहाँ तक कि कुछ लोग उनमें से (राहे सवाब से) फिरने के क़रीब होंगे (क्योंकि इम्तिहान की शिद्दत की वजह से दिल में शुब्हा पैदा होने लगेगा) फिर फ़रमायेगा, क्या तुम्हारे और उसके दरम्यान कोई निशानी है जिससे तुम उसको पहचान सको? तो वो जवाब देंगे, हाँ! तो पिण्डली ज़ाहिर कर दी जायेगी, तो हर वो इंसान जो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को सज्दा करता था, उसको अल्लाह सज्दे की इजाज़त (तौफ़ीक़) देगा और हर वो शख़्स जो (मुसलमानों से) बचने के लिये और लोगों के दिखलावे के लिये सज्दा करता था, अल्लाह तआला उसकी पुश्त को एक तख़्ते की तरफ़ बना देगा। जब वो सज्दा करना चाहेगा, अपनी गुद्दी के बल गिर जायेगा। फिर वो लोग सज्दे से सर उठायेंगे और अल्लाह तआला अपनी सूरत में हो चुका होगा, जिस सूरत में उन्होंने पहली मर्तबा देखा होगा और अल्लाह तआला फ़रमायेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो वो कहेंगे, तू ही हमारा रब है। फिर जहन्नम पर पुल बिछा दिया जायेगा और सिफ़ारिश शुरू हो

. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا . ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ " دَحْضٌ مَزِلَّةٌ . فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ . حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ . فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ . فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ

जायेगी। उस वक़्त (रसूल) कहेंगे, ऐ अल्लाह! बचा, बचा।' पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! जिस्र (पुल) कैसा होगा? आपने फ़रमाया, 'बहुत फिसलने का बाइस़ जगह होगी, उस पर उचकने वाले आंकस होंगे और लौहे की गोश्त भूनने वाली मुड़ी हुई सलाख़ें होंगी और उसमें घोकरू जो नजद में होते हैं, उसमें काँटे होंगे, जिनको सअ़दान कहते हैं। तो मोमिन उससे पार होंगे, पलक झपकने की तरह कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई परिन्दों की तरह और कुछ तेज़ रफ़्तार घोड़ों की तरह, कुछ ऊँटों की तरह, कुछ सहीह-सालिम पार हो जायेंगे और कुछ ज़ख़्मी होकर छुटकारा पा जायेंगे और कुछ धक्का दे कर जहन्नम की आग में गिरा दिये जायेंगे। यहाँ तक कि जब मोमिन आग से ख़ुलासी पा लेंगे तो उस ज़ात की क़सम, जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें से कोई अपना हक़ पूरा-पूरा वसूल करने में इस क़द्र झगड़ा नहीं करता जिस क़द्र मोमिन अपने उन मुसलमान भाइयों के बारे में क़यामत के दिन झगड़ा करेंगे, जो आग में चले गये होंगे। मोमिन कहेंगे, ऐ अल्लाह! हमारे रब! ये लोग हमारे साथ रोज़े रखते थे और नमाज़ें पढ़ते थे, हमारे साथ हज करते थे। तो उनसे कहा जायेगा, जिनको तुम पहचानते हो, उनको निकाल लो। उनकी शक्लें (सूरतें) आग पर हराम कर दी जायेंगी। तो वो बहुत से उन लोगों को निकाल लायेंगे जिनके आग आधी पिण्डलियों तक और उनके घुटनों तक पहुँच चुकी होगी। फिर मोमिन कहेंगे, ऐ हमारे रब! जिनके निकालने के लिये तूने फ़रमाया

أَمَرْتَنَا بِهِ . فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا . ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا . ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا " . وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} " فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا

था, उनमें से कोई दोज़ख़ में नहीं रहा। तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमायेगा, वापस जाओ! जिसके दिल में दीनार भर ख़ैर (नेकी) पाओ, उसको निकाल लाओ। तो वो बहुत से लोगों को निकाल लायेंगे। फिर वो अ़र्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब! हमने किसी ऐसे फ़र्द को उसमें नहीं छोड़ा, जिसके निकालने का तूने हमें हुक्म दिया था। फिर वो फ़रमायेगा, वापस जाओ! जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर ख़ैर पाओ, उसको निकाल लाओ। तो वो बहुत से लोगों को निकाल लायेंगे। फिर वो कहेंगे, ऐ हमारे रब! हमने उसमें किसी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा, जिसके निकलाने का तूने हमें हुक्म दिया था। फिर वो फ़रमायेगा, वापस जाओ! जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ख़ैर पाओ, उसको निकाल लाओ। तो वो बहुत से लोगों को निकाल लायेंगे। फिर वो अ़र्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब! हमने उसमें किसी साहिबे ख़ैर को नहीं छोड़ा।' और अबू सईद ख़ुदरी फ़रमाया करते थे, अगर तुम मेरी इस हदीस़ की तस्दीक़ नहीं करते, अगर तुम चाहते हो तो ये आयत पढ़ लो, 'बेशक अल्लाह एक ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करेगा और अगर नेकी होगी तो उसको बढ़ायेगा और अपनी तरफ़ से अज्रे अ़ज़ीम देगा।' (सूरह निसा : 40) 'फिर अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा, फ़रिश्तों ने सिफ़ारिश की, अम्बिया ने सिफ़ारिश कर ली और मोमिन सिफ़ारिश कर चुके और अरहमुर्राहिमीन के सिवा कोई नहीं रहा, तो वो आग से एक मुट्ठी भरेगा। तो वो ऐसे लोगों को उससे निकालेगा, जिन्होंने कभी नेकी नहीं की होगी और वो (जलकर) कोयला हो चुके

حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ " فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ . فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ . فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا . فَيَقُولُ رِضَاىَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا " .

होंगे। तो वो उन्हें जन्नत के दरवाज़ों पर एक नहर में डाल देगा, जिसको ज़िन्दगी की नहर कहा जाता है। तो वो इस तरह फले-फूलेंगे जिस तरह क़ुदरती बेल (लत) सैलाब के ख़सो-ख़ाशाक में नशो-नुमा पाता है, क्या तुम उसे देखते नही हो कभी वो पत्थर के पास होता है और कभी दरख़्त के पास, जो सूरज के रुख़ पर होता है, वो ज़र्द और सब्ज़ होता है और जो साये में होता है वो सफ़ेद होता है।' तो सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! गोया कि आप जंगल में जानवर चराया करते थे। आपने फ़रमाया, 'तो वो लोग (नहर से) मोती की तरह निकलेंगे, उनकी गर्दनों में निशानी होगी, अहले जन्नत उनको पहचानते होंगे, ये लोग अल्लाह तआ़ला के आज़ाद किये गये हैं जिनको अल्लाह तआ़ला ने बग़ैर किसी अ़मल के जो उन्होंने किया हो और बग़ैर किसी ख़ैर के जो उन्होंने आगे भेजी हो, जन्नत में दाख़िल किया है। फिर अल्लाह फ़रमायेगा, जन्नत में दाख़िल हो जाओ और तुमने जो कुछ देखा, वो तुम्हारा है। तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब! तूने हमें वो कुछ दिया है जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया। तो वो फ़रमायेगा, तुम्हारे लिये मेरे पास इससे भी अफ़ज़ल (बरतर) चीज़ है। तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब! इससे अफ़ज़ल चीज़ कौनसी है? तो वो फ़रमायेगा, मेरी ख़ुश्नूदी व रज़ा! इसके बाद मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हूँगा।

(सहीह बुख़ारी : 4581, 4739)

(455) इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, मैंने सिफ़ारिश के बारे में ये हदीस़ ईसा बिन हम्माद ज़ुग़बह मिस्री को सुनाई और उससे कहा, ये हदीस़ मैं आपसे बयान करता हूँ, आपने इसे लैस़ बिन सईद से सुना है? तो उस (ईसा) ने कहा, हाँ! मैंने ईसा बिन हम्माद को कहा, आपको लैस़ बिन सअ़द ने ख़ालिद बिन यज़ीद के वास्ते से सईद बिन अबी हिलाल की ज़ैद बिन अस्लम से अ़ता बिन यसार की अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से ख़बर दी है कि उन्होंने कहा, हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम अपने रब को देखेंगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मतलअ़ (आसमान) साफ़ हो, क्या तुम आफ़ताब (सूरज) के देखने में कोई तकलीफ़ महसूस करते हो?' हमने कहा, नहीं। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, मैंने आख़िर तक ईसा को हदीस़ सुनाई, जो हफ़्स बिन मैसरह की हदीस़ जैसी है उसने इसके बाद कि 'बग़ैर इसके उन्होंने कोई अ़मल किया हो या नेकी आगे भेजी हो।' ये इज़ाफ़ा किया, 'तो उन्हें कहा जायेगा, तुम्हारे लिये है जो तुमने देखा और उतना ही उसके साथ और।' अबू सईद बयान करते हैं, मुझे ये बात पहुँची है कि पुल बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होगा। लैस़ की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं। तो वो कहेंगे, 'ऐ हमारे रब! तूने हमें वो कुछ दिया है जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया।' और उसके बाद ईसा बिन हम्माद ने मेरी इस हदीस़ का इक़रार किया।

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ نَعَمْ . قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَرَى رَبَّنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ " . قُلْنَا لاَ . وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ . وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوهُ " فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ " فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ " وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **गुब्बर अहलिल किताब :** गुब्बर, ग़ाबिर की जमा है, मुराद वो लोग हैं जो अपने असल दीन पर क़ायम रहे। (2) **सराब :** वो रेतीली ज़मीन जो गर्मी के मौसम में, दूर से पानी की तरह चमकती है, प्यासा पानी समझकर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। (3) **यह्तिमु बअ्ज़ुहा बअ्ज़ा :** हतम का मानी तोड़ना, रेज़ा-रेज़ा करके तबाह करना है। इसलिये जहन्नम का नाम हुतमह भी है कि जो कुछ उसमें डाला जायेगा वो उसे चूर-चूर कर देगी। (4) **युक्शफ़ु अन साक़िन :** पिण्डली खोली जायेगी। (5) **तबक़तुंव्-वाहिदह :** तबक़ से मुराद पुश्त के मोहरे हैं कि वो तख़्ते की तरह एक मोहरा बन जायेंगे, इसलिये इंसान झुक नहीं सकेगा। (6) **जिस्र :** जीम पर ज़ेर और ज़बर दोनों आ सकते हैं, पुल। (7) **तहिल्लुश्शफ़ाअत :** सिफ़ारिश शुरू हो जायेगी, सिफ़ारिश की इजाज़त मिल जायेगी। (8) **दहज़ुन :** और मज़्लह का मानी एक है, ऐसी जगह जहाँ क़दम फिसल जायें, जम न सकें। (9) **ख़तातीफ़ :** ख़ुताफ़ की जमा है, उचकने वाले आंकस। (10) **कलालीब :** कुलूब की जमा है, गोश्त भूनने की लौहे की सलाख़ें। (11) **हसकुन :** ख़ारदार पौधा है, यहाँ मुराद लौहे के घोकरू हैं, यानी लौहे का तेज़ और मज़बूत नौकों वाला गोल सा दायरा। (12) **अजावीद :** अज्वद की जमा है और ये जवाद की जमा है, उम्दा और तेज़ रफ़्तार सवारी। (13) **रिकाब :** राहिला की मिन ग़ैरि लफ़्ज़िहा जमा है, सवारी का ऊँट मुराद है। (14) **ख़ैल मिन ग़ैरि लफ़्ज़िही :** फ़रस की जमा है, घोड़े। (15) **नाजिन मुस्लिम :** से मुराद वो लोग हैं जो बिल्कुल सहीह सालिम बिला किसी अज़ियत व तकलीफ़ के गुज़र जायेंगे। (16) **मख़्दूशुन मुरसलुन :** से मुराद वो लोग हैं जो ज़ख़्मी होकर छूट जायेंगे और निजात पा लेंगे। (17) **मक्दूस :** जिनको उनकी जगह से हटा दिया जायेगा, धक्का देकर गिरा दिया जायेगा। (18) **इस्तिक़साअल हक़्क़ :** हक़ पूरा-पूरा वसूल करना। (19) **हुममुन :** हुममह की जमा है, कोयला। (20) **अफ़्वाह :** अला ग़ैरि क़ियास फ़ुव्वाहह की जमा है, जन्नत का अगला हिस्सा मुराद है। (21) **रिक़ाब :** रक़बह की जमा है, गर्दन। (22) **ख़्वातिम :** ख़ातिम की जमा है, अंगूठी, यहाँ पर मुराद पट्टा है जो अलामत के तौर पर गर्दन में डाला जायेगा या कोई अलामत व निशानी है जिससे वो मुम्ताज़ हो जायेंगे। (23) **हिब्बह :** क़ुदरती बीज। (24) **हमील :** महमूल के मानी में है, सैलाब के साथ आने वाला ख़सो-ख़ाशाक मुराद है।

फ़वाइद : (1) क़यामत के दिन मोमिनों को अल्लाह तआला के देखने में हुजूम और इज़्दहाम की तकलीफ़ न होगी, जिस तरह आफ़ताब व माहताब, जब साफ़ चमक रहे हों तो उनके देखने में मशक़्क़त नहीं उठानी पड़ती। (2) यहूद व नसारा का असल दीन इस्लाम था, इसलिये जो लोग आपकी आमद से पहले इस पर फ़ौत हुए या उन्होंने आपकी आमद के बाद आपको मान लिया तो वो जन्नती होंगे। (3) अल्लाह तआला की एक ऐसी सूरत है जो मोमिनों के दिलों में मुनक़ुश है, जब वो उस सूरत में ज़ाहिर होगा तो वो उसको पहचान लेंगे। जब तक वो उस सूरत में ज़ाहिर नहीं होगा, उन्हें उसके अपना रब होने का यक़ीन और इत्मीनान नहीं होगी। इसलिये वो उसका रब होना तस्लीम नहीं करेंगे। जब वो असल

शक्ल में, जो उनके दिलों में मौजूद है, आयेगा तो वो मान लेंगे, उसमें किसी क़िस्म की तावील व तश्बीह या तअतील की ज़रूरत नहीं है। **(4)** इस हदीस़ में कश्फ़े साक़ पिण्डली के खुलने का तज़्किरा है और क़ुरआन मजीद में भी यौमा युक्शफ़ु अन साक़ (सूरह नून) मौजूद है। वो अपनी पिण्डली खोलेगा, उसकी पिण्डली उसकी शान के मुताबिक़ है। जिस तरह उसकी ज़ात बेमिसाल और अदीमुन्नज़ीर है उसी तरह उसकी सिफ़ात और क़ुरआन व हदीस़ में वारिद आज़ा व सिफ़ात बेमिस्ल हैं, उनकी कुना हक़ीक़त या माहियत मालूम नहीं है। **(5)** जो लोग दुनिया में दिल की गहराई और इख़्लास व हुस्ने नियत या ईमान व ईक़ान के साथ अल्लाह तआला के हुज़ूर सज्दारेज़ नहीं हुए, उनको क़यामत के दिन सज्दे की तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी। इसलिये वो आख़िरत में नाकाम व नामुराद होंगे। **(6)** क़यामत के दिन जहन्नम पर एक पुल बिछाया जायेगा, जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ होगा, उससे लोग अपने-अपने अमलों के मुताबिक़ गुज़रेंगे और जिनके नेक अमल हद्दे मतलूब तक नहीं पहुँचेंगे या उनके अमल बुरे होंगे, वो कट-फटकर जहन्नम में गिर जायेंगे। **(7)** मलाइका, अम्बिया और मोमिन अपने-अपने मक़ाम के मुताबिक़ सिफ़ारिश करेंगे और आख़िर में अल्लाह तआला उन तमाम लोगों को अपने फ़ज़्ल व करम के नतीजे में मुट्ठी भर कर निकाल देगा, जिनके दिल में अल्लाह की तौहीद पर यक़ीन होगा। अगरचे उन्हें किसी नेकी करने का मौक़ा न मिला या उन्होंने ईमाने सहीह के सिवा कोई नेकी न की, तो आखिरकार वो भी दोज़ख़ से निकल जायेंगे और अल्लाह तआला की साक़ की तरह उसका क़ब्ज़ा उसकी शान के लायक़ है। उसकी कैफ़ियत व हक़ीक़त को नहीं जाना जा सकता। **(8)** अल्लाह तआला की रज़ामन्दी एक ऐसी नेमते उज़्मा है कि जन्नत की तमाम नेमतें उसके मुक़ाबले में बेहक़ीक़त और हेच हैं। अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से हम सबको अपनी रज़ामन्दी और ख़ुश्नूदी से नवाज़े (आमीन)।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا .

(456) इमाम साहब ऊपर की रिवायत एक दूसरी सनद से बयान करते हैं लेकिन उसमें कुछ कमी व बेशी है।

باب إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

बाब 82 : शफ़ाअत का इस्बात (साबित होना) और मुवह्हिदों का आग से निकालना

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا

(457) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتَحَشُوا . فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً " .

'अल्लाह तआला जन्नतियों को जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा, अपनी रहमत से जिसे चाहेगा दाख़िल करेगा और दोज़ख़ियों को दोज़ख़ में दाख़िल करेगा। फिर फ़रमायेगा, देखो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान पाओ तो उसको निकाल लो। तो उन्हें इस हाल में निकाला जायेगा कि वो जल-भुन कर कोयला हो चुके होंगे, तो उन्हें ज़िन्दगी की या बारिश की नहर में डाला जायेगा तो वो उसमें इस तरह फले-फूलेंगे जिस तरह क़ुदरती बीज सैलाब के कटाव पर नशो-नुमा पाता है, क्या तुम उसे देखते नहीं हो किस तरह ज़र्द लिपटा हुआ उगता है।'

(सहीह बुख़ारी : 6560)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नहरुल हयाति अविल्हया : ज़िन्दगी की नहर या बारिश की नहर, बारिश को हया इसलिये कहा गया है कि वो ज़मीन की ज़िन्दगी व ज़रख़ेज़ी का बाइस़ बनती है। इसी तरह उस पानी से धुलने वाले लोग, तरो-ताज़ा होकर निकलेंगे जैसाकि बारिश से सब्ज़ा तरो-ताज़ा होकर निकलता है। **(2) मुल्तविय्यह :** इल्तवा से है, लिपटा हुआ या मुड़ा हुआ।

फ़वाइद : (1) जन्नत में दाख़िले का इन्हिसार (दारो मदार) अल्लाह तआला की रहमत पर है। उसकी रहमत के नतीजे में नेक अमलों की तौफ़ीक़ मिलती है और उसकी रहमत होगी तो अमल क़ुबूल होंगे और उसकी रहमत के नतीजे में जन्नत में दाख़िला होगा। **(2)** अहले ईमान, बद आमाल और मअसियत के सज़ा भुगतने के लिये दोज़ख़ में जायेंगे, जब दोज़ख़ की आग उनके गुनाह खा जायेगी और वो जल-भुनकर कोयला हो जायेंगे तो ईमान का असर दिल में क़ायम रहेगा और वो जन्नतियों को नज़र भी आयेगा। फिर उनकी सिफ़ारिश के नतीजे में उनको दोज़ख़ से निकाल लिया जायेगा। **(3)** ईमान में कमी व बेशी है, सबका ईमान बराबर और यकसाँ नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ،

(458) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें है, 'और

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ . وَلَمْ يَشُكَّا . وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ . وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِئَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ .

वो एक ऐसी नहर में डाले जायेगे, जिसको ज़िन्दगी की नहर कहा जायेगा।' दोनों ने इसमें शक नहीं किया और ख़ालिद की रिवायत में है जिस तरह कूड़ा-करकट उगता है सैलाब के किनारे और वुहैब की रिवायत में है, 'जिस तरह क़ुदरती बीज स्याह गारे में या सैलाब के ख़सो-ख़ाशाक में उगता है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्गुस़ा : सैलाब के पानी की झाग में कूड़ा-करकट या दरख़्तों के गले-सड़े पत्ते जो सैलाब के झाग में मिले-जुले हों। **(2) हमिअह :** स्याह गारा। **(3)** हमीलह : ग़ुस़ा को कहते हैं। यानी सैलाब के साथ आने वाला कूड़ा-करकट।

وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ . فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ

(459) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रहे दोज़ख़ी, जो उसके रिहाइशी हैं, वो न उसमें मरेंगे और न ज़िन्दा होंगे। लेकिन वो (अहले ईमान) लोग जो गुनाहों की पादाश में' या आपने फ़रमाया, 'क़ुसूरों की बिना पर आग में जायेंगे, तो अल्लाह तआला उन पर एक क़िस्म की मौत तारी कर देगा, यहाँ तक कि जब वो कोयला बन जायेंगे, सिफ़ारिश की इजाज़त दी जायेगी, तो उन्हें गिरोह-गिरोह लाया जायेगा। और उन्हें जन्नत की नहरों में फैला दिया जायेगा। फिर कहा जायेगा, ऐ जन्नतियो! उन पर पानी डालो, तो वो उस क़ुदरती बीज की तरह नशो-नुमा पायेंगे जो सैलाब के बहाव के साथ आने वाली मिट्टी में होता है।' तो लोगों में से एक आदमी ने कहा, मालूम होता है रसूलुल्लाह (ﷺ) जंगल में रहे हैं।

(इब्ने माजह : 4309)

الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ज़ुनूब : ज़नब की जमा है, गुनाह, जुर्म। **(2) ख़ताया :** ख़तीअह की जमा है, लग़्ज़िश, ग़लती। **(3) ज़बाइर :** ज़िबारह की जमा है, गिरोह, टोली। **(4) बुस़्स़ू :** बस़्सुन से है, बिखेर दिये जायें, फैला दिये जायें।

फ़ायदा : जो लोग कुफ़्र व शिर्क की बिना पर हमेशा-हमेशा के लिये दोज़ख़ी हैं वो न मरेंगे यानी किसी तरह उन्हें अ़ज़ाब से छुटकारा नसीब नहीं होगा, न ज़िन्दा होंगे। यानी कभी उन्हें ज़िन्दगी की राहत व आसाइश हासिल न होगी। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, गुनाहों और ग़ल्तियों की पादाश में दोज़ख़ में डाले जायेंगे, अपने गुनाहों के बक़द्र अ़ज़ाब में मुब्तला होकर जल-भुन कर कोयला बन जायेंगे। फिर उनको दोज़ख़ से निकालकर आबे हयात में डालकर ज़िन्दगी इनायत की जायेगी और वो फ़ौरी तौर पर नशो-नुमा पाकर जन्नत में दाख़िल होंगे।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ " فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

(460) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मज़्कूरा बाला रिवायत फ़ी हमीलिस्सैल तक बयान की। उसके बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया।

باب آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

बाब 83 : दोज़ख़ से सबसे आख़िर में निकलने वाला शख़्स

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

(461) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेशक मैं जानता हूँ कि जहन्नम से सबसे आख़िर में कौन निकलेगा और जन्नत में सबसे आख़िर में कौन दाख़िल होगा। वो एक

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ - قَالَ - فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا - قَالَ - فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ أَتَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ " قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً .

ऐसा आदमी है जो हाथों और घुटनों के बल घिसटता हुआ आग से निकलेगा। अल्लाह तआला (आख़िर में उसे) फ़रमायेगा, जा! जन्नत में दाख़िल हो जा! वो जन्नत में दाख़िल होगा, तो वो ये समझेगा कि जन्नत भर चुकी है। वापस आकर अ़र्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब! वो तो भर चुकी है। तो अल्लाह तआला उसे फ़रमायेगा, जा! जन्नत में दाख़िल हो जा!' आपने फ़रमाया, 'वो (दोबारा) जायेगा, तो उसे महसूस होगा, वो तो भर चुकी है। वापस आकर फिर कहेगा, ऐ मेरे रब! मैंने तो उसे भरी हुई पाया है। अल्लाह तआला फिर फ़रमायेगा, जाकर जन्नत में दाख़िल हो जा! क्योंकि तेरे लिये दुनिया के बराबर और उससे दस गुना ज़्यादा जगह है या तेरे लिये दुनिया से दस गुना है।' आपने फ़रमाया, 'वो शख़्स अ़र्ज़ करेगा, क्या तू मुझसे मज़ाक़ करता है या मुझसे हँसी करता है हालांकि तू बादशाह है।' अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप हँसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें मुबारक ज़ाहिर हो गईं। रावी कहते हैं इस बिना पर कहा जाता था ये सबसे कम दर्जे वाला जन्नती होगा।

(सहीह बुख़ारी : 6571, 7511, तिर्मिज़ी : 2595, इब्ने माजह : 4339)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हबवा : हाथों और पाँव के बल पर, हाथों और घुटनों के बल पर या हाथों और सुरीन के बल पर चलना। **(2) नवाजिज़ :** नाजिज़ की जमा है, दाढ़ें। **(3) मन्ज़िलह :** मक़ाम व मर्तबा, दर्जा।

फ़ायदा : ये मुख़्तसर रिवायत है और जन्नती आदमी का तफ़्सीली मुकालमा हदीस : 182/299 में गुज़र चुका है।

(462) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं उस शख़्स को यक़ीनन जानता हूँ जो दोज़ख़ियों में सबसे आख़िर में दोज़ख़ से निकलेगा। एक शख़्स होगा जो सुरीन के बल घिसटकर दोज़ख़ से निकलेगा, उसको कहा जायेगा, चलकर जन्नत में दाख़िल हो जा।' आपने फ़रमाया, 'वो जाकर जन्नत में दाख़िल होगा, तो वो लोगों को इस हाल में पायेगा, वो अपनी-अपनी जगह ले चुके हैं। उसे कहा जायेगा, क्या तुम्हें वो वक़्त याद है जो तू गुज़ार कर आया है? वो कहेगा, हाँ! तो उसे कहा जायेगा, तमन्ना कर! वो तमन्ना करेगा, तो उसे कहा जायेगा, जो तमन्ना तूने की है उसके साथ तेरे लिये दुनिया से दस गुना ज़्यादा है। तो वो कहेगा, तू बादशाह होकर मेरे साथ मज़ाक़ करता है।' अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप हँसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें खुल गईं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ - قَالَ - فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ . فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا - قَالَ - فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ " قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

(463) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सबसे आख़िर में जन्नत में दाख़िल होने वाला आदमी तो वो कभी चलेगा, कभी चेहरे के बल गिरेगा और कभी उसे आग झुलसेगी, जब वो आग से निकल जायेगा, पलटकर उसको देखेगा और कहेगा, बड़ी बरकत वाली वो ज़ात है जिसने मुझे तुझसे निजात दी। अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ

अ़ता फ़रमाई है जो पहलों और पिछलों में से किसी एक को अ़ता नहीं की। तो उसे एक दरख़्त दिखाई देगा तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे इस दरख़्त के क़रीब कर दे ताकि मैं इसके साये से साया हासिल करूँ और इसके (फलों का) पानी पियूँ। तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमायेगा, ऐ इब्ने आदम! हो सकता है अगर मैं तेरी दरख़्वास्त पूरी कर दूँ तो तू और दरख़्वास्त पेश कर दे। तो वो कहेगा, नहीं। ऐ मेरे रब! और वो अल्लाह से और सवाल न करने का मुआ़हिदा (वादा) करेगा और उसका रब उसको मअ़ज़ूर समझेगा। क्योंकि वो ऐसी चीज़ देख रहा होगा, जिस पर सब्र करना उसके लिये मुम्किन नहीं होगा, तो वो उसे उस (दरख़्त) के क़रीब कर देगा। तो वो उसके साये से फ़ायदा उठायेगा और उसके पानी को पियेगा। फिर उसके सामने एक और दरख़्त ज़ाहिर किया जायेगा, जो पहले से ज़्यादा हसीन (ख़ूबसूरत) होगा। तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे इसके क़रीब कर दे ताकि मैं इसके साये से आराम हासिल कर सकूँ और इसका पानी पियूँ, मैं तुझसे कोई और सवाल नहीं करूँगा। तो अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा, क्या तूने मुझसे मुआ़हिदा नहीं किया था कि मैं और सवाल नहीं करूँगा? और फ़रमायेगा, मुम्किन है अगर मैं तुझे इसके क़रीब कर दूँ तो तू और सवाल कर दे। तो वो अल्लाह तआ़ला से अ़हद (वादा) करेगा कि वो उसके सिवा सवाल नहीं करेगा और उसका रब उसका उ़ज़्र कुबूल कर लेगा। क्योंकि वो ऐसी चीज़ (नेमत) देख रहा है जिसकी (ख़्वाहिश किये) बग़ैर सब्र नहीं हो सकता। तो वो उसे उसके क़रीब

فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا . فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا . فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ . وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا . فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ

مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا . ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ . فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا . فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ " . فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلاَ تَسْأَلُونِّي مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

कर देगा। तो वो उसके साये से राहत हासिल करेगा और उसका पानी पियेगा, फिर उसको जन्नत के दरवाज़े के पास एक दरख़्त दिखाई देगा। जो पहले दोनों दरख़्तों से ज़्यादा ख़ूबसूरत होगा। तो वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब! मुझे इसके क़रीब कर दे ताकि मैं इसके साये से आराम हासिल करूँ और इसका पानी पियूँ, मैं और सवाल नहीं करूँगा। तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, ऐ आदम के बेटे! क्या तूने मेरे साथ मुआहिदा नहीं किया था कि और सवाल नहीं करूँगा। वो कहेगा, क्यों नहीं (मुआहिदा किया था) यही सवाल है और सवाल नहीं करूँगा। उसका रब उसको मअज़ूर समझेगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ देख रहा है जिसके सवाल किये बग़ैर सब्र नहीं हो सकता। तो वो उसे उसके क़रीब कर देगा। तो जब वो उसे उसके क़रीब कर देगा तो वो जन्नतियों की आवाज़ें सुनेगा। तो कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे इसमें दाख़िल कर दे। तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, ऐ आदम के बेटे! कौनसी चीज़ तुझे मुझसे सवाल करने से रोक सकती है? क्या तुझे ये चीज़ राज़ी कर देगी कि मैं तुझे दुनिया और उसके बराबर दे दूँ? वो कहेगा, ऐ मेरे रब! तू रब्बुल आलमीन होकर मेरा मज़ाक़ उड़ाता है।' इस पर इब्ने मसऊद (रज़ि.) हँस पड़े और कहा, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों हँसा? तो सुनने वालों ने पूछा, आप क्यों हँसे? कहा, इसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) हँसते थे, तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यों हँस रहे हैं? आपने फ़रमाया, 'उसकी इस बात पर रब्बुल आलमीन के हँसने

فَيَقُولُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ " .

की बिना पर, क्या तू रब्बुल आलमीन होकर मेरे साथ मज़ाक़ करता है? तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, मैं मज़ाक़ नहीं करता, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यक्बू मर्रतन : वो ओन्धे मुँह गिरेगा। **(2) तस्फ़ड़ :** झुलस जायेगी, उस पर असर अन्दाज़ होगी। **(3) यअ्ज़िरू :** या पर ज़बर और पेश दोनों आ सकते हैं, मअ्ज़ूर क़रार देना, उज़्र कुबूल करना। **(4) यस्रीनी :** सिरी से माख़ूज़ है जिसका मानी है काटना यानी कौनसी चीज़ तेरे सवाल को रोकेगी, तुझे राज़ी करेगी।

फ़ायदा : उस शख़्स का मुकम्मल वाक़िया तीनों हदीसों के मिलाने से सामने आता है।

باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

बाब 84 : जन्नत में सबसे कम मर्तबा इंसान

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ أَىْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ " فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ " . إِلَى آخِرِ

(464) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेशक अहले जन्नत में से सबसे कम मर्तबा वो आदमी होगा कि अल्लाह तआला उसके चेहरे को दोज़ख़ से जन्नत की तरफ़ फेर देगा और उसको एक सायेदार दरख़्त की सूरत नज़र आयेगी। तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे उस दरख़्त के क़रीब कर दे, मैं उसके साये में रहूँगा।' और इब्ने मसऊद (रज़ि.) की तरह हदीस बयान की और ये अल्फ़ाज बयान नहीं किये कि अल्लाह तआला फ़रमायेगा, ऐ आदम के बेटे! तुझे मुझसे माँगने से कौनसी चीज़ रोक सकती है।' आख़िर तक और उसमें इतना इज़ाफ़ा है, 'और अल्लाह तआला उसे याद दिलायेगा, फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ का सवाल कर! और जब उसकी आरज़ूएँ ख़त्म हो जायेंगी, अल्लाह

الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ " وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ - قَالَ - ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولاَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ " .

तआला फ़रमायेगा, ये सब कुछ तुझे मिलेगा और इससे दस गुना ज़्यादा।' आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फिर वो अपने घर में दाख़िल होगा और हूरुल ईन से उसकी दोनों बीवियाँ उसके पास आयेंगी और कहेंगी, 'शुक्र के लायक़ वो अल्लाह है जिसने तुझे हमारे लिये ज़िन्दा किया और हमें तेरे लिये ज़िन्दगी दी।' आपने फ़रमाया, 'तो वो कहेगा, जो कुछ मुझे इनायत किया गया है वो किसी एक को नहीं दिया गया।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मस़ल लहू : उसके लिये शक्ल व सूरत बनायेगा। **(2) अमानी :** अम्नियह की जमा है, आरज़ू, ख़्वाहिश, तमन्ना।

फ़ायदा : जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान अपने-अपने मक़ाम व मर्तबे पर मुत्मइन होगा और समझेगा अल्लाह तआला की सबसे ज़्यादा इनायत और नेमतें मुझे ही हासिल हैं। कोई एक उनमें मेरे बराबर नहीं है। जबकि दुनिया में हल मिम्मज़ीद की तमन्ना और आरज़ू कभी ख़त्म नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह! मगर ये कि अल्लाह जिसे सब्र दे दे।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ، أَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، -

(465) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों की सनदों से शअबी से बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) से मिम्बर पर सुना वो लोगों को बता रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मूसा (अलै.) ने अपने रब से पूछा, जन्नत में सबसे कम मर्तबा जन्नती कौन होगा? अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'वो एक शख़्स है, जब जन्नती जन्नत में दाख़िल कर दिये जायेंगे उसके बाद आयेगा। तो उसे कहा जायेगा, जन्नत में दाख़िल हो जा! तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! क्योंकर लोग अपनी-अपनी जगहों में उतर चुके हैं और अपनी इज़्ज़त व करामत ले

وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَابْنُ، أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا - أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ " سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ . فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ . فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ . فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ " . قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} الآيَةَ .

चुके हैं या अपने घरों का रुख़ कर चुके हैं। तो उसे कहा जायेगा, क्या तुम इस पर राज़ी हो कि तुम्हें जन्नत में इतना इलाक़ा दे दिया जाये जितना दुनिया में बादशाहों में से किसी बादशाह की मिल्कियत में होता है? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मैं राज़ी हूँ। तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, तुझे इतना इलाक़ा दिया और इतना और, और इतना और, और इतना और, और इतना और पाँचवीं बार वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब! मैं राज़ी हूँ। तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, ये तुझे दिया और इससे दस गुना और दिया और तेरे लिये जिसको तेरा जी चाहे और तेरी आँखों को भाये। तो वो कहेगा, मैं राज़ी हूँ, ऐ मेरे रब!' फिर मूसा (अलै.) ने पूछा, ऐ मेरे रब! तो सबसे बुलंद मर्तबा को क्या मिलेगा? अल्लाह तआला ने फ़रमाया, ये वो लोग हैं जिनको मैंने चुना, उनकी इज़्ज़त व राहत को अपने हाथों से जमाया और मैंने उस पर मुहर लगाई (उन नेमतों को) किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल में उनका ख़याल नहीं गुज़रा।' और आपने फ़रमाया, 'इसकी तस्दीक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब में मौजूद है, 'कोई नहीं जानता कि उनकी आँखों की ठण्डक के लिये क्या-क्या नेमतें छिपाई गई हैं।' (सूरह सज्दा : 17)

(तिर्मिज़ी : 3198)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अख़ज़ू अख़ज़ातिहिम : उन्होंने अता की गई चीज़ें ले ली हैं या उन्होंने

अपनी मनाज़िल का रुख़ कर लिया है। **(2) अरत्तु :** मैंने उन्हें चुन लिया, मुन्तख़ब कर लिया। **(3) ग़रस्तु करामतहुम :** ख़ुद मैंने उनकी इज़्ज़त व शर्फ़ को गाड़ा है मेरी लगाई और जमाई हुई इज़्ज़त में तग़य्युर व तब्दीली का इम्कान नहीं।

(466) हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) ने मिम्बर पर कहा, बेशक मूसा (अलै.) ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से पूछा कि अहले जन्नत से सबसे कमतर दर्जा या क़लील हिस्सा किसका होगा और मज़्कूरा हदीस की तरह, हदीस बयान की।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

(467) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं जन्नत में सबसे आख़िर में दाख़िल होने वाले जन्नती को जानता हूँ और जो सबसे आख़िर में दोज़ख़ से निकलने वाला होगा। एक आदमी है उसे क़यामत के दिन लाया जायेगा तो कहा जायेगा, इस पर इसके छोटे गुनाह पेश करो और बड़े गुनाह उठा रखो। तो उसके छोटे गुनाह उस पर पेश किये जायेंगे और कहा जायेगा, तूने फ़लाँ, फ़लाँ दिन, फ़लाँ, फ़लाँ काम किये और फ़लाँ, फ़लाँ दिन तूने फ़लाँ, फ़लाँ काम किये? वो कहेगा, हाँ! वो इंकार नहीं कर सकेगा और वो अपने बड़े गुनाहों के पेश किये जाने से डर रहा होगा। तो उसे कहा जायेगा, तेरे लिये हर बदी के ऐवज़ नेकी है। तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मैंने बहुत से ऐसे काम किये हैं मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ।' (हज़रत अबू ज़र रज़ि. कहते हैं) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हँसते देखा, यहाँ तक कि

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا . فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا . فَيَقُولُ نَعَمْ . لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ . فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً . فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُنَا " . فَلَقَدْ رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

आपकी दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं।

(तिर्मिज़ी : 2596)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(468) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحٍ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا، وَكَذَا، انْظُرْ أَىْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ - قَالَ - فَتُدْعَى الأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا . فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ . فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ - قَالَ - فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ - مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ - نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ

(469) अबू ज़ुबैर बयान करते हैं हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से (जहन्नम पर) गुज़रने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम क़यामत के दिन, फ़लाँ-फ़लाँ तरफ़ से आयेंगे। देख लीजिये यानी उसको, लोगों के ऊपर से। कहा, तो उम्मतें अपने-अपने बुतों समेत बुलाई जायेंगी और जिनकी बन्दगी करती थीं। पहली फिर पहली (तर्तीब के साथ) फिर हमारे पास उसके बाद हमारा रब आयेगा और पूछेगा, तुम किसका इन्तिज़ार कर रहे हो? तो वो कहेंगे, हम अपने रब के मुन्तज़िर हैं। तो वो फ़रमायेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो वो कहेंगे, यहाँ तक हम तुझे देख लें, वो हँसता हुआ उनको दिखाई देगा, तो वो उनके साथ चलेगा और वो उसके पीछे चल पड़ेंगे और उनमें से हर इंसान को वो मुनाफ़िक़ हो या मोमिन नूर दिया जायेगा। फिर वो उस नूर के पीछे चलेंगे और जहन्नम के पुल पर गोश्त भूनने की लौहे की सलाख़ें और घोकरू होंगे। अल्लाह तआ़ला जिसको चाहेगा वो पकड़ लेंगे, फिर मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जायेगा। फिर मोमिन निजात पा लेंगे। तो पहला गिरोह जिनके चेहरे चौधवीं के चाँद

ثُمَّ يَطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لاَ يُحَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَإِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّىْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا .

जैसे होंगे, निजात पायेगा। सत्तर हज़ार, जिनका मुहासबा नहीं होगा, फिर उनके बाद वो लोग होंगे जिनके चेहरे आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होंगे। फिर उनके बाद उनसे कम दर्जा लोग होंगे। फिर शफ़ाअत शुरू होगी और लोग सिफ़ारिश करेंगे। यहाँ तक कि आग से वो इंसान निकल जायेगा जिसने (ख़ुलूस निय्यत से) ला इला-ह इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में जौ बराबर नेकी होगी, तो उनको जन्नत के आँगन (सामने की खुली जगह) में डाल दिया जायेगा और जन्नती लोग उन पर पानी छिड़कने लगेंगे। यहाँ तक कि वो इस तरह फले-फूलेंगे जैसे कोई चीज़ सैलाब में नशो-नुमा पाती है। यहाँ तक कि आग से निकलने वाले की सोज़िश (जलन) ख़त्म हो जायेगी, फिर अल्लाह उससे पूछेगा, यहाँ तक कि उसको दुनिया और उसके साथ उसका दस गुना देगा।

फ़ायदा : क़ाज़ी अयाज़ (रह.) बक़ौल मुस्लिम के नुस्ख़े के नाक़िल से कोई लफ़्ज़ पढ़ा नहीं गया तो उसने उसकी जगह अन कज़ा व कज़ा लिख दिया। उन्ज़ुर देख लें, यानी इस लफ़्ज़ की तहक़ीक़ कर लें और फिर अन कज़ा व कज़ा का मफ़्हूम व मक़सद बयान कर दिया कि लोगों के ऊपर से आयेंगे। दूसरे सहाबा की रिवायात को सामने रखा जाये तो मक़सद ये है लोग टीले पर होंगे और आपकी उम्मत उनसे बुलंदतर टीले पर होगी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِهِ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ " .

(470) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने अपने कान से रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'अल्लाह तआला कुछ लोगों को आग से निकालकर जन्नत में दाख़िल करेगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ

(471) हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, अम्र बिन

قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ " . قَالَ نَعَمْ .

दीनार से पूछा गया, आपने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बयान करते हुए सुना है कि 'अल्लाह तआ़ला कुछ लोगों को सिफ़ारिश से आग से निकालेगा?' तो उसने कहा, हाँ।

(सहीह बुख़ारी : 6558)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ " .

(472) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कुछ लोग आग से निकाले जायेंगे, उनके चेहरों के अतराफ़ के सिवा, वो उसमें जल चुके होंगे। यहाँ तक कि वो जन्नत में दाख़िल हो जायेंगे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : दारात : दारह की जमा है, मुँह के अतराफ़ व जवानिब को कहते हैं कि चेहरे का चक्कर सज्दा करता है इसलिये वो आग से महफ़ूज़ होगा।

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ - قَالَ - فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ يَا

(473) यज़ीद फ़क़ीर से रिवायत है कि ख़ारजियों की आरा (राय) में से एक राय मेरे दिल में घर कर गई। हम एक बड़ी तादाद की जमाअ़त के साथ हज के इरादे से निकले कि फिर हम लोगों में इस राय की तब्लीग़ के लिये निकलेंगे, तो हम मदीना से गुजरे। वहाँ देखा कि हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) एक सुतून के पास बैठकर लोगों को रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस़ सुना रहे हैं। उन्होंने अचानक दोज़ख़ियों का तज़्किरा किया, तो मैंने उनसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथी! ये आप लोग क्या बयान कर रहे हैं? जबकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान तो ये है, 'बेशक

صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ وَاللَّهُ يَقُولُ { إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} وَ { كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ . - قَالَ - ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ - قَالَ - وَأَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ - قَالَ - غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا - قَالَ - يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ . قَالَ فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ . فَرَجَعْنَا قُلْنَا وَيْحَكُمْ أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعْنَا فَلاَ وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ .

जिसको तूने आग में दाख़िल कर दिया तो उसको रुस्वा कर दिया।' (सूरह आले इमरान : 192) और फ़रमाया, 'वो जब भी उससे निकलने का इरादा करेंगे उसमें लौटा दिये जायेंगे।' (सूरह सज्दा : 20) तो ये आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तू क़ुरआन पढ़ता है? मैंने कहा, हाँ! उन्होंने कहा, क्या तूने मुहम्मद (ﷺ) के मक़ाम के बारे में सुना है? यानी वो मक़ाम जो आपको क़यामत के दिन दिया जायेगा? मैंने कहा, हाँ! उन्होंने कहा, मुहम्मद (ﷺ) का मक़ाम, वो मक़ामे महमूद है जिसकी वजह से अल्लाह तआला जहन्नम से निकालेगा, जिनको निकालना चाहेगा। फिर उन्होंने पुल रखने और उस पर लोगों के गुज़रने को बयान किया। मुझे डर है कि मैं उसको याद नहीं रख सका। हाँ! इतनी बात है, उन्होंने कहा, कुछ लोग जहन्नम में रहने के बाद उससे निकलेंगे। अबू नुऐम ने कहा, तो वो निकलेंगे गोया कि तलों की लकड़ियाँ हैं (यानी जले-भुने हुए) तो वो जन्नत की नहरों में से एक नहर में दाख़िल होंगे और उसमें नहायेंगे। फिर उससे काग़ज़ों की तरह सफ़ेद होकर निकलेंगे। फिर हम वापस आये और एक-दूसरे को कहा, तुम पर अफ़सोस! क्या तुम ये समझते हो कि बूढ़ा, रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ झूठी बात मन्सूब करता है? और हम (इस राय) से लौट आये, तो अल्लाह की क़सम! हममें से सिर्फ़ एक आदमी अलग रहा या जैसा कि अबू नुऐम ने कहा।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़ख़रज अलन्नास : लोगों को उस मज़हब की दावत देने के लिये

निकलेंगे। **ज़अम** : ये क़ाल के मानी में इस्तेमाल हो जाता है और यहाँ यही मुराद है। **नअत** : उसने बयान किया। **(2) ईदानुस्समासिम** : ऊद की जमा, लकड़ी को कहते हैं। समासिम, सम्सम की जमा है और तिल को कहते हैं। इसके पौधों को उखाड़कर धूप में छोड़ देते हैं ताकि उनसे तिल निकाल लिये जायें और ये धूप में पड़ा रहने से स्याह हो जाती हैं और जली हुई मालूम होती हैं। **(3) क़रातीस** : क़िरतास की जमा है, काग़ज़।

फ़वाइद : (1) ख़ारजियों के नज़दीक जहन्नम में जाने वाले कभी जहन्नम से नहीं निकलेंगे और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब काफ़िर, जहन्नमी है और ये अक़ीदा सहीह अहादीस के ख़िलाफ़ है और जिन दो आयतों को यहाँ पेश किया गया है। ये मुसलमान मअसियत कार के बारे में नहीं हैं, इनका ताल्लुक़ काफ़िरों और मुश्रिकों से है। (2) किसी सहाबी के बारे में ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ झूठी बात मन्सूब करेगा, जो बात आपने फ़रमाई नहीं उसको आपकी तरफ़ मन्सूब कर देगा। इसी ऐतिक़ाद की बिना पर ये तमाम लोग ख़ारजियों के ग़लत अक़ीदे से बाज़ आ गये। सिर्फ़ एक आदमी अड़ा रहा। (3) अबू नुऐम, फ़ज़्ल बिन दकीन की कुन्नियत है और रिवायत बिल्मानी की सूरत में मोहतात रवैया यही है कि वहाँ औ कमा क़ाल कह दिया जाये।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلاَ تُعِدْنِي فِيهَا ‏.‏ فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا " ‏.‏

(474) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दोज़ख़ से चार आदमी निकाले जायेंगे और उन्हें अल्लाह तआला की बारगाह में पेश किया जायेगा, तो उनमें से एक मुड़कर देखेगा और कहेगा, ऐ मेरे रब! जब तूने मुझे इससे निकाल ही दिया है, तो अब इसमें न लौटा। तो अल्लाह तआला उसको उससे निजात दे देगा।'

फ़ायदा : वो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होगा तो अल्लाह तआला उस पर रहम फ़रमायेगा, उसे निजात देगा

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

(475) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला क़यामत के दिन लोगों को जमा करेगा और वो उसके लिये फ़िक्रमन्द होंगे (कि इस परेशानी से कैसे निजात पाई जाये)।' इब्ने उबैद ने कहा, इस ग़र्ज़ के लिये (फ़िक्र)

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ - فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا - قَالَ - فَيَأْتُونَ آدَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا . فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ - فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ - قَالَ - فَيَأْتُونَ نُوحًا صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ - فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ . قَالَ فَيَأْتُونَ

उनके दिल में डाला जायेगा, तो वो कहेंगे, ऐ काश! हम अपने रब के हुज़ूर किसी सिफ़ारिशी को लायें ताकि वो हमें इस जगह से आराम दिलवाये।' आपने फ़रमाया, 'वो आदम (अलै.) के पास आयेंगे और कहेंगे, आप आदम हैं, तमाम मख़्लूक़ के बाप! अल्लाह तआला ने तुझे अपने हाथ से पैदा किया और तेरे अंदर अपनी रूह डाली (यानी अपनी पैदा की गई रूह) और फ़रिश्तों को हुक्म दिया, उन्होंने आपको सज्दा किया, आप हमारे लिये अपने रब के हुज़ूर सिफ़ारिश फ़रमायें कि वो हमें इस जगह से (इस तकलीफ़ से) आराम पहुँचायें। तो वो जवाब देंगे, ये मेरा मन्सब नहीं (मैं इसका अहल नहीं) तो वो अपनी ग़लती जिसका इर्तिकाब किया था (या उसको बयान करके) उसकी बिना पर अपने रब से शर्मायेंगे। लेकिन तुम नूह (अलै.) के पास जाओ, वो पहला रसूल है, जिसे अल्लाह तआला ने भेजा।' आपने फ़रमाया, 'तो लोग नूह (अलै.) के पास आयेंगे। तो वो जवाब देंगे, मैं इसका अहल नहीं हूँ और वो अपनी ग़लती जिसका इर्तिकाब किया था, उसको याद करके अपने रब से शर्मायेंगे और (कहेंगे) तुम इब्राहीम (अलै.) के पास जाओ, जिसे अल्लाह तआला ने अपना ख़लील बनाया है। तो वो इब्राहीम (अलै.) के पास आयेंगे, तो वो कहेंगे, ये मेरा मक़ाम नहीं है, और वो अपनी ख़ता को याद करेंगे जो उनसे हुई थी और उसकी वजह से अपने रब से शर्मायेंगे और कहेंगे लेकिन तुम मूसा (अलै.) के पास जाओ, जिनको अल्लाह तआला ने कलाम करने का शर्फ़ बख़्शा और

उन्हें तौरात इनायत की। तो लोग मूसा (अलै.) की ख़िदमत में हाज़िर होंगे, तो वो भी कहेंगे, मैं इसका हक़दार नहीं और अपनी ख़ता जो उनसे हुई थी याद करके अपने रब से शर्मायेंगे और कहेंगे लेकिन तुम ईसा रूहुल्लाह और उसके कलिमे के पास जाओ। तो लोग ईसा (अलै.) के पास आयेंगे, तो वो भी यही कहेंगे, ये मेरा मन्सब नहीं है, लेकिन तुम मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ, जो ऐसा बन्दा है जिसके अगले-पिछले गुनाह माफ़ किये जा चुके हैं।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो वो मेरे पास आयेंगे तो मैं अपने रब से इजाज़त चाहूँगा (ताकि मैं सिफ़ारिश कर सकूँ) तो मुझे इजाज़त दी जायेगी। तो जब मैं उसे (अल्लाह तआला को) देखूँगा, सज्दे में गिर जाऊँगा। तो जब तक वो चाहेगा, मुझे इस हालत में छोड़ेगा। फिर कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाइये! कहिये! आपकी बात सुनी जायेगी माँगिये! आपको दिया जायेगा सिफ़ारिश कीजिये! आपकी क़ुबूल की जायेगी। तो मैं अपना सर उठा लूँगा। अपने रब की ऐसी हम्द बयान करूँगा जो मुझे मेरा रब (उस वक़्त) सिखायेगा। फिर मैं सिफ़ारिश करूँगा, मेरे लिये एक हद मुक़र्रर कर दी जायेगी। मैं (उसी हद के मुताबिक़) लोगों को आग से निकालकर जन्नत में दाख़िल करूँगा। फिर वापस आकर मैं सज्दारेज़ हूँगा। तो अल्लाह तआला जब तक चाहेगा, इस हालत में रहने देगा। फिर कहा जायेगा, अपना सर उठाइये! ऐ मुहम्मद! कहिये, तुम्हारी बात सुनी जायेगी। माँगिये! दिये जाओगे। सिफ़ारिश कीजिये! तुम्हारी सिफ़ारिश

مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ . فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - قَالَ فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ -

فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ " . - قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ .

क़ुबूल की जायेगी। तो मैं अपना सर उठाऊँगा और अपने रब की वो हम्द बयान करूँगा, जो वो मुझे सिखायेगा। फिर मैं सिफ़ारिश करूँगा, तो वो मेरे लिये एक हद मुक़र्रर फ़रमा देगा, मैं उनको दोज़ख़ से निकालूँगा और जन्नत में दाख़िल करूँगा।' हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे याद नहीं आपने तीसरी या चौथी बार फ़रमाया, तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब! आग में सिर्फ़ वही लोग रह गये हैं जिन्हें क़ुरआन ने रोक लिया है। यानी जिनके लिये दोज़ख़ में हमेशगी साबित है।' इब्ने उबैद ने अपनी रिवायत में कहा, क़तादा ने कहा, 'जिसका हमेशा रहना ज़रूरी है।'

(सहीह बुख़ारी : 6565)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यहतम्मून लिज़ालिक : उसके लिये फ़िक्रमन्द होंगे (कि उनकी परेशानी दूर हो)। **(2) युल्हमून लिज़ालिक :** उस परेशानी से बचने की फ़िक्र उनके दिलों में डाली जायेगी। **(3) लस्तु हुनाकुम :** मैं इसका अहल नहीं, ये मेरे मक़ाम व मर्तबे से बुलंद चीज़ है। **(4) ख़लील :** जिसकी मुहब्बत कामिल और आख़िरी दर्जे की हो, जिसमें किसी क़िस्म की कमी व नुक़्स न हो।

फ़वाइद : (1) हज़रत आदम (अलै.) जिस ग़लती का तज़्किरा फ़रमायेंगे वो उस दरख़्त, जिसके क़रीब जाने से रोका गया था उसे भूलकर खाना है और हज़रत नूह (अलै.) जिस ग़ल्ती का इज़ाला करेंगे उससे मुराद अपने बेटे की सिफ़ारिश करना है, जिसकी इजाज़त न थी या इससे मुराद वो दुआ है जो आपने अपनी क़ौम की तबाही व बर्बादी के लिये की थी और एक दुआ थी जिसकी क़ुबूलियत यक़ीनी थी वो आपने कर ली थी और हज़रत इब्राहीम (अलै.) उन तीन का तज़्किरा करेंगे कि मैंने तीन बार तोरिया व तअरीज़ से काम लिया था और हज़रत मूसा (अलै.) क़िब्ती के क़त्ल का तज़्किरा करेंगे और हज़रत ईसा (अलै.) ये बयान करेंगे कि दुनिया में मुझे मेरे मानने वालों ने माबूद बना लिया था, ये महज़ लोगों की तवज्जह हटाने के लिये होंगी। असल बात ये है सिफ़ारिश करना आपके लिये मख़्सूस है इसलिये आपके सिवा कोई रसूल ये काम नहीं करेगा। **(2)** अम्बिया (अलै.) का मक़ाम व मर्तबा सब इंसानों से बुलंद व बाला है इसलिये अल्लाह तआला की इताअत और फ़रमाबरदारी में भी वो सबसे बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ हैं और उनका अमल सबसे बेहतर अन्दाज़ में पाया जाता है। कई बार ग़ैर शऊरी और ग़ैर इरादी तौर पर उनसे ऐसे काम सरज़द हो जाते हैं, जो उनके मक़ामे रफ़ीअ (बुलंद मक़ाम) से फ़रोतर (बहुत नीचे) होते हैं। वो अपने बुलंद मक़ाम की बिना पर उनके इर्तिकाब में भी शर्म व आर महसूस करते हैं। उन्हें अफ़आल

व आमाल की गुनाह या ख़ता से ताबीर किया गया है। आम इंसानों के ऐतबार से उनमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ चीज़ नहीं होती। (3) नूह (अलै.) को अव्वलुर्रुसुल क़रार दिया गया है। क्योंकि नूह (अलै.) से पहले अम्बिया के दौर में लोग फ़ितरते इस्लाम पर क़ायम थे। इसलिये उनकी तरफ़ वह्य उमूरे तक्वीना या उमूरे मआश, ज़राअत और सन्अत व हिरफ़त के बारे में होती थी। नीज़ नूह (अलै.) से पहले बहुत कम लोग कुफ़्र व शिर्क के मुर्तकिब हुए थे। उनकी क़ौम में शिर्क व कुफ़्र आम हो गया। इसलिये उनकी तरफ़ वह्ये रिसालत शुरू हुई और इल्हामे शरइय्या का नुज़ूल हुआ और मुख़ालिफ़ीन को अ़ज़ाब की धमकी दी गई या इसलिये आपको अव्वलुर्रुसुल कहा गया है कि सबसे पहले इन्हीं की क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल हुआ और आप ही सबसे पहले रसूल हैं जिनको उनकी क़ौम ने अज़ियत और तकलीफ़ से दोचार किया। (4) शफ़ाअ़ते कुबरा, जिसके सबब तमाम लोगों का हिसाबो-किताब शुरू होगा, वो आपके साथ मख़्सूस है। इसलिये आपसे पहले कोई नबी व रसूल इसके लिये तैयार नहीं होगा और जवाब देगा कि ये मेरा मन्सब नहीं है या मैं इसका अहल नहीं हूँ और आख़िरकार तमाम लोग आपकी ख़िदमत में हाज़िर होंगे और आप इसके लिये तैयार हो जायेंगे और आप इसके लिये अल्लाह तआ़ला से इजाज़त तलब करेंगे। इजाज़त मिलने के बाद आपकी सिफ़ारिश से तमाम इंसानों का हिसाबो-किताब शुरू होगा और आपकी बरतरी व फ़ज़ीलत का तमाम इंसानों के सामने ज़ुहूर होगा। (5) शफ़ाअ़ते कुबरा के बाद आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों के बारे में सिफ़ारिश फ़रमायेंगे और इस सिफ़ारिश की अलग-अलग सूरतें होंगी। जहन्नम से निकालने के लिये आप चार बार सिफ़ारिश फ़रमायेंगे। उसके बाद सिर्फ़ वो गुनाहगार रह जायेंगे जिनको सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला का रहम व करम ही निकाल सकेगा या वो लोग होंगे जिन्होंने अपने कुफ़्र व शिर्क की बिना पर हमेशा के लिये जहन्नम में रहना है।

(476) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन मोमिन जमा होंगे और उस (परेशानी से बचने की) फ़िक्र करेंगे या उन्हें उस फ़िक्र का इल्हाम होगा।' जैसाकि ऊपर अबू अवाना की हदीस़ गुज़री है और उस हदीस़ में है, 'फिर मैं चौथी बार अल्लाह तआ़ला की खिदमत में हाज़िर हूँगा, या चौथी बार लौटूँगा और कहूँगा, ऐ मेरे रब! सिर्फ़ वही लोग रह गये हैं जिन्हें क़ुरआन ने रोके रखा है।'

(सहीह बुख़ारी : 4476, इब्ने माजह : 4312)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ بِذَلِكَ أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ - أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ - فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ " .

फ़ायदा : कुफ़्र व शिर्क ऐसा शदीद जुर्म है कि काफ़िर व मुश्रिक किसी की सिफ़ारिश से भी जहन्नम से निकल नहीं सकेंगे।

(477) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन अल्लाह तआला मोमिनों को जमा करेगा, फिर उस दिन की परेशानी से बचने के लिये इल्हाम होगा।' ये हदीस (हिशाम की) भी उन दोनों (अबू अवाना और सईद) की हदीस की तरह है। चौथी के बारे में ये बताया, 'तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब! आग में सिर्फ़ वही लोग रह गये हैं जिन्हें क़ुरआन के फ़ैसले के मुताबिक़ रोक लिया गया है यानी जिनके लिये हमेशगी साबित है।'

(सहीह बुख़ारी : 7410, 7450, 7516)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ " بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ " فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ " .

(478) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में जौ के दाने के बराबर ख़ैर होगी, उसको दोज़ख़ से निकाला जायेगा। फिर आग से उसको निकाला जायेगा, जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गन्दुम के दाना बराबर ख़ैर होगी। फिर आग से वो निकाला जायेगा जिसने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर नेकी होगी। इब्ने मिन्हाल ने अपनी रिवायत में यज़ीद से ये इज़ाफ़ा किया कि मैं शोबा को मिला और उसे ये हदीस सुनाई तो शोबा ने कहा, हमें यही हदीस क़तादा ने हज़रत अनस बिन मालिक

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ، صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا

(रज़ि.) के वास्ते नबी (ﷺ) से सुनाई। मगर शोबा ने ज़र्रतुन की जगह ज़ुरतुन कहा, यज़ीद ने कहा, इस लफ़्ज़ में अबू बिस्ताम (शोबा) ने तस्हीफ़ की है।

(सहीह बुख़ारी : 7410, तिर्मिज़ी : 2593, इब्ने माजह : 4312)

يَزِنُ ذَرَّةً " . زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَدِيثِ . إِلاَّ أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً قَالَ يَزِيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : ज़िर्रतुन : ज़ाल पर ज़ेर है और रा पर तश्दीद है। मानी है सूरज की किरणों में नज़र आने वाला ज़र्रा या छोटी चींटी। अगर ज़ाल पर पेश हो और रा मुख़फ़्फ़फ़ हो जैसाकि शोबा की रिवायत है तो मानी होगा : चना, जौ, जवार, बाजरे की तरह एक छोटा सा दाना।

(479) मअबद बिन हिलाल अ़म्बरी बयान करते हैं कि हम लोग अनस बिन मालिक (रज़ि.) के पास गये और सिफ़ारिश के लिये स़ाबित को साथ लिया। तो हम उनके पास उस वक़्त पहुँचे जब वो चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। स़ाबित ने हमें इजाज़त ले कर दी, तो हम अंदर उनके पास गये। उन्होंने स़ाबित को अपने साथ अपनी चारपाई पर बिठा लिया तो स़ाबित ने उनसे अ़र्ज़ किया, ऐ अबू हम्ज़ह! आपके बसरी भाई आपसे दरख़्वास्त करते हैं कि आप उन्हें शफ़ाअ़त के बारे में हदीस़ सुनायें। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, हमें मुहम्मद (ﷺ) ने बताया, 'जब क़यामत का दिन होगा (घबराहट की बिना पर) लोग एक-दूसरे में घुसेंगे। (सोच-विचार के बाद) पहले आदम (अ़लै.) के पास आयेंगे और उनसे अ़र्ज़ करेंगे, अपनी औलाद के हक़ में सिफ़ारिश कीजिये (कि वो मैदाने मह्शर की मुसीबतों से निजात पायें हिसाबो-किताब शुरू हो) तो वो जवाब देंगे, मैं इसका हक़दार नहीं। लेकिन तुम इब्राहीम (अ़लै.) के पास जाओ। क्योंकि वो ख़लील हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيُّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيُّ، قَالَ انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ . قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ اشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ . فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ . فَيُؤْتَى مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ . فَيُؤْتَى عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا . فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ الآنَ يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا . فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا

तो लोग इब्राहीम (अलै.) के पास जायेंगे। तो वो जवाब देंगे, ये मेरा हक़ नहीं है। लेकिन तुम मूसा (अलै.) के पास जाओ, क्योंकि उन्हें अल्लाह तआला से हमकलामी का शर्फ़ हासिल है। तो मूसा (अलै.) के पास जाया जायेगा। तो वो फ़रमायेंगे, ये मेरा मन्सब नहीं है। लेकिन तुम ईसा (अलै.) के पास जाओ क्योंकि वो रूहुल्लाह और उसका कलिमा हैं। तो ईसा (अलै.) के पास जाया जायेगा। तो वो फ़रमायेंगे, ये मेरा मक़ाम नहीं है लेकिन तुम मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ। तो मेरे पास आया जायेगा। तो मैं जवाब दूँगा, ये मेरा मन्सब है (मैं इसका अहल हूँ) मैं चलूँगा और अपने रब से इजाज़त तलब करूँगा। तो मुझे इजाज़त मिल जायेगी। तो मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँगा और उसकी ऐसी ख़ूबियों से तारीफ़ करूँगा, जिनके बयान की अब मुझमें कुदरत नही है। अल्लाह तआला उनका मुझे इल्हाम करेगा। फिर मैं उसके हुज़ूर सज्दारेज़ हो जाऊँगा। तो मुझे कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाओ! कहो, तेरी बात सुनी जायेगी। माँगो! दिये जाओगे। सिफ़ारिश करो! तुम्हारी सिफ़ारिश क़ुबूल की जायेगी। तो मैं अर्ज़ करूँगा, मेरे रब! मेरी उम्मत! मेरी उम्मत! तो कहा जायेगा, जाओ! जिसके दिल में गन्दुम या जौ के दाने के बराबर ईमान है तो उसे निकाल लाओ। मैं जाऊँगा और ये काम करूँगा। फिर अपने रब की तरफ़ लौटूँगा और उन्हीं तारीफ़ात व ख़ूबियों से उसकी हम्द बयान करूँगा। फिर उसके हुज़ूर सज्दे में गिर जाऊँगा। तो मुझे कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाओ! कहो, तेरी बात सुनी जायेगी। माँगो!

فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا . فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ " . هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ - قَالَ - فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيهِ .

दिये जाओगे। सिफ़ारिश करो! तुम्हारी सिफ़ारिश क़ुबूल होगी। तो मैं अ़र्ज़ करूँगा, मेरी उम्मत! मेरी उम्मत! तो मुझे कहा जायेगा, जाइये! जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, निकाल लाइये। तो मैं जाऊँगा और ये काम करूँगा। फिर अपने रब की तरफ़ लौट जाऊँगा। तो मुझे कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाइये! कहिये, तेरी बात सुनी जायेगी। माँगिये! तुम्हें मिलेगा। सिफ़ारिश कीजिये! आपकी सिफ़ारिश क़ुबूल होगी। तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत! मेरी उम्मत! तो मुझे कहा जायेगा, चलिये! जिसके दिल में राई के दाने से कम बहुत ही कम ईमान हो उसे आग से निकाल लाइये। तो मैं जाऊँगा और ये काम करूँगा।' ये हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत है जो उन्होंने हमें सुनाई तो हम उनके यहाँ से निकल आये। जब हम सहरा में आये तो हमने कहा, ऐ काश! कि हम हसन बसरी (रह.) का रुख़ करें और उन्हें सलाम करते जायें और वो (हज्जाज बिन यूसुफ़ के डर से) अबू ख़लीफ़ा के घर में छिपे हुए थे। हम उनके पास पहुँचे। उन्हें सलाम अ़र्ज़ किया और हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अबू सईद! (हसन बसरी की कुन्नियत है) हम आपके भाई अबू हम्ज़ह (हज़रत अनस रज़ि. की कुन्नियत है) के पास से आ रहे हैं, उन्होंने हमें शफ़ाअ़त के बारे में जो हदीस़ सुनाई है उस जैसी हदीस़ हमने नहीं सुनी। हसन बसरी (रह.) ने कहा, सुनाइये! हमने उसे हदीस़ सुनाई तो उसने कहा, आगे बयान कीजिये। हमने कहा, इससे ज़्यादा उन्होंने हमें नहीं सुनाई। हसन बसरी (रह.) ने कहा, उन्होंने हमें ये हदीस़ बीस बरस पहले

فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ . فَقَالَ هِيهِ . قُلْنَا مَا زَادَنَا . قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا أَدْرِي أَنَسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوا . قُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا . فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ " ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ - وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ .

सुनाई थी, जबकि वो उस वक़्त भरपूर जवान थे (उनके क़ुवा मज़बूत थे) उन्होंने कुछ छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता, उस्ताद साहब भूल गये हैं या उन्होंने तुम्हें पूरी हदीस़ सुनाना पसंद नहीं किया कि कहीं तुम उस पर भरोसा न कर लो (और नेक आमाल करना छोड़ दो) हमने अ़र्ज़ किया, आप हमें सुना दें। तो वो हँस पड़े और कहा, इंसान जल्दबाज़ पैदा हुआ है। मैंने तुम्हारे सामने उसका तज़्किरा इसलिये किया है कि मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। आपने फ़रमाया, 'फिर मैं अपने रब अ़ज़्ज़ व जल्ल की ख़िदमत में चौथी बार हाज़िर हूँगा। उन्हीं तारीफ़ात से उसकी तारीफ़ करूँगा। फिर उसके सामने सज्दारेज़ हो जाऊँगा। तो मुझे कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाओ और कहो, तुम्हारी बात सुनी जायेगी। माँगो! तुम्हें मिलेगा। सिफ़ारिश करो आपकी सिफ़ारिश क़ुबूल होगी। तो मैं अ़र्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! मुझे उनके बारे में इजाज़त दीजिये जिन्होंने सिर्फ़ ला इला-ह इल्लल्लाह कहा। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा, ये आपका मक़ाम नहीं है (या आप इसके हक़दार नहीं) लेकिन मेरी इ़ज़्ज़त, किब्रियाई, मेरी अ़ज़मत और मेरी क़ुव्वत व जबरूत की क़सम! मैं उनको निकाल कर रहूँगा, जिन्होंने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा है।' रावी का बयान है मैं हसन बसरी (रह.) के बारे में गवाही देता हूँ उसने हमें बताया कि उसने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से ये रिवायत सुनी है। मेरा ख़याल है, उसने कहा, बीस साल पहले जबकि उनके क़ुवा मुज्तमअ़ थे।

(सहीह बुख़ारी : 7510)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जब्बान : सहरा व जंगल या क़ब्रिस्तान। **(2) ज़हरे जब्बान :** जियान के ऊपर, उसकी बुलंदी पर। **(3) हियही :** अपनी बात जारी रखिये और सुनाइये। **(4) जमीअ :** क़ुव्वते हिफ़्ज़ मुज्तमअ थे, यानी बुढ़ापे की बिना पर क़ुवा कमज़ोर नहीं हुए थे। **(5) व किब्रियाई :** मेरी बड़ाई की क़सम। **(6) जिब्रियाइ :** मेरी क़ुव्वत व ग़ल्बे की क़सम।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ إِلاَّ مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ

(480) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गोश्त लाया गया और आपको दस्ती का गोश्त पेश किया गया। क्योंकि आपको दस्ती मरग़ूब (पसंद) थी। आपने उससे दाँतों से एक बार गोश्त काटा और फ़रमाया, 'क़यामत के दिन मैं तमाम इंसानों का सरदार हूँगा और क्या तुम जानते हो, ये कैसे होगा? अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल क़यामत के दिन तमाम पहलों और पिछलों को एक खुले हमवार मैदान में जमा करेगा। मुनादी की आवाज़ सबको सुनाई देगी और देखने वाले की नज़र सब पर पड़ेगी। आफ़ताब क़रीब हो जायेगा और लोगों को इस क़द्र ग़म और मुसीबत पहुँचेगी जो उनके लिये नाक़ाबिले बर्दाश्त होगी। जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो लोग एक-दूसरे को कहेंगे, क्या तुम देख नहीं रहे हो, तुम किस हालत में हो? क्या तुम देख नहीं रहे, तुम्हें किस क़द्र परेशानी उठानी पड़ रही है? क्या तुम किसी को तलाश नहीं करोगे? जो तुम्हारे रब के हुज़ूर तुम्हारी सिफ़ारिश करे? तो लोग एक-दूसरे को कहेंगे, आदम (अ़लै.) के पास चलो। फिर वो आदम (अ़लै.) की ख़िदमत में हाज़िर होंगे और अ़र्ज़ करेंगे, ऐ आदम! आप तमाम इंसानों के बाप हैं, अल्लाह तआ़ला ने आपको अपने दस्ते मुबारक से बनाया और आपमें अपनी ख़ुसूसी

بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ ائْتُوا آدَمَ . فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ

रूह फूंकी। फ़रिश्तों को हुक्म दिया, तो वो आपके सामने झुक गये, आप अपने रब के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश फ़रमायें, क्या आप देख नहीं रहे हैं हम किस क़द्र परेशान हैं? आप देख नहीं रहे हमें किस क़द्र मुसीबत पहुँच चुकी है? तो आदम (अलै.) जवाब देंगे, यक़ीनन मेरा रब आज इस क़द्र नाराज़ है कि इससे पहले कभी इस क़द्र नाराज़ नहीं हुआ और न इसके बाद इस क़द्र नाराज़ होगा। वाक़िया ये है उसने मुझे दरख़्त से रोका था लेकिन मैंने उसकी नाफ़रमानी की। आज मुझे तो अपनी ही फ़िक्र है, तुम मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। नूह (अलै.) के पास जाओ। तो लोग नूह (अलै.) की ख़िदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ऐ नूह! आप ज़मीन वालों की तरफ़ सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह तआला ने आपको शुक्रगुज़ार बन्दे का नाम दिया है। आप अपने रब के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश फ़रमायें, क्या आप देख नहीं रहे हैं हम किस क़द्र परेशानी में हैं? क्या आप देख नहीं रहे हमें किस क़द्र मुसीबत पहुँच चुकी है? तो वो उन्हें जवाब देंगे, आज मेरा रब इस क़द्र गुस्से में है कि इतना कभी इससे पहले गुस्से में नहीं आया, न ही इसके बाद कभी इस क़द्र गुस्से में आयेगा। सूरते हाल ये है मुझे एक दुआ करने का हक़ हासिल था, वो मैंने अपनी क़ौम के ख़िलाफ़ कर ली। आज मुझे अपनी फ़िक्र दामनगीर है। इब्राहीम (अलै.) के पास जाओ। तो लोग इब्राहीम (अलै.) के पास आयेंगे और अर्ज़ गुज़ार होंगे, आप अल्लाह के नबी और अहले ज़मीन में से उसके ख़लील हैं। हमारे लिये अपने रब के हुज़ूर

सिफ़ारिश फ़रमायें, क्या आप हमारी हालत देख नहीं रहे हैं? क्या हम जिस क़द्र तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही? तो इब्राहीम (अलै.) उन्हें कहेंगे, मेरा रब आज इस क़द्र ग़ज़बनाक है कि इस क़द्र इससे पहले ग़ज़बनाक नहीं हुआ और न आइन्दा होगा और अपने तोरियों का तज़्किरा करेंगे मुझे तो अपनी ही फ़िक्र दामनगीर है। मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, मूसा (अलै.) के पास जाओ। तो लोग मूसा (अलै.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे, ऐ मूसा! आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तआला ने आपको अपने पैग़ामात और हमकलामी की लोगों पर फ़ज़ीलत बख़्शी है। हमारी ख़ातिर, अल्लाह के हुज़ूर सिफ़ारिश कीजिये। क्या आप हमारी बेबसी को नहीं देख रहे? क्या हम जिस क़द्र तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आप उसका मुलाहिज़ा नहीं कर रहे? तो मूसा (अलै.) उनको कहेंगे, मेरा रब आज इस क़द्र गुस्से में है कि इससे पहले इस क़द्र ग़ज़बनाक नहीं हुआ और न ही इसके बाद इस क़द्र नाराज़ होगा और मैं एक जान को क़त्ल कर चुका हूँ जिसके क़त्ल की मुझे इजाज़त न थी। मुझे तो अपनी ही फ़िक्र लाहिक़ है, ईसा (अलै.) के पास चले जाओ। लोग ईसा (अलै.) के पास आकर अर्ज़ करेंगे, ऐ ईसा! आप अल्लाह के रसूल हैं और आपने लोगों से पंघोड़े (पालने) में बातचीत की, आप अल्लाह का कलिमा हैं, जिसका उसने मरयम (अलै.) की तरफ़ इल्क़ा किया और उसकी रूह हैं। इसलिये अपने रब के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश फ़रमायें, क्या आप हमारी

الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى . فَيَأْتُونَ مُوسَى صلى اللهِ عليه وسلم فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى صلى الله عليه وسلم . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ

हालत को नहीं देख रहे? क्या आप नहीं देख रहे, हम किस क़द्र मुसीबतों में मुब्तला हैं? तो ईसा (अलै.) उन्हें जवाब देंगे, मेरा रब आज इस क़द्र गुस्से में है कि इससे पहले कभी इस क़द्र गुस्सा नहीं हुआ, न इसके बाद इस क़द्र गुस्सा होगा, अपनी किसी ख़ता का ज़िक्र नहीं करेंगे, मुझे अपनी ही फ़िक्र है, मेरे सिवा किसी के पास जाओ, मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ। तो लोग मेरे पास आकर कहेंगे, ऐ मुहम्मद! आप अल्लाह के रसूल और आख़िरी नबी हैं और अल्लाह तआला ने आपके अगले-पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये हैं। अपने रब के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश फ़रमायें। क्या आप हमारी हालत नहीं देख रहे? क्या आप देख नहीं रहे हम किस क़द्र तकलीफ़ में मुब्तला हैं? तो मैं चलूँगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब के हुज़ूर सज्दे में गिर जाऊँगा। फिर अल्लाह तआला मुझ पर अपने महामिद और बेहतरीन सना का इज़हार फ़रमायेगा और मेरे दिल में डालेगा, मुझसे पहले किसी को उनसे आगाह नहीं किया, फिर कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद सर उठा! माँग तुम्हें मिलेगा। सिफ़ारिश कर! तेरी सिफ़ारिश क़ुबूल होगी। तो मैं सर उठाकर अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत, मेरी उम्मत (यानी मेरी उम्मत को बख़्श दे) तो कहा जायेगा, ऐ मुहम्मद! अपनी उम्मत के उन लोगों को जिनका हिसाबो-किताब नहीं, जन्नत के दरवाज़ों में से दायें दरवाज़े से दाख़िल कीजिये, और वो जन्नत के बाक़ी दरवाज़ों में लोगों के साथ शरीक हैं। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है! जन्नत के

فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ وَالَّذِي

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى " .

दरवाज़ों के दरम्यान इतना फ़ासला है जितना फ़ासला मक्का और हजर या मक्का और बसरा के दरम्यान है।'

(सहीह बुख़ारी : 3361, 3340, 4712, तिर्मिज़ी : 2434, 1837, इब्ने माजह : 3307)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नहस : दाँत का काटना। **(2) सईद :** खुली और हमवार ज़मीन। **(3) यन्फ़ुज़ुहुमुल बसर:** नज़र तमाम इंसानों का अहाता करेगी, देखने वाले से कोई ओझल नहीं होगा। **(4) मसारीअ़ :** मिस्राअ़ की जमा है दरवाज़े के पट। हजर और बसरा : दो क़दीम मअ़रूफ़ शहर हैं जिनके दरम्यान काफ़ी मसाफ़त है।

फ़वाइद : (1) सय्यद उस शख़्सियत को कहते हैं, जो सबसे बरतर और फ़ाइक़ हो और घबराहट व परेशानी में लोग उसकी पनाह में आयें। क़यामत को तमाम इंसान, आदम (अलै.) से लेकर आख़िरी फ़र्द तक आपके झण्डे तले होंगे और आपसे सिफ़ारिश के तलबगार होंगे, इसलिये आपने तहदीसे नेमत के तौर पर फ़रमाया कि मैं क़यामत को तमाम इंसानों का सरदार हूँगा। **(2)** आपने दुनिया में इस बात का इज़हार फ़रमाया है कि शफ़ाअ़ते कुबरा का अहल मैं हूँ और कोई रसूल इस काम के लिये आमादा न होगा। क़यामत के दिन आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ लोग तदरीजन आपके पास पहुँचेंगे, आपकी उम्मत का कोई फ़र्द भी ये मशवरा न दे सकेगा कि सिफ़ारिश तो आख़िरी रसूल की क़ुबूल होनी है, चलो उसके पास चलें, ताकि अमलन आपकी फ़ज़ीलत व बरतरी का सब इंसानों के सामने ज़ुहूर हो सके। **(3)** अम्बिया (अलै.) के बयान करदा उ़ज़्र माफ़ हो चुके हैं, क्योंकि उनमें से किसी से क़ुसूर व कोताही शऊरी तौर पर सरज़द नहीं हुई होगी, इसके बावजूद उन्होंने तौबा व इस्तिग़फ़ार का विर्द जारी रखा। लेकिन क़यामत की दहशत और हौलनाकी की बिना पर वो उन माफ़शुदा बातों को याद करके सिफ़ारिश करने से मअ़ज़रत का इज़हार फ़रमायेंगे। **(4)** अल्लाह तआ़ला सिफ़ते ग़ज़ब से मुत्तसिफ़ है। लेकिन उसकी कैफ़ियत को बयान करना मुम्किन नहीं है। इसलिये किसी क़िस्म की तावील व तअ़तील की ज़रूरत नहीं है। **(5)** इस हदीस़ में हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने तीन कज़बात बोलने की बिना पर सिफ़ारिश से मअ़ज़रत का इज़हार फ़रमाया है। अरबी ज़बान में अ़ल्लामा अम्बारी के बक़ौल (किज़्ब) का लफ़्ज़ पाँच मआ़नी के लिये इस्तेमाल होता है। अ़ल्लामा अम्बारी ने मिसालें भी दी हैं। तफ़्सील के लिये देखिये, ताजुल उ़रूस : 1/449 (1) झूठ (2) चूक जाना (3) आरज़ू और उम्मीद का ख़ाक में मिलना (4) किसी को धोखे में रखना (5) तोरिया व तअ़रीज़ से काम लेना। यानी ऐसा क़ौल जो बज़ाहिर ख़िलाफ़े वाक़िया नज़र आता है लेकिन अगर ग़ौर व फ़िक्र से काम लिया जाये तो वो बिल्कुल

वाक़िये के मुताबिक़ होता है। जिन वाक़ियात को हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने कज़बात से ताबीर किया है तो उनमें तीनों अक़्वाल बज़ाहिर ख़िलाफ़े वाक़िया नज़र आते हैं। लेकिन अगर ग़ौर किया जाये तो वो तीनों अक़्वाल बिल्कुल वाक़िये के मुताबिक़ हैं। ये हज़रत इब्राहीम (अलै.) की शान की रिफ़अत व बुलंदी है कि उन्होंने तोरिया व तअरीज़ को भी जो बिल्कुल जाइज़ और दुरुस्त है, अपनी शाने रफ़ीअ से फ़रोतर समझा और उनको किज़्ब (झूठ) से ताबीर किया। (6) अहादीसे सहीहा में शफ़ाअते कुबरा जो तमाम इंसानों के हिसाबो-किताब शुरू करने के लिये होगी, का तज़्किरा मौजूद नहीं है बल्कि आपकी उम्मत के गुनाहगारों की सिफ़ारिश का ज़िक्र है। इसकी वजह ये है कि सिफ़ारिशे कुबरा का इस्लाम का नामलेवा फ़िर्क़ों में से कोई फ़िर्क़ा मुन्किर नहीं है। जबकि गुनाहगारों की सिफ़ारिश का ख़्वारिज और मुअतज़िला वग़ैरह ने इंकार किया है। इसलिये गुनाहगारों की सिफ़ारिश के लिये अहादीस के बयान पर ज़ोर दिया गया और मुत्तफ़क़ा सिफ़ारिश के तज़्किरे को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونَهُ قَالَ " أَلاَ تَقُولُونَ كَيْفَهْ " . قَالُوا كَيْفَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَذَكَرَ

(481) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के आगे सरीद और गोश्त का प्याला रखा गया। आपने दस्ती को उठा लिया और आपको बकरी के गोश्त से सबसे ज़्यादा यही हिस्सा पसंद था। आपने इससे एक बार दाँतों से नोचा और फ़रमाया, 'मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार हूँगा।' फिर दोबारा गोश्त नोचा और फ़रमाया, 'मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार हूँगा।' जब आपने देखा आपके साथी इसका सबब नहीं पूछ रहे, तो आपने फ़रमाया, 'तुम क्यों नहीं पूछते, ये क्यों होगा?' उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसका सबब क्या होगा? आपने फ़रमाया, 'लोग अल्लाह तआला के सामने खड़े होंगे।' इमारह ने भी हदीस मज़्कूरा बाला सनद से अबू हय्यान की अबू ज़रआ की हदीस की तरह बयान की और इब्राहीम (अलै.) के वाक़िये में ये इज़ाफ़ा किया कि इब्राहीम

(अलै.) ने कहा, 'मैंने कवाकिब (सितारों) के बारे में कहा, हाज़ा रब्बी (ये मेरा रब है)' और उनके माबूदों के बारे में कहा, बल्कि ये काम उनके बड़े ने किया है और कहा, मैं बीमार हूँ। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है उसकी क़सम! जन्नत के दरवाज़ों के दोनों पट्टों का फ़ासला चोखट तक उतना है जितना मक्का और हजर के दरम्यान या हजर और मक्का के दरम्यान का फ़ासला।' मुझे याद नहीं आपने पहले किस शहर का नाम लिया।

قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ هَذَا رَبِّي . وَقَوْلَهُ لآلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا . وَقَوْلَهُ إِنِّي سَقِيمٌ . قَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتَىِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ هَجَرٍ وَمَكَّةَ " . قَالَ لاَ أَدْرِي أَىَّ ذَلِكَ قَالَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : इज़ादतइल बाब : दरवाज़े की चोखट, अतराफ़, जवानिब की लकड़ियाँ।

फ़वाइद : (1) हज़रत इब्राहीम (अलै.) का सितारों, चाँद और सूरज को हाज़ा रब्बी कहना या तो इस्तिफ़्हामे इंकारी के लहजे में था कि क्या ये ग़ुरूब होने वाले मेरा रब हो सकते हैं? या बतौरे इस्तिहज़ा व तब्कियत के तुम्हारे अक़ीदे और नज़रिये के मुताबिक़ ये मेरा रब है, जिस तरह क़ुरआन मजीद में 'चख तू ही है, बड़ा इज़्ज़त वाला, शरीफ़।' यानी तू अपने आपको बड़ा इज़्ज़त वाला सरदार समझता था या क़ुरआन मजीद माबूदाने बातिला को उनके मानने वालों के नज़रिये के मुताबिक़ आलिहा (माबूद) का नाम देता है या इस्तिदराज के लिये हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको ऐसी गिरफ़्त में लिया जाये कि उससे निकल न सकें और ऐतराफ़े हक़ीक़त के बग़ैर उनके पास कोई चारह ना रहे। जैसाकि सूरह अम्बिया में उनका ऐतराफ़ मौजूद है, 'तो वो अपने दिलों की तरफ़ लौटे और कहने लगे, आगे यक़ीनन तुम ख़ुद ही ज़ालिम हो।' **(2)** बुतों के पाश-पाश के बारे में कहा, बल्कि उनके बड़े ने किया है। इसमें दरहक़ीकत जिस चीज़ की बज़ाहिर नफ़ी की है, उसका इस्बात मक़सूद है। जैसाकि इंसान ख़ुश नवेस है, वो एक बहुत ख़ूबसूरत इश्तिहार लिखता है, उसका एक जाहिल दोस्त पूछता है क्या ये इश्तिहार तूने लिखा है? तो वो आगे से जवाब देता है, नहीं जनाब ये तो आपने लिखा है। हज़रत इब्राहीम (अलै.) का मक़सूद था कि ये तो तुम्हें मालूम ही है, ये काम ये बुत नहीं कर सकते और जिसने उनको पाश-पाश किया है उसकी निशानदेही नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारे माबूद कैसे बन गये? **(3)** आपने अपनी क़ौम के त्यौहार में शिरकत से बचने और उनकी ग़ैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाने के लिये फ़रमाया, **'मैं बीमार हूँ।'** (सूरह साफ़्फ़ात) सक़िम मिज़ाज के ऐतदाल से हट जाने को कहते हैं। आप क़ौम की बुतपरस्ती की वजह से फ़िक्रमन्द और परेशान थे, इसको सक़िम से ताबीर किया गया या ये कि मक़सद था कि मैं

तुम्हारे साथ चला गया तो तुम्हारी हरकाते क़बीहा को देखकर बीमार हो जाऊँगा। जैसाकि कुरआन मजीद में है, **'तुम्हें भी मरना है और उन्हें भी मरना है।'** (सूरह ज़ुमर : 30) ये मतलब तो नहीं है तुम और वो अब मरे हुए हैं। इसलिये आपने तोरिया व तअ़रीज़ से काम लिया और लोगों ने समझा आप फ़िल्हाल बीमार हैं। (जिस्मानी और ज़ाहिरी ऐतबार से)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ - قَالَ - فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ . فَيَقُولُ عِيسَى صلى الله عليه وسلم لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ . فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلى الله

(482) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तबारक व तआ़ला लोगों को जमा करेगा। तो मोमिन खड़े होंगे यहाँ तक कि जन्नत उनके क़रीब कर दी जायेगी और वो आदम (अ़लै.) के पास आकर अ़र्ज़ करेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान! हमारे लिये जन्नत का दरवाज़ा खुलवाइये! तो वो जवाब देंगे, जन्नत से तुम्हारे निकालने का सबब तुम्हारे बाप आदम की ख़ता ही नहीं है? ये काम करने वाला मैं नहीं हूँ। मेरे बेटे इब्राहीम ख़लीलुल्लाह के पास जाओ।' आपने फ़रमाया, इब्राहीम (अ़लै.) भी फ़रमायेंगे, ये काम करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो ख़लील पीछे-पीछे था। मूसा (अ़लै.) का रुख़ करो जिनसे अल्लाह तआ़ला ने हक़ीक़तन बातचीत की। तो लोग मूसा (अ़लै.) के पास आयेंगे, तो वो जवाब देंगे, ये मेरा मन्सब नहीं है। अल्लाह तआ़ला की रूह और उसके कलिमे ईसा (अ़लै.) के पास जाओ। तो ईसा (अ़लै.) फ़रमायेंगे, ये मेरा मक़ाम नहीं है। तो लोग मुहम्मद (ﷺ) के पास आयेंगे, आप खड़े होंगे और आपको (सिफ़ारिश की) इजाज़त मिल जायेगी, अमानत और रिश्तेदारी को भेज दिया जायेगा। वो पुल के दायें और बायें खड़े हो जायेंगे। तुममें से पहला शख़्स बिजली की तेज़ी

عليه وسلم فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَىِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالاً فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ " . قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا - قَالَ - وَفِي حَافَتَىِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ " . وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا .

से गुज़र जायेगा। तो मैंने पूछा, आप पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान, बिजली के गुज़रने की तरह कौनसी चीज़ है? आपने फ़रमाया, 'तुमने कभी बिजली की तरफ़ नहीं देखा, किस तरह पलक झपकने की तरह गुज़रती और लौटती है? फिर हवा के गुज़रने की तरह (तेज़ी से) फिर जिस तरह परिन्दा गुज़रता है और आदमी दौड़ते हैं, उनके आमाल उनको दौड़ायेंगे (अपने-अपने अमलों के मुवाफ़िक़ तेज़ी से गुज़रेंगे) और तुम्हारा नबी पुल सिरात पर खड़ा होकर कह रहा होगा, ऐ मेरे रब! बचा, बचा। यहाँ तक कि बन्दों के आमाल आजिज़ आ जायेंगे यहाँ तक कि एक आदमी आयेगा, वो घिसट कर ही चल सकेगा।' आपने फ़रमाया, 'पुल सिरात के दोनों किनारों पर लौहे के आँकड़े लटक रहे होंगे, जिनके बारे में हुक्म होगा, उनको पकड़ेंगे तो कुछ ज़ख़्मी होकर निजात पा जायेंगे और कुछ को धक्के से आग में फेंक दिया जायेगा।' और उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में अबू हुरैरह की जान है! जहन्नम की गहराई सत्तर साल की मसाफ़त के बराबर है।

फ़वाइद : (1) जिस तरह सिफ़ारिशे कुबरा आपका मन्सब है, उसी तरह जन्नत का दरवाज़ा भी आपकी सिफ़ारिश से खुलेगा। **(2)** हर काम-काज और बातचीत में अमानत व दयानत, रास्तबाज़ी और सिलारहमी, यानी रिश्तेदारों का ख़्याल व लिहाज़ रखना, दो ऐसे अहम काम हैं जिनका हर मुसलमान को हमेशा एहतिमाम करना चाहिये। **(3)** जहन्नम की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर आदमी ऊपर से छोड़ दिया जाये तो सत्तर बरस गुज़रने के बाद नीचे पहुँचेगा। **(4)** आदम (अलै.) ने जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने से मअज़रत के लिये एक ऐसी ख़ता का तज़्किरा किया जिसकी माफ़ी उन्हें जन्नत में ही मिल गई थी और जन्नत से दुनिया में आदम की आमद ख़िलाफ़ते अरज़ी के लिये थी। जिसकी ख़ातिर उनकी तख़्लीक़ हुई थी जैसाकि क़ुरआन मजीद में इरशाद है, **'मैं ज़मीन में एक ख़लीफ़ा मुक़र्रर करने वाला हूँ।'** (सूरह बक़रा : 30)

बाब 85 : नबी (ﷺ) का फ़रमान है, 'मैं सबसे पहले जन्नत के बारे में सिफ़ारिश करूँगा और सब अम्बिया से मेरे पैरोकार ज़्यादा होंगे।'

باب فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا»

(483) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं लोगों में सबसे पहला शख़्स हूँ जो जन्नत की (दाख़िले के बारे में) सिफ़ारिश करूँगा और तमाम अम्बिया (अलै.) से मेरे पैरोकार ज़्यादा होंगे।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا " .

(484) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन सब अम्बिया से मेरे पैरोकार ज़्यादा होंगे और मैं पहला शख़्स हूँगा जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटायेगा।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ " .

(485) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं जन्नत के दाख़िले के लिये सबसे पहले सिफ़ारिश करूँगा, किसी नबी को इस क़द्र लोगों ने नहीं माना जिस क़द्र लोगों ने मेरी तस्दीक़ की। कुछ नबी तो ऐसे होंगे कि उसकी उम्मते (दावत) में से एक शख़्स ने ही उसकी तस्दीक़ की होगी।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ " .

(486) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा खुलवाउँगा, जन्नत का दरबार पूछेगा, आप कौन हैं? तो मैं जवाब दूँगा, मैं मुहम्मद हूँ। वो कहेगा, मुझे आपके बारे में ही हुक्म मिला था कि आपसे पहले किसी के लिये दरवाज़ा न खोलूँ।'

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ . فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ " .

बाब 86 : नबी (ﷺ) का, दुआ को अपनी उम्मत की सिफ़ारिश के लिये महफ़ूज़ (सुरक्षित) रखना

باب اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لأُمَّتِهِ

(487) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी की एक दुआ है (जिसे अल्लाह तआला यक़ीनी तौर पर क़ुबूल फ़रमायेगा) जिसे वो करता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिये महफ़ूज़ रखूँ।'

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने हर नबी को ये हक़ दिया है कि उसकी एक दुआ ज़रूर क़ुबूल फ़रमायेगा और बाक़ी दुआयें उनके क़ुबूल होने की उम्मीद होती है लेकिन कुछ क़ुबूल होती है और कुछ ज़ाहिरी तौर पर क़ुबूल नहीं होतीं। नबी (ﷺ) अपनी उम्मत के लिये इस क़द्र शफ़ीक़ व मेरहबान हैं कि आपने वो दुआ इस जहाने फ़ानी, दुनिया में नहीं की बल्कि आख़िरत में जबकि हर एक-दूसरे से भाग रहा होगा, ऐसी अफ़रा-तफ़री के आलम में उम्मत की निजात की सिफ़ारिश की ख़ातिर वो दुआ फ़रमायेंगे, तो फिर उम्मत के लिये किस क़द्र अफ़सोसनाक मक़ाम है, वो ऐसे रहीम व करीम नबी की इताअत व फ़रमाबरदारी से बेरुख़ी और ऐराज़ का रवैया इख़्तियार करे।

(488) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी को एक दुआ का हक़ हासिल है और मैंने इरादा किया है कि इन्शाअल्लाह मैं अपनी इस दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिये महफ़ूज़ रखूँगा।' (इन्शाअल्लाह का लफ़्ज़ महज़ तबर्रुक और अल्लाह तआला के हुक्म के बजा लाने के लिये है।)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(489) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(490) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कअ़ब अहबार से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी को एक दुआ करने का हक़ हासिल है जिसे वो माँगता है, तो मैं चाहता हूँ इन्शाअल्लाह मैं अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअ़त के लिये छिपा रखूँ।' तो कअ़ब ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा, आपने ये फ़रमान (बराहे रास्त) रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? अबू हुरैरह (रज़ि.) ने जवाब दिया, जी हाँ।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الأَحْبَارِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأَنَا أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَالَ كَعْبٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

(491) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी के

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -

وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا " .

लिये एक मक़्बूल दुआ है और मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिये छिपा रखा है, जबकि हर नबी जल्दी करते हुए (दुनिया में) दुआ कर चुका है, मेरी शफ़ाअत हर उस इंसान को हासिल होगी इन्शाअल्लाह जो मेरी उम्मत से इस हाल में फ़ौत होगा कि उसने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा।'

(तिर्मिज़ी : 3602, इब्ने माजह : 4307)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि शिर्क यानी अल्लाह तआला की ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल और हुक़ूक़ में किसी को शरीक ठहराना इस क़द्र घिनौना जुर्म है कि ऐसा इंसान क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत से महरूम होगा लेकिन कबीरा गुनाह का मुर्तकिब सिफ़ारिश का हक़दार होगा और एक न एक वक़्त जहन्नम से निजात पा जायेगा।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(492) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी के लिये एक मक़्बूल दुआ है जो वो करता है और वो उसकी ख़ातिर क़ुबूल होती है और वो उसे दी जाती है और मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफ़ारिश के लिये छिपा रखी है।'

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي

(493) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी के लिये एक दुआ है जो उसने अपनी उम्मत के बारे में माँग ली है और वो उसके हक़ में क़ुबूल हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इन्शाअल्लाह मैं अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत

أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

की सिफ़ारिश के लिये मुअख़्ख़र (डिले) कर दूँ।'

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ، لأَبِي غَسَّانَ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(494) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी के लिये एक दुआ है जो उसने अपनी उम्मत के लिये की है और मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिये छिपा रखी है।'

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ح

(495) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ " أُعْطِيَ " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

(496) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ .

(497) इमाम साहब ने एक और उस्ताद की सनद से क़तादा की हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत जैसी रिवायत बयान की है।

(सहीह बुख़ारी : 6305)

(498) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नबी के लिये एक दुआ है जो अपनी उम्मत के बारे में कर चुका है और मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअ़त के लिये छिपा रखी है।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

बाब 87 : नबी (ﷺ) का अपनी उम्मत के हक़ में दुआ करना और उस पर शफ़क़त की बिना पर रोना

باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

(499) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने इब्राहीम (अलै.) के बारे में अल्लाह तआ़ला के फ़रमान की तिलावत फ़रमाई, 'ऐ मेरे रब! उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, तो जिसने मेरी पैरवी की, वो मेरा है (यानी मेरे रास्ते पर है) और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, तो तू बेशक बख़्शने वाला मेहरबान है।' (सूरह इब्राहीम : 36) और आपने ईसा (अलै.) के क़ौल की तिलावत फ़रमाई, 'और अगर तू उन्हें अ़ज़ाब देगा तो ये तेरे बन्दे हैं और अगर तू उन्हें माफ़ फ़रमायेगा तो तू बिला शुब्हा सब पर ग़ालिब और इन्तिहाई हिक्मत वाला है।' (सूरह माइदा : 118) और आपने हाथ उठाकर दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।' और आप रो दिये, तो अल्लाह तआ़ला ने जिब्रईल (अ़लै.) को हुक्म दिया, ऐ जिब्रईल! मुहम्मद के पास जाओ और

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ { رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} الآيَةَ . وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ { إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ " اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي " . وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ

مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَالَ . وَهُوَ أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ .

उनसे पूछो! हालांकि अल्लाह तआला को ख़ूब इल्म है क्यों रो रहे हो? तो आपके पास जिब्रईल (अलै.) आये और पूछा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बात उसे बताई और अल्लाह तआला को ख़ूब इल्म है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, ऐ जिब्रईल! मुहम्मद के पास जाकर उन्हें बता दो हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में ख़ुश कर देंगे और आपको रन्जीदा नहीं करेंगे।'

फ़वाइद : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी उम्मत के लिये इन्तिहाई रहीम व शफ़ीक़ हैं और अपनी उम्मत की निजात के लिये अल्लाह तआला के हुज़ूर गिरया व ज़ारी फ़रमाते थे। **(2)** अल्लाह तआला के यहाँ आपका मक़ाम व मर्तबा इन्तिहाई बुलंद व बाला है। जब आप उम्मत के गुनाहों के मुवाख़िज़े के तसव्वुर से रोये तो फ़ौरन हज़रत जिब्रईल (अलै.) को आपकी ख़िदमत में रोने का सबब पूछने के लिये भेजा। हालांकि अल्लाह तआला को सबब का ख़ूब इल्म था। **(3)** आदाबे दुआ में हाथ उठाना भी दाख़िल है। **(4)** उम्मत के गुनाहगारों के लिये इन्तिहाई उम्मीद अफ़ज़ा बात है बल्कि अज़ीम बशारत है कि आयते मुबारका, 'अल्लाह तआला आपको इस क़द्र देगा कि आप राज़ी हो जायेंगे।' का ताल्लुक़ आख़िरत से भी है। अल्लाह तआला आपको अपनी उम्मत के बारे में सिर्फ़ राज़ी ही नहीं फ़रमायेगा बल्कि आपको रंज व ग़म से महफ़ूज़ फ़रमायेगा और ये तभी होगा जब आपकी उम्मत के तमाम अफ़राद निजात पा जायेंगे। अगर आपकी उम्मत का कोई फ़र्द अपने गुनाहों की पादाश में जहन्नम में रह जायेगा, तो ये आपके लिये रन्जीदगी का बाइस रहेगा।

باب بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَ تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

बाब 88 : जो शख़्स कुफ़्र पर फ़ौत होगा, वो दोज़ख़ में रहेगा और उसको शफ़ाअत हासिल न होगी और उसे मुक़र्रब लोगों की रिश्तेदारी फ़ायदा नहीं देगी

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي

(500) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा बाप कहाँ है? आपने फ़रमाया, 'आग में।' जब वो पीठ फेरकर चला तो आप (ﷺ) ने उसे

قَالَ " فِي النَّارِ " . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ " إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ " .

बुलाकर फ़रमाया, 'मेरा बाप और तेरा बाप दोनों आग में है।'

(अबू दाऊद : 4718)

फ़ायदा : ये हदीस़ इस मसले में बिल्कुल सरीह है कि आपके वालिद कुफ़्र की हालत पर फ़ौत हुए। इसकी मौजूदगी में ऐसी आयतों और हदीसों से इस्तिदलाल करना जिनके मानी व तफ़्सीर के बारे में अलग-अलग अक़्वाल हैं और सबका एहतिमाल मौजूद है, दुरुस्त नहीं है क्योंकि मुसल्लम ज़ाबता है, इज़ा जाअल इह्तिमालु बतलल इस्तिदलाल (कई मआनी के एहतिमाल की सूरत में इस्तिदलाल करना (एक मसले के बारे में) दुरुस्त नहीं है। और **अबुन** का मानी **चाचा** करना, मजाज़ी मानी है और मजाज़ी मानी के लिये क़रीना और दलील की ज़रूरत है। जो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन इस मसले में ज़्यादा बहस़ व कुरेद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिये इसको ख़्वाह-मख़्वाह बहस़ का मौज़ूअ नहीं बनाना चाहिये। इस हदीस़ का असल मक़सद ये है कि कुफ़्र इतना घिनौना जुर्म है कि किसी बड़ी से बड़ी हस्ती की सिफ़ारिश से भी काफ़िर दोज़ख़ से नहीं निकल सकता।

باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}

बाब 89 : अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ " يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ

(501) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'अपने इन्तिहाई क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये।' (सूरह शुअरा : 214) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुरैश को बुलाया, जब जमा हो गये तो आपने ख़िताब में आम और ख़ास लोगों को मुख़ातब फ़रमाया, 'ऐ कअब बिन लुअय की औलाद! अपने आपको आग से बचाओ। ऐ मुर्रा बिन कअब की औलाद! अपने आपको दोज़ख़ से बचा लो। ऐ अब्दे शम्स की औलाद! अपने आपको आग से बचाओ। ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद! अपने आपको आग से बचाओ! ऐ हाशमियो! अपने आपको आग से बचाओ। ऐ अब्दुल

شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا " .

मुत्तलिब के बेटो! अपने आपको आग से बचाओ। ऐ फ़ातिमा! अपने आपको आग से बचा। मैं अल्लाह तआला के मुक़ाबले में (अगर वो तुम्हें पकड़ना चाहे) तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, हाँ इतनी बात है तुम्हारे साथ रिश्तेदारी है, मैं उसको जोड़ता रहूँगा। मैं उसकी तरावत की वजह से उसको तर रखूँगा।'

(तिर्मिज़ी : 3185, नसाई : 6/248-249)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ला अम्लिकु लकुम् मिनल्लाहि शैआ : मेरी रिश्तेदारी पर ऐतमाद करके ईमान व अमले सालेह से ग़ाफ़िल न हो जाना, ईमान के बग़ैर मैं तुमसे अज़ाब को दूर न कर सकूँगा। **(2) सअबुल्लुहा बिबलालिहा :** बलाल की (बा) पर ज़बर और ज़ेर दोनों आ सकते हैं, तरावत को कहते हैं। मक़सद ये है, मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी करूँगा, क़तअ रहमी नहीं करूँगा।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَحَدِيثُ جَرِيرٍ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ .

(502) इमाम साहब मज़्कूरा रिवायत और सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّفَا فَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ " .

(503) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब सूरह शुअरा की आयत, 'और अपने क़रीबतरीन रिश्तेदारों को डराइये।' नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर फ़रमाया, 'ऐ मुहम्मद की लख़्ते जिगर फ़ातिमा! ऐ अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफ़िय्या! ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! मैं अल्लाह तआला के मुक़ाबले में तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं। (यानी उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके अज़ाब से नहीं बचा सकता) मेरे माल से जो चाहो माँग लो।'

(504) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह पर सूरह शुअरा की आयत, 'और अपने क़रीबतरीन रिश्तेदारों को डराइये।' (आयत : 214) उतरी तो आपने फ़रमाया, 'ऐ कुरैश की जमाअत! अपने आपको अल्लाह तआला से ख़रीद लो (ईमान लाकर, नेक आमाल कर लो) मैं अल्लाह तआला के मुक़ाबले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! मैं अल्लाह के मुक़ाबले में तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास! मैं अल्लाह के मुक़ाबले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, ऐ अल्लाह के रसूल की फूफी सफ़िय्या! मैं तुमसे अल्लाह के अज़ाब को नहीं टाल सकता । ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी फ़ातिमा! मुझसे जो चाहो माँग लो, मैं अल्लाह के सामने तेरे कुछ काम नहीं आ सकता।'
(सहीह बुख़ारी : 2753, 4771, नसाई : 6/248)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا " .

फ़ायदा : सूरह शुअरा मक्की सूरत है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मदीना में सात हिजरी में मुसलमान हुए। इसलिये कुरैशे मक्का से ख़िताब के वक़्त वो मौजूद नहीं थे। इसलिये ये रिवायत उन्होंने किसी दूसरे सहाबी से सुनी होगी।

(505) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا .

(506) हज़रत क़बीसा और ज़ुहैर बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि जब आयत, 'और

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ

قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالاَ لَمَّا نَزَلَتْ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قَالَ انْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ فَعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَرًا ثُمَّ نَادَى " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهْ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهْ " .

अपने क़रीबतरीन रिश्तेदारों को डराइये।' उतरी, तो नबी (ﷺ) एक पहाड़ी टीले पर तशरीफ़ ले गये और उसके सबसे ऊँचे पत्थर पर चढ़ गये। फिर आवाज़ दी, ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद! मैं डराने वाला हूँ, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की है जिसने दुश्मन को देखा तो वो ख़ानदान को बचाने के लिये चल पड़ा और उसे ख़तरा महसूस हुआ कि दुश्मन उससे पहले न पहुँच जाये, तो वो चिल्लाने लगा, ऐ सुबह का हमला! (दुश्मन से चौकन्ने हो जाओ)।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

(507) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ " يَا صَبَاحَاهْ " . فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوا مُحَمَّدٌ . فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ " يَا بَنِي فُلاَنٍ يَا بَنِي فُلاَنٍ يَا بَنِي فُلاَنٍ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي

(508) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'अपने इन्तिहाई क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये! और उनमें से ख़ासकर अपने ख़ानदान के सच्चे और मुख़्लिस लोगों को।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) निकलकर सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और बुलंद आवाज़ से फ़रमाया, या सबाहा! दिफ़ाअ के लिये तैयार हो जाओ। लोगों ने एक-दूसरे से पूछा, ये कौन आवाज़ दे रहा है? जवाब मिला, मुहम्मद। तो सब लोग आपके पास जमा हो गये। आपने फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ की औलाद! ऐ फ़लाँ की औलाद! ऐ फ़लाँ की औलाद! ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद! ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद!' ये लोग आपके क़रीब जमा हो

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ " أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ " . قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا . قَالَ " فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ " . قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ . كَذَا قَرَأَ الأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

गये, तो आपने पूछा, 'बताओ अगर मैं तुम्हें इत्तिलाअ दूँ कि इस पहाड़ के दामन से घुड़सवार निकलने वाले हैं, तो क्या तुम मेरी तस्दीक़ करोगे?' तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कभी झूठा नहीं पाया। आपने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें सख़्त अ़ज़ाब (की आमद) से पहले डरा रहा हूँ।' तो अबू लहब ने कहा, तुम हलाक हो जाओ! क्या तूने हमें इसी ख़ातिर जमा किया था? फिर वो खड़ा हो गया, तो उस पर ये सूरत उतरी, 'अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हुए, यक़ीनन वो ख़ुद हलाक हुआ।' (सूरह लहब) आमश ने पूरी सूरत की क़िरअत की और क़द के इज़ाफ़े से पढ़ा। यानी क़द तब्ब पढ़ा।

(सहीह बुख़ारी : 1394, 3526, 4801, 4971, 4972, 4973, तिर्मिज़ी : 3363)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ الصَّفَا فَقَالَ " يَا صَبَاحَاهْ " . بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}

(509) इमाम साहब एक और सनद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन कोहे सफ़ा पर चढ़े और फ़रमाया, 'या सबाहा!' अबू उसामा की तरह रिवायत बयान की। लेकिन आयत, 'और अपने क़रीबतरीन रिश्तेदारों को डराइये।' के उतरने का तज़्किरा नहीं किया।

फ़ायदा : मज़्कूरा बाला (ऊपर की) सहीह अहादीस़ से ये बात स़ाबित होती है कि आप अल्लाह तआला की इजाज़त के बग़ैर किसी की, यहाँ तक कि अपने इन्तिहाई अ़ज़ीज़ रिश्तेदारों की भी सिफ़ारिश नहीं करेंगे और कुरआन मजीद में सराहतन फ़रमाया गया है, **'उस दिन शफ़ाअत किसी को नफ़ा न देगी, मगर उस शख़्स को जिसके हक़ में रहमान ने इजाज़त दे दी और उसके हक़ में बोलना पसंद फ़रमा लिया।'** (सूरह ताहा : 109) आयतुल कुर्सी में फ़रमाया, **'कौन ऐसा है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफ़ारिश कर सके।'** इन सरीह हदीसों और आयतों के बावजूद ये

कहना कि अल्लाह तआला ने आपको शफ़ाअत का मालिक व मुख़्तार बना दिया है, किस क़द्र जसारत है और साथ ही ये मानना कि आप अल्लाह तआला की इजाज़त और उसके बताये बग़ैर शफ़ाअत के मालिक व मुख़्तार नहीं है। जिसको इजाज़त लेने और इत्तिलाअ देने की ज़रूरत हो उसको मालिक व मुख़्तार नहीं कहा जायेगा, जो किसी चीज़ का मालिक और मुख़्तार होता है, उसे उसके बारे में किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती।

باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

बाब 90 : नबी (ﷺ) का अबू तालिब की सिफ़ारिश करना और उसकी बिना पर उसके अ़ज़ाब में कमी होना

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ " نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ " .

(510) हज़रत अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने अबू तालिब को कुछ नफ़ा पहुँचाया? वो आपकी हिफ़ाज़त और दिफ़ाअ करता था और आपकी ख़ातिर ग़ज़बनाक होता था? आपने जवाब दिया, हाँ! वो आग में टख़नों तक है, अगर मैं न होता (उसकी सिफ़ारिश न करता) तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबक़े में होता।'

(सहीह बुख़ारी : 3883, 6208, 6572)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ قَالَ " نَعَمْ وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ

(511) हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू तालिब आपकी हिफ़ाज़त करता था और आपकी मदद करता था (आपकी ख़ातिर लोगों से नाराज़ होता था) तो क्या इससे उसको कुछ नफ़ा हुआ? आपने फ़रमाया, 'मैंने उसको आग की

गहराई में पाया, तो उसको मैं हल्की आग (टख़्नों तक) में निकाल लाया।'

فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ " .

(512) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ .

(513) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने आपके चाचा अबू तालिब का तज़्किरा हुआ। आपने फ़रमाया, 'उम्मीद है क़यामत के दिन मेरी सिफ़ारिश उसको नफ़ा देगी और उसे हल्की आग में डाला जायेगा, जो उसके टख़्नों तक पहुँचेगी, उससे उसका दिमाग़ खोल रहा होगा।'
(सहीह बुख़ारी : 3885, 3886, 6564)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ " لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ " .

फ़ायदा : नबी (ﷺ) की नुसरत व हिमायत और आपका तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ाअ़, अल्लाह तआ़ला के यहाँ इस दर्जा मक़्बूल है कि कुफ़्र के बावजूद ये अबू तालिब के हक़ में नफ़ामन्द होगा। लेकिन इस क़द्र मुहब्बत व प्यार, नुसरत व हिमायत और इन्तिहाई क़रीबी रिश्तेदारी के बावजूद कुफ़्र की ग़लाज़त की बिना पर वो दोज़ख़ से नहीं निकल सकेगा और अपने कुफ़्र की बिना पर जिस अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ होगा उसमें कमी नहीं होगी। कुफ़्र की शिद्दत और आ़माले फ़ासिदा की कसरत व क़िल्लत की बिना पर सब काफ़िर एक जैसे अ़ज़ाब के हक़दार नहीं होंगे। लेकिन अबू तालिब के अ़ज़ाब की तख़्फ़ीफ़ व तक़्लील (क़िल्लत) से आपके वालिदैन के ईमान पर इस्तिदलाल करना अ़जीब मन्तिक़ है। अबू तालिब के बारे में सिफ़ारिश आपका ख़ास्सह भी हो सकता है।

बाब 91 : आग वालों में से सबसे कम अज़ाब वाला

باب أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

(514) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सब दोज़ख़ियों से कम अज़ाब वाला आग की दो जूतियाँ पहने होगा, उसकी जूतियों की गर्मी की वजह से उसका दिमाग़ खोलेगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ " .

(515) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अबू तालिब को सब दोज़ख़ियों से हल्का अज़ाब होगा और वो दो जूतियाँ पहने होगा, जिनसे उसका दिमाग़ खोलेगा।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ " .

(516) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) ने ख़िताब फ़रमाया, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन दोज़ख़ियों में से सबसे कम अज़ाब उसको होगा जिसके तलवों के नीचे आग के दो अंगारे रखे जायेंगे, उनसे उसका दिमाग़ खोलेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 6561,6562, तिर्मिज़ी : 2604)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا " .

(517) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दोज़ख़ियों में सबसे हल्के अज़ाब वाला वो शख़्स होगा जिसको आग की दो जूतियाँ, तस्मों समेत पहनाई जायेंगी, उनसे उसका दिमाग़ इस तरह खोलेगा, जिस तरह हण्डिया खोलती है, वो समझेगा मुझसे सख़्त अज़ाब किसी को नहीं हो रहा, हालांकि उसको सबसे हल्का अज़ाब हो रहा होगा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि दोज़ख़ में जाने वाला फ़र्द यही समझेगा कि सबसे सख़्त अज़ाब मुझे ही हो रहा है। इसलिये आपकी सिफ़ारिश से जो अबू तालिब के अज़ाब में कमी हुई है, वो उसके हक़ में इस ऐतबार से नाफ़ेअ नहीं हुई, इसलिये ये तख़्फ़ीफ़ फ़मा तन्फ़उहुम शफ़ाअतुश्शाफ़िईन के मुनाफ़ी नहीं है या इस नफ़ा से मुराद दोज़ख़ से निकलना है कि वो दोज़ख़ से नहीं निकल सकेंगे।

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

बाब 92 : कुफ़्र पर मरने वाले शख़्स के अमल के मुफ़ीद न होने की दलील

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ " لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ " .

(518) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! इब्ने जुदआन जाहिलिय्यत के दौर में सिला रहमी करता था और मोहताजों को खाना खिलाता था, तो क्या ये अमल उसके लिये फ़ायदेमन्द होंगे? आपने फ़रमाया, 'इसलिये फ़ायदेमन्द नहीं होंगे क्योंकि उसने कभी (किसी एक दिन) भी ये नहीं कहा था, ऐ मेरे रब! हिसाबो-किताब के दिन मेरी ख़तायें माफ़ फ़रमाना।'

फ़ायदा : काफ़िर क़यामत पर ईमान व यक़ीन नहीं रखता, इसलिये वो क़यामत के अज्र व सवाब के हुसूल के लिये कोई काम नहीं करता। दुनियावी नुक़्ते नज़र से काम करता है इसलिये उसको नेक आमाल का दुनिया में फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन चूंकि वो अच्छे आमाल करता है और बुरे आमाल से बचता है।

इसलिये उसका अ़ज़ाब उन काफ़िरों के मुक़ाबले में हल्का होगा, जो अच्छे आ़माल से महरूम होते हैं और बुरे अफ़्आ़ल का इर्तिकाब करते हैं। जन्नत में जाने के लिये ईमान शर्त है और ईमान से महरूम कितने भी अच्छे आ़माल, अच्छे अख़्लाक़ और हुस्ने मामला से मुत्तसिफ़ हो, उसको उन आ़माल से ये फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता कि वो जन्नत में चला जाये।

बाब 93 : मोमिनों से दोस्ती और दूसरों से क़तअ़ ताल्लुक़ी और बराअत का इज़हार करना

باب مُوَالاَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

(519) हज़रत अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने छिपाये बग़ैर बुलंद आवाज़ से फ़रमाया, 'फ़लाँ की औलाद! मेरी अ़ज़ीज़ व दोस्त नहीं, मेरा साथी और दोस्त अल्लाह तआ़ला और नेक मुसलमान हैं।'
(सहीह बुख़ारी : 5990)

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ " أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي - يَعْنِي فُلاَنًا - لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ " .

फ़ायदा : वलिय्युन : का मानी हमदम, रफ़ीक़, दोस्त, हिमायती और मुआ़विन व नासिर होता है। इस हदीस़ से मालूम हुआ कि नबी (ﷺ) का अ़ज़ीज़, रफ़ीक़ और मुआ़विन व नासिर और रिश्तेदार वही है जो ईमानदार होने के साथ आपके दीन पर अ़मलपैरा और नेक है अगरचे उसका आपसे नसबी ताल्लुक़ नहीं है और जो ईमानदार और नेक नहीं है वो आपका अ़ज़ीज़, रफ़ीक़ या रिश्तेदार नहीं है। अगरचे नसब के ऐतबार से आपका क़रीबी ही क्यों न हो? हज़रत नूह (अ़लै.) के बेटे के बारे में जो काफ़िर था, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया, **'वो तेरे ख़ानदान का फ़र्द नहीं है, उसकी सिफ़ारिश ऐसा अ़मल है जो अच्छा नहीं है।'** (सूरह हूद : 46) और ऐसे शख़्स से आपने खुल्लम-खुल्ला बेज़ारी का इज़हार फ़रमाया है और एक मुसलमान के लिये भी यही तर्ज़े अ़मल ज़ैबा है कि वो काफ़िरों और फ़ासिक़ों से मुहब्बत व मवद्दत का ताल्लुक़ न रखे। अगरचे वो उसके क़रीबी ही क्यों न हो, इसी उ़मूम के लिहाज़ से रावी ने उस शख़्स का नाम नहीं लिया ताकि उसकी मुसलमान और नेक औलाद को उससे अज़ियत न पहुँचे या उससे ग़लत मतलब न अख़्ज़ कर लिया जाये। इसलिये उसको ख़्वाह-मख़्वाह मुतअ़य्यन नहीं करना चाहिये। लेकिन इस हदीस़ से अपने ग़लत मफ़रूज़ा पर बदमज़हब और गुमराह फ़िर्क़े की आड़ में मुसलमान के जल्से और मजालिस में हाज़िरी से रोकना, अपनी भीड़ों को क़ाबू रखने का एक हीला तो हो सकता है, हदीस़ का तक़ाज़ा और मतलब नहीं।

बाब 94 : इस बात की दलील कि मुसलमानों के कुछ गिरोह बग़ैर हिसाब और अ़ज़ाब के जन्नत में दाख़िल होंगे

باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ

(520) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे।' तो एक आदमी ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजिये कि वो मुझे भी उनमें शरीक कर दे। आपने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! इसे भी उनमें से कर दे।' फिर दूसरा शख़्स खड़ा हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजिये कि मुझे भी अल्लाह उनमें से कर दे। आपने जवाब दिया, 'उ़क्काशा तुमसे उसके लिये सबक़त ले जा चुका है।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " . ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से उम्मते मुहम्मदिया (अ़ले.) की इन्तिहाई फ़ज़ीलत व बरतरी साबित होती है। नीज़ एक शख़्स ने इब्तिदाअन दिल की गहराई से दुआ की दरख़्वास्त की, तो आपने उसके हक़ में दुआ फ़रमा दी, दूसरे ने देखा-देखी दरख़्वास्त कर दी। तो आपने उसके हक़ में दुआ नहीं फ़रमाई। क्योंकि इस तरह तो फिर हर एक ही दरख़्वास्त करने लगता और हर शख़्स को तो ये मर्तबा हासिल नहीं हो सकता, ये भी मुम्किन है कि उ़क्काशा मत्लूबा सीरत व किरदार का मालिक हो और दूसरे इंसान इस मेअ़यार पर पूरा न उतरता हो, इसलिये आपने उसकी दरख़्वास्त क़ुबूल न की।

(521) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ .

(522) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'मेरी उम्मत का सत्तर हज़ार (70000) का एक गिरोह जन्नत में दाख़िल होगा, उनके चेहरे चौधवीं रात के माहे कामिल की तरह चमक रहे होंगे।' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बताया, उक्काशा बिन मिह्सन असदी, अपनी धारीदार लूई उठाये हुए उठा और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ फ़रमाइये कि मुझे भी उनमें से कर दे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! इसे भी उनमें से कर दे।' फिर एक अन्सारी आदमी खड़ा हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ फ़रमाइये कि मुझे भी उनमें से कर दे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसके लिये उक्काशा पहल कर गया।' यानी वो तुमसे सबक़त ले गया।'

(सहीह बुख़ारी : 6542)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " .

(523) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार लोग जन्नत में दाख़िल होंगे, एक ही गिरोह चाँद सी सूरत व शक्ल।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ " .

(524) हज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार (70000) लोग बिला हिसाब जन्नत में दाख़िल होंगे।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो कौन लोग हैं? आपने

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي

फ़रमाया, 'ये वो लोग होंगे जो दाग़ नहीं लगाते, न दम करवाते हैं और अपने रब पर ऐतमाद करते हैं।' तो उक्काशा खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह से दुआ फ़रमाइये कि मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फ़रमाया, 'तू उनमें से है।' तो एक और आदमी खड़ा हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह से दुआ कीजिये कि वो मुझे भी उनमें से कर दे। तो आपने फ़रमाया, 'उसके लिये उक्काशा तुझसे सबक़त ले गया।'

سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " . فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " أَنْتَ مِنْهُمْ " . قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से ज़ाहिरी तौर पर ये साबित होता है कि जन्नत में बिला हिसाब दाख़िल होने वाले लोग बीमारी की सूरत में दम झाड़ नहीं करवाते क्योंकि वो समझते हैं कि सेहत व आफ़ियत अल्लाह तआला के इख़्तियार में है और अल्लाह तआला की मर्ज़ी के बग़ैर फ़ायदा नहीं पहुँचाते, इसलिये हम उस पर भरोसा करते हैं और उन ज़ाहिरी अस्बाब को नहीं अपनाते, लेकिन ये मफ़्हूम हदीस़ के इस टुकड़े के मुनाफ़ी है कि वो हर काम में अल्लाह तआला पर ऐतमाद व भरोसा करते हैं। तो अगर ज़ाहिरी अस्बाब के तर्क (छोड़ देने) का नाम ही तवक्कल है तो फिर खाने-पीने और कमाने की क्या ज़रूरत है, सैर और सैराब तो अल्लाह ही करता है, दुश्मन के मुक़ाबले में मुसल्लह (हथियार बंद) होकर निकलने की क्या ज़रूरत है। दुश्मन पर फ़तह तो अल्लाह ही देता है, दीन की नशरो-इशाअत और तब्लीग़ व दावत की क्या ज़रूरत है। दीन को तो अल्लाह ही फैलाता और ग़ालिब फ़रमाता है। इसी तरह दुआ कराने की क्या ज़रूरत है, दर्जा तो अल्लाह ही को देना है इसलिये हदीस़ का सहीह मफ़्हूम ये है कि वो ग़ैर शरई अस्बाब व वसाइल इख़्तियार नहीं करते। जैसाकि जाहिलिय्यत के दौर में लोग हर क़िस्म का दम झाड़ करते थे या बदशगूनी पकड़ते थे। बल्कि वो उन्हीं अस्बाब व वसाइल को इख़्तियार करते हैं। जिनका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है या इजाज़त दी है और उन जाइज़ अस्बाब के इख़्तियार करने के बावजूद उनका ऐतमाद और सहारा अल्लाह तआला पर होता है कि ये ज़ाहिरी अस्बाब तभी कारगर होंगे जब अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होगा। अस्बाब में अस़र व तास़ीर अल्लाह तआला के इख़्तियार में है। चाहे तो उनमें तास़ीर पैदा कर दे और उनसे नतीजा बरामद हो जाये, चाहे तो उनसे तास़ीर छीन ले और ये नाकाम हो जायें।

(525) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार लोग बिला हिसाब

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ

जन्नत में दाखिल होंगे।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया, 'वो लोग जो दम नहीं करवाते, न बदशगूनी पकड़ते हैं और न दाग़ लगवाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं।'

الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) ला यस्तरक़ून :** रुक़्या (दम झाड़ और मन्तर) से माख़ूज़ है। तअ़वीज़ गण्डा तलाश करना या जादू और मन्तर करने को कहना। **(2) ला यततय्यरून :** बदफ़ाली और बुरा शगून नहीं लेते जैसाकि जाहिलिय्यत के दौर के लोग लेते थे। **(3) ला यक्तवून :** अपने आपको दाग़ देना, लौहा गर्म करके जिस्म को दाग़ना।

(526) हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार या सात लाख लोग (अबू हाज़िम को शक है कि सहल ने कौनसा अ़दद बताया) जन्नत में इस हाल में दाख़िल होंगे कि वो एक दूसरे को पकड़े हुए इकट्ठे होंगे, उनमें से पहला फ़र्द उस वक़्त तक दाख़िल नहीं होगा जब तक आख़िरी फ़र्द दाख़िल नहीं होगा, उनके चेहरे चौधवीं के चाँद की तरह रोशन होंगे।'
(सहीह बुख़ारी : 6554)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - لاَ يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " .

(527) हुसैन बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मैं सईद बिन जुबैर के पास था। उन्होंने पूछा, कल शाम टूटने वाला सितारा तुममें से किसने देखा? उसने कहा, मैंने। फिर मैंने कहा, मैं नमाज़ में नहीं था। क्योंकि मुझे बिच्छू ने डसा था। उन्होंने कहा, तो तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैंने दम करवाया। उन्होंने कहा, तो तुम्हें किस

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا . ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ وَلَكِنِّي

चीज़ ने इस पर आमादा किया? मैंने जवाब दिया, इस हदीस़ ने जो हमें शअ़बी ने सुनाई। तो उन्होंने कहा, शअ़बी ने तुम्हें कौनसी हदीस़ सुनाई? मैंने कहा, शअ़बी ने हमें बुरैदा बिन हुसैब अस्लमी से रिवायत सुनाई। उन्होंने बताया, दम-नज़रे बद लगने और ज़हरीली चीज़ के डसने से ही है। तो सईद ने कहा, जिसने जो सुना उस पर अ़मल किया। तूने अच्छा किया, लेकिन हमें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से सुनाया, आपने फ़रमाया, 'मुझ पर तमाम उम्मतें पेश की गईं। मैंने कुछ अम्बिया को देखा उनके साथ एक छोटा सा (दस से कम का) गिरोह था। किसी नबी के साथ एक या दो उम्मती थे। कुछ के साथ कोई उम्मती न था। अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ी जमाअ़त ज़ाहिर हुई। मैंने ख़याल किया ये लोग मेरे उम्मती हैं। तो मुझे बताया गया, ये मूसा (अ़लै.) और उनकी क़ौम है। लेकिन आप आसमान के उफ़ुक़ (किनारे) की तरफ़ देखें, मैंने देखा तो एक बहुत बड़ी जमाअ़त थी। तो मुझे कहा गया, दूसरे आसमानी किनारे की तरफ़ देखो, तो मैंने देखा, एक बहुत बड़ी जमाअ़त थी। तो मुझे बताया गया, ये तेरी उम्मत है और उनके साथ सत्तर हज़ार लोग हैं, जो बिला हिसाब व अ़ज़ाब जन्नत में दाख़िल होंगे।' फिर आप उठे और घर चले गये। तो लोग (सहाबा किराम रज़ि.) उन लोगों के बारे में बातचीत करने लगे जो बग़ैर हिसाब और अ़ज़ाब के जन्नत में दाख़िल होंगे। तो कुछ ने कहा, शायद ये वो लोग होंगे जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ)

لُدِغْتُ . قَالَ فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ . قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ . فَقَالَ وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى صلى الله عليه وسلم وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ . فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ " . ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم . وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ . وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ " . فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " . فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ " أَنْتَ مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " .

की रफ़ाक़त का शर्फ़ हासिल है। कुछ ने कहा, शायद ये वो लोग होंगे जो इस्लामी दौर में पैदा हुए और अल्लाह तआला के साथ शिर्क नहीं किया और कुछ ने कुछ और बातों का तज़्किरा किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाये और पूछा, 'तुम किन बातों में मशग़ूल हो?' (यानी किस मसले पर बहस़ कर रहे हो) उन्होंने आपको बताया, इस पर। आपने फ़रमाया, 'ये वो लोग हैं जो न दम करते हैं और न दम करवाते हैं और न बदशगूनी पकड़ते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं।' इस पर उक्काशा बिन मिहसन खड़े हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह से दुआ फ़रमाइये कि मुझे भी ऐसे लोगों में से कर दे। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू उनमें से है।' फिर एक और आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमाइये, अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। तो आपने फ़रमाया, 'तुमसे उक्काशा सबक़त ले गया।'

(सहीह बुख़ारी : 3410, 5705, 5752, 6472, 6541, तिर्मिज़ी : 22446)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इन्क़ज़्ज़ : टूटा, गिरा। **(2) अल्बारिहा :** गुज़िश्ता रात। **(3) लुदिग़तु :** मुझे बिच्छू या ज़हरीली चीज़ ने डस लिया। **(4) ऐन :** नज़रे बद लगना। **(5) हुमह :** ज़हर, डंक या उसकी शिद्दत व हरारत। **(6) अर्रुहैत :** रहत की तस़्ग़ीर है, दस से कम लोगों का गिरोह। **(7) ख़ाज़ फ़ीह :** किसी चीज़ में मशग़ूल होना। ख़ाज़ फ़िल्हदीस़ का मानी होता है गुफ़्तगू में मशग़ूल होना।

फ़ायदा : हज़रत बुरैदा की हदीस़ का मतलब ये है कि नज़रे बद और ज़हरीली चीज़ के डसने से सहीह दम करना, बहुत जल्द फ़ायदा पहुँचाता है। जैसाकि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने फ़ातिहा पढ़कर दम किया था, तो वो शख़्स फ़ौरन सेहतमन्द हो गया था और ऐसे महसूस होता था कि उसको कोई तकलीफ़ ही न थी। दोनों हदीसों में तआरुज़ (टकराव) नहीं है दूसरी हदीस़ का सहीह मफ़्हूम हम बयान कर चुके हैं।

(528) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझ पर तमाम उम्मतें पेश की गईं।' फिर हदीस का बाक़ी हिस्सा हुशैम की तरह बयान किया और हदीस का शुरूआती हिस्सा (हुसैन का वाक़िया) बयान नहीं किया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ " . ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ .

बाब 95 : ये उम्मत जन्नतियों का आधा हिस्सा है (जन्नत के आधे लोग इस उम्मत के होंगे)

باب كَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(529) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया, 'क्या तुम जन्नतियों का चौथाई होने पर राज़ी हो?' हमने (ख़ुशी से) अल्लाहु अकबर कहा। फिर आपने फ़रमाया, 'क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि तुम अहले जन्नत का तिहाई हिस्सा हो?' तो हमने अल्लाहु अकबर कहा। फिर आपने फ़रमाया, 'मुझे उम्मीद है तुम जन्नतियों का निस्फ़ (आधा) होंगे और मैं तुम्हें इसका सबब बताता हूँ। मुसलमानों की काफ़िरों से निस्बत ऐसी है जैसे एक स्याह बैल में एक सफ़ेद बाल हो या एक सफ़ेद बालों वाले बैल में एक स्याह बाल हो।'

(सहीह बुख़ारी : 6528, 6642, तिर्मिज़ी : 2547, इब्ने माजह : 4283)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " قَالَ فَكَبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ " أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " قَالَ فَكَبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلاَّ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ " .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि काफ़िरों की तादाद मुसलमानों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा है और हर नबी के दौर में काफ़िर ज़्यादा रहे हैं। अगर पहले अम्बिया के दौरों में काफ़िरों की

तादाद कम होती तो उनके उम्मतियों की ज़्यादा तादाद जन्नत में होती और हम अहले जन्नत का निस्फ़ न बन सकते। (2) आपने अहले जन्नत में मुसलमानों की तादाद बतदरीज बताई है। पहली ही बार नहीं फ़रमाया कि तुम निस्फ़ होंगे। ताकि सहाबा किराम (रज़ि.) की मुसर्रत व शादमानी में इज़ाफ़ा हो और तकरारे बशारत से उनके एहसान की शुक्रगुज़ारी का जज़्बा क़वी हो और उसकी तौक़ीर व जलालत दिल में जा गुज़ीं हो। एक और हदीस़ से मालूम होता है जो तिर्मिज़ी और तबरानी में है कि अहले जन्नत की एक सौ बीस (120) सफ़ें होंगी और उनमें उम्मते मुहम्मदिया की सफ़ें अस्सी (80) होंगी, जिससे मालूम हुआ उम्मते मुहम्मदिया जन्नतियों का दो तिहाई होंगे। (फ़तहुल मुल्हिम : 1/381)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً فَقَالَ " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ . فَقَالَ " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَقُلْنَا نَعَمْ . فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ " .

(530) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हम एक ख़ैमे में तक़रीबन चालीस लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुम अहले जन्नत का चौथाई हिस्सा होने पर रज़ामन्द हो?' हमने कहा, हाँ। तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुम अहले जन्नत का तिहाई होने पर ख़ुश हो?' तो हमने कहा, हाँ। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का निस्फ़ होगे और उसकी वजह ये है कि जन्नत में सिर्फ़ फ़रमांबरदार लोग दाख़िल होंगे और मुश्रिकों में तुम्हारी तादाद ऐसी ही है जैसे स्याह चमड़े वाले बैल में एक सफ़ेद बाल या सुर्ख़ खाल वाले बैल में एक स्याह बाल।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि सिर्फ़ ईमानदार जन्नत में दाख़िल होंगे, कोई काफ़िर जन्नत में नहीं जायेगा।

(531) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक चमड़े के ख़ैमे से टेक लगाकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया (ख़िताब किया) और फ़रमाया, 'याद रखो! जन्नत में सिर्फ़ मुसलमान व इताअत गुज़ार इंसान दाख़िल होगा। ऐ अल्लाह क्या मैंने पैग़ाम पहुँचा दिया? ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा! क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अहले जन्नत का चौथाई हो?' तो हमने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'क्या तुम चाहते हो कि तुम अहले जन्नत का तिहाई हो?' सहाबा (रज़ि.) ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का निस्फ़ होंगे, तुम अपने सिवा उम्मतों में उस स्याह बाल की तरह हो जो सफ़ेद बैल में होता है या उस सफ़ेद बाल की तरह जो स्याह बैल में होता है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَمٍ فَقَالَ " أَلاَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ . أَتُحِبُّونَ أَنَّكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " . فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " أَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِنَ الأُمَمِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَدِ " .

बाब 96 : अल्लाह तआला हज़रत आदम (अलै.) से फ़रमायेगा, दोज़ख़ियों की जमाअत हर हज़ार से नौ सौ निन्यानवे (999) निकालो

باب قَوْلِهِ يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ

(532) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमायेगा, ऐ आदम! वो अर्ज़ करेंगे, मैं तेरी इताअत की सआदत को हासिल करने के लिये बार-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ - قَالَ - يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ . قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ " . قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ " أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ " . قَالَ ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " . فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " . فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ " .

बार हाज़िर हूँ। हर क़िस्म की ख़ैर तेरे हाथों में है। अल्लाह फ़रमायेगा, आग की जमाअत निकालिये। आदम (अलै.) अर्ज़ करेंगे, दोज़ख़ियों की जमाअत से क्या मुराद है? (उनकी तादाद कितनी है?) अल्लाह तआला फ़रमायेगा, 'हर हज़ार से नौ सौ निन्यानवे।' ये वो वक़्त होगा जब बच्चे (ख़ौफ़ से) बूढ़े हो जायेंगे और हर हामिला का हमल वज़अ हो (गिर) जायेगा और तुम तमाम लोगों को मदहोश देखोगे। हालांकि वो मदहोश (नशे में) नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख़्त है। तो ये बात सहाबा किराम (रज़ि.) के लिये इन्तिहाई नागवार गुज़री। उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो एक आदमी हममें से कौन होगा? तो आपने फ़रमाया, 'ख़ुश हो जाओ, याजूज-माजूज में से एक हज़ार और तुममें से एक आदमी होगा।' फिर आपने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मेरी ख़्वाहिश है कि तुम अहले जन्नत का चौथाई होंगे।' हमने अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और तकबीर कही। फिर आपने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! मेरी ख़्वाहिश है तुम अहले जन्नत का तिहाई हो।' तो हमने अल्लाह की हम्द बयान की और तकबीर कही (उसकी किब्रियाई का ऐतराफ़ किया)। फिर आपने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का आधा हिस्सा होगे, उम्मतों के मुक़ाबले में तुम्हारी मिसाल उस सफ़ेद बाल की है जो स्याह बैल की खाल में होता है या उस निशान की है जो गधे के पाँव (पिण्डली के ऊपर वाला हिस्सा) में होता है।

(सहीह बुख़ारी : 3348, 6530, 4741, 7483)

मुफ़रदातुल हदीस़ : रुक़मह : गधे के बाज़ूओं का अन्दुरूनी दायरा या निशान।

फ़वाइद : (1) अगर आदम (अलै.) के साथ दोज़ख़ियों को अलग करने की बातचीत दुनिया के फ़ना से पहले हो तो फिर बच्चे का बूढ़ा होना और हामिला का वज़अे हमल हक़ीक़ी मानी में होगा और अगर ये बातचीत क़यामत के क़ायम होने के बाद हश्र के वक़्त होगी तो फिर इसका मजाज़ी मानी होगा कि क़यामत की दहशत और हौलनाकी इस क़द्र शदीद होगी कि उस वक़्त अगर कोई औरत हामिला हो तो उसका हमल गिर जाये और बच्चा हो तो बूढ़ा हो जाये। अरबों का मुहावरा है, असाबना अम्रुन यशीबु मिन्हुल वलीद, हम इस क़द्र शदीद मुसीबत से दोचार हुए हैं जो बच्चे को भी बूढ़ा कर देती है, यानी इन्तिहाई शदीद है। **(2)** हज़रत अबू सईद (रज़ि.) की हदीस़ में याजूज-माजूज का तज़्किरा है उसमें जन्नत में दाख़िल होने की तादाद हज़ार में से एक लेकिन हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की सहीह बुख़ारी में हदीस़ है, हर सौ में से एक जन्नती है यानी हज़ार में से दस हैं दोनों हदीस़ों में तत्बीक़ की मुख़्तलिफ़ तौजीहें बयान की गई हैं। **(अ)** पहले आपने एक हज़ार में से एक फ़रमाया था बाद में सौ में से एक फ़रमाया जैसे जन्नत में दाख़िल होने वाले लोगों की तादाद पहले चौथाई फिर तिहाई। फिर निस्फ़ और बाद में दो तिहाई बताई। **(ब)** तादाद मक़सूद नहीं है बल्कि ये बताना है कि काफ़िरों के मुक़ाबले में जन्नत में दाख़िल होने वाले लोगों की तादाद कम होगी। **(स)** अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस़ में याजूज-माजूज के सिवा तादाद मुराद है कि वो सौ में से एक अगर याजूज-माजूज शुमार किया जाये तो फिर हज़ार में से एक है। **(द)** तमाम उम्मतों के लिहाज़ से हज़ार में एक और उसकी उम्मत के लोगों में से एक है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ " مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَبْيَضِ " . وَلَمْ يَذْكُرَا " أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ " .

(533) वकीअ और मुआविया दोनों ने ये कहा, 'तुम उस वक़्त लोगों में उस सफ़ेद बाल की तरह होंगे जो स्याह बैल में होता है या स्याह बाल की तरह जो सफ़ेद बैल में होता है।' उन दोनों ने गधे के अगले पाँव के निशान का तज़्किरा नहीं किया।

इस किताब के कुल 34 बाब और 145 हदीसें हैं।

كتاب الطهارة

किताबुत्तहारत

(तहारत का बयान)

हदीस़ नम्बर 534 से 612 तक

इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की अहमियत व फ़ज़ीलत

तहारत का मतलब है सफ़ाई और पाकीज़गी। ये नजासत की ज़िद है। रसूलुल्लाह (ﷺ) को भेजे जाने के बाद शुरूआत में जो अहकाम मिले और जिनका मक़सूद अगले मिशन के लिये तैयारी करना और उसके लिये मज़बूत बुनियादें फ़राहम करना था वो इन आयात में हैं, 'ऐ मोटा कपड़ा लपेटने वाले! उठिये और डराइये! अपने रब की बड़ाई बयान कीजिये! अपने कपड़े पाक रखिये, पलीदी (बुतों) से दूर रहिये (इसलिये) एहसान न कीजिये कि ज़्यादा हासिल करें और अपने रब (की रज़ा) के लिये सब्र कीजिये।' (सूरह मुद्दस्सिर 74 : 1-7)

इस्लाम के इन बुयिादी अहकाम में कपड़ों को पाक रखने और हर तरह की जिस्मानी, अख़्लाक़ी और रूहानी नापाकी से दूर रहने का हुक्म है। हक़ीक़त यही है कि अल्लाह से तअल्लुक़, हिदायत और रूहानी इर्तिक़ा का सफ़र तहारत और पाकीज़गी से शुरू होता है जबकि गन्दगी, तअफ़्फ़ुन और ग़लाज़त शैतानी सिफ़ात हैं और इनसे गुमराही, ज़लालत और रूहानी तनज़्ज़ुल का सफ़र शुरू होता है।

वुज़ू, वज़ाअह से है जिसके मानी निखार और हुस्न व नज़ाफ़त के हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िरी की तैयारी यही है कि इंसान नजिस न हो, तहारत की हालत में हो और मसनून तरीक़-ए-वुज़ू से अपनी हालत को दुरुस्त करे और ख़ुद को संवारे। वुज़ू से जिस तरह ज़ाहिरी आज़ा साफ़ और ख़ूबसूरत होते हैं, उसी तरह रूहानी तौर पर भी इंसान साफ़-सुथरा होकर निखर जाता है। हर अ़ज़्व (अंग) को धोने से जिस तरह ज़ाहिरी कसाफ़त और मैल दूर होता है बिल्कुल उसी तरह वो तमाम गुनाह भी धुल जाते हैं जो इन आज़ा (अंगों) के ज़रिये से सरज़द हुए हों।

मोमिन ज़िन्दगी भर अपने रब के सामने हाज़िरी के लिये वुज़ू के ज़रिये से जिस वज़ाअह का एहतिमाम करता है क़यामत के दिन वो मुकम्मल सूरत में सामने आयेगी और मोमिन (गुर्रुम् मुहज्जलून) चमकते हुए रोशन चेहरों और चमकते हुए हाथ-पांव वाले) होंगे। नज़ाफ़त और जमाल की ये सिफ़त तमाम उम्मतों में मुसलमानों को मुम्ताज़ करेगी। एक बात ये भी क़ाबिले तवज्जह है कि माहिरीने सेहत जिस्मानी सफ़ाई के हवाले से वुज़ू के तरीक़े पर तअज्जुब आमेज़ तहसीन का इज़्हार करते हैं। इस्लाम की तरह इसकी इबादात भी एक ही वक़्त में दुनिया व आख़िरत और जिस्म व रूह की बेहतरी की ज़ामिन हैं। अल्लाह तआला के सामने हाज़िरी और मुनाजात की तैयारी की ये सूरत ज़ाहिरी और मअ़नवी तौर पर इन्तिहाई ख़ूबसूरत होने के साथ-साथ हर एक के लिये आसान भी है। जब वुज़ू मुम्किन न हो तो उसका क़ायम मक़ाम तयम्मुम है, यानी ऐसी कोई भी सूरते हाल पेश नहीं आती जिसमें इंसान इस हाज़िरी के लिये तैयारी न कर सके

2. किताबुत्तहारत
(तहारत का बयान)

बाब 1 : वुज़ू की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ . وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا " .

(534) हज़रत अबू मालिक अश्अरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सफ़ाई (पाकीज़गी) आधा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है, सुब्हानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आसमान और ज़मीन के दरम्यान को भर देते हैं, नमाज़ नूर है, सदक़ा दलील है, सब्र रोशनी है, क़ुरआन तुम्हारे हक़ में दलील होगा या तुम्हारे ख़िलाफ़, हर इंसान सुबह करता है (घर से निकलता है) और अपने आपको फ़रोख़्त करता है (काम-काज में मसरूफ़ होता है) तो (अच्छे और नेक काम करके) अपने आपको (अल्लाह की पकड़ और अज़ाब से) आज़ाद करता है या (गुनाह और बुरे काम करके) अपने आपको तबाह व हलाक करता है।'

(तिर्मिज़ी : 3517)

फ़वाइद : (1) तहारत व पाकीज़गी को आधा ईमान क़रार दिया गया है। क्योंकि दिल की सफ़ाई व पाकीज़गी और इख़्लासे निय्यत ही पर ज़ाहिरी इताअत व फ़रमाबरदारी का इन्हिसार (दारोमदार) है। अगर दिल पाक व साफ़ नहीं है तो आमाले सालेहा भी सादिर नहीं हो सकते, गोया तहारत का ताल्लुक़ बातिन से है और बाक़ी आमाल का ज़ाहिर से है। इस ऐतबार से ये आधा हिस्सा हुआ, आधा बातिन और आधा ज़ाहिर या शतर व निस्फ़ का लफ़्ज़, तहारत व पाकीज़गी की अहमियत बताने के लिये बोला गया है। मक़सद ये है कि तहारत ईमान का ख़ास जुज़ और उसका अहम व ज़रूरी शौबा है। शाह

वलीउल्लाह ने अपनी बेमिसाल किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में दीन व शरीअत की असास और बुनियाद चार चीज़ों को क़रार दिया है और बाक़ी तमाम हिदायात व अहकाम को उनके तहत दाख़िल किया है। वो फ़रमाते हैं, फ़लाह व सआदत की जिस शाहराह की तरफ़ अम्बिया ने दावत दी। अगरचे उसके बहुत से अब्वाब में और हर बाब के तहत सैंकड़ों हज़ारों अहकाम हैं। लेकिन अपनी बेपनाह कस़रत के बावजूद वो सब बस उन चार उसूली उन्वानात के तहत आ जाते हैं। (1) तहारत (2) अख़बात (3) समाहत (4) अदालत। फिर शाह साहब ने हर एक की इनितहाई दिलनशीन हक़ीक़त और तफ़्सील बयान की है। जो लायक़े मुताल्आ है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा : 1/53-54) **(2) अल्हम्दुलिल्लाह :** मीज़ान को भर देता है। इससे आमाल के वजूद और मीज़ाने आमाल का पता चलता है कि नेक आमाल का वजूद और वज़न है जिसकी बिना पर उनको तोला जायेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मक़सद, इस यक़ीन व हक़ीक़त का इज़हार व ऐतराफ़ है कि सारे कमालात और तमाम वो ख़ूबियाँ जिनकी बिना पर कोई हम्द व सना और तारीफ़ व तौसीफ़ का हक़दार ठहरता है वो सिर्फ़ अल्लाह तआला की ज़ात में हैं। इसलिये असल हम्द व सताइश उसके लिये है। इस यक़ीन व शहादत का वज़न, इस क़द्र ज़्यादा है कि इससे तराज़ू-ए-आमाल भर जायेगा। **(3) सुब्हानअल्लाह :** सुब्हानअल्लाह कहने का मक़सद इस यक़ीन व हक़ीक़त की शहादत अदा करना है कि अल्लाह तआला की मुक़द्दस ज़ात हर ऐब व नुक़्स से पाक व मुनज़्ज़ा है और हर उस बात से पाक व बरतर है जो उसकी शाने उलूहियत के मुनाफ़ी है और अल्लाह तआला की तस्बीह व तहमीद का इक़रार व ऐतराफ़, इस क़द्र बुलंद मर्तबा है कि उससे आसमान व ज़मीन का माबैन (दरम्यानी हिस्सा) मअमूर हो जाता है। **(4) अस्सलातु नूर :** नमाज़ एक नूर है जिसका ये अस़र है कि इंसान को सहीह रास्ता नज़र आ जाता है और वो दुनिया में हर क़िस्म की फ़वाहिश और मुन्करात से बच कर चलता है। इसको कुरआन मजीद में यूँ बयान फ़रमाया गया है, **'नमाज़ बिला शुब्हा फ़वाहिश और मुन्करात से रोकती है और अल्लाह तआला का ज़िक्र सबसे कारगर और बड़ा हथियार है।'** (सूरह अन्कबूत : 45) और आख़िरत में नमाज़ के नूर का ज़ुहूर इसी तरह होगा कि वो वहाँ के अन्धेरों में रोशनी और उजाला बन कर नमाज़ी का साथ देगी। **(5) अस्सदक़तु बुरहान :** सदक़ा व ख़ैरात (अल्लाह तआला की रज़ा व ख़ुश्नूदी के हुसूल की ख़ातिर) इंसान के मुस्लिम व मोमिन होने की दलील व बुरहान है। अगर दिल में ईमान न हो तो अपनी कमाई, आख़िरत की ख़ातिर सदक़ा करना आसान नहीं और ये उस सदक़े का हुक्म है जो रिया, नमूद व नुमाइश और अपनी बड़ाई के इज़हार के लिये न हो। **(6) अस्सबरु ज़ियाअ :** सब्र रोशनी और उजाला है। यानी अल्लाह तआला के हुक्म के तहत नफ़्स की ख़्वाहिशात को दबाना और दीन की राह में हर क़िस्म की तल्ख़ियाँ और नागवारियाँ बर्दाश्त करना, इस सब्र का नतीजा है। इसकी रोशनी और उजाले के बग़ैर इंसान न इताअत कर सकता है और न मअसियत व नाफ़रमानी से रुक सकता है और न ही सर्द व गर्म हालात में जज़अ व फ़ज़अ करने से बाज़ रह सकता है। दीन की पाबंदी का इन्हिसार इस

वस्फ़े सब्र का रहने मिन्नत है। **(7) अल्कुरआन हुज्जतुल लक व अलैक :** कुरआन तुम्हारे हक़ में दलील व हुज्जत है या तुम्हारे ख़िलाफ़, अगर तुमने कुरआन को मश्अले राह बनाया और अपनी ज़िन्दगी के तमाम उमूर व मामलात इसकी रोशनी में सर अन्जाम दिये तो वो तुम्हारे हक़ में दलील व हुज्जत बनेगा। अगर ज़िन्दगी का रवैया इसके बरख़िलाफ़ हुआ, इसकी इत्तिबाअ व पैरवी को पसे पुश्त डाल दिया तो इसकी शहादत और गवाही तुम्हारे ख़िलाफ़ होगी। **(8) कुल्लुन्नासि यग़दू :** कि हर इंसान ख़्वाह वो किसी हाल और किसी शुग़ल में ज़िन्दगी गुज़ार रहा है, हर इंसान की ज़िन्दगी एक मुसलसल तिजारत और सौदागरी है और उसकी मता-ए-हयात उसका सौदा है। अगर वो अल्लाह की बन्दगी और उसकी रज़ा तलबी में ज़िन्दगी गुज़ार रहा है तो उसने मता-ए-हयात से इन्तिहाई नफ़ा हासिल किया और अपनी ज़ात के लिये बेहतरीन कमाई करके उसकी निज़ात का सामान फ़राहम किया। अपने आपको अल्लाह के ग़ज़ब और नाराज़ी से बचाकर दोज़ख़ से बचा लिया। इसके बरख़िलाफ़ अगर इंसान ने नफ़्स परस्ती और ख़ुदाफ़रामोशी की ज़िन्दगी गुज़ारी तो अपनी मता-ए-हयात को तबाह व बर्बाद किया। जिसकी बिना पर अल्लाह तआला के ग़ज़ब व नाराज़ी का मुस्तहिक़ ठहर कर अपने आपके लिये दोज़ख़ में जाने का सामान तैयार किया।

बाब 2 : नमाज़ के लिये तहारत का फ़र्ज़ होना (नमाज़ के लिये तहारत ज़रूरी है)

باب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ

(535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) इब्ने आमिर के पास उनकी बीमारी की इयादत के लिये गये। इब्ने आमिर ने कहा, ऐ इब्ने उमर! क्या आप मेरे लिये अल्लाह तआला से दुआ नहीं करेंगे? अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'कोई नमाज़ पाकीज़गी के बग़ैर कुबूल नहीं होती और न कोई सदक़ा, ख़यानत की सूरत में।' और आप बसरा के हाकिम रह चुके हैं।

(तिर्मिज़ी : 1, इब्ने माजह : 273)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ . قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " . وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : ग़ुलूल : असल में ग़नीमत में ख़यानत को कहते हैं। फिर इसका इतलाक़ हर क़िस्म की ख़यानत पर होने लगा। (फिर इसको हर तरह की ख़्यानत पर बोला जाने लगा)

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ज़जर व तौबीख़ के लिये इब्ने आ़मिर से कहा, आप हाकिमे बसरा रह चुके हैं और हाकिम से हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल इ़बाद की अदायगी में कोताही हो जाती है और बैतुल माल के सिलसिले में भी कोताही हो सकती है। इसलिये ऐसे फ़र्द के बारे में दुआ़ की क़ुबूलियत मुश्किल होती है, इसलिये आप तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और हक़तल्फ़ी के इज़ाले की कोशिश करें, ताकि तेरे हक़ में दुआ़ क़ुबूल हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(536) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " .

(537) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी की नमाज़ क़ुबूल नहीं होती, जब वो बेवुज़ू हो जाये यहाँ तक कि वो (नये सिरे से) वुज़ू करे।'

(सहीह बुख़ारी : 135, अबू दाऊद : 60, तिर्मिज़ी : 76)

फ़ायदा : नमाज़ अल्लाह तआ़ला के सामने हाज़िरी और उससे मुख़ातबत व मुनाजात की औला और इन्तिहाई बेहतर शक्ल है। इसका हक़ तो ये था, हर नमाज़ के लिये सारे जिस्म का ग़ुस्ल और बिल्कुल पाक-साफ़ अच्छा लिबास पहनने का हुक्म दिया जाता, लेकिन इस पर अ़मल बहुत मुश्किल होता, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने अज़राहे करम सिर्फ़ इतना ज़रूरी क़रार दिया कि उन आ़ज़ा (अंगों) को धो लिया जाये जो आ़म तौर पर लिबास से बाहर रहते हैं। नीज़ वुज़ू न होने की हालत में तबीअ़त में एक क़िस्म का रूहानी तकद्दुर और इन्क़बाज़ होता है और वुज़ू करने के बाद इंसान की तबीअ़त में इन्शिराह

और इम्बेसात की कैफ़ियत पैदा हो जाती है और इंसान के बातिन में एक लताफ़त व नूरानियत पैदा हो जाती है। इसीलिये नमाज़ के लिये वुज़ू को लाज़िमी शर्त क़रार दिया गया, जिसके बग़ैर नमाज़ नहीं होती।

बाब 3 : वुज़ू करने की कैफ़ियत और उसकी तक्मील

باب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

(538) हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के आज़ाद करदा ग़ुलाम हुमरान (रज़ि.) से रिवायत है कि उ़स्मान ने मुझे वुज़ू के लिये पानी लाने के लिये कहा और वुज़ू किया, तो दोनों हथेलियाँ (कलाइयाँ) तीन मर्तबा धोईं। फिर कुल्ली की और (नाक में पानी डालकर) नाक झाड़ा। फिर तीन बार चेहरा धोया। फिर दायाँ हाथ कोहनियों तक तीन बार धोया। इस तरह बायाँ हाथ धोया। फिर अपने सर का मसह फ़रमाया। फिर अपना दायाँ पाँव टख़्नों समेत तीन बार धोया। फिर इस तरह बायाँ पाँव धोया। फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया, फिर उठकर दो रकअ़तें अदा कीं, उन दोनों में अपने आपसे बातचीत न की (ख़ुद कलामी न की) तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जायेंगे।' इब्ने शिहाब ने कहा, हमारे उ़लमा कहते थे कि ये ख़ुद कामिल तरीन वुज़ू है जो कोई नमाज़ के लिये करता है।

(सहीह बुख़ारी : 159, 164, 1934, अबू दाऊद : 106, नसाई : 1/64, 1/65, 1/80)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : इस्तन्सार : नाक में पानी डालकर उसको झाड़ना। अहले लुग़त, फ़ुक़्हा और मुहद्दिसीन सबकी अक्सरियत ने यही मानी किया है। अगरचे इब्ने आराबी और इब्ने क़ुतैबा ने इसका मानी नाक में पानी डालना किया है, जो दुरुस्त नहीं क्योंकि कुछ रिवायात में इस्तिन्सार से पहले इस्तिन्शाक़ (नाक में पानी चढ़ाना) का ज़िक्र मौजूद है।

(539) हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के मौला हुमरान से रिवायत है कि उसने उ़स्मान (रज़ि.) को देखा, उन्होंने पानी का बर्तन मँगवाया, अपनी हथेलियों पर तीन बार पानी डालकर धोया। फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में डालकर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर झाड़ा। फिर अपना चेहरा तीन बार धोया और अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत तीन बार धोये। फिर सर का मसह किया। फिर अपने दोनों पाँव तीन बार धोये। फिर कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया फिर दो रकअ़तें पढ़ीं, इनमें अपने आपसे बातचीत न की, उसके लिये गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम हुआ आपने कुल्ली और नाक में पानी इकट्ठा डाला, कुल्ली अलग और इन्तिन्सार के लिये पानी अलग नहीं लिया। दूसरी अहादीस़ से मालूम होता है कि ये काम भी तीन बार किया जाये। अगरचे एक बार भी जाइज़ है। **(2)** आपने हाथ कोहनियों समेत और पाँव टख़नों समेत धोये हैं। पाँव पर मसह नहीं किया और सर का मसह भी एक बार किया, मर्रात (बार-बार) का तज़्किरा मौजूद नहीं है। **(3)** दूसरी अहादीस़ की रोशनी में ये बात स़ाबित होती है कि वुज़ू से सग़ीरा (छोटे) गुनाह माफ़ होते हैं। **(4) नफ़्सहू** का लफ़्ज़ ला युहद्दिसु का मफ़ऊल है। इसलिये मन्सूब है फ़ाइल बनकर मरफ़ूअ नहीं है। इसलिये हदीस़ का ये मक़सद है कि वो ख़ुद क़सदन ख़्यालात नहीं लाता और किसी मामले पर ग़ौर व फ़िक्र या सोच-विचार नहीं करता, अगर उसके क़सद व इरादे के बग़ैर ख़्यालात आ जायें और वो उनके दर्पे न हो तो वो हदीसे नफ़्स नहीं है।

बाब 4 : वुज़ू और उसके बाद नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ عَقِبَهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا " .

(540) हज़रत उ़समान (रज़ि.) के आज़ाद करदा ग़ुलाम हुमरान बयान करते हैं कि मैंने उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से मस्जिद के सेहन में सुना, अ़सर के वक़्त उनके पास मुअज़्ज़िन आया तो उन्होंने वुज़ू के लिये पानी मँगवाया फिर कहा, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें एक हदीस़ सुनाता हूँ, अगर किताबुल्लाह की एक आयत (इल्म छिपाने की वईद के बारे में) न होती तो मैं तुम्हें न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'कोई मुसलमान आदमी अच्छी तरह वुज़ू नहीं करता कि उससे कोई नमाज़ पढ़े, मगर अल्लाह तआ़ला उसके उस नमाज़ और उससे पेवस्ता (बाद वाली) नमाज़ के दरम्यान के गुनाह (सग़ीरा) माफ़ कर देता है।'

(सहीह बुख़ारी : 160, नसाई : 1/91)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ " فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ " .

(541) अबू उसामा, वकीअ़, सुफ़ियान ने हिशाम की मज़्कूरा बाला सनद से हदीस़ सुनाई। अबू उसामा की हदीस़ में है, 'तो अच्छी तरह वुज़ू करता है फिर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है।'

(542) हुमरान ने कहा, जब उ़समान (रज़ि.) ने वुज़ू किया तो कहा, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें एक हदीस़ सुनाता हूँ, अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह की किताब में एक आयत न होती तो मैं तुम्हें वो हदीस़ न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जब कोई आदमी वुज़ू करता है और वो अपने वुज़ू को अच्छी तरह करता है, फिर नमाज़ पढ़ता है तो उसे उस नमाज़ और उसके बाद वाली नमाज़ के दरम्यान गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' उ़रवह ने कहा, वो आयत ये है, 'जो लोग उन दलाइल और हिदायात को छिपाते हैं जो हमने उतारे हैं से लेकर लानत करने वालों तक।' (सूरह बक़रा : 159)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا وَاللَّهِ لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا " . قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ ‏{‏ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ اللاَّعِنُونَ‏}‏

(543) इस्हाक़ बिन सईद बिन अ़म्र बिन सईद बिन आ़स ने अपने बाप से रिवायत सुनाई कि मैं उ़समान (रज़ि.) के पास था। उन्होंने पानी तलब किया और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिस मुसलमान इंसान ने फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त पाया, फिर उसने उसके लिये अच्छी तरह वुज़ू करके अच्छी तरह ख़ुशूअ़ से रुकूअ़ किया (नमाज़ पढ़ी) तो ये नमाज़ पिछले तमाम गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगी। जब तक वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " .

(544) हज़रत उ़समान (रज़ि.) के मौला हुमरान से रिवायत सुनाई कि मैं उ़समान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) के पास पानी लाया। तो उन्होंने वुज़ू किया, फिर कहा, कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीसें बयान करते हैं जिनकी हक़ीक़त को मैं नहीं जानता? मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया फिर फ़रमाया, 'जिसने इस तरह वुज़ू किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जायेंगे और उसकी नमाज़ और मस्जिद की तरफ़ जाना, नफ़्ल (ज़्यादा सवाब का बाइस)।' इब्ने अ़बदा की रिवायत में है, मैं उ़समान के पास आया तो उन्होंने वुज़ू किया।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ إِلاَّ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ .

मुफ़रदातुल हदीस : तुहूर और वुज़ू के पहले शब्द पर अगर पेश हो तो उनका मानी पाकीज़गी हासिल करना और वुज़ू करना होगा और अगर उस पर ज़बर हो तो मानी पानी होगा।

(545) अबू अनस बयान करते हैं कि हज़रत उ़समान (रज़ि.) ने मक़ाइद (बैठने की जगह) के पास वुज़ू करने का इरादा किया, तो कहा क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू न बताऊँ? फिर हर आ़ज़ा (अंग) को तीन-तीन बार धोया। और क़ुतैबा की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है उ़समान (रज़ि.) के पास रसूलुल्लाह (ﷺ) के काफ़ी साथी मौजूद थे।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلاَ أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(546) हुमरान बिन अबान बयान करते हैं, मैं उ़समान (रज़ि.) के वुज़ू के लिये पानी रखा करता था। वो हर दिन कुछ पानी से ग़ुस्ल

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

फ़रमाते थे। उ़समान (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इस नमाज़ से (मिस्अर ने कहा, मेरा ख़याल है असर मुराद है) सलाम फेरने के बाद कहा, 'मैं नहीं जानता तुमसे कुछ बयान करूँ या चुप रहूँ?' हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर बेहतरी व भलाई की बात है तो हमें बता दीजिये और अगर कुछ और है तो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो मुसलमान वुज़ू करता है और जो वुज़ू अल्लाह ने उसके लिये फ़र्ज़ क़रार दिया है उसको पूरी तरह (मुकम्मल तौर पर) करता है, फिर ये पाँचों नमाज़ें अदा करता है, तो ये नमाज़ें उन गुनाहों के लिये कफ़्फ़ारा बन जायेंगी जो उन नमाज़ों के दरम्यान में सरज़द हुए हैं।'

(नसाई : 1/91, इब्ने माजह : 459)

وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، قَالَ كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً . وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاَتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ " مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَىْءٍ أَوْ أَسْكُتُ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नुत्फ़ह : थोड़ा सा पानी। **(2) युफ़ीज़ु अ़लैह :** अपने ऊपर बहाते, यानी ग़ुस्ल करते। **(3) मा अदरी :** मैं फ़ैसला नहीं कर पाया कि इस बात को बयान करना मुफ़ीद है या नहीं। फिर आपने यही बेहतर समझा कि तहारत व नमाज़ की तरग़ीब व तश्वीक़ के लिये उसको बयान कर दिया जाये।

(547) जामिअ़ बिन शद्दाद से रिवायत है कि मैंने हुमरान बिन अबान से इस मस्जिद में अबू बुरदा को बिश्र की हुकूमत में बताते हुए सुना कि उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने वुज़ू को इस तरह पूरा किया जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फ़र्ज़ नमाज़ें उन गुनाहों के लिये कफ़्फ़ारा बनेंगी जो उनके दरम्यान हुए।' ये इब्ने मुआ़ज़ की रिवायत है, गुन्दर की हदीस़

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ .

में बिश्र की इमारत और फ़र्ज़ नमाज़ों का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(548) हुमरान (मौला उ़समान) से रिवायत है कि एक दिन हज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) ने बहुत अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने बहुत अच्छी तरह वुज़ू किया। फिर फ़रमाया, 'जिसने इस तरह वुज़ू किया, फिर मस्जिद को सिर्फ़ नमाज़ के इरादे से गया, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ला यन्हज़ुहू : इसको उठाती नहीं, इसको हरकत नहीं देती। **(2) मा ख़ला** : गुज़रे हुए, गुज़िश्ता।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ " .

(549) हुमरान मौला उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान हज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने नमाज़ के लिये कामिल वुज़ू किया, फिर फ़र्ज़ नमाज़ के लिये चल कर गया और लोगों के साथ या बाजमाअ़त नमाज़ अदा की या मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह माफ़ कर देता है।'

(सहीह बुख़ारी : 6433, नसाई : 1/111-112, 9797)

बाब 5 : पाँच नमाज़ें, जुम्आ अगले जुम्आ तक, रमज़ान अगले रमज़ान तक, दरम्यान के गुनाहों के लिये कफ़्फ़ारा बनते हैं, बशर्तेकि बड़े गुनाहों से बचे

باب الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

(550) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच नमाज़ें, जुम्आ अगले जुम्आ तक, दरम्यानी गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैं, जब तक कबाइर (बड़े गुनाहों) का इर्तिकाब नहीं किया जाता।'

(तिर्मिज़ी : 214)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : मा लम तुग़श : ग़श्यान का असल मानी किसी के पास आना है। कहते हैं, ग़शिय फुलानन फ़लाँ के पास आया। यहाँ मक़सद गुनाहों का इर्तिकाब है, जिसको आगे इज्तिनाबुल कबाइर, बड़े गुनाहों से बचना से ताबीर किया गया है।

(551) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'पाँचों नमाज़ें और एक जुम्आ दूसरे जुम्आ तक दरम्यान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैं।'

حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " .

(552) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे, 'पाँच नमाज़ें, जुम्आ अगले जुम्आ तक,

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ " .

रमज़ान अगले रमज़ान तक दरम्यान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनते हैं, जबकि इंसान कबीरा गुनाहों से बचे।'

फ़ायदा : इंसान से अलग-अलग क़िस्म के गुनाह और क़ुसूर सरज़द होते रहते हैं, इसलिये अलग-अलग गुनाहों के लिये अलग-अलग क़िस्म की इबादात कफ़्फ़ारा बनती हैं। कुछ वुज़ू से माफ़ होते हैं, कुछ का कफ़्फ़ारा नमाज़ बनती है और कुछ गुनाह जुम्आ से माफ़ होते हैं, कुछ की बख़्शिश रोज़े से होती है। इसी तरह और इबादात हैं लेकिन कबीरा गुनाहों की आलूदगी और नजासत इस क़द्र ग़लीज़ होती है और उसके क़बीह असरात इस क़द्र गहरे और पुख़्ता होते हैं जिनका इज़ाला सिर्फ़ तौबा व इस्तिग़फ़ार से हो सकता है। हाँ अगर अल्लाह तआला किसी पर ख़ुसूसी रहम फ़रमाकर, यूंही माफ़ कर दे तो उसका फ़ज़्ल व करम इन्तिहाई वसीअ है, वो किसी का पाबंद नहीं है। क़ुरआन मजीद में है, **'अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयाँ दूर कर देंगे।'** (सूरह निसा : 31)

باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

बाब 6 : वुज़ू के बाद मुस्तहब ज़िक्र

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، ح

وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ

(553) हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हमारे ज़िम्मे ऊँटों का चराना था। जब मेरी बारी आई, मैं ऊँटों को चरा कर शाम को लेकर आया। तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पाया कि आप खड़े होकर लोगों को तल्क़ीन फ़रमा रहे हैं। मैंने आपका ये क़ौल सुना, 'जो मुसलमान वुज़ू करता है और वो अच्छी तरह वुज़ू करके फिर खड़े होकर पूरी क़ल्बी (दिली) तवज्जह और यकसूई के साथ दो रकअत नमाज़ पढ़ता है तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो जायेगी।' मैंने कहा, ये हदीस़ किस क़द्र उम्दा है? तो मेरे सामने एक आदमी

فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ . فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

कह रहा था, इससे पहले वाली ज़्यादा उम्दा है। तो मैंने देखा, वो हज़रत उमर (रज़ि.) थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें देखा है तुम अभी आये हो (आपने इससे पहले फ़रमाया था,) 'तुममें से जो भी (पूरा) कामिल वुज़ू करता है, फिर कहता है अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू (मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद उसके बन्दे और उसके रसूल हैं) तो उसके लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जिससे चाहे दाख़िल हो जाये।'

(अबू दाऊद : 169, 906, नसाई : 1/94-95)

फ़ायदा : कलिम-ए-शहादत : पूरे दीन का उन्वान है और इसका मक़सद पूरे दीन की तामील का इक़रार व ऐतराफ़ करना है और दीने कामिल पर अमलपैरा शख़्स को ही ये सआदते उज़्मा हासिल होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाये। इसलिये हर वुज़ू के बाद इस अहद की तजदीद और याद दिहानी कराई जाती है ताकि इंसान कभी भी दीन से ग़ाफ़िल न हो और उसकी तामील में सुस्ती और काहिली का शिकार न हो, हर वुज़ू के बाद इन कलिमात के दिल की गहराई से इक़रार की तासीर व बरकत से इंसान को अमले सालेह की तौफ़ीक़ हासिल होती है और गुनाहों से एहतिराज़ करता है।

सनद की वज़ाहत : बैरूती नुस्ख़े से बज़ाहिर ये महसूस होता है कि हद्दसनी अबू उसमान का लफ़्ज़ इमाम मुस्लिम फ़रमा रहे हैं क्योंकि इसमें व हद्दसनी अबू उसमान है जबकि अगली रिवायत से साबित हो रहा है, ये इमाम मुस्लिम का क़ौल नहीं है। इमाम अबू अली ग़स्सानी ने अपनी किताब 'तक़यीदुल मुहमल' में तफ़्सील से साबित किया है कि इसका क़ाइल मुआविया बिन सालेह है। मुआविया बिन सालेह रबीआ और अबू उसमान से रिवायत करता है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي، عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(554) यही रिवायत इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं। हाँ उसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, जिसने वुज़ू करने के बाद कहा, अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। (यानी

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً، تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى .

पाँव से एक नाख़ुन के बक़द्र जगह को छोड़ दिया। नबी (ﷺ) ने उसको देख लिया और फ़रमाया, 'वापस जाकर अच्छी तरह वुज़ू करके आओ।' तो वो वापस गया, फिर (आकर) नमाज़ पढ़ी।

(इब्ने माजह : 666)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित हुआ, वुज़ू के हर अंग को पूरे तौर पर धोया जाये। किसी अंग का मामूली सा हिस्सा भी ख़ुश्क न रहे। अगर ज़र्रा बराबर जगह भी छोड़ दी गई तो वुज़ू नहीं होगा और अगर वुज़ू नहीं है तो ज़ाहिर है नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि वुज़ू नमाज़ के लिये शर्त है और इस हदीस़ से भी मालूम हुआ पाँव का धोना ज़रूरी है। अगर पाँव का मसह होता तो नाख़ुन के बक़द्र रह जाने वाली जगह नज़र न आती।

باب خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

बाब 11 : वुज़ू के पानी के साथ गुनाहों का (आज़ाए वुज़ू से) निकलना

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ " .

(577) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मुसलमान या मोमिन बन्दा वुज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है तो पानी के साथ या उसके आख़िरी क़तरे के साथ उसके चेहरे से वो सारे गुनाह निकल जाते हैं जो उसकी आँख ने देखे थे और जब अपने दोनों हाथ धोता है तो पानी के साथ या उसके आख़िरी क़तरे के साथ वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिन्हें उसके हाथों ने पकड़ा था और जब अपने पाँव धोता है तो वो गुनाह निकल जाता है जिसकी तरफ़ वो चलकर गया था। यहाँ तक कि वो (वुज़ू से फ़राग़त के बाद) गुनाहों से पाक हो जाता है।'

(तिर्मिज़ी : बाब 2)

(578) हज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने वुज़ू किया और ख़ूब अच्छी तरह वुज़ू किया, उसके जिस्म से उसके गुनाह निकल गये, यहाँ तक कि उसके नाख़ुनों के नीचे से भी निकल जाते हैं।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ " .

फ़वाइद : (1) ऊपर दर्ज की गई दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि जो शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीम व हिदायत के मुताबिक़ बातिनी पाकीज़गी हासिल करने की ख़ातिर वुज़ू के आदाब व सुनन की रिआयत के साथ अच्छी तरह वुज़ू करेगा तो उससे सिर्फ़ ज़ाहिरी मैल-कुचैल या हदस़ वाली नापाकी ही दूर नहीं होगी बल्कि उसकी बरकत से उसके सारे जिस्म के गुनाह और उनकी नापाकी निकल जायेगी और वो हदस़ से पाक होने के साथ गुनाहों से भी पाक हो जायेगा। (2) इन हदीसों से मालूम हुआ कि गुनाहों का भी अपना एक वजूद है। ये अलग बात है कि वो हमें नज़र नहीं आते। इसलिये इन हदीसों की इस तावील की ज़रूरत नहीं है कि गुनाहों के निकल जाने से मक़सद या मुराद सिर्फ़ उनकी माफ़ी और बख़्शिश है या बन्दा जब गुनाह करता है तो जिस अंग से गुनाह करता है उसका गलत अस़र और उसकी नहूसत उसके अंग पर और फिर दिल पर पड़ती है। तो आदाब व सुनन के मुताबिक़ किये गये वुज़ू से हर अंग से किये गये गुनाह की गन्दी और बुरी तास़ीर और किसी अंग और दिल पर क़ायम होने वाली ज़ुल्मत व स्याही दूर हो जाती है और गुनाहों की माफ़ी और मग़्फ़िरत भी हो जाती है। लेकिन ये बात पीछे गुज़र चुकी है कि नेक आमाल की तास़ीर से सग़ीरा गुनाह (छोटे-छोटे गुनाह) माफ़ होते हैं और अलग-अलग अ़मलों से अलग-अलग क़िस्म के गुनाह माफ़ होते हैं और जिस्म उनसे पाक व साफ़ हो जाता है।

बाब 12 : चेहरे और हाथ-पाँव की रोशनी और चमक को बढ़ाने का मुस्तहब होना

باب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

(579) नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह मुजिमर बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को वुज़ू करते देखा, उन्होंने चेहरा मुकम्मल धोया। फिर

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

अपना दायाँ हाथ धोया, यहाँ तक कि बाज़ू का भी एक हिस्सा धोया। फिर अपना बायाँ हाथ धोया, यहाँ तक कि बाज़ू का कुछ हिस्सा भी धोया। फिर अपने सर का मसह किया। फिर अपना दायाँ पाँव धोया यहाँ तक कि पिण्डली तक पहुँचे, फिर अपना बायाँ पाँव धोया यहाँ तक कि पिण्डली का कुछ हिस्सा धोया। फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह वुज़ू करते देखा और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम क़यामत के दिन कामिल वुज़ू करने की वजह से रोशन और मुनव्वर चेहरे और रोशन व मुनव्वर हाथ पाँव वाले होगे तो तुममें से जो अपने चेहरे और हाथ पाँव की चमक और रोशनी को बढ़ा सके, बढ़ा ले।'

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ " .

(580) नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह बयान करते हैं कि उसने अबू हुरैरह (रज़ि.) को वुज़ू करते देखा, उन्होंने अपना चेहरा और हाथ धोये यहाँ तक कि कन्धों के क़रीब पहुँच गये। फिर उन्होंने अपने पाँव धोये यहाँ तक कि पिण्डलियों तक पहुँच गये। फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'मेरे उम्मती क़यामत के दिन वुज़ू के असर से रोशन चेहरे और चमकदार हाथ पाँव के साथ आयेंगे, तुममें से जो अपनी रोशनी और नूरानियत बढ़ा सके तो ऐसा करे।'

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) गुर्रत : पेशानी की रोशनी और चमक। **(2) तहजील :** हाथ-पाँव की सफ़ेदी और चमक।

फ़ायदा : वुज़ू का असर दुनिया में ये है कि उससे आज़ाए वुज़ू (वुज़ू के हिस्से) मैल-कुचैल और हदस से पाक व साफ़ होकर गुनाहों से भी पाक हो जाते हैं। लेकिन क़यामत में उसका असर ये होगा कि आपके उम्मतियों के चेहरे और हाथ-पाँव रोशन और ताबाँ होंगे और ये उनका वहाँ इम्तियाज़ी वस्फ़ होगा। फिर जिसका वुज़ू जितना कामिल और मुकम्मल होगा उसकी ये रोशनी और नूरानियत भी उस दर्जे की होगी। इसलिये वुज़ू में बाज़ू और पिण्डली को भी धोने की कोशिश करनी चाहिये और इसकी कोई ख़ास हद मुक़र्रर नहीं है, जहाँ तक धो सके, धो ले।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ " نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ " .

(581) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरा हौज़ अदन से ऐला तक के फ़ासले से ज़्यादा बड़ा है और (उसका पानी) यक़ीनन बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और शहद मिले हुए दूध से ज़्यादा शीरीं (मीठा) है और उसके बर्तनों की तादाद यक़ीनन सितारों की तादाद से ज़्यादा है और मैं लोगों को उससे रोकूँगा, जिस तरह एक इंसान अपने हौज़ से दूसरे लोगों के ऊँटों को रोकता है।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या उस दिन आप हमें पहचानेंगे? आपने फ़रमाया, 'हाँ! तुम्हारे लिये एक अलामत (निशानी) होगी, जो दूसरी किसी उम्मत में नहीं होगी, तुम मेरे पास वुज़ू के असर से रोशन चेहरे और चमकदार हाथ-पाँव से पहुँचोगे।'

(इब्ने माजह : 4282)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

(582) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत मेरे पास हौज़ पर आयेगी और मैं उससे लोगों को हटाऊँगा जैसे एक मर्द अपने ऊँटों से दूसरे इंसान के ऊँटों को हटाता है।' उन्होंने

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَرِدُ عَلَىَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ " نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " .

(सहाबा किराम रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! क्या आप हमें पहचानेंगे? आपने फ़रमाया, 'हाँ! तुम्हारी एक निशानी होगी जो तुम्हारे सिवा किसी में नहीं होगी, तुम मेरे पास वुज़ू के असरात की बिना पर रोशन चेहरे, चमकदार हाथ-पाँव के साथ आओगे, तुममें से एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जायेगा, तो वो मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा, तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब! ये मेरे साथियों में से हैं। तो मुझे एक फ़रिश्ता जवाब देगा, और क्या आप जानते हैं इन्होंने आपके बाद क्या-क्या नये काम निकाले थे।'

फ़ायदा : इन दोनों हदीसों से मालूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) का ये अक़ीदा नहीं था कि आपको इल्मे कुल्ली हासिल है या आप आलिमुल ग़ैब हैं। वरना वो ये सवाल न करते कि अतअरिफ़ुना (क्या आप हमें पहचानेंगे)? और न ही आप ये जवाब देते, नअम लकुम् सीमा लैसत लिअहदिन ग़ैरिकुम तुम्हारी एक ऐसी अलामत होगी जो किसी और में नहीं होगी। इल्मे कुल्ली रखने वाले को किसी अलामत या निशानी की ज़रूरत नहीं होती।(हदीस के जुम्ले अ हल तदरी मा अहदसू बअ्दक की बहस इस मफ़्हूम की आख़िरी हदीस के बाद आयेगी)

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ " نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ

(583) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बिला शुब्हा मेरा हौज़ उससे ज़्यादा मसाफ़त वाला है जितनी ऐला की अदन से है और उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं बिला शुब्हा इससे मर्दों को रोकूँगा जिस तरह आदमी अपने हौज़ से अजनबी ऊँटों को दूर करता है।' उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें कैसे पहचानेंगे? आपने फ़रमाया, 'हाँ! तुम मेरे पास इस हाल में आओगे कि वुज़ू की असरात की वजह से रोशन चेहरे चमकदार हाथ-पाँव

मِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ " .

से आओगे ये अलामत तुम्हारे सिवा किसी और के लिये नहीं है।'

(इब्ने माजह : 4302)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " . قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ " . فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ . فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا " .

(584) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ब्रिस्तान में पहुँचे और फ़रमाया, 'ऐ मोमिनों के गिरोह! तुम पर सलामती हो और हम भी इन्शाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। मेरी ख़्वाहिश है कि हमने अपने भाइयों को देखा होता।' सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम आपके भाई नहीं? आपने जवाब दिया, 'तुम मेरे साथी हो और हमारे भाई वो लोग हैं जो अभी तक दुनिया में नहीं आये।' तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी उम्मत के वो लोग जो अभी पैदा नहीं हुए, आप उनको कैसे पहचानेंगे? तो आपने फ़रमाया, 'बताइये! अगर किसी के रोशन चेहरे, रोशन हाथ-पाँव वाले घोड़े (यानी पाँच कुल्लियान) ऐसे घोड़ों में हों जो ख़ालिस स्याह हों तो क्या वो अपने घोड़ों को पहचान नहीं लेगा?' उन्होंने कहा, क्यों नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'वो वुज़ू की बिना पर रोशन रू, रोशन हाथ-पाँव आयेंगे और मैं होज़ पर उनका पेशरू हूँगा। ख़बरदार! कुछ लोग यक़ीनन मेरे हौज़ से हटाये जायेंगे, जैसे भटका हुआ ऊँट दूर हटाया जाता है, मैं उनको आवाज़ दूँगा, ख़बरदार! इधर आओ। तो कहा जायेगा, इन्होंने आपके बाद अपने आपको बदल लिया था (आपके रास्ते या तर्ज़े अमल में मिलावट कर दी थी) तो मैं कहूँगा, 'दूर, दूर, हो जाओ।'

दुआइया कलिमात में कुछ इज़ाफ़ा है।)

عليه وسلم . قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

सनद की वज़ाहत : सनद से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अबू उ़समान का अ़त्फ़ अबू इदरीस ख़ौलानी पर है। जबकि अबू अ़ली ग़स्सानी ने साबित किया है कि अबू उ़समान का अ़त्फ़ रबीआ़ बिन यज़ीद पर है। क्योंकि मज़्कूरा बाला रिवायत में अबू इदरीस ख़ौलानी बिला वास्ता उ़क़बा बिन आ़मिर (रज़ि.) से बयान करते हैं जबकि अबू उ़समान बिल्वास्ता बयान करता है और ये रबीआ़ का हम मर्तबा है। (सहीह मुस्लिम शरह इमाम नववी, जिल्द 1, पेज नम्बर : 122, क़दीमी कुतुबख़ाना)

फ़ायदा : सुनन तिर्मिज़ी में ये इज़ाफ़ा है अल्लाहुम्मज्-अ़ल्नी मिनत्तवाबी-न वज्अ़ल्नी मिनल् मुततह्हिरीन। इमाम नसाई की किताब 'अ़मलुल यौमि वल्लैलह' में ये इज़ाफ़ा है सुब्हान-कल्लाहुम्-म व बिहम्दि अशहदु अल्ला इला-ह इल्ला अन्-त वह्द-क ला शरीक लक अस्तग़्फ़िरुक व अतूबु इलैक (सहीह मुस्लिम इमाम नववी, जिल्द : 1, पेज नम्बर 123) बेहतर यही है कि इन तमाम बाबरकत दुआओं का विर्द करे।

बाब 7 : नबी (ﷺ) के वुज़ू का एक और तरीक़ा

باب فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ

(555) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम अन्सारी (जिसे शर्फ़े रिफ़ाक़त हासिल है) उनसे किसी ने कहा, हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू करके दिखायें, तो उन्होंने पानी का बर्तन मँगवाया और उससे अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और उन्हें तीन बार धोया। फिर (बर्तन में) अपना हाथ डालकर निकाला और एक हथेली से कुल्ली की और नाक में पानी खींचा। ये काम तीन बार किया। फिर अपना हाथ डालकर (बर्तन में से) निकाला और अपना चेहरा तीन बार धोया। फिर बर्तन में

وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم .

अपना हाथ डालकर निकाला और अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत दो-दो बार धोये, फिर बर्तन में हाथ डालकर उससे पानी निकाला और अपने सर का मसह किया। अपने दोनों हाथ आगे से पीछे को और पीछे से आगे लाये फिर दोनों पाँव टख़्नों समेत धोये। फिर कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही वुज़ू किया करते थे।

(सहीह बुख़ारी : 185, 186, 191, 192, 197, 199, अबू दाऊद : 100, 119, तिर्मिज़ी : 28, 32, 47, नसाई : 1/71,-72, इब्ने माजह : 405, 434, 471)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अक्फ़अ अक्फ़अ : उसको झुकाया, उससे पानी डाला। **(2) इस्तन्शक़ :** नशक़ुन से है, जिसका मानी है सूंघना, मक़सद नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी डालना। **(3) अक़बल :** आगे से शुरू किया और दुबुर इसके बरख़िलाफ़ है। यानी पीछे से शुरू किया है।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से स़ाबित हुआ, आप एक ही चुल्लू से कुल्ली भी करते और नाक में पानी भी चढ़ाते थे और बेहतर तरीक़ा यही है। उ़लमा ने इसके पाँच तरीक़े लिखे हैं (1) एक चुल्लू लेकर, उससे तीन मर्तबा कुल्ली करे और तीन मर्तबा नाक में पानी डाले। (2) एक चुल्लू में पानी ले और उससे तीन बार पहले कुल्ली करे फिर तीन बार नाक में पानी डाले। (3) तीन बार चुल्लू में पानी ले और हर बार कुल्ली करे और नाक में पानी डाले। (4) पहले एक चुल्लू से तीन बार कुल्ली करे, फिर दूसरे चुल्लू से तीन बार नाक में पानी डाले। (5) हर चुल्लू से सिर्फ़ एक काम करे पहले तीन चुल्लूओं से तीन बार कुल्ली करे, फिर तीन चुल्लूओं से तीन बार नाक में पानी डाले। इस हदीस़ से तीसरा तरीक़ा स़ाबित होता है कि तीन चुल्लूओं से दोनों काम एक बार करे। **(2)** कुछ आ़ज़ा (अंग) को दो बार और कुछ को तीन बार धोना भी जाइज़ है। आपने हाथ कोहनियों समेत दो बार धोये, चेहरा और सिर्फ़ हाथ शुरू में तीन-तीन बार धोये। **(3)** सर के मसह में हाथ (दोनों) सामने से पीछे की तरफ़ और फिर पीछे से आगे की तरफ़ लाना, इस बात की दलील है कि मसह पूरे सर का किया जायेगा, उसके अफ़ज़ल व बेहतर होने में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है। फ़र्ज़िय्यत और वुजूब में इख़्तिलाफ़ है। **(4)** सर का मसह एक बार किया, इसलिये इसमें तादाद का ज़िक्र नहीं, दूसरे आ़ज़ा के लिये मर्रतैन और स़लास़ा का ज़िक्र है और इस हदीस़ में पाँव के धोने में भी गिनती मज़्कूर नहीं है।

(556) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। इसमें इलल कअबैन का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنِ .

(557) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़्कूरा रिवायत बयान की उसमें है, तीन बार कुल्ली की और नाक झाड़ा, लेकिन फ़ी कफ़्फ़िन वाहिदा (एक चुल्लू से नहीं कहा और अक़्बल बिहिमा अदबर की तफ़्सीर करते हुए कहा, सर के सामने से शुरू करके दोनों हाथों को अपनी गुद्दी तक ले गये और फिर दोनों को उसी जगह वापस ले आये जहाँ से शुरू किया था और अपने दोनों पाँव धोये।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا . وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ . وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

(558) इमाम साहब एक और सनद से हदीस़ बयान करते हैं और उसमें कहा, तीन चुल्लूओं से कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया और नाक साफ़ किया और ये भी कहा, अपने सर का मसेह एक बार इस तरह किया कि हाथ आगे से पीछे ले गये और पीछे से आगे लाये। बहज़ ने कहा, मुझे ये हदीस़ वुहैब ने लिखवाई और वुहैब ने कहा, मुझे ये हदीस़ अम्र बिन यहया ने दो बार लिखवाई।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ غَرَفَاتٍ . وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً . قَالَ بَهْزٌ أَمْلَى عَلَىَّ وُهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَالَ وُهَيْبٌ أَمْلَى عَلَىَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ .

(559) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़िनी (रज़ि.) से रिवायत है कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वुज़ू करते देखा, आपने कुल्ली की, फिर नाक (में पानी

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ

وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَالأُخْرَى ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا . قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ .

डालकर) झाड़ा, फिर अपना चेहरा तीन बार धोया और अपना दायाँ हाथ तीन मर्तबा और दूसरा तीन मर्तबा और सर का मसह उस पानी से किया जो हाथ से बचा हुआ नहीं था (यानी नये पानी से मसह किया) और अपने दोनों पाँव धोये यहाँ तक कि उनको साफ़ कर लिया।

(अबू दाऊद : 120, तिर्मिज़ी : 35)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित हुआ कि सर के मसह के लिये नया पानी लेना चाहिये ऊपर की हदीस़ में भी यही कैफ़ियत बयान हुई है।

باب الإِيتَارِ فِي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجْمَارِ

बाब 8 : नाक झाड़ने और ढेले इस्तेमाल करने में ताक़ का लिहाज़ रखना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ " .

(560) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई ढेले इस्तेमाल करे तो ताक़ ढेले इस्तेमाल करे और जब तुममें से कोई वुज़ू करे तो नाक में पानी डाले, फिर नाक साफ़ करे।'

(सहीह बुख़ारी : 162, अबू दाऊद : 140, नसाई : 1/65-66)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इस्तजमर : जिमार (छोटे पत्थर) से बोल व पेशाब की जगह साफ़ करना, इस्तिन्जा करना। **(2) लियस़्तन्सर :** अल इस्तिन्स़ार नाक में पानी डालने के बाद, नाक साफ़ करना। इससे बीनी वग़ैरह निकालना।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ

(561) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब

هَمَّام، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ

तुममें से कोई वुज़ू करे तो दोनों नथुनों में पानी डाले और फिर नाक झाड़े।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " .

(562) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो वुज़ू करे तो वो नाक झाड़े और जो शख़्स इस्तिन्जा करे तो ताक़ (तीन) बार करे।'

(सहीह बुख़ारी : 161, नसाई : 1/66, इब्ने माजह : 409)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا، سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ .

(563) इमाम साहब ने एक और सनद से अबू हुरैरह (रज़ि.) और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) दोनों से रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ " .

(564) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुमसे कोई अपनी नींद से बेदार हो तो तीन बार नाक झाड़े क्योंकि शैतान उसके बाँसे पर रात गुज़ारता है।'

(सहीह बुख़ारी : 3295, नसाई : 1/67)

मुफ़रदातुल हदीस़ : ख़याशीम : ख़ैशूम की जमा है, नाक के आला हिस्से को कहते हैं और बक़ौल कुछ पूरे नाक को।

(565) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है वो बताते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुमसे कोई ढेले इस्तेमाल करे तो ताक़ (तीन) बार इस्तेमाल करे।'

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ "

फ़ायदा : तमाम मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायात से साबित होता है कि इस्तिन्जा में ढेले ताक़ (तीन पाँच या सात) इस्तेमाल करने चाहिये, तीन का इस्तेमाल फ़र्ज़ है और तीन से ज़्यादा का इन्हिसार ज़रूरत पर है और तीन से ऊपर में ताक़ का लिहाज़ बेहतर और अफ़ज़ल है, लाज़िम नहीं है।

बाब 9 : वुज़ू में दोनों पाँव मुकम्मल तौर पर धोना फ़र्ज़ है

باب وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

(566) शद्दाद के आज़ाद करदा गुलाम सालिम बयान करते हैं जिस दिन हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) फ़ौत हुए तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने आकर उनके सामने वुज़ू किया। तो उन्होंने कहा, ऐ अ़ब्दुर्रहमान! वुज़ू पूरा कर (कामिल) करो। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'एड़ियों के लिये आग (जहन्नम) की तबाही है (यानी ख़ुश्क रहने की सूरत में अ़ज़ाब होगा)।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " .

(567) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(568) सालिम जो महरी के मौला हैं बयान करते हैं कि मैं और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के जनाज़े के लिये निकले और हम हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुजरे के दरवाज़े से गुज़रे, तो मुझे उन्होंने नबी (ﷺ) की मज़्कूरा बाला रिवायत सुनाई।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي - أَوْ، حَدَّثَنَا - أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(569) शद्दाद बिन अल्हाद के आज़ाद करदा गुलाम सालिम से रिवायत है कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के साथ था तो आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ، عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(570) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का से मदीना की तरफ़ लौटे, यहाँ तक कि जब हम रास्ते में एक पानी पर पहुँचे तो कुछ लोगों ने असर के वक़्त जल्दी की और उन्होंने जल्दी-जल्दी वुज़ू कर लिया। हम उन तक इस हाल में पहुँचे कि उनकी एड़ियाँ पानी

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ

نَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " .

न छूने की वजह से ज़ाहिर हो रही थीं (ख़ुश्क थीं) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'एड़ियों के लिये आग की हलाकत है वुज़ू मुकम्मल किया करो।'

(अबू दाऊद : 97, नसाई : 1/78, 1/89, इब्ने माजह : 450)

मुफ़रदातुल हदीस़ : इजाल, अ़ज्लान की जमा है, जल्दबाज़।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " . وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ .

(571) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है जिसमें शोबा ने 'अस्बिग़ुल वुज़ूअ वुज़ू मुकम्मल करो' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये हैं।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " .

(572) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से रिवायत है कि एक सफ़र में जो हमने किया था, हमसे नबी (ﷺ) पीछे रह गये। आप हमें इस हाल में मिले कि अ़सर की नमाज़ का वक़्त हो चुका था, तो हम पाँव पर मसह करने लगे (पानी, पाँव के लिये कम इस्तेमाल किया) तो आपने आवाज़ दी, 'एड़ियों के लिये आग का अ़ज़ाब है।' (एड़ियाँ ख़ुश्क रह गई थीं)

(सहीह बुख़ारी : 60, 96, 163)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(573) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा, उसने अपने पाँव के पिछले हिस्से (एड़ियाँ) नहीं धोये थे, तो आप (ﷺ) ने

عليه وسلم رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " .

फ़रमाया, 'एड़ियों के लिये (ख़ुश्क रह जाने की बिना पर) आग का अ़ज़ाब है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ " .

(574) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कुछ लोगों को लोटे से वुज़ू करते देखा तो कहा, वुज़ू मुकम्मल करो, क्योंकि मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'एड़ियों के लिये आग के बाइस़ तबाही व हलाकत है।'

(सहीह बुख़ारी : 165, नसाई : 1/78)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मित्हरत : अगर मीम पर ज़ेर हो तो मानी होगा वुज़ू करने का आला (जिस बर्तन से भी वुज़ू किया जाये और अगर मीम पर ज़बर पढ़ें तो मानी होगा, धोने की जगह, यहाँ बर्तन मुराद लेना ही ज़्यादा मुनासिब है। **(2) अराक़ीब :** उ़रक़ूब की जमा है, एड़ी के ऊपर का पुट्ठा।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " .

(575) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'एड़ियों के लिये आग से अ़ज़ाब है।'

फ़ायदा : ऊपर की तमाम हदीसों का मक़सूद ये है कि पाँव का धोना लाज़िम है। इसके धोये बग़ैर चारह नहीं है। मोज़ों या जुराबों के बग़ैर पाँव का मसह करना काफ़ी नहीं है और धोने के साथ मसह की ज़रूरत नहीं। उन लोगों की राय दुरुस्त नहीं है जो पाँव के लिये मसह को ज़रूरी क़रार देते हैं या ग़ुस्ल और मसह में इख़्तियार देते हैं या दोनों को ज़रूरी क़रार देते हैं। नीज़ पाँव मुकम्मल तौर पर धोया जायेगा। एड़ियों के ख़ुश्क रहने का एहतिमाल है, इसलिये इनके धोने की ख़ुसूसी तौर पर ताकीद की गई है।

باب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

बाब 10 : महल्ले तहारत (तमाम आज़ाए वुज़ू/वुज़ू के हिस्से) को मुकम्मल तौर पर धोना लाज़िम है

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي

(576) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने बताया कि एक इंसान ने वुज़ू किया तो अपने

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) दुहमिन बुहमिन : ख़ालिस स्याह, दुहम अदहम की जमा है। स्याह को कहते हैं और बुहम बुहैम की जमा है, एक रंग, स्याह घोड़े को फ़रसुन बुहैमुन कहते हैं। **(2) फ़रत :** पानी की तरफ़ लोगों से पहले पहुँचने वाला, इसमें वाहिद जमा बराबर हैं। रजुलुन, फ़रतुन, क़ौमुन फ़रतुन, हलुम्म आओ, मुज़क्कर मुअन्नस़ और मुफ़रद तसनिया जमा सबके लिये है। **(2) सुहक़न, सुहक़न :** बुअ्दन-बुअ्दन : यानी सहक़हुमुल्लाह सुहक़ा, अल्लाह उनको दूर रखे।

फ़वाइद : (1) आपने बाद वाले उम्मतियों को देखने की ख़्वाहिश की। इस पर कोई इश्काल पैदा नहीं होता कि ख़्वाह-मख़्वाह तावील की ज़रूरत पेश आये। जैसाकि कुछ अरबी और उर्दू शारेहीन ने तकल्लुफ़ात से काम लिया है। आपने अल्लाह तआला की हिफ़ाज़त व सयानत के बावजूद शहादत फ़ी सबीलिल्लाह की ख़्वाहिश का इज़हार फ़रमाया, हालांकि आपको कोई दुश्मन शहीद नहीं कर सकता था। मक़सूद शहादत की फ़ज़ीलत व रिफ़अत का इज़हार था। इस तरह देखने की ख़्वाहिश का मतलूब सिर्फ़ अपनी उम्मत से मुहब्बत व प्यार का इज़हार है, जो लोग अभी दुनिया में आये ही नहीं उनको देखा कैसे जा सकता है? **(2)** अस्सलामु अलैकुम एक दुआइया जुम्ला है कि अल्लाह तआला तुम्हें अमन व सलामती बख़्शे, ये ख़िताब नहीं है। जिसके लिये मुर्दे को जवाब देने की ज़रूरत पेश आये। ऐसे कामों के लिये ज़ईफ़ अहादीस़ से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कलिमात तो क़ब्रिस्तान में दाख़िल होते वक़्त कहे जाते हैं क़ब्र पर जाकर नहीं कहे जाते।

और चूंकि इंसान को अपनी मौत का पता नहीं कब आयेगी, इसलिये इस दुआ में इन्शाअल्लाह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं अगरचे मौत एक अटल और यक़ीनी चीज़ है। इन्शाअल्लाह के अल्फ़ाज़ इसकी क़तइय्यत और यक़ीनी होने के मुनाफ़ी नहीं इसलिये ये कलिमा यक़ीनी और क़तई उमूर के मौक़े पर भी इस्तेमाल होता है।

(3) सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपसे सवाल किया, अ लसना इख़्वानक? क्या हम आपके भाई नहीं? तो आपने फ़रमाया, अन्तुम अस्हाबी व इख़्वानिनल लज़ीन लम यातू बअ्द् कि तुम मेरे साथी हो, हमारे भाई तो बाद में आने वाले मुसलमान हैं। यानी तुम्हें एक बुलंद और आला शर्फ़ हासिल है। इसकी मौजूदगी में भाई कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह किसी को मोमिन कह दें तो मुस्लिम कहने की ज़रूरत नहीं है. इससे मालूम हुआ, इन्नमल् मुअ्मिनून इख़्वतुन की बिना पर रसूल अपने मानने वालों का भाई भी होता है और इससे आपकी तौहीन नहीं होती। इसलिये अगर आप अफ़ज़लुल बशर और सय्यिदुल बशर हैं तो इससे आपके बशर होने की नफ़ी नहीं होती, आप बशर हैं। अगरचे सबसे अफ़ज़ल और आला बशर हैं। सहाबा (रज़ि.) आपके भाई भी हैं और सहाबी भी। लेकिन बाद वाले मुसलमान आपके सिर्फ़ दीन व ईमान की बुनियाद पर भाई हैं, सहाबी नहीं।

(4) जिन लोगों को हौज़े कौसर से, जो मैदाने महशर में होगा, जब रोका जायेगा तो आप उनको अस्हाबी कहेंगे, उनको आवाज़ देंगे, तो आपको जवाब दिया जायेगा, हल तदरी मा अहदसू बअ्दक या

अन्नहुम क़द बद्दलू बअ्दक और कुछ रिवायात में ला तदरी मा अहदसू बअ्दक, ला इल्म बिक बिमा अहदसू बअ्दक वग़ैरह अल्फ़ाज़ आये हैं। जिससे ये बात बिला शक व शुब्हा साबित होती है कि आपको ग़ैब का इल्म या कुल्ली इल्म नहीं है। इन सरीह अल्फ़ाज़ की मौजूदगी में ये कहना (कि नबी (ﷺ) का उनको सहाबी फ़रमाना ला इल्मी की वजह से न था बल्कि इसलिये था कि पहले उनको ये उम्मीद हो कि उनको पानी मिलेगा और फिर जब हौज़ से दूर किया जायेगा और उनकी उम्मीद टूटेगी तो उनको ज़्यादा अज़ाब होगा।' ये इन्तिहाई रकीक तावील नहीं है तो क्या है? सहीह अहादीस की मौजूदगी में इस मनघढ़त बात का क़रीना और दलील क्या है? क्या हौज़ पर आने के बाद उनको दूर किया जायेगा? जब कि सूरते हाल ये है कि फ़रिश्ते उनको दूर ही से रोक लेंगे। नीज़ क्या वो आपकी आवाज़ कि ये अस्हाबी हैं। सुन लेंगे कि उनको ये उम्मीद पैदा होगी कि शायद हमें पानी मिल जाये। तो फिर उनादीहिम मैं आवाज़ दूँगा कि अला हलुम्म का क्या मफ़्हूम होगा। नीज़ आप तो जवाब सुनते ही फ़रमा देंगे सुहक़न सुहक़न। तो उम्मीद क्यूँकर पैदा होगी। और ला इल्म लक हल तदरी का क्या मफ़्हूम होगा। इसके बाद ये तावील करना कि ये भी हो सकता है कि अस्हाबी से पहले हम्ज़ह इस्तिफ़्हाम का महज़ूफ़ हो यानी क्या ये मेरे अस्हाबी हैं? पहली से भी बुरी तावील है। अगर हम्ज़ह इस्तिफ़्हाम महज़ूफ़ है तो फिर उनादीहिम आवाज़ दूँगा अला हलुम्म आ जाओ, इसका क्या मक़सद है। आवाज़ किस मक़सद के लिये दी जा रही है और इस जवाब की क्या ज़रूरत है। ला इल्म लक, ला तदरी मा अहदसू बअ्दक और ये तावील तो इन्तिहाई मज़्हकाख़ेज़ है कि आप तो दुनिया में फ़रमा रहे हैं कि मेरे हौज़ पर ऐसे-ऐसे लोग भी आने की कोशिश करेंगे जिनको मैं अपने समझूँगा। जबकि असल हक़ीक़त की रू से वो मेरे रास्ते पर चलने वाले नहीं होंगे और जब मुझे असल हक़ीक़त का इल्म होगा, तो मैं कहूँगा, सुहक़न सुहक़न।

इसी तरह इन मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस के मुक़ाबले में मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत पेश की जाती है कि आपने फ़रमाया, हयाती ख़ैरुल्लकुम, व ममाती ख़ैरुल्लकुम, तुअ्रज़ु अलय्य अअ्मालुकुम, फ़मा का-न मिन हुस्निन शकर्तुल्लाह अलैह, वमा का-न मिन शैइन इस्तग़फ़र्तुल्लाह लकुम मेरी ज़िन्दगी तुम्हारे हक़ में बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे हक़ में बेहतर होगी, तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किये जाते हैं, जो अच्छे होंगे उस पर मैं अल्लाह का शुक्र और तारीफ़ करूँगा और जो बुरे होंगे उन पर मैं तुम्हारे लिये अल्लाह से माफ़ी तलब करूँगा।

अब ज़ाहिर है ये हदीस अगर सहीह है तो मुत्तफ़क़ अलैह रिवायात के मुख़ालिफ़ और मुआरिज़ नहीं हो सकती। क्योंकि ये बात आपने बरज़ख़ी दौर के बारे में बताई है और मज़्कूरा रिवायात का ताल्लुक़ वुक़ूअे क़यामत के बाद के दौर से है। इस हदीस से ये तीन बातें साबित होती हैं : (1) आपकी ज़िन्दगी के दौर के बाद आपकी मौत का दौर है और जो हज़रात आपको आलिमुल ग़ैब या कुल्ली इल्म का मालिक क़रार देते हैं वो आपकी मौत के मुन्किर हैं। आपको ज़िन्दा मानते हैं, जबकि ये रिवायत आपकी मौत पर सराहतन दलालत कर रही है। (2) तुअ्रज़ु अलय्य अअ्मालुकुम मुझ पर तुम्हारे

आमाल पेश किये जायेंगे। इससे मालूम होता है आपको पता नहीं है या आप आलिमुल ग़ैब नहीं हैं। वगरना आमाल को आप पर पेश करने की क्या ज़रूरत है? जिन बातों का आपको इल्म दे दिया जाता है उनका आपको पता चल जाता है और जिनका इल्म नहीं दिया जाता, उनका पता नहीं चलता। अअ्मालुकुम के मुख़ातब आपके सहाबा और वो लोग हैं जो आपके रास्ते पर चले। इसके अंदर कोई तरमीम व तन्सीख़ या कमी व बेशी नहीं की। जिन्होंने आपके तरीक़े या आपके रास्ते को छोड़ दिया, वो इसमें दाख़िल नहीं हैं। इसलिये उनके बारे में फ़रमाया गया, ला इल्म लक बिमा अह्दसू बअ्दक या यरजिऊ-न अला अअ्क़ाबिहिम ला तदरी मा अह्दसू बअ्दक, ला तदरी मा अमिलु बअ्दक वग़ैरिहा। इन मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि उन मुनाफ़िक़ों, मुर्तदों और बिदअतियों के आमाल आप पर पेश नहीं किये गये, अगर पेश किये गये होते तो आपको अल्फ़ाज़े मज़्कूरा न कहे जाते। अगर इस हदीस का मानी ये है कि तमाम उम्मत के आमाल आप पर पेश किये जाते हैं और आप सबके लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं जिससे सबकी बख़्शिश हो जायेगी तो फिर आपकी उम्मत के लोग दोज़ख़ में क्यों जायेंगे और आप उनकी सिफ़ारिश बार-बार क्यों फ़रमायेंगे और आख़िर में कुछ लोग जायेंगे जिनको सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से ही निकाला जायेगा जैसाकि पीछे शफ़ाअत के बयान में तफ़्सील से गुज़र चुका है।

(585) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ब्रिस्तान की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और फ़रमाया, 'ऐ मोमिनों! के घरों के बासियों! तुम पर सलामती हो और जब अल्लाह को मन्ज़ूर होगा तो हम भी तुम्हारे साथ मिल जायेंगे।' इमाम मालिक की रिवायत में इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है, 'कुछ लोगों को मेरे हौज़ से हटाया जायेगा।'

(अबू दाऊद : 3237, नसाई : 1/93)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ " فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي " .

बाब 13 : ज़ेवर (हुस्नो-जमाल) वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचेगा

باب تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْث يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

(586) अबू हाज़िम बयान करते हैं कि मैं अबू हुरैरह (रज़ि.) के पीछे खड़ा था और वो नमाज़ के लिये वुज़ू कर रहे थे, तो वो अपना हाथ बढ़ाकर बग़लों तक धोते थे। तो मैंने उनसे पूछा, ऐ अबू हुरैरह! ये किस तरह का वुज़ू है? तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ फ़र्रूख़ के बेटे! तुम यहाँ हो? अगर मुझे ये पता होता कि तुम यहाँ खड़े हो मैं इस तरह वुज़ू न करता। मैंने अपने ख़लील (ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'मोमिन का ज़ेवर (नूर) वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसके वुज़ू का पानी पहुँचेगा।'
(नसाई : 1/93)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ " .

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के क़ौल से मालूम हुआ कि शरई काम करते वक़्त इमाम या मुक़्तदी को इस बात का लिहाज़ रखना चाहिये कि ये लोग मेरे फ़ैअल से ग़लत मफ़्हूम या ग़लत नतीजा न निकाल लें, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ख़तरा पैदा हो गया था कि ये कहीं बग़लों तक धोने को फ़र्ज़ ही न समझ ले। यही हाल रुख़सत पर अमल करने का है कि लोग पेशवा और इमाम को किसी रुख़सत पर अमल करते देख कर उसको मुस्तक़िल और हमेशगी का काम न समझ लें।

बाब 14 : तकलीफ़ व मशक़्क़त के बावजूद पूरे और कामिल वुज़ू करने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

(587) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ से आगाह न करूँ जिससे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ

أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह मिटा दे और उससे दरजात बुलंद फ़रमाये?' सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'तकलीफ़ों के बावजूद मुकम्मल वुज़ू करना, ज़्यादा क़दम चलकर मसाजिद में पहुँचना, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार करना और इसी में अपने आपको पाबंद बनाना है।' (तिर्मिज़ी : 51)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्मकारिह : मक्रिह की जमा है है नापसन्दीदा और नागवार चीज़। **(2) रिबात :** अपने आपको किसी काम के लिये रोकना, गोया इंसान ने अपने आपको इताअत के लिये रोक लिया। इससे मालूम हुआ रिबात का एक मफ़्हूम अपने आपको नमाज़ का पाबंद बनाना है।

फ़ायदा : रिबात का मअरूफ़ मानी सरहदों की पहरेदारी है। जो इंसान सरहदों पर पहरा देता है उसकी जान को हर वक़्त दुश्मन से ख़तरा लाहिक़ रहता है और ज़ाहिर है ये बहुत अज़ीमुश्शान काम है और नमाज़ का एहतिमाम शैतान की ग़ारतगिरी से तहफ़्फ़ुज़ का बहुत मुहकम हथियार है और शैतानी हमलों से अपने ईमान की हिफ़ाज़त, अपनी अहमियत और मक़सदियत के लिहाज़ से मुल्की सरहदों की हिफ़ाज़त से भी ज़्यादा अहम है और ज़ालिकुम का मरजअ हदीस़ में बयान करदा तीनों आमाल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काम नफ़्स पर हमले के शैतानी रास्ते से रोकते हैं। इंसान के अंदर ज़ब्ते नफ़्स और ख़्वाहिशात पर कंटोल्ल का मलिका पैदा करते हैं, इसलिये असली रिबात, नफ़्स को उनका पाबंद बनाना है।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ " فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

(588) (मालिक और शोबा) ने अला बिन अब्दुर्रहमान की मज़्कूरा बाला सनद से रिवायत सुनाई, शोबा की रिवायत में रिबात का ज़िक्र नहीं और मालिक की रिवायत में फ़ज़ालिकुमुर्रिबात दो बार है।

(नसाई : 1/89-90)

बाब 15 : मिस्वाक का बयान

باب السِّوَاكِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

(589) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर मुझे ये डर न होता कि मोमिनों को मशक़्क़त होगी' ज़ुहैर की रिवायत में है, 'मेरी उम्मत पर मशक़्क़त पड़ जायेगी, तो मैं उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।'

(अबू दाऊद : 46, नसाई : 1/266-268, इब्ने माजह : 690)

फ़ायदा : मिस्वाक इस क़द्र अज़ीम फ़वाइद की हामिल चीज़ है (मिस्वाक करना इस क़द्र फ़ायदे की चीज़ है) कि आपने फ़रमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी उम्मत को हुक्म दूँ कि वो हर नमाज़ के लिये मिस्वाक करे, लेकिन ऐसा हुक्म मैंने सिर्फ़ इस अन्देशे की बिना पर नहीं दिया कि हर नमाज़ के लिये ये काम उम्मत के लिये, हर-हर फ़र्द के ऐतबार से कुल्फ़त (परेशानी) का बाइस होगा और हर एक के लिये उसकी पाबंदी मुश्किल होगी। तो ये भी ताकीद व तरग़ीब का एक बहुत बड़ा मुअस्सिर उन्वान है इसलिये उम्मत को अपने तौर पर इसका एहतिमाम करने की कोशिश करनी चाहिये।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

(590) मिक़्दाम बिन शुरैह अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि नबी (ﷺ) जब घर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते थे? उन्होंने जवाब दिया, सबसे पहले आप मिस्वाक फ़रमाते थे।

(अबू दाऊद : 51, नसाई : 1/13, इब्ने माजह : 290)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ .

(591) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब घर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिस्वाक फ़रमाते।

(592) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में इस हाल में हाज़िर हुआ कि मिस्वाक का एक किनारा आपकी ज़बान पर था।

(सहीह बुख़ारी : 244, अबू दाऊद : 49, नसाई : 1/9)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، - وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَلِيُّ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ .

(593) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ के लिये बेदार होते तो अपने मुँह को मिस्वाक से साफ़ फ़रमाते।

(सहीह बुख़ारी : 245, 889, 1136, अबू दाऊद : 55, नसाई : 3/212, इब्ने माजह : 286)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यतहज्जदु : हुजूद से है और हुजूद का मानी होता है सोना और तहज्जुद का मानी होता नींद से निकलना, यानी बेदार होना। मक़सद है रात को नमाज़ के लिये उठना। **(2) यशूसु फ़ाहू :** मिस्वाक से दाँत अरज़न (चौड़ाई में) साफ़ करना।

(594) मन्सूर और आमश दोनों ने अबू वाइल से हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को उठते आगे मज़्कूरा रिवायत की तरह है लेकिन उन्होंने लियतहज्जद नहीं कहा।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَتَهَجَّدَ .

(595) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को उठते तो अपना मुँह मिस्वाक से साफ़ करते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

(596) 256/430 हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने एक रात नबी (ﷺ) के यहाँ गुज़ारी तो नबी (ﷺ) रात के आख़िरी हिस्से में उठे। बाहर निकलकर आसमान पर नज़र डाली फिर सूरह आले इमरान की ये आयत पढ़ी, इन्-न फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल्अरज़ि वख़्तिलाफ़िल्-लैलि वन्नहारि लआयातिल्-लिउलिल् अल्बाब। अल्लज़ी-न यज़्कुरूनल्ला-ह क़ियामंव्-व क़ुऊदंव्-व अ़ला जुनूबिहिम व यतफ़क्करू-न फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल्अरज़ि रब्बना मा ख़लक़्-त हाज़ा बातिलन् सुब्हान-क फ़क़िना अ़ज़ाबन्नार। (सूरह आले इमरान : 190-191) फिर लौटकर अंदर आ गये और मिस्वाक करके वुज़ू फ़रमाया, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, फिर लेट गये। फिर खड़े हुए बाहर निकलकर आसमान की तरफ़ देखा, फिर दोबारा ये आयत पढ़ी। फिर वापस आकर मिस्वाक करके वुज़ू फ़रमाया। फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} حَتَّى بَلَغَ { فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

एक अ़जीब इस्तिदलाल : कुछ हज़रात ने लौला अन अशुक़्क़ अ़ला उम्मती लअमर्तुहुम बिस्सिवाक से ये इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह तआ़ला ने नबी (ﷺ) को ये इख़्तियार दिया है कि आप जिस चीज़ को चाहें उम्मत पर वाजिब कर दें और जिस चीज़ से चाहें उम्मत को रोक दें। मालूम नहीं उन हज़रात के नज़दीक अ़फ़ल्लाहु अ़न्क लि-म अज़िन्त लहुम, याअय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, का क्या मफ़्हूम है और 'रसूल अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहता, बल्कि ये तो वह्य के सिवा कुछ नहीं कहता है और लितह्कु-म बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु का क्या मक़सद है और आख़िर में ये भी लिखा है, 'अहकामे शरइय्या आपकी तरफ़ मुफ़व्वज़ हैं। लेकिन आपका अहकाम नाफ़िज़ करना मशिय्यते इलाही के ताबेअ़ है।' जब आप मशिय्यते इलाही के ताबेअ़ हैं, तो फिर इख़्तियार का क्या मानी।

फ़ायदा : बक़ौल इमाम नववी (रह.) मिस्वाक हर वक़्त करना पसन्दीदा अ़मल है लेकिन पाँच वक़्तों में मिस्वाक करना ज़्यादा बेहतर है (1) नमाज़ के वक़्त चाहिये बावुज़ू हो या तयम्मुम किया। (2) वुज़ू के

साथ (3) क़ुरआन मजीद की क़िरअत करते वक़्त (4) शब बेदार होने के बाद (5) मुँह की बू जब तब्दील हो जाये।

बाब 16 : फ़ितरत के ख़साइल व आदात

باب خِصَالِ الْفِطْرَةِ

(597) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरफ़ूअ रिवायत है आपने फ़रमाया, 'पाँच चीज़ें फ़ितरत हैं या फ़ितरत का हिस्सा हैं, ख़त्ने करना, ज़ेरे नाफ़ का बाल मूण्डना, नाख़ुन काटना, बग़ल के बाल उखेड़ना और मूंछ कतरना।'

(सहीह बुख़ारी : 5889, 5891, 6297, अबू दाऊद : 4198, नसाई : 1/15, इब्ने माजह : 292)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्ख़ितान : ख़ितान मर्द के लिये है कि उस पूरी खाल को काट दिया जाये जिसने हशफ़ा को छिपाया है ताकि हशफ़ा पूरी तरह ज़ाहिर हो जाये और औरत के लिये ये है कि फ़रज के ऊपर वाली खाल के थोड़े से हिस्से को काट दिया जाये। **(2) अल्इस्तिहदादु :** ज़ेरे नाफ़ बाल मूण्डना। क्योंकि ये हदीद से माख़ूज़ है और हदीद उस्तरे को कहते हैं। **(3) तक़लीमुल अज़्फ़ार :** तक़लीम, क़लम से माख़ूज़ है और क़लम का मानी काटना है और ज़फ़र नाख़ुन को कहते हैं अज़्फ़ार जमा है। **(4) नत्फ़ुल इबित :** नत्फ़ उखेड़ने या नौंचने को कहते हैं और इबित बग़ल को कहते हैं। **क़स्सुश्शारिब :** क़स्स काटना, शारिब मूंछ। फ़ितरत की बहस आख़िरी हदीस़ में आयेगी, जहाँ तमाम चीज़ें बयान हुई हैं।

(598) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़ितरत पाँच चीज़ें हैं, ख़तना करना, ज़ेरे नाफ़ बाल मूण्डना, मूंछ तरशवाना, नाख़ुन काटना और बग़ल के बाल उखेड़ना।'

(नसाई : 1/13-14)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ " .

(599) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हमारे लिये आपने मूंछें तराशने, नाख़ुन काटने, बग़ल के बाल उखेड़ने और ज़ेरे नाफ़ बाल मूण्डने के लिये वक़्त की तहदीद कर दी कि इनको हम चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़ें।

(अबू दाऊद : 4200, तिर्मिज़ी : 2758-2759, नसाई : 1/15-16, इब्ने माजह : 295)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ‏.‏

(600) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरफ़ूअ़ रिवायत है कि आपने फ़रमाया, 'मूंछें ख़ूब कतरो और दाढ़ी बढ़ाओ।'

(नसाई : 1/16, 8/129)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ‏"‏ ‏.‏

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अहफ़ू : अच्छी तरह ज़ाइल करना, मूंछें ख़ूब अच्छी तरह तराशनी चाहियें। **(2) अअ़्फ़ुल्लुहा :** अअ़्फ़ा तर्क करने, छोड़ देने को कहते हैं और लुहा, लिहयतुन की जमा है। (रुख़सारों और ठोड़ी के बाल)

(601) हमें मूंछें अच्छी तरह तरशवाने और दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया गया है।

(अबू दाऊद : 4188, तिर्मिज़ी : 2765, 8542)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ‏.‏

मुफ़रदातुल हदीस़ : दाढ़ी को पूरा छोड़ो, क्योंकि औफ़न्नज़र का मानी है नज़्र पूरी की औफ़ा बिल्वअ़द वादा पूरा किया, औफ़ल कैल पैमाना पूरा नापा। औफ़ा फ़ुलानन हक़्क़हू उसका हक़ पूरा दिया।

(602) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुश्रिकों की मुख़ालिफ़त करो, मूंछें मिटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ।' (मुकम्मल तौर पर छोड़ो।)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى " .

(सहीह बुख़ारी : 5892)

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ " .

(603) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मूंछें काटो, और दाढ़ी लटकाओ, मजूस की मुख़ालिफ़त करो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जुज़्ज़ू : ख़ूब अच्छी तरह काटो। **(2) अरख़ुल्लुहा :** दाढ़ी को लम्बा करो, अरख़ा का मानी होता है आज़ादी देना, दराज़ करना। कहते हैं अरख़ल फ़रस घोड़े की रस्सी दराज़ की। अरख़स्सतर पर्दा लटका दिया या छोड़ दिया।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " . قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ .

(604) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दस चीज़ें हैं जो उमूरे फ़ितरत में से हैं, मूंछों का तरशवाना, दाढ़ी को छोड़ना, मिस्वाक करना, नाक में पानी चढ़ाना, नाख़ुन काटना या तराशना, उंगलियों के जोड़ों को धोना, बग़ल के बाल उखेड़ना, ज़ेरे नाफ़ बालों को मूण्डना, पानी से इस्तिन्जा करना।' ज़करिया ने कहा, मुस्अब ने बताया कि दसवीं चीज़ मैं भूल गया हूँ, मुम्किन है वो 'कुल्ली करना हो।' क़ुतैबा ने वकीअ से ये इज़ाफ़ा किया कि इन्तिक़ासुल माअ का मानी इस्तिन्जा करना है।

(अबू दाऊद : 53, तिर्मिज़ी : 2757, नसाई : 8/127-128, इब्ने माजह : 293)

(605) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर वाली) रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं और अबू बरज़ा से नक़ल करते हैं कि मैं दसवीं बात भूल गया हूँ।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : बराजिम, बुरजमह की जमा है। उंगलियों के जोड़, पोरे, क्योंकि उनमें मैल-कुचैल रह जाती है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में दस चीज़ों को उमूरे फ़ितरत से क़रार दिया गया है। फ़ितरत के मानी व मफ़्हूम के बारे में शारिहीन की राय में लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ है। कुछ हज़रात के नज़दीक फ़ितरत से मुराद सुन्नते अम्बिया यानी पैग़म्बरों का तरीक़ा और अ़मल है क्योंकि मुस्तख़रज अबी अ़वाना की रिवायत में फ़ितरत की जगह सुनन का लफ़्ज़ है। यानी अ़शरुन मिनस्सुन्नति के अल्फ़ाज़ हैं। गोया अम्बिया (अ़लै.) ने जिस तरीक़े पर ख़ुद ज़िन्दगी गुज़ारी और अपनी-अपनी उम्मतों को जिस राह पर चलने की तल्क़ीन व हिदायत की। इसमें ये दस बातें शामिल थीं। इस तरह ये दस उमूर अम्बिया (अ़लै.) के मुश्तरिका मअ़मूलात और मुत्तफ़क़ा तालीम का हिस्सा हैं और इससे उन हज़रात के नज़रिये या राय की तग़लीत समझ में आ जाती है। जो सुन्नत का मानी, उसूले फ़िक़्ह की इस्तिलाह वाला लेते हैं और कहते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। कुछ शारिहीन के नज़दीक फ़ितरत से मुराद, दीने फ़ितरत यानी इस्लाम है। क्योंकि क़ुरआन मजीद में, दीने हनीफ़ को फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अ़लैहा से ताबीर किया गया है। यानी ये उमूरे दीन इस्लाम के अजज़ा या अहकाम में से हैं। कुछ शारिहीन ने फ़ितरत का मानी इंसान की फ़ितरत और जिबिल्लत किया है कि ये दस चीज़ें इंसान की असल फ़ितरत जो अल्लाह ने बनाई है का तक़ाज़ा हैं। जिस तरह इंसान की असल फ़ितरत ये है कि वो ईमान, नेकी और तहारत व पाकीज़गी को पसंद करता है और कुफ़्र, फ़वाहिश व मुन्करात और गन्दगी व पलीदी को नापसंद करता है। इस तरह अगर इंसान अपनी असली फ़ितरत पर क़ायम है और वो किसी ख़ारिजी अस़र और माहौल से माओफ़ और फ़ासिद नहीं हो चुकी, तो वो मज़्कूरा बाला (हदीस़ में ज़िक्रशुदा) दस उमूर को पसंद करेगी। हमारी मअ़रूज़ात से ये हक़ीक़त ख़ुद-बख़ुद निखर कर सामने आ जाती है कि लफ़्ज़े फ़ितरत का मतलब ख़्वाह सुन्नते अम्बिया हो या फ़ितरते इस्लाम हो और ख़्वाह इंसान की असल फ़ितरत व जिबिल्लत का तक़ाज़ा हैं। क्योंकि अम्बिया (अ़लै.) जो तरीक़-ए-ज़िन्दगी और जो दीन लेकर आते रहे हैं, वो दरअसल इंसानी फ़ितरत के तक़ाज़ों ही की मुस्तनद और मुफ़ीद तशरीह होती है, जो अल्लाह तआ़ला अपने अम्बिया (अ़लै.) के ज़रिये बयान फ़रमाता है। मुहद्दिस़ीन की मुत्तफ़क़ा राय है कि रावी की रिवायत का ऐतबार होता है। उसकी राय या अ़मल का नहीं। यहाँ अहादीस़ में इब्ने उ़मर (रज़ि.) की रिवायत में दाढ़ी के लिये अअ़फ़ुल्लुहा और औफ़ुल्लुहा के लफ़्ज़ हैं और अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में अरख़ुल्लुहा है। इन अल्फ़ाज़ का सरीह तक़ाज़ा है कि दाढ़ी में किसी क़िस्म की तराश-ख़राश न की जाये। अब सरीह रिवायात की मौजूदगी में कुछ ज़ईफ़ हदीस़ों और इब्ने उ़मर और अबू हुरैरह (रज़ि.) के फ़ैअ़ल से इस्तिदलाल करते हुए दाढ़ी में तराश-ख़राश कर लेना या क़ब्ज़े को सुन्नत क़रार देना दुरुस्त नहीं। नबी (ﷺ) पर ईमान लाने का तक़ाज़ा ये है कि किसी कमी व बेशी या किसी की राय और अ़मल को दलील बनाये बग़ैर आपके इरशाद को मिन व अ़न तस्लीम कर

लिया जाये। ख़ुसूसन जबकि ये बात साबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की दाढ़ी मुबारक दराज़ और घनी थी। जो सीना मुबारक को भर लेती थी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से अक़ीदत व मुहब्बत और आपका उस्व-ए-हसना का तक़ाज़ा ये है कि सूरत व सीरत में आपकी कामिल पैरवी की जाये और उससे पहलूतही के लिये हीले और बहाने न तराशे जायें बल्कि आप पर ईमान और आपसे अक़ीदत व मुहब्बत और आपके उस्व-ए-हसना का असल तक़ाज़ा तो ये है कि जहाँ तक मुम्किन हो फ़र्ज़ व सुन्नत या मुस्तहब की बहस में पड़े बग़ैर आपकी इत्तिबाअ और इक़्तिदा की जाये और आपके तर्ज़े अमल और तरीक़े से मुम्किन हद तक पहलूतही (नाफ़रमानी) से गुरेज़ किया जाये। इसलिये इस बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि इन दस उमूर के बारे में चारों इमाम के नज़रियात और राय क्या हैं।

باب الاِسْتِطَابَةِ

बाब 17 : इस्तिन्जा करना या पाकीज़गी हासिल करना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ ‏.‏

(606) हज़रत सलमान (रज़ि.) से रिवायत है कि उनसे (तन्ज़न) पूछा गया कि तुम्हारे नबी ने तुम लोगों को सब बातों की तालीम दी है। यहाँ तक कि पाख़ाना करने का तरीक़ा भी (सिखाया है) तो सलमान (रज़ि.) ने कहा, हाँ! (हमें सब कुछ सिखाया है) आपने हमें मना फ़रमाया है कि हम पाख़ाना या पेशाब के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करें या ये कि हम दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करें या ये कि हम इस्तिन्जे में तीन पत्थरों से कम इस्तेमाल करें या ये कि हम इस्तिन्जा करें, किसी चौपाये के फ़ज़्ले (गोबर) या हड्डी से।

(अबू दाऊद : बाब 7, तिर्मिज़ी : बाब 16, नसाई : 1/38, 1/44, इब्ने माजह : 316)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ ‏.‏ فَقَالَ أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَى عَنِ

(607) हज़रत सलमान (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें (कुछ) मुश्रिकों ने कहा, मेरा ख़याल है तुम्हारा साथी तुम्हें हर चीज़ सिखाता है, यहाँ तक कि तुम्हें क़ज़ाए हाजत का तरीक़ा भी बताता है, तो उस (सलमान) ने कहा, हाँ! उन्होंने हमें मना फ़रमाया है कि हममें से कोई अपने दायें हाथ से इस्तिन्जा करे या क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे और

الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ " لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ " .

आपने हमें गोबर और हड्डी के इस्तेमाल से रोका है ओर आपने फ़रमाया है कि तुममें से कोई तीन पत्थरों से कम से इस्तिन्जा न करे।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ .

(608) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हड्डी या मींगनी (लीडना) से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया।

(अबू दाऊद : 38)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ख़िरात : क़ज़ाए हाजत की हैयत व कैफ़ियत और अगर ख़िरा हो तो पाख़ाना को कहेंगे। **(2) ग़ाइत :** नशीबी (निचली) ज़मीन को कहते हैं, मुराद पाख़ाना है। **(3) रजीअ या रौस़ :** गोबर। **(4) अज़्म :** हड्डी ।**(5) बअ़रुन :** मींगनी।

फ़ायदा : जिस तरह खाना-पीना, पहनना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से हैं, उसी तरह बोल व बराज़ (पेशाब-पाख़ाना) इंसान के साथ लगा हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस तरह ज़िन्दगी के दूसरे कामों और दूसरे शौबों के बारे में हिदायात व तालीमात दी हैं इसी तरह पेशाब, पाख़ाना और तहारत व इस्तिन्जा के बारे में भी मुन्दरजा ज़ैल हिदायात दी हैं जो इस्लाम के कामिल ज़ाब्ते ज़िन्दगी होने का बय्यिन (खुला) सुबूत हैं। (1) दायाँ हाथ जिसको हमारे ख़ालिक़ ने पैदाइशी तौर पर बायें हाथ के मुक़ाबले में ज़्यादा क़ुव्वत व ताक़त और सलाहियतकार बख़्शी है। इसको इस्तिन्जे की गन्दगी व पलीदी की सफ़ाई के लिये इस्तेमाल न किया जाये। (2) क़ज़ाए हाजत के लिये इस तरह न बैठा जाये कि इंसान का रुख़ या पुश्त क़िब्ले की तरफ़ हो। क्योंकि क़िब्ले के अदब व एहतिराम का तक़ाज़ा यही है। तफ़्सील आगे आ रही है। (3) बोल व बराज़ की सफ़ाई के लिये कम से कम तीन पत्थर या ढेले इस्तेमाल किये जायें। (4) किसी जानवर को गिरी-पड़ी हड्डी या उसके ख़ुश्क फ़ज़्ले, लीद गोबर वग़ैरह से इस्तिन्जा न किया जाये।

بَابُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ

बाब 18 : पाख़ाना और पेशाब के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना (नुस्ख़े में बाब का लफ़्ज़ नहीं है)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ، يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

(609) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम क़ज़ाए हाजत करने लगो तो न क़िब्ले की तरफ़ मुँह करो और न उसकी तरफ़ पीठ करो, पेशाब करना हो या पाख़ाना, लेकिन मश्रिक़ या मग़्रिब की तरफ़

मुँह किया करो।' अबू अय्यूब (रज़ि.) ने कहा, हम शाम गये तो हमने बैतुल ख़ला क़िब्ला रुख़ बने पाये तो हम उनसे इन्हिराफ़ करते (पहलू बदलते) और अल्लाह से माफ़ी तलब करते थे।'
(सहीह बुख़ारी : 1404, 394, अबू दाऊद : बाब 9, तिर्मिज़ी : बाब 8, नसाई: 1/23, इब्ने माजह : 318)

يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) शरक़ू औ ग़रबू : कि मश्रिक़ की तरफ़ रुख़ करो या मग़रिब की तरफ़, उसके मुख़ातब अहले मदीना हैं। क्योंकि उनका क़िब्ला मश्रिक़ या मग़रिब की सिम्त में नहीं पड़ता। जिनका क़िब्ला मश्रिक़ या मग़रिब है वो उसके मुख़ातब नहीं हैं। **(2) मराहीज़ :** मिरहाज़ की जमा है। **बैतुल ख़ला :** लेटीन। **नन्हरिफ़ु अन्हा :** के अलग-अलग मआनी किये गये हैं। हम उनको इस्तेमाल न करते, जेहते क़िब्ला से इन्हिराफ़ कर लेते, जहाँ तक मुम्किन होता पहलू बद लेते। **(3) नस्तग़्फ़िरुल्लाह :** इन्हिराफ़ के बावजूद कुछ न कुछ क़िब्लारुख़ रह जाने से माफ़ी तलब करते, माद्दी गन्दगी से गुनाह याद आ जाते। इसलिये अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। शाम के लोग जिन्होंने ये मराहीज़ बनाई थीं वो काफ़िर थे इसलिये उनके लिये माफ़ी तलब करने का सवाल पैदा नहीं होता। (क़िब्ले की तरफ़ रुख़ या पुश्त करने के बारे में उलमा की राय आगे आ रही हैं)।

(610) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ( ) ने फ़रमाया, 'जब तुमसे कोई क़ज़ाए हाजत के लिये बैठे तो न क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे और न उसकी तरफ़ पुश्त (पीठ) करे।'

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ" إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا " .

(611) वासिअ बिन हब्बान बयान करते हैं, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपनी पुश्त क़िब्ले की तरफ़ लगाकर बैठे हुए थे, तो जब मैंने अपनी नमाज़ पूरी कर ली, एक तरफ़ से उनकी तरफ़ मुड़ा, तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, कुछ लोग कहते हैं, जब तुम अपनी हाजत पूरी करने के लिये

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا

قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلاَ تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ .

बैठो तो क़िब्ले की तरफ़ और बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके न बैठो।' अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हालांकि मैं घर की छत पर चढ़ा तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा क़ज़ाए हाजत के लिये दो ईंटों पर (बैतुल मक़्दिस की तरफ़ रुख़ करके) बैठे हुए थे।

सहीह बुख़ारी: 145-149, 3102, अबू दाऊद: बाब 12 तिर्मिज़ी : बाब 13, नसाई : 1/23, इब्ने माजह : 322)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ .

(612) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं अपनी बहन हफ़सा के घर की पुश्त पर चढ़ा तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, अपनी हाजत पूरी करने के लिये शाम की तरफ़ रुख़ करके क़िब्ले को पुश्त करके बैठे हुए थे।

फ़ायदा : क़ज़ाए हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करने के बारे में अइम्म-ए-किराम के अलग-अलग नज़रियात हैं, हम सिर्फ़ मशहूर राय ज़िक्र करते हैं : (1) क़िब्ले की तरफ़ रुख़ और पुश्त खुली जगह पर सहरा में नाजाइज़ है, बुनियान (इमारत) या बंद जगह में जाइज़ है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) का नज़रिया यही है। इमाम इस्हाक़ बिन राहवे और एक क़ौल के मुताबिक़ इमाम अहमद (रह.) का मौक़िफ़ भी यही है। (2) इस्तिक़बाल व इस्तिदबार दोनों जगह खुली जगह या सहरा हो या बैतुल ख़ला और बंद जगह नाजाइज़ है। इब्राहीम नख़ई और सुफ़ियान सौरी का मौक़िफ़ यही है और हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) इसके क़ाइल थे। एक क़ौल के मुताबिक़ इमाम अहमद (रह.) भी इसके क़ाइल थे। (3) इस्तिक़बाल व इस्तिदबार हर जगह जाइज़ है कोई पाबंदी नहीं। इमाम रबीआ अर्राय और दाऊद ज़ाहिरी और उरवह बिन ज़ुबैर का यही नज़रिया है। (4) इस्तिक़बाल किसी जगह जाइज़ नहीं और इस्तिदबार हर जगह जाइज़ है। इमाम अहमद (रह.) और एक क़ौल के मुताबिक़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का नज़रिया भी यही है। (शरह सहीह मुस्लिम : 1/130)

अहनाफ़ का मशहूर मौक़िफ़ यही है कि इस्तिक़बाल और इस्तिदबार दोनों कहीं भी जाइज़ नहीं। सहीह बात यही है कि क़िब्ले के अदब व एहतिराम और तहज़ीब व शाइस्तगी का तक़ाज़ा यही है कि हत्तल मक़्दूर यही कोशिश करनी चाहिये कि क़ज़ाए हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पुश्त न हो। अगरचे इंसान बैतुल ख़ला और क़रीबी आड़ या रुकावट की सूरत में समझता है कि मेरा मुँह क़िब्ले की तरफ़ नहीं, दीवार की तरफ़ है जैसाकि इंसान किसी के सामने क़ज़ाए हाजत में शर्म व हया महसूस करता है लेकिन अगर दरम्यान में पर्दा हाइल है तो कोई हर्ज नहीं समझता। इसलिये किसी ज़रूरत या मजबूरी की सूरत में ही इस्तिक़बाल या इस्तिदबार करना चाहिये, क्योंकि जवाज़ की गुंजाइश मौजूद है।